अल्लाह तआला उस शख़्स को तरोताज़ा रखे जिसने मुझसे कोई हदीस सुनी फिर उसको आगे पहुँचा दिया जैसा कि सुना था।

1000 मुन्तख़ब हदीसें

मुस्लिम शरीफ़ से

तरतीब

मौलाना अमानुल्लाह फैसल व मौलाना मुश्ताक़ अहमद शाकिर

हिन्दी अनुवाद

मौलाना मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी

इल्मे हदीस की मशहूर व मक़बूल किताब
से ली गईं

एक हज़ार मुन्तख़ब हदीसें
अज़
मुस्लिम शरीफ़

तालीफ़

इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज नेशापुरी रह०

तरतीब

मौलाना अमानुल्लाह फ़ैसल व मौलाना मुश्ताक़ अहमद शाकिर

हिन्दी अनुवाद

मौलाना मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी

इस्लामिक बुक सर्विस प्रा० लि०

1000 मुन्तख़ब हदीसें
अज़
मुस्लिम शरीफ़

तालीफ़
इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज नेशापुरी रह.

तरतीब
मौलाना अमानुल्लाह फ़ैसल व मौलाना मुश्ताक़ अहमद शाकिर

हिन्दी अनुवाद
मौलाना मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी

ISBN 978-93-5169-010-8

First Published 2016

Published by *Abdus Sami* for :

Islamic Book Service (P) Ltd.
1511-12, Pataudi House, Darya Ganj, New Delhi-110 002 (India)
Tel.: +91-11-23244556, 23253514, 23269050, 23286551
e-mail: info@ibsbookstore.com
Website: www.ibsbookstore.com
ebooks: www.bit.do/ebs
amazon.in www.bit.do/ibs

OUR ASSOCIATES

Al Mashkoor Bookshop LLC, **Sharjah (U.A.E.)**
Azhar Academy Ltd., **London (United Kingdom)**
Lautan Lestari (Lestari Books), **Jakarta (Indonesia)**
Husami Book Depot, **Hyderabad (India)**

Printed in India

Derived from the works of Mahmud Oncu [1]
"Wamubashshiran bi raswlin ya'ty min ba'dy Ismuhu Ahmad"

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

इस किताब को पढ़ने से पहले इस तरह दुआ़ माँगिये......

(इसी तरह हर काम को शुरू करने से पहले भी अगर आप अल्लाह तआ़ला से मदद माँगें तो आपका हर काम आसान हो जायेगा। इन्शा-अल्लाह)

हर दुआ़ के शुरू में अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त की तारीफ़ व सना बयान करें जिसके लिये सूरः फ़ातिहा पढ़ना काफ़ी है। फिर रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर दुरूद शरीफ़ भेजिये और इसी तरह हर दुआ़ के आख़िर में भी दुरूदे इब्राहीमी पढ़िये और उसके बाद इस तरह दुआ़ माँगिये।

या अल्लाह! मैं इल्मे हदीस समझना और इस पर अ़मल करना चाहता/चाहती हूँ। मुझे दीन के समझने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाईये और समझने के बाद उस पर अ़मल करना मेरे लिये आसान बना दीजिये और तमाम मुसलमानों का ख़ात्मा ईमान पर कीजिये। उसके बाद निम्नलिखित दुआ़यें भी माँगिये—

رَبِّ اشْرَحْ لِى صَدْرِىْo وَيَسِّرْلِىٓ اَمْرِىْo وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْo يَفْقَهُوْا قَوْلِىْo

रब्बिश्रह् ली सद्री, व यस्सिर् ली अम्री, वह्लुल् अुक्दतम् मिल्लिसानी, यफ़्क़हू क़ौली। (सूरः तॉहा 20, आयतें 25-28)

तर्जुमाः ऐ मेरे रब! मेरा सीना खोल दीजिये, मेरे लिये मेरा (यह) काम आसान बना दीजिये, मेरी जुबान की गिरह खोल दीजिये ताकि वे (लोग) मेरी बात समझ लें।

رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًاo

रब्बि ज़िद्नी अ़िल्मा। (सूरः तॉ-हा 20, आयत 114)

तर्जुमाः ऐ मेरे रब! मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाईये।

رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ وَبِكَ اَسْتَعِيْنُ.

फ़ेहरिस्त उनवानात

	क्या?	कहाँ?
✪	हिन्दी अनुवादक के क़लम से	10
✪	प्रकाशक की ओर से	13
✪	इमाम मुस्लिम रह्मतुल्लाहि अ़लैहि की ज़िन्दगी के हालात	15
✪	"सही मुस्लिम" किताब के लिखने का सबब और इसका मक़ाम व मर्तबा	16
✪	इल्मे हदीस सीखने वाले के लिये कुछ आदाब	19
✪	हदीस की क़िस्में (संक्षिप्तता के साथ)	20
✪	हदीस की किताबों की इस्तिलाहें	21
✪	ईमान का बयान	23
✪	तहारत के मसाईल का बयान	45
✪	हैज़ (माहवारी) का बयान	52
✪	नमाज़ का बयान	61
✪	मस्जिदों और नमाज़ की जगह का बयान	79
✪	मुसाफ़िर की नमाज़ का बयान	96
✪	क़ुरआन मजीद की फ़ज़ीलत का बयान	107
✪	नमाज़ के मम्नूअ़ वक़्तों का बयान	111
✪	नमाज़े ख़ौफ़ का बयान	112
✪	जुमा का बयान	112
✪	ईदैन की नमाज़ों का बयान	116
✪	इस्तिस्क़ा की नमाज़ का बयान	117
✪	कुसूफ़ व ख़ुसूफ़ की नमाज़ का बयान	118
✪	नमाज़े जनाज़ा का बयान	118
✪	ज़कात का बयान	125

क्या?	कहाँ?
रोज़ों का बयान	143
रोज़े की हिक्मतें	143
एतिकाफ़ का बयान	151
हज का बयान	151
निकाह का बयान	163
दूध पिलाने का बयान	165
तलाक़ का बयान	166
लिआ़न का बयान	167
गुलामों को आज़ाद करने का बयान	169
ख़रीद व फ़रोख़्त का बयान	169
मुसाक़ात और मुज़ारिअ़त का बयान	171
सूद का बयान	175
विरासत के मसाईल का बयान	178
हिबा का बयान	180
वसीयत का बयान	181
नज़्र (मन्नत) का बयान	184
क़समों के अहकाम	185
क़िसामा, जंग करने वालों, क़िसास और दियत का बयान	186
हुदूद का बयान	191
फ़ैसलों का बयान	194
गिरी-पड़ी चीज़ों का बयान	195
मेहमान-नवाज़ी का बयान	196
जिहाद और ग़ज़वात का बयान	198
इमारत (सरदारी और हुकूमत) का बयान	215
ज़बीहे और शिकार का बयान	232
क़ुरबानी का बयान	237
नशा लाने के लिये पी जाने वाली चीज़ों का बयान	240

क्या?	कहाँ?
✪ लिबास व ज़ीनत का बयान	251
✪ आदाब का बयान	262
✪ सलाम का बयान	268
✪ साँप और दूसरे ज़मीनी कीड़ों-मकोड़ों को मारने के शरई हुक्मों का बयान	283
✪ अदब का बयान	286
✪ अश्आर का बयान	288
✪ ख़्वाबों का बयान	288
✪ फ़ज़ीलतों का बयान	293
✪ सहाबा-ए-किराम की फ़ज़ीलत का बयान	306
✪ अच्छे सुलूक और सिला-रहमी का बयान	318
✪ तक़दीर का बयान	337
✪ इल्म का बयान	345
✪ दुआ, ज़िक्र, तौबा और इस्तिग़फ़ार का बयान	347
✪ तौबा का बयान	365
✪ मुनाफ़िक़ों की निशानियाँ और उनके लिये अहकाम	369
✪ क़ियामत, जन्नत और दोज़ख़ का बयान	371
✪ जन्नत की नेमतों, उसकी सिफ़तों और जन्नतियों का बयान	379
✪ जहन्नम का बयान (अल्लाह तआ़ला हमें उससे महफ़ूज़ रखे)	381
✪ क़ियामत के फ़ितनों और निशानियों का बयान	386
✪ हर काम के समापन पर यह दुआ पढ़नी चाहिये	391
✪ इस सदक़ा-ए-जारिया में हिस्सा लेने के तरीक़े	392

✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

हिन्दी अनुवाद के क़लम से

अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्-आ़लमीन वस्सलातु वस्सलामु अ़ला हबीबिही मुहम्मदिंव-व अ़ला आलिही व अस्हाबिही अज्मओ़न।

दिल में ख़ुशी व एहतिराम के जज़्बात उमंड रहे हैं कि अल्लाह तआ़ला ने अपने हबीब, अम्बिया के सरदार, आख़िरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मुबारक हदीसें लिखने और उनको हिन्दी भाषा में मुन्तक़िल करने का मौक़ा इनायत फ़रमाया है। अगर गहराई से ग़ौर किया जाये तो यह एक ऐसी नेमत है जिसका मुक़ाबला दुनिया की कोई चीज़ नहीं कर सकती।

यह अल्लाह के महबूब का कलाम है, यह अल्लाह के कलाम (क़ुरआन पाक) की तफ़सीर है, यह उस ज़ात के मुबारक होंठों से निकले हुए अलफ़ाज़ हैं जिनके बारे में ख़ुद ख़ालिक़े कायनात की गवाही है कि वह अपनी तरफ़ से कुछ नहीं कहते, वही इरशाद फ़रमाते हैं जिसका हुक्म व इशारा हमारी तरफ़ से होता है, यह उस पाक ज़ात का कलाम है जो तमाम आ़लम के लिये रहमत हैं, जो इनसानियत को राहे निजात दिखाने वाले हैं, जो आमना के लाल हैं, जो अ़ब्दुल-मुत्तलिब के दुलारे हैं।

हज़राते सहाबा किराम और मुहद्दिसीन का उम्मत पर बड़ा एहसान है कि उन्होंने अपनी उम्रें इस मशग़ले में खपा दीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की एक-एक बात, एक-एक अ़मल, यहाँ तक की एक-एक हरकत व गतिविधि को महफ़ूज़ करके क़ियामत तक आने वाली उम्मते मुहम्मदिया और इनसानियत को एक क़ीमती तोहफ़ा बख़्शा, उलूम का एक ज़ख़ीरा जमा कर दिया जिससे इल्म व अख़्लाक़, दीन व मज़हब और दुनिया व आख़िरत के उलूम से इनसानियत आगाह हुई। ज़रूरत है कि इस क़ीमती और अमूल्य ज़ख़ीरे को सर-आँखों पर रखा जाये, इससे फ़ायदा उठाया जाये, इसकी क़द्र की जाये, इस पर अ़मल करके अपनी दुनिया व आख़िरत को संवारा जाये।

मैं इस किताब के पढ़ने वालों से गुज़ारिश करूँगा कि वे इसे एक आम

मालूमात या मसले-मसाईल की नीयत से न पढ़ें बल्कि इन क़ीमती मोतियों को अपने दिल के अन्दर उतारने और इनसे अपनी ज़िन्दगी को रोशन करने की नीयत से दिल के ख़ुलूस, मुहब्बत और इज़्ज़त व क़द्र की निगाह से देखें। जहाँ तक मसले-मसाईल की बात है तो मुहद्दिसीन व उलेमा ने क़ुरआन व हदीस के समझने-समझाने और उम्मत के लिये उनसे रहनुमाई हासिल करके अपनी मेहनत व कोशिश की जो छाप और ज़ख़ीरा छोड़ा है, वह अल्लाह के यहाँ मक़बूल है और क़ियामत तक इन्शा-अल्लाह उसकी पैरवी करने वाले मौजूद रहेंगे।

हनफ़ी मस्लक ही को ले लीजिये, आज भी दुनिया में मुसलमानों की कुल आबादी का आधे से ज़ायद हिस्सा हनफ़ी मस्लक के मुताबिक़ क़ुरआन व हदीस पर अ़मल पैरा है। इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. सबसे बड़े इमाम हैं, बाक़ी के तीनों इमाम उनसे बाद के हैं जिनमें से अक्सर इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्दों के शागिर्द हैं और मुहद्दिसीन में से अक्सर हज़रात चारों इमामों में से किसी न किसी इमाम के मानने वाले हैं, मालूम यह हुआ कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हदीस व फ़िक़्ा के तक़रीबन सारे इमाम हज़रात इमाम अबू हनीफ़ा रह. के उलूम से फ़ायदा उठाने वाले हैं।

मैं सिर्फ़ यह अ़र्ज़ करना चाहता हूँ कि हदीस मुबारक को किसी ख़ास नज़रिये से न देखा जाये, यह तो इस्लामी क़ानून की बुनियाद है, अगर यह मान लें (जैसा कि कुछ अ़क़्ल के मारों की सोच है) कि सिर्फ़ बुख़ारी व मुस्लिम ही को मोतबर हदीसी ज़ख़ीरा माना जाये तो बाद में जितनी हदीस की किताबें लिखी गयीं उनका तो कोई मक़ाम ही नहीं बचता। हदीस क़ुरआन की तफ़सीर है और क़ुरआन के बारे में है कि क़ियामत तक इसके नये-नये उलूम ज़ाहिर होते रहेंगे, मतलब यह कि हदीसे पाक से भी इल्म की नयी-नयी धारायें फूटती रहेंगी, तो फिर इस जमूद और सीमितता से यह बात कैसे पूरी हो सकती है। ज़रा सोचिये और समझ से काम लीजिये।

मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी
मुज़फ़्फ़र नगर (उ. प्र.) 9456095608

WA INNAKA LA-ALA KHULUAIN AZEEM

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

प्रकाशक की ओर से

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لَاۤ اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰۤی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖۤ اَجْمَعِیْنَ.

"मुन्तख़ब अहादीस" (चुनिन्दा हदीसों) के मजमूए का हर घर में होना ज़रूरी है। हमने एक हज़ार मुन्तख़ब हदीसें (मुस्लिम शरीफ़ से लेकर) इस नीयत से तरतीब दी हैं कि जो मुसलमान महंगी किताबें नहीं ख़रीद सकते या जो मसरूफ़ियात (व्यस्तताओं) की वजह से ज़्यादा वक़्त हदीस के पढ़ने व अध्ययन करने को नहीं दे सकते उनके लिये तक़रीबन हर विषय पर हदीसे पाक का मुख़्तसर इल्म घर में मौजूद हो। आपको बज़ाहिर कुछ हदीसों का उनवान से ताल्लुक़ नज़र नहीं आयेगा मगर इल्मी तौर पर उसका कुछ न कुछ ताल्लुक़ ज़रूर होता है। यह एक इल्मी बहस है, एक हदीस से कई-कई मसाईल निकलते हैं और यही इमाम मुस्लिम रह. का इल्मी कमाल है। हमने यह बहस नहीं लिखी है। यह आसान उर्दू तर्जुमा अनेक तर्जुमों को सामने रखकर किया है और इख़्तिसार (संक्षिप्तता) से इस हद तक काम लिया है कि हदीस का मफ़्हूम न बदले। कुछ जगहों पर मुख़्तसर वज़ाहत ब्रेकिट में दे दी है। जहाँ कहीं किसी सहाबी के नाम के बाद मुख़्तसर 'रज़ि.' लिखा गया है (जगह बचाने के लिये) आप से दरख़्वास्त है कि आप 'रज़ि.' की जगह पूरा 'रज़ियल्लाहु अ़न्हु' ज़रूर पढ़ें ताकि आपकी तरफ़ से उन सहाबी को एक बेहतरीन दुआ़ का तोहफ़ा पहुँच जाये बिइज़्निल्लाहि तआ़ला। मरहूम हज़रात के लिये दुआ़ बेहतरीन तोहफ़ा है। आप से गुज़ारिश है कि इस किताब को आप तक पहुँचाने वालों को अपनी दुआ़ओं में ज़रूर याद रखें।

दुआ़ है कि अल्लाह करीम हर मुसलमान के लिये इस किताब को नफ़ा देने वाली बनाये और हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के तरीक़े और आपकी हदीसों पर अ़मल करने वाला बनाये। आमीन

ऐ अल्लाह! आपकी मग़फ़िरत हमारे तमाम गुनाहों से कहीं ज़्यादा बड़ी है और हमें आपकी रहमत का आसरा है न कि अपने आमाल का। हम सब मुसलमानों की मग़फ़िरत फ़रमा दीजिये। या अल्लाह! हम आपकी पनाह चाहते हैं बुरे दिन, बुरी रात, बुरी घड़ी और बुरे वक़्त से, और आपके नागहानी अ़ज़ाब से और हर तरह के गुस्से और नेमतों व आ़फ़ियतों के छिन जाने से।

ऐ अल्लाह! हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाईये और नेक आमाल करने की भी तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाईये। आमीन

सुब्हा-न रब्बि-क रब्बिल्-इ़ज़्ज़ति अ़म्मा यसिफ़ून। व सलामुन् अ़लल्-मुर्सलीन। वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्-आ़लमीन।

तालिब दुआ़

मुहम्मद उबैदुल्लाह

नाज़िमे अल्-अअ़्लामुल्-इस्लामी (रजि.)

इमाम मुस्लिम रह्मतुल्लाहि अ़लैहि की ज़िन्दगी के हालात

इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज बिन मुस्लिम वर्द बिन करशाद अलू-क़ुशैरी रह. ख़ुरासान के एक ख़ूबसूरत शहर नेशापुर में पैदा हुए। शुरू की तालीम से फ़ारिग़ होने के बाद 18 साल की उम्र में इल्मे हदीस की तालीम शुरू की, बहुत ज़्यादा लगन और मेहनत से हदीस के उलूम में महारत हासिल की और बहुत जल्द उनका शुमार नेशापुर के बड़े मुहद्दिसीन में होने लगा।

आपने इल्मे हदीस की तलब में अनेक शहरों की तरफ़ सफ़र भी किया। नेशापुर के उलेमा से इल्मी फ़ैज़ हासिल करने के बाद हिजाज़े मुक़द्दस (मक्का व मदीना), शाम, इराक़ और मिस्र भी गये। अनेक बार बग़दाद के सफ़र का भी इत्तिफ़ाक़ हुआ। आपने इन तमाम शहरों में उस वक़्त के मशहूर उस्ताज़ों और उलेमा से इल्मे हदीस, फ़न्ने हदीस, अस्मा-ए-रिजाल जैसे अहम उलूम हासिल किये। आपको हदीस के जिन उलेमा और उस्ताज़ों से फ़ैज़ हासिल करने का गौरव हासिल है उनमें यहया बिन यहया, मुहम्मद बिन यहया, ज़ोहली, अहमद बिन हंबल, इस्हाक़ बिन राहवैह, अ़ब्दुल्लाह बिन मस्लमा 'अलक़ानबी', अहमद बिन यूनुस यरबूअ़ी, इस्माईल बिन अबी उवैस, सईद बिन मन्सूर, औ़न बिन सलाम, दाऊद बिन अ़मर अज़्ज़ब्बी, हैसम बिन ख़ारिजा, शीबान बिन फ़रूख़ और इमाम बुख़ारी रह. जैसे बड़े रुतबे के मुहद्दिसीन क़ाबिले ज़िक्र हैं।

इमाम मुस्लिम रह. सुर्ख़ व सफ़ेद रंग के, लम्बे क़द और ख़ूबसूरत शख़्सियत के मालिक थे। सर पर पगड़ी बाँधते थे और चादर कन्धों के दरमियान लटकाया करते थे। उन्होंने इल्म को कमाने और रोज़ी हासिल करने का ज़रिया नहीं बनाया बल्कि कपड़ों की तिजारत करके अपनी निजी ज़रूरतें पूरी किया करते थे। शाह अ़ब्दुल-अ़ज़ीज़ रह. लिखते हैं कि इमाम मुस्लिम रह. की ख़ुसूसियतों में से यह है कि उन्होंने उम्र भर न किसी की

ग़ीबत की न किसी को मारा और न ही किसी के साथ सख़्त-कलामी की।

इमाम मुस्लिम रह. की इल्मी ख़िदमात और कमालात को मुहद्दिसीन ने बेहद सराहा है। अबू अ़मर मुस्तमिली बयान करते हैं कि एक मर्तबा हमें इस्हाक़ बिन मन्सूर हदीसें लिखवा रहे थे और इमाम मुस्लिम उन हदीसों में से चुन-चुनकर अलग कर रहे थे कि अचानक इस्हाक़ बिन मन्सूर ने निगाह ऊपर उठाई और कहा कि हम उस वक़्त तक भी ख़ैर से मेहरूम नहीं होंगे जब तक हमारे बीच मुस्लिम बिन हज्जाज मौजूद हैं। मुहम्मद बिन अ़ब्दुल-वहाब फ़राद बयान करते हैं कि मुस्लिम रह. इल्म का ख़ज़ाना हैं और मैंने इनमें ख़ैर के सिवा और कुछ नहीं पाया। आपकी उम्र का अक्सर हिस्सा हदीस के हासिल करने के लिये अनेक शहरों में सफ़र करते हुए गुज़रा। इसके साथ-साथ आप पढ़ने-पढ़ाने में भी बेहद मशग़ूल रहे। निम्नलिखित किताबें आपकी अ़ज़ीम यादगार हैं।

1. अल्-मामिउस्सहीह।
2. अल्-मुस्नदुल-कबीर।
3. किताबुल-अस्मा वल्-कुना।
4. किताबुल-जामिअ़ि अ़लल्-बाब।
5. किताबुल-अ़िलल्।
6. किताबुल-वुहदानि।

"सही मुस्लिम" किताब के लिखने का सबब और इसका मक़ाम व मर्तबा

इमाम मुस्लिम रह. सही मुस्लिम के लिखने और जमा करने का सबब बयान करते हुए लिखते हैं—

"मुझसे मेरे कुछ शागिर्दों ने दरख़्वास्त की कि मैं सही हदीसों का एक ऐसा मजमूआ़ तैयार करूँ जिसमें बिना तकरार (दोहराये बग़ैर) हदीसों को जमा किया जाये। चुनाँचे उनकी दरख़्वास्त पर मैंने सही मुस्लिम को तरतीब दिया।"

इमाम मुस्लिम रह. ने तीन लाख हदीसों में से अपनी किताब 'सही मुस्लिम' का इन्तिख़ाब किया और जिन उलेमा व बुज़ुर्गों की हदीसों को उन्होंने अपनी सही में रिवायत किया है उन सबसे उन्होंने आमने-सामने और

डायरेक्ट तौर पर हदीसों को सुना। और इस किताब के लिखने में उन्होंने सिर्फ़ अपनी ज़ाती तहक़ीक़ पर ही इक्तिफ़ा नहीं किया बल्कि मज़ीद एहतियात को सामने रखते हुए इस मजमूए में सिर्फ़ उन हदीसों को लाये हैं जिनके सही होने पर उस वक़्त के बड़े-बड़े उलेमा का इत्तिफ़ाक़ (सहमति) था, और फिर इसी पर बस नहीं किया बल्कि और अधिक तहक़ीक़ के लिये किताब को मुकम्मल करने के बाद इसे उस वक़्त के लाखों हदीस के हाफ़िज़ और बेमिसाल आ़लिम अबू ज़ुरआ़ की ख़िदमत में पेश किया जो उस ज़माने में हदीस और उससे संबन्धित उलूम के इमाम शुमार किये जाते थे, और जिस रिवायत के बारे में उन्होंने किसी कमज़ोरी की निशानदेही की इमाम मुस्लिम ने उसको किताब से निकाल दिया। इस तरह 15 साल की लगातार कोशिश और मुकम्मल कड़ी मेहनत के बाद 'सही मुस्लिम' की सूरत में हदीस का यह मजमूआ़ तैयार हुआ।

'सही मुस्लिम' 'सिहाहे-सित्ता' (हदीस की छह बड़ी और मुस्तनद किताबों) में सही बुख़ारी के बाद शुमार की जाती है। इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज रह. ने हदीसों को इन्तिहाई मेहनत और कोशिश से तरतीब दिया है। तरतीब की उम्दगी और अपने अन्दाज़ के लिहाज़ से यह सही बुख़ारी पर भी फ़ौक़ियत (बरतरी) रखती है और तरतीब दिये जाने के ज़माने से लेकर आज तक इसको 'आ़म मक़बूलियत' का सम्मान हासिल रहा है।

इमाम अ़ब्दुर्रहमान नसाई का कहना है कि इमाम मुस्लिम की किताब 'सही मुस्लिम' इमाम बुख़ारी की 'सही बुख़ारी' से भी उम्दा है, और मुस्लिम बिन क़ासिम क़ुर्तुबी जो इमाम दारे क़ुतनी के हम-ज़माना हैं उन्होंने कहा कि इमाम मुस्लिम की सही के जैसी किताब कोई शख़्स पेश नहीं कर सकता। इमाम इब्ने हज़्म भी सही मुस्लिम को सही बुख़ारी पर तरजीह देते थे। शाह अ़ब्दुल-अ़ज़ीज़ रह. बयान करते हैं कि अबू अ़ली ज़ाफ़रानी को किसी शख़्स ने वफ़ात के बाद ख़्वाब में देखा और उनसे पूछा कि तुम्हारी बख़्शिश किस सबब से हुई तो उन्होंने जवाब दिया कि 'सही मुस्लिम' के चन्द हिस्से (पढ़ने-पढ़ाने) के सबब अल्लाह तआ़ला ने मुझे बख़्श दिया है 'सुब्हानल्लाह'। इससे मालूम हुआ कि सही मुस्लिम की अल्लाह तआ़ला के नज़दीक बड़ी

क़द्र व इज़्ज़त है। (बुस्तानुल-मुहद्दिसीन)

24 रजब सन् 261 हिजरी इतवार के दिन शाम के वक़्त इल्मे हदीस का यह चमता सूरज ग़ुरूब हो गया और अगले दिन पीर को ख़ुरासान के इस अ़ज़ीम मुहद्दिस को सुपुर्दे ख़ाक कर दिया गया।

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّـآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ٥

तर्जुमाः- हम तो खुद अल्लाह तआ़ला की मिल्कियत हैं और हम उसी की तरफ़ लौटने वाले हैं। (सूरः ब-क़रह 2, आयत 156)

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ٥ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ٥

तर्जुमाः- ज़मीन पर जो हैं सब फ़ना होने वाले हैं। सिर्फ़ तेरे रब की ज़ात तो बड़ाई व इज़्ज़त वाली है बाक़ी रह जायेगी।

(सूरः रहमान 55, आयत 26-27)

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ٥

तर्जुमाः- पाक है आपका रब जो बड़ाई वाला है, हर उस चीज़ से जो (मुश्रिक) बयान करते हैं, और (तमाम) रसूलों पर सलामती हो और तमाम तारीफ़ व सना उसी अल्लाह करीम के लिये है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। (सूरः अस्साफ़्फ़ात 37, आयत 180-182)

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

इल्मे हदीस सीखने वाले के लिये कुछ आदाब

1. हदीस का इल्म सही और ख़ालिस नीयत के साथ सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला की रज़ा के लिये हासिल करें।

2. हदीस का इल्म नाम कमाने और दुनिया के मक़सदों के लिये हरगिज़ हासिल न करें वरना कुछ फ़ायदा न होगा।

3. अल्लाह तआ़ला से दुआ़ करते रहें कि इस मुबारक इल्म के हासिल होने में अल्लाह तआ़ला की तौफ़ीक़ हासिल रहे, हालात दुरुस्त रहें, कोई रुकावट और मुश्किल पेश न आये और अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त हदीस के समझने में ख़ुसूसी मदद फ़रमाते रहें और ख़ात्मा ईमान के साथ हो।

4. रोज़ाना कुछ न कुछ वक़्त (या जितना ज़्यादा संभव हो) हदीस का इल्म हासिल करने के लिये ज़रूर ख़र्च करें, बेहतर यह है कि किसी मोतबर और परहेज़गार उस्ताज़ की शागिर्दी भी इख़्तियार करें।

5. उस्ताज़ की बहुत ज़्यादा इ़ज़्ज़त करें और जो हदीस पढ़ें या सुनें उस पर अ़मल करने की कोशिश भी करें।

6. हदीस के इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलायें और जो बात मालूम न हो वह अपनी राय से हरगिज़ न बतायें बल्कि यह कहें कि मैं नहीं जानता।

7. इल्म के हासिल करने में शर्म न करें, जब भी कोई बात समझ में न आये तो अपने उस्ताज़ या किसी और आ़लिम से पूछ लें और हर हदीस अच्छी तरह समझें।

8. हदीस का इल्म हासिल करने में हदीस की मशहूर व मोतबर किताबों 'बुख़ारी व मुस्लिम' को तरजीह दें।

हदीस की इस्तिलाहें

हदीस की परिभाषा–

1. **क़ौली हदीस-** रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का फ़रमान।

2. **फ़ेली हदीस-** रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का अ़मल।

3. **तक़रीरी हदीस-** रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की इजाज़त। (तक़रीरी हदीस उसे कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मौजूदगी में कोई काम किया गया हो या कोई बात कही गयी हो और आप उस पर ख़ामोश रहे हों या मना न किया हो।)

4. आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सिफ़ात (हुलिया, अख़्लाक़, किरदार) 'सिफ़ती हदीस' कहलाती हैं।

हदीस की क़िस्में (संक्षिप्तता के साथ)

1. **सही-** जिसके तमाम रावी (रिवायत करने वाले) मोतबर, परहेज़गार और क़ाबिले एतिबार याददाश्त के मालिक हों और सनद मुत्तसिल हो (मुत्तसिल के मायने 'लगातार' के हैं, यानी सनद शुरू से आख़िर तक मिली हुई हो, बीच से कोई रावी ग़ायब न हो)।

2. **हसन-** जिसके रावी सही हदीस के रावियों के मुक़ाबले में हाफ़िज़े (याद्दाश्त) में तो कम हों, बाक़ी शर्तें (मोतबर, परहेज़गार और सनद मुत्तसिल होने में) सही हदीस वाली मौजूद हों।

3. **मरफ़ूअ़-** जिस हदीस में किसी सहाबी ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का नाम लेकर हदीस बयान की हो वह मरफ़ूअ़ हदीस कहलाती है।

4. **मौक़ूफ़-** जिस हदीस में किसी सहाबी ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का नाम लिये बग़ैर हदीस बयान की हो या अपने ख़्याल का इज़हार किया हो वह मौक़ूफ़ हदीस कहलाती है।

5. **आहाद-** जिस हदीस के रावी तायदाद में मुतवातिर हदीसों के रावियों

से कम हों वह आहाद कहलाती है, आहाद की तीन क़िस्में हैं (1) 'मशहूर' जिस हदीस के रावी हर ज़माने में दो से ज़्यादा रहे हों। (2) 'अज़ीज़' जिसके रावी हर ज़माने में कम से कम दो रहे हों। (3) 'ग़रीब' जिस हदीस का रावी हर ज़माने में कम से कम एक रहा हो, और हर रावी मोतबर, परहेज़गार, क़ाबिले एतिबार याददाश्त का मालिक रहा हो और सनद मुत्तसिल हो।

6. **मुतवातिर-** जिस हदीस के रावी हर ज़माने में इतने हों जिनका झूठ पर इकट्ठे होना मुम्किन न हो।

7. **मक़बूल-** जिस हदीस के रावियों की दियानत (ईमानदारी) और सच्चाई तस्लीम हो, वह हदीस मक़बूल कहलाती है।

8. **ग़ैर-मक़बूल-** जिस हदीस के रावियों की दियानत और सच्चाई संदिग्ध हो, वह ग़ैर-मक़बूल कहलाती है।

9. **ज़ईफ़-** जिस हदीस में न तो सही हदीस की शर्तें मौजूद हों और न ही हसन की। यानी जिस हदीस के रावियों में कोई रावी कम-फ़हम, कमज़ोर हाफ़िज़े वाला हो या सनद में एक या ज़्यादा रावी छूट गये हों।

10. **मौज़ूअ़ (मनगढ़त)-** जिस हदीस का (कोई एक भी) रावी कज़्ज़ाब (झूठा) हो। 'कज़्ज़ाब' उस रावी को कहते हैं जिससे हदीसे पाक में झूठ बोलना साबित हो चुका हो।

हदीस की किताबों की इस्तिलाहें

1. **सिहाहे-सित्ता-** हदीस की 6 (मशहूर) किताबें- बुख़ारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा को 'सिहाहे-सित्ता' कहा जाता है।

2. **जामेअ़-** जिस हदीस में इस्लाम से मुताल्लिक़ तमाम मबाहिस, अ़क़ीदे, अहकाम, तफ़सीर, फ़ितन (फ़ितनों का बयान), आदाबे जन्नत, दोज़ख़ वग़ैरह के हालात मौजूद हों वह 'जामेअ़' कहलाती है। मसलन 'जामेअ़ अस्सहीह बुख़ारी', 'जामेअ़ तिर्मिज़ी'।

3. **सुनन्-** जिस किताब में सिर्फ़ अहकामात के मुताल्लिक़ हदीसें जमा की गयी हों वह सुनन कहलाती है, मसलन 'सुनन् अबी दाऊद', 'सुनन्

नसाई'।

4. मुस्नद- जिस किताब में हर सहाबी की हदीसें तरतीबवार एकट्ठी कर दी गयी हों वह मुस्नद कहलाती है, मसलन 'मुस्नद अहमद'।

5. मुस्तख़्रज- जिस किताब में एक किताब की हदीसें किसी दूसरी सनद से रिवायत की जायें वह 'मुस्तख़्रज' कहलाती है, मसलन 'मुस्तख़्रजुल्-इस्माईली अ़लल्-बुख़ारी'।

6. मुस्तद्रक- जिस किताब में एक मुहद्दिस की क़ायम की हुई शर्तों के मुताबिक़ वो हदीसें जमा की जायें जो उस मुहद्दिस ने अपनी किताब में दर्ज न की हों वह 'मुस्तद्रक' कहलाती है मसलन 'मुस्तद्रक हाकिम'।

ईमान का बयान

हदीस 1. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम एक दिन सहाबा किराम में तशरीफ़ रखते थे कि इतने में एक शख़्स आया और अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! ईमान किसे कहते हैं? आपने फ़रमाया- ईमान यह है कि तुम दिल से यक़ीन करो अल्लाह तआ़ला पर और उसके तमाम फ़रिश्तों पर और उसकी तमाम किताबों पर और उससे मिलने पर और उसके तमाम रसूलों पर और क़ियामत में ज़िन्दा होने पर।

फिर उस शख़्स ने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! इस्लाम क्या है? आपने फ़रमाया- इस्लाम यह है कि तुम अल्लाह जल्ल जलालुहू की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न बनाओ और फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ो और ज़कात अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो।

फिर उस शख़्स ने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! एहसान किसे कहते हैं? आपने फ़रमाया- तुम अल्लाह तआ़ला की इस तरह इबादत करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो, और अगर यह कैफ़ियत न पा सको तो इतना तो हो कि वह तुम्हें देख रहा है।

फिर उस शख़्स ने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! क़ियामत कब वाक़े होगी? आपने फ़रमाया- जिससे क़ियामत के बारे में पूछा जा रहा है वह पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता (यानी मैं क़ियामत के बारे में आप से ज़्यादा नहीं जानता), लेकिन मैं तुमसे उसकी निशानियाँ बयान करता हूँ कि जब बाँदी अपने मालिक को जने (यानी औलाद माँ-बाप से अदब व एहतिराम के बजाय बाँदी व गुलामों जैसा सुलूक करे) और जब नंगे जिस्म और नंगे पाँव फिरने वाले लोग सरदार बन जायें, और बकरियाँ या भेड़ें चराने वाले बड़ी-बड़ी इमारतों के मालिक बन जायें, और क़ियामत का इल्म अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई नहीं जानता। फिर रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह आयत तिलावत फ़रमाई-

तर्जुमाः- अल्लाह ही को क़ियामत का इल्म है और वही बारिश

बरसाता है, वही जानता है जो कुछ माँ के रहम (गर्भ) में है (यानी बच्चा है या बच्ची, नेक है या बद, उसका रिज़्क़ और उम्र कितनी है) और कोई नहीं जानता कि वह कल क्या करेगा और कोई नहीं जानता कि वह किस जगह मरेगा, बेशक अल्लाह ही जानने वाला ख़बरदार है।

(सूरः लुक़मान 31, आयत 34)

जब वह शख़्स चला गया तो रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उसे वापस बुलाओ। लोग उसको बुलाने गये लेकिन वह नज़र न आया (यानी उस शख़्स का निशान भी न मिला), फिर आपने फ़रमाया कि यह जिब्रील अ़लैहिस्सलाम थे जो तुम्हें दीन की बातें सिखलाने आये थे।

हदीस 2. हज़रत तल्हा रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि नज्द वालों में से एक शख़्स रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ जिसके बाल परेशान और बिखरे हुए थे, आवाज़ की सिर्फ़ गुनगुनाहट सुनी जाती थी, समझ में कुछ नहीं आता था कि क्या कह रहा है। जब वह रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के नज़दीक आया तो मालूम हुआ कि वह इस्लाम के बारे में सवाल कर रहा है। रसूले करीम ने फ़रमाया- दिन रात में पाँच नमाज़ें अदा करना। उसने पूछा इनके अ़लावा मेरे ऊपर और कोई नमाज़ भी (फ़र्ज़) है? आपने फ़रमाया- नहीं, अलबत्ता अगर तुम नफ़्ली नमाज़ें पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। और रमज़ान के महीने के रोज़े रखना, उसने पूछा मुझ पर रमज़ान के अ़लावा और कोई रोज़ा भी फ़र्ज़ है? आपने फ़रमाया- नहीं, अलबत्ता अगर तुम नफ़्ली रोज़े रखना चाहो तो रख सकते हो। फिर आपने उससे ज़कात का ज़िक्र फ़रमाया। उसने पूछा मुझ पर उसके अ़लावा और कोई सदक़ा भी (फ़र्ज़) है? फ़रमाया- नहीं, अलबत्ता तुम नफ़्ली सदक़ा करना चाहो तो कर सकते हो। फिर वह शख़्स जाने लगा तो जाते हुए कह रहा था कि अल्लाह की क़सम में न इन इबादतों में इज़ाफ़ा करूँगा और न ही इन इबादतों में कमी करूँगा, तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर यह अपने क़ौल में सच्चा है तो इसने कामयाबी हासिल कर ली।

वज़ाहतः- इबादतों में कमी-बेशी किये बग़ैर सुन्नत के मुताबिक़ अदा

करना जन्नत में दाख़िले का ज़रिया है।

हदीस 3. हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि एक शख़्स रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ करने लगा कि मुझे कोई ऐसा अ़मल (काम) बताईये जो मुझे जन्नत के क़रीब और जहन्नम से दूर कर दे। आपने फ़रमाया- तुम सिर्फ़ अल्लाह (तआ़ला) की इबादत करो और किसी को उसका शरीक न बनाओ, नमाज़ क़ायम करो और ज़कात अदा करो और रिश्तेदारों के साथ सिला-रहमी करो। जब वह वापसी के लिये चला तो आपने फ़रमाया- अगर यह शख़्स इन बातों पर अ़मल करने वाला हुआ जिनका इसे हुक्म दिया गया है तो ज़रूर जन्नत में जायेगा।

वज़ाहतः- अगर हम भी ऊपर ज़िक्र हुए काम करें तो जन्नत हमारा भी ठिकाना बनेगी। इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

हदीस 4. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नोमान बिन क़ौक़ल रज़ियल्लाहु अ़न्हु रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! अगर मैं फ़र्ज़ नमाज़ पाबन्दी से अदा करता रहूँ और हराम को हराम समझूँ (यानी उससे बचूँ) और हलाल को हलाल समझूँ (यानी उसे इख़्तियार करूँ) तो क्या मैं जन्नत में जा सकूँगा? आपने फ़रमाया- जी हाँ ज़रूर (यह अ़मल करने से जन्नत तुम्हारा मुक़द्दर बनेगी)।

हदीस 5. हज़रत सईद बिन मुसैयब (जो मशहूर ताबिईन में से हैं) अपने वालिद (हज़रत मुसैयब रज़ियल्लाहु अ़न्हु जो कि सहाबी हैं) से रिवायत करते हैं कि जब अबू तालिब बिन अ़ब्दुल-मुत्तलिब (रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सगे चचा) इन्तिक़ाल करने लगे तो रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये। वहाँ अबू जहल (उमर बिन हिशाम) और अ़ब्दुलाह बिन अबी उमैया भी मौजूद थे। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ मेरे चचा! आप एक बार "ला इला-ह इल्लल्लाहु" कह दें तो मैं आपके हक़ में इस्लाम की गवाही दूँगा (यानी अल्लाह तआ़ला से क़ियामत के दिन अ़र्ज़ करूँगा कि मेरे चचा को

बख़्श दें इसलिये कि इन्होंने आख़िर वक़्त में कलिमा-ए-तौहीद का इक़रार कर लिया था)। अबू जहल और अ़ब्दुल्लाह बिन अबी उमैया कहने लगे कि ऐ अबू तालिब! अ़ब्दुल-मुत्तलिब का दीन छोड़ रहे हो? रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बराबर उन्हें कलिमा पढ़ने की तलक़ीन फ़रमाते रहे (यानी कलिमा-ए-तौहीद पढ़ने के लिये कहते रहे और उधर अबू जहल और अ़ब्दुल्लाह बिन अबी उमैया अपनी बात कहते रहे), अबू तालिब ने आख़िरी बात जो कही वह यह थी- मैं अ़ब्दुल-मुत्तलिब के दीन पर हूँ यानी 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' कहने से इनकार कर दिया।

रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह की क़सम मैं उस वक़्त तक आपके लिये (मग़फ़िरत की) दुआ़ करता रहूँगा जब तक अल्लाह तआ़ला मुझे मना न कर दें। तब अल्लाह तआ़ला ने यह आयते मुबारका नाज़िल फ़रमाई-

तर्जुमाः- नबी और दूसरे मुसलमानों को जायज़ नहीं कि वे मुश्रिकों के लिये मग़फ़िरत की दुआ़ माँगें अगरचे वे रिश्तेदार ही क्यों न हों, इस बात के ज़ाहिर होने के बाद कि ये लोग जहन्नमी हैं। (सूरः अत्तौबा 9, आयत 113)

और अल्लाह तआ़ला ने अबू तालिब के बारे में यह आयत भी नाज़िल फ़रमाई-

तर्जुमाः- ऐ मुहम्मद! आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहता है हिदायत देता है। हिदायत वालों से वही ख़ूब आगाह है। (सूरः अल्-क़सस 28, आयत 56)

हदीस 6. हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स इस हालत में मर जाये कि उसे इस बात का यक़ीन हो कि अल्लाह जल्ल शानुहू के अ़लावा कोई भी इबादत के लायक़ नहीं तो वह जन्नत में जायेगा।

हदीस 7. हज़रत उबादा बिन सामित से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो इस बात का क़ायल हो जाये कि अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उसके बन्दे और उसके रसूल हैं और ईसा अ़लैहिस्सलाम

अल्लाह तआ़ला के बन्दे और उसकी बन्दी (मरियम अ़लैहस्सलाम) के बेटे और कलिमतुल्लाह हैं, जो उसने (यानी अल्लाह तआ़ला ने हज़रत) मरियम (अ़लैहस्सलाम) के दिल में ग़ैब से बात डाल दी थी और रूहुल्लाह हैं (रूहुल्लाह ईसा अ़लैहिस्सलाम का लक़ब है), और यह कि जन्नत हक़ है और दोज़ख़ हक़ है तो वह जन्नत के आठ दरवाज़ों में से जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाख़िल हो जाये।

वज़ाहतः- 'कलिमतुल्लाहि' का मतलब यह है कि अल्लाह तआ़ला ने ईसा अ़लैहिस्सलाम को कलिमा "कुन" कहकर बग़ैर बाप के पैदा फ़रमाया और आदम अ़लैहिस्सलाम को बग़ैर माँ-बाप के पैदा किया।

हदीस 8. हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं सवारी पर रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पीछे बैठा हुआ था, मेरे और रसूले पाक के बीच सिवाय पालान की पिछली लकड़ी के कुछ न था। आपने फ़रमाया- ऐ मुआ़ज़ बिन जबल! मैंने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! मैं हाज़िर हूँ। आपने फ़रमाया- क्या तुम जानते हो कि अल्लाह तआ़ला का हक़ बन्दों पर क्या है? मैंने अ़र्ज़ किया कि अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल ख़ूब जानने वाले हैं। आपने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला का हक़ बन्दों पर यह है कि वे सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न बनायें। आपने फ़रमाया- क्या तुम जानते हो कि जब बन्दे यह अहकाम बजा लायें (यानी अल्लाह तआ़ला की इबादत करें, किसी को उसके साथ शरीक न ठहरायें) तो उनका अल्लाह पर क्या हक़ है? मैंने अ़र्ज़ किया- अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फ़रमाया कि बन्दों का अल्लाह तआ़ला पर हक़ यह है कि अल्लाह तआ़ला उन्हें अ़ज़ाब से महफ़ूज़ रखे।

हदीस 9. हज़रत सुफ़ियान बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे इस्लाम में कोई ऐसा जामे हुक्म फ़रमा दीजिये कि फिर मुझे आपके बाद किसी और से पूछने की ज़रूरत ही न रहे।

आपने फ़रमाया कि कह दो कि मैं अल्लाह तआ़ला पर ईमान लाया

फिर इस पर इस्तिक़ामत इख़्तियार करो (यानी मज़बूती से जमे रहो)।

वज़ाहतः- मरते दम तक ईमान पर मज़बूती से क़ायम रहना ही आख़िरत में निजात का ज़रिया है। (अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये सूरः हा-मीम्-अस्सज्दा 41, आयतें 30-32)

हदीस 10. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, कोई आदमी उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने (मोमिन) भाई के लिये वही चीज़ पसन्द न करे जो अपने लिये पसन्द करता है।

हदीस 11. हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिसने मुसलमान होने के बाद अपने हक़ीक़ी (असली) बाप के सिवा किसी और को अपना बाप बनाया तो उस पर जन्नत हराम है।

वज़ाहतः- जिस तरह अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त के अ़लावा किसी और को रब बनाना जायज़ नहीं इसी तरह अपने हक़ीक़ी (असली) बाप के अ़लावा किसी को अपना बाप ज़ाहिर करना भी जायज़ नहीं।

हदीस 12. हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत फ़रमाते हैं कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हुदैबिया के स्थान पर फ़जर की नमाज़ पढ़ाई, रात को बारिश हुई थी। जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो लोगों की तरफ़ मुख़ातिब हुए और फ़रमाया- तुम जानते हो तुम्हारे परवर्दिगार ने क्या फ़रमाया है? उन्होंने अ़र्ज़ किया- अल्लाह और उसके रसूल ख़ूब जानते हैं। आपने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ल ने फ़रमाया- मेरे बन्दों में से कुछ की सुबह ईमान पर और कुछ की कुफ़्र पर हुई है। जिसने कहा अल्लाह के फ़ज़्ल और रहमत से हम पर बरसात हुई है वह मुझ पर ईमान लाया और उसने सितारों का कुफ़्र किया, और जिसने कहा फ़ुलाँ-फ़ुलाँ सितारों के असर से बारिश हुई है उसने मेरा कुफ़्र किया और सितारों पर ईमान रखा।

वज़ाहतः- सितारों में तासीर (असर होने) का अ़क़ीदा रखना कुफ़्र है,

सितारों के पैदा करने का मक़सद जानने के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः अल्-मुल्क 67, आयत 5।

हदीस 13. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब इब्ने आदम (यानी इनसान) सज्दे की आयत तिलावत करता है और सज्दा करता है तो शैतान रोता हुआ एक तरफ़ चला जाता है और कहता है कि मैं बरबाद हो गया, आदम के बेटे को सज्दे का हुक्म हुआ और उसने सज्दा किया, वह जन्नत का हक़दार हो गया, और मुझे सज्दे का हुक्म हुआ मैंने इनकार किया, मैं जहन्नम का हक़दार हो गया।

वज़ाहतः- ख़ूब ज़्यादा सज्दे करना जन्नत में जाने का सबब बनते हैं।

हदीस 14. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि बन्दे (इस्लाम) और कुफ़्र के दरमियान फ़र्क़ नमाज़ का छोड़ देना है।

वज़ाहतः- नमाज़ न पढ़ने वाला कुफ़्र के बहुत क़रीब हो जाता है।

हदीस 15. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ने अर्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह कौनसा है? आपने फ़रमाया- तुम किसी को अल्लाह तआला का शरीक बनाओ हालाँकि उसने तुम्हें पैदा फ़रमाया। उस शख़्स ने अर्ज़ किया- उसके बाद? आपने फरमाया कि तुम अपनी औलाद को क़त्ल करो इसलिये कि वह तुम्हारे साथ खाना खायेगी। उस शख़्स ने अर्ज़ किया- उसके बाद? आपने फ़रमाया- तुम अपने पड़ोसी की औरत से ज़िना करो। अल्लाह ने क़ुरआन मजीद में इसी के मुताबिक़ यह आयत मुबारक नाज़िल फ़रमाई—

तर्जुमाः- (रहमान के बन्दे) वे लोग हैं जो अल्लाह तआला के सिवा किसी और की इबादत नहीं करते और न ही नाहक़ क़त्ल करते हैं और न ही बदकारी करते हैं, और जो लोग ये काम करेंगे वे अपनी सज़ा पा लेंगे।

(सूरः अल्-फ़ुरक़ान 25, आयत 68)

हदीस 16. हज़रत अबी बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि

रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क्या मैं तुम्हें बड़े गुनाहों से आगाह न करूँ? यह बात आपने तीन बार दोहराई फिर फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला के साथ किसी को शरीक बनाना, माँ-बाप की नाफ़रमानी करना, झूठी गवाही देना या झूठ बोलना। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तकिया लगाये हुए थे फिर आप सीधे होकर बैठ गये और बार-बार यही कलिमात दोहराने लगे (ताकि लोग ख़ूब आगाह हो जायें और इन कामों से बाज़ रहें)। हमने अपने दिल में कहा काश आप ख़ामोश हो जायें।

वज़ाहतः- कबीरा (बड़े) गुनाह की परिभाषा में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि जिस चीज़ से अल्लाह तआ़ला ने मना किया है उसका करना गुनाहे कबीरा (बड़ा गुनाह) है।

हदीस 17. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस शख़्स के दिल में रत्ती बराबर भी गुरूर और घमण्ड होगा वह जन्नत में नहीं जायेगा। एक शख़्स ने अ़र्ज़ किया, हर इनसान चाहता है कि उसके कपड़े उम्दा हों, उसका जूता भी अच्छा हो (तो क्या यह गुरूर और घमण्ड है?) आपने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ख़ूबसूरत है, ख़ूबसूरती को पसन्द फ़रमाता है। गुरूर और घमण्ड यह है कि इनसान हक़ को नाहक़ बनाये (यानी अपनी अना की वजह से हक़ बात को रद्द कर दे) और लोगों को हक़ीर (कमतर) समझे।

हदीस 18. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से एक शख़्स ने सवाल किया- ऐ अल्लाह के रसूल! वह कौनसी चीज़ है जो जन्नत को या जहन्नम को वाजिब कर देती है? आपने फ़रमाया- जो शख़्स इस हाल में फ़ौत हो (मौत पाये) कि वह अल्लाह तआ़ला के साथ किसी को शरीक न बनाता हो तो वह जन्नत में जायेगा, और जो शख़्स इस हालत में फ़ौत हो (मरे) कि वह अल्लाह तआ़ला के साथ किसी को शरीक बनाता हो तो वह जहन्नम में जायेगा।

वज़ाहतः- तौहीद (अल्लाह को एक और अकेला माबूद मानना) जन्नत

का मुस्तहिक़ बना देती है और शिर्क जहन्नम का मुस्तहिक़, इसलिये हमेशा शिर्क से दूर रहें। अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः अल्-मायदा 5, आयत 72 और सूरः अन्निसा 4, आयत 116-121।

हदीस 19. हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमें एक सरिये (जंगी मुहिम) में भेजा (सरिया उस लश्कर को कहते हैं जिसमें शरीक अफ़राद की संख्या 300 से 400 तक हो), हम सुबह-सुबह दुश्मनों से लड़े। मैंने एक शख़्स को पाया कि उसने 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' कहा, मैंने इसके बावजूद बरछी से उसको क़त्ल कर दिया। फिर मुझे इस हरकत के बारे में पसोपेश हुआ (कि ला इला-ह इल्लल्लाहु कहने पर मारना दुरुस्त न था) मैंने आप से बयान किया। आपने फ़रमाया- क्या उसने ला इला-ह इल्लल्लाहु कहा था और तूने उसे मार डाला? मैंने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! उसने हथियार से डरकर कलिमा पढ़ा था। आपने फ़रमाया- क्या तुमने उसका दिल चीरकर देखा था कि मालूम होता कि उसके दिल ने यह कलिमा कहा था या नहीं (मतलब यह है कि दिल का हाल तुझे कहाँ से मालूम हुआ)। फिर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बार-बार यही फ़रमाते रहे यहाँ तक कि मैंने आरज़ू की कि काश मैं उसी दिन मुसलमान हुआ होता (ताकि इस्लाम लाने के बाद ऐसे गुनाह में मुब्तला न होता, क्योंकि इस्लाम लाने से कुफ़्र के पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं)।

हदीस 20. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स हम पर हथियार उठाये वह हम (मुसलमानों) में से नहीं।

वज़ाहतः- बिना वजह मुसलमानों पर हथियार उठाना संगीन जुर्म है। हर सूरत में गुस्से पर क़ाबू रखें और इस वईद का मिस्दाक़ बनने से बचें।

हदीस 21. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम एक ग़ल्ला फ़रोख़्त करने वाले के पास से गुज़रे, आपने अपना हाथ उसके ग़ल्ले के अन्दर डाला तो उंगलियों पर तरी आ गयी। आपने पूछा- ऐ अनाज के मालिक! यह तरी कैसी है? उसने

कहा- ऐ अल्लाह के रसूल! इस पर बारिश हो गयी थी। आपने फ़रमाया कि फिर तूने इस भीगे हुए अनाज को ऊपर क्यों न रखा, ताकि लोग इसे देख लेते। जो शख़्स फ़रेब और धोखा दे उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं।

वज़ाहतः- एक मुसलमान को शोभा नहीं देता कि वह कभी भी किसी को धोखा दे।

हदीस 22. हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुसीबत के वक़्त चिल्लाने वाली, बाल मूँडने वाली और गिरेबान फाड़ने वाली औ़रतों से नाराज़गी ज़ाहिर की है।

हदीस 23. हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला तीन आदमियों से बात नहीं करेगा, न ही उनकी तरफ़ रहमत की नज़र फ़रमायेगा, न ही उनको गुनाहों से पाक करेगा, और उनको दर्दनाक अ़ज़ाब होगा। आपने तीन बार यही फ़रमाया तो हज़रत अबूज़र ने कहा बरबाद हो गये वे लोग और नुक़सान में पड़े, वे कौन हैं ऐ अल्लाह के रसूल! तो आपने फ़रमाया- एक तो (टख़्नों से नीचे) इज़ार (शलवार या पतलून) लटकाने वाला, दूसरा एहसान जतलाने वाला और तीसरा झूठी क़सम खाकर अपना माल बेचने वाला।

हदीस 24. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला तीन क़िस्म के आदमियों से बात नहीं करेगा और न ही उनको गुनाहों से पाक करेगा, न ही उनकी तरफ़ रहमत की नज़र से देखेगा, और उनको दर्दनाक अ़ज़ाब होगा—

1. बूढ़ा (होने के बावजूद) ज़िना करने वाला।
2. झूठ बोलने वाला बादशाह।
3. तकब्बुर करने वाला फ़क़ीर।

वज़ाहतः- तकब्बुर करना बड़ा गुनाह है मगर फ़क़ीर आदमी तकब्बुर करे तो और भी बड़ा गुनाह है।

हदीस 25. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस शख़्स ने किसी हथियार से ख़ुदकुशी की तो वह हथियार उसके हाथ में होगा और वह उसको अपने पेट में दाख़िल करता हुआ जहन्नम की आग में हमेशा-हमेशा रहेगा, और जो शख़्स ज़हर पीकर ख़ुदकुशी करेगा तो वह उस ज़हर को जहन्नम की आग में हमेशा-हमेशा चूसता रहेगा, और जो शख़्स पहाड़ से गिरकर ख़ुदकुशी करेगा वह हमेशा-हमेशा जहन्नम की आग में अपने आपको गिराता रहेगा।

हदीस 26. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि ख़ैबर फ़तह होने के दिन सहाबा किराम आपस में बातचीत कर रहे थे कि फ़ुलाँ शहीद है, फ़ुलाँ शहीद है, यहाँ तक कि एक शख़्स का ज़िक्र हुआ और कहा गया कि वह भी शहीद है। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हरगिज़ नहीं, मैंने उसे जहन्नम में देखा है क्योंकि उसने माले ग़नीमत में से एक चादर चुराई थी। फिर रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ ख़त्ताब के बेटे! उठो और जाकर लोगों में ऐलान कर दो कि जन्नत में वही जायेंगे जो ईमानदार हैं (चोर नहीं जायेंगे)। हज़रत उमर फ़रमाते हैं मैं निकला और मैंने ऐलान कर दिया- लोगो ख़बरदार हो जाओ जन्नत में वही जायेंगे जो ईमानदार हैं।

हदीस 27. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- (क़ियामत के नज़दीक) अल्लाह तआ़ला यमन की जानिब से एक हवा चलायेगा जो रेशम से भी ज़्यादा मुलायम होगी और वह हर उस शख़्स को मौत की नींद सुला देगी जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान पाया जायेगा।

वज़ाहतः- क़ियामत की निशानियों में से एक यह भी है कि ईमान वाले लोग फ़ौत हो जायेंगे यानी उस वक़्त तक क़ियामत क़ायम नहीं होगी जब तक कोई अल्लाह का नाम लेने वाला मौजूद होगा।

हदीस 28. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु बयान करते हैं कि जब यह आयत मुबारक नाज़िल हुई—

तर्जुमाः- ऐ ईमान वालो! अपनी आवाज़ को नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की आवाज़ से बुलन्द न करो और बुलन्द आवाज़ के साथ आप से बातचीत न करो जैसे एक दूसरे से बातचीत करते हो, कहीं तुम्हारे अ़मल ज़ाया न हो जायें और तुम्हें पता भी न चले। (सूरः अल-हुजुरात 49, आयत 2)

तो साबित बिन क़ैस बिन शमास रज़ियल्लाहु अ़न्हु अपने घर में बैठ गये और कहने लगे मैं जहन्नमी हूँ (क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत बुलन्द थी) और (चन्द दिनों तक) रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास न आये। आपने हज़रत सअ़द बिन मुआ़ज़ से पूछा कि ऐ अबू अ़मर! साबित को क्या हुआ है? क्या वह बीमार हो गये हैं? हज़रत सअ़द ने अ़र्ज़ किया वह मेरे पड़ोसी हैं और मुझे उनकी बीमारी का इल्म नहीं है। फिर हज़रत सअ़द ने हज़रत साबित के पास आकर उनसे वह बात की जो रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाई थी तो हज़रत साबित ने बताया कि यह आयत उतरी है और तुम जानते हो कि तुम सब के मुक़ाबले में मेरी आवाज़ रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने बुलन्द होती है, इसलिये मैं जहन्नमी हूँ। फिर हज़रत सअ़द ने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से यह बयान किया तो आपने फ़रमाया- नहीं वह तो जन्नती हैं।

वज़ाहतः- इस हुक्म में मोमिनों को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बेअदबी से रोका गया है, क्योंकि बेअदबी तमाम अ़मलों को मिटा देती है। क़ुदरती तौर पर आवाज़ बुलन्द होना बुरा नहीं, हाँ रसूले पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने बुलन्द आवाज़ से बातें करना, चीख़ना-चिल्लाना मना है।

हदीस 29. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि कुछ सहाबा किराम ने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के नबी! क्या हमसे उन कामों की पूछगछ होगी जो जाहिलीयत के ज़माने में हमने किये हैं? आपने फ़रमाया कि जिसने इस्लाम लाने के बाद नेक अ़मल किये उससे जाहिलीयत के कामों की पूछगछ और पकड़ न होगी, और जो इस्लाम लाने के बाद बुरे आमाल में मशग़ूल रहा

उससे (जाहिलीयत के कामों का) सवाल और पूछ होगी।

हदीस 30. हज़रत अ़मर बिन आ़स रज़ियल्लाहु अ़न्हु बयान करते हैं कि मुझ पर तीन हालतें गुज़री हैं—

1. मैं रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से ज़्यादा किसी को बुरा नहीं जानता था और मुझे आरज़ू थी कि किसी तरह मैं आप पर क़ाबू पाऊँ और आपको क़त्ल कर डालूँ (अल्लाह की पनाह)। अगर उस हाल में मैं मर जाता तो यक़ीनन जहन्नमी होता।

2. अल्लाह तआ़ला ने इस्लाम की मुहब्बत मेरे दिल में पैदा कर दी और मैं रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अ़र्ज़ किया कि अपना हाथ बढ़ाईये ताकि मैं आप से बैअ़त कर सकूँ। आपने अपना दायाँ हाथ बढ़ाया, मैंने उस वक़्त अपना हाथ पीछे खींच लिया। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ अ़मर! तुझे क्या हुआ है? मैंने अ़र्ज़ किया कि मैं शर्त लगाना चाहता हूँ। आपने फ़रमाया- क्या शर्त है? मैंने अ़र्ज़ किया शर्त यह है कि मेरे पिछले गुनाह माफ़ हो जायें (जो अब तक मैंने किये हैं)। आपने फ़रमाया- अ़मर! क्या तुम नहीं जानते कि इस्लाम पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देता है, इसी तरह हज भी पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देता है, इसी तरह हिजरत भी पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देती है।

3. रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से ज़्यादा तुझको किसी से मुहब्बत न थी और न मेरी निगाह में आप से ज़्यादा किसी की शान थी और मैं आपके जलाल की वजह से आँख भरकर आपको न देख सकता था, और अगर मुझसे कोई आपकी सूरत पूछे तो बयान भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं आँख भरकर आपको देख नहीं सकता था, और अगर मैं उस हाल में मर जाता तो उम्मीद थी कि मैं जन्नती होता। बाद में हमें चन्द ज़िम्मेदारियाँ सौंप दी गयीं (यानी मुझे लोगों का अमीर बना दिया गया) मैं नहीं जानता कि उनकी वजह से मेरा क्या हाल होगा। जब मैं मर जाऊँ तो मेरे जनाज़े के साथ कोई रोने चिल्लाने वाली न हो और न ही आग हो। जब मुझे दफ़न कर चुको तो मेरी क़ब्र पर मिट्टी डालकर इतनी देर तक खड़े

रहना जितनी देर में ऊँट ज़िबह करके उसका गोश्त तक़सीम किया जाता है ताकि तुमसे मेरा दिल बहले (और मैं तन्हाई में घबरा न जाऊँ), और मैं यह भी देख लूँ कि मैं अपने रब के फ़रिश्तों को क्या जवाब देता हूँ।

वज़ाहतः- इस हदीस से कई बातें मालूम हुईं—

1. सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की किस क़द्र इज़्ज़त व एहतिराम करते थे।

2. जनाज़े के साथ रोने वाली औ़रतों और आग को लेजाना मना है।

3. क़ब्र पर मिट्टी डालना मुस्तहब (अच्छा और पसन्दीदा) है।

4. क़ब्र पर बैठना नहीं चाहिये, अगर बैठने की इन्तिहाई ज़रूरत हो तो कहीं और बैठ जायें मगर किसी क़ब्र पर न बैठें।

5. क़ब्र में मुर्दे का इम्तिहान होता है और फ़रिश्ते उससे सवाल करते हैं।

हदीस 31. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन इदरीस रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि जब यह आयते करीमा नाज़िल हुई—

तर्जुमाः- वे लोग जो ईमान लाये और अपने ईमान के साथ जुल्म को नहीं मिलाया। (सूरः अल्-अन्आ़म 6, आयत 82)

सहाबा किराम रंजीदा हुए तो मैंने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ किया- (ऐ अल्लाह के रसूल!) हम में से कौन ऐसा है जिसने अपने नफ़्स पर जुल्म न किया हो (यानी उससे गुनाह न हुआ हो)? रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इसका मतलब यह नहीं जो तुम ख़्याल कर रहे हो, इस आयत में जुल्म का मतलब वह है जो हज़रत लुक़मान अ़लैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा था कि (तर्जुमा) ऐ मेरे बेटे! अल्लाह तआ़ला के साथ किसी को शरीक न ठहराना, क्योंकि यह बहुत बड़ा जुल्म है। (सूरः लुक़मान 31, आयत 13)

हदीस 32. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जब यह आयते करीमा नाज़िल हुई-

तर्जुमाः- अगर तुम ज़ाहिर करो या छुपाओ जो कुछ तुम्हारे नफ़्सों में है अल्लाह तआ़ला तुमसे उसका हिसाब लेंगे। (सूरः अल्-ब-क़रह 2, आयत 284)

तो सहाबा किराम के दिलों में ऐसा डर पैदा हुआ कि उससे पहले किसी चीज़ से उनके दिलों में ऐसा डर पैदा नहीं हुआ था। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम कहो कि हमने सुन लिया और हमने इताअ़त की और हमने मान लिया। फिर अल्लाह तआ़ला ने ईमान को उनके दिलों में भर दिया। फिर अल्लाह तआ़ला ने यह फ़रमाया-

तर्जुमाः- अल्लाह तआ़ला किसी को उसकी ताक़त से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते, हर आदमी को उसके नेक आमाल पर जज़ा और बुरे आमाल पर सज़ा मिलेगी। ऐ मारे रब अगर हम भूल जायें या ग़लती कर जायें तो हमारी पकड़ न फ़रमाना। ऐ हमारे रब! हम पर कोई ऐसा बोझ (दुनिया और आख़िरत में) न डालिये जिस तरह हमसे पहले लोगों पर बोझ डाला था। हमें माफ़ फ़रमा दीजिए और हमें बख़्श दीजिए और हम पर रहम फ़रमाईये और आप ही हमारे मालिक हैं, पस आप काफ़िरों के मुक़ाबले में हमारी मदद फ़रमाईये। (सूरः अल्-ब-क़रह 2, आयत 286)

वज़ाहतः- यह बेहतरीन दुआ़ है "रब्बना ला तुआख़िज़्ना इन्-नसीना औ अख़्तअ्ना, रब्बना व ला तह्मिल् अ़लैना इस्रन् कमा हमल्तहू अ़लल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिना, रब्बना व ला तुहम्मिल्ना मा ला ताक़-त लना बिही वअ़्फ़ु अ़न्ना, वग़्फ़िर् लना, वर्हम्ना, अन्-त मौलाना फ़न्सुर्ना अ़लल्-क़ौमिल्-काफ़िरीन।" बार-बार रोज़ाना माँगिये, ख़ास तौर पर सोते वक़्त। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिसने सूरः ब-क़रह की आख़िरी दो आयतें रात को (सोने से पहले) पढ़ीं तो उसके लिये ये (दो आयतें) काफ़ी हैं। (इन दो आयतों की तिलावत करने वाला पूरी रात अल्लाह की हिफ़ाज़त में रहेगा और इसके साथ-साथ उसको पूरी रात की नफ़्ली इबादत का सवाब भी मिलेगा। इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

हदीस 33. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने मेरी उम्मत के लिये उन बुरे ख़्यालों को माफ़ फ़रमा दिया है जो सिर्फ़ दिल में आयें जब तक वे उसे ज़बान से न कहें या वह बुरा अ़मल न करें।

वज़ाहतः- इस हदीस से मालूम हुआ कि हर एक क़िस्म का बुरा ख़्याल

और बुरा इरादा जो दिल में पैदा हो वह माफ़ है चाहे वह ख़्याल और इरादा दिल में जम गया हो या न जमा हो या थोड़ी देर तक रहा हो या ज़्यादा देर तक, हर तरह से वह माफ़ किया गया है, लेकिन बुरा ख़्याल या इरादा आने के बाद अगर कोई उस पर अ़मल कर ले तो वह गुनाह है।

हदीस 34. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है कि बेशक अल्लाह नेकियों और बुराईयों को लिखवाता है। फिर आपने बयान फ़रमाया कि जो कोई किसी नेकी का इरादा करे फिर उसे किसी वजह से न कर पाये तो अल्लाह तआ़ला (सिर्फ़ इरादे की बदौलत) पूरी एक नेकी लिखवा देंगे, अगर नेकी का इरादा करके उसको कर भी ले तो उसके लिये दस नेकियों से सात सौ तक बल्कि और ज़्यादा भी लिखी जायेंगी। और जो बुराई का इरादा तो करे लेकिन उस पर अ़मल न करे तो अल्लाह उसके लिये भी एक पूरी नेकी लिखवा देंगे, और जो बुराई का इरादा करने के बाद वह बुराई करे तो उसके लिये सिर्फ़ एक ही बुराई लिखी जायेगी।

वज़ाहतः- नेकी के बढ़ने की कोई इन्तिहा नहीं, सात सौ तक और इससे भी ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाता है। नेकियों का ज़्यादा होना तक़्वा (परहेज़गारी) पर मुन्हसिर है। एक ग़रीब मुसलमान जिसके पास सिर्फ़ एक रुपया बचत हो वह पूरी बचत ख़र्च कर दे तो वह ग़रीब उस अमीर मुसलमान से ज़्यादा सवाब का मुस्तहिक़ है जिसके पास एक लाख रुपये बचत हो और वह दस हज़ार रुपये अल्लाह तआ़ला की राह में ख़र्च कर दे। इसलिये ग़ुर्बत में भी कुछ न कुछ ख़ैरात करते रहना चाहिये चाहे वह एक रुपया ही क्यों न हो।

हदीस 35. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम में से कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ करने लगे कि हमारे दिलों में कुछ ऐसे ख़्यालात आते हैं कि हम में से कोई उनको बयान नहीं कर सकता। आपने फ़रमाया कि क्या वाक़ई तुम इसी तरह पाते हो (यानी

गुनाह समझते हो)? सहाबा किराम ने अ़र्ज़ किया- जी हाँ। आपने फ़रमाया- यह तो स्पष्ट ईमान (की निशानी) है।

हदीस 36. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हमेशा लोग सवाल करते रहेंगे यहाँ तक कि कोई यह भी कहेगा कि अल्लाह ने तो सब को पैदा फ़रमाया है फिर अल्लाह तआ़ला को किसने पैदा किया है? जो कोई इस क़िस्म का शुब्हा दिल में पाये तो कहे कि "आमन्तु बिल्लाहि" (मैं अल्लाह पर ईमान ले आया)।

वज़ाहतः- इस क़िस्म के वस्वसे और शुब्हे को दिल से निकाल कर उसका ख़्याल छोड़ दे और उसके दूर होने के लिये अल्लाह तआ़ला से बार-बार दुआ़ करता रहे। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि वस्वसे का बेहतरीन इलाज यह दुआ़ है 'अऊ़ज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम' (मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान मर्दूद से)।

हदीस 37. हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स झूठी क़सम खाकर किसी मुसलमान के हक़ पर क़ब्ज़ा करता है तो अल्लाह तआ़ला उस पर जहन्नम वाजिब और जन्नत हराम कर देता है। एक शख़्स ने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! अगरचे वह मामूली चीज़ ही क्यों न हो? आपने फ़रमाया- अगरचे वह पीलो के पेड़ की एक शाख़ (टहनी) ही क्यों न हो।

हदीस 38. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अ़र्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल! अगर कोई शख़्स मेरा माल छीनना चाहे तो मैं क्या करूँ? आपने फ़रमाया कि उसको माल मत दो। उसने अ़र्ज़ किया कि अगर वह लड़ाई करे? तो आपने फ़रमाया कि तुम भी उससे लड़ो। उसने अ़र्ज़ किया अगर वह मुझे क़त्ल कर डाले तो आपने फ़रमाया तुम शहीद होगे। उसने अ़र्ज़ किया कि अगर मैं उसको क़त्ल कर दूँ? तो आपने फ़रमाया वह जहन्नमी होगा।

वज़ाहतः- अपनी और अपने घर वालों की जान या माल बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिये यहाँ तक कि चोर या डाकू अगर आप से लड़ें तो आपको भी हिफ़ाज़त के लिये लड़ने की इजाज़त है। अगर आप क़त्ल कर दिये गये तो शहीद और अगर आपने उसको क़त्ल कर दिया तो आख़िरत में आपकी कोई पकड़ नहीं होगी, इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

हदीस 39. हज़रत मअ़्क़ल बिन यसार रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस शख़्स को अल्लाह तआ़ला ने लोगों का हुक्मराँ बनाया हो और उसने उनके हुक़ूक़ की अदायेगी में ख़्यानत की तो अल्लाह तआ़ला उस पर जन्नत हराम फ़रमा देगा।

वज़ाहतः- हुक्मराँ को अपनी रियाया (प्रजा व मातहतों) का अच्छी तरह ख़्याल रखना चाहिये और अ़दल व इन्साफ़ करने वाले हुक्मराँ को अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन अपने अ़र्श का साया नसीब करेंगे। या अल्लाह! हमें भी उन लोगों में शामिल फ़रमा।

हदीस 40. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि इस्लाम ग़ुर्बत में (ग़रीब लोगों से) शुरू हुआ और फिर ग़रीब हो जायेगा (सिर्फ़ ग़रीब लोग ही मुसलमान रहेंगे) और आख़िरी दौर में इस्लाम सिमटकर दोनों मस्जिदों (मक्का और मदीना) में आ जायेगा जैसे साँप सिमटकर अपने सुराख़ (बिल) में चला जाता है।

वज़ाहतः- ईमान शुरू और आख़िर दोनों ज़मानों में इसी हाल पर होगा क्योंकि शुरू ज़माने में ईमान मक्का व मदीना में ही था।

हदीस 41. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत (उस वक़्त तक) क़ायम नहीं होगी जब तक कि ज़मीन में "अल्लाह" का नाम लिया जाता रहेगा।

वज़ाहतः- जब तक दुनिया में नेक लोग मौजूद होंगे क़ियामत नहीं आयेगी। जब तमाम लोग बुरे हो जायेंगे तो क़ियामत क़ायम होगी।

हदीस 42. हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तीन आदमियों को दोहरा सवाब मिलेगा— एक तो वह शख़्स जो अहले किताब में से हो (यानी यहूदी या ईसाई) पहले अपने नबी पर ईमान लाया हो और फिर मेरा ज़माना पाया और मुझ पर ईमान लाया और मेरी पैरवी भी की हो और मुझको सच्चा माना हो, और दूसरा वह गुलाम जो अल्लाह तआ़ला का हक़ अदा करे (यानी अल्लाह की इबादत करे) और अपने मालिक का भी, और तीसरा वह शख़्स जिसकी कोई बाँदी हो वह उसकी अच्छी तरह परवरिश करे और उसकी तालीम व तरबियत में भी नुमायाँ किरदार अदा करे और फिर उसे आज़ाद करके उससे निकाह कर ले।

हदीस 43. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, बहुत जल्दी ईसा अ़लैहिस्सलाम (आसमान से) उतरेंगे, (मेरी) शरीअ़त के मुताबिक़ हुक्म और इन्साफ़ करेंगे। सलीब (जिसकी पूजा की जाती है) को तोड़ डालेंगे और ख़िन्ज़ीर (जिसका गोश्त खाने से बेहयाई फैलती है इसी लिये अल्लाह तआ़ला ने उसको हराम क़रार दिया है, तफ़सील के लिये पढ़िये सूरः अल्-अन्आ़म 6, आयत 145) को क़त्ल कर डालेंगे और जिज़्ये को बन्द कर देंगे। ऊँटों को (जो क़ीमती माल है) खुला छोड़ दिया जायेगा और उनसे कोई शख़्स काम नहीं लेगा, लोगों के दिलों से कीना, बुग़ज़ और हसद निकल जायेगा, उन्हें माल लेने के लिये बुलाया जायेगा मगर कोई माल लेने नहीं आयेगा।

वज़ाहतः- ये सारे काम क़ियामत के क़रीब होंगे। अल्लाह तआ़ला के हुक्म से।

हदीस 44. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तक सूरज मग़रिब (पश्चिम की तरफ़) से न निकलेगा क़ियामत उस वक़्त तक क़ायम न होगी, फिर जब सूरज पश्चिम से निकलेगा उस वक़्त तमाम लोग ईमान लायेंगे (अल्लाह तआ़ला की इतनी बड़ी निशानी देखकर) लेकिन उस दिन का

ईमान लाना उस शख़्स को फ़ायदा न देगा जो पहले ईमान नहीं लाया था और उसने ईमान की हालत में नेकी नहीं की थी।

हदीस 45. हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक दिन अपने सहाबा से फ़रमाया- क्या तुम जानते हो कि यह सूरज कहाँ जाता है? उन्होंने अ़र्ज़ किया कि अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आपने फ़रमाया सूरज चलता रहता है यहाँ तक कि अपने ठहरने की जगह अ़र्श के नीचे आता है वहाँ सज्दे में गिर जाता है (इस सज्दे का मतलब अल्लाह ही जानते हैं) फिर उसी हाल में रहता है यहाँ तक कि उसको हुक्म होता है कि ऊँचा हो जा और जहाँ से आया है वहीं वापस लौट जा। वह लौट आता है और अपने निकलने की जगह से फिर निकलता है। एक बार वह इसी तरह चलेगा और लोगों को कोई फ़र्क़ उसकी चाल में मालूम न होगा यहाँ तक कि अपने ठहरने कि जगह अ़र्श के नीचे आयेगा उस वक़्त उससे कहा जायेगा ऊँचा हो जा और पश्चिम की तरफ़ से निकल जहाँ तू डूबता है, वह पश्चिम की तरफ़ से निकलेगा। फिर रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क्या तुम जानते हो यह कब होगा (यानी सूरज का पश्चिम की तरफ़ से निकलना)? यह उस वक़्त होगा जब किसी को ईमान लाना फ़ायदा न देगा जो पहले से ईमान न लाया हो और उसने अपने ईमान की हालत में नेक काम न किये हों।

हदीस 46. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम वही के रुक जाने के ज़माने में तज़किरा फ़रमा रहे थे कि मैं एक मर्तबा जा रहा था कि मैंने आसमान से एक आवाज़ सुनी, मैंने सर उठाकर देखा तो वही फ़रिश्ता (जिब्रील अ़लैहिस्सलाम) जो ग़ारे हिरा में मेरे पास वही लेकर आते थे वह आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। मैं यह देखकर घबरा गया (मुझ पर घबराहट तारी हो गयी)। फिर मैं लौटकर घर आया तो मैंने कहा कपड़ा उढ़ा दो मुझे कपड़ा उढ़ा दो। मुझे घर वालों ने कपड़ा उढ़ा दिया। उसके बाद अल्लाह तआ़ला ने ये आयतें नाज़िल फ़रमाईं—

तर्जुमाः- ऐ कपड़े में लिपटने वाले उठो और (काफ़िरों को) डराओ और अपने रब की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़ों को पाक रखो और गन्दगी से दूर रहो। (सूरः अल्-मुद्दस्सिर 74, आयतें 1-5)

आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि फिर बराबर वही आने लगी।

हदीस 47. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत के दिन मैं सबसे पहले जन्नत की शफ़ाअ़त करूँगा और सब नबियों से ज़्यादा मेरे उम्मती होंगे।

हदीस 48. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैं क़ियामत के दिन जन्नत के दरवाज़े पर आकर उसे खुलवाऊँगा। जन्नत का चौकीदार पूछेगा तुम कौन हो? मैं कहूँगा 'मुहम्मद'। वह कहेगा आप ही के लिये मुझे हुक्म हुआ था कि आप से पहले किसी के लिये भी दरवाज़ा न खोलना।

हदीस 49. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जब रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को (मेराज की) सैर कराई गयी तो आपको छठे आसमान पर "सिदूरतुल-मुन्तहा" तक ले जाया गया। ज़मीन से ऊपर चढ़ने वाली चीज़ (आमाल, शहीदों की रूहें और मख़्लूक़ का इल्म) और ऊपर से नीचे आने वाली चीज़ (अल्लाह के अहकाम) यहाँ आकर रुक जाती है।

रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को मेराज के दौरान तीन चीज़ें अ़ता की गयीं—

1. पाँच नमाज़ें।

2. सूरः अल्-ब-क़रह की आख़िरी आयतें।

3. और आपकी उम्मत में के हर एक ऐसे आदमी को बख़्श दिया गया जो अल्लाह तआ़ला के साथ किसी को शरीक न करे और कबीरा (बड़े) गुनाहों से बचा रहे।

हदीस 50. हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब (तमाम) जन्नत वाले जन्नत में चले जायेंगे तो उस वक़्त अल्लाह तआ़ला उनसे फ़रमायेंगे कि क्या तुम मज़ीद (और ज़्यादा) कुछ चाहते हो? वे जन्नती अ़र्ज़ करेंगे (ऐ अल्लाह) क्या आपने हमारे चेहरों को रोशन नहीं किया, क्या आपने हमें जन्नत में दाख़िल नहीं किया, क्या आपने हमको दोज़ख़ से निजात नहीं दी। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- फिर अल्लाह उनके और अपने बीच से पर्दा उठा देंगे और जन्नती अल्लाह तआ़ला का दीदार करेंगे तो उनको उस दीदार से ज़्यादा कोई चीज़ प्यारी नहीं होगी।

हदीस 51. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जन्नत में सबसे कम दर्जे का वह जन्नती होगा जिससे अल्लाह तआ़ला फ़रमायेंगे कि तुम तमन्ना करो। वह तमन्ना करेगा। फिर अल्लाह तआ़ला उससे फ़रमायेंगे- क्या तुमने तमन्ना कर ली है? वह कहेगा "हाँ"। फिर अल्लाह तआ़ला उससे फ़रमायेंगे- तुम्हारे लिये वह है जो तुमने तमन्ना की, मज़ीद उस जितना और भी ले लो।

हदीस 52. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला अपनी रहमत से जिसे चाहेंगे जन्नत में दाख़िल फ़रमायेंगे और दोज़ख़ वालों को दोज़ख़ में दाख़िल फ़रमायेंगे और फिर अल्लाह तआ़ला फ़रमायेंगे कि देखो जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसे दोज़ख़ से निकाल लो। चुनाँचे वे लोग कोयले की तरह जले हुए होंगे फिर उन्हें 'नहर-ए-हयात' में डाला जायेगा, वे उसमें इस तरह उगेंगे जिस तरह दाना पानी के बहाव वाली मिट्टी में से ज़र्दी माईल होकर उगता है।

हदीस 53. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- आदमी दोज़ख़ से निकालकर अल्लाह तआ़ला के सामने पेश किये जायेंगे उनमें से एक आदमी दोज़ख़ की तरफ़ देखकर कहेगा- ऐ मेरे रब! जब आपने मुझे इस दोज़ख़ से निकाल ही लिया है तो अब इसमें दोबारा न लौटाना, तो अल्लाह तआ़ला

उसे दोज़ख़ से (हमेशा के लिये) निजात अ़ता फ़रमा देंगे।

हदीस 54. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हर नबी की एक ख़ास दुआ़ होती है जो ज़रूर क़ुबूल होती है। हर एक नबी ने जल्दी करके (दुनिया ही में) वह दुआ़ माँग ली और मैंने अपनी दुआ़ क़ियामत के दिन अपनी उम्मत की शफ़ाअ़त के लिये महफ़ूज़ कर रखी है, और इन्शा-अल्लाह मेरी यह शफ़ाअ़त हर उस उम्मती के लिये होगी जो शिर्क से बचा रहेगा।

हदीस 55. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरी उम्मत में से सत्तर हज़ार आदमी बग़ैर हिसाब के जन्नत में जायेंगे। एक शख़्स ने अ़र्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह से दुआ़ कीजिए कि अल्लाह तआ़ला मुझे भी उन लोगों में शामिल फ़रमा दें। आपने फ़रमाया- ऐ अल्लाह! इसे उन लोगों में शामिल फ़रमा दीजिये। फिर दूसरा शख़्स उठा और अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! दुआ़ कीजिये अल्लाह मुझे भी उन लोगों में शामिल फ़रमा दें। आपने फ़रमाया- "उकाशा" तुमसे बाज़ी ले गये।

तहारत के मसाईल का बयान

हदीस 56. हज़रत अबू मालिक अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तहारत (सफ़ाई-सुथराई) आधा ईमान है। और "अल्हम्दु लिल्लाह" तराज़ू को भर देगा (यानी इस क़द्र इसका सवाब है कि आमाल तौलने वाला तराज़ू इसके अज्र से भर जायेगा), और "सुब्हानल्लाहि" और "अल्हम्दु लिल्लाहि" दोनों (अज्र व सवाब के एतिबार से) आसमानों और ज़मीन के दरमियान की जगह को भर देंगे, और नमाज़ नूर है और सदक़ा (मोमिन होने की) दलील है और सब्र रोशनी है और क़ुरआन या तो तुम्हारे मुवाफ़िक़ दलील होगा (अगर समझकर पढ़ा और उस पर अ़मल किया) वरना तुम्हारे ख़िलाफ़ दलील होगा (अगर उसका मर्तबा न जाना और उस पर अ़मल न किया)। हर आदमी जब सुबह को उठता है तो वह अपने आपको फ़रोख़्त कर देता

है (या तो नेक काम करके अपने आपको आज़ाद करता है या बुरे काम करके अपने आपको तबाह कर लेता है)।

हदीस 57. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला वुज़ू के बग़ैर पढ़ी हुई नमाज़ क़ुबूल नहीं फ़रमाते।

वज़ाहतः- अल्लाह तआ़ला ख़ुद भी पाक हैं और पाक रहने वाले लोगों को ही पसन्द फ़रमाते हैं। (सूरः अत्तौबा 9, आयत 108)

हदीस 58. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- नमाज़ बग़ैर तहारत (वुज़ू) के क़ुबूल नहीं होती और माले ग़नीमत से चोरी किये हुए माल में से दिया गया सदक़ा क़ुबूल नहीं किया जाता।

हदीस 59. हज़रत अ़मर बिन सईद बिन आ़स रज़ियल्लाहु अ़न्हु बयान करते हैं कि मैं उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान के पास बैठा हुआ था, उन्होंने वुज़ू का पानी मंगवाया फिर फ़रमाया- मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना है कि जो कोई मुसलमान फ़र्ज़ नमाज़ का वक़्त पाये फिर अच्छी तरह वुज़ू करे और दिल लगाकर (ध्यान और आदाब के साथ) नमाज़ पढ़े और अच्छी तरह रुकूअ़ (और सज्दा) करे तो यह नमाज़ उसके पिछले तमाम गुनाहों का कफ़्फ़ारा हो जायेगी बशर्ते कि कबीरा (बड़े) गुनाह न किये हों और हमेशा ऐसा ही हुआ करेगा।

हदीस 60. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- (रोज़ाना) पाँच नमाज़ें और जुमा के बाद दूसरा जुमा पढ़ना और एक रमज़ान के बाद दूसरे रमज़ान के रोज़े रखना, उन गुनाहों का कफ़्फ़ारा हो जाते हैं जो उनके बीच हो गये हों, बशर्ते कि कबीरा (बड़े) गुनाहों से बचा जाये।

हदीस 61. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक सहाबी ने वुज़ू किया और उनके पाँव में एक नाख़ुन के बराबर जगह सूखी रह गयी। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने देखा तो फ़रमाया- वापस जाओ फिर अपना वुज़ू अच्छी तरह करो। फिर वह लौट

गये और दोबारा वुज़ू किया, फिर नमाज़ पढ़ी।

हदीस 62. हज़रत उक़्बा बिन आ़मिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो मुसलमान अच्छी तरह वुज़ू करे फिर खड़ा होकर ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ (यानी दिल के ध्यान से अल्लाह के डर और नमाज़ के आदाब) के साथ दो रक्अ़त नमाज़ पढ़े (पूरी तरह अल्लाह की तरफ़ मुतवज्जह रहे, दिल में दुनिया का कोई ख़्याल न लाये) उसके लिये जन्नत वाजिब हो जायेगी।

मैंने कहा- यह कैसा उम्दा अ़मल है (जिसका सवाब इस क़द्र ज़्यादा और मेहनत बहुत कम है)। एक शख़्स ने कहा कि पहला अ़मल इससे भी उम्दा था। मैंने देखा तो वह उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु थे। उन्होंने कहा मैं समझता हूँ तुम अभी आये हो। आपने यह भी फ़रमाया है कि जो कोई तुम में से अच्छी तरह वुज़ू करके यह दुआ़ पढ़े-

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

अश्हदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु व अश्हदु अन्-न मुहम्मदन् अ़ब्दुहू व रसूलुहू

तर्जुमाः- मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अ़लावा कोई इबादत के लायक़ नहीं, और मैं यह भी गवाही देता हूँ कि मुहम्मद उसके बन्दे और रसूले हैं।

तो उसके लिये जन्नत के आठों दरवाज़े खोल दिये जायेंगे जिसमें से चाहे वह जन्नत में दाख़िल हो जाये।

वज़ाहतः- एक और हदीस में इस दुआ़ के बाद यह दुआ़ भी आई है—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

अल्लाहुम्मज्अ़ल्नी मिनत्तव्वाबी-न वज्अ़ल्नी मिनल् मु-ततह्हिरीन।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मुझे तौबा करने वालों और पाक रहने वालों में बना दीजिये। (तिर्मिज़ी)

हदीस 63. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से कोई नींद

से जागे तो तीन बार नाक झाड़े इसलिये कि शैतान उसके नथुनों में रात गुज़ारता है।

हदीस 64. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कुछ लोगों को देखा जो एक बर्तन से वुज़ू कर रहे थे तो फ़रमाया कि वुज़ू मुकम्मल किया करो, क्योंकि मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को फ़रमाते हुए सुना है कि (सूखी) एड़ियों के लिये जहन्नम की आग है।

वज़ाहतः- अगर वुज़ू में थोड़ी-सी भी जगह ख़ुश्क रह गयी तो वुज़ू दुरुस्त न होगा, इसलिये एड़ियों और कोहनियों से थोड़ा ऊपर तक धोना बेहतर है।

हदीस 65. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब कोई मुसलमान वुज़ू करता है और जिस वक़्त वह चेहरा धोता है तो उस पानी के साथ उसके चेहरे से वो तमाम गुनाह निकल जाते हैं जो उसने आँखों से किये थे, फिर जब हाथ धोता है तो उसके हाथों में से हर वह गुनाह जो हाथ से किया था पानी के साथ ही निकल जाता है, फिर जब पाँव धोता है तो वह गुनाह जिसको उसने पाँव से चलकर किया था पानी के साथ ही निकल जाता है, यहाँ तक कि जब वह वुज़ू मुकम्मल करता है तो सब गुनाहों से पाक-साफ़ हो जाता है।

हदीस 66. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरी उम्मत के लोग मेरे हौज़-ए-कौसर पर आयेंगे और, मैं उस वक़्त दूसरे लोगों को रोक रहा हूँगा, जैसे एक शख़्स अपने हौज़ से दूसरे के ऊँटों को अलग करता है। लोगों ने कहा- ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप हमको पहचान लेंगे? आपने फ़रमाया- हाँ तुम्हारी एक ऐसी निशानी होगी जो किसी और उम्मत के पास न होगी। तुम मेरे पास हौज़ पर आओगे तो तुम्हारे वुज़ू के आज़ा (अंग और हिस्से) चमक रहे होंगे। एक गिरोह को मेरे पास आने से रोक दिया जायेगा, वह मुझ तक न पहुँच सकेगा, तब मैं अ़र्ज़ करूँगा- ऐ मेरे रब! ये तो मेरे उम्मती हैं। उस वक़्त एक फ़रिश्ता मुझे जवाब देगा- आप नहीं जानते इन लोगों ने

आपके बाद दीन में नई-नई बातें निकाली थीं।

हदीस 67. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क्या तुम्हें ऐसी इबादत न बताऊँ जिससे गुनाह मिट जायें और जन्नत में दर्जे बुलन्द हों? सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने अ़र्ज़ किया "क्यों नहीं ऐ अल्लाह के रसूल ज़रूर बतायें।" आपने फ़रमाया कि सख़्ती और तकलीफ़ के वक़्त भी मुकम्मल वुज़ू करना (जैसे सख़्त सर्दी में) और क़दमों का मस्जिद तक ज़्यादा होना (यानी मस्जिद और घर का फ़ासला लम्बा होने के बावजूद मस्जिद में जमाअ़त के साथ नमाज़ अदा करना) और इन्तिज़ार करना दूसरी नमाज़ का एक नमाज़ के बाद।

वज़ाहतः- ये तीनों काम इबादत हैं।

हदीस 68. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक़्क़त का डर न होता तो मैं उनको हर नमाज़ के वक़्त मिस्वाक करने का हुक्म देता।

वज़ाहतः- पाँच वक़्तों में मिस्वाक करना मुस्तहब (अच्छा और पसन्दीदा) हैः 1. नमाज़ के वक़्त अगरचे पहले ही से बावुज़ू हों। 2. वुज़ू के वक़्त। 3. क़ुरआन की तिलावत के वक़्त। 4. सोकर उठते वक़्त। 5. जब मुँह से बदबू आने लगे।

हदीस 69. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब घर में दाख़िल होते तो सबसे पहले मिस्वाक फ़रमाते थे।

हदीस 70. हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब तहज्जुद के लिये उठते तो मुँह मुबारक को मिस्वाक से साफ़ करते थे।

हदीस 71. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मूँछों को कटवाओ और दाढ़ियों को बढ़ाओ, और मजूस (आग के पुजारियों) की मुख़ालफ़त किया

करो।

हदीस 72. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- पाँच चीज़ें फ़ितरत में से हैं: 1. ख़तना करना। 2. नाफ़ के नीचे के बाल साफ़ करना। 3. नाखुन काटना। 4. बग़ल के बाल उखेड़ना। 5. मूँछें कतरवाना।

(फ़ितरत के मायने सुन्नत के हैं, ये चीज़ें तमाम नबियों की सुन्नत हैं।)

हदीस 73. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मूँछें कतरवाने, नाखुन काटने, बग़लों के बाल उखेड़ने (या कटवाने) और नाफ़ के नीचे के बाल साफ़ करने की मियाद ज़्यादा से ज़्यादा चालीस दिन तक मुक़र्रर की है।

वज़ाहत:- हर मुसलमान को मर्द हो या औ़रत, चालीस दिन के अन्दर-अन्दर उपरोक्त तमाम काम कर लेने चाहियें वरना गुनाहगार होगा।

हदीस 74. हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि अहले किताब में किसी ने सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से कहा कि तुम्हारे नबी ने तुमको हर एक बात सिखाई यहाँ तक कि पाख़ाना और पेशाब का तरीक़ा भी? उन्होंने कहा- जी हाँ हमको रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने पेशाब या पाख़ाना करते वक़्त क़िब्ले की तरफ़ मुँह या पीठ करने से और इस्तिन्जा करते वक़्त दायाँ हाथ इस्तेमाल करने से और तीन पत्थरों (ढेलों) से कम से इस्तिन्जा करने से और गोबर या हड्डी से इस्तिन्जा करने से मना फ़रमाया है।

हदीस 75. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम लानत के दो कामों से बचो (यानी जिनकी वजह से लोग तुम पर लानत करें)। लोगों ने पूछा वो लानत के दो काम कौनसे हैं? आपने फ़रमाया- आ़म रास्ते और सायेदार जगहों में पेशाब, पाख़ाना करना (इन दोनों कामों से लोगों को तकलीफ़ होगी वे बुरा कहेंगे और लानत करेंगे)।

हदीस 76. हज़रत मुग़ीरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने वुज़ू करते वक़्त पेशानी, अ़मामा

(पगड़ी) और मौज़ों पर मसह किया।

वज़ाहतः- अगर वुज़ू की हालत में अ़मामा (पगड़ी) पहना हो या मौज़े पहने हों तो नये वुज़ू के दौरान अ़मामा और मौज़ों पर मसह करना काफ़ी हो जाता है। मसह करने का तरीक़ा यह है कि पूरा वुज़ू कीजिये सिर्फ़ सर पर मसह न करें और पैर न धोयें और इसकी जगह दोनों हाथों को गीला करके अ़मामा पर मसह कीजिये, और इसी तरह हर पैर के ऊपर मसह कीजिये। शरई इस्तिलाह में यह अ़मल सर पर मसह और दोनों पैर धोने का बदल है।

हदीस 77. शुरैह बिन हानी रहमतुल्लाहि अ़लैहि से रिवायत है कि मैंने उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से मौज़ों पर मसह की मुद्दत के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अ़ली से पूछो (इसलिये कि) वह रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ सफ़र किया करते थे। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुसाफ़िर के लिये मसह की मुद्दत तीन दिन और तीन रात मुक़र्रर फ़रमाई और मुक़ीम (यानी जो वतन में हो) के लिये एक दिन एक रात मुक़र्रर फ़रमाई।

हदीस 78. हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मक्का फ़तह होने वाले दिन एक ही वुज़ू से कई नमाज़ें पढ़ीं और वुज़ू के दौरान मौज़ों पर मसह किया। उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! आपने आज वह काम किया जो पहले कभी नहीं किया था। आपने फ़रमाया "मैंने यह अ़मल जान-बूझकर किया है।"

वज़ाहतः- अगर किसी का वुज़ू बरक़रार हो तो एक ही वुज़ू से कई नमाज़ें पढ़ सकता है लेकिन नया वुज़ू कर लेना अफ़ज़ल है। तिर्मिज़ी शरीफ़ में आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का फ़रमान है कि वुज़ू पर वुज़ू करने वाले के नामा आमाल में दस नेकियाँ लिखी जाती हैं। एक दूसरी हदीस में है कि वुज़ू पर वुज़ू करना "नूरुन् अ़ला नूर" (सोने पर सुहागा) है।

हदीस 79. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से वियायत है कि रसूले

अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तुम में से जब कोई सोकर उठे तो अपना हाथ बर्तन में उस वक़्त तक न डाले जब तक हाथ को तीन बार न धो ले, क्योंकि मालूम नहीं उसके हाथ ने रात कहाँ गुज़ारी है।

वज़ाहतः- हो सकता है कि किसी ग़ैर-मुनासिब जगह लग गया हो।

हदीस 80. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब कुत्ता तुम में से किसी के बर्तन में मुँह डालकर पिये तो वह उसको (बर्तन में जो पानी वग़ैरह है) बहा दे और उस (बर्तन) को सात बार धो ले।

हदीस 81. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ठहरे हुए पानी में पेशाब करने से मना फ़रमाया है।

वज़ाहतः- इसलिये कि यह नजासत (गन्दगी व नापाकी) को जल्द क़ुबूल कर लेता है।

हैज़ (माहवारी) का बयान

वज़ाहतः- लुग़त में हैज़ के मायने बहना और इस्तिलाह में उस ख़ून को कहते हैं जो बालिग़ा औ़रत के गर्भ से निर्धारित दिनों में बहता है (जिसके माहवारी या मासिक धर्म कहते हैं)।

हदीस 82. हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा बयान करती हैं कि हम में से जब कोई हायज़ा (माहवारी की हालत वाली) होती तो रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उसको तहबन्द बाँधने का हुक्म देते और फिर उसके साथ लेट जाते।

वज़ाहतः- हैज़ (माहवारी) में चूमना, प्यार करना और लिपटना जायज़ है, जबकि सोहबत करना मना है।

हदीस 83. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझसे फ़रमाया- मस्जिद से जायनमाज़ उठाकर मुझे दो, मैंने अ़र्ज़ किया- मैं माहवारी की हालत में हूँ, आपने फ़रमाया- माहवारी तुम्हारे हाथ में तो नहीं है।

वज़ाहतः- यानी सिर्फ़ हाथ बढ़ाकर मस्जिद से जायनमाज़ दे दो, ख़ुद मस्जिद के अन्दर न जाओ।

हदीस 84. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हु बयान करती हैं कि मैं पानी पीती फिर वही बर्तन रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को दे देती, आप उसी जगह मुँह रखकर पानी पीते जहाँ मैंने मुँह रखकर पिया होता हालाँकि मैं हायज़ा (माहवारी की हालत में) होती, और मैं हड्डी से गोश्त खाती फिर रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को दे देती आप उसी जगह मुँह लगाते जहाँ मैंने लगाया था।

वज़ाहतः- हायज़ा (माहवारी वाली) औ़रत का झूठा नापाक नहीं है।

हदीस 85. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु बयान करते हैं कि यहूदियों में जब कोई औ़रत हायज़ा (माहवारी वाली) होती तो वे उसको अपने साथ न खाना खिलाते न घर में उसके साथ रहते। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सहाबा ने आप से यह मसला पूछा तब अल्लाह तआ़ला ने यह आयत नाज़िल फ़रमा दी—

तर्जुमाः- आप से हैज़ (माहवारी) के बारे में पूछते हैं, आप फ़रमा दीजिये कि हैज़ नजासत (गन्दगी) है, लिहाज़ा उस हालत में औ़रत से दूर रहो (यानी हमबिस्तरी न करो)। (सूरः अल्-ब-क़रह 2, आयत 222)

रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सोहबत के अ़लावा बाक़ी सब काम कर सकते हो। यह ख़बर यहूदियों को पहुँची तो उन्होंने कहा यह शख़्स हर बात में हमारी मुख़ालफ़त करता है। यह सुनकर हज़रत उसैद बिन हुज़ैर और हज़रत अ़ब्बाद बिन बशीर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! यहूदी ऐसा-ऐसा कहते हैं, क्यों न हम हैज़ वाली औ़रतों से सोहबत ही कर लिया करें (ताकि पूरी तरह उनकी मुख़ालफ़त हो जाये)।

यह सुनते ही आपके चेहरा-ए-अनवर का रंग बदल गया (यानी आपको बुरा मालूम हुआ) क्योंकि यह ख़िलाफ़े क़ुरआन है। हम यह समझे कि आप हम दोनों से नाराज़ हो गये हैं और हम दोनों (डरकर मजलिस से उठकर) बाहर चले गये। इतने में किसी ने आपको दूध का प्याला तोहफ़े में भेजा

आपने हम दोनों को वापस बुलाया और दूध पिलाया तब हमें मालूम हुआ कि आप हम से नाराज़ नहीं हुए।

हदीस 86. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु बयान करते हैं कि मुझे 'मज़ी' बहुत आती थी, मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बेटी अपने निकाह में होने की वजह से आप से पूछने में शर्म महसूस की, इसलिये मैंने मिक़दाद बिन अस्वद से कहा- यह मसला आप से मालूम करें, उन्होंने आपसे पूछा तो आपने फ़रमाया कि अपनी शर्मगाह को अच्छी तरह धोकर वुज़ू कर लो।

वज़ाहतः- 'मज़ी' एक सफ़ेद पानी है और कभी उसका निकलना महसूस भी नहीं होता है, और यह मज़ी मर्द और औ़रत दोनों की शर्मगाह से निकल सकती है।

हदीस 87. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु बयान करते हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम रात को उठकर क़ज़ा-ए-हाजत (इस्तिन्जे की ज़रूरत) से फ़ारिग़ हुए फिर आप अपने चेहरे और हाथों को धोकर सो गये।

वज़ाहतः- अगर रात को कोई क़ज़ा-ए-हाजत (पेशाब-पाख़ाने की ज़रूरत पूरी करने) वग़ैरह के लिये उठे तो अपने चेहरे और हाथों को धोये। रात को उठने के बाद दोबारा सोना भी जायज़ है बशर्ते कि रात की इबादात मसलन तहज्जुद वग़ैरह के छूट जाने का ख़तरा न हो।

हदीस 88. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अबी क़ैस रज़ियल्लाहु अ़न्हु बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के वित्र के बारे में सवाल किया। उन्होंने वह तरीक़ा बता दिया। फिर मैंने पूछा कि आप जनाबत (नहाने की ज़रूरत होने) की हालत में क्या करते थे, आया ग़ुस्ल से पहले सो जाते थे या ग़ुस्ल करने के बाद सोते थे? उन्होंने कहा आप दोनों तरह करते थे, कभी ग़ुस्ल करके सोते और कभी सिर्फ़ वुज़ू करके सो जाते, मैंने कहा अल्लाह तआ़ला का शुक्र है जिसने दीन के हर मामले में आसानी फ़रमाई है।

वज़ाहतः- जुनुबी (नापाक आदमी, जिसको ग़ुस्ल करना ज़रूरी हो) का

खाना, पीना और सोना ग़ुस्ल से पहले भी दुरुस्त है, लेकिन ग़ुस्ल करके ये सारे काम करना अफ़ज़ल (ज़्यादा अच्छा) है।

हदीस 89. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु बयान करते हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से कोई अपनी बीवी से हमबिस्तरी (सोहबत) करे और फिर दोबारा इस काम का इरादा करे तो उसे चाहिये कि वुज़ू कर ले।

वज़ाहतः- वुज़ू करने से सोहबत करने की क़ुव्वत में इज़ाफ़ा होता है।

हदीस 90. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु बयान करते हैं कि एक औ़रत ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से उस औ़रत के बारे में सवाल किया जो अपने ख़्वाब (सपने) में वह देखे जो मर्द देखता है तो आपने फ़रमाया- जब उससे वही चीज़ निकले जो मर्द से निकलती है तो ग़ुस्ल करे।

वज़ाहतः- औ़रत को एहतिलाम होने (सोने की हालत में मनी निकलने) पर उस पर भी ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है।

हदीस 91. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु बयान करते हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम (अपनी बीवी) हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अ़न्हा के (ग़ुस्ल से) बचे हुए पानी से ग़ुस्ल फ़रमा लिया करते थे।

वज़ाहतः- अगर औ़रत एहतियात से ग़ुस्ल करे कि पानी में नजासत (नापाकी) न शामिल हो तो उसके बचे हुए पानी से मर्द ग़ुस्ल कर सकता है।

हदीस 92. हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अ़न्हु बयान करते हैं कि मैं रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास खड़ा था कि इतने में यहूदियों के उलेमा में से एक आ़लिम आया और कहा 'अस्सलामु अ़लै-क या मुहम्मदु' मैंने उसको ज़ोर से धक्का दिया जिससे वह गिरते-गिरते बचा। वह कहने लगा तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मैंने कहा कि तुमने "ऐ अल्लाह के रसूल" कहकर क्यों नहीं पुकारा? उसने कहा हम इनको उस नाम से पुकारते हैं जो इनके घर वालों ने रखा है और वह मुहम्मद है। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरा जो नाम घर वालों ने रखा है वह मुहम्मद ही है। यहूदी ने कहा कि मैं आप से कुछ पूछने आया हूँ।

आपने फ़रमाया कि अगर मैं तुमको कुछ (सही) बता दूँ तो तुमको कुछ फ़ायदा होगा? उसने कहा मैं ग़ौर से सुनूँगा। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक छड़ी से जो आपके हाथ में थी ज़मीन पर लकीर खींची और फ़रमाया- पूछो, यहूदी ने कहा जिस दिन यह ज़मीन व आसमान बदलकर दूसरे ज़मीन व आसमान हो जायेंगे तो लोग कहाँ जायेंगे?

रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि उस वक़्त अन्धेरे में पुलसिरात के पास खड़े होंगे। फिर उसने पूछा सबसे पहले कौन लोग उस पुल से पार होंगे? आपने फ़रमाया- ग़रीब मुहाजिरीन (मुहाजिरीन से मुराद वे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ घर-बार छोड़कर हिजरत कर गये और फ़ाक़े व तंगदस्ती की तकलीफ़ पर सब्र किया)। यहूदी ने कहा जब वे लोग जन्नत में दाख़िल हो जायेंगे तो उनका सबसे पहला खाना क्या होगा? आपने फ़रमाया कि मछली की कलेजी का टुकड़ा (जो बहुत ही मज़ेदार और ताक़त देने वाला होता है)। उसने कहा उसके बाद उन्हें क्या खिलाया जायेगा? आपने फ़रमाया कि फिर उनके लिये जन्नत का वह बैल काटा जायेगा जो जन्नत में चरा करता था। उसने पूछा यह खाकर जन्नती क्या पियेंगे? आपने फ़रमाया कि एक चश्मे का पानी जिसका नाम सलूसबील है। उस यहूदी आ़लिम ने कहा कि आपने सच फ़रमाया और अब मैं आप से एक ऐसी बात पूछता हूँ जो नबी के सिवा रू-ए-ज़मीन पर एक या दो आदमी जानते हैं। आपने फ़रमाया कि अगर मैं वह बात तुम्हें बता दूँ तो क्या तुम्हें फ़ायदा होगा? उसने कहा मैं ग़ौर से सुनूँगा। फिर उसने कहा कि मैं आप से बच्चे के बारे में भी पूछता हूँ कि किस तरह पैदा होता है? आपने फ़रमाया कि मर्द का पानी सफ़ेद और औ़रत का पानी ज़र्द रंग का होता है, जब ये दोनों इकट्ठे हो जायें और मर्द की मनी (वीर्य) औ़रत की मनी पर ग़ालिब हो जाये तो अल्लाह के हुक्म से लड़का पैदा होता है। और जब औ़रत की मनी मर्द की मनी पर ग़ालिब हो जाये तो अल्लाह के हुक्म से लड़की पैदा होती है। यहूदी ने कहा आपने सच फ़रमाया और बेशक आप अल्लाह के नबी हैं। फिर जब वह वापस जा रहा था तो आपने फ़रमाया कि उसने जो बातें मुझसे पूछीं वह मुझे मालूम

न थी यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला ने मुझे "वही" के ज़रिये बता दीं।

हदीस 93. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि सक़ीफ़ (क़बीले) के वफ़्द (प्रतिनिधि मण्डल) ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा कि हम गुस्ल कैसे करें? रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैं तो अपने सर पर तीन मर्तबा पानी डालता हूँ।

वज़ाहतः- वुज़ू के बदनी अंग (हिस्से) धोने के बाद गुस्ल से पहले सर पर तीन मर्तबा पानी डालना मस्नून है। इससे पूरा जिस्म बेदार हो जाता है जो जिस्म के लिये बहुत ही मुफ़ीद है।

हदीस 94. हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने सर पर सख़्ती के साथ मेंढियाँ (थोड़े-थोड़े बालों से लटें बनाना) बाँधतीं हूँ। क्या मैं पाक होने के गुस्ल के लिये उनको खोलूँ? आपने फ़रमाया- नहीं, तुम्हारे लिये तीन चुल्लू भर पानी अपने सर पर डाल लेना काफ़ी है, फिर अपने पूरे बदन पर पानी बहाने से तुम पाक हो जाओगे।

वज़ाहतः- औ़रतों के लिये गुस्ले जनाबत के (नापाकी दूर करने के लिये नहाते) वक़्त मेंढियों का खोलना ज़रूरी नहीं, बशर्ते कि पानी बालों की जड़ों तक पहुँच जाये तो उनके बंधे रहने में कोई हर्ज नहीं, वरना खोलना ज़रूरी है।

हदीस 95. हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा बयान करती हैं कि उम्मे हबीबा बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अ़न्हा को लगातार सात बरस से इस्तिहाज़ा (औ़रतों की एक बीमारी) का ख़ून आ रहा था, उसने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से यह मसला पूछा तो आपने फ़रमाया यह हैज़ (माहवारी) नहीं बल्कि एक रग का ख़ून है, तुम गुस्ल करके नमाज़ पढ़ लिया करो।

वज़ाहतः- 'मुस्तहाज़ा' उस औ़रत को कहा जाता है जिसकी शर्म गाह से ख़ून जारी रहे और यह ख़ून एक रग से निकलता है जो हैज़ (माहवारी) के ख़ून के रंग से अलग होता है। मुस्तहाज़ा से हमबिस्तरी जायज़ है और

वह नमाज़ रोज़ा भी पाक औरत की तरह अदा करेगी।

हदीस 96. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- एक मर्द दूसरे मर्द के सतर को न देखे और न ही औरत दूसरी औरत के सतर को देखे, और कोई मर्द दूसरे मर्द के साथ और औरत दूसरी औरत के साथ एक कपड़े में न लेटे।

वज़ाहतः- मर्द को मर्द का और औरत को औरत का सतर देखना हराम है।

हदीस 97. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम भी लोगों के साथ बैतुल्लाह की तामीर के लिये पत्थर ला रहे थे और आप तहबन्द बाँधे हुए थे। हज़रत अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा- ऐ मेरे भतीजे! आप अपनी चादर उतारकर कंधे पर डाल लें तो अच्छा है (ताकि पत्थर के निशान जिस्म पर न पड़ें)। आपने चादर कंधे पर डाल ली और उसी वक़्त आप बेहोश होकर गिर पड़े, फिर उस दिन के बाद से आपको बिना लिबास के नहीं देखा गया।

वज़ाहतः- जाहिलीयत (इस्लाम के पहले) के ज़माने में अ़रब के लोगों में बच्चों का नंगे रहना कोई ऐब नहीं था, इसी वजह से आपके चचा ने आपको चादर कंधों पर डालने का मश्विरा दिया, लेकिन अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त को आपको पूरी दुनिया के लिये नमूना बनाना था इसलिये बचपन में बेलिबास होने पर बेहोशी तारी करके आईन्दा के लिये आपको नंगा रहने से महफ़ूज़ रखा।

हदीस 98. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने (वुज़ू करने के बाद) हड्डी पर लगा हुआ गोश्त या सिर्फ़ गोश्त खाया, उसके बाद नमाज़ पढ़ी और वुज़ू नहीं दोहराया।

हदीस 99. हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सवाल किया कि बकरी का गोश्त खाने के बाद वुज़ू करना ज़रूरी है या नहीं? आपने

फ़रमाया कि तुम चाहो तो वुज़ू कर लो अगर न भी करो तो कोई हर्ज नहीं। फिर उसने सवाल किया कि ऊँट का गोश्त खाकर वुज़ू करने का क्या हुक्म है? आपने फ़रमाया- ऊँट का गोश्त खाने के बाद वुज़ू करो। उसने कहा कि बकरियों के बाड़े में नमाज़ पढ़ना कैसा है? आपने फ़रमाया कि हाँ उसमें नमाज़ पढ़ सकते हो। उसने कहा ऊँटों के बाड़े में नमाज़ पढ़ना कैसा है? आपने फ़रमाया कि उसमें नमाज़ न पढ़ो।

वज़ाहतः- ऊँटों के बाड़े में नमाज़ पढ़ने से इसलिये रोका गया कि ऊँट शरीर जानवर है। कोई भी चीज़ खाने के बाद कुल्ली करना बेहतर है।

हदीस 100. हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा बयान करती हैं कि हम रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ सफ़र में निकले, जब 'ज़ातुल-जैश' (ख़ैबर और मदीना के दरमियान एक मक़ाम है) में पहुँचे तो मेरे गले का हार टूटकर गिर गया और रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उसकी तलाश के लिये ठहर गये, लोग भी ठहर गये। वहाँ पानी न था और न लोगों के पास पानी था। लोग हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु के पास आये और कहने लगे तुम देखते नहीं कि आ़यशा ने क्या किया है? रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को रोका हुआ है और वह भी ऐसी जगह जहाँ पानी नहीं, और न ही उनके पास पानी है। यह सुनकर अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु मेरे पास आये, उस वक़्त रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपना सर मेरी रान पर रखे सो रहे थे। और उन्होंने गुस्सा किया और जो अल्लाह ने चाहा कह डाला। आप सोते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गयी और पानी बिल्कुल न था, तब अल्लाह तआ़ला ने तयम्मुम की आयत (सूरः अल्-मायदा 5, आयत 6) उतारी तो सबने तयम्मुम किया।

उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि ऐ अबू बक्र की औलाद! यह तुम्हारी पहली बरकत नहीं है (तुम्हारी वजह से अल्लाह तआ़ला ने हमेशा मुसलमानों को फ़ायदा दिया है, यह भी एक नेमत तुम्हारे सबब से मिली है यानी तयम्मुम की सहूलत)। हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा बयान क़रती हैं कि फिर हमने उस ऊँट को उठाया जिस पर मैं सवार थी तो हार उसके नीचे से मिल गया।

वज़ाहतः- इस हदीस से तयम्मुम की आयत का शाने नुज़ूल और यह भी मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम आ़लिमुल-ग़ैब न थे।

हदीस 101. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु बयान करते हैं कि मैं रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को मदीना के रास्ते में मिला और उस वक़्त मैं जुनुबी (नापाकी की हालत वाला) था, इसलिये आप से ग़ायब हो गया और गुस्ल करने को चला गया। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे ढूँढा, जब मैं आया तो पूछा "कहाँ थे?" मैंने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! जिस वक़्त आप मुझसे मिले थे मैं जुनुबी (नापाक) था, मैंने बुरा महसूस किया कि आपके पास उस हालत में बैठूँ जब तक गुस्ल न कर लूँ। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सुब्हानल्लाह! मोमिन नजिस (नापाक) नहीं होता है।

हदीस 102. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र हर वक़्त किया करते थे।

(अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये सूरः आले इमरान 3, आयत 191)

वज़ाहतः- हम पढ़ चुके हैं कि मुसलमान नजिस नहीं होता है और इस हदीस में इस बात का सुबूत है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हर वक़्त अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ रहते थे सिवाय उन वक़्तों के जिनका ज़िक्र हदीसों में स्पष्ट रूप से आ चुका है, मसलन पेशाब व पाख़ाना करते वक़्त, हमबिस्तरी करते वक़्त, गुस्ल के दौरान वग़ैरह, यानी जनाबत (वह हालत जब गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है) की हालत में तस्बीह, तहलील, तकबीर, अल्लाह का ज़िक्र दुरुस्त है।

हदीस 103. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बैतुल्ख़ला (लैट्रीन) में दाख़िल होते वक़्त यह दुआ़ माँगते थे-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَآئِثِ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अऊ़ज़ु बि-क मिनल्-ख़ुबुसि वल्-ख़बाइसि।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैं आपकी पनाह माँगता हूँ नापाक जिन्नों और

जिन्नियों से।

हदीस 104. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक दिन नमाज़ के लिये सफ़ें बनाई गयीं और रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम एक शख़्स से बातें कर रहे थे, आप बातों में मसरूफ़ रहे यहाँ तक कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ऊँघने लगे, फिर आप तशरीफ़ ले आये और नमाज़ पढ़ाई। दोबारा वुज़ू नहीं किया।

वज़ाहतः- ऊँघने से वुज़ू नहीं टूटता बशर्ते कि किसी दीवार वग़ैरह से टेक न लगाई जाये।

नमाज़ का बयान

(ईमान के बाद तमाम इबादतों में नमाज़ मुक़द्दम (आगे) है और तहारत नमाज़ की शर्त है, तहारत के बग़ैर नमाज़ दुरुस्त नहीं होती, इसलिये तहारत के बाद नमाज़ के अहकाम लिखे गये हैं। क़ियामत में सबसे पहले नमाज़ के बारे में मालूम किया जायेगा, जिसकी नमाज़ दुरुस्त साबित होगी उसके दूसरे आमाल का हिसाब आसानी से लिया जायेगा और जिसकी नमाज़ ही दुरुस्त न होगी उसके दूसरे आमाल की कोई क़द्र व क़ीमत न होगी, इसलिये हर मुसलमान पर लाज़िम है कि वह नमाज़ का ख़ास ख़्याल रखे, हर नमाज़ मुक़र्ररा वक़्त पर दिल लगाकर अदा करे। दुनिया में भी नमाज़ के बेशुमार फ़ायदे हैं और आख़िरत में भी नमाज़ से बेइन्तिहा सवाब मिलेगा जिसका तज़किरा हदीसों में मौजूद है।)

हदीस 105. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत बिलाल को अज़ान के अलफ़ाज़ दो-दो मर्तबा और तकबीर के एक-एक मर्तबा कहने का हुक्म दिया गया।

और वो कलिमात ये हैं-

اَللّٰهُ اَكْبَرُ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ. اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ. اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ.
حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ.
اَللّٰهُ اَكْبَرُ. لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ.

अल्लाहु अक्बरु अल्लाहु अक्बरु, अश्हदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु, अश्हदु अन्-न मुहम्मदर्रसूलुल्लाह, हय्-य अ़लस्सलाति, हय्-य अ़लल्-फ़लाहि, क़द् क़ामतिस्सलातु क़द् क़ामतिस्सलातु, अल्लाहु अक्बरु अल्लाहु अक्बर, ला इला-ह इल्लल्लाह।

हदीस 106. हज़रत अबू मह्ज़ूरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मुझे रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस तरह अज़ान सिखाईः

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ   اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ   اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ.

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ   اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ.

इसके बाद फिर नये सिरे सेः

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ.

दो मर्तबा, और उसके बादः

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ.

दो मर्तबा, और उसके बादः

حَیَّ عَلَى الصَّلٰوةِ   حَیَّ عَلَى الْفَلَاحِ.

दो दो मर्तबा। और इस्हाक़ रह. से रिवायत है कि उसके बादः

اَللّٰهُ اَكْبَرُ   اَللّٰهُ اَكْبَرُ   لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ.

(एक-एक बार सिखाया)।

तर्जुमाः- अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद उसके रसूल हैं, मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद उसके रसूल हैं। आओ नमाज़ की जानिब, आओ नमाज़ की जानिब। आओ कामयाबी की जानिब, आओ कामयाबी की जानिब। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं।

वज़ाहतः- यह तरजीह वाली अज़ान कहलाती है, यानी इसमें शहादत (गवाही) को दो-दो ममर्तबा के बजाय चार-चार मर्तबा कहा जाता है।

हदीस 107. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब अज़ान की आवाज़ सुनो तो वही कहो जो मुअज़्ज़िन कहता है, फिर मुझ पर दुरूद भेजो क्योंकि जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है तो अल्लाह तआ़ला उस पर अपनी दस रहमतें नाज़िल फ़रमाता है। उसके बाद अल्लाह तआ़ला से मेरे लिये वसीले की दुआ़ माँगो। वसीला जन्नत में एक ऐसा मक़ाम है जो अल्लाह के बन्दों में से एक बन्दे को मिलेगा और जो कोई मेरे लिये वसीला (मक़ामे महमूद) की दुआ़ करेगा उसके लिये मेरी शफ़ाअ़त वाजिब होगी।

वज़ाहतः- रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स अज़ान सुनकर यह दुआ़ पढ़े तो क़ियामत के दिन उसको मेरी शफ़ाअ़त नसीब होगी-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَآئِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَا نِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ.

अल्लाहुम्-म रब्-ब हाज़िहिद्दअ़्वतित्ताम्मति वस्सलातिल्-क़ाइ-मति आति मुहम्म-द निल्-वसील-त वल्-फ़ज़ील-त वब्अ़स्हु मक़ामम्-महमू-द निल्लज़ी वअ़द्त्तहू।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! जो इस पूरी दावत और क़ायम रहने वाली नमाज़ का रब है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को (क़ियामत के दिन) वसीला बड़ा मर्तबा और मक़ामे महमूद अ़ता कर, जिसका आपने उनसे वायदा किया है। (बुख़ारी व मुस्लिम, जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से)

हदीस 108. हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अज़ान सुनकर जो शख़्स यह दुआ़ माँगेगा-

لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ رَضِيْتُ

بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا.

ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरी-क लहू व अश्हदु अन्-न मुहम्मदन् अ़ब्दुहू व रसूलुहू रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन् व बि-मुहम्मदिन् रसूलन् व बिल्-इस्लामि दीनन्।

तर्जुमाः मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं, और मुहम्मद अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं। मैं अल्लाह को रब मानकर और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को रसूल मानकर और इस्लाम को दीन मानकर राज़ी हूँ।

तो उस शख़्स के तमाम गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।

हदीस 109. हज़रत मुआ़विया रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत के दिन मुअज़्ज़िन की गर्दन तमाम लोगों (की गर्दनों) से लम्बी होगी।

वज़ाहतः- गर्दन लम्बी होने के मायने यह हैं कि अ़रब वाले हर सरदार को लम्बी गर्दन वाला कहते थे, इसलिये मुअज़्ज़िन भी क़ियामत के दिन लम्बी गर्दन वाले सरदार होंगे।

हदीस 110. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस शख़्स ने नमाज़ पढ़ी और उसमें सूरः फ़ातिहा को न पढ़ा तो उसकी नमाज़ नाक़िस रहती है। यह जुमला आपने तीन बार इरशाद फ़रमाया। लोगों ने पूछा कि जब हम इमाम के पीछे हों तो क्या करें? हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा उस वक़्त तुम लोग आहिस्ता सूरः फ़ातिहा पढ़ लिया करो, क्योंकि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को अल्लाह तआ़ला का यह फ़रमान बयान करते हुए सुना है कि नमाज़ मेरे और मेरे बन्दे के दरमियान आधी-आधी तक़सीम हो चुकी है और मेरा बन्दा जो सवाल करता है वह पूरा किया जाता है। जब कोई शख़्स 'अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्-आ़लमीन' कहता है तो अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं कि मेरे बन्दे ने मेरी तारीफ़ की, और नमाज़ी जब 'अर्रहमानिर्रहीम' कहता है तो अल्लाह तआ़ला

फ़रमाते हैं कि मेरे बन्दे ने मेरी सिफ़त बयान की, और नमाज़ी जब 'मालिकि यौमिद्दीन' कहता है तो अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं कि मेरे बन्दे ने मेरी बुज़ुर्गी (बड़ाई) बयान की, और यूँ भी कहता है कि मेरे बन्दे ने अपने सब काम मेरे सुपुर्द कर दिये हैं। और जब नमाज़ी 'इय्या-क नअ़बुदु व इय्या-क नस्तअ़ीन' पढ़ता है तो अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं कि यह मेरे और मेरे बन्दे के दरमियान है। मेरा बन्दा जो सवाल करेगा वह उसको मिलेगा। फिर जब नमाज़ी अपनी नमाज़ में 'इह्दिनस्सिरातल्-मुस्तक़ीम, सिरातल्लज़ी-न अन्अ़म्-त अ़लैहिम् ग़ैरिल्-मग़्ज़ूबि अ़लैहिम् वलज़्ज़ाल्लीन' पढ़ता है तो अल्लाह तआ़ला जवाब में फ़रमाते हैं कि यह सब मेरे बन्दे के लिये है, और जो कुछ वह तलब करेगा वह उसे दिया जायेगा।

वज़ाहतः- हर नमाज़ी को नमाज़ की हर रक्अ़त में सूरः फ़ातिहा पढ़नी चाहिये। सूरः फ़ातिहा नमाज़ का वह हिस्सा है कि जिसके बग़ैर नमाज़ नहीं होती, और आधी-आधी तक़सीम होने के मायने यह हैं कि आधी सूरः फ़ातिहा में अल्लाह तआ़ला की तारीफ़ व बुज़ुर्गी है और आधी में वह दुआ़ है जिसके फ़ायदे नमाज़ी को हासिल होते हैं।

हदीस 111. हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमें ज़ोहर या अ़सर की नमाज़ पढ़ाई, नमाज़ के समापन पर आपने फ़रमाया कि तुम में से किस मुक़्तदी ने सूरः 'सब्बिहिस्-म रब्बिकल्-अअ़्ला' पढ़ी? तो एक मुक़्तदी ने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! सवाब हासिल करने ग़र्ज़ से मैंने पढ़ी थी। इस पर आपने यह फ़रमाया- मुझे ऐसे मालूम होता था कि तुम में से कोई मुझसे क़ुरआने करीम छीन रहा है।

वज़ाहतः- इमाम के पीछे मुक़्तदियों को सूरः फ़ातिहा के अ़लावा क़ुरआन मजीद की तिलावत नहीं करनी चाहिये।

हदीस 112. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस शख़्स ने नमाज़ अदा की और उसमें उम्मुल-क़ुरआन (यानी सूरः फ़ातिहा) नहीं पढ़ी तो वह नमाज़ नाक़िस है। आपने यह बात तीन बार इरशाद फ़रमाई।

हदीस 113. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक दिन हम रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मज्लिस में बैठे थे कि आपको ऊँघ सी आ गयी। फिर मुस्कुराते हुए आपने सर उठाया जिस पर हमने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! आपको किस चीज़ से हंसी आ रही थी? इरशाद फ़रमाया मुझ पर अभी-अभी क़ुरआन करीम की एक सूरत नाज़िल हुई है, चुनाँचे आपने 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' पढ़कर सूरः 'इन्ना अअ़्तैना कल्कौसर' की पूरी तिलावत फ़रमाई और फ़रमाया- तुम लोग जानते हो कौसर क्या चीज़ है? हमने अ़र्ज़ किया अल्लाह और उसका रसूल ही ज़्यादा जानते हैं, तो इरशाद हुआ कि कौसर एक नहर है जिसका परवर्दिगार ने मुझसे वायदा किया है, उसमें बहुत सी ख़ूबियाँ हैं और रोज़े मेहशर मेरे उम्मती उस हौज़ का पानी पीने के लिये आयेंगे। उस हौज़ पर इतने बर्तन हैं जितने आसमान के सितारे। एक शख़्स को वहाँ से भगा दिया जायेगा जिस पर मैं कहूँगा- ऐ अल्लाह! यह शख़्स मेरा उम्मती है, अल्लाह तआ़ला फ़मायेगा नहीं! यह आपका उम्मती नहीं, बल्कि यह उन लोगों में से है जिन्होंने आपके बाद दीन में नये-नये काम ईजाद किये।

हदीस 114. हज़रत वाईल बिन हजर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को देखा कि आपने नमाज़ शुरू करते वक़्त अपने दोनों हाथ कानों तक उठाये और 'अल्लाहु अकबर' कहा। उसके बाद सीधा हाथ उल्टे हाथ पर रखा और चादर ओढ़ ली। फिर आपने चादर में से हाथ बाहर निकाल के दोनों कानों तक उठाकर 'अल्लाहु अकबर' कहा और रुकूअ़ में गये और खड़े होते वक़्त 'समिअ़ल्लाहु लिमन् हमिदह्' पढ़कर दोनों हाथ ऊपर उठाये और फिर आपने दोनों हथेलियों के बीच सज्दा किया।

हदीस 115. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ हम लोग नमाज़ में तशह्हुद (अत्तहिय्यात) पढ़ते थे। आपने फ़रमाया कि तशह्हुद पढ़ने के बाद नमाज़ी को इख़्तियार है कि जो चाहे दुआ़ करे।

वज़ाहतः- इस मौक़े पर मस्नून दुआ़यें पढ़ना ही ज़्यादा बेहतर है,

लेकिन अ़रबी भाषा में दुनिया व आख़िरत की भलाई की और दुआ़यें भी माँगी जा सकती हैं।

हदीस 116. हज़रत अबू हुमैद साअ़िदी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! हम आप पर दुरूद कैसे भेजें? आपने फ़रमाया कहो-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝

अल्लाहुम्-म सल्लि अ़ला मुहम्मदिंव्-व अ़ला अज़्वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लै-त अ़ला इब्राही-म व बारिक् अ़ला मुहम्मदिंव्- व अ़ला अज़्वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारक्-त अ़ला इब्राही-म इन्न-क हमीदुम् मजीद।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! दुरूद भेजिये मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) और आपकी बीवियों व औलाद पर जैसा कि आपने दुरूद भेजा आले इब्राहीम पर, और बरकत नाज़िल फ़रमाईये मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) पर और आपकी बीवियों व औलाद पर, जैसा कि आपने बरकत नाज़िल फ़रमाई आले इब्राहीम पर, बेशक आप तारीफ़ के लायक़ और बुज़ुर्गी वाले हैं।

हदीस 117. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का फ़रमान है कि जो शख़्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह तआ़ला उस पर दस रहमतें नाज़िल फ़रमायेंगे।

हदीस 118. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि घोड़े से गिरने की वजह से रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का जिस्म दाईं जानिब से ज़ख़्मी हो गया, हम आपकी मिज़ाज-पुर्सी के लिये गये। नमाज़ का वक़्त हो गया था इसलिये आपने बैठे-बैठे नमाज़ पढ़ाई और जब हम सब लोग नमाज़ पढ़ चुके तो फ़रमाया कि इमाम इसी लिये बनाया

जाता है कि उसकी पैरवी की जाये, वह जब 'अल्लाहु अकबर' कहे तो तुम भी 'अल्लाहु अकबर' कहो, वह जब सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो, और जब वह सर सज्दे से उठाये तो तुम भी सर उठाओ, और वह जब 'समिअ़ल्लाहु लिमन् हमिदह्' पढ़े तो तुम 'रब्बना व लकल्-हम्दु' पढ़ो, और वह जब बैठकर नमाज़ पढ़ाये तो तुम भी बैठकर ही नमाज़ अदा करो।

वज़ाहतः- बीमारी या किसी उज़्र की वजह से बैठकर नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम के मुक़्तदियों को खड़े होकर ही नमाज़ पढ़नी चाहिये, क्योंकि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मौत की बीमारी की हालत में बैठकर नमाज़ पढ़ाई थी और हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु और दूसरे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने आपके पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ी थी, लिहाज़ा आपका आख़िरी अ़मल पहले वाले हुक्म के लिये नासिख़ (निरस्त कर्ता) क़रार पाया।

हदीस 119. हज़रत उबैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अ़र्ज़ किया- आप मुझे रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बीमारी के वाक़िआत बताईये। उन्होंने फ़रमाया कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बीमार हुए तो सवाल किया- क्या लोग नमाज़ पढ़ चुके? हमने अ़र्ज़ किया जी नहीं, बल्कि वे आपके मुन्तज़िर हैं। आपने फ़रमाया कि मेरे लिये टप में पानी रखो। हमने पानी रखा तो आपने ग़ुस्ल फ़रमाया, उसके बाद चलना चाहा लेकिन आप पर ग़शी (बेहोशी) आ गयी, और जब सुकून हुआ तो फिर पूछा- क्या लोग नमाज़ पढ़ चुके? हमने अ़र्ज़ किया जी नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल! वे सब आपके मुन्तज़िर हैं। फ़रमाया कि मेरे लिये टप में पानी रखो, चुनाँचे हमने आपके हुक्म की तामील की और आपने ग़ुस्ल किया, फिर आप चलने के लिये तैयार हुए लेकिन आप पर दोबारा ग़शी तारी हो गयी और फिर होश में आने के बाद सवाल किया- क्या लोग नमाज़ पढ़ चुके? हमने अ़र्ज़ किया जी नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल! वे सब लोग आपका इन्तिज़ार कर रहे हैं, और उधर लोगों की हालत यह थी कि वे इशा की नमाज़ के लिये नबी

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के तशरीफ़ लाने के लिये मस्जिद में इन्तिज़ार कर रहे थे। आख़िर आपने एक आदमी से अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु को कहला भेजा कि आप नमाज़ पढ़ायें, चुनाँचे उस आदमी ने उनकी ख़िदमत में हाज़िर होकर कहा कि रहमते दो आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हुक्म दिया है कि आप लोगों को नमाज़ पढ़ायें।

हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु बहुत ही नरम दिल वाले थे (वह रोने लगे) इसी लिये उन्होंने उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से कहा कि ऐ उमर! आप नमाज़ पढ़ा दें। जिस पर उन्होंने जवाब दिया "जी नहीं आप ही इमामत के ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं और आप ही को नमाज़ पढ़ाने के लिये हुक्म दिया गया है"। चुनाँचे हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कई दिन नमाज़ पढ़ाई और उसी दौरान एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तबीयत ज़रा बेहतर हुई तो आप दो आदमियों का सहारा लेकर ज़ोहर की नमाज़ के लिये मस्जिद में तशरीफ़ ले आये। उन दो आदमियों में से एक हज़रत अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु थे (जो आपके चचा और दूसरे अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु थे)। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मस्जिद में उस वक़्त पहुँचे जब सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु नमाज़ पढ़ा रहे थे। उन्होंने जब आपकी मौजूदगी महसूस की तो पीछे हटना चाहा लेकिन आपने फ़रमाया कि पीछे न हटो और अपने साथ वालों से फ़रमाया कि मुझे अबू बक्र के बराबर में (बाईं तरफ़) बैठा दो। चुनाँचे उन दोनों ने आपको अबू बक्र सिद्दीक़ के बराबर बैठा दिया। हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बैठे-बैठे नमाज़ पढ़ने लगे और अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु खड़े-खड़े नमाज़ में रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पैरवी करने लगे, यानी रसूले अकरम इमाम और अबू बक्र सिद्दीक़ मुक़्तदी बन गये।

वज़ाहतः- रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का गुस्ल करना फिर मस्जिद जाने की इच्छा जताना और बार-बार बेहोश हो जाना यह सब बीमारी की ज़्यादती व सख़्ती की वजह से था। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने नमाज़ के लिये आपका इन्तिज़ार किया इससे साबित हुआ कि

इमाम के आने की उम्मीद हो तो उसका इन्तिज़ार करना चाहिये, बशर्ते कि नमाज़ का वक़्त बाक़ी हो, और इमाम मजबूरी की वजह से बैठकर नमाज़ पढ़ा रहा रहो तो मुक़्तदियों को खड़े होकर नमाज़ पढ़नी चाहिये।

हदीस 120. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक दिन रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने नमाज़ पढ़ाने के फ़ौरन ही बाद हमारी तरफ़ मुतवज्जह होकर फ़रमाया- ऐ लोगो! मैं तुम्हारा इमाम हूँ इसलिये मुझसे पहले रुकूअ़, सज्दा, क़ौमा न करो और सलाम न फेरो, मैं आगे और पीछे से तुमको देखता हूँ और क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, जो चीज़ें मैं देखता हूँ अगर तुम उन्हें देख लो तो हंसो कम और रोओ ज़्यादा। लोगों ने अ़र्ज़ किया- आपने क्या देखा है? इरशाद फ़रमाया- मैंने जन्नत और दोज़ख़ देखी है।

वज़ाहतः- मुक़्तदी पर वाजिब है कि वह नमाज़ में कोई काम (यानी रुकूअ़, सज्दा वग़ैरह) इमाम से पहले न करे वरना वह गुनाहगार होगा। नमाज़ की हालत में आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का पीछे देखना आपका मोजिज़ा था।

हदीस 121. हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो लोग नमाज़ में अपनी निगाहों को आसमान की तरफ़ उठाते हैं उनको इससे रुक जाना चाहिये वरना अन्देशा है कि उनकी निगाह वापस न आये।

हदीस 122. हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम लोग रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ नमाज़ पढ़ते तो नमाज़ के समापन पर 'अस्सलामु अ़लैकुम् व रहमतुल्लाहि' कहते हुए हाथ से इशारा भी करते थे, यह देखकर रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम्हें यह क्या हो गया है? तुम अपने हाथों से शरीर घोड़ों की दुमों की तरह इशारा क्यों करते हो? तुम में से जब कोई नमाज़ मुकम्मल करे तो अपने भाई की जानिब मुँह करके ज़बान से 'अस्सलामु अ़लैकुम् व रहमतुल्लाहि' कहे और हाथ से इशारा न करे।

वज़ाहतः- यानी नमाज़ में सलाम फेरते वक़्त हाथों को न उठाये।

हदीस 123. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- नमाज़ में मेरे क़रीब वे लोग खड़े हों जो अ़क्ल व शऊर के मालिक हों, उनके बाद दरमियानी दर्जे के लोग, फिर उनके बाद दूसरे लोग। साथ ही बाज़ारी फ़ितनों से तुम लोग परहेज़ करो।

वज़ाहतः- इस हदीस से मालूम हुआ कि इमाम के नज़दीक वे लोग खड़े हों जो अ़क्ल व शऊर वाले और दीनी एतिबार से अफ़ज़ल हों ताकि इमाम ज़रूरत के वक़्त किसी को अपनी जगह इमाम मुक़र्रर कर सके। इमाम से भूल-चूक हो जाये तो उसकी इस्लाह करने के अहल हों और नमाज़ की तरकीब सीखकर दूसरों को भी सिखा सकें। उनके बाद वे लोग खड़े हों जो इतनी ज़्यादा फ़ज़ीलत वाले न हों, और फिर उनके बाद दूसरे लोग खड़े हों। यह हुक्म सिर्फ़ नमाज़ के लिये ही ख़ास नहीं बल्कि हर मजलिस में फ़ज़्ल व कमाल वाले और अहले इल्म की इज़्ज़त के लिये है।

हदीस 124. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अपनी सफ़ों को दुरुस्त करो, क्योंकि सफ़ों को सीधा करने से नमाज़ की तकमील होती है।

हदीस 125. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- नमाज़ में सफ़ को दुरुस्त रखो क्योंकि सफ़ को सीधा रखना नमाज़ की ख़ूबसूरती में से है।

हदीस 126. हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हमारी सफ़ें इस तरह बराबर किया करते थे जिस तरह तीरों को बराबर करके रखा जाता है, और यह सिलसिला जारी रहा यहाँ तक कि आपने समझा कि हम लोग इस बात को आप से अच्छी तरह सीख चुके हैं। फिर एक दिन आप नमाज़ पढ़ाने के लिये तशरीफ़ लाये तो तकबीर कहने से पहले आपने एक आदमी देखा जिसका सीना सफ़ से बाहर निकला हुआ था तो आपने फ़रमाया- ऐ अल्लाह के बन्दो! तुम लोग ज़रूर बिज़्ज़रूर अपनी सफ़ें बराबर कर लो वरना अल्लाह तआ़ला तुम्हारे दरमियान इख़्तिलाफ़ डाल देगा।

वज़ाहतः- सफ़ों का दुरुस्त करना भी नमाज़ का एक हिस्सा है इसी लिये आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सफ़ें दुरुस्त करवाने में भरपूर तवज्जोह दिया करते थे।

हदीस 127. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने सहाबा किराम को पिछली सफ़ में देखा तो उनसे फ़रमाया- आगे बढ़ो और मेरी पैरवी करो ताकि तुम्हारे बाद वाले तुम्हारी पैरवी करें, जो लोग हमेशा पीछे हटते रहते हैं उनको अल्लाह तआ़ला पीछे कर देता है।

वज़ाहतः- नेक कामों में ताख़ीर (देरी) नहीं करनी चाहिये वरना जन्नत के दाख़िले में भी ताख़ीर हो सकती है।

हदीस 128. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर तुम्हें पहली सफ़ की फ़ज़ीलत मालूम होती तो उसमें शिर्कत के लिये क़ुर्आ़-अन्दाज़ी करते (यानी लॉटरी डालते)। मर्दों के लिये सफ़ों में सबसे बेहतर पहली सफ़ है और सबसे कम फ़ज़ीलत वाली आख़िरी सफ़ है। इसलिये मर्दों को मस्जिद जल्द आना चाहिये, औ़रतों के लिये सबसे कम फ़ज़ीलत वाली सफ़ पहली सफ़ है (जबकि मर्दों की सफ़ें उनके क़रीब हों) और बेहतरीन सफ़ आख़िरी सफ़ है (जो मर्दों से दूर हों)।

हदीस 129. हज़रत बिलाल बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब औ़रतें तुमसे इजाज़त माँगें तो उनको मस्जिद का सवाब हासिल करने से मना न करो।

हदीस 130. हज़रत ज़ैनब (पत्नी हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु) से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब कोई औ़रत मस्जिद जाये तो ख़ुशबू न लगाये।

वज़ाहतः- औ़रतों का बाज़ार और दावतों में ख़ुशबू लगाकर जाना भी फ़ितने का सबब हो सकता है इसलिये बाज़ार जाने और ख़ुशबू लगाने से बचें।

हदीस 131. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम छुपकर मक्का में अपने सहाबा किराम को नमाज़ पढ़ाते थे लेकिन आप नमाज़ में बुलन्द आवाज़ से क़ुरआन मजीद पढ़ते थे। जब मुश्रिक लोग क़ुरआन सुनते तो वे क़ुरआन और उसके नाज़िल करने वाले और उसको लाने वाले को बुरा कहते तो अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूले करीम से फ़रमाया—

तर्जुमाः- न तो तुम अपनी नमाज़ बहुत ऊँची आवाज़ से पढ़ो और न बिल्कुल पस्त आवाज़ में। (सूरः बनी इस्राईल 17, आयत 110)

वज़ाहतः- क़ुरआन मजीद की क़िराअत (पढ़ना) दरमियानी आवाज़ से नमाज़ में की जाये ताकि किसी को तकलीफ़ न हो, और इतनी आहिस्ता भी न हो कि मुक़्तदी क़िराअत की आवाज़ न सुन सकें और दुआ़ भी ऐसे ही करना चाहिये।

हदीस 132. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम एक दफ़ा नख़्ल (के मक़ाम) में अपने सहाबा को फ़जर की नमाज़ पढ़ा रहे थे। जिन्नात ने क़ुरआन मजीद सुना तो वे अपनी क़ौम के पास लौटकर गये और कहने लगे—

तर्जुमाः- (ऐ हमारी क़ौम के लोगो!) हमने एक अ़जीब क़ुरआन सुना जो सच्ची राह की तरफ़ ले जाता है। पस हम उस पर ईमान लाये और हम कभी भी अल्लाह के साथ शरीक न करेंगे। (सूरः अल्-जिन्न 72, आयत 1-2)

तब अल्लाह तआ़ला ने सूरः अलू-जिन्न (सूरत नम्बर 72) अपने नबी करीम पर उतारी।

हदीस 133. हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़जर की नमाज़ में सूरः 'क़ॉफ़ वल्-क़ुरआनिल्-मजीद' (सूरत नम्बर 50) जैसी और दूसरी रकअ़त में कुछ छोटी (सूरत) पढ़ते थे।

हदीस 134. हज़रत अबू बरज़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़जर की नमाज़ में साठ आयतों से लेकर सौ आयतों तक तिलावत फ़रमाते थे।

वज़ाहतः- फ़जर की नमाज़ में क़ुरआन मजीद की तिलावत ज़्यादा करनी चाहिये।

हदीस 135. हज़रत जुबैर बिन मुतअ़िम रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम (कभी कभी) सूरः तूर (सूरत नम्बर 52) मग़रिब की नमाज़ में तिलावत किया करते थे।

वज़ाहतः- कभी दूसरी सूरतें भी तिलावत करते थे।

हदीस 136. हज़रत बरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सफ़र में थे, आपने इशा की नमाज़ पढ़ाई तो एक रक्अ़त में सूरः 'वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि' (सूरत नम्बर 95) पढ़ी।

हदीस 137. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मुआ़ज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अ़न्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ते फिर घर आकर अपने मौहल्ले के लोगों की इमामत करते। एक रात वह रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ इशा की नमाज़ पढ़कर आये फिर अपनी क़ौम की इमामत की और सूरः ब-क़रह की तिलावत शुरू कर दी, एक शख़्स ने (सलाम फेर दिया और अकेले नमाज़ पढ़कर चला गया, लोगों ने उससे कहा तुम मुनाफ़िक़ हो गये हो, दरमियान में नमाज़ तोड़ दी) उसने कहा कि नहीं, अल्लाह की क़सम मैं मुनाफ़िक़ नहीं हूँ। मैं रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास जाऊँगा और आप से यह शिकायत करूँगा। फिर वह आपके पास आया और अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! हम दिन भर ऊँटों पर पानी लाते हैं और मुआ़ज़ आपके साथ इशा की नमाज़ पढ़कर आये फिर आकर हमारी इमामत की और सूरः ब-क़रह शुरू कर दी। यह सुनकर रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हज़रत मुआ़ज़ की तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़रमाया- ऐ मुआ़ज़! क्या तुम फ़ितना बरपा करना चाहते हो? नमाज़ में 'वश्शमूसि व ज़ुहाहा, वल्लैलि इज़ा यग़्शा, सब्बिहिस्-म रब्बिकल्-अअ़्ला' जैसी सूरतें पढ़ा करो।

वज़ाहतः- इस हदीस से कई बातें मालूम हुईः

1. नफ़िल पढ़ने वाले के पीछे फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ना जायज़ है क्योंकि

हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ फ़र्ज़ नमाज़ अदा कर चुके थे उनकी दूसरी नमाज़ नफ़िल हुई और क़ौम की फ़र्ज़।

2. उज़्र की वजह से नमाज़ का तोड़ना और इक़्तिदा को छोड़ देना दुरुस्त है।

3. मुक़्तदियों की रियायत के लिये नमाज़ को हल्का करना चाहिये।

हदीस 138. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सब लोगों से ज़्यादा हल्की और मुकम्मल नमाज़ पढ़ाते थे।

हदीस 139. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नमाज़ में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते जो अपनी माँ के साथ होता तो आप छोटी सूरत पढ़ाकर नमाज़ हल्की कर देते थे।

वज़ाहतः- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नमाज़ को जल्द ख़त्म कर देते ताकि औरत को तकलीफ़ न हो और बच्चा ज़्यादा न रोये। इमाम को मुक़्तदियों की रियायत करनी चाहिये और औरतों का मर्दों के साथ नमाज़ पढ़ना और बच्चों का मस्जिद में लेजाना भी दुरुस्त है।

हदीस 140. हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रुकूअ से सर उठाते तो मुक़्तदियों में से कोई भी अपनी पीठ सीधी न करता यहाँ तक कि रसूले करीम पूरी तरह खड़े हो जाते। इसी तरह मुक़्तदी सज्दे में न जाते यहाँ तक कि आप अपनी पेशानी (सज्दा करने के लिये) ज़मीन पर रखते। फिर सब लोग सज्दे में जाते थे।

वज़ाहतः- इमाम की पैरवी करनी चाहिये और नमाज़ में हर रुक्न को इमाम के बाद अदा करना चाहिये। इमाम से पहले कोई भी नमाज़ का रुक्न मसलन रुकूअ, सज्दा वग़ैरह करना जायज़ नहीं है।

हदीस 141. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब रुकूअ से सर उठाते तो

यह दुआ माँगतेः

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمٰوٰتِ وَمِلْءُ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءُ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ اَحَقُّ مَاقَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ. اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَآ اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

रब्बना लकल्-हम्दु मिल्उस्समावाति व मिल्उल्-अरज़ि व मा बैनहुमा व मिल्-अ मा शिअ्-त मिन् शैइन् बअ़्दु अहलिस्सना-इ वल्-मज्दि अहक्क़ु मा क़ालल्-अ़ब्दु व कुल्लुना ल-क अ़ब्दुन्। अल्लाहुम्-म ला मानि-अ़ लिमा अअ़्तै-त व ला मुअ़्ति-य लिमा मनअ़्-त व ला यन्फ़अु ज़ल्जद्दि मिन्कल्-जद्दु।

तर्जुमाः ऐ हमारे रब! आप ऐसी तारीफ़ के हक़दार हैं जिससे तमाम ज़मीन व आसमान भर जायें और उन दोनों के दरमियानी जगह भी भर जाये, उसके बाद जो चीज़ आप चाहें भर जाये। आप ही तारीफ़ और बुज़ुर्गी के लायक़ और बन्दे के क़ौल के सबसे ज़्यादा हक़दार हैं, और हम सब आपके बन्दे हैं। और ऐ अल्लाह! जो चीज़ आप अ़ता फ़रमायें वह कोई छीन नहीं सकता और जिससे आप कोई चीज़ ले लें उसे कोई दे नहीं सकता, और आपके मुक़ाबले में किसी कोशिश करने वाले की कोशिश फ़ायदेमन्द नहीं है।

हदीस 142. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने (वफ़ात की बीमारी में) अपने हुजरे का पर्दा उठाया। लोग हज़रत अबू बक्र के पीछे सफ़ बाँधे खड़े हुए थे, आपने फ़रमाया- लोगो! अब नुबुव्वत की ख़ुशख़बरी में से सिर्फ़ अच्छे ख़्वाब बाक़ी रह गये हैं जिन्हें मुसलमान देखे या उसे दिखाया जाये, और तुम्हें मालूम होना चाहिये कि मुझे रुकूअ़ और सज्दे में क़ुरआन पढ़ने से मना किया गया है। रुकूअ़ में तो अपने रब की बड़ाई बयान करो (यानी ''सुब्हा-न रब्बियल्-अज़ीम'' कहो) और सज्दे में दुआ की ख़ूब कोशिश करो, उम्मीद है कि तुम्हारी दुआ क़ुबूल होगी।

वज़ाहतः- नफ़्ली नमाज़ के सज्दे में भी कसरत से अ़रबी भाषा में

दुआयें माँगनी चाहियें।

हदीस 143. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बन्दा सज्दे में अपने परवर्दिगार से बहुत नज़दीक होता है, सज्दे में बहुत ज़्यादा दुआयें माँगा करो।

हदीस 144. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सज्दे में यह दुआ पढ़ते थे-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ ذَنْبِیْ كُلَّهٗ دِقَّهٗ وَجِلَّهٗ وَاَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ وَعَلَا نِيَتَهٗ وَسِرَّهٗ.

अल्लाहुम्मग़्फ़िर ली ज़म्बी कुल्लहू दिक़्क़हू व जिल्लहू व अव्व-लहू व आख़ि-रहू व अ़लानिय-तहू व सिर्रहू।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मेरे सब गुनाहों को बख़्श दीजिये कम हों या ज़्यादा, अव्वल हों या आख़िर, छुपे हों या ज़ाहिर हों।

हदीस 145. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि एक रात मैंने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को बिस्तर पर न पाया। मैं आप को तलाश करने लगी तो मेरा हाथ आपके तलवे पर पड़ा। उस वक़्त आप सज्दे में थे और आपके दोनों पाँव खड़े थे और आप यह दुआ पढ़ रहे थे-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لَآ اُحْصِیْ ثَنَآءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَآ اَثْنَيْتَ عَلٰی نَفْسِكَ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अऊ़ज़ु बि-क बिरिज़ा-क मिन् स-ख़ति-क व बिमुआ़फ़ाति-क मिन् अ़क़ूबति-क व अऊ़ज़ु बि-क मिन्-क ला उह्सी सनाअन् अ़लै-क अन्-त कमा अस्नै-त अ़ला नफ़्सि-क।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैं आपकी रज़ामन्दी के ज़रिये आपके गुस्से से आपकी पनाह में आता हूँ और आपकी माफ़ी की वुस्अ़त के ज़रिये से आपकी सज़ा से आपकी पनाह में आता हूँ और आप से डरकर आप ही की पनाह में आता हूँ। मैं आपकी तारीफ़ व सना ऐसी नहीं कर सकता जैसी तारीफ़ व सना आपने ख़ुद अपने लिये बयान की है।

हदीस 146. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले

अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम रुकूअ़ और सज्दे में यह दुआ़ पढ़ते थे-

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ.

सुब्बूहुन् क़ुद्दूसुन रब्बुल-मलाइ-कति वर्रूहि।

तर्जुमाः- बहुत ही तारीफ़ों और पाकी वाला वह रब है जो फ़रिश्तों और जिब्राईल का भी रब है।

हदीस 147. हज़रत रबीआ़ असलमी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं रात को रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास रहा करता और आपके पास वुज़ू और हाजत का पानी लाया करता, एक बार आपने फ़रमाया कि माँग क्या माँगता है। मैंने अ़र्ज़ किया कि मैं जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ। आपने फ़रमाया कि कुछ और? मैंने अ़र्ज़ किया बस यही। आपने फ़रमाया कि फिर सज्दों की कसरत (अधिकता) से (अपने मामले में) मेरी मदद करो।

वज़ाहतः- यानी फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ-साथ नवाफ़िल भी ख़ूब ज़्यादा पढ़ने चाहियें इससे अल्लाह तआ़ला की रज़ा हासिल होती है।

हदीस 148. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़ब्दुल्लाह बिन हारिस को देखा कि वह जूड़ा बाँधे हुए नमाज़ पढ़ रहे थे तो अ़ब्दुलाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने खड़े होकर वह जूड़ा खोलना शुरू कर दिया, जब वह नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो पूछा आपने मेरा सर क्यों छुआ? हज़रत इब्ने अ़ब्बास ने फ़रमाया कि मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना है- जो शख़्स बालों का जूड़ा बाँधकर नमाज़ पढ़े उसकी मिसाल उस शख़्स की तरह है जिसकी मुश्कें कसी हुई हों और वह नमाज़ पढ़ रहा हो।

वज़ाहतः- सर के बालों को इकट्ठा करके सर के पीछे बाँधने को जूड़ा कहते हैं जो मर्द जाहिलीयत के ज़माने में बाँधते थे।

हदीस 149. हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सज्दा करते तो हाथों को पहलुओं से दूर रखते यहाँ तक कि आपके पीछे से आपकी बग़लों की सफ़ेदी दिखाई देती।

वज़ाहतः- मालूम हुआ कि सज्दे में मर्दों को अपनी हथेलियाँ ज़मीन पर

रखनी चाहियें और कोहनियों को इस तरह उठायें कि पहलुओं (पस्लियों) से दूर रहें और पेट रानों से अलग रहे, इसमें ज़्यादा आ़जिज़ी और इन्किसारी है।

हदीस 150. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बरछी को गाड़ते और उसकी तरफ़ (मुँह करके) नमाज़ पढ़ते थे।

वज़ाहतः- खुली जगह पर नमाज़ी अपने सामने सुतरा रखे और उसकी तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़े। बतौर सुतरा रखने के लिये कोई और चीज़ न मिले तो सामने लकीर खींच ले यह लकीर भी सुतरा के क़ायम-मक़ाम है।

हदीस 151. हज़रत उमर बिन सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को एक कपड़े में नमाज़ पढ़ते हुए देखा। आप उसको लपेटे हुए थे और उसके दोनों किनारों को विपरीत दिशा में डाला हुआ था।

वज़ाहतः- इसका मतलब यह है कि कपड़े का जो किनारा दायें कन्धे पर हो उसको बायें हाथ के नीचे से लेकर जाये और जो बायें कन्धे पर हो उसको दायें हाथ के नीचे से ले जाये, फिर दोनों किनारों को मिलाकर सीने पर बाँध ले, यह उस वक़्त है जब नमाज़ी के पास सिर्फ़ एक ही कपड़ा हो, अगर ज़्यादा कपड़े हों तो फिर इस तरह नहीं करना चाहिये।

मस्जिदों और नमाज़ की जगह का बयान

हदीस 152. हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! ज़मीन में सबसे पहले कौनसी मस्जिद बनाई गयी है? आपने फ़रमाया कि मस्जिदे-हराम (यानी ख़ाना काबा), मैंने अ़र्ज़ किया उसके बाद कौनसी? आपने फ़रमाया फिर मस्जिदे-अक़्सा (यानी बैतुल-मुक़द्दस)। मैंने अ़र्ज़ किया इन दोनों मस्जिदों की तामीर के दरमियान कितने अ़रसे का फ़र्क़ है? आपने फ़रमाया चालीस साल का, और तुम्हें जहाँ नमाज़ का वक़्त आ जाये वहीं नमाज़ पढ़ लो तुम्हारे लिये वही जगह मस्जिद है।

वज़ाहतः- नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है मगर वह मक़ाम इससे अलग हैं जहाँ

नमाज़ पढ़ने की मनाही है जैसे क़ब्रिस्तान, नापाक जगह, ऊँटों का बाड़ा, आम रास्ता और हम्माम वग़ैरह।

हदीस 153. हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हमें दूसरे लोगों पर तीन बातों की वजह से फ़ज़ीलत अता की गयी है, हमारी सफ़ें फ़रिश्तों की सफ़ों की तरह बनाई गयीं और हमारे लिये सारी ज़मीन नमाज़ की जगह बना दी गयी है और जब पानी न मिले तो ज़मीन की मिट्टी हमको पाक करने वाली बना दी गयी है।

वज़ाहतः- जब पानी उपलब्ध न हो तो तयम्मुम करके पाक हो और नमाज़ पढ़े।

हदीस 154. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मुझे छह बातों की वजह से दूसरे अम्बिया पर फ़ज़ीलत दी गयी है, मुझे जवामिउल्-कलिम (जिसमें लफ़्ज़ थोड़े और मायने ज़्यादा हों) अता किये गये हैं और मेरा रौब व दबदबा दुश्मनों के दिलों में बैठाकर मेरी मदद की गयी है और मेरे लिये माले ग़नीमत को हलाल कर दिया गया है और मेरे लिये सारी ज़मीन नमाज़ की जगह बना दी गयी है और मैं तमाम मख़्लूक़ात की तरफ़ (रसूल बनाकर) भेजा गया हूँ और मेरे आने के साथ ही नुबुव्वत ख़त्म कर दी गयी है।

हदीस 155. हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हमने तक़रीबन 17 माह तक बैतुल-मुक़द्दस की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ी, फिर हमें काबा की तरफ़ रुख़ करने का हुक्म दिया गया।

हदीस 156. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मस्जिद बनने से पहले बकरियों के बाड़े में नमाज़ पढ़ा करते थे।

वज़ाहतः- हलाल जानवरों के बाड़े में नमाज़ पढ़ना जायज़ है बशर्ते कि नजासत (गन्दगी व नापाकी) न हो।

हदीस 157. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने रसूले करीम सल्लल्लाहु

अ़लैहि व सल्लम से एक गिरजा घर का ज़िक्र किया जिसको उन्होंने हब्शा में देखा था और उसमें तस्वीरें लगी हुई थीं। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उन लोगों का यही हाल था कि जब उनमें कोई नेक मर जाता था तो वो लोग उसकी क़ब्र को सज्दे की जगाह (स्थान) बना लेते और वहीं तस्वीर बनाते, यही लोग क़ियामत के दिन अल्लाह के नज़दीक बदतरीन मख़्लूक़ होंगे।

वज़ाहतः- क़ब्रों पर सज्दा करना और तस्वीरें बनाना मना है।

हदीस 158. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- यहूदियों और ईसाईयों पर अल्लाह तआ़ला की लानत हो कि उन्होंने अपने नबियों की क़ब्रों को सज्दे की जगह बना लिया।

हदीस 159. हज़रत जुन्दुब बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के इन्तिक़ाल से पाँच दिन पहले आपको यह फ़रमाते हुए सुना- मैं इस बात से बरी हूँ कि अल्लाह तआ़ला के सिवा तुम में से किसी को अपना दोस्त बनाऊँ क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने मुझे अपना दोस्त बनाया है जैसे इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को दोस्त बनाया था, और अगर मैं अपनी उम्मत में से किसी को अपना दोस्त बनाने वाला होता तो अबू बक्र को दोस्त बनाता। तुमसे पहले लोग अपने नबियों और नेक लोगों की क़ब्रों को सज्दा-गाह (सज्दे करने की जगह) बना लेते थे। ख़बरदार! कहीं तुम भी उनकी तरह क़ब्रों को सज्दे की जगह न बना लेना। मैं तुमको इससे मना करता हूँ।

हदीस 160. हज़रत उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स अल्लाह तआ़ला के लिये मस्जिद बनाये तो अल्लाह तआ़ला उसके लिये जन्नत में घर बनायेंगे।

वज़ाहतः- मस्जिदों की तामीर में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिये ताकि जन्नत में महल हासिल हो सकें।

हदीस 161. हज़रत अबूदर्दा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले

अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नमाज़ के लिये खड़े हुए, हमने सुना आप फ़रमा रहे थे 'अऊज़ु बिल्लाहि मिन्-क'।

तर्जुमाः- मैं अल्लाह की पनाह माँगता हूँ तुझ (इब्लीस) से।

फिर फ़रमाया 'अल्अ़नु-क बिलअ़्नतिल्लाहि'।

तर्जुमाः- मैं तुझ पर लानत करता हूँ जैसी अल्लाह ने तुझ पर लानत की।

तीन बार आपने इन्हीं कलिमात को दोहराया और फिर अपना हाथ बढ़ाया जैसे कोई चीज़ पकड़ रहे हों। जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो हमने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! आज हमने नमाज़ में आपको वो कलिमात कहते हुए सुना है जो पहले कभी नहीं सुने थे और हमने आपको अपना हाथ बढ़ाते हुए भी देखा है, आपने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला का दुश्मन इब्लीस मेरा मुँह जलाने के लिये अंगारे का एक शोला लेकर आया था तो मैंने तीन बार कहा- मैं अल्लाह की पनाह माँगता हूँ तुझ (इब्लीस) से, फिर मैंने कहा कि मैं तुझ पर लानत करता हूँ जैसे अल्लाह ने तुझ पर लानत की है। वह तीनों बार पीछे न हटा आख़िरकार मैंने उसे पकड़ने का इरादा किया। अल्लाह की क़सम अगर मुझे सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की दुआ़ का ख़्याल न होता तो मैं उसे पकड़कर सुबह तक बाँध देता और मदीना के बच्चे उसके साथ खेलते।

वज़ाहतः- हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने अल्लाह तआ़ला से यह दुआ़ की थी कि ऐ अल्लाह! मुझे ऐसी हुकूमत अ़ता फ़रमा जो मेरे बाद किसी को अ़ता न की जाये। अल्लाह तआ़ला ने आ़म मख़्लूक़ के साथ-साथ जिन्नात को भी उनके हुक्म के ताबे बना दिया था।

हदीस 162. हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे और अपनी नवासी उमामा बिन्ते ज़ैनब को जो अबुल-आ़स की बेटी थीं उन्हें उठाये हुए थे। क़ियाम (खड़े होने) की हालत में आप उन्हें उठा लेते और सज्दा करते वक़्त उनको ज़मीन पर बैठा देते थे।

वज़ाहतः- अगर किसी औ़रत का बच्चा रो रहा हो तो वह उसे गोद में

उठाकर नमाज़ पढ़ सकती है।

हदीस 163. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस बात से मना फ़रमाया कि आदमी नमाज़ की हालत में कोख (पेट के नीचे की जगह जहाँ हड्डी नहीं होती) पर हाथ रखे।

वज़ाहतः- नमाज़ के दौरान कोख पर हाथ रखने से मना करने की वजह यह है कि यह एक शैतानी, यहूदी, मग़रूर और घमण्डी लोगों का काम है। या अल्लाह! हमें इससे महफ़ूज़ रख।

हदीस 164. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने क़िब्ले की जानिब मस्जिद की दीवार में थूक (बलग़म) लगा हुआ देखा। आपने उसको खुरच डाला। फिर लोगों की तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़रमाया- जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़ रहा हो तो वह अपने सामने न थूके क्योंकि नमाज़ के वक़्त अल्लाह तआ़ला नमाज़ी के सामने होता है।

वज़ाहतः- अगर थूक ज़्यादा आ रहा हो तो कपड़े में थूककर उसे मसल दे और मस्जिद में थूकने से गुरेज़ करे।

हदीस 165. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब खाना सामने आये (और भूख तेज़ लगी हो) या पाख़ाना पेशाब ज़ोर से आ रहा हो तो नमाज़ नहीं होती (बल्कि पहले इन ज़रूरतों से फ़ारिग़ होना चाहिये)।

वज़ाहतः- नमाज़ में यक्सूई (ध्यान एक तरफ़ लगाना) इन्तिहाई ज़रूरी है इसी लिये पहले खाना खाने और पेशाब वग़ैरह से फ़ारिग़ होने का हुक्म दिया गया ताकि नमाज़ में ख़्यालात उनकी तरफ़ न जायें।

हदीस 166. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने (कच्ची) प्याज़ और लहसुन खाने से मना किया, फिर ज़्यादा ज़रूरत के तहत जब हमने खाया तो आपने फ़रमाया- जो कोई बदबूदार दरख़्त (प्याज़ और लहसुन) में से खाये वह हमारी मस्जिद में न आये इसलिये कि फ़रिश्तों को भी उससे तकलीफ़ होती

है जिससे आदमियों को तकलीफ़ होती है।

वज़ाहतः- प्याज़ और लहसुन के इस्तेमाल से रोकने की वजह सिर्फ़ मुँह में पैदा होने वाली बदबू है, क्योंकि बदबूदार चीज़ के इस्तेमाल से न सिर्फ़ इनसानों को तकलीफ़ होती है बल्कि फ़रिश्तों को भी बदबू नागवार है और उनको भी तकलीफ़ होती है। जब प्याज़ और लहसुन की बू का यह हाल है तो बदबूदार तम्बाकू या नस्वार के इस्तेमाल से भी फ़रिश्तों को यक़ीनन नफ़रत होगी।

हदीस 167. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स मस्जिद में अपनी गुमशुदा चीज़ का ऐलान कर रहा हो तो सुनने वाला कहे कि अल्लाह करे तेरी चीज़ न मिले, इसलिये कि मस्जिदें इसलिये नहीं बनाई गयी हैं।

वज़ाहतः- मस्जिद में आवाज़ें बुलन्द करना मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ है।

हदीस 168. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हमने रसूले पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ 'इज़स्समाउन्शक़्क़त्' (सूरः अत्तारिक़) और 'इक़रअ् बिस्मि रब्बि-क' (सूरः अल्-अ़लक़) में (सज्दे के मक़ाम पर पहुँचकर) सज्दा किया।

वज़ाहतः- 14 मक़ामात पर क़ुरआने करीम में सज्दे का हुक्म है उनमें से दो मक़ाम ऊपर दर्ज हुए भी हैं, लिहाज़ा यहाँ भी सज्दा-ए-तिलावत करें।

हदीस 169. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब तशह्हुद (अत्तहिय्यात) में बैठते तो बायाँ हाथ बायें घुटने पर रखते और दायाँ हाथ दायें घुटने पर रखकर सीधे हाथ की मुट्ठी बन्द करके शहादत की उंगली को बाहर निकाल लेते थे और शहादत की उंगली से इशारा करते थे।

वज़ाहतः- तशह्हुद (अत्तहिय्यात) में पढ़ने वाला दो गवाहियाँ देता है– "मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अ़लावा कोई माबूद नहीं है और बेशक मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं" इन

दोनों गवाहियों को लफ़्ज़ों में अदा करते वक़्त शहादत की उंगली को हिलाते हुए भी यही गवाही इशारे से देनी चाहिये।

हदीस 170. हज़रत सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को दायें और बायें सलाम फेरते देखा यहाँ तक कि आपके रुख़्सारों की सफ़ेदी मुझे दिखलाई देती थी।

वज़ाहतः- सलाम फेरते वक़्त चेहरा दायें और बायें ज़्यादा से ज़्यादा मोड़ना चाहिये। वैसे तो हर इबादत में इनसान का ज़ाती फ़ायदा भी है मगर नमाज़ एक हल्की वर्ज़िश भी है, ख़ास तौर पर ज़्यादा गर्दन मोड़ना गर्दन की बीमारियों का इलाज भी है।

हदीस 171. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम लोग रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नमाज़ का मुकम्मल होना बुलन्द आवाज़ से "अल्लाहु अकबर" की आवाज़ सुनकर पहचान लेते थे।

वज़ाहतः- फ़र्ज़ नमाज़ के बाद बुलन्द आवाज़ से "अल्लाहु अकबर" कहना मुस्तहब है। इसके बाद दूसरे ज़िक्र व दुआ़ कीजिये।

हदीस 172. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नमाज़ का सलाम फेरने के बाद यह ज़िक्र भी करते थे-

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

अल्लाहुम्-म अन्तस्सलामु व मिन्कस्सलामु तबारक्-त या ज़ल्जलालि वल्-इक्राम।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! आप सब ऐबों से पाक व सालिम हैं और आप ही से सलामती है, और ऐ बुज़ुर्गी और इज़्ज़त वाले! आप बड़ी बरकत वाले हैं।

हदीस 173. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हर नमाज़ के बाद यह ज़िक्र करते थे-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّآ اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَآءُ الْحَسَنُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरी-क लहू लहुल्-मुल्कु व लहुल्-हम्दु व हु-व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर। ला हौ-ल व ला क़ुव्व-त इल्ला बिल्लाहि ला इला-ह इल्लल्लाहु व ला नअ़बुदु इल्ला इय्याहु लहुन्निअ़्मतु व लहुल्-फ़ज़्लु व लहुस्सनाउल्-ह-सनु ला इला-ह इल्लल्लाहुल्-मुख़्लिसी-न लहुद्दी-न व लौ करिहल्-काफ़िरून।

तर्जुमाः- अल्लाह के अ़लावा कोई सच्चा माबूद नहीं है, वह अकेला है उसका कोई शरीक नहीं है, उसी की बादशाहत है, उसके लिये तमाम तारीफ़ें हैं और वह हर चीज़ पर क़ादिर है। नहीं है नेकी करने की ताक़त और गुनाह से बचने की क़ुव्वत मगर अल्लाह की की मदद से। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और हम सिर्फ़ उसी की इबादत करते हैं, उसकी ही नेमतें हैं उसी की ही फ़ज़ीलत है और उसी के लिये ही अच्छी तारीफ़ें हैं, उसके अ़लावा कोई माबूदे बरहक़ नहीं हम सिर्फ़ उसी की इबादत करने वाले हैं अगरचे काफ़िर इसे नापसन्द करें।

हदीस 174. हज़रत कअ़ब बिन अ़जरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- नमाज़ के बाद कुछ ऐसे अज़्कार जिन्हें पढ़ने वाला कभी (सवाब व बुलन्द दर्जों से) मेहरूम नहीं होता 33 बार 'सुब्हानल्लाहि' और 33 बार 'अल्हम्दु लिल्लाहि' और 34 बार 'अल्लाहु अकबर' कहना है।

हदीस 175. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स हर नमाज़ के बाद **"सुब्हानल्लाहि" "अल्हम्दु लिल्लाहि"** और **"अल्लाहु अकबर"** 33 बार कहे ये 99 कलिमात होंगे और एक बार यह पढ़े **"ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरी-क लहू लहुल्-मुल्कु व लहुल्-हम्दु व हु-व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर"**।

तर्जुमाः- अल्लाह के अ़लावा कोई भी इबादत के लायक़ नहीं, वह अकेला है उसका कोई शरीक नहीं, उसी की सल्तनत है और उसी के लिये सब तारीफ़ है, और वह हर चीज़ पर क़ादिर है।

यह पढ़ने वाले के तमाम गुनाह बख़्श दिये जाते हैं अगरचे वे समन्दर के झाग के बराबर ही क्यों न हों।

वज़ाहतः- तस्बीह (सुब्हानल्लाहि) और तहमीद (अल्हम्दु लिल्लाहि) को 33-33 बार और तकबीर (अल्लाहु अकबर) को 34 बार कहे और आख़िर में "ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरी-क लहू" को आख़िर तक पढ़ ले तो सब रिवायतों पर अ़मल हो जायेगा।

हदीस 176. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की इमामत में नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज़ियों में से एक शख़्स ने यह ज़िक्र किया-

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَّالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَّسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا.

तर्जुमाः- अल्लाह बहुत बड़ा है, सब बड़ाई उसी के लिये है और बहुत सारी तारीफ़ें उसी के लिये हैं, अल्लाह ही की पाकी है सुबह व शाम।

रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने पूछा कि किसने ये कलिमात कहे? तो लोगों में से एक शख़्स ने अ़र्ज़ किया कि मैंने ऐ अल्लाह के रसूल! तो आपने फ़रमाया- मुझे ताज्जुब हुआ कि इसके लिये आसमान के दरवाज़े खोले गये। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु आगे और बयान करते हैं कि जब से मैंने यह बात रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुनी मैंने इन कलिमात को कभी नहीं छोड़ा।

वज़ाहतः- यह दुआ हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद पढ़नी चाहिये।

हदीस 177. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक बार नमाज़ की तकबीर कही गयी और लोगों ने सफ़ें बाँध लीं। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम (अपने हुजरे से) निकले और अपने मक़ाम (नमाज़ पढ़ाने की जगह) पर आकर खड़े हुए। फिर हमें हाथ से इशारा किया कि अपनी जगह पर रहो और आप सफ़ से निकल गये और (जाकर) गुस्ल किया और फिर आप वापस आये तो सर से पानी टपक रहा

था, फिर सब को नमाज़ पढ़ाई।

वज़ाहतः- 'सुनन् दारे क़ुतनी' में यह हदीस तफ़सील के साथ आई है। आपने फ़रमाया कि मुझ पर गुस्ल फ़र्ज़ था जो मैं करना भूल गया था। इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि मुक़्तदियों को इमाम का इन्तिज़ार करना चाहिये और ज़रूरत के वक़्त इक़ामत (तकबीर) और तकबीर-ए-तहरीमा (नीयत बाँधने वाली तकबीर) के दरमियान बातचीत करना भी जायज़ है।

हदीस 178. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस शख़्स ने सूरज निकलने से पहले फ़जर की एक रक्अ़त पा ली उसने फ़जर की नमाज़ को पा लिया, और जिस शख़्स ने सूरज ग़ुरूब होने से पहले अ़सर की एक रक्अ़त पा ली उसने अ़सर की नमाज़ पा ली।

वज़ाहतः- किसी ने सुबह की नमाज़ की एक रक्अ़त सूरज के निकलने से पहले-पहले पढ़ ली और एक बाद में अदा की तो उसकी नमाज़ सही हुई, बातिल नहीं हुई। इसी तरह अ़सर की नमाज़ में भी सब का इत्तिफ़ाक़ है मगर यह मजबूरी की हालत में है, सुस्ती या किसी और वजह से देर करके नमाज़ पढ़ने वाले गुनाहगार होंगे।

हदीस 179. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अ़सर की नमाज़ पढ़ते, उस दौरान धूप आपके घर के सेहन में होती थी, अभी ऊपर न चढ़ी होती।

हदीस 180. हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में एक शख़्स हाज़िर हुआ और नमाज़ों के वक़्त पूछे, आपने उस वक़्त कोई जवाब न दिया। हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु बयान करते हैं कि आपने (दूसरे दिन) फ़जर का वक़्त शुरू होने (जब सेहरी का वक़्त ख़त्म होता है और सुबह सादिक़ का वक़्त शुरू हो जाता है) के फ़ौरन बाद फ़जर की नमाज़ पढ़ाई, उस वक़्त अंधेरे की वजह से लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। फिर सूरज ढल जाने के फ़ौरन बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई, फिर अभी सूरज बुलन्द था तो आपने अ़सर की नमाज़ पढ़ाई और सूरज ग़ुरूब

होने के बाद मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई, और शफ़क़ (सूरज छुपने के बाद आसमान की सुर्ख़ी) ग़ायब होने के फ़ौरन बाद इशा की नमाज़ पढ़ाई। फिर दूसरे दिन फ़जर की नमाज़ इस क़द्र देर से पढ़ाई कि नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद कहने वाले कह रहे थे कि सूरज निकलने वाला है। फिर ज़ोहर की नमाज़ पहले दिन के मुक़ाबले में अ़सर के क़रीब पढ़ाई, फिर अ़सर की नमाज़ इस क़द्र देर से पढ़ाई कि नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद कहने वाला कहता कि सूरज पीला पड़ गया है। फिर मग़रिब की नमाज़ इस क़द्र देर से पढ़ाई कि शफ़क़ (आसमान की सुर्ख़ी) डूबने के क़रीब हो गयी, और फिर इशा की नमाज़ तिहाई रात के वक़्त में पढ़ाई। फिर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उस शख़्स (जिसने नमाज़ों के वक़्तों के बारे में सवाल किया था) को बुलाकर फ़रमाया- इन दोनों वक़्तों के दरमियान नमाज़ का वक़्त है।

हदीस 181. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- दोज़ख़ ने कहा कि ऐ मेरे रब! मेरा एक हिस्सा दूसरे को खा रहा है, मुझे दो साँसों की इजाज़त दीजिये। तब अल्लाह तआ़ला ने उसे दो साँसों की इजाज़त दी, एक साँस सर्दी में और एक साँस गर्मी में। तुम जो सर्दी महसूस करते हो वह जहन्नम की साँस में से है और जो गर्मी महसूस करते हो वह भी जहन्नम की साँस में से है।

हदीस 182. हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ अ़सर की नमाज़ पढ़ते और फिर ऊँट ज़िबह होता और उसके दस हिस्से तक़सीम होते और वह पकाया जाता था और हम उसका पका हुआ गोश्त सूरज ग़ुरूब होने से पहले खा लेते थे।

वज़ाहतः- रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दौर में अ़सर की नमाज़ अव्वल वक़्त में पढ़ी जाती थी, हमें भी अ़सर की और बाक़ी नमाज़ें अव्वल वक़्त में पढ़नी चाहियें ताकि सुन्नत पर अ़मल हो सके।

हदीस 183. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं कि हम एक दिन इशा की नमाज़ के लिये आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का

इन्तिज़ार करते रहे। जब आप हमारी तरफ़ निकले तो तिहाई रात गुज़र चुकी थी। फिर आप निकले तो फ़रमाया कि तुम ऐसी नमाज़ का इन्तिज़ार कर रहे थे कि तुम्हारे सिवा कोई उसका इन्तिज़ार नहीं करता, अगर मेरी उम्मत पर दुश्वार न होता तो मैं हमेशा उनके साथ इसी वक़्त यह नमाज़ पढ़ता। फिर मुअज़्ज़िन को हुक्म फ़रमाया, उसने तकबीर कही और आपने नमाज़ पढ़ाई।

वज़ाहतः- इशा की नमाज़ देर करके पढ़ना मसनून है, बाक़ी तमाम नमाज़ें अव्वल वक़्त में पढ़ना मसनून हैं।

हदीस 184. हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इशा की नमाज़ देर करके पढ़ाया करते थे।

हदीस 185. हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम उस वक़्त क्या करोगे जब तुम्हारे ऊपर ऐसे हाकिम मुसल्लत हो जायेंगे जो नमाज़ आख़िर वक़्त में अदा करेंगे। मैंने अ़र्ज़ किया कि आप हमें (उस वक़्त के लिये) क्या हुक्म देते हैं? आपने फ़रमाया कि तुम अपने वक़्त पर नमाज़ अदा कर लेना, फिर अगर उनके साथ भी इत्तिफ़ाक़ हो तो दोबारा पढ़ लेना, पहली नमाज़ तुम्हारे लिये नफ़िल हो जायेगी।

वज़ाहतः- देर करने से मुराद अफ़ज़ल वक़्त से देर करना मुराद है, यानी जब इमाम अफ़ज़ल वक़्त से देर करे तो तुम अकेले पढ़ लो, फिर अगर जमाअ़त में जाना हो तो दोबारा अदा कर लो ताकि जमाअ़त में फूट न पड़े और फ़ितने की नौबत न आये।

हदीस 186. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ना अकेले नमाज़ पढ़ने से सत्ताईस दर्जे अफ़ज़ल है।

वज़ाहतः- जमाअ़त के साथ एक नमाज़ पढ़ने से सत्ताईस नमाज़ों का सवाब मिलता है।

हदीस 187. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि

रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि इशा और फ़जर की नमाज़ें मुनाफ़िक़ों पर सबसे ज़्यादा भारी हैं, अगर लोगों को इन दो नमाज़ों का अज्र मालूम हो जाये तो ये उनमें ज़रूर हाज़िर हों चाहे घुटनों के बल चलकर आना पड़े, और मैंने इरादा किया था कि किसी और शख़्स को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दूँ फिर चन्द लोगों के साथ लकड़ियों का गट्ठा लेकर उन लोगों के घरों में जाऊँ जो नमाज़ में हाज़िर नहीं होते और उनके घरों को आग लगा दूँ।

हदीस 188. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास एक नाबीना (अंधा) शख़्स आया और अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कोई मस्जिद तक लाने वाला नहीं है। उसने चाहा कि आप इजाज़त दें कि वह घर में नमाज़ पढ़ लिया करे। आपने उसे घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दी। फिर जब वह जाने लगा तो आपने उसे बुलाकर फ़रमाया- तुम अज़ान सुनते हो? उसने अ़र्ज़ किया कि "जी हाँ"। आपने फ़रमाया तुम मस्जिद में आया करो।

हदीस 189. हज़रत उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिसने इशा की नमाज़ जमाअ़त के साथ पढ़ी तो (ऐसा सवाब पायेगा) गोया वह आधी रात तक नफ़िल नमाज़ पढ़ता रहा, और जिसने सुबह की नमाज़ भी जमाअ़त के साथ पढ़ी तो वह गोया सारी रात नमाज़ पढ़ता रहा।

वज़ाहतः- इससे दोनों नमाज़ों को जमाअ़त से अदा करने का बराबर सवाब मालूम हुआ, गोया दोनों नमाज़ें जिसने जमाअ़त के साथ अदा कीं वह आराम से सोया भी और रात भर इबादत का सवाब भी पाया।

हदीस 190. हज़रत जुन्दुब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस आदमी ने सुबह की नमाज़ पढ़ी तो वह अल्लाह तआ़ला की हिफ़ाज़त में है, अगर कोई शख़्स इस महफ़ूज़ आदमी को तकलीफ़ पहुँचायेगा तो अल्लाह उसको जहन्नम में डालेगा।

हदीस 191. हज़रत इतबान बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने रसूले

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी बीनाई (आँखों की रोशनी) कमज़ोर हो गयी और मैं अपनी क़ौम की इमामत करता हूँ और जब बारिश होती है तो मेरे और उनके दरमियान नाला बहने लगता है, मैं उनकी मस्जिद में इमामत के लिये नहीं जा सकता। मेरी ख़्वाहिश है कि आप मेरे घर तशरीफ़ लायें और एक जगह (मेरे घर में) नमाज़ पढ़ायें ताकि मैं उसे नमाज़ की जगह मुक़र्रर कर लूँ। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इन्शा-अल्लाह मैं ऐसा ही करूँगा। फिर सुबह को रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु के साथ तशरीफ़ लाये और रसूले अकरम ने इजाज़त तलब की और मैंने आपको अन्दर बुला लिया और आप जब घर में दाख़िल हुए तो बैठने से पहले फ़रमाया- तुम किस जगह चाहते हो कि मैं वहाँ नमाज़ पढ़ूँ? उन्होंने मकान की एक दिशा में इशारा किया और रसूले करीम ने खड़े होकर "अल्लाहु अकबर" कहा और हम आपके पीछे खड़े हो गये, फिर आपने दो रक्अ़त नमाज़ पढ़ाकर सलाम फेरा और हमने आपको गोश्त का क़ीमा खिलाने के लिये रोक लिया। उस वक़्त हमारे मौहल्ले के लोग भी आ गये यहाँ तक कि कई आदमी घर में जमा हो गये। उनमें से एक शख़्स ने कहा कि मालिक बिन दुख़ुशन कहाँ है? किसी ने कहा वह तो मुनाफ़िक़ है। अल्लाह और उसके रसूल से मुहब्बत नहीं रखता। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि यह न कहो, क्या तुम नहीं जानते कि उसने महज़ अल्लाह तआ़ला की रज़ा के लिये "ला इला-ह इल्लल्लाहु" कहा है। लोगों ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ख़ूब जानते हैं। फिर एक शख़्स ने कहा कि हम उसकी तवज्जोह और ख़ैरख़्वाही मुनाफ़िक़ों के साथ देखते हैं। तब रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने उस शख़्स पर आग हराम कर दी है जिसने महज़ अल्लाह तआ़ला की रज़ा के लिये (कलिमा) "ला इला-ह इल्लल्लाहु" पढ़ा हो।

वज़ाहतः- इस हदीस से कई मसाईल मालूम हुए-

1. जब किसी से वायदा करें तो 'इन्शा-अल्लाह' कहें।

2. नेक लोगों की जगह पर नमाज़ अदा करें।

3. हर मुसलमान की दावत क़ुबूल करें, ख़ास तौर पर ग़रीब लोगों के घर ज़रूर जायें।

4. शरई उज़्र (मसलन बारिश, ख़ौफ़, बीमारी, तूफ़ान वग़ैरह) की वजह से जमाअ़त माफ़ हो जाती है मगर घर पर नमाज़ अदा करना ज़रूरी है।

5. इमाम और आ़लिम के साथ उसके साथी जा सकते हैं।

6. बाहर से आने वाले घर वाले से इजाज़त माँगें।

7. सबसे पहले दीन के काम शुरू करें मसलन पहले नमाज़ अदा करें।

8. दो रकअ़त नमाज़ सुन्नत या नफ़िल भी जमाअ़त के साथ अदा की जा सकती है।

9. मौहल्ले में जब कोई नेक शख़्स आये तो उससे मिलने के लिये जाना चाहिये।

10. किसी के बुरे ज़िक्र से लोगों को रोक देना चाहिये।

11. सच्चे दिल से "ला इला-ह इल्लल्लाहु" का कहने वाला हमेशा दोज़ख़ में न रहेगा।

हदीस 192. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाये, उस वक़्त घर में सिर्फ़ मैं, मेरी माँ और मेरी ख़ाला उम्मे हराम थीं। आपने फ़रमाया उठो मैं तुम्हें नमाज़ पढ़ाऊँ, उस वक़्त फ़र्ज़ नमाज़ का वक़्त न था। फिर आपने नमाज़ पढ़ाई और एक शख़्स ने हज़रत साबित रज़ियल्लाहु अ़न्हु से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत अनस को किस जगह खड़ा किया था? उन्होंने कहा कि आपने अपनी दाईं तरफ़। फिर हम सब घर वालों के लिये तमाम भलाईयों की दुआ़ की, चाहे दुनिया की हो या आख़िरत की। मेरी माँ ने अ़र्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल! यह आपका छोटा ख़ादिम है (यानी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु) आप इसके लिये दुआ़ फ़रमाईये। आपने मेरे लिये हर ख़ैर (भलाई) माँगी और आख़िर में यह दुआ़ की किः

اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهٗ وَوَلَدَهٗ وَبَارِكْ لَهٗ فِيْهِ.

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! इसके माल और औलाद में कसरत (अधिकता)

और बरकत पैदा फ़रमा।

वज़ाहतः- हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु के बारे में की हुई दोनों दुआयें क़ुबूल हो गयीं, उनके माल और औलाद में अल्लाह तआ़ला ने बेहिसाब बरकत अ़ता फ़रमाई थी।

हदीस 193. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- फ़रिश्ते तुम में से हर एक के लिये उस वक़्त तक यह दुआ़-ए-ख़ैर करते रहते हैं जब तक वह अपनी नमाज़ की जगह बैठा रहता है-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ.

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! इसको बख़्श दीजिए। ऐ अल्लाह! इस पर रहम कीजिए।

जब तक वह बेवुज़ू नहीं होता, और तुम में से हर एक नमाज़ ही में शुमार होता है जब तक वह नमाज़ के इन्तिज़ार में रहता है।

हदीस 194. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हमारे घर मस्जिद से दूर थे तो हमने चाहा कि अपने घरों को बेचकर मस्जिद के क़रीब घर ले लें, तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमें मना फ़रमा दिया और फ़रमाया कि तुम्हारे लिये हर क़दम के बदले एक दर्जा सवाब है।

हदीस 195. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो अपने घर में तहारत (वुज़ू) करे फिर अल्लाह तआ़ला के किसी घर यानी मस्जिद में कोई फ़रीज़ा अदा करने के लिये जाये तो उसके हर एक क़दम के बदले में एक गुनाह माफ़ और एक दर्जा बुलन्द होता है।

वज़ाहतः- आप भी गुनाहों को माफ़ करवाने और दर्जों की बुलन्दी के लिये बावुज़ू होकर मस्जिद में नमाज़ के लिये जाया करें।

हदीस 196. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स सुबह या शाम को मस्जिद में आता है अल्लाह ने उसकी हर सुबह और शाम

ज़ियाफ़त (मेहमान नवाज़ी) तैयार कर रखी है।

हदीस 197. हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सुबह की नमाज़ पढ़कर अपनी जगह पर बैठे रहते थे, जब तक सूरज अच्छी तरह न निकल आता।

वज़ाहतः- नमाज़ के बाद ज़िक्र करता रहे और सूरज निकलने के बाद दो रक्अ़त नमाज़ अदा करे तो एक हज और एक उमरे का सवाब मिलता है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 198. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला के नज़दीक सबसे पसन्दीदा जगह मस्जिदें हैं और सबसे बुरी जगह बाज़ार हैं।

हदीस 199. हज़रत अबू मसऊद अन्सारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इमामत वह करे जो क़ुरआन का इल्म ज़्यादा रखता हो चन्द मुसलमान अगर इल्म व क़ुरआन में बराबर हों तो जो सुन्नत का इल्म ज़्यादा रखता हो, अगर सुन्नत में बराबर हों तो जिसने पहले हिजरत की हो, अगर हिजरत में बराबर हों तो जो इस्लाम पहले लाया हो, और किसी की जगह में जाकर उसकी इमामत न करे और न उसके घर में उसकी जगह पर बैठे मगर उसकी इजाज़त से।

हदीस 200. हज़रत मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं और मेरा एक साथी रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में आये, फिर हमने आपके पास से वापस जाने का इरादा किया तो आपने हमें फ़रमाया- जब नमाज़ का वक़्त आये तो तुम अज़ान देना और तकबीर कहना और तुम में से जो बड़ा हो उसे अपना इमाम बना लेना।

वज़ाहतः- जब इल्म और हिजरत में तमाम लोग बराबर हों तो जो उम्र में बड़ा हो उसे इमाम बनाना चाहिये।

हदीस 201. हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम दौराने सफ़र रात के वक़्त पड़ाव करते तो अपनी दायीं करवट पर लेटते और अगर सुबह सादिक़ से कुछ देर पहले पड़ाव करते तो अपने बाज़ू को खड़ा करते और हथेली पर अपना

चेहरा रखते थे।

वज़ाहतः- आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बाज़ू को खड़ा करके हथेली पर अपना चेहरा इसलिये रखते थे ताकि गहरी नींद की वजह से फ़जर की नमाज़ फ़ौत न हो जाये।

मुसाफ़िर की नमाज़ का बयान

हदीस 202. हज़रत यअ़ला बिन उमैया रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से पूछा कि अल्लाह तआ़ला के इस फ़रमान का क्या मतलब है-

तर्जुमाः- इसमें कोई हर्ज नहीं कि तुम अपनी नमाज़ों में क़स्र करो जब तुम्हें काफ़िरों के फ़ितने का ख़ौफ़ हो। (सूरः अन्निसा 4, आयत 101)

अब लोग अमन में हो गये (यानी अब क़स्र की ज़रूरत नहीं), तो उन्होंने कहा कि मुझे भी इसी तरह ताज्जुब हुआ था जैसे तुमको ताज्जुब हुआ है तो मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से इस बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया कि यह अल्लाह तआ़ला ने तुमको सदक़ा दिया है लिहाज़ा उसका सदक़ा क़ुबूल करो।

वज़ाहतः- यह क़स्र की नमाज़ का हुक्म सिर्फ़ सफ़र के दौरान और जंग के दौरान है।

हदीस 203. हज़रत हफ़्स रहमतुल्लाहि अ़लैहि बयान करते हैं कि मैं एक बार बीमार हुआ और हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु मेरी बीमारी का हाल पूछने को आये, मैंने उनसे सफ़र में सुन्नतें पढ़ने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ सफ़र में रहा और कभी आपको सुन्नत पढ़ते नहीं देखा, अगर मुझे सुन्नत पढ़नी होती तो मैं फ़र्ज़ ही पूरे करता। और अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं-

तर्जुमाः- तुम्हारे लिये रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की सीरत एक बेहतरीन नमूना है। (सूरः अल्-मुम्तहिना 6, आयत 60)

हदीस 204. हज़रत नाफ़ेअ़ ने कहा कि एक आँधी और सर्दी वाली रात आई तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने नमाज़ की

अज़ान दी और कहा-

اَلَا صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ.

"अपने-अपने घरों में नमाज़ पढ़ लो" फिर कहा कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मुअज़्ज़िन को हुक्म दिया करते थे कि जब सर्दी और बारिश की रात हो तो अज़ान के बाद-

اَلَا صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ.

कह दिया करो "यानी घरों में ही नमाज़ पढ़ लो"।

वज़ाहतः- बारिश और आँधी की सूरत में जमाअ़त के साथ नमाज़ अदा करना ज़रूरी नहीं और अज़ान में मुअज़्ज़िन 'हय्-य अ़लस्सलाह' की जगह यह कलिमा 'अला सल्लू फ़िर्रिहालि' कहे।

हदीस 205. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मक्का से मदीना की तरफ़ आते हुए सवारी पर (नफ़िल) नमाज़ पढ़ते थे जिधर भी उसका मुँह होता। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि इसी मौक़े पर यह मुबारक आयत नाज़िल हुई-

فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ.

तर्जुमाः- तुम जिधर मुँह करो उधर ही अल्लाह का रुख़ है। (सूरः अल्-ब-क़रह 2, आयत 115)

वज़ाहतः- सवारी जैसे रेलगाड़ी वग़ैरह में भी नमाज़ पढ़ना जायज़ है चाहे उसका रुख़ किसी भी तरफ़ हो।

हदीस 206. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को जब सफ़र के लिये जाना होता तो मग़रिब और इशा की नमाज़ जमा करके पढ़ते थे।

वज़ाहतः- सफ़र में ज़ोहर और अ़सर का जमा करना जायज़ है चाहे ज़ोहर के वक़्त जमा करें या अ़सर के वक़्त, और इसी तरह मग़रिब और इशा का जमा करना भी जायज़ है, बेहतर यह है कि मग़रिब की नमाज़ के बाद इशा की नमाज़ भी पढ़ ले।

हदीस 207. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जब सफ़र में जल्दी होती तो ज़ोहर में इतनी देर करते कि अ़सर का अव्वल वक़्त आ जाता, फिर दोनों को जमा करते और मग़रिब में देर करते, जब शफ़क़ (आसमान की सुर्ख़ी) डूब जाती तो उसको इशा के साथ जमा करके पढ़ते।

वज़ाहतः- 'शफ़क़' वह सुर्ख़ी है जो सूरज डूबने के बाद आसमान पर ज़ाहिर होती है, उसके ख़त्म हो जाने के बाद इशा का वक़्त शुरू हो जाता है और मग़रिब का वक़्त ख़त्म हो जाता है। शफ़क़ तक़रीबन सूरज गुरूब होने के बाद आधे घन्टे तक रहती है, उस वक़्त के बाद मग़रिब की नमाज़ क़ज़ा शुमार होगी।

हदीस 208. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु बयान करते हैं कि कोई अपने अ़मल से शैतान को हिस्सा न दे, यह न समझे कि इमाम का नमाज़ के बाद सलाम फेरकर सिर्फ़ दायीं तरफ़ ही बैठना वाजिब है, मैंने अक्सर देखा है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सलाम फेरने के बाद बाईं तरफ़ भी बैठा करते थे।

वज़ाहतः- सलाम फेरने के बाद दायीं तरफ़ या बायीं तरफ़ इमाम का घूमकर बैठना जायज़ है, सिर्फ़ दायीं तरफ़ को ख़ास कर लेना सुन्नत के ख़िलाफ़ है जिससे शैतान ख़ुश होता है।

हदीस 209. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब फ़र्ज़ नमाज़ की तकबीर हो जाये तो फ़र्ज़ नमाज़ के अ़लावा कोई भी नमाज़ न पढ़ी जाये न सुन्नत और न ही नफ़िल।

वज़ाहतः- फ़र्ज़ नमाज़ की जमाअ़त हो रही हो तो उस दौरान अकेले नफ़िल नमाज़ या सुन्नतें पढ़ना जायज़ नहीं है बल्कि जमाअ़त के साथ शामिल होना ज़रूरी है।

हदीस 210. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सरजिस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स मस्जिद में आया और रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़जर की नमाज़ पढ़ा रहे थे। उस शख़्स ने मस्जिद के

एक कोने में दो रकअ़त सुन्नतें पढ़ीं फिर रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की इमामत में जमाअ़त में शरीक हो गया। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सलाम फेरने के बाद फ़रमाया- ऐ शख़्स! आपने कौनसी नमाज़ को फ़र्ज़ शुमार किया जो अकेले पढ़ी थी या जो हमारे साथ पढ़ी थी?

वज़ाहतः- जब जमाअ़त शुरू हो जाये तो फ़ौरन जमाअ़त में शरीक हो जाना चाहिये।

हदीस 211. हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब कोई मस्जिद में आये तो यह दुआ़ पढ़े-

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

अल्लाहुम्मफ़्तह् ली अब्वा-ब रह्मति-क।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मेरे लिये अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दीजिए।

और जब मस्जिद से निकले तो यह दुआ़ पढ़े-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अस्अलु-क मिन् फ़ज़्लि-क।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैं आप से आपका फ़ज़्ल माँगता हूँ।

हदीस 212. हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब कोई शख़्स सुबह बेदार होता (सोकर उठता) है तो उसके हर जोड़ पर सदक़ा वाजिब होता है, फिर फ़रमाया "सुब्हानल्लाह" कहना सदक़ा है, "अल्हम्दु लिल्लाह" कहना सदक़ा है और "ला इला-ह इल्लल्लाहु" कहना भी सदक़ा है, और अच्छी बात का हुक्म देना भी सदक़ा है और बुरी बात से रोकना भी सदक़ा है, और चाश्त की दो रकअ़तें नमाज़ पढ़ लेना इन सबसे किफ़ायत कर जाता है।

वज़ाहतः- चाश्त की नमाज़ सूरज निकलने के एक घन्टे बाद अदा की जाती है। उसकी कम से कम दो रकअ़त और ज़्यादा से ज़्यादा आठ रकअ़तें हैं।

हदीस 213. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- फ़जर की दो रक्अ़तें सुन्नत पढ़ना दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर हैं।

वज़ाहतः- एक और रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सुन्नतों में सबसे ज़्यादा पाबन्दी फ़जर की सुन्नतों की करते थे।

(बुख़ारी)

हदीस 214. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़जर की सुन्नतों में "क़ुल् या अय्युहल्-काफ़िरून" और "क़ुल् हुवल्लाहु अहद" की तिलावत फ़रमाई।

हदीस 215. हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिसने रात और दिन में बारह रक्अ़तें सुन्नतें पढ़ीं उसके लिये जन्नत में एक घर बनाया जायेगा।

हदीस 216. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम रात को तेरह रक्अ़तें (नमाज़े तहज्जुद) अदा करते, उनमें से पाँच रक्अ़तें वित्र होती थीं उन (वित्र नमाज़) के आख़िर में (अत्तहिय्यात में) बैठते थे।

वज़ाहतः- लेकिन ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तीन रक्अ़तें वित्र पढ़ते थे।

हदीस 217. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नमाज़ रमज़ान या ग़ैर-रमज़ान में रात के वक़्त तेरह रक्अ़त होती थी, उन ही में दो रक्अ़तें सुबह की सुन्नतें भी शामिल होती थीं।

हदीस 218. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की किसी उज़्र (मसलन बीमारी) की वजह से तहज्जुद की नमाज़ जब क़ज़ा हो जाती तो दिन में बारह रक्अ़त नमाज़ पढ़ लेते थे।

वज़ाहतः- दिन में बारह रक्अ़त नमाज़ नफ़िल पढ़ना नमाज़े तहज्जुद के बराबर है, अगर किसी की शरई उज़्र की वजह से तहज्जुद रह गयी हो।

हदीस 219. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस शख़्स से उसका कोई मामूल या कोई वज़ीफ़ा रह जाये और उसे वह फ़जर और ज़ोहर की नमाज़ के दरमियानी हिस्से में अदा कर ले तो उसके नामा-ए-आमाल में यह अ़मल ऐसे ही लिखा जायेगा जैसे उसने रात में ही अदा किया हो।

हदीस 220. हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया 'सलातुल्-अव्वाबीन' (नमाज़े अव्वाबीन) उस वक़्त अदा की जाये जिस वक़्त ऊँट के बच्चों के पैर गर्मी की वजह से जलने लगें।

वज़ाहतः- यह नमाज़ सूरज निकलने के तक़रीबन ढाई घँटे बाद छह रक्अ़तें अदा करनी चाहिये।

हदीस 221. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से जिस आदमी को इस बात का डर हो कि वह रात के आख़िरी हिस्से में न उठ सकेगा तो उसे चाहिये कि वित्र पढ़ ले फिर सो जाये, और जिस आदमी को रात को उठने का यक़ीन हो तो उसे चाहिये कि वह वित्र रात के आख़िरी हिस्से में पढ़े, क्योंकि रात के आख़िरी हिस्से में इबादत करना ऐसा है कि उसमें फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं और यह अफ़ज़ल वक़्त है।

हदीस 222. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा गया कि कौनसी नमाज़ ज़्यादा अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया- जिसमें लम्बा क़ियाम हो, यानी क़ुरआने करीम की तिलावत ज़्यादा हो।

हदीस 223. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- रात में एक घड़ी ऐसी है कि उस वक़्त जो मुसलमान अल्लाह तआ़ला से दुनिया और आख़िरत की जो भी भलाई माँगे तो अल्लाह तआ़ला उसको वह अ़ता फ़रमा देते हैं और यह घड़ी हर रात में होती है।

वज़ाहतः- कम से कम फ़जर की अज़ान से आधा घन्टा पहले उठकर

नमाज़े तहज्जुद अदा करना चाहिये और फिर फ़जर की नमाज़ अज़ान के होने के बाद अदा करें, इस तरह आराम में कम से कम ख़लल पड़ेगा।

हदीस 224. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक रात मैं अपनी ख़ाला मैमूना रज़ियल्लाहु अ़न्हा के पास रहा (ताकि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तहज्जुद की नमाज़ देखूँ) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम रात को उठे और इस्तिन्जे वग़ैरह की ज़रूरत पूरी करने गये, फिर अपना मुँह और हाथ धोये फिर सो गये, फिर दोबारा उठे और मशक (पानी का बर्तन) के पास आकर उसका बन्द खोला फिर वुज़ू किया लेकिन पानी बहाने में ज़्यादती नहीं की, फिर खड़े होकर नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी और मैं भी उठा और अंगड़ाई ली और वुज़ू करके आपकी बायीं तरफ़ खड़ा हुआ तो आपने मेरा हाथ पकड़कर घुमाकर अपनी दायीं तरफ़ खड़ा किया। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने रात की नमाज़ तेरह रक्अ़त पूरी की, फिर आप लेट गये और सो गये। फिर बिलाल रज़ियल्लाहु अ़न्हु आये और आपको फ़जर की नमाज़ के लिये आगाह किया, फिर आपने उठकर सुबह की सुन्नतें अदा कीं और आपकी दुआ़ में ये अलफ़ाज़ थे-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِیْ قَلْبِیْ نُوْرًا وَّفِیْ بَصَرِیْ نُوْرًا وَّفِیْ سَمْعِیْ نُوْرًا وَّعَنْ یَّمِیْنِیْ نُوْرًا
وَّاَعْظِمْ لِیْ نُوْرًا وَّعَصَبِیْ نُوْرًا وَّلَحْمِیْ نُوْرًا وَّدَمِیْ نُوْرًا وَّشَعْرِیْ نُوْرًا وَّبَشَرِیْ نُوْرًا.

अल्लाहुम्मज्अ़ल् फ़ी क़ल्बी नूरंव्-व फ़ी ब-सरी नूरंव्-व फ़ी समअ़ी नूरंव्-व अ़ंय्यमीनी नूरंव्-व अ़ंय्यसारी नूरंव्-व फ़ौक़ी नूरंव्-व तहती नूरंव्-व अमामी नूरंव्-व ख़ल्क़ी नूरंव्-व अअ़्ज़िम् ली नूरंव्-व अ़-सबी नूरंव्-व लहमी नूरंव्-व दमी नूरंव्-व शअ़्री नूरंव्-व ब-शरी नूरन्।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मेरे दिल में, मेरी आँखों में, मेरे कानों में, मेरे दायें, मेरे बायें, मेरे ऊपर, मेरे नीचे, मेरे लिये नूर ही नूर दीजिये, मेरे पट्ठे, मेरा गोश्त, मेरा ख़ून और मेरी खाल और बाल नूर से भर दीजिये।

हदीस 225. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब रात को नमाज़ शुरू करते तो

पहली दो रक्अ़त नमाज़ हल्की ही पढ़ते थे।

हदीस २२६. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से कोई रात को (नमाज़ के लिये) खड़ा हो तो उसे चाहिये कि वह अपनी नमाज़ को दो हल्की रक्अ़तों से शुरू करे।

हदीस २२७. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब रात को नमाज़ के लिये उठते तो यह पढ़ते थे-

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيَّامُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ لِقَاؤُكَ حَقٌّ وَّالْجَنَّةُ حَقٌّ وَّالنَّارُ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ حَقٌّ. اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِيْ مَاقَدَّمْتُ وَمَآ اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ. اَنْتَ اِلٰهِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ.

अल्लाहुम्-म लकल्-हम्दु अन्-त नूरुस्समावाति वल्-अर्ज़ि व लकल्-हम्दु अन्-त रब्बुस्समावाति वल्-अर्ज़ि व लकल्-हम्दु अन्-त क़य्यामुस्समावाति वल्-अर्ज़ि व मन् फ़ीहिन्-न, अन्तल्-हक़्क़ु व वअ़्दुकल्-हक़्क़ु व क़ौलुकल्-हक़्क़ु, लिक़ाउ-क हक़्क़ुन् वल्-जन्नतु हक़्क़ुन् वन्नारु हक़्क़ुन् वस्साअ़तु हक़्क़ुन। अल्लाहुम्-म ल-क अस्लम्-तु व बि-क आमन्तु व अ़लै-क तवक्कल्तु व इलै-क अनब्तु व बि-क ख़ासम्तु व इलै-क हाकम्तु फ़ग़्फ़िर् ली मा क़द्दम्तु व मा अख़्ख़र्तु व मा असर्रतु व मा अअ़्लन्तु, अन्-त इलाही ला इला-ह इल्ला अन्-त।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! सब ख़ूबियाँ आप ही के लिये हैं, आप आसमान और ज़मीन की रोशनी हैं, आप ही की तारीफ़ है, आप आसमान और ज़मीन के थामने वाले हैं, आप ही की तारीफ़ है, आप आसमान व ज़मीन

और जो कुछ उनमें हैं सब के पालने वाले हैं। आप सच्चे हैं, आपका वायदा सच्चा है, आपकी बात भी सच है, आपकी मुलाक़ात हक़ है, जन्नत हक़ है, दोज़ख़ हक़ है, क़ियामत हक़ है। ऐ अल्लाह करीम! मैं आपकी बात मानता हूँ आप ही पर ईमान लाता हूँ, आप ही पर भरोसा करता हूँ, आप ही की तरफ़ झुकता हूँ, आप ही की मदद से दूसरों (दुश्मनों) से लड़ता हूँ और आप ही से फ़ैसला चाहता हूँ। आप मेरे अगले-पिछले, छुपे-खुले गुनाहों को बख़्श दीजिये। ऐ अल्लाह! आप ही मेरे माबूदे बरहक़ हैं, आपके सिवा कोई माबूदे बरहक़ नहीं है।

हदीस 228. हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब रात को उठते तो अपनी नमाज़ के शुरू में यह दुआ पढ़ते-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ. اِهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

अल्लाहुम्-म रब्-ब जिब्री-ल व मीकाई-ल व इस्राफ़ी-ल फ़ातिरस्समावाति वल्-अर्ज़ि आ़लिमल्-ग़ैबि वश्शहादति अन्-त तह्कुमु बै-न अ़िबादि-क फ़ीमा कानू फ़ीहि यख़्तलिफ़ून। इह्दिनी लिमख़्तुलि-फ़ फ़ीहि मिनल्-हक़्क़ि बि-इज़्नि-क इन्न-क तहदी मन् तशा-उ इला सिरातिम् मुस्तक़ीम।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! जिब्रील, मीकाईल और इस्राफ़ील अ़लैहिमुस्सलाम के रब! आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, ज़ाहिर और पोशीदा के जानने वाले, आप ही अपने बन्दों में फ़ैसला करने वाले हैं जिसमें वे इख़्तिलाफ़ (झगड़ा) करते हैं। मुझे सीधी राह बताईये जिसमें लोग इख़्तिलाफ़ करते हैं। बेशक आप जिसे चाहें सीधी राह दिखा देते हैं।

हदीस 229. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से कोई शख़्स सो जाता है तो शैतान उसकी गुद्दी पर तीन गिरह लगाता है, हर

गिरह पर फूँक देता है कि अभी रात बहुत लम्बी है, जब कोई जागकर अल्लाह का ज़िक्र करता है तो एक गिरह खुल जाती है और जब वुज़ू करता है तो दूसरी गिरह खुल जाती है और जब मुकम्मल नमाज़ पढ़ लेता है तो तमाम गिरहें खुल जाती हैं, फिर वह सुबह को तरोताज़ा उठता है वरना सुबह को सुस्ती के साथ उठता है।

वज़ाहतः- तहज्जुद की पाबन्दी करने वाले अक्सर ख़ुश-मिज़ाज, पाक-साफ़ तबीयत के मालिक, नेक होते हैं, गोया यह भी उम्दा वर्ज़िश है कि बदन को फुर्तीला और तबीयत को तरोताज़ा करती है। इस हदीस में कई फ़ायदे मालूम हुए-

1. जागते ही अल्लाह का ज़िक्र करना। इस सिलसिले में बहुत सी दुआयें हैं।

2. जागने के बाद वुज़ू करना और नमाज़ पढ़ना।

3. इनसान पर शैतान का क़ब्ज़ा हो जाता है मगर अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र, वुज़ू और नमाज़ से वह ख़त्म हो जाता है।

हदीस 230. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उस घर की मिसाल जिसमें अल्लाह तआ़ला को याद किया जाता है और उस घर की मिसाल जिसमें अल्लाह तआ़ला को याद नहीं किया जाता ज़िन्दे और मुर्दे की तरह है।

हदीस 231. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब कोई शख़्स मस्जिद में नमाज़ पढ़े तो नमाज़ का कुछ हिस्सा (सुन्नतें या नवाफ़िल) अपने घर के लिये भी रखे, इसलिये कि अल्लाह तआ़ला उसकी नमाज़ से उसके घर में बेहतरी (बरकत) देगा। (इन्शा-अल्लाहुल्-अ़ज़ीज़)

हदीस 232. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अपने घरों को क़ब्रिस्तान न बनाओ, इसलिये कि शैतान उस घर से भाग जाता है जिस घर में सूरः ब-क़रह की तिलावत की जाती है।

वज़ाहतः- घर में क़ुरआन मजीद की ख़ूब ज़्यादा तिलावत करनी चाहिये

ताकि घर में ख़ैर व बरकत रहे और शैतान का असर ख़त्म हो जाये, आजकल आसेब, लड़ाई-झगड़े वग़ैरह की शिकायत घर में क़ुरआन की तिलावत न करने की वजह से ही होती है।

हदीस 233. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मस्जिद में दाख़िल हुए और एक रस्सी दो सुतूनों के दरमियान लटकी हुई देखी, आपने फ़रमाया- यह क्या है? सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने अ़र्ज़ किया- यह (रस्सी) हज़रत ज़ैनब की है वह नमाज़ पढ़ती हैं, जब उन्हें सुस्ती होती है या वह थक जाती हैं तो इस रस्सी को पकड़ लेती हैं। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इस (रस्सी) को खोल दो, तुम में से हर एक को नमाज़ अपने ताज़ा दम होने के वक़्त पढ़नी चाहिये, फिर जब सुस्ती या थकावट हो जाये तो बैठ जाये।

हदीस 234. हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाये, मेरे पास एक औ़रत बैठी हुई थी, आपने पूछा यह कौन है? मैंने कहा कि यह ऐसी औ़रत है जो सोती नहीं और नमाज़ पढ़ती रहती है। आपने फ़रमाया अ़मल उतना करो जितनी तुम में ताक़त हो। अल्लाह की क़सम अल्लाह सवाब देने से नहीं थकेगा और तुम अ़मल करते-करते थक जाओगे। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को वह इबादत पसन्द थी जो हमेशा की जाये।

हदीस 235. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से किसी आदमी को ऊँघ आ जाये तो उसे चाहिये कि वह सो जाये, यहाँ तक कि उसकी नींद पूरी हो जाये। इसलिये कि जब तुम में से किसी को नमाज़ की हालत में ऊँघ आती है तो हो सकता है कि वह इस्तिग़फ़ार करने के बजाय अपने आप ही को बुरा कहने लग जाये।

हदीस 236. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से कोई

रात को नमाज़ पढ़ रहा हो और क़ुरआन पढ़ते वक़्त वह अटकने लगे और न जान सके कि वह क्या पढ़ रहा है तो उसे चाहिये कि लेट जाये।

वज़ाहतः- जब किसी शख़्स को नींद आ रही हो तो पहले नींद पूरी करे फिर नमाज़ पढ़े, लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ का वक़्त निकल जाने का ख़तरा हो तो पहले नमाज़ पढ़े।

क़ुरआन मजीद की फ़ज़ीलत का बयान

हदीस 237. हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि क़ुरआन मजीद का ख़्याल रखो क्योंकि वह लोगों के सीनों में से उन चौपायों से ज़्यादा भागने वाला है जिनका एक पाँव बंधा हुआ हो, और रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से कोई यह न कहे कि मैं फ़ुलाँ-फ़ुलाँ आयत को बहुत भूल गया बल्कि वह यह कहे कि मुझे भुला दिया गया।

वज़ाहतः- "मुझे भुला दिया गया" से मुराद यह है कि शैतान ने मुझे भुला दिया।

हदीस 238. हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक सहाबी (उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अ़न्हु सूरः कहफ़ की तिलावत कर रहे थे, उस दौरान उनके पास उनका घोड़ा भी दो रस्सियों से बंधा हुआ था। अचानक उसे एक बादल ने ढाँप लिया और वह बादल उसके इर्द-गिर्द मंडराने लगा। उनका घोड़ा बिदकने लगा। सुबह उन्होंने यह वाक़िआ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में पेश किया तो आपने फ़रमाया- यह (बादल) सकीनत थी जो क़ुरआन मजीद की तिलावत की बरकत से नाज़िल हो रही थी।

वज़ाहतः- क़ुरआन करीम की इत्मीनान से तिलावत करने से अल्लाह तआ़ला की रहमतें नाज़िल होती हैं, आप भी ख़ूब ज़्यादा क़ुरआन पाक की तिलावत कीजिए।

हदीस 239. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स क़ुरआन मजीद

में माहिर हो वह उन फ़रिश्तों के साथ रहता है जो सम्मानित और बड़े रुतबे वाले हैं और (नामा-ए-आमाल) लिखते हैं, और जिस शख़्स को क़ुरआन मजीद पढ़ने में दुश्वारी होती है और अटक-अटक कर पढ़ता है उसको दोहरा अज्र मिलता है।

वज़ाहतः- पहला मर्तबा उस मुसलमान का है जो क़ुरआन की बहुत ज़्यादा तिलावत और उसके मायने पर ग़ौर व फ़िक्र में लगा रहता है, जिसको यह महारत हासिल होती है कि वह क़ुरआन की आयतों के मतलब और मायने, उनसे हासिल होने वाले मसाईल आसानी से बयान कर सकता है, उस शख़्स को यह इज़्ज़त दी जाती है कि उसे ऊँचे दर्जे के फ़रिश्तों का साथ अ़ता किया जाता है। दूसरा दर्जा उस मुसलमान का है जिसको महारत का यह मर्तबा तो हासिल नहीं होता लेकिन वह क़ुरआन मजीद की तिलावत में कोशाँ (प्रयासरत) रहता है और बावजूद सलाहियत की कमी के क़ुरआन मजीद से राब्ता (ताल्लुक़ व संपर्क) टूटने नहीं देता, इसी वजह से उसको दोहरा अज्र मिलता है।

हदीस 240. हज़रत उक़बा बिन आ़मिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये उस वक़्त हम सुफ़्फ़ा (चबूतरे) पर (बैठे हुए) थे। आपने फ़रमाया- तुम में से किसी शख़्स को यह पसन्द है कि वह हर दिन सुबह बतहान (मदीना की पथरीली ज़मीन) या अ़क़ीक़ (एक बाज़ार) जाये और वहाँ से बग़ैर किसी गुनाह और रिश्ता-तोड़ने के दो बड़े-बड़े कोहान वाली ऊँटनियाँ ले आये? हमने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! हम सब को यह बात पसन्द है। फिर आपने फ़रमाया- फिर तुम में से कोई शख़्स सुबह मस्जिद में क्यों नहीं जाता ताकि क़ुरआन मजीद की दो आयतें ख़ुद सीखे या किसी को सिखाये, और यह (दो आयतों की तालीम) दो ऊँटनियों (के हासिल होने) से बेहतर है और चार बेहतर हैं तीन से। इसी तरह आगे।

वज़ाहतः- इस हदीस में क़ुरआन मीजद की आयत को याद करने की तरग़ीब (शौक़ व रुचि दिलाई गयी) और मोटी-ताज़ी ऊँटनियों के साथ तश्बीह (मिसाल) दी है, इसकी वजह यह है कि अ़रब के लोगों के नज़दीक

ऊँटनियाँ बहुत क़ीमती और पसन्दीदा थीं और उनके बहुत से फ़ायदे और लाभ ऊँटनियों के साथ जुड़े हुए थे।

हदीस 241. हज़रत अबू उमामा बाहिली से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ुरआन मजीद की ख़ूब ज़्यादा तिलावत किया करो, क्योंकि वह क़ियामत के दिन अपने पढ़ने वालों की शफ़ाअ़त करेगा और दो रोशन सूरतों को पढ़ा करो (सूरः ब-क़रह और सूरः आले इमरान) क्योंकि वे क़ियामत के दिन इस तरह आयेंगी जिस तरह दो बादल हों या दो उड़ते हुए परिन्दों की क़तारें हों और वे अपने पढ़ने वालों की सिफ़ारिश करेंगी। सूरः ब-क़रह पढ़ा करो इसका पढ़ना बरकत का सबब है और न पढ़ना हसरत व अफ़सोस का सबब है। जादूगर इसके हासिल करने की हिम्मत व ताक़त नहीं रखते। यानी इसका तोड़ नहीं कर सकते।

हदीस 242. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक दिन जिब्रील अ़लैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास बैठे हुए थे। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक आवाज़ सुनी। आपने सर ऊपर उठाया, जिब्रील अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया यह आसमान का एक दरवाज़ा है जिसको सिर्फ़ आज ही खोला गया और आज से पहले कभी नहीं खोला गया, फिर उससे एक फ़रिश्ता नाज़िल हुआ, जिब्रील अ़लैहिस्सलाम ने बताया कि यह फ़रिश्जा जो आज नाज़िल हुआ यह आज से पहले कभी नाज़िल नहीं हुआ। उस फ़रिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को सलाम किया और कहा आपको उन दो नूरों की ख़ुशख़बरी हो जो सिर्फ़ आपको दिये गये हैं और आप से पहले किसी भी नबी को नहीं दिये गये- एक सूरः फ़ातिहा और दूसरा सूरः ब-क़रह का आख़िरी हिस्सा। आप उनमें से जो हर्फ़ भी पढ़ेंगे आपको उसका बहुत बड़ा अज्र मिल जायेगा।

हदीस 243. हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स रात को सूरः ब-क़रह की आख़िरी दो आयतें पढ़ ले वे उसको (हर

नागहानी आफ़त, शैतान के फ़ितना डालने से) काफ़ी होंगी।

हदीस 244. हज़रत अबूदर्दा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स सूरः कहफ़ की पहली दा आयतें हिफ़्ज़ करे उसे दज्जाल के फ़ितने से महफ़ूज़ कर लिया जायेगा।

हदीस 245. हज़रत उबई बिन कअ़ब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ अबुल-मुन्ज़िर (यह उबई बिन कअ़ब रज़ियल्लाहु अ़न्हु की कुन्नियत है) क्या तुम जानते हो कि किताबुल्लाह की सबसे अ़ज़ीम आयत कौनसी है। मैंने कहा- "अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं"। आपने दोबारा फ़रमाया- तुम्हारे नज़दीक किताबुल्लाह की सबसे अ़ज़ीम आयत कौनसी है? मैंने अ़र्ज़ किया-

اَللّٰهُ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ،اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ.

(यानी आयतुल्-कुर्सी, जो सूरः ब-क़रह की आयत नम्बर 255 है)

आपने मेरे सीने पर हाथ मारा और फ़रमाया- ऐ अबुल-मुन्ज़िर तुम्हें यह इल्म मुबारक हो।

वज़ाहतः- आयतुल्-कुर्सी सबसे अफ़ज़ल है इसलिये कि इस एक आयत में सत्रह मर्तबा अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र है और किसी आयत में अल्लाह तआ़ला का इतनी बार ज़िक्र नहीं है, इसे हर नमाज़ के बाद पढ़ने वाला सीधा जन्नत में जायेगा, और जिस माल पर इसे पढ़ा जाये उसे कोई चोर डाकू चुरा नहीं सकता।

हदीस 246. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक शख़्स को लश्कर का अमीर (सरदार) बनाकर भेजा, वह अपने साथियों की इमामत करते और हर सूरत के बाद "क़ुल् हुवल्लाहु अहद्" की तिलावत करते थे। जब लश्कर वापस आया तो लोगों ने इस बात का नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से ज़िक्र किया, आपने फ़रमाया कि उस शख़्स से पूछो वह ऐसा क्यों करता था? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा चूँकि इस सूरत में रहमान की

सिफ़त है इसलिये मैं इसकी तिलावत को महबूब रखता हूँ। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उससे कह दो कि अल्लाह तआ़ला भी उससे मुहब्बत करता है।

हदीस 247. हज़रत उक़बा बिन आ़मिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क्या तुम्हें मालूम है कि आज रात ऐसी आयतें नाज़िल हुई हैं कि उन जैसी आयतें कभी नहीं नाज़िल हुईं। वो-

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.

(सूरत नम्बर 113) और

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ.

(सूरत नम्बर 114) हैं।

वज़ाहतः- नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बीमारी की हालत में ये दोनों सूरतें पढ़कर अपने ऊपर फूँकते थे। ये बेहतरीन दम और इलाज भी हैं।

हदीस 248. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला इस क़ुरआन मजीद से कुछ लोगों को (जो इसे पढ़कर इस पर अ़मल करते हैं) इ़ज़्ज़त देता है और कुछ लोगों को (जो इस पर अ़मल नहीं करते) ज़िल्लत में मुब्तला कर देता है।

नमाज़ के मम्नूअ़ वक़्तों का बयान

हदीस 249. हज़रत उक़बा बिन आ़मिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हमें तीन वक़्तों में नमाज़ पढ़ने और मय्यितों को दफ़्न करने से मना करते थे। एक सूरज निकलने के वक़्त जब तक वह बुलन्द न हो जाये, दूसरे ठीक दोपहर के वक़्त जब तक कि ज़वाल न हो जाये, तीसरे सूरज ग़ुरूब होने के वक़्त जब तक कि वह मुकम्मल ग़ुरूब न हो जाये।

हदीस 250. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है

कि मदीना में जब मुअज़्ज़िन मग़रिब की अज़ान देता तो हम लोग सुतूनों की आड़ में होकर दो रक्अ़त नमाज़ पढ़ते थे यहाँ तक कि अगर कोई नया आदमी मस्जिद में आता तो बहुत ज़्यादा (सुन्नत) नमाज़ पढ़ने की वजह से यह समझता कि (फ़र्ज़) नमाज़ हो चुकी है।

वज़ाहतः- मग़रिब की अज़ान के बाद और जमाअ़त से पहले दो रक्अ़त नमाज़ सुन्नत पढ़ना मुस्तहब है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है।

हदीस 251. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हर अज़ान और तकबीर के दरमियान नमाज़ है। आपने ये कलिमात तीन मर्तबा दोहराये, चौथी बार फ़रमाया "जिसका दिल चाहे"।

नमाज़े ख़ौफ़ का बयान

हदीस 252. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ख़ौफ़ के वक़्त (मुजाहिदीन की दो जमाअ़तें बनायीं और) एक जमाअ़त के साथ एक रक्अ़त पढ़ी जबकि दूसरी जमाअ़त दुश्मन के सामने थी, (एक रक्अ़त पढ़ने के बाद) वह जमाअ़त जाकर दुश्मन के सामने खड़ी हो गयी जहाँ पहले उनके साथी खड़े हुए थे, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उस दूसरी जमाअ़त को एक रक्अ़त पढ़ाई और आपने सलाम फेर दिया, फिर हर एक जमाअ़त ने अलग-अलग एक-एक रक्अ़त पढ़ी।

वज़ाहतः- नमाज़े ख़ौफ़ के कई तरीक़े मुबारक हदीसों में आये हैं, उनमें से एक तरीक़ा यह है जो ऊपर बयान किया गया। (अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः अल्-ब-क़रह 2, आयत 239, सूरः अन्निसा 4, आयत 101)

जुमा का बयान

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सबसे अफ़ज़ल दिन जुमा है, इसी दिन हज़रत आदम की पैदाईश हुई, इसी दिन सूर फूँका

जायेगा, इसी दिन क़ियामत होगी। इस दिन मुझ पर ख़ूब ज़्यादा दुरूद पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। इसी दिन हश्र होगा, इसी दिन हिसाब होगा, इस दिन के आख़िर में एक घड़ी ऐसी है जिसमें बन्दा अल्लाह तआ़ला से जो दुआ़ करे वह क़ुबूल हो जाती है।

हदीस 253. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि जुमा पढ़ने के लिये लोग अपने घरों और बुलन्दी वाली जगहों से ऐसे कपड़े पहने हुए आते थे कि उन पर गर्द व ग़ुबार पड़ी हुई होती थी और उनसे बदबू भी आती थी, उनमें से एक आदमी रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आया हालाँकि आप मेरे पास थे, तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- काश कि आज के दिन के लिये तुम ज़्यादा पाकी हासिल करते (यानी नहा-धोकर साफ़ होते)।

हदीस 254. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस बेहतरीन दिन में सूरज निकलता है वह जुमे का दिन है, इसी दिन आदम अ़लैहिस्सलाम की पैदाईश हुई, इसी दिन आदम अ़लैहिस्सलाम जन्नत में दाख़िल किये गये, इसी दिन वह जन्नत से निकाले गये और क़ियामत भी जुमे के दिन क़ायम होगी।

हदीस 255. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी ग़ुस्ल करे फिर जुमा (की नमाज़) पढ़ने के लिये आये तो जितनी नमाज़ (ख़ुतबे से पहले) उसके लिये मुक़द्दर थी उसने पढ़ी, फिर वह ख़ामोश बैठा रहा यहाँ तक कि इमाम अपने ख़ुतबे से फ़ारिग़ हो गया। फिर इमाम के साथ नमाज़ पढ़ी तो उसके एक जुमे से दूसरे जुमे के दरमियान के सारे गुनाह माफ़ कर दिये गये और मज़ीद तीन दिनों के गुनाह भी माफ़ कर दिये गये।

हदीस 256. हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ जुमे की नमाज़ पढ़कर जब वापस लौटते थे तो दीवारों का साया नहीं होता था जिसकी आड़ में हम साया हासिल कर सकते।

वज़ाहतः- जुमे की नमाज़ अव्वल वक़्त में सूरज के ढलने के फ़ौरन बाद जल्दी पढ़नी चाहिये।

हदीस 257. हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम (जुमा के दिन) दो ख़ुतबे देते और उनके दरमियान आप बैठते थे। ख़ुतबे में आप क़ुरआन मजीद पढ़ते और लोगों को नसीहत करते थे।

वज़ाहतः- जुमा के दिन दोनों ख़ुतबों के दरमियान में बैठना और खड़े होकर लोगों को नसीहत करना मस्नून है।

हदीस 258. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मिम्बर पर फ़रमा रहे थे- जुमा छोड़ने से लोग बाज़ आ जायें वरना अल्लाह उनके दिलों पर मोहर लगा देगा और वे ग़ाफ़िलों में से हो जायेंगे।

वज़ाहतः- 'ग़ाफ़िलीन' के बुरे अन्जाम के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः अल्-आराफ़ 7, आयत 179।

हदीस 259. हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी। आपकी नमाज़ दरमियानी (बीच के दर्जे की) होती थी और आपका ख़ुतबा भी दरमियाना होता था।

हदीस 260. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब ख़ुतबा देते तो आपकी आँखें सुर्ख़ हो जातीं, आवाज़ बुलन्द होती और जोश ज़्यादा होता और यूँ लगता जैसे आप किसी ऐसे लश्कर से डरा रहे हों जो सुबह या शाम में हमला करने वाला हो, और फ़रमाते कि मैं और क़ियामत इन दो उंगलियों की तरह हैं, फिर आप शहादत की और दरमियानी उंगली को मिलाते और अल्लाह की तारीफ़ व सना के बाद फ़रमाते- याद रखो! बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है और बेहतरीन (क़ाबिले नक़ल) सीरत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की सीरत है, और बदतरीन काम इबादत के नये तरीक़े हैं और इबादत का हर नया तरीक़ा गुमराही है। फिर फ़रमाते कि

हर मोमिन की जान पर तसर्रुफ़ (इख़्तियार चलाने) में सबसे ज़्यादा मैं मुस्तहिक़ हूँ जिस शख़्स ने माल छोड़ा वह उसके वारिसों का है और जिसने क़र्ज़ या बाल-बच्चों को छोड़ा वह मेरे ज़िम्मे हैं।

हदीस 261. हज़रत उमरा बिन्ते अ़ब्दुर्रहमान की बहन बयान करती हैं कि मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुनकर सूरः क़ॉफ़ (सूरत नम्बर 50) याद की। आप उसे अक्सर जुमा को मिम्बर पर पढ़ा करते थे।

वज़ाहतः- इस मुबारक सूरत में क़ियामत की हौलनाकियों (डरावने हालात) का तज़किरा है जिसे पढ़कर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नसीहत फ़रमाया करते थे।

हदीस 262. हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जुमा और ईदैन की नमाज़ में सूरः 'अल्-अअ़्ला' (सब्बिहिस्-म रब्बिकल्-अअ़्ला) और सूरः 'अल्-ग़ाशियह्' (हल् अता-क हदीसुल्-ग़ाशियह्) की तिलावत करते थे, और अगर जुमा और ईद एक दिन में जमा हो जाते तब भी दोनों नमाज़ों में इन्हीं सूरतों की तिलावत करते थे।

हदीस 263. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जुमा के दिन फ़जर की नमाज़ में सूरः अस्सज्दा (सूरत नम्बर 32) और सूरः अद्दहर (सूरत नम्बर 76) की तिलावत करते थे, और नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नमाज़े जुमा में सूरः अल्-जुमा (सूरत नम्बर 62) और सूरः अल्-मुनाफ़िक़ून (सूरत नम्बर 63) की तिलावत करते थे।

वज़ाहतः- नमाज़े जुमा में ज़्यादातर सूरः अल्-अअ़्ला (सूरत नम्बर 87) और सूरः अल्-ग़ाशियह् (सूरत नम्बर 88) की और कभी-कभी सूरः अल्-जुमा (सूरत नम्बर 62) और सूरः अल्-मुनाफ़िक़ून (सूरत नम्बर 63) की तिलावत फ़रमाते।

हदीस 264. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से जो शख़्स

नमाज़े जुमा के बाद (सुन्नत) नमाज़ पढ़े वह चार रक्अ़त पढ़े।

हदीस 265. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नमाज़े जुमा के बाद दो रक्अ़त नमाज़ पढ़ते थे।

वज़ाहतः- जुमा की नमाज़ के बाद दो रक्अ़त सुन्नतें भी पढ़ना जायज़ हैं और चार रक्अ़त भी मस्नून हैं, अगर मस्जिद में पढ़े तो चार रक्अ़तें और घर में पढ़े तो दो रक्अ़तें।

ईदैन की नमाज़ों का बयान

ईद का लफ़्ज़ औ़द से निकला है जिसके मायने लौटने के हैं। क्योंकि यह दिन मुसलमानों पर हर साल लौटकर आता है इसलिये इसको "ईद" कहते हैं।

हदीस 266. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ ईद के दिन नमाज़ के लिये हाज़िर हुआ तो आपने अज़ान और तकबीर के बग़ैर नमाज़ पढ़ाई। ख़ुतबे से पहले बिलाल रज़ियल्लाहु अ़न्हु से टेक लगाकर खड़े हो गये। अल्लाह तआ़ला से डरने का हुक्म दिया और उसकी इताअ़त की तरग़ीब दी और लोगों को वअ़ज़ व नसीहत की, फिर औ़रतों के पास जाकर उनको वअ़ज़ व नसीहत की और फ़रमाया- सदक़ा करो क्योंकि तुम में से अक्सर जहन्नम का ईंधन हैं। औ़रतों के बीच में से एक औ़रत ने खड़े होकर अ़र्ज़ किया "क्यों?" रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क्योंकि तुम शिकवा ज़्यादा करती हो और शौहर की नाशुक्री भी। औ़रतों ने अपने ज़ेवरों को सदक़ा करना शुरू कर दिया, बिलाल रज़ियल्लाहु अ़न्हु के कपड़े में अपनी बालियाँ और अंगूठियाँ डालने लगीं।

हदीस 267. हज़रत अबू वाक़िद लैसी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ईद की नमाज़ों में सूरः क़ॉफ़ (सूरत नम्बर 50) और सूरः क़मर (सूरत नम्बर 54) की तिलावत करते थे।

इस्तिस्क़ा की नमाज़ का बयान

वज़ाहतः- इस्तिस्क़ा के मायने हैं पानी तलब करना, और शरीअ़त की इस्तिलाह (परिभाषा) में इसके मायने हैं अल्लाह से दुआ़ करना कि वह अपने बन्दों पर बारिश नाज़िल फ़रमाये। इस्तिस्क़ा की तीन सूरतें हैं-

1. जुमे के ख़ुतबे के दौरान बारिश की दुआ़ माँगना।
2. दो रक्अ़त नमाज़ पढ़कर बारिश की दुआ़ माँगना।
3. सिर्फ़ बारिश की दुआ़ माँगना और तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हुए सदक़ा देना।

हदीस 268. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ईदगाह गये, बारिश की दुआ़ माँगी और क़िब्ले की तरफ़ रुख़ करके चादर पलट दी।

वज़ाहतः- चादर इसलिये पलटी ताकि अल्लाह तआ़ला इस तरह हालात तब्दील फ़रमा दें, यानी क़हत-साली (सूखे की हालत) को ख़ुशहाली में बदल दें।

हदीस 269. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ थे कि बारिश शुरू हो गयी। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपनी चादर खोल दी यहाँ तक कि आपके जिस्म मुबारक पर बारिश का पानी पहुँचा। हमने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! आपने ऐसा क्यों किया? रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क्योंकि यह अल्लाह तआ़ला की ताज़ा नेमत है।

हदीस 270. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि जिस दिन आँधी आती या आसमान पर बादल होते तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का चेहरा ख़ौफ़ से बदल जाता, आप (घबराहट से) कभी अन्दर जाते कभी बाहर आते, फिर अगर बारिश हो जाती तो आपका ख़ौफ़ दूर हो जाता और आप ख़ुश हो जाते। मैंने इसका सबब पूछा तो आपने फ़रमाया कि मैं इसलिये ख़ौफ़ज़दा (डरा हुआ) होता हूँ कि कहीं अल्लाह

तआ़ला ने मेरी उम्मत पर अ़ज़ाब न भेज दिया हो, और बारिश को देखकर फ़रमाते यह अल्लाह तआ़ला की रहमत है।

वज़ाहतः- एक रिवायत में है कि क़ौमे आ़द ने जब बादल आते हुए देखे तो ख़ुश हो गये मगर अल्लाह तआ़ला ने उन्हीं बादलों को उनके लिये अ़ज़ाब बना दिया। इसलिये आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ख़ौफ़ज़दा हो जाते थे।

कुसूफ़ व ख़ुसूफ़ की नमाज़ का बयान

'कुसूफ़' और 'ख़ुसूफ़' के मायने हैं "सूरज या चाँद की पूरी या कुछ रोशनी का चले जाना"। सूरज और चाँद की रोशनी चले जाने को 'कुसूफ़' और 'ख़ुसूफ़' कहा जाता है। सब का इत्तिफ़ाक़ है कि सूरज या चाँद ग्रहण के मौक़े पर नमाज़े कुसूफ़ व ख़ुसूफ़ पढ़ना सुन्नत है।

हदीस 271. हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने नमाज़े कुसूफ़ और नमाज़े ख़ुसूफ़ में बुलन्द आवाज़ से क़िराअत की और दो रकअ़तों में चार रुकूअ़ और चार सज्दों के साथ नमाज़ पढ़ाई। हर रकअ़त में दो रुकूअ़ यानी हर रकअ़त में एक अतिरिक्त रुकूअ़ किया।

वज़ाहतः- नमाज़े ख़ुसूफ़ (चाँद ग्रहण की नमाज़) और नमाज़े कुसूफ़ (सूरज ग्रहण की नमाज़) की हर रकअ़त में दो दो, तीन तीन और चार चार रुकूअ़ करना भी जायज़ है।

नमाज़े जनाज़ा का बयान

अ़ल्लामा नववी रहमतुल्लाहि अ़लैहि लिखते हैं कि 'जनाज़ा' ढाँपी हुई चीज़ को कहते हैं और 'मौत' जिस्म से रूह के अलग होने को कहते हैं।

हदीस 272. हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अपने मरने वालों को "ला इला-ह इल्लल्लाहु" कहने की तल्क़ीन करो।

वज़ाहतः- ला इला-ह इल्लल्लाहु की तल्क़ीन हिक्मत से करें, यानी

मरीज़ से सवाल करें कि क्या आपको घबराहट हो रही है? यक़ीनन वह कहेगा जी हाँ, तो आप कहें कि ला इला-ह इल्लल्लाहु पढ़ने से घबराहट दूर हो जाती है। इन्शा-अल्लाह। हुक्म के अन्दाज़ में हरगिज़ मत कहें कि यह पढ़ो, वह तकलीफ़ की हालत में यह कह सकता है कि मैं नहीं कहता, और अगर उसका ख़ात्मा इस इनकार के बाद हो गया तो इसका अन्जाम अच्छा नहीं होगा। इसलिये ला इला-ह इल्लल्लाहु की तल्क़ीन हिक्मत से कीजिए।

हदीस 273. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जो शख़्स जनाज़े में नमाज़े जनाज़ा होने तक शरीक रहा उसको एक क़ीरात सवाब मिलता है, और जो दफ़न तक साथ रहा तो उसे दो क़ीरात का सवाब मिलता है। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा गया कि दो क़ीरात कितने होते हैं? आपने फ़रमाया "दो बड़े पहाड़ों के बराबर"।

हदीस 274. हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस शख़्स को भी कोई मुसीबत पहुँचे और वह यह पढ़े-

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّـآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ० اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِّنْهَا.

इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ़न। अल्लाहुम्-म अजिर्नी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़् ली ख़ैरम् मिन्हा।

तर्जुमाः- बेशक हम अल्लाह ही के लिये हैं और उसी की तरफ़ लौटकर जाने वाले हैं। ऐ अल्लाह! मुझे मेरी मुसीबत में अज्र अ़ता फ़रमाईये और इससे बेहतर (चीज़) मुझे अ़ता फ़रमाईये।

हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा कहती हैं कि जब अबू सलमा (यानी इनके शौहर) फ़ौत हुए तो मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हुक्म के मुताबिक़ यह दुआ़ की तो अल्लाह तआ़ला ने उनके बाद उनसे बेहतर यानी रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को मेरे लिये (शौहर) मुक़र्रर कर दिया।

वज़ाहतः- हर मुसीबत के मारे को यह दुआ़ ख़ूब ज़्यादा पढ़नी चाहिये।

हदीस 275. हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अबू सलमा के इन्तिक़ाल के बाद

उनके पास आये, उस वक़्त उनकी आँखें खुली हुई थीं। आपने उनकी आँखें बन्द कर दीं फिर आपने फ़रमाया कि जब रूह क़ब्ज़ की जाती है तो आँखें उसको देखती रहती हैं। उनके घर वालों ने रोना शुरू कर दिया, आपने फ़रमाया- अपने लिये सिर्फ़ भलाई की दुआ़ करो क्योंकि अल्लाह के फ़रिश्ते तुम्हारी दुआ़ पर आमीन कहते हैं। फिर आपने यह दुआ़ की-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَبِیْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهٗ فِی الْمَهْدِیِّیْنَ وَاخْلُفْهُ فِیْ عَقِبِهٖ فِی الْغَابِرِیْنَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهٗ یَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ. وَافْسَحْ لَهٗ فِیْ قَبْرِهٖ وَنَوِّرْ لَهٗ فِیْهِ.

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! अबू सलमा की मग़फ़िरत फ़रमाईये और हिदायत पाने वाले लोगों में उनका दर्जा बुलन्द कर दीजिए और उनके बाद बाक़ी रहने वालों की निगहबानी फ़रमाईये और हमारी और उनकी मग़फ़िरत फ़रमाईये। ऐ रब्बुल-आ़लमीन! उनकी क़ब्र में कुशादगी (खुलापन यानी आसानी) फ़रमाईये और उनकी क़ब्र को रोशन फ़रमाईये।

वज़ाहतः- यह दुआ़ हर मय्यित के लिये करनी चाहिये, हज़रत अबू सलमा की जगह मय्यित का नाम लें।

हदीस 276. नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की साहिबज़ादी (बेटी) हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा का बच्चा इन्तिक़ाल करने के क़रीब था, रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उनसे कहो कि यह दुआ़ पढ़ें-

اِنَّ لِلّٰهِ مَآ اَخَذَ وَلَهٗ مَآ اَعْطٰی وَكُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهٗ بِاَجَلٍ مُّسَمًّی فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ.

तर्जुमाः- जो अल्लाह ने ले लिया वह उसी का था और जो उसने दिया वह भी उसी का है, हर चीज़ की उसके यहाँ एक मुद्दत मुक़र्रर है। सब्र करें और अल्लाह तआ़ला से सवाब की उम्मीद रखें।

हदीस 277. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि सअ़द बिन उबादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु बीमार हो गये तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उनकी इयादत (बीमारी का हाल पूछने) के लिये आये। आपके साथ अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़, सअ़द बिन अबी वक़्क़ास,

अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद वग़ैरह सहाबा थे। जब आप हज़रत सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु के पास पहुँचे तो उनको बेहोशी की हालत में पाया।

आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क्या इसको मौत दे दी गयी है? तो सहाबा ने अ़र्ज़ किया "नहीं"। रसूले करीम रोने लगे, जब लोगों ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को रोते हुए देखा तो वे भी रो पड़े, आपने फ़रमाया- सुनो, बेशक अल्लाह (बग़ैर आवाज़ के) रोने वाली आँख और ग़मगीन दिल पर अ़ज़ाब नहीं करते।

हदीस 278. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जब हज़रत उमर (यानी उनके वालिद) को ज़ख़्मी कर दिया गया और उन पर बेहोशी तारी हो गयी तो लोग चीख़कर उन पर रोने लगे। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने फ़रमाया- क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि मय्यित पर ज़िन्दा लोगों के (चीख़कर) रोने की वजह से अ़ज़ाब होता है।

वज़ाहतः- यह अ़ज़ाब उस वक़्त होता है जब मरने वाला नौहा करने को पसन्द करता हो, या नौहा करने की वसीयत करके गया हो। अगर उसे नापसन्द हो तो अ़ज़ाब नहीं होगा। इसलिये कि अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है कि कोई नफ़्स किसी दूसरे नफ़्स का बोझ (गुनाह) नहीं उठायेगा। (सूरः क़मर 54, आयत 38) हर घर के बुज़ुर्ग को यह नसीहत करनी चाहिये कि किसी की भी मौत के बाद नौहा (बयान करके रोना या चीख़ना-चिल्लाना) नहीं करना चाहिये।

हदीस 279. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो मुसलमान शख़्स फ़ौत हो जाये और उसके जनाज़े में चालीस ऐसे लोग शरीक हों जिन्होंने अल्लाह तआ़ला के साथ शिर्क न किया हो तो अल्लाह तआ़ला मय्यित के हक़ में उनकी शफ़ाअ़त क़ुबूल फ़रमा लेता है, और उस मय्यित के गुनाह माफ़ फ़रमाकर जन्नत का दाख़िला नसीब फ़रमा देता है।

वज़ाहतः- नमाज़े जनाज़ा मुवह्हिद (अल्लाह को वाहिद मानने वाले) इमाम से पढ़वानी चाहिये।

हदीस 280. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नजाशी (हब्शा के बादशाह) की मौत की ख़बर सुनी, फिर आप ईदगाह तशरीफ़ ले गये और चार तकबीरों के साथ (उसके जनाज़े की) नमाज़ पढ़ी।

वज़ाहतः- इस हदीस से ग़ायबाना नमाज़े जनाज़ा का सुबूत मिलता है, इसलिये कि नजाशी हब्शा में फ़ौत हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनकी ग़ायबाना नमाज़े जनाज़ा मदीना में पढ़ाई।

हदीस 281. हज़रत समुरा बिन जुन्दुब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इमामत मैं हज़रत कअ़ब रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जो कि ज़चगी (बच्चे की पैदाईश के बाद की) हालत में फ़ौत हो गयी थीं। उनकी नमाज़ पढ़ाने के लिये रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनके जनाज़े के दरमियान में खड़े हुए।

वज़ाहतः- अगर मय्यित औरत की हो तो इमाम को दरमियान में खड़े होकर नमाज़े जनाज़ा पढ़ानी चाहिये, और अगर मय्यित मर्द की हो तो सर की तरफ़ खड़े होकर नमाज़े जनाज़ा पढ़ानी चाहिये।

हदीस 282. हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी मौत की बीमारी में कहा कि मेरे लिये लहद बनाना और उस पर कच्ची ईंटें लगाना जिस तरह रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र बनाई गयी थी।

वज़ाहतः- नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र लहद वाली (नीचे से एक साईड की तरफ़ खोदी हुई) बनाई गयी थी। आम क़ब्र जो सीधी होती है उसे अ़रबी भाषा में **शक़** कहते हैं। दोनों तरह की क़ब्र बनाना दुरुस्त है, ठोस ज़मीन में लहद और नर्म ज़मीन में शक़ बनाना ज़्यादा मुनासिब है।

हदीस 283. हज़रत अबुल-हयाज असदी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मुझे हज़रत अ़ली ने कहा कि मैं तुम्हें उस काम के लिये भेज रहा हूँ जिस काम के लिये मुझे रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भेजा

था कि मैं हर तस्वीर को मिटा दूँ और हर ऊँची क़ब्र को ज़मीन के बराबर कर दूँ।

वज़ाहतः- एक बालिश्त से ज़्यादा ऊँची क़ब्र बनाना मना है।

हदीस 284. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने क़ब्रों को पुख़्ता बनाने से मना फ़रमाया है।

वज़ाहतः- पक्की क़ब्र बनाना नाजायज़ है। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की क़ब्र भी कच्ची बनाई गयी थी।

हदीस 285. हज़रत अबू मुर्सद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ब्रों पर न बैठो और न उनकी तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ो।

वज़ाहतः- क़ब्रों पर बैठना और उनकी तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है इसलिये कि क़ब्रों पर बैठने से मय्यित की तौहीन है और उसकी तरफ़ नमाज़ पढ़ने से मय्यित की इबादत का शुब्हा हो सकता है, इसलिये मना कर दिया गया।

हदीस 286. हज़रत अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अ़न्हु जब फ़ौत हो गये तो हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया कि इस (जनाज़े) को मस्जिद में ले आओ ताकि मैं भी इसकी नमाज़े जनाज़ा में शरीक हो सकूँ। कुछ सहाबा ने मस्जिद में जनाज़ा लाने पर एतिराज़ किया तो उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बैज़ा के दो बेटों सुहैल और उसके भाई की नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में पढ़ाई थी।

वज़ाहतः- मस्जिद में भी नमाज़े जनाज़ा पढ़ना जायज़ है जैसा कि ख़ाना काबा और मस्जिदे नबवी में होता है, और पर्दे में रहते हुए औ़रतें भी नमाज़े जनाज़ा पढ़ सकती हैं।

हदीस 287. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि जब रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मेरे यहाँ बारी होती थी तो

आप रात के आख़िरी हिस्से में बक़ीअ़ (मदीने के क़ब्रिस्तान) तशरीफ़ ले जाते और फ़रमाते-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاَتَاكُمْ مَاتُوْعَدُوْنَ غَدًا مُّؤَجَّلُوْنَ وَاِنَّآ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ.

तर्जुमाः- ऐ मोमिनों की जमाअ़त! अस्सलामु अ़लैकुम, तुम्हारे पास वह चीज़ आ चुकी है जिसका तुम से वायदा किया गया था, इन्शा-अल्लाह हम भी तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं। ऐ अल्लाह! बक़ीअ़ वालों की मग़फ़िरत फ़रमाईये।

वज़ाहतः- बक़ीअ़ मदीने के मशहूर क़ब्रिस्तान का नाम है।

हदीस 288. हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम को तालीम देते थे कि जब वे क़ब्रिस्तान जायें तो यह दुआ़ पढ़ें-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّآ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ نَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

अस्सलमु अ़लैकुम् अह्लदियारि मिनल्-मुअ्मिनी-न वल्-मुस्लिमीन। व इन्ना इन्शा-अल्लाहु बिकुम् ल-लाहिकू-न नस्अलुल्ला-ह लना व लकुमुल्-आ़फ़ि-य-त।

तर्जुमाः- ऐ इन घरों के रहने वालो मोमिनों और मुस्लिमो! तुम पर सलाम हो। इन्शा-अल्लाह हम तुम से बहुत जल्द आ मिलेंगे। हम अपने लिये और तुम्हारे लिये अल्लाह तआ़ला से आ़फ़ियत तलब करते हैं।

हदीस 289. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपनी वालिदा की क़ब्र की ज़ियारत की तो रोये और आपके गिर्द खड़े लोग आपको देखकर रो दिये, और आपने फ़रमाया कि मैंने अपने रब से अपनी वालिदा के लिये इस्तिग़फ़ार की इजाज़त माँगी थी मुझे इजाज़त नहीं दी गयी, फिर उनकी क़ब्र की ज़ियारत की इजाज़त माँगी तो दे दी गयी, पस क़ब्रों की ज़ियारत किया करो क्योंकि ये मौत को याद दिलाती हैं।

वज़ाहतः- क़ब्रों की ज़ियारत करना मस्नून अ़मल है।

हदीस 290. हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैंने तुम्हें क़ब्रों की ज़ियारत से मना किया था अब तुम उनकी ज़ियारत किया करो, और मैंने तुम्हें तीन दिन के बाद क़ुरबानी का गोश्त रखने से मना किया था अब तुम उसे रख सकते हो, मैंने तुम्हें मशकीज़ों के अ़लावा और चीज़ों में नबीज़ पीने से मना किया था अब तुम सब (क़िस्म के) बर्तनों में नबीज़ पी लिया करो, और नशा लाने वाली चीज़ को इस्तेमाल न करो।

वज़ाहतः- क़ब्रों की ज़ियारत से इसलिये मना किया था कि नये-नये मुसलमान हो रहे थे, उनके दिलों में ग़ैरुल्लाह की पूजा की मुहब्बत थी, जब ईमान के एतिबार से मज़बूत हो गये तो क़ब्रों की ज़ियारत की इजाज़त दे दी। इसी तरह शुरू के दौर में ग़रीबों की अधिकता थी हर शख़्स क़ुरबानी नहीं कर सकता था लिहाज़ा क़ुरबानी का गोश्त तीन दिन से ज़्यादा रखना मना था, मगर जब हालात बेहतर हुए तो इजाज़त दे दी गयी, और बर्तनों में चूँकि नशे का एहतिमाल (शुब्हा व गुमान) था इसलिये रोका गया।

ज़कात का बयान

लुग़त में ज़कात के मायने पाकीज़गी के हैं और इस्लामी इस्तिलाह में साल गुज़रने के बाद निर्धारित निसाब में से ढाई फ़ीसद ग़रीब ज़रूरत-मन्दों को देना ज़रूरी होता है। क़ुरआन मजीद और हदीसों में नमाज़ के बाद जिस इबादत का ज़िक्र किया गया है वह ज़कात है, इससे दौलत गर्दिश में रहती है और मुसलमानों के दरमियान हमदर्दी, आपसी इमदाद और मुहब्बत पैदा होती है, और इसका अहम फ़ायदा जमाअ़ती निज़ाम के क़ायम करने के लिये माली सरमाये का इकट्ठा हो जाना भी है।

हदीस 291. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- पाँच वसक़ (20 मन) से कम ग़ल्ले पर ज़कात नहीं, न ही पाँच ऊँटों से कम पर ज़कात है, और न पाँच औक़िया (52.5 तौले) चाँदी से कम पर ज़कात है।

वज़ाहतः- पाँच औक़िया (यानी 52.5 तौला चाँदी) से ज़्यादा पर ज़कात है, इससे कम पर नहीं, और सोने का निसाब बीस दीनार है यानी 7.5 तौले।

हदीस 292. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिन ज़मीनों को दरिया और बारिश सैराब करे उनमें (ज़कात के तौर पर) उश्र (दसवाँ हिस्सा) है, और जो ज़मीन पानी सींचने के आलात (उपकरणों) से सैराब की जाये उनमें (ज़कात के तौर पर) आधा उश्र (बीसवाँ हिस्सा) है।

हदीस 293. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुसलमान के गुलाम और घोड़े में ज़कात नहीं।

वज़ाहतः- वो चीज़ें जो इनसान के अपने इस्तेमाल में हैं जैसे कार, घोड़ा वग़ैरह, इन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, अगर इन चीज़ों की तिजारत करता हो तो उन पर ज़कात है।

हदीस 294. हज़रत ज़ैनब बिन्ते अबी सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि उम्मे सलमा ने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! (मेरा शौहर फ़ौत हो चुका है) क्या मैं अपनी औलाद पर ख़र्च करूँ तो उसका मुझे अज्र मिलेगा? मुझे ख़तरा है अगर मैंने उन पर ख़र्च न किया तो वे इधर-उधर बिखर जायेंगे। आपने फ़रमाया- जी हाँ तुम उन पर ज़रूर ख़र्च करो, इस पर अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त तुम्हें अज्र अ़ता फ़रमायेंगे।

हदीस 295. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने रमज़ान के (रोज़ों में ग़लतियों के) सबब से मुसलमानों पर एक साअ़ (तक़रीबन अढ़ाई किलो) खजूर या एक साअ़ जौ सदक़ा-ए-फ़ित्र मुक़र्रर किया है, चाहे आज़ाद हो या गुलाम, मर्द हो या औरत।

वज़ाहतः- सदक़ा-ए-फ़ित्र हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, अगर मालदार है तो उसके ज़रिये उसकी सफ़ाई व पाकीज़गी हो जाती है, अगर ग़रीब है तो अल्लाह तआ़ला उससे बढ़कर उसे माल अ़ता फ़रमा देते हैं। सदक़ा-ए-फ़ित्र

में एक साअ़ गेहूँ, किशमिश, पनीर या इनमें से एक के बराबर रक़म अदा की जा सकती है।

हदीस 296. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम हुक्म दिया करते थे कि सदक़ा-ए-फ़ित्र ईद की नमाज़ के लिये जाने से पहले अदा कर दो।

वज़ाहतः- ईद की नमाज़ से पहले सदक़ा-ए-फ़ित्र अदा करने से सदक़ा -ए-फ़ित्र का सवाब मिलता है और अगर ईद की नमाज़ के बाद अदा किया जाये तो आ़म सदक़ा होता है।

हदीस 297. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स सोना चाँदी रखता हो और उसका हक़ (यानी ज़कात) अदा न करे तो क़ियामत के दिन उसके लिये आग की चट्टानों के परत बनाये जायेंगे और जहन्नम की आग से उनको तपाया जायेगा, और उसके पहलू (करवट), पेशानी और पीठ को उसके साथ दाग़ा जायेगा। एक बार यह अ़मल करने के बाद दोबारा लौटाया जायेगा, जो दिन पचास हज़ार साल के बराबर है उस दिन यह अ़मल लगातार होता रहेगा, आख़िरकार जब तमाम लोगों के फ़ैसले हो जायेंगे तो उसको जन्नत या जहन्नम का रास्ता दिखाया जायेगा।

अ़र्ज़ किया गया- ऐ अल्लाह के रसूल! ऊँट वालों का क्या होगा? आपने फ़रमाया- ऊँटों के हुक़ूक़ में से यह भी है कि पानी पिलाने के दिन ऊँटों का दूध दूह कर ग़रीबों को पिलाया जाये, (और दूसरा हक़ ज़कात की अदायेगी है, ज़कात अदा न करने वाले को) क़ियामत के दिन एक चटियल ज़मीन पर औंधा लिटा दिया जायेगा, उस वक़्त वे ऊँट आयेंगे और इस हाल में कि वे बहुत मोटे-ताज़े होंगे और उनमें से कोई बच्चा भी कम नहीं होगा, वे उस शख़्स को अपने खुरों से रौंदेंगे और अपने मुँह से काटेंगे। उनका एक रेवड़ गुज़र जायेगा तो दूसरा आ जायेगा, पचास हज़ार साल के बराबर दिन में यह सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा यहाँ तक कि जब लोगों के फ़ैसले हो जायेंगे तो उसे जन्नत या जहन्नम का रास्ता दिखा दिया जायेगा। अ़र्ज़ किया गया- ऐ अल्लाह के रसूल! गाय और बकरियों वालों का क्या

हाल होगा? फ़रमाया- जो गाय और बकरियों वाला उनका हक़ (ज़कात) अदा नहीं करेगा क़ियामत के दिन चटियल मैदान में उसे मुँह के बल लिटाया जायेगा, तमाम गायें और बकरियाँ उसको अपने खुरों से रौंदेंगी और उसको सींगों से मारेंगी। उस दिन उनमें कोई उल्टे सींगों वाली होगी न बग़ैर सींगों वाली, न टूटे हुए सींगों वाली, एक रेवड़ गुज़रने के फ़ौरन बाद दूसरा रेवड़ आ जायेगा और पचास हज़ार साल के बराबर दिन में यूँ ही होता रहेगा यहाँ तक कि लोगों के दरमियान फ़ैसला कर दिया जायेगा, फिर उसे जन्नत या दोज़ख़ का रास्ता दिखाया जायेगा। अ़र्ज़ किया गया- ऐ अल्लाह के रसूल! घोड़ों वालों का क्या हाल होगा? आपने फ़रमाया घोड़ों की तीन क़िस्में हैं-

1. कुछ घोड़े मालिक के लिये बोझ होते हैं।

2. कुछ मालिक के लिये सतर (गुनाहों पर पर्दा डालने का ज़रिया) होते हैं।

3. और कुछ मालिक के लिये अज्र का सबब होते हैं।

बोझ वो घोड़े होते हैं जिनको मालिक ने दिखलावे, फ़ख़्र और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने के लिये रखा हो, और मालिक के लिये सतर वो घोड़े होते हैं जिन्हें मालिक ने अल्लाह की राह में बाँधा हो फिर वह उन हुक़ूक़ को न भूला हो जो घोड़ों की पीठों और गर्दनों से जुड़े हुए हैं। ये घोड़े मालिक के लिये सतर का ज़रिया हैं, और जो घोड़े मालिक के लिये अज्र हैं ये वो हैं जिनको मालिक ने अल्लाह की राह में मुसलमानों के लिये बाँधा हुआ है, किसी चरागाह या बाग़ से कुछ खायेंगे या पेशाब और लीद करेंगे तो उसके बराबर मालिक की नेकियाँ लिख दी जायेंगी, और अगर घोड़े रस्सी तोड़कर एक या दो टीलों का चक्कर लगायें तो अल्लाह तआ़ला उनके क़दमों के निशानात और लीद के बराबर मालिक के लिये नेकियाँ लिख देगा, और अगर मालिक घोड़ों को लेकर नहर पर से गुज़रे और बग़ैर इरादे के भी घोड़े पानी पी लें तो उस पानी के बराबर अल्लाह तआ़ला मालिक की नेकियाँ लिख देगा।

अ़र्ज़ किया गया- ऐ अल्लाह के रसूल! गधों के बारे में क्या हुक्म है?

फ़रमाया गधों के बारे में मुझ पर कोई हुक्म नाज़िल नहीं हुआ, अलबत्ता यह जामे आयत है-

तर्जुमाः- जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की वह उसकी जज़ा (बदला) देखेगा और जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की वह उसकी सज़ा पायेगा।

(सूरः ज़िलज़ाल 99, आयत 7-8)

हदीस 298. हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि देहात के कुछ लोगों ने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! ज़कात वसूल करने वाले आकर हम पर ज़्यादती करते हैं। आपने फ़रमाया- तुम ज़कात वसूल करने वालों को राज़ी किया करो। जब से मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इरशाद सुना है मुझसे कोई ज़कात वसूल करने वाला नाराज़ होकर नहीं गया।

हदीस 299. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआला फ़रमाता है कि ऐ आदम के बेटे! (मेरी राह में) ख़र्च कर मैं तुझ पर ख़र्च करूँगा। (रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने) फ़रमाया- अल्लाह का हाथ भरा हुआ है, रात-दिन के ख़र्च करने से उसमें कुछ कमी नहीं होती।

हदीस 300. हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बेहतरीन दीनार वह है जिसे कोई शख़्स अपने अहल व अयाल (घर वालों और बाल-बच्चों) पर ख़र्च करता है, उसके बाद बेहतरीन दीनार वह है जिसे कोई शख़्स अल्लाह तआला की राह में अपनी सवारी पर ख़र्च करता है, और फिर उसके बाद बेहतरीन दीनार वह है जिसे कोई शख़्स अल्लाह तआला की राह में अपने साथियों पर ख़र्च करता है।

हदीस 301. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- किसी आदमी के गुनाहगार होने के लिये इतना ही काफ़ी है कि जिसके ख़र्च का वह ज़िम्मेदार है उसका ख़र्च रोक ले।

हदीस 302. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- पहले अपनी ज़ात पर ख़र्च करो, फिर अगर कुछ बचे तो अपने अहल व अ़याल (घर वालों) पर ख़र्च करो, फिर अगर अपने अहल व अ़याल से कुछ बचे तो अपने रिश्तेदारों पर, और अगर रिश्तेदारों से भी कुछ बच जाये तो इधर-उधर अपने सामने, दायें और बायें वालों पर ख़र्च करो।

वज़ाहतः- इस हदीस में कई फ़ायदे हैं-

1. माल ख़र्च करने की तरतीब।

2. जब माल ज़रूरत से ज़्यादा हो तो तमाम अच्छे कामों में ख़र्च करे, न कि एक ख़ास काम में।

हदीस 303. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत अबू तल्हा अन्सारी मदीना मुनव्वरा में मालदार शख़्स थे और उनका सबसे ज़्यादा पसन्दीदा माल बीर-ए-हा था (यह एक बाग़ था जिसमें एक कुएँ भी था) जो मस्जिदे नबवी के सामने था। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उस बाग़ में तशरीफ़ ले जाते थे और उसका मीठा पानी पीते थे। जब यह आयत नाज़िल हुई-

तर्जुमाः- तुम नेकी को उस वक़्त तक हासिल नहीं कर सकोगे जब तक कि अपनी पसन्दीदा चीज़ अल्लाह तआ़ला की राह में न दे दो।

(सूरः आले इमरान 3, आयत 92)

हज़रत अबू तल्हा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआ़ला अपनी किताब में यह फ़रमाता है "तुम नेकी को उस वक़्त तक हासिल नहीं कर सकोगे जब तक कि अपनी पसन्दीदा चीज़ अल्लाह तआ़ला की राह में न दे दो।" मेरा सबसे पसन्दीदा माल बीर-ए-हा (कुआँ) अल्लाह की राह में सदक़ा है, मैं उसके सवाब और आख़िरत में ज़ख़ीरा होने का तलबगार हूँ। ऐ अल्लाह के रसूल! उसको आप जहाँ चाहें ख़र्च कर दें। आपने फ़रमाया- बहुत ख़ूब, यह नफ़ा देने वाला माल है। तुमने जो कुछ उसके बारे में कहा वह मैंने सुन लिया, मेरा यह मश्विरा है कि तुम उसे

अपने रिश्तेदारों में तक़सीम कर दो। फिर अबू तल्हा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने वह कुआँ अपने रिश्तेदारों और चचाज़ाद भाईयों में तक़सीम कर दिया।

वज़ाहतः- सदक़ा देते वक़्त सबसे पहले अपने रिश्तेदारों का ख़ास ख़्याल रखें।

हदीस 304. हज़रत ज़ैनब जो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु की बीवी हैं उनसे रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ औ़रतों की जमाअ़त! सदक़ा दिया करो चाहे ज़ेवरात से ही देना पड़े। मैं (अपने शौहर) अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद के पास आई और उनसे कहा कि तुम ख़ाली हाथ हो, रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमें सदक़ा देने का हुक्म दिया है, तुम जाकर रसूले अकरम से मालूम करो अगर (तुम्हें देना) सदक़े की अदायेगी के लिये काफ़ी हो तो बहुत अच्छी बात है वरना मैं तुम्हारे सिवा किसी औंर को दे देती हूँ। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया- तुम खुद ही पूछने चली जाओ, मैं गई तो देखा कि एक अन्सारी औ़रत रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दरवाज़े पर खड़ी है और उसके सामने भी यही मसला था, और हम रसूले पाक से बहुत मरऊब रहती थीं। फिर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अ़न्हु बाहर आये तो पूछा क्या बात है? हमने कहा कि तुम जाकर रसूले करीम से कहो कि दो औ़रतें दरवाज़े पर यह मालूम करने के लिये खड़ी हैं कि अगर वे अपने शौहरों और जो उनकी गोद में यतीम बच्चे हैं उनको सदक़ा दें तो क्या अदा हो जायेगा? और यह न बताना कि हम कौन हैं। हज़रत बिलाल ने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास जाकर यह मसला मालूम किया, आपने उनसे पूछा कि ये औ़रतें कौन हैं? उन्होंने बताया कि एक अन्सार की औ़रत और दूसरी ज़ैनब है, रसूले अकरम ने फ़रमाया कौनसी ज़ैनब? उन्होंने अ़र्ज़ किया कि अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद की बीवी। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उन्हें बता दो कि उन्हें दो अज्र मिलेंगे- एक अज्र क़राबत (रिश्तेदारों के साथ सिला-रहमी) का और एक अज्र सदक़े का।

वज़ाहतः- अगर शौहर ग़रीब हो और बीवी मालदार हो तो अपने शौहर

को सदक़ा दे सकती है।

हदीस 305. हज़रत अबू मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुसलमान जब अपने अहल व अ़याल (बाल-बच्चों और घर वालों) पर सवाब की उम्मीद से ख़र्च करता है तो यह भी उसका सदक़ा है (यानी उसके नामा आमाल में सदक़े का सवाब लिख दिया जाता है)।

हदीस 306. हज़रत असमा बिन्ते अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि मैंने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी माँ (मक्का से) आई है और वह मुश्रिका है, और वह दीने इस्लाम से भी बेज़ार है, क्या मैं उनसे हुस्ने सुलूक करूँ? आपने फ़रमाया- जी हाँ अपनी माँ से हुस्ने सुलूक (अच्छा सुलूक और बेहतर मामला) करो।

वज़ाहतः- माँ-बाप अगर मुश्रिक हों तब भी उनके साथ अच्छे सुलूक से पेश आना चाहिये, और अगर वे शिर्क की तरफ़ बुलायें या किसी ऐसे काम की तरफ़ जिसमें अल्लाह तआ़ला की नाफ़रमानी लाज़िम आती हो तो उस काम में उनका हुक्म न माना जाये। (अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः लुक़मान 31, आयत 14-15)

हदीस 307. हज़रत अबू शैबा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हर नेकी (नेक काम करना) सदक़ा है।

हदीस 308. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हर इनसान 360 जोड़ों के साथ पैदा किया गया है, जिस शख़्स ने "अल्लाहु अकबर, अल्हम्दु लिल्लाह, ला इला-ह इल्लल्लाह, सुब्हानल्लाह और अस्तग़्फ़िरुल्लाह" कहा, लोगों के रास्ते से कोई पत्थर हटाया, कोई काँटा या कोई हड्डी रास्ते से हटाई, नेकी का हुक्म दिया या बुराई से रोका, तो यह 360 जोड़ों की तायदाद (के बराबर शुक्र) है, और उस दिन वह उस हाल में चल रहा होगा कि जहन्नम से आज़ाद होगा।

वज़ाहतः- अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र और मख़्लूक़ की ख़िदमत के काम

करना जहन्नम से निजात दिलाने का ज़रिया हैं आप भी कीजिए।

हदीस 309. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हर दिन सुबह को दो फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं, एक कहता है ऐ अल्लाह! ख़र्च करने वाले को और ज़्यादा माल अ़ता फ़रमा, और दूसरा कहता है या इलाही! बख़ील का माल तबाह व बरबाद कर दे।

वज़ाहतः- फ़रिश्तों की दुआ़ रद्द नहीं होती इसलिये उनकी दुआ़ हासिल करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिये और उनकी बद्दुआ़ से बचने वाले काम कीजिए।

हदीस 310. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- लोगों पर एक ऐसा दौर आयेगा कि इनसान सदक़ा करने के लिये सोना लिये घूमता फिरेगा और कोई लेने वाला नहीं मिलेगा, और मर्दों की कमी और औ़रतों की अधिकता का यह हाल होगा कि एक मर्द की ज़िम्मेदारी में चालीस औ़रतें होंगी।

वज़ाहतः- सदक़ा देने में देर नहीं करनी चाहिये, कुछ देना हो तो आज दे दो कल पर मत छोड़ो, और आख़िरी ज़माने में माल की ज़्यादती होगी ज़मीन के ख़ज़ाने निकल पड़ेंगे, मुम्किन है वह वक़्त बहुत जल्द आने वाला हो। वल्लाहु आलम।

हदीस 311. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सोने-चाँदी के सुतूनों की तरह ज़मीन (सोना-चाँदी) उगल देगी। क़ातिल देखकर कहेगा- इसी (माल) की वजह से तो मैंने क़त्ल किया था, रिश्तों को तोड़ने और ख़त्म करने वाला कहेगा कि इसी माल की वजह से तो मैंने रिश्तेदारी तोड़ी थी, चोर कहेगा कि इसी माल की वजह से तो मेरा हाथ काटा गया था, फिर सब उस माल को छोड़ देंगे और कोई कुछ नहीं लेगा।

हदीस 312. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला पाक है और वह पाक चीज़ के सिवा किसी और चीज़ को क़ुबूल नहीं

करता, और अल्लाह तआ़ला ने मुसलमानों को वही हुक्म दिया है जो रसूलों को हुक्म दिया था, और फ़रमाया-

तर्जुमाः- ऐ (मेरे) रसूलो! पाक चीज़ें खाओ और नेक काम करो, मैं तुम्हारे कामों से बाख़बर हूँ (सूरः अलू-मोमिन 23, आयत 51)

और फ़रमाया-

तर्जुमाः- ऐ मोमिनो! हमारी दी हुई चीज़ों में से पाक चीज़ें खाओ।

(सूरः अल्-ब-क़रह 2, आयत 172)

फिर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ऐसे शख़्स का तज़किरा किया जो लम्बा सफ़र करता है और उसके बाल गर्द से भरे हुए हैं और फिर हाथ आसमान की तरफ़ उठाता है और कहता है- या रब! या रब! हालाँकि उसका खाना हराम का है और पीना हराम का और उसका लिबास हराम का और उसकी मुकम्मल ग़िज़ा हराम की है, फिर उसकी दुआ़ कैसे क़ुबूल हो।

वज़ाहतः- उस बन्दे की दुआ़ रद्द होने कि वजह हराम खाना, पीना, लिबास वग़ैरह है, हालाँकि उसमें दुआ़ क़ुबूल होने की कई सूरतें पाई जा रही हैं- मसलन सफ़र, आ़जिज़ी, ख़ुलूस वग़ैरह, ये सारी दुआ़ के क़ुबूल होने की सूरतें हैं इसके बावजूद उस शख़्स की दुआ़ क़ुबूल नहीं हुई। इसलिये आप भी हराम कमाई से बचिये ताकि दुआ़यें क़ुबूल हों।

हदीस 313. हज़रत अ़दी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से हर शख़्स बहुत जल्दी अल्लाह तआ़ला से इस तरह कलाम करेगा कि उसके और अल्लाह रहीम के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा, जब इनसान अपनी दाईं तरफ़ देखेगा तो उसे सिर्फ़ अपने भेजे हुए अच्छे आमाल नज़र आयेंगे, बाईं तरफ़ देखेगा तो उसे अपने बुरे आमाल नज़र आयेंगे, सामने देखेगा तो दोज़ख़ नज़र आयेगी, पस तुम जहन्नम की आग से बचो चाहे खजूर का एक टुकड़ा सदक़ा देकर हो।

वज़ाहतः- अल्लाह तआ़ला की राह में सदक़ा देकर जहन्नम से आज़ादी हासिल करो, अगर ज़्यादा सदक़ा देने की गुंजाईश व हिम्मत न हो तो खजूर

का एक टुकड़ा ही देकर आज़ादी हासिल करो, इसलिये कि असल कामयाबी जहन्नम से आज़ादी है। अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः आले इमरान 3, आयत 185।

हदीस 314. हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा हम दिन के शुरू के हिस्से में रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास बैठे हुए थे, अचानक आपके पास लोगों की एक जमाअ़त आई जो नंगे पैर, नंगे बदन, गले में चमड़े की चादरें पहने हुए और तलवारें लटकाये हुए थे, ये सब क़बीला मुज़र से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी ग़रीबी व तंगदस्ती को देखकर रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के चेहरे मुबारक का रंग बदल गया। आप अन्दर गये फिर बाहर आये और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अ़न्हु को अज़ान देने का हुक्म दिया। हज़रत बिलाल ने अज़ान दी, फिर तकबीर कही, आपने नमाज़ पढ़ाई फिर ख़ुतबा दिया और फ़रमाया-

तर्जुमाः- ऐ लोगो! अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक नफ़्स (जान और फ़र्द) से पैदा किया है। (सूरः निसा 4, आयत 1)

फिर सूरः हश्र की यह आयत तिलावत फ़रमाई-

तर्जुमाः- इनसान को ग़ौर करना चाहिये कि वह कल आख़िरत के लिये क्या भेज रहा है। (सूरः हश्र 68, आयत 18)

लोगो! दिरहम, दीनार, कपड़े, गेहूँ और जौ सदक़ा करो यहाँ तक कि यह भी फ़रमाया चाहे खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों न हो। मैंने देखा कि अन्सार में से एक शख़्स इतनी बड़ी थैली लेकर आया जिसको उठाने से उसका हाथ थक गया था। उसके बाद लोगों की लाईन लग गयी यहाँ तक कि मैंने खाने और कपड़े के दो ढेर देखे यहाँ तक कि मैंने देखा कि (ख़ुशी से) रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का चेहरा चमक रहा था, यूँ लगता था जैसे आपका चेहरा सोने का हो। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स इस्लाम में किसी नेक काम की शुरूआ़त करे उसको अपने अ़मल का भी अज्र मिलेगा और बाद मैं उस पर अ़मल करने वालों के अ़मल का भी अज्र मिलेगा, और उन अ़मल करने वालों के

अज्र में कोई कमी नहीं होगी। और जिसने इस्लाम में किसी बुरे अ़मल की शुरूआ़त की (यानी बुनियाद डाली) उसे अपने बुरे अ़मल का भी गुनाह होगा और बाद में उस पर अ़मल करने वालों के अ़मल का भी गुनाह होगा, और उन अ़मल करने वालों के गुनाह (सज़ा) में कोई कमी नहीं होगी।

हदीस 315. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि अबू मसऊद अन्सारी बयान करते हैं कि हमें सदक़ा करने का हुक्म दिया गया, हम उस वक़्त बोझ उठाया करते थे यानी मज़दूरी किया करते थे। अबू अ़क़ील रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने आधा साअ़ (अढ़ाई किलो) सदक़ा दिया, एक और शख़्स उनसे ज़्यादा लेकर आया। मुनाफ़िक़ों ने कहा कि इस सदक़े की अल्लाह तआ़ला को ज़रूरत नहीं है और दूसरे ने तो महज़ दिखलावे के लिये सदक़ा दिया है। उस वक़्त यह आयत नाज़िल हुई-

तर्जुमाः- जो लोग अपनी ख़ुशी से सदक़ा देने वालों पर और उन लोगों पर तंज़ (कटाक्ष) करते हैं जो सिर्फ़ अपनी मेहनत व मज़दूरी के हिसाब से सदक़ा दे पाते हैं, अल्लाह तआ़ला उन पर तंज़ (ताने मारता और कटाक्ष) करता है, और उनके लिये दर्दनाक अ़ज़ाब है। (सूरः तौबा 9, आयत 79)

हदीस 316. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिसने किसी शख़्स को दूध देने वाला जानवर दिया, सुबह दूध के वक़्त उसको एक सदक़े का सवाब मिलेगा और शाम को दूध के वक़्त उसे एक सदक़े का सवाब मिलेगा।

वज़ाहतः- जब तक ग़रीब आदमी उस जानवर का दूध पीता रहेगा उस वक़्त तक जानवर देने वाले को सवाब मिलता रहेगा।

हदीस 317. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब कोई औ़रत अपने घर के खाने को ज़ाया किये बग़ैर ख़र्च करे तो उसको ख़र्च करने का अज्र मिलेगा, और उसके शौहर को कमाने का, और ख़ाज़िन (हिफ़ाज़त करने वाले, ख़ज़ानची) को भी उतना ही अज्र मिलेगा, और किसी को अज्र मिलने से दूसरे का अज्र कम नहीं होगा।

वज़ाहतः- नेक काम में मदद व सहयोग करने वाला भी सवाब में

बराबर का शरीक होता है।

हदीस 318. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से आज किसने रोज़ा रखा? हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़र्ज़ किया- मैंने। आपने फ़रमाया- तुम में से आज किसने मिस्कीन को खाना खिलाया। हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़र्ज़ किया- मैंने। आपने फ़रमाया- तुम में से किसने आज मरीज़ की इयादत की। अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़र्ज़ किया- मैंने, तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ये सब काम जिस शख़्स में जमा हो जायें तो वह ज़रूर जन्नत में दाख़िल होगा।

हदीस 319. हज़रत असमा बिन्ते अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ख़र्च करो और गिन-गिनकर मत रखो वरना अल्लाह तआ़ला भी तुम्हें गिन-गिनकर देगा, और जमा मत करो वरना अल्लाह तआ़ला भी तुम्हारे मामले में जमा करके रखेगा।

हदीस 320. हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बेहतरीन सदक़ा वह है कि जिसमें सदक़ा करने के बाद भी आदमी मालदार रहे और ऊपर वाला हाथ (सदक़ा देने वाला) निचले हाथ (सदक़ा लेने वाले) से बेहतर है, और जो तुम्हारी कफ़ालत (ज़िम्मेदारी और परवरिश) में हैं उनसे (सदक़ा देने की) शुरूआ़त करो।

वज़ाहतः- बीवी-बच्चों, माँ-बाप और रिश्तेदारों पर ख़र्च करना भी अज्र व सवाब का ज़रिया है।

हदीस 321. हज़रत मुआ़विया रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला जिस शख़्स के साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अ़ता कर देता है, और मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना कि मैं सिर्फ़ तक़सीम करने वाला हूँ जिसको मैंने ख़ुशी से दिया उसको बरकत होगी और

जिसको मैंने उसके माँगने या उसकी हिर्स की वजह से दिया तो वह उस शख़्स की तरह है जो खाता है और सैर नहीं होता (यानी उसका पेट नहीं भरता)।

वज़ाहतः- बिना ज़रूरत माँगने वाले के माल में बरकत नहीं रहती।

हदीस 322. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इनसान सवाल करता रहेगा यहाँ तक कि क़ियामत के दिन इस हाल में आयेगा कि उसके चेहरे पर गोश्त का एक टुकड़ा भी नहीं होगा।

वज़ाहतः- बग़ैर ज़रूरत के सवाल करने वाले के लिये बहुत बड़ी वईद (डाँट और धमकी) है, और माँगने का पेशा इख़्तियार करने की सख़्त निन्दा है। बिना वजह और शरई उज़्र के बग़ैर माँगने वाले इस पर ध्यान दें।

हदीस 323. हज़रत क़बीसा बिन मख़ारिक़ हिलाली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं एक बड़ी रक़म का क़र्ज़दार हो गया था। मैं रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ ताकि आप से उसके मुताल्लिक़ सवाल करूँ। आपने फ़रमाया- उस वक़्त तक हमारे पास ठहरो जब तक सदक़े का माल आ जाये, मैं उसमें से तुम्हें दूँगा। (इन्शा-अल्लाहुल्-अ़ज़ीज़) फिर फ़रमाया- ऐ क़बीसा! तीन शख़्सों के अ़लावा और किसी के लिये सवाल करना जायज़ नहीं, एक वह शख़्स जो क़र्ज़दार हो जाये उसके लिये उतनी मिक़दार का सवाल जायज़ है जिससे उसका क़र्ज़ा अदा हो जाये, उसके बाद वह सवाल से रुक जाये। दूसरा वह शख़्स जिसके माल को कोई नागहानी आफ़त पहुँची हो जिससे उसका माल तबाह हो गया हो, उसके लिये उतना सवाल करना जायज़ है जिससे उसका गुज़ारा हो जाये। तीसरा वह शख़्स जो फ़ाक़े का मारा हुआ हो और उसके क़बीले के तीन अ़क़्लमन्द आदमी इस बात पर गवाही दें कि वाक़ई यह फ़ाक़े का शिकार है, तो उसके लिये भी उतनी मिक़दार (मात्रा) का सवाल करना जायज़ है जिससे उसका गुज़ारा हो जाये। ऐ क़बीसा इन तीन शख़्सों के अ़लावा सवाल करना हराम है, और जो (इनके अ़लावा किसी और सूरत में) सवाल करके खाता है तो वह हराम खाता है। (अल्लाह अपनी पनाह में रखे)

वज़ाहतः- कर्ज़दार शख़्स के लिये सवाल करने की इजाज़त उस वक़्त है जब उसने किसी जायज़ ज़रूरत की वजह से क़र्ज़ लिया हो, अगर किसी गुनाह की ख़ातिर क़र्ज़ लिया हो तो सवाल की इजाज़त नहीं। फ़ाक़े के शिकार के लिये उसकी क़ौम के तीन अक़्लमन्द आदमियों की गवाही अच्छी और पसन्दीदा बात है वरना दो आदमियों की गवाही भी काफ़ी है। इस हदीस से मालूम हुआ कि माँगने को पेशा बनाने का इस्लाम में कोई जवाज़ (औचत्य) नहीं और इस्लामी हुकूमत का फ़र्ज़ है कि पेशेवर माँगने वालों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करे। आजकल कुछ लोग बनावटी तौर पर और कुछ जान-बूझकर माज़ूर बन जाते हैं और अपने हाथ-पैर ख़राब कर लेते हैं, ऐसी हालत और शक्ल इख़्तियार करते हैं कि देखने वाले को तरस आये और ज़्यादा भीख मिले। ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत बदन के अंगों का सही-सालिम होना है, ये लोग अल्लाह तआ़ला की इस नेमत को ज़ाया करते हैं और नेमत की नाशुक्री के अपराधी होते हैं। आ़म लोगों को भी चाहिये कि जब वह सदक़ा-ख़ैरात करने लगें तो जाँच-पड़ताल के बाद दें ताकि सदक़ा सही हक़दार लोगों तक पहुँच जाये।

हदीस 324. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब भी मुझे कोई चीज़ देते तो मैं कह दिया करता था कि जो मुझसे ज़्यादा ज़रूरत मन्द हो उसे दे दें यहाँ तक कि एक बार आपने मुझे कुछ माल दिया, मैंने अ़र्ज़ किया जो शख़्स मुझसे ज़्यादा ज़रूरत मन्द हो उसे दे दें, तो रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- यह ले लो और वह माल जो तुम्हारे पास बग़ैर लालच और सवाल के आया करे उसको ले लिया करो, और जो इस तरह न आये उसका ख़्याल न किया करो।

हदीस 325. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मालदारी माल से नहीं बल्कि मालदारी नफ़्स की मालदारी से हासिल होती है।

वज़ाहतः- जो शख़्स माल रखने के बावजूद माल व दौलत का लालची हो और माल में ज़्यादती का तालिब हो वह ग़नी (मालदार) नहीं है।

मुसलमान की शान यह है कि वह दुनिया और दुनिया की चीज़ों से बेनियाज़ (बेपरवाह) रहे और अल्लाह तआ़ला का मोहताज रहे।

हदीस 326. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुझे अपने बाद तुम पर सबसे बड़ा ख़तरा यह है कि अल्लाह तआ़ला तुम पर दुनिया की ज़ैब व ज़ीनत और तरोताज़गी के दरवाज़े खोल देंगे। एक सहाबी ने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! क्या ख़ैर के सबब से शर भी आ सकता है? रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ख़ामोश रहे, दूसरे सहाबा किराम ने उस सहाबी से कहा कि क्या वजह है कि आप रसूले करीम से सवाल कर रहे हो और आप ख़ामोश हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर वही का नुज़ूल (उतरना) शुरू हुआ, जब आप मामूल पर आ गये तो आपने अपना पसीना साफ़ किया और फ़रमाया- वह सवाल करने वाला कहाँ है? गोया आपने उसकी अच्छाई बयान फ़रमाई फिर फ़रमाया- ख़ैर के सबब से शर नहीं आता, बहार का मौसम जो सब्ज़ा (हरियाली) उगाता है या तो वह सब्ज़ा जानवरों को मार देता है या मौत के क़रीब कर देता है सिवाय उन जानवरों के जो सब्ज़ा खाते हैं, और पेट भरकर धूप में लेटकर लीद और पेशाब करते हैं उसके बाद चरना शुरू कर देते हैं यह दुनिया का माल सरसब्ज़ और मीठा है, और मुसलमान का अच्छा साथी वह माल है जो उसने यतीम, मिस्कीन और मुसाफ़िर को दे दिया हो, और जो उस माल को नाहक़ लेता है वह उस जानवर की तरह है जो खाता है लेकिन सैर नहीं होता, यह माल उसके ख़िलाफ़ क़ियामत के दिन गवाही देगा।

वज़ाहतः- आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने माल व दौलत की वजह से फ़ितने में पड़ने की शंका ज़ाहिर की तो सहाबी ने कहा- माले ग़नीमत में जो माल हासिल होता है वह तो ख़ैर ही है उसके बाद शर कैसे हो सकता है? तो आपने जवाब दिया कि अगर उस माल को दरमियानी हिसाब से ख़र्च किया जाये तो वह ख़ैर है और अगर फ़ुज़ूलख़र्ची की जाये तो वह शर (बुराई) है, जिस तरह बहार के मौसम का सब्ज़ा कुछ जानवरों के लिये फ़ायदा देने वाला और कुछ के लिये नुक़सानदेह है।

हदीस 327. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस शख़्स ने इस्लाम क़ुबूल कर लिया, जिसको ज़रूरत के मुताबिक़ रोज़ी दी गयी और जिसे अल्लाह ने उन चीज़ों पर किफ़ायत करने वाला बनाया जो उसको दी गयी हैं तो उसने फ़लाह पा ली (यानी आख़िरत में जहन्नम से निजात हासिल कर ली)।

हदीस 328. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ जा रहा था और आप उस दौरान एक नजरानी क़िस्म की चादर ओढ़े हुए थे जिसके किनारे मोटे थे। अचानक एक देहाती आया और उसने आपकी चादर मुबारक ज़ोर से खींची, मैंने देखा कि उसकी वजह से आपकी गर्दन पर निशान पड़ गया है, फिर कहने लगा- ऐ महम्मद! आपके पास जो अल्लाह का माल है उसमें से मुझे देने का हुक्म दीजिए। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उसकी तरफ़ मुतवज्जह होकर हंसे और उसको माल देने का हुक्म दिया।

वज़ाहतः- यह आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के अच्छे अख़्लाक़ की खुली दलील है कि उस देहाती ने आपके साथ कितना बुरा सुलूक किया और आपने उसके जवाब में कितना अच्छा रवैया इख़्तियार किया।

हदीस 329. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जिअ़राना (मक़ाम) पर एक आदमी रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आया जिस वक़्त आप जंगे हुनैन से लौटे और बिलाल रज़ियल्लाहु अ़न्हु के कपड़े में चाँदी थी और रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उससे मुट्ठी भर-भरकर लोगों को दे रहे थे। उसने कहा- ऐ मुहम्मद! इन्साफ़ करें, तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम्हारे लिये वैल (जहन्नम) हो, कौन है जो इन्साफ़ करे जब मैं इन्साफ़ न करूँ। अगर ऐसा ही है कि मैं अ़दल न करूँ तो मैं ग़रीब और नुक़सान उठाने वाला रहूँगा। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे इजाज़त दें तो मैं इस मुनाफ़िक़ को क़त्ल कर दूँ। आपने कहा- अल्लाह तआ़ला की पनाह! लोग बातें करेंगे कि मैं अपने

साथियों को क़त्ल करता हूँ हालाँकि यह और इसके साथी क़ुरआन पढ़ते हैं लेकिन वह उनके हलक़ से नीचे नहीं उतरता और यह क़ुरआन (इस्लाम) से ऐसे निकल जायेंगे जैसे तीर निशाना से निकल जाता है।

हदीस 330. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बहुत जल्द आख़िरी ज़माने में एक क़ौम निकलेगी नौउम्र और उनके अ़क्ल वाले बेवक़ूफ़ होंगे, बात तो वे सब मख़्लूक़ात से अच्छी करेंगे, क़ुरआन पढ़ेंगे लेकिन वह उनके हलक़ से न उतरेगा। दीन से वे इस तरह निकल जायेंगे जैसा कि तीर निशाने से निकल जाता है। जब तुम उनसे मिलो तो उनको क़त्ल कर देना क्योंकि उनको क़त्ल करने वाले को अल्लाह के यहाँ क़ियामत के दिन सवाब होगा।

हदीस 331. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हसन बिन अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने सदक़े की खजूरों में से एक खजूर लेकर अपने मुँह में डाल ली तो रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- थू, थू, इसे फेंक दो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम सदक़ा नहीं खाते, हमारे लिये सदक़ा खाना हलाल ही नहीं है।

हदीस 332. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक खजूर पाई तो फ़रमाया- अगर यह सदक़े की न होती तो मैं इसे खा लेता।

हदीस 333. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास जब खाना लाया जाता तो आप उसके बारे में मालूम फ़रमाते, अगर बताया जाता कि यह हदिया है तो आप खा लेते, और अगर कहा जाता कि सदक़ा है तो फिर न खाते।

वज़ाहत:- सैयदों के लिये सदक़ा हलाल नहीं, इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अ़न्हु को वह खजूर न खाने दी और ख़ुद भी तोहफ़ा क़ुबूल फ़रमाते और सदक़ा न खाते थे।

हदीस 334. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जब भी रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास कोई जमाअ़त सदक़ा लेकर आती तो आप फ़रमाते-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ.

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह इन पर सलात (रहमत) नाज़िल फ़रमा।

जब मेरे वालिद अबू औफ़ा सदक़ा लेकर आये तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दुआ़ दी-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى.

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! अबू औफ़ा पर रहमत नाज़िल फ़रमाईये।

वज़ाहतः- सदक़ा और ज़कात वसूल करने वाले को ख़ैरात देने वालों के लिये ऊपर बयान हुई दुआ़ देनी चाहिये।

हदीस 335. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि बरीरा रज़ियल्लाहु अ़न्हा को कुछ गोश्त सदक़ा दिया गया तो उन्होंने वह गोश्त रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को हदिया कर दिया। आपने फ़रमाया कि यह गोश्त बरीरा को सदक़ा था हमारे लिये हदिया है।

वज़ाहतः- मिल्कियत के बदलने के साथ-साथ माल का हुक्म भी बदल जाता है।

रोज़ों का बयान

लुग़त में 'सौम' किसी चीज़ से रुकने और छोड़ देने को कहते हैं। शरई इस्तिलाह में इबादत की नीयत से फ़जर के निकलने (यानी सुबह सादिक़) से लेकर सूरज छुपने तक खाने-पीने, हमबिस्तरी और गन्दी बातों से रुके रहने को सौम (यानी रोज़ा) कहते हैं।

रोज़े की हिक्मतें

रोज़ा रखकर इनसान खाने-पीने और बीवी के साथ हमबिस्तरी को छोड़ देता है, बुरे अख़्लाक़ और बुरी आ़दतों से दूर रहता है और अल्लाह तआ़ला की मुहब्बत में 'नफ़्से अम्मारा' (बुराईयों का हुक्म करने वाले नफ़्स) के मुतालबों को रिजेक्ट कर देता है, इससे बढ़कर रोज़े की और क्या फ़ज़ीलत होगी कि रोज़ा बन्दे को अल्लाह तआ़ला के रंग में रंग देता है।

हदीस 336. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि

रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- रमज़ान से एक या दो दिन पहले (रमज़ान के स्वागत के लिये) रोज़ा न रखो, हाँ जिस आदमी की रोज़ा रखने की आ़दत हो वह रख सकता है।

वज़ाहतः- जो पीर और जुमेरात के दिन का रोज़ा रखता हो और आख़िरी शाबान के दिनों में पीर या जुमेरात के दिन आ जायें तो उसके लिये मना नहीं, अलबत्ता जो सिर्फ़ रमज़ान के स्वागत की वजह से ख़ास तौर पर रोज़ा रखता हो उसके लिये मना है।

हदीस 337. हज़रत अ़दी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जब यह आयत नाज़िल हुई-

तर्जुमाः- तुम उस वक़्त तक खाते पीते रहो जब तक सफ़ेद धारी सियाह धारी से अलग न हो जाये, यानी सुबह सादिक़ न हो जाये। फिर रोज़े को (सूरज छुपने तक) पूरा करो। (सूरः अल्-ब-क़रह 2, आयत 187)

तो मैंने आप से अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने अपने तकिये के नीचे काले और सफ़ेद रंग के दो धागे रख लिये हैं और उनकी वजह से मैं रात और दिन में फ़र्क़ और पहचान कर लेता हूँ।

रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम्हारा तकिया बहुत लम्बा-चौड़ा है (जिसके नीचे रात और दिन आ जाते हैं), काली और सफ़ेद धारी से दिन और रात मुराद हैं।

वज़ाहतः- क़ुरआन मजीद को समझने के लिये हदीसे मुबारक की सख़्त ज़रूरत है, सहाबा किराम अ़रबी भाषा जानने के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के वज़ाहत किये बग़ैर क़ुरआन मजीद न समझ सकते थे तो हम कैसे समझ सकेंगे?

हदीस 338. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ रमज़ान के महीने में एक सफ़र पर थे। जब सूरज ग़ुरूब हो गया तो आपने फ़रमाया- ऐ फ़ुलाँ उतरो और हमारे लिये सत्तू मिलाओ। उन्होंने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! अभी तो दिन है? आपने फ़रमाया- उतरो और हमारे लिये सत्तू मिलाओ। वह उतरे और उन्होंने सत्तू मिलाकर आपकी ख़िदमत

में पेश किये। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सत्तू पिया, फिर आपने अपने हाथ मुबारक से (इशारा करके) फ़रमाया- जब सूरज इस तरफ़ से गुरूब हो जाये और इस तरफ़ से रात आ जाये तो रोज़ा रखने वाले को रोज़ा इफ़्तार कर लेना चाहिये।

वज़ाहतः- रोज़ा इफ़्तार करने में देरी नहीं करनी चाहिये।

हदीस 339. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- विसाल के रोज़े न रखो। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने अ़र्ज़ किया कि आप तो विसाल के रोज़े रखते हैं। आपने फ़रमाया- इस मामले में तुम मेरी तरह नहीं हो, मैं इस हाल में रात गुज़ारता हूँ कि मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है और तुम वह काम किया करो जो आसानी से कर सको।

वज़ाहतः- 'सौम-ए-विसाल' के मायने यह हैं कि एक रोज़े के बाद दूसरा रोज़ा कुछ खाये पिये बग़ैर रखा जाये जो मना है।

हदीस 340. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम रोज़े की हालत में मेरा बोसा (चुंबन) ले लिया करते थे और तुम में से कौन है जो अपने जज़्बात को क़ाबू में रख सके, जिस तरह कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को अपने जज़्बात पर कन्ट्रोल था।

वज़ाहतः- रोज़े की हालत में बीवी का बोसा लेना जायज़ है बशर्ते कि अपने जज़्बात पर कन्ट्रोल

हदीस 341. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम एक सफ़र में थे और आपने एक आदमी को देखा कि लोग उसके आस-पास जमा हैं और उस पर साया किया गया है, आपने फ़रमाया- इस आदमी को क्या हुआ? लोगों ने अ़र्ज़ किया- यह एक आदमी है जिसने रोज़ा रखा हुआ है। तब रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- यह नेकी नहीं कि तुम सफ़र में रोज़ा रखो।

वज़ाहतः- सफ़र में रोज़ा न रखना अफ़ज़ल है।

हदीस 342. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ रमज़ान मुबारक में सफ़र करते थे, न ही रोज़ेदार के रोज़े पर कोई तन्क़ीद (आलोचना) करता था और न ही रोज़ा छोड़ने वाले के छोड़ने पर कोई तन्क़ीद करता था।

वज़ाहतः- सफ़र के दौरान रोज़ा रखना भी जायज़ है मगर अल्लाह तआ़ला की दी हुई रुख़्सत (छूट और रियायत) पर अ़मल करना अफ़ज़ल है यानी सफ़र में रोज़ा न रखना बेहतर है।

हदीस 343. हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि लोग अ़रफ़ा के दिन रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के रोज़े के बारे में शक में पड़ गये। चुनाँचे मैंने आपकी तरफ़ दूध का एक प्याला भेजा जिस वक़्त कि आप अ़रफ़ात के मैदान में खड़े हुए थे। आपने उस प्याले से दूध पिया जबकि लोग आपकी तरफ़ देख रहे थे।

वज़ाहतः- हाजियों को अ़रफ़ात के मैदान में रोज़ा नहीं रखना चाहिये, और जो लोग अ़रफ़ात के मैदान में मौजूद न हों उनके लिये 9 ज़िलहिज्जा को रोज़ा रखना मस्नून है।

हदीस 344. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ईदुल-अज़्हा और ईदुल-फ़ित्र के दिन के रोज़े रखने से मना फ़रमाया है।

हदीस 345. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- 'अय्याम-ए-तशरीक़' खाने-पीने के दिन हैं (यानी उनमें रोज़ा नहीं रखना चाहिये)।

वज़ाहतः- 'अय्याम-ए-तशरीक़' ईदुल-अज़्हा के बाद वाले तीन दिन यानी 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा हैं, इन दिनों में रोज़ा रखना मना है।

हदीस 346. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- रातों में सिर्फ़ जुमे की रात को क़ियाम (नमाज़ में खड़े होने) के साथ ख़ास न करो और दिनों में सिर्फ़ जुमा के दिन को रोज़े के साथ ख़ास न करो, सिवाय इसके कि कोई शख़्स (किसी तारीख़ को) हमेशा रोज़ा रखता हो और (उस तारीख़ में)

जुमे का दिन आ जाये।

वज़ाहतः- जुमा के दिन रोज़ा रखने से मना करने की एक वजह यह है कि जिस तरह यहूदी लोगों ने हफ़्ते (शनिवार) के दिन की ज़रूरत से ज़्यादा ताज़ीम (सम्मान) की और बाक़ी दिनों में आमाल से ग़फ़लत बरती, कहीं मुसलमान भी जुमे की ताज़ीम करके बाक़ी दिनों में आमाल से ग़ाफ़िल न हो जायें। दूसरी वजह यह है कि जुमा के दिन जुमा की नमाज़ के लिये जो कोशिश की जाती है रोज़े की वजह से उन आमाल में कमज़ोरी न पाई जाये, और ज़्यादा सही बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जुमा का दिन ईद का दिन है तो तुम अपनी ईद के दिन रोज़ा न रखो मगर यह कि उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद भी रोज़ा रखो तो जुमे का रोज़ा रख लो वरना नहीं।

हदीस 347. हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास बैठा हुआ था कि एक औ़रत आई और उसने अ़र्ज़ किया कि मैंने अपनी माँ पर एक बाँदी सदक़ा की थी और वह फ़ौत हो गयी है। आपने फ़रमाया- तुम्हारा अज्र लाज़िम है और विरासत ने तुम पर उसे लौटा दिया। उस औ़रत ने अ़र्ज़ किया कि उन पर एक महीने के रोज़े भी लाज़िम थे, क्या मैं उनकी तरफ़ से रोज़ा रखूँ? आपने फ़रमाया- तुम उनकी तरफ़ से रोज़े रख लो। उस औ़रत ने अ़र्ज़ किया कि मेरी माँ ने हज नहीं किया था, क्या मैं उनकी तरफ़ से हज भी कर लूँ? आपने फ़रमाया- तुम उनकी तरफ़ से हज भी कर लो।

हदीस 348. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला इरशाद फ़रमाता है- आदम के बेटे ने रोज़े के अ़लावा हर अ़मल अपने लिये किया और रोज़ा मेरे लिये रखा और उसकी खुसूसी जज़ा (बदला) मैं खुदा ही दूँगा। उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मुहम्मद की जान है, अल्लाह के नज़दीक रोज़ेदार के मुँह की बू मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है।

हदीस 349. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- रोज़ा (जहन्नम की

आग से बचाव के लिये) ढाल है।

वज़ाहतः- जिस तरह ज़िरह (जंगी लिबास) जंग के दौरान जिस्म के लिये ढाल होती है, उसे ज़ख़्मों से महफ़ूज़ रखती है इसी तरह रोज़ा भी जहन्नम से बचाव का ज़रिया है।

हदीस 350. हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस शख़्स ने एक दिन अल्लाह तआ़ला की राह में रोज़ा रखा अल्लाह तआ़ला जहन्नम की आग को उस चेहरे से सत्तर साल की दूरी तक दूर फ़रमा देंगे।

हदीस 351. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि एक दिन रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मेरे पास तशरीफ़ लाकर फ़रमाया- क्या तुम्हारे पास कुछ (खाने के लिये) है? हमने अ़र्ज़ किया- नहीं। आपने फ़रमाया- तो फिर मैं रोज़ा रख लेता हूँ। फिर आप दूसरे दिन तशरीफ़ लाये तो फिर हमने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे लिये हसीस (एक क़िस्म का खाना जो खजूर, घी और सत्तू से तैयार किया जाता है) हदिया लाया गया है। आपने फ़रमाया- वह मुझे दिखाओ, मैंने सुबह रोज़े की नीयत की थी। फिर आपने उसे खा लिया।

हदीस 352. हज़रत आ़यशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम साल के किसी महीने में शाबान से ज़्यादा रोज़े नहीं रखते थे और आप फ़रमाते थे कि अपनी ताक़त के मुताबिक़ इबादत किया करो, क्योंकि अल्लाह तआ़ला (तुम्हें अज्र व सवाब अ़ता करने से) उस वक़्त तक नहीं उकताता जब तक कि तुम (इबादत करने से) न उकता जाओ, और आप मज़ीद फ़रमाते थे कि अल्लाह तआ़ला के नज़दीक पसन्दीदा अ़मल वह है जो लगातार (यानी पाबन्दी से) किया जाये चाहे वह मात्रा में कम हो।

हदीस 353. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम रमज़ान के अ़लावा कोई मुकम्मल महीना रोज़ा नहीं रखते थे, और जब आप रोज़ा रखते तो कहने वाला कहता- अल्लाह की क़सम अब आप रोज़ा रखना नहीं छोड़ेंगे। और जब

रोज़ा रखना छोड़ते तो कहने वाला कहता- अल्लाह की क़सम अब आप रोज़ा नहीं रखेंगे।

हदीस 354. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझसे फ़रमाया- हर महीने में एक क़ुरआन मजीद पढ़ो। मैंने अ़र्ज़ किया कि मैं तो इससे ज़्यादा पढ़ने की ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया- फिर तुम बीस रातों में क़ुरआन मजीद पढ़ो। मैंने अ़र्ज़ किया कि इससे भी ज़्यादा पढ़ने की ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया- फिर तुम सात दिनों में क़ुरआन मजीद पढ़ो और इससे ज़्यादा न करो (यानी इससे कम वक़्त में क़ुरआन मजीद ख़त्म न करो)।

वज़ाहतः- यानी क़ुरआन करीम को समझकर और ठहर-ठहरकर पढ़ना चाहिये।

हदीस 355. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- रोज़ों में से सबसे पसन्दीदा रोज़ा अल्लाह के नज़दीक दाऊद अ़लैहिस्सलाम का रोज़ा है, और नमाज़ में अल्लाह के नज़दीक सबसे पसन्दीदा नमाज़ दाऊद अ़लैहिस्सलाम की नमाज़ है। वह आधी रात सोते थे और तीसरा हिस्सा क़ियाम करते (नमाज़ में गुज़ारते) थे (फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद) रात के छठे हिस्से में सो जाते थे। और एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन इफ़्तार करते थे।

हदीस 356. हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और पूछा- आप किस तरह रोज़े रखते हैं? रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उसकी बात से नाराज़ हुए। जब हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने आपकी नाराज़गी को देखा तो कहा हम अल्लाह को रब मानने से राज़ी हैं, इस्लाम को दीन मानने से राज़ी हैं और मुहम्मद को नबी मानने से राज़ी हैं। अल्लाह और उसके रसूल के गुस्से से हम अल्लाह तआ़ला की पनाह में आते हैं।

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु इस कलाम को बार-बार दोहराते रहे यहाँ

तक कि आपका गुस्सा ठण्डा हो गया। फिर उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! जो शख़्स पूरी उम्र-रोज़े रखे उसके लिये क्या हुक्म है? आपने फ़रमाया उसका रोज़ा है न इफ़्तार। हज़रत उमर ने अ़र्ज़ किया जो शख़्स दो दिन रोज़े रखे और एक दिन इफ़्तार करे उसके लिये क्या हुक्म है? आपने फ़रमाया इसकी कौन ताक़त रखता है? हज़रत उमर ने अ़र्ज़ किया जो शख़्स एक दिन रोज़ा रखे और एक दिन इफ़्तार करे? आपने फ़रमाया यह दाऊद अ़लैहिस्सलाम के रोज़े हैं। हज़रत उमर ने अ़र्ज़ किया जो शख़्स एक दिन रोज़ा रखे और दो दिन इफ़्तार करे? आपने फ़रमाया मेरी ख़्वाहिश है कि मुझे इसकी क़ुव्वत हासिल हो। फिर रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हर महीने तीन दिन के रोज़े रखना और एक रमज़ान के बाद दूसरे रमज़ान के रोज़े रखना यह तमाम उम्र (सौम-ए-दहर) के रोज़े हैं, और अ़रफ़ा के दिन (9 ज़िलहिज्जा) का रोज़ा रखने से मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तआ़ला उससे एक साल पहले और एक साल बाद के गुनाह माफ़ फ़रमा देगा, और मुझे उम्मीद है कि आ़शूरा के दिन (10 मुहर्रम) का रोज़ा रखने से अल्लाह तआ़ला एक साल पहले के गुनाह माफ़ कर देगा।

हदीस 357. हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पीर के रोज़े के बारे में मालूम किया गया तो आपने फ़रमाया- उस दिन मैं पैदा हुआ और उस दिन मुझ पर वही नाज़िल की गयी।

वज़ाहतः- पीर का रोज़ा रखना सुन्नत है।

हदीस 358. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा गया- फ़र्ज़ नमाज़ के बाद कौनसी नमाज़ सबसे अफ़ज़ल है और रमज़ान के महीने के बाद किस महीने के रोज़े सबसे अफ़ज़ल हैं? आपने फ़रमाया- फ़र्ज़ नमाज़ के बाद सबसे अफ़ज़ल नमाज़ तहज्जुद की है और रमज़ान के महीने के बाद सबसे अफ़ज़ल रोज़े (अल्लाह तआ़ला के महीने) मुहर्रम के हैं।

वज़ाहतः- नौ (9) और दस (10) मुहर्रम का रोज़ा रखना बड़े सवाब

का ज़रिया है।

हदीस 359. हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस शख़्स ने रमज़ान के रोज़े रखे और फिर उसके बाद शव्वाल के भी 6 रोज़े रखे तो यह (शख़्स) हमेशा रोज़े रखने वाले की तरह है (यानी इसे पूरा साल रोज़े रखने का सवाब मिलेगा)।

हदीस 360. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- "लैलतुल्-क़द्र" (शबे क़द्र) को रमज़ान के आख़िरी अ़शरे (दस रातों) में तलाश करो।

हदीस 361. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा हमने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने लैलतुल-क़द्र (शबे क़द्र) का तज़किरा किया। आपने फ़रमाया कि तुम में से किसको याद है? शबे क़द्र उस रात में है जिसमें चाँद थाल के एक टुकड़े की तरह निकलता है।

वज़ाहतः- इस हदीस में शबे क़द्र की निशानी बयान हुई है।

एतिकाफ़ का बयान

हदीस 362. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम रमज़ान के आख़िरी अ़शरे (आख़िर के दस दिनों) में बाक़ी दिनों के मुक़ाबले में इबादत में ज़्यादा कोशिश करते थे।

वज़ाहतः- इसलिये कि इन दिनों में इबादत करने का दूसरे दिनों की तुलना में ज़्यादा सवाब मिलता है।

हज का बयान

"हज" लुग़त में किसी चीज़ की तरफ़ इरादा करने को कहते हैं। शरीअ़त की इस्तिलाह (परिभाषा) में इबादत के लिये बैतुल्लाह के इरादे को हज कहते हैं।

हदीस 363. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत

है कि एक शख़्स ने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सवाल किया कि मुहरिम (हज की नीयत से एहराम बाँधने वाला) किस क़िस्म का लिबास पहने? रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़मीज़ न पहनो, पगड़ी न बाँधो, शलवार न पहनो, टोपी न ओढ़ो और न मौज़े पहनो, हाँ मगर यह कि किसी शख़्स को जूती मयस्सर न हो तो वह मौज़ों को टख़्नों के नीचे से काटकर पहन ले, और ऐसा लिबास बिल्कुल न पहनो जिसमें वरस (एक क़िस्म की ख़ुशबूदार घास) या ज़ाफ़रान का रंग या ख़ुशबू हो।

हदीस 364. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि मैं रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को एहराम से पहले ख़ुशबू लगाती (फिर आप एहराम बाँधते) इसी तरह 'तवाफ़े इफ़ाज़ा' से पहले भी आपको ख़ुशबू लगाती जब आप एहराम खोलते।

हदीस 365. हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ निकले यहाँ तक कि जब हम "क़ाहा" के मक़ाम पर पहुँचे तो हम में से कुछ लोग एहराम में थे और कुछ बग़ैर एहराम के, तो अचानक मैंने देखा कि मेरे साथी कोई चीज़ देख रहे हैं। मैंने देखा कि वह एक नील गाय थी। मैंने अपने घोड़े पर ज़ीन कस ली और मैंने अपना नेज़ा लिया फिर मैं सवार हो गया। मुझसे मेरा चाबुक गिर गया तो मैंने अपने साथियों से कहा कि मुझे मेरा चाबुक उठा दो और वे साथी एहराम (की हालत) में थे, वे कहने लगे अल्लाह तआ़ला की क़सम इस चीज़ पर हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। फिर मैं उतरा और मैंने चाबुक को उठाया और फिर सवार हो गया। मैंने उस नील गाय को जाकर पकड़ लिया जो एक टीले के पीछे थी। मैंने उसे नेज़ा मारा और उसकी कोचें (एड़ी के ऊपर से पाँव के पट्ठे) काट दीं और उसे अपने साथियों के पास ले आया। उनमें से कुछ साथियों ने कहा कि तुम इसे न खाओ। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हमारे आगे थे, मैंने अपने घोड़े को दौड़ाकर आपको पा लिया और आप से पूछा तो आपने फ़रमाया- "वह हलाल है, तुम उसे खा लो।"

वज़ाहतः- जिस आदमी ने हज या उमरे का एहराम बाँधा हो तो उसके लिये जंगल का शिकार करना हराम है और अगर एहराम वाला ख़ुद शिकार न करे और न ही शिकार करने का हुक्म दे और न ही उस पर इशारा या कोई रहनुमाई करे और न ही शिकार करने वाले की मदद करे तो उस सूरत में शिकार का गोश्त खाना सही है।

हदीस 366. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- पाँच जानवर ऐसे हैं जिनको एहराम की हालत में क़त्ल करना गुनाह नहीं है, उनमें बिच्छू, चूहा, काटने वाला कुत्ता, कौआ और चील है।

वज़ाहतः- एहराम की हालत में ऐसी चीज़ को मारना जायज़ है जो नुक़सान पहुँचाये।

हदीस 367. हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक आदमी की आँखों में तकलीफ़ हो गयी और वह आदमी एहराम की हालत में था तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उसकी आँखों पर घीकवार का लेप कराया।

वज़ाहतः- मुहरिम (एहराम वाले) की आँखों में कोई तकलीफ़ वग़ैरह हो तो ऐलवा वग़ैरह का लेप जिसमें ख़ुशबू वग़ैरह न हो दवा के तौर पर इस्तेमाल करना जायज़ है, और इसमें किसी क़िस्म का फ़िदया वाजिब नहीं होता।

हदीस 368. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन हुनैन रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु और मिस्वर बिन मख़्रमा के बीच इबवा के स्थान पर इख़्तिलाफ़ (मतभेद) हो गया। अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमते थे कि एहराम वाला आदमी अपना सर धो सकता है और मिस्वर रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमतो थे कि एहराम वाला आदमी अपने सर को नहीं धो सकता। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने मुझे अबू अय्यूब अन्सारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु की तरफ़ इस मसले के बारे में पूछने के लिये भेजा तो मैंने उनको दो लकड़ियों के दरमियान एक कपड़े से पर्दा किये हुए गुस्ल करते हुए पाया। मैंने उन पर सलाम किया तो उन्होंने फ़रमाया-

कौन है? मैंने कहा कि मैं अ़ब्दुल्लाह बिन हुनैन हूँ। मुझे अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने आपकी तरफ़ इसलिये भेजा है ताकि मैं आप से पूछूँ कि क्या रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम एहराम की हालत में अपना सर धोते थे? हज़रत अय्यूब ने अपने हाथ से कपड़े को नीचे किया यहाँ तक कि आपका सर ज़ाहिर हुआ, फिर उन्होंने किसी पानी डालने वाले को फ़रमाया कि पानी डालो तो उसने आपके सर पर पानी डाला। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपने सर को हिलाया, फिर हाथों को सर पर फेरकर आगे से पीछे की तरफ़ लाये और पीछे से आगे की तरफ़ लाये। फिर हज़रत अबू अय्यूब फ़रमाने लगे कि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को इसी तरह करते देखा है।

वज़ाहतः- मुहरिम अपना सर और बदन धो सकता है।

हदीस 369. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि हम रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ हज्जतुल्-विदा के साल निकले तो हम में से कुछ ने उमरे का एहराम बाँधा और कुछ ने हज और उमरा दोनों का एहराम बाँधा और कुछ ने सिर्फ़ हज का एहराम बाँधा हुआ था, और रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हज का एहराम बाँधे हुए थे। तो जिन्होंने उमरे का एहराम बाँधा हुआ था वे तो हलाल हो गये (एहराम खोल दिया), और जिन्होंने हज का एहराम बाँधा था या हज और उमरा दोनों का इकट्ठा एहराम बाँधा था वह क़ुरबानी वाले दिन से पहले हलाल नहीं हुए (एहराम नहीं खोले)।

हदीस 370. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि हम में से कुछ ने 'हज्जे इफ़राद' का एहराम बाँधा और कुछ ने 'हज्जे क़िरान' का और कुछ ने 'हज्जे तमत्तोअ़' का एहराम बाँधा।

वज़ाहतः- हज की तीन क़िस्में हैं-

1. हज्जे तमत्तोअ़ः मीक़ात से हज के महीनों में सिर्फ़ उमरे का एहराम बाँधना और फिर हज के दिनों में मक्का मुकर्रमा ही से हज का एहराम बाँधना 'हज्जे तमत्तो' कहलाता है, क्योंकि इसमें आदमी उमरे का एहराम खोलकर फ़ायदा हासिल करता है।

2. हज्जे क़िरानः यह है कि मीक़ात से हज और उमरा दोनों का एहराम बाँधा जाये और इसमें आदमी उमरे का एहराम बाँधे हुए मक्का मुकर्रमा में ही रहता है और वह हज से फ़राग़त के बाद एहराम खोलता है।

3. हज्जे इफ़रादः यह है कि सिर्फ़ हज ही का एहराम बाँधा जाये। इस तरह तीनों में से कोई भी कर लें तो जायज़ है।

हदीस 371. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने चार उमरे किये हैं और ये सब ज़ीक़ादा (के महीने यानी इस्लामी साल के ग्यारहवें महीने) में किये हैं सिवाय उस एक उमरे के जो आपने अपने हज के साथ किया। एक उमरा हुदैबिया के साल जो (सुलह) हुदैबिया के ज़माने में ज़ीक़ादा में किया, दूसरा उसके बाद वाले साल ज़ीक़ादा में किया। तीसरा उमरा जिअ़्राना से जब आपने ग़ज़्वा-ए-हुनैन का माले ग़नीमत तक़सीम किया यह भी ज़ीक़ादा में किया, चौथा उमरा आपने हज के साथ किया।

हदीस 372. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अन्सार की एक औ़रत से कहा- तू हमारे साथ हज करने क्यों नहीं जाती? उसने अ़र्ज़ किया कि हमारे पानी लाने के दो ही ऊँट थे, एक पर मेरा शौहर और बेटा हज करने के लिये गये हुए हैं और दूसरा ऊँट हमारा पानी लाने के लिये है। आपने फ़रमाया जब रमज़ान आये तो उमरा कर लेना क्योंकि रमज़ान में उमरा करने का सवाब हज के बराबर होता है।

वज़ाहतः- रमज़ान मुबारक में नफ़्ली इबादत करने का सवाब फ़र्ज़ के बराबर मिलता है इसलिये उसमें कसरत से नफ़्ली इबादत कीजिये। याद रहे कि रमज़ान मुबारक में उमरा करने से हज का फ़रीज़ा ज़िम्मे से नहीं उतरता, रक़म आते ही हज करना होगा।

हदीस 373. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि अन्सार के लोग इस्लाम लाने से पहले ग़स्सान और मनात (बुतों के नाम) के लिये एहराम बाँधते थे, तो वे इस वजह से सफ़ा और मरवा के दरमियान तवाफ़ करने को गुनाह समझते थे और यह उनके बाप-दादा (यानी पूर्वजों)

का तरीक़ा था कि जो मनात के लिये एहराम बाँधता तो वह सफ़ा मरवा के दरमियान तवाफ़ नहीं करता था। जिस वक़्त वे लोग इस्लाम ले आये तो उन्होंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से इस बारे में पूछा तो अल्लाह तआ़ला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई-

तर्जुमाः- सफ़ा और मरवा अल्लाह तआ़ला की निशानियों में से हैं तो जो कोई आदमी बैतुल्लाह का हज या उमरा करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं कि वह सफ़ा और मरवा के दरमियान तवाफ़ करे, और जो कोई नफ़्ली नेकी करेगा तो अल्लाह तआ़ला क़द्रदान और जानने वाले हैं।

(सूरः अल्-ब-क़रह 2, आयत 158)

वज़ाहतः- सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करना (झपट कर चलना) हज का रुक्न है उसके बग़ैर हज नहीं होता, और जाहिलीयत के ज़माने में समुद्र के किनारे पर दो बुत असाफ़ और नायला नाम के रखे हुए थे, उन बुतों के नाम पर ज़माना जाहिलीयत के लोग एहराम बाँधते और वहीं से आकर सफ़ा व मरवा के दरमियान चक्कर लगाते। उन बुतों के नाम रखने से लोगों का मक़सद यह था कि लोग अल्लाह तआ़ला से डरें और बैतुल्लाह का अदब करें, लेकिन शैतान ने इस असल मक़सद को तो भुला दिया, फिर शिर्क और बुत-परस्ती में मुब्तला कर दिया। फिर रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने आकर उन बुतों को तोड़ा और शिर्क व बिदअ़त से दुनिया को पाक व साफ़ किया।

हदीस 374. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने घर वालों में से जिन कमज़ोर लोगों को रात ही को मुज़्दलिफ़ा से मिना के लिये रवाना किया था मैं भी उनमें शामिल था।

वज़ाहतः- कमज़ोर मर्द और औ़रतों को मुज़्दलिफ़ा से मिना की तरफ़ रात को रवाना होने की ख़ास इजाज़त है, जबकि आ़म हाजियों के लिये रात मुज़्दलिफ़ा में गुज़ार कर मिना जाने का हुक्म है।

हदीस 375. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को देखा कि आपने

जमरा (शैतान के निशान) पर छोटी कंकरियाँ मारीं।

हदीस 376. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने क़ुरबानी वाले दिन चाश्त के वक़्त जमरा (अ़क़बा) पर कंकरियाँ मारीं और बाद के दिनों में सूरज के ढलने के बाद कंकरियाँ मारीं।

हदीस 377. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुज़नी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं ख़ाना काबा में हज़रत इब्ने अ़ब्बास के पास बैठा हुआ था, एक देहाती ने आकर हज़रत इब्ने अ़ब्बास से पूछा कि इसकी क्या वजह है कि आपके चचाज़ाद भाई तो दूध और शहद पिलाते हैं और आप नबीज़ (खजूरों का पानी) पिलाते हैं? इसकी वजह ग़ुर्बत है या कन्जूसी? हज़रत इब्ने अ़ब्बास ने फ़रमाया- अल्हम्दु लिल्लाह न तो हम ग़रीब हैं न ही बख़ील, असल वजह यह है कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपनी सवारी पर आये, उस वक़्त हज़रत उसामा आपके पीछे बैठे हुए थे। आपने पानी माँगा तो हमने आपको एक बर्तन में नबीज़ पेश किया, आपने नबीज़ पिया और बचा हुआ उसामा को दे दिया, उसामा ने आपका (बचा हुआ) तबर्रुक पिया, आपने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से फ़रमाया तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा ही किया करो। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया- रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमें जो हुक्म दिया था उसमें हम कोई तब्दीली नहीं करना चाहते।

वज़ाहतः- चूँकि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने नबीज़ पिलाने की तारीफ़ बयान फ़रमाई इसी लिये अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास हाजियों को नबीज़ पिलाया करते थे, और यह भी मालूम हुआ कि हाजियों की ख़िदमत करना सवाब का ज़रिया है।

हदीस 378. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुदैबिया के साल हमने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ एक ऊँट को सात आदमियों की तरफ़ से नहर (क़ुरबान) किया और गाय की क़ुरबानी भी सात आदमियों की तरफ़ से की।

वज़ाहतः- ऊँट की क़ुरबानी में सात आदमी शिर्कत करें तो बेहतर है

लेकिन दस अफ़राद की शिर्कत भी जायज़ है।

हदीस 379. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु एक शख़्स के पास आये और उसे देखा कि वह अपने ऊँट को बैठाकर नहर (क़ुरबान) कर रहा है, आपने फ़रमाया इसको उठाकर खड़ा करके पैर बाँधकर नहर करो, तुम्हारे नबी की यही सुन्नत है।

वज़ाहतः- ऊँट को खड़ा करके नहर (क़ुरबान) करना चाहिये। उसकी अगली दायीं टाँग को घुटने से बाँध दिया जाये और बाक़ी तीनों टाँगों पर खड़ा करके उसे नहर करना मस्नून है, और बकरी, गाय और दूसरे जानवरों को लिटाकर ज़िबह करना मस्नून है।

हदीस 380. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि लोग तवाफ़े विदा किये बग़ैर वापस चले जाते तो रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से कोई शख़्स बैतुल्लाह का 'तवाफ़ विदा' किये बग़ैर न लौटे।

वज़ाहतः- "तवाफ़े विदा" वाजिब है और अगर उसको छोड़ दे तो एक ख़ून-बहा देना (क़ुरबानी करना) लाज़िम आता है। अलबत्ता माहवारी वाली औ़रत तवाफ़े विदा किये बग़ैर भी वापस जा सकती है, वह इस हुक्म से बाहर है।

हदीस 381. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि सफ़िया बिन्ते हुय्यि रज़ियल्लाहु अ़न्हा को तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद हैज़ (माहवारी) आ गया था। मैंने इसका रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से तज़किरा किया तो आपने फ़रमाया- क्या वह हमको रोक लेंगी? मैंने कहा ऐ अल्लाह के नबी! वह तवाफ़ कर चुकी हैं उसके बाद माहवारी की हालत पेश आई है, आपने फ़ररमाया चलो फिर चलें।

वज़ाहतः- तवाफ़े विदा यानी अलविदाई तवाफ़ हैज़ (माहवारी) वाली औ़रत को माफ़ है और तवाफ़े इफ़ाज़ा रुक्न है उसके अदा किये बग़ैर हैज़ वाली औ़रत भी रवाना नहीं हो सकती, और अगर वह अपने वतन बग़ैर तवाफ़े इफ़ाज़ा के चली गयी तो सवाब से मेहरूम रहेगी।

हदीस 382. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि

रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से रोहा के मक़ाम पर कुछ सवारों ने मुलाक़ात की तो आपने फ़रमाया- तुम कौनसी क़ौम से हो? वे कहने लगे "मुसलमान"। उन लोगों ने कहा कि "आप कौन हैं?" आपने फ़रमाया "अल्लाह तआ़ला का रसूल"। तो उनमें से एक औ़रत ने अपने बच्चे को उठाकर अ़र्ज़ किया- क्या इसका भी हज हो जायेगा? आपने फ़रमाया "जी हाँ और तुम्हें भी अज्र मिलेगा।"

हदीस 383. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमें ख़ुतबा दिया फिर फ़रमाया- ऐ लोगो! तुम पर हज फ़र्ज़ हो गया है, पस तुम हज किया करो। एक शख़्स ने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हज हर साल फ़र्ज़ है? आप ख़ामोश रहे यहाँ तक कि उसने तीन बार यही अ़र्ज़ किया, फिर रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर मैं हाँ कह देता तो हज हर साल फ़र्ज़ हो जाता, और तुम उसकी अदायेगी की ताक़त न रखते। जिन चीज़ों का बयान मैं छोड़ दिया करूँ तुम उनका सवाल मत किया करो, क्योंकि तुम में से पहले लोग इसी लिये हलाक हुए कि वे नबियों से बहुत ज़्यादा सवाल किया करते थे, और नबियों से इख़्तिलाफ़ (झगड़ा) करते थे। लिहाज़ा जब मैं तुमको किसी चीज़ का हुक्म दूँ तो उस पर जितना मुम्किन हो सके उसके मुताबिक़ अ़मल किया करो और जब मैं किसी चीज़ से रोक दूँ तो उसको छोड़ दिया करो।

वज़ाहतः- बिना ज़रूरत सवाल करना अपने आपको हलाकत (तबाही) में डालना है, एहतियात कीजिए।

हदीस 384. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब कहीं सफ़र पर जाने के लिये ऊँट पर सवार हो जाते तो तीन बार अल्लाहु अकबर कहते और फिर यह दुआ़ माँगते-

سُبْحَانَ الَّذِیْ سَخَّرَلَنَا ھٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ و وَاِنَّآ اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ و اَللّٰھُمَّ

اِنَّا نَسْئَلُكَ فِی سَفَرِنَا ھٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰی وَمِنَ الْعَمَلِ مَاتَرْضٰی. اَللّٰھُمَّ ھَوِّنْ عَلَیْنَا

سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِعَنَّا بُعْدَهٗ. اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَّعْثَـآءِ السَّفَرِ وَكَاٰبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ.

सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़-र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़्रिनीन। व इन्ना इला रब्बिना ल-मुन्कलिबून। अल्लाहुम्-म इन्ना नस्अलु-क फ़ी स-फ़रिना हाज़ल्-बिर्-र वत्तक़्वा मिनल्-अ़-मलि मा तरज़ा। अल्लाहुम्-म हव्विन् अ़लैना स-फ़-रना हाज़ा वतृवि अ़न्ना बुअ़्दहू। अल्लाहुम्-म अन्तस्साहिबु फ़िस्स-फ़रि वल्-ख़लीफ़तु फ़िल्-अह्लि। अल्लाहुम्-म इन्नी अऊज़ु बि-क मिंव्-वअ़्साइस्स-फ़रि व कआबतिल्- मन्ज़रि व सूइल्-मुन्क-लबि फ़िल्-मालि वल्-अह्लि।

तर्जुमाः- पाक है वह ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे लिये ताबे कर दिया, हम इस सवारी को अपने ताबे करने वाले न थे, और हम अपने परवर्दिगार के पास लौटकर जाने वाले हैं। ऐ अल्लाह हम आप से अपने इस सफ़र में नेकी और परहेज़गारी का सवाल करते हैं, और उन कामों का सवाल करते हैं जिनसे आप राज़ी हों। ऐ अल्लाह! हमारे लिये इस सफ़र को आसान फ़रमा दे और इसकी दूरी समेट दे। ऐ अल्लाह! इस सफ़र में आप ही हमारे रफ़ीक़ (साथी) हैं और हमारे घर में निगहबान हैं। ऐ अल्लाह! मैं सफ़र की तकलीफ़ों से, रंज व ग़म से और अपने अहल और माल के बुरे अन्जाम से आपकी पनाह चाहता हूँ।

और जब सफ़र से लौटकर आते तब भी मज़कूरा दुआ माँगते और इसमें इन कलिमात का इज़ाफ़ा फ़रमाते-

اٰئِبُوْنَ تَـآئِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

आइबू-न ताइबू-न आ़बिदू-न लि-रब्बिना हामिदू-न।

तर्जुमाः- हम वापस आने वाले हैं, अल्लाह से तौबा करने वाले हैं, उसकी इबादत करने वाले हैं और अपने रब की तारीफ़ व सना बयान करने वाले हैं।

वज़ाहतः- हर सवारी पर सवार होते वक़्त मज़कूरा (ऊपर ज़िक्र हुई)

दुआ पढ़ना मस्नून है।

हदीस 385. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला किसी भी दिन अ़रफ़े के दिन से ज़्यादा अपने बन्दों को दोज़ख़ से आज़ाद नहीं फ़रमाते, अल्लाह तआ़ला अ़रफ़ा के दिन में (अपने बन्दों से) बहुत ज़्यादा क़रीब होते हैं और फ़रिश्तों के सामने अपने बन्दों पर फ़ख़्र करते हैं, और फ़रमाते हैं कि ये बन्दे किन (अच्छे) इरादों से आये हैं।

वज़ाहतः- अ़रफ़े का दिन 9 ज़िलहिज्जा को कहते हैं, इस दिन अल्लाह तआ़ला हाजियों पर बहुत ख़ुश होते हैं और अपनी ख़ास रहमतों को नाज़िल फ़रमाते हैं।

हदीस 386. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मक्का फ़तह होने वाले दिन रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अब (मक्का से) हिजरत नहीं है, अलबत्ता (जिहाद की) नीयत बाक़ी है, जब तुम्हें जिहाद के लिये बुलाया जाये तो जाओ। उस दिन आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह भी फ़रमाया कि आसमान और ज़मीन की पैदाईश के दिन ही से अल्लाह तआ़ला ने मक्का मुकर्रमा को हरम बना दिया था और अल्लाह तआ़ला की हुर्मत (इज़्ज़त व सम्मान देने) की वजह से क़ियामत तक यह हरम (इज़्ज़त व सम्मान वाला) रहेगा। मुझसे पहले किसी के लिये मक्का मुकर्रमा में जंग करना जायज़ नहीं था, और मेरे लिये भी सिर्फ़ दिन की एक घड़ी में जंग जायज़ हुई थी और अब अल्लाह तआ़ला की हुर्मत की बिना पर यह शहर क़ियामत तक के लिये हरम है, न इसके काँटे काटे जायें न इसके शिकार को भगाया जाये, और कोई शख़्स मक्का में गिरी-पड़ी चीज़ को भी नहीं उठा सकता सिवाय उस शख़्स के जो उस चीज़ का ऐलान करके उसको मालिक तक पहुँचा दे, और यहाँ की घास भी नहीं काटी जायेगी। यह सुनकर हज़रत अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के नबी! अज़्ख़र (घास) को इस हुक्म से अलग कर दीजिए क्योंकि यह लुहारों और सुनारों के काम आती है और इससे घर बनाये जाते हैं, आपने फ़रमाया "अच्छा अज़्ख़र (तेज़ बू रखने वाली बूटी)

इस हुक्म से अलग है।

वज़ाहतः- आज भी हर मुसलमान को यह नीयत करनी चाहिये कि जब भी जिहाद का ऐलान हुआ तो मैं भी उसमें इन्शा-अल्लाह शिर्कत करूँगा या करूँगी।

हदीस 387. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से किसी के लिये हलाल नहीं कि मक्का मुकर्रमा में असलेहा (हथियार) उठाये।

हदीस 388. हज़रत सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैं मदीना के दोनों पथरीले किनारों के दरमियानी हिस्से को हरम क़रार देता हूँ, न तो मदीना के काँटेदार दरख़्तों को काटा जायेगा और न ही मदीना में शिकार किया जायेगा। और आपने फ़रमाया- यह मदीना इनके लिये बेहतर है काश कि यह जान लें तो जो आदमी मदीना में रहने से इनकार करके मदीना छोड़ देगा तो अल्लाह तआ़ला उसके बदले में यहाँ ऐसे आदमी को जगह अ़ता फ़रमायेंगे जो उससे बेहतर होगा, और जो आदमी भी मदीना की भूख, प्यास और मेहनत मशक़्क़त पर सब्र करेगा तो मैं क़ियामत के दिन उसकी सिफ़ारिश करूँगा और उसके हक़ में गवाही दूँगा।

हदीस 389. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- यह पहाड़ (उहुद) हमसे मुहब्बत करता है और हम इससे मुहब्बत करते हैं। फिर जब आप मदीना आ गये तो फ़रमाया- ऐ अल्लाह! मैं इन दोनों पहाड़ों के दरमियानी हिस्से को हरम क़रार देता हूँ जिस तरह इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने मक्का को हरम क़रार दिया था (और आपने दुआ़ फ़रमाई), ऐ अल्लाह! मदीना वालों के लिये उनके नाप-तौल (यानी कारोबार) में बरकत अ़ता फ़रमाईये।

हदीस 390. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ अल्लाह! मदीना में उससे दुगनी बरकतें अ़ता फ़रमाईये जितनी बरकतें मक्का में आपने नाज़िल फ़रमायीं।

हदीस 391. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मदीना के रास्तों पर फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं, इसमें ताऊन और दज्जाल दाख़िल नहीं हो सकता।

वज़ाहतः- मदीना मुनव्वरा की फ़ज़ीलत व बड़ाई के क्या कहने। सुब्हानल्लाह

निकाह का बयान

हदीस 392. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की एक औ़रत पर नज़र पड़ गयी तो आप फ़ौरन अपनी बीवी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा के पास गये, उस वक़्त वह एक खाल को रंग रही थीं। आपने उनसे अपनी इच्छा पूरी की। फिर आप अपने सहाबा के पास तशरीफ़ ले गये और आपने फ़रमाया- औ़रत शैतान की शक्ल में आती-जाती है, जब तुम में से कोई शख़्स किसी औ़रत को देखे तो अपनी बीवी के पास जाये, यह अ़मल उसके ख़्यालात को दूर कर देगा।

वज़ाहतः- निकाह गुनाहों से बचाने का ज़रिया है। जब आदमी किसी औ़रत को देखे और इच्छा व शहवत हो तो अपनी बीवी के पास आये और उससे अपनी इच्छा व ज़रूरत पूरी करे, और यह जान ले कि जो चीज़ उसके पास है वही मेरी बीवी के पास है, और औ़रत का शैतान की सूरत में आने का मतलब यह है कि ज़िना की रग़बत (रुचि व दिलचस्पी) और सोहबत की लज़्ज़त को याद दिलाती है और यह शैतान का असर है।

हदीस 393. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में बैठा हुआ था कि एक शख़्स ने आकर अ़र्ज़ किया कि उसने एक अन्सारी औ़रत से निकाह कर लिया है, रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क्या तुमने उसको देख लिया है? उसने कहा नहीं। आपने फ़रमाया- जाओ जाकर देख लो।

वज़ाहतः- ज़रूरत के वक़्त मंगनी के लिये औ़रत के चेहरे और हाथों

को देखना जायज़ है, चेहरे से औरत के हसीन होने या न होने का अन्दाज़ा लगाया जाता है और हाथों से बदन की ख़ुसूसियात का अन्दाज़ा लगाया जा सकता है।

हदीस 394. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से जिस शख़्स को (वलीमे के) खाने की दावत दी जाये तो वह उसको ज़रूर क़ुबूल करे, चाहे खाये या न खाये।

वज़ाहतः- खाने की दावत क़ुबूल करना एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक़ है, इसलिये दावत में ज़रूर हाज़िर होना चाहिये, फिर चाहे तो खाये या न खाये।

हदीस 395. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, कोई आदमी जब अपनी बीवी को अपने बिस्तर की तरफ़ बुलाये और वह उसके बुलाने पर इनकार कर दे तो अल्लाह तआला उस औरत पर उसके शौहर के राज़ी होने तक नाराज़ रहता है।

वज़ाहतः- औरत के ज़िम्मे शौहर के हुक़ूक़ में से एक हक़ सोहबत व हमबिस्तरी का अदा न करने पर वईद (सज़ा की धमकी) सुनाई गयी है। औरत के ज़िम्मे लाज़िम है कि वह मर्द की हर जायज़ इच्छा को पूरा करे। अगर वह रात उसकी नाराज़गी में गुज़ारेगी तो फ़रिश्ते सारी रात उस पर लानत करते रहते हैं।

हदीस 396. हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआला के नज़दीक क़ियामत के दिन बदतरीन (बहुत ज़्यादा बुरा) शख़्स वह होगा जो अपनी औरत के क़रीब जाये, औरत अपना जिस्म उसके हवाले कर दे, फिर वह उसका राज़ ज़ाहिर कर दे।

वज़ाहतः- मियाँ-बीवी को एक दूसरे के राज़ ज़ाहिर नहीं करने चाहियें, क्योंकि यह एक अमानत है और राज़ ज़ाहिर करने से आपस में नफ़रत पैदा हो जाती है जिसका नतीजा तलाक़ तक पहुँच सकता है।

हदीस 397. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से "अ़ज़्ल" के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया- "मनी" (वीर्य) के हर क़तरे से बच्चा नहीं होता, और जब अल्लाह तआ़ला किसी चीज़ के पैदा करने का इरादा करते हैं तो उसे कोई चीज़ नहीं रोक सकती।

वज़ाहतः- "अ़ज़्ल" का मतलब है कि सोहबत के बाद मनी को बाहर निकालना ताकि हमल न ठहरे। **मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी**

दूध पिलाने का बयान

हदीस 398. हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! आप मेरी बहन 'अ़ज़्ज़ा' से निकाह कर लें। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरे लिये यह हलाल नहीं है।

मैंने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! हम तो बातें कर रही थीं कि आप दुर्रा बिन्ते अबी सलमा से निकाह का इरादा रखते हैं। आपने फ़रमाया- अबू सलमा की बेटी से? मैंने कहा "जी हाँ।" आपने फ़रमाया वह मेरे दूध शरीक भाई की बेटी है, मुझे और उसके बाप अबू सलमा को सुवैबा ने दूध पिलाया है। तुम मुझ पर अपनी बेटियाँ और अपनी बहनें पेश न किया करो।

हदीस 399. हज़रत उम्मे फ़ज़्ल रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास एक देहाती आया, उस वक़्त आप मेरे घर में तशरीफ़ रखते थे। उसने कहा- ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास एक बीवी है और मैंने उस पर एक दूसरी औ़रत से शादी कर ली। मेरी पहली बीवी ने गुमान किया कि उसने मेरी इस नई बीवी को एक या दो घूँट दूध पिलाया है। तो अल्लाह के नबी ने फ़रमाया- एक या दो मर्तबा पिस्तान चूसने से हुर्मत (हराम होना) साबित नहीं होती।

हदीस 400. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि सुन्नत यह है कि अगर कोई बेवा की मौजूदगी में कुंवारी के साथ

निकाह करे तो उसके पास सात दिन लगातार रहे, और जब कुंवारी की मौजूदगी में बेवा से निकाह करे तो उसके पास तीन दिन रहे।

वज़ाहतः- शादीशुदा शख़्स किसी कुंवारी से शादी करे तो उसे लगातार एक हफ़्ते और अगर बेवा या तलाक़ पाई हुई औरत से शादी करे तो लगातार तीन दिन नई दुल्हन के साथ रहना होगा। उसके बाद सब बीवियों के दरमियान बारी तक़सीम होगी।

हदीस 401. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कोई मुसलमान शौहर अपनी मुसलमान बीवी से बुग़ज़ (नफ़रत) न रखे, अगर उसकी किसी एक आदत से वह नाख़ुश है तो उसकी दूसरी ख़स्लत से ज़रूर ख़ुश हो जायेगा।

वज़ाहतः- औरत की एक आदत अगर मर्द को नागवार हो तो दूसरी किसी अच्छी आदत को देखकर उससे अच्छा सुलूक करे।

हदीस 402. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सारी की सारी दुनिया मताअ़ (साज़ व सामान और दौलत) है और दुनिया की बेहतरीन मताअ़ नेक औरत है।

वज़ाहतः- दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ नेक बीवी है और नेक बीवी की सिफ़ात ये हैं कि जब शौहर उसकी तरफ़ देखे तो उसे ख़ुश कर दे, जब वह कोई हुक्म करे तो फ़ौरन हुक्म की तामील करे, जब वह कहीं चला जाये तो उसके माल व औलाद की हिफ़ाज़त करे।

तलाक़ का बयान

हदीस 403. हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि सबीआ असलमिया को उसके शौहर की वफ़ात के चन्द दिनों बाद हमल पैदा हो गया था तो उसने इस बात का ज़िक्र रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से किया तो आपने उसे हुक्म दिया कि वह निकाह कर ले।

वज़ाहतः- जिस औरत का शौहर इन्तिक़ाल कर जाये और वह हामिला

(गर्भवती) हो तो उसकी इद्दत हमल का पैदा होना है चाहे शौहर के इन्तिक़ाल से थोड़ी ही देर बाद हो जाये, और अगर हामिला नहीं है तो चार महीने दस दिन है।

हदीस 404. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मुबारक दौर, हज़रत अबू बक्र के दौरे ख़िलाफ़त और हज़रत उमर के ख़िलाफ़त के शुरू के दो साल तक एक वक़्त की तीन तलाक़ों को एक ही तलाक़ शुमार किया जाता था, फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि लोगों ने उस काम में जल्दबाज़ी शुरू कर दी है जिसमें उनके लिये मोहलत थी, अगर हम उनको तीन ही नाफ़िज़ कर दें तो कैसा रहेगा? फिर उन्होंने (सज़ा के तौर पर) तीन ही नाफ़िज़ करने का हुक्म जारी कर दिया।

वज़ाहतः- उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु का हुक्म सज़ा के तौर पर है, शरई नहीं, इसलिये कि शरीअ़त रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर मुकम्मल हो चुकी है, रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पैरवी में ही दुनियावी व आख़िरत की भलाई है।

लिआ़न का बयान

"लिआ़न" उस लानत को कहा जाता है जो शौहर और बीवी से ली जाती है, जब शौहर अपनी बीवी पर ज़िना की तोहमत लगाये और गवाह न रखता हो और बीवी भी इनकार करती हो तो उस वक़्त लिआ़न किया जाता है। इसमें चूँकि लानत का लफ़्ज़ है इसलिये इसको लिआ़न कहते हैं, और लिआ़न का हुक्म यह है कि (लिआ़न के बाद) शौहर और बीवी में हमेशा के लिये जुदाई हो जाती है और फिर उनका मिलाप निकाह से भी नहीं हो सकता।

हदीस 405. एक सहाबी (हज़रत उवैमर अ़जलानी) रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! यह बतलाईये कि अगर हम में से कोई शख़्स अपनी बीवी को बेहयाई का काम करते देखे तो क्या करे? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ख़ामोश रहे और इसका कोई जवाब नहीं

दिया, बाद में वह शख़्स फिर आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने आप से जिस चीज़ का सवाल किया था वह सूरतेहाल अब मुझे ख़ुद पेश आ गयी है, फिर अल्लाह तआला ने सूरः नूर में यह आयत नाज़िल फ़रमाई-

तर्जुमाः- जो लोग अपनी बीवियों पर ज़िना की तोहमत लगायें और उनका उनकी अपनी ज़ात के अलावा कोई गवाह न हो तो ऐसे लोगों में से हर एक (शौहर और बीवी) चार मर्तबा अल्लाह की क़सम खाकर कहें कि "वह सच्चों में से हैं" और पाँचवीं मर्तबा कहे कि "उस पर अल्लाह की लानत हो अगर वह झूठों में से हो" और उस औरत से सज़ा इस तरह दूर हो सकती कि वह चार मर्तबा अल्लाह की क़सम खाकर कहे कि "यक़ीनन उसका मर्द झूठा है" और पाँचवीं मर्तबा कहे कि "उस पर (यानी मुझ पर) अल्लाह का ग़ज़ब हो अगर उसका शौहर सच्चों में से हो।"

(सूरः नूर 24, आयत 6-9)

नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह आयत तिलावत फ़रमाई और उस शख़्स को वअ़ज़ व नसीहत की और उसको समझाया कि दुनिया की सज़ा (ज़िना की तोहमत की सज़ा) आख़िरत के अ़ज़ाब से हल्की है, उस शख़्स ने कहा कि क़सम उस ज़ात की जिसने हक़ देकर आपको भेजा है मैंने उस पर झूठ नहीं बाँधा, फिर आपने उस औ़रत को बुलाया और उसको वअ़ज़ व नसीहत की और फ़रमाया- दुनिया की सज़ा (ज़िना की) आख़िरत के अ़ज़ाब से हल्की है। उसने कहा कि क़सम उस ज़ात की जिसने आपको हक़ देकर भेजा है यह मुझ पर झूठी तोहमत लगा रहा है। फिर आपने मर्द से शुरूआ़त की और उसने चार मर्तबा गवाही दी कि अल्लाह की क़सम वह सच्चा है, और पाँवचीं बार कहा अगर वह झूठा है तो उस (मर्द) पर अल्लाह की लानत हो। फिर आप उस औ़रत की तरफ़ मुतवज्जह हुए उसने भी चार बार यह गवाही दी कि यह झूठा है और पाँचवीं बार यह कहा कि अगर यह सच्चा हो तो उस (यानी औ़रत) पर अल्लाह का ग़ज़ब नाज़िल हो। फिर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दोनों के दरमियान जुदाई करा दी।

गुलामों को आज़ाद करने का बयान

हदीस 406. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स किसी मुसलमान गुलाम को आज़ाद करे तो अल्लाह तआ़ला उस गुलाम के हर अंग (बदनी हिस्से) के बदले आज़ाद करने वाले शख़्स के हर अंग को जहन्नम से आज़ाद कर देंगे।

वज़ाहतः- अब चूँकि गुलामी का सिलसिला नहीं है इसलिये बिना क़सूर फंसे शख़्स को आज़ाद करवाने पर यह अज्र हासिल किया जा सकता है। यह अफ़ज़ल आमाल में से है, इसकी वजह से इनसान को जहन्नम से आज़ादी मिलती है।

ख़रीद व फ़रोख़्त का बयान

हदीस 407. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बै-ए-मुलामसा और बै-ए-मुनाबज़ा से मना फ़रमाया है।

वज़ाहतः- बै-ए-मुलामसा यह है कि बेचने वाला एक कपड़े में लिपटा हुआ सामान दिखाये या अंधेरे में लेकर आये और ख़रीदार उसको छू ले। बेचने वाला यह कहे कि मैंने यह कपड़ा तेरे हाथ में इस शर्त पर बेचा कि तेरा छूना तेरे देखने के क़ायम-मक़ाम (बराबर) है, और जब तू देखे तो तुझे इख़्तियार नहीं है कि सौदा रद्द करे। यानी सिर्फ़ छूना ही बै क़रार दिया जाये। मुनाबज़ा यह है कि कपड़े में लिपटे सामान को फेंक दिया जाये और सौदा कर लिया जाये। दोनों तरीक़े से फ़रोख़्त करना मना है, बल्कि ख़रीदार को अच्छी तरह हर चीज़ चेक करने का मौक़ा दिया जाये।

हदीस 408. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कंकरियों की बै और धोखे की बै से मना फ़रमाया।

वज़ाहतः- कंकरी की बै यह है कि बेचने वाला कहे कि मैंने तुम्हारे

हाथ वह चीज़ बेची जिस पर यह कंकरी पड़े जिसको मैं फेंकता हूँ। मसलन कोई शख़्स कहे कि मेरे जाल में जितनी मछलियाँ आयेंगी वो इतने रुपये की होंगी, इसी तरह गाय या बकरी के पेट में जो बच्चा है वह इतने का है, या इनामी बाँड जिसका नफ़ा सूद होता है जो चन्द लोगों में इनाम के तौर पर तक़सीम कर दिया जाता है, हराम है। इनसे बचिये।

हदीस 409. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सौदागरों को आगे जाकर मिलने से मना फ़रमाया है।

वज़ाहतः- शहर में जो माल गाँव देहात से फ़रोख़्त करने के लिये देहाती लाते हैं उसे मण्डी पहुँचने से पहले रास्ते में मिलकर कम क़ीमत में ख़रीदना मना है। बल्कि उन्हें शहर आकर क़ीमत मालूम कर लेने दें फिर उनसे माल का सौदा किया जाये।

हदीस 410. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स क़लम लगाये जाने के बाद खजूर का दरख़्त ख़रीदे तो उसके फल बेचने वाले के लिये हैं मगर यह कि ख़रीदार उसकी शर्त लगा ले।

हदीस 411. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बै-ए-मुख़ाबरा, मुज़ाबना, मुहाक़ला, अ़राया और उन फलों की बै से मना फ़रमाया कि जो खाने के लायक़ न हों। और अ़राया के सिवा बाक़ी फल दीनार और दिरहम से ही फ़रोख़्त किये जायें।

वज़ाहतः- मुख़ाबरा यह है कि एक शख़्स किसी को अपनी ज़मीन दे और वह उसमें ख़र्च करे और जब पैदावार हो तो उसमें से हिस्सा ले, या अपनी ज़मीन किसी को ठेके पर दे। मुज़ाबना यह है कि ताज़ा खजूरें (छुआरों) के बदले पैमाईश से बै की जाये। मुहाक़ला यह है कि खेत में खड़ी हुई फ़सल की बै करना मसलन गुच्छों में गेहूँ की ख़ुश्क गेहूँ के बदले पैमाईश से बै की जाये। बै-ए-अ़राया यह है कि कोई शख़्स किसी दूसरे को अपने बाग़ में से एक या चन्द पेड़ आरज़ी तौर पर दे दे और बाद में उसके

बार-बार बाग़ में आने की वजह से मालिक उसके बदले अन्दाज़ा करके ख़ुश्क खजूर देकर दरख़्त वापस ले ले तो यह जायज़ है।

हदीस 412. हज़रत हन्ज़ला बिन कैस अन्सारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने राफ़ेअ़ बिन ख़दीज अन्सारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से सोने और चाँदी के बदले ज़मीन उजरत पर देने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं।

रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में लोग नहरों के किनारों और नालों के साथ वाली ज़मीन को पैदावार के बदले हिस्से पर देते थे। कभी उस ज़मीन की फ़सल तबाह हो जाती और दूसरी ज़मीन की फ़सल सलामत रहती और बहुत सी बार यह फ़सल बच जाती और दूसरी बरबाद हो जाती, फिर लोगों को बाक़ी बची फ़सल के अ़लावा और कुछ न मिलता, इस वजह से रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ज़मीन हिस्से पर देने से मना फ़रमा दिया। अलबत्ता उसका मुआ़वज़ा कोई तयशुदा चीज़ हो जिसके बरबाद न होने की ज़मानत हो तो कोई हर्ज नहीं है।

वज़ाहतः- ज़मीन को इस सूरत में हिस्से पर देना कि मालिक काश्तकार से कहे कि फ़ुलाँ ख़ित्ते (ज़मीन के हिस्से) में होने वाली फ़सल मेरी और फ़ुलाँ ख़ित्ते में होने वाली फ़सल तुम्हारी होगी, यह जायज़ नहीं है, इससे हटकर उमूमी तौर पर ज़मीन हिस्से या ठेके पर देने में कोई हर्ज नहीं है।

मुसाक़ात और मुज़ारिअ़त का बयान

ज़मीन को किराये पर ग़ल्ले की पैदावार के एक तयशुदा हिस्से के बदले देना 'मुज़ारिअ़त' है, और फलों की पैदावार में से एक निर्धारित हिस्से के बदले दरख़्तों की देखभाल करना 'मुसाक़ात' है। ये दोनों जायज़ हैं।

हदीस 413. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फलों या ग़ल्ले की आधी पैदावार के बदले ख़ैबर की ज़मीन मुसाक़ात और मुज़ारिअ़त पर दी। आप अपनी हर बीवी को हर साल सौ वसक़ देते थे। (एक वसक़ 255 कि. ग्रा. के बराबर है) जिसमें अस्सी वसक़ खजूर और बीस वसक़ जौ होते थे,

जब हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ख़लीफ़ा हुए और उन्होंने ख़ैबर के मालों की तक़सीम की तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पाक बीवियों को इख़्तियार दिया कि वे ज़मीन और पानी में से हिस्सा ले लें या वे हर साल मुक़र्ररा वसक़ ले लें। कुछ उम्महातुल-मोमिनीन ने ज़मीन और पानी को इख़्तियार किया और कुछ ने वसक़ लेने को इख़्तियार किया। हज़रत आयशा और हफ़्सा रज़ियल्लाहु अन्हमा उनमें से थीं जिन्होंने ज़मीन और पानी को इख़्तियार किया।

हदीस 414. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो मुसलमान कोई पौधा लगाता है तो उस पौधे में से जो फल वग़ैरह खाया जाये या जो फल उससे चोरी हो जाये या जो जानवर या परिन्दे खा लें वह उसके लिये सदक़ा हो जाता है।

वज़ाहतः- दरख़्त (पेड़) लगाना और उनकी देखभाल करना भी सदक़ा है इसलिये आप भी ख़ूब ज़्यादा पेड़-पौधे लगाईये।

हदीस 415. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस वक़्त तक फलों को बेचने से मना फ़रमाया है जब तक उन पर रंग न आ जाये, लोगों ने अर्ज़ किया- रंग आने का क्या मतलब है? आपने फ़रमाया वे सुर्ख़ हो जायें (जब फल पक जायें)। अगर अल्लाह तआ़ल ने फलों को रोक लिया तो तुम अपने भाई का माल किस चीज़ के बदले हलाल क़रार दोगे?

वज़ाहतः- फल पकने से पहले फ़रोख़्त करना मना है इसलिये कि आँधी, तूफ़ान वग़ैरह से उसमें नुक़सान का अन्देशा है।

हदीस 416. हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में एक शख़्स ने दरख़्त पर खड़े फल ख़रीदे औ वे फल क़ुदरती आफ़त की वजह से बरबाद हो गये और उस पर क़र्ज़ा ज़्यादा हो गया।

रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उस पर सदक़ा करो। लोगों ने उस पर सदक़ा किया, सदक़े की वह रक़म उसके क़र्ज़ के

बराबर न पहुँच सकी तो आपने क़र्ज़ वालों से फ़रमाया कि जो तुमको मिल गया है वह ले लो इसके अलावा रक़म पर तुम्हारा हक़ नहीं है।

वज़ाहतः- क़ुदरती आफ़तों की वजह से अगर फल बरबाद हो जाये तो बाग़ ठेके पर देने वाले को चाहिये कि वह तयशुदा रक़म में कमी कर दे।

हदीस 417. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन कअ़ब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मेरे वालिद ने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दौर में इब्ने अबी हद्रद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से अपने क़र्ज़े का मस्जिदे नबवी में तक़ाज़ा किया यहाँ तक कि इन दोनों की आवाज़ें बुलन्द हो गयीं और रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उन आवाज़ों को अपने हुजरे में सुन लिया। आपने हुज़रे का दरवाज़ा खोला और उनके पास तशरीफ़ लाये और आपने आवाज़ दी कि ऐ अबू कअ़ब! उसने कहा लब्बैक ऐ अल्लाह के रसूल। आपने हाथ से इशारा किया कि अपने क़र्ज़ में से आधा कम कर दो, उन्होंने कहा कि मैंने आधा कम कर दिया ऐ अल्लाह के रसूल। आपने इब्ने हद्रद से फ़रमाया उठो और इनका क़र्ज़ अदा कर दो।

वज़ाहतः- मस्जिद में क़र्ज़ या किसी भी हक़ का मुतालबा करना जायज़ है। मस्जिद में इतनी आवाज़ से बातें करना जायज़ है जो मस्जिद के अदब और वक़ार के ख़िलाफ़ न हो। इशारे से कलाम करना भी सही है। हाकिम को सुलह करानी चाहिये। हक़ वाले को चाहिये कि वह सिफ़ारिश को क़ुबूल करे बशर्ते कि सिफ़ारिश अल्लाह तआ़ला की नाफ़रमानी (के मामले) में न हो।

हदीस 418. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब किसी शख़्स को दीवालिया क़रार दिया जाये और किसी शख़्स को उसके पास अपना सामान उसी असली हालत में मिल जाये तो दूसरों के मुक़ाबले में वह उस सामान का ज़्यादा हक़दार है।

वज़ाहतः- जब एक शख़्स के पास कई लोगों ने सामान रखवाया हो और वह शख़्स दीवालिया हो जाये और सिर्फ़ चन्द लोगों का सामान बाक़ी रहे, बाक़ी सब ज़ाया हो जाये तो उस वक़्त झगड़ा होने की संभावना होती

है। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उसका हल यह बयान फ़रमाया कि जिस शख़्स का सामान बाक़ी बचा हुआ हो वह अपना सामान ले ले, बाक़ी लोग माफ़ कर दें।

हदीस 419. हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि अल्लाह तआ़ला के पास एक शख़्स को लाया गया जिसको अल्लाह तआ़ला ने माल दिया था। अल्लाह तआ़ला ने उससे पूछा- तुमने दुनिया में क्या अ़मल किया? लोग अल्लाह तआ़ला से कोई बात छुपा नहीं सकते, उस शख़्स ने कहा कि ऐ मेरे रब! आपने मुझे माल अ़ता फ़रमाया था और मेरी आ़दत माफ़ करने की थी। मैं मालदार पर आसानी करता और तंगदस्त को क़र्ज़ अदा करने की मोहलत देता। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया- मैं तुझसे ज़्यादा दरगुज़र (माफ़) करने का हक़दार हूँ (ऐ मेरे फ़रिश्तो! मेरे इस बन्दे से दरगुज़र करो)।

वज़ाहतः- क़र्ज़ देना और फिर क़र्ज़दार को मोहलत देना, या क़र्ज़ बिल्कुल माफ़ कर देना आख़िरत में निजात का ज़रिया है।

हदीस 420. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि बनू बयाज़ा के एक ग़ुलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को सींगी लगाई, आपने उसको उजरत दी।

वज़ाहतः- सींगी जिस्म के ख़राब ख़ून या पीप निकालने का एक तरीक़ा है। सींगी लगाने वाले की कमाई हलाल है।

हदीस 421. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि जब सूरः ब-क़रह की आयत नम्बर 219 नाज़िल हुई तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बाहर तशरीफ़ लाये और लोगों पर वह आयत तिलावत की और लोगों को शराब की तिजारत से मना फ़रमाया।

वज़ाहतः- शराब हराम है, तफ़सील के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः अल्-ब-क़रह 2, आयत 219।

हदीस 422. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मक्का में फ़त्हे-मक्का वाले साल फ़रमाया- अल्लाह और उसके रसूल ने शराब, मुर्दार और बुतों की ख़रीद व

फ़रोख़्त को हराम कर दिया है। अ़र्ज़ किया गया- ऐ अल्लाह के रसूल! मुर्दार की चर्बी का क्या हुक्म है? क्योंकि उसको कश्तियों पर और खालों पर लगाई जाती है और लोग (चिराग़ जलाकर) उससे रोशनी हासिल करते हैं। आपने फ़रमाया- नहीं, वह भी हराम है। फिर रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उसी वक़्त फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला यहूदियों को हलाक करे, जब अल्लाह तआ़ला ने उन पर मुर्दार की चर्बी को हराम किया तो उन्होंने उसको पिघलाकर बेच दिया और उसकी क़ीमत खा ली।

वज़ाहतः- यहूदियों पर दीन में हीले-बहाने करने की वजह से लानत फ़रमाई गयी है, इसलिये हीलों-बहानों से मुसलमानों को बचना ज़रूरी है।

सूद का बयान

हदीस 423. हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक सहाबी को ख़ैबर का आ़मिल (हाकिम) बनाया तो वह वहाँ की उम्दा खजूरें लेकर आये, रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनसे पूछा- क्या ख़ैबर की तमाम खजूरें ऐसी ही हैं? उन्होंने कहा- नहीं, अल्लाह की क़सम ऐ अल्लाह के रसूल! हम दो साअ़ आ़म खजूरें देकर ये उम्दा खजूर एक साअ़ लेते हैं। रसूले करीम ने फ़रमाया कि इस तरह मत करो, ख़राब खजूरों को रक़म के बदले बेच दो फिर रक़म से उम्दा खजूरें ख़रीद लिया करो।

हदीस 424. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सूद खाने वाले, सूद खिलाने वाले, सूद लिखने वाले और सूद की गवाही देने वालों पर लानत फ़रमाई है, और ये सब (गुनाह में) बराबर हैं।

हदीस 425. हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हलाल ज़ाहिर है और हराम भी ज़ाहिर है और उनके दरमियान कुछ चीज़ें संदिग्ध हैं। जो शख़्स उनसे बचा उसने अपने दीन और अपनी इ़ज़्ज़त को महफ़ूज़ कर लिया, और जिस शख़्स ने मशकूक (संदिग्ध) को इख़्तियार किया उस

आदमी के हराम में मुब्तला होने की संभावना है। जिस तरह कोई शख़्स किसी चरागाह की हदों (सीमाओं) के आस-पास जानवर चराये, मुम्किन है कि वह जानवर (दूसरे की) चरागाह में भी चर लें। याद रखो अल्लाह तआ़ला की हदें उसकी हराम की हुई चीज़ें हैं और सुनो! जिस्म में गोश्त का एक ऐसा टुकड़ा है अगर वह ठीक हो जाये तो फिर पूरा जिस्म ठीक रहता है और अगर वह बिगड़ जाये तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है, और वह गोश्त का टुक़ड़ा दिल है।

वज़ाहतः- शुकूक व शुब्हात वाली (यानी संदिग्ध) चीज़ों और बुरे आमाल से बचना ईमान का आला दर्जा है।

हदीस 426. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं अपने एक ऊँट पर सफ़र कर रहा था जो (चलते-चलते) थक गया था। मैंने उस ऊँट को छोड़ देने का इरादा किया, इतने में रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मुझे आ मिले। आपने मेरे लिये दुआ़ फ़रमाई और ऊँट को एक चोट लगाई, फिर वह ऊँट इस क़द्र तेज़ चला कि उससे पहले कभी इतना तेज़ नहीं चला था। आपने फ़रमाया- मुझे यह ऊँट एक औक़िया (चालीस दिरहम) के बदले फ़रोख़्त कर दो। मैंने कहा नहीं (यानी ख़रीदने की क्या ज़रूरत है यह ऊँट आप ही का है)। आपने फिर फ़रमाया- यह मुझे फ़रोख़्त कर दो, फिर मैंने एक औक़िया के बदले वह ऊँट फ़रोख़्त कर दिया और यह शर्त लगाई कि मैं इस पर सवार होकर अपने घर तक जाऊँगा, जब मैं अपने घर पहुँच गया तो मैं ऊँट लेकर आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आपने मुझे उसकी क़ीमत नक़द अदा कर दी। जब मैं लौट गया तो आपने मेरे पीछे एक आदमी भेजा और कहलवाया कि तुमने यह ख़्याल किया है कि मैंने तुमसे क़ीमत कम लगवाई है, अपना ऊँट भी ले जाओ और ये दिरहम भी तुम्हारे हैं।

हदीस 427. हज़रत अबू राफ़ेअ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक शख़्स से एक जवान ऊँट क़र्ज़ लिया, फिर जब आपके पास सदक़े के ऊँट आये तो आपने अबू राफ़ेअ़ को हुक्म दिया कि उस शख़्स का क़र्ज़ अदा कर दो। उन्होंने नबी

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया कि इन ऊँटों में उस जैसा कोई नहीं, बल्कि उससे बेहतर सातवें साल के ऊँट हैं। आपने फ़रमाया- वही दे दो। बेहतरीन लोग वे हैं जो क़र्ज़ अदा करने में अच्छे हों।

हदीस 428. हज़रत मअ़्मर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिसने (लोगों की ज़रूरत के वक़्त अनाज वग़ैरह की) ज़ख़ीरा-अन्दोज़ी की (भण्डार किया) वह गुनाहगार है।

हदीस 429. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- न क़सम तिजारत के सामान को बढ़ाने वाली है और न ही नफ़े को मिटाने वाली है।

वज़ाहतः- ख़रीद व फ़रोख़्त के दौरान क़सम खाकर सामान बेचने से परहेज़ करें, इससे बरकत ख़त्म हो जाती है।

हदीस 430. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस शख़्स की ज़मीन या बाग़ में कोई शरीक हो पस अपने शरीक से इजाज़त लिये बग़ैर उसको फ़रोख़्त न करे। अगर वह (शरीक वह चीज़ ख़रीदने के लिये) राज़ी हो तो ख़रीद ले और नापसन्द करे तो छोड़ दे।

हदीस 431. हज़रत उरवा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि अरवा बिन्ते उवैस ने सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु पर दावा किया कि उसने उसकी ज़मीन में से कुछ हिस्सा ले लिया है। वह यह मुक़द्दमा मरवान बिन हकम के यहाँ ले गयी तो हज़रत सईद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा- क्या मैं रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुनने के बाद इसकी ज़मीन में से कुछ हिस्सा ले सकता हूँ? मरवान ने कहा- तुमने रसूले करीम से क्या सुना? सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा- रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है कि जिसने एक बालिश्त ज़मीन भी ज़ुल्म से ले ली तो उसके गले में सातों ज़मीनों का तौक़ डाला जायेगा। फिर उनसे मरवान ने कहा- मैं आप से इसके बाद गवाह नहीं माँगूँगा। फिर हज़रत सईद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा- ऐ अल्लाह! अगर यह (औ़रत) झूठी है तो

इसको अंधा कर दे और इसकी ज़मीन में ही इसे मार दे।

वह औरत बीनाई जाने (अंधी होने) से पहले न मरी बल्कि वह अपनी ज़मीन में चल रही थी कि अचानक एक गढ़े में गिरकर मर गयी।

हदीस 432. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब (घरों के दरमियानी) रास्ते के बारे में तुम्हारा इख़्तिलाफ़ (विवाद) हो जाये तो उसकी चौड़ाई सात हाथ रख लो।

वज़ाहतः- लोग आपस की रज़ामन्दी से जितना चाहें रास्ता रख लें लेकिन अगर इख़्तिलाफ़ (झगड़ा और विवाद) हो तो फिर सात हाथ रास्ते की चौड़ाई रखनी चाहिये।

विरासत के मसाईल का बयान

हदीस 433. हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- न ही मुसलमान काफ़िर का वारिस होता है और न काफ़िर मुसलमान का वारिस होता है।

वज़ाहतः- दीन के अलग-अलग और भिन्न होने से विरासत का हुक्म एक रुकावट बन जाता है।

हदीस 434. हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ज़ुल-फ़राईज़ (शरई वारिस जिनके हिस्से अल्लाह तआ़ला ने मुक़र्रर कर दिये हैं) के दरमियान किताबुल्लाह के मुताबिक़ तक़सीम करो, और ज़ुल-फ़राईज़ (वारिसों) में तक़सीम के बाद जो माल बच जाये वह उस मर्द का हिस्सा है जो मय्यित का सबसे क़रीब हो (उस मर्द को 'अ़सबा' कहते हैं)।

वज़ाहतः- ज़ुल-फ़राईज़ (तयशुदा हिस्सों वाले वारिस) मय्यित के वे रिश्तेदार हैं जिनका हिस्सा क़ुरआन मजीद में मुक़र्रर है, यानी-

1. बाप। 2. दादा। 3. शौहर। 4. अख़्याफ़ी (माँ शरीक) भाई।

और औरतों में से आठ हैं-

1. बेटी। 2. पोती। 3. सगी बहन। 4. अ़ल्लाती (बाप शरीक) बहन।

5. अख़्याफ़ी (माँ शरीक) बहन। 6. बीवी। 7. माँ। 8. दादी।

जो मय्यित के बाप की तरफ़ से रिश्तेदार हों वे 'अ़सबा' हैं जैसे मय्यित का बेटा, पोता, बाप, दादा, भाई चचा वग़ैरह। ज़ुल-फ़राइज़ (हिस्से वाले वारिसों) को देने के बाद जो तर्का बचे वह अ़सबा को मिल जाता है। और ज़्यादा तफ़सील के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः अन्निसा 4, आयत 11-12।

हदीस 435. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं बीमार हुआ तो रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ मेरी इयादत (बीमारी का हाल पूछने) के लिये पैदल चलकर तशरीफ़ लाये, उस वक़्त मुझ पर बेहोशी तारी थी। रसूले पाक ने वुज़ू करके वुज़ू का बचा हुआ पानी मुझ पर डाला तो मुझे होश आ गया। मैंने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने माल को किस तरह तक़सीम करूँ? आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया यहाँ तक कि मीरास वाली यह आयत नाज़िल हुई-

तर्जुमाः- आप से फ़तवा पूछते हैं, कह दीजिए कि अल्लाह (ख़ुद) तुम्हें कलाला के बारे में हुक्म देता है। अगर कोई शख़्स मर जाये जिसकी औलाद न हो और एक बहन हो तो उसके छोड़े हुए माल का आधा हिस्सा उस बहन का है और इसी तरह भाई उस बहन का वारिस होगा जिसकी औलाद न हो। फिर अगर बहनें दो (या ज़्यादा) हों तो उन्हें भाई के छोड़े हुए माल का दो तिहाई मिलेगा। अगर कई बहन-भाई (वारिस) हों तो एक मर्द का हिस्सा दो औ़रतों के हिस्से के बराबर है। अल्लाह तआ़ला तुम्हारे लिये वज़ाहत से बयान फ़रमा रहा है, ऐसा न हो कि तुम बहक जाओ, और अल्लाह हर चीज़ से ख़ूब वाक़िफ़ है। (सूरः अन्निसा 4, आयत 176)

वज़ाहतः- जिसकी औलाद और बाप-दादा में से कोई भी मौजूद न हो उसको "कलाला" कहते हैं।

हदीस 436. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जब रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास किसी ऐसे शख़्स का जनाज़ा लाया जाता जिस पर क़र्ज़ होता तो आप पूछते- क्या इसने इतना

माल छोड़ा है जिससे क़र्ज़ अदा हो सके? अगर बताया जाता कि इसने इतना माल छोड़ा है तो आप उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ा देते वरना फ़रमा देते तुम अपने साथी का जनाज़ा पढ़ लो, फिर जब अल्लाह तआ़ला ने फ़ुतूहात (माली हालात की बेहतरी) के ज़रिये आप पर (माली) कुशादगी फ़रमाई (यानी हालात माली एतिबार से बेहतर हुए) तो आपने फ़रमाया- मुसलमानों पर उनकी जानों से ज़्यादा ख़र्च करने का मुझ पर हक़ है। पस जो शख़्स क़र्ज़ छोड़कर मर जाये उसका क़र्ज़ मेरे ज़िम्मे है, और जिसने माल छोड़ा वह उसके वारिसों का है।

हिबा का बयान

हदीस 437. हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मेरी वालिदा बिन्ते रवाहा ने मेरे वालिद से दरख़्वास्त की कि वह अपने माल में से कुछ उनके बेटे (नोमान रज़ियल्लाहु अ़न्हु) को हिबा कर दें। मेरे वालिद ने एक साल तक यह मामला मुल्तवी (लटकाये) रखा, फिर उन्हें इस (हिबा करने) का ख़्याल आया तो मेरी वालिदा ने कहा मैं उस वक़्त तक राज़ी नहीं हूँगी जब तक कि तुम मेरे बेटे के हिबा पर रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को गवाह न कर लो, मेरे वालिद मेरा हाथ पकड़कर रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास ले गये, उस वक़्त मैं नौउम्र लड़का था उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! इसकी माँ बिन्ते रवाहा यह चाहती हैं कि मैं आपको उस चीज़ पर गवाह कर लूँ जो मैंने अपने लड़के को हिबा की है।

रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने पूछा- ऐ बशीर! क्या इसके अ़लावा तुम्हारी और भी औलाद है? उन्होंने कहा कि जी हाँ। आपने फ़रमाया- क्या तुमने बाक़ी सब बच्चों को भी इसी तरह की कोई चीज़ दी है? उन्होंने कहा कि नहीं। आपने फ़रमाया- फिर मैं ज़ुल्म पर गवाही नहीं दूँगा।

वज़ाहतः- हर औलाद के हक़ का लिहाज़ रखना और सबसे बराबरी का सुलूक करना फ़र्ज़ है। किसी को देना, किसी को मेहरूम रखना या किसी

को कम और किसी को ज़्यादा देना ज़ुल्म है, जिसकी क़ियामत के दिन पूछ होगी। ज़िन्दगी में माँ या बाप अगर औलाद को कुछ हिबा करना चाहें तो लड़के और लड़की को बराबर दें, मरने के बाद विरासत में लड़के का लड़की से दुगना हिस्सा है।

हदीस 438. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिसने किसी शख़्स को ज़िन्दगी भर में इस्तेमाल के लिये कोई चीज़ दी तो उसके इस क़ौल ने उस (पुराने मालिक) के इस्तेमाल के हक़ को ख़त्म कर दिया। उसके मरने के बाद (पुराने मालिक) के वारिसों की है।

वज़ाहतः- यह इसलिये है कि सिर्फ़ ज़िन्दगी रहने तक इस्तेमाल के लिये चीज़ दी गयी थी न कि हिबा की गयी थी, अगर हिबा कर दी जाये तो फिर नये मालिक के वारिसों में तक़सीम की जायेगी।

हदीस 439. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उम्री हिबा जायज़ है।

वज़ाहतः- उम्री हिबा की दो सूरतें हैं-

1. कोई शख़्स अपना मकान किसी को दे और यह कहे कि मैंने अपना यह मकान तुम्हें हिबा कर दिया है और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे वारिस इसके मालिक होंगे। इस सूरत में यह मकान जिसे हिबा किया गया उसी का होगा और मरने के बाद भी उसके वारिसों का होगा।

2. कोई शख़्स मकान देते वक़्त यह कहे कि यह मकान तुम्हारी ज़िन्दगी तक तुम्हारा है और तुम्हारे मरने के बाद मेरी और मेरे वारिसों की मिल्कियत हो जायेगा। इस सूरत में यह मकान जिसे हिबा किया गया है उसकी ज़िन्दगी तक उसके पास रहेगा उसके मरने के बाद हिबा करने वाले की तरफ़ वापस लौट आयेगा।

वसीयत का बयान

हदीस 440. हज़रत इब्ने सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि

रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मक्का में हज़रत सअ़द की इयादत (बीमारी का हाल पूछने) के लिये तशरीफ़ लाये तो हज़रत सअ़द रो रहे थे। आपने फ़रमाया- तुम क्यों रो रहे हो? हज़रत सअ़द ने जवाब दिया कि मुझे यह डर है कि मैं इसी ज़मीन में मर जाऊँगा जिस से मैंने हिजरत की थी, जिस तरह सअ़द बिन ख़ौला (मक्का में) फ़ौत हो गये। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तीन बार दुआ़ की- ऐ अल्लाह! सअ़द को शिफ़ा अ़ता फ़रमा। हज़रत सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा- ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास बहुत माल है और मेरी वारिस सिर्फ़ एक बेटी है। क्या मैं अपने सारे माल की वसीयत कर दूँ? आपने फ़रमाया "नहीं"। कहा तिहाई माल की? रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तिहाई माल की (वसीयत कर दो), और तिहाई बहुत है। तुम्हारा अपने माल में से अल्लाह तआ़ला की राह में ख़र्च करना भी सदक़ा है और औलाद पर ख़र्च करना भी सदक़ा है, और तुम्हारे माल में से जो तुम्हारी बीवी खाती है वह भी सदक़ा है। अपने अहल व अ़याल (बाल-बच्चों) को ख़ुशहाली में छोड़ो, उनको इस हाल में छोड़ने से बेहतर है कि वह तुम्हारी वफ़ात के बाद लोगों के आगे हाथ फैलाते रहें।

वज़ाहतः- ज़्यादा से ज़्यादा एक तिहाई माल की वसीयत करना जायज़ है और वसीयत वारिसों के अ़लावा किसी और मसलन ग़रीब रिश्तेदार, मस्जिद व कुएँ की तामीर और इस्लामी किताबों के छापने व फैलाने) के लिये की जा सकती है। किसी भी वारिस के लिये कोई इज़ाफ़ी माल की वसीयत करना जायज़ नहीं है। आजकल शरई वसीयत नामे भी मिल जाते हैं उनको देखकर अपनी वसीयत मुरत्तब करें तो बेहतर है।

हदीस 441. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया कि मेरे वालिद फ़ौत हो गये उन्होंने माल छोड़ा है और वसीयत नहीं की, अगर मैं उनकी तरफ़ से सदक़ा करूँ तो क्या उनके गुनाहों का कफ़्फ़ारा अदा हो जायेगा? आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जी हाँ।

वज़ाहतः- चूँकि सदक़ा-ए-जारिया का सवाब मय्यित को मिलता रहता

है और सदक़े का सवाब एक मर्तबा मिलता है इसलिये अपने मरने वालों की तरफ़ से सदक़ा-ए-जारिया (बराबर जारी रहने वाला सदक़ा) कीजिये।

हदीस 442. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब इनसान मर जाता है तो उसके आमाल का सवाब बन्द हो जाता है लेकिन तीन आमाल का सवाब जारी रहता है-

1. सदक़ा-ए-जारिया (जो मरने वाला अपनी ज़िन्दगी में ख़ुद कर जाये या उसकी औलाद बाद में ऐसी जगह ख़र्च करे जो सदक़ा-ए-जारिया हों)।
2. नफ़ा देने वाला इल्म।
3. नेक औलाद जो उसके लिये दुआ़ करती रहे।

वज़ाहतः- कोई इनसान मस्जिद बनाकर मर गया, जब तक उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाती रहेगी उसको सवाब मिलता रहेगा। नफ़ा देने वाला इल्म, कोई आ़लिम इल्मी किताब लिखकर मर जाता है जब तक दुनिया में वह किताब पढ़ी जाती रहेगी और लोग उसके उलूम से फ़ायदा उठाते रहेंगे उसको सवाब मिलता रहेगा। इसी तरह अगर कोई इल्मी किताब छपवाकर या ख़रीदकर अपनी तरफ़ से या अपने मरहूमीन की तरफ़ से फ़ी सबीलिल्लाह तक़सीम करे, तब भी मरने वाले को सवाब मिलता रहेगा। नेक औलाद भी चूँकि इनसान की कोशिश होती है, इसलिये जब तक उसकी औलाद उसकी अच्छी तरबियत की वजह से नेकियाँ करती रहेगी और उसके हक़ में दुआ़ करती रहेगी उस मरने वाले को अज्र मिलता रहेगा। इन्शा-अल्लाह तआ़ला।

हदीस 443. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने न कोई दीनार छोड़ा न दिरहम, न बकरी, न ऊँट और न ही किसी चीज़ की वसीयत की।

वज़ाहतः- वसीयत माल व दौलत में की जाती है, आपने कोई माल ही नहीं छोड़ा था जिसमें वसीयत की जाती। मालूम हुआ कि ज़िन्दगी में अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना ज़्यादा अफ़ज़ल है चाहे ऐसी जायदाद हो जिसमें इनसान ख़ुद रह रहा हो या कारोबार कर रहा हो और ज़िन्दगी में

फ़रोख़्त न कर सकता हो, उस सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा तिहाई माल की वसीयत करना अपने लिये अक़्लमन्दी है क्योंकि आजकल वारिसों से यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिये कि वे हमारे मरने के बाद हमारे ही छोड़े हुए माल में से कुछ अल्लाह के रास्ते में हमारी तरफ़ से ख़र्च करेंगे इल्ला माशा-अल्लाह।

नज़्र (मन्नत) का बयान

हदीस 444. हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि अन्सार की एक औ़रत गिरफ़्तार कर ली गयी थी और "अ़ज़बा" (रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ऊँटनी का नाम) को भी पकड़ लिया गया था, वह औ़रत बंधी हुई थी। एक रात वह औ़रत क़ैद से भाग निकली और ऊँटों के पास गयी, वह जिस ऊँट के पास जाती वह आवाज़ निकालने लगता और वह उसको छोड़ देती, फिर वह औ़रत "अ़ज़बा" ऊँटनी के पास गयी उसने कोई आवाज़ नहीं निकाली, वह बहुत मिस्कीन ऊँटनी थी, वह औ़रत उस ऊँटनी की पुश्त पर बैठी उसको तेज़ चलाया वह चल पड़ी। लोगों ने उस औ़रत को धमकाया और उसका पीछा किया लेकिन उस औ़रत ने उनको आ़जिज़ कर दिया। उस औ़रत ने अल्लाह की नज़्र (मन्नत) मान ली कि अगर अल्लाह तआ़ला ने उसको उस ऊँटनी के साथ निजात दे दी तो उसकी क़ुरबानी देगी। जब वह औ़रत मदीना मुनव्वरा पहुँच गयी और सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने उसको देखा तो कहा कि यह रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ऊँटनी अ़ज़बा है, उस औ़रत ने कहा कि उसने नज़्र मानी थी कि अगर अल्लाह ने उसको इस ऊँटनी के साथ निजात दे दी तो वह उसकी क़ुरबानी देगी, सहाबा किराम ने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आकर सूरतेहाल से आगाह किया। आपने फ़रमाया- सुब्हानल्लाह! उस औ़रत ने अ़ज़बा को कितना बुरा सिला दिया है, उसने अल्लाह की नज़्र मानी कि अगर अल्लाह तआ़ला ने उसको अ़ज़बा के साथ निजात दे दी तो वह उसको ज़िबह कर देगी। गुनाह की नज़्र को पूरा नहीं किया जायेगा और न उस चीज़ की नज़्र को पूरा किया

जायेगा जिसका इनसान मालिक नहीं है।

हदीस 445. हज़रत उक़्बा बिन आ़मिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- नज़्र (मन्नत) का वही कफ़्फ़ारा है जो क़सम का कफ़्फ़ारा है।

वज़ाहतः- यानी दस मिस्कीनों को खाना खिलाना या उन्हें कपड़े पहनाना या गुलाम आज़ाद करना या तीन दिन के रोज़े रखना।

अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः अल्-मायदा 5, आयत 89।

क़समों के अहकाम

हदीस 446. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तुमको बाप-दादा की क़सम उठाने से मना फ़रमाता है। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं कि अल्लाह की क़सम, जब से मैंने यह सुना है मैंने अपने बाप-दादा की क़सम कभी नहीं खाई, अपनी तरफ़ से और न किसी की हिकायत (बयान) करते हुए।

हदीस 447. हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन समुरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बुतों की क़सम न खाओ और न अपने बाप-दादा की।

वज़ाहतः- अल्लाह के अ़लावा किसी और की क़सम खाना शिर्क है। इससे बचिये।।

हदीस 448. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस शख़्स ने किसी बात की क़सम खाई फिर उसके बाद किसी और चीज़ में उससे भी ज़्यादा बेहतरी देखी तो चाहिये कि वह अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे दे और ज़्यादा भलाई वाला काम करे।

हदीस 449. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़सम खाने वाले की

नीयत के लिहाज़ से क़सम मोतबर होगी।

वज़ाहतः- जब एक शख़्स किसी दूसरे शख़्स पर किसी हक़ का दावा करे और वह शख़्स क़ाज़ी के हलफ़ दिलाने से हलफ़ उठाये और वह क़ाज़ी की नीयत के बजाय कोई और नीयत कर ले तो उसकी क़सम क़ाज़ी की नीयत के मुताबिक़ होगी।

हदीस 450. हज़रत अबू मसऊद अन्सारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैं अपने एक गुलाम को मार रहा था कि (अचानक) अपने पीछे से एक आवाज़ सुनी- ऐ अबू मसऊद! तुम्हें इल्म होना चाहिये कि जितना तुम इस गुलाम पर क़ादिर हो अल्लाह तुम पर उससे ज़्यादा क़ादिर है। मैंने मुड़कर कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! यह गुलाम अल्लाह के लिये आज़ाद है। आपने फ़रमाया- अगर तुम ऐसा न करते तो तुम्हें जहन्नम की आग जलाती।

वज़ाहतः- अपने मातहत लोगों को बिना वजह सज़ा देने पर आख़िरत में सज़ा होगी।

क़िसामा, जंग करने वालों, क़िसास और दियत का बयान

वज़ाहतः- क़िसामा की सूरत यह है कि एक शख़्स किसी जगह मक़्तूल पाया जाये और उसके क़ातिल का पता न चले और न ही उस पर कोई गवाह हो और उस मक़्तूल (क़त्ल होने वाले) के वारिस किसी ख़ास जमाअत या शख़्स पर क़त्ल का दावा करें, तो उस दावे के साथ 50 आदमी क़सम उठाकर कह दें कि उसने या उन्होंने ही क़त्ल किया है तो उन्हें दियत मिल जायेगी। दूसरी सूरत में मुल्ज़िम ख़ानदान के 50 आदमी क़सम खाकर उस इल्ज़ाम से बरी हो जायेंगे।

हदीस 451. हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन सहल बिन ज़ैद और महीसा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ख़ैबर गये और वहाँ एक दूसरे से अलग हो गये फिर, हज़रत महीसा ने

अ़ब्दुल्लाह बिन सहल रज़ियल्लाहु अ़न्हु को मक़्तूल पाया उन्होंने उनको दफ़न कर दिया, फिर वह अ़ब्दुर्रहमान बिन सहल रज़ियल्लाहु अ़न्हु के साथ रसूले पाक के पास गये। अ़ब्दुर्रहमान बिन सहल रज़ियल्लाहु अ़न्हु उनमें सबसे छोटे थे। वह अपने साथियों से पहले बोलने लगे, रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो उम्र में बड़ा है उसको बोलने दो। फिर वह ख़ामोश हो गये और उनके साथियों ने वाक़िआ़ बयान किया और उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन सहल के क़त्ल होने की जगह को बयान किया। आपने उनसे फ़रमाया- क्या तुम पचास क़समें खाकर अपने साथी का ख़ून साबित कर लोगे? उन्होंने कहा हम कैसे क़समें खा सकते हैं जबकि हम मौक़े पर मौजूद नहीं थे। आपने फ़रमाया- यहूद पचास क़समें खाकर अपनी बराअत को साबित कर लेंगे? उन्होंने कहा कि हम काफ़िरों की क़समों को कैसे क़ुबूल कर सकते हैं। जब रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह सूरतेहाल देखी तो आपने खुद ही मक़्तूल की दियत अदा कर दी।

हदीस 452. हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ने दूसरे के हाथ पर काट लिया उस शख़्स ने अपना हाथ खींचा तो उस काटने वाले के समने के दो दाँत गिर गये। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उसके दावे को बातिल कर दिया और फ़रमाया- तुम उसके हाथ को ऊँट की तरह चबाना चाहते थे।

वज़ाहत::- दाँत तोड़ने पर शरीअ़त ने दियत मुक़र्रर की है मगर इस तरह किसी पर हमले की ग़र्ज़ से दाँत से काटने पर दियत ख़त्म हो जाती है।

हदीस 453. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रबीअ़ की बहन उम्मे हारिसा ने किसी आदमी को ज़ख़्मी कर दिया। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में यह मुक़द्दमा पेश किया तो रसूले पाक ने फ़रमाया- बदला लिया जायेगा। रबीअ़ की माँ ने कहा- ऐ अल्लाह के रसूल! क्या फ़ुलाँ से बदला लिया जायेगा? अल्लाह की क़सम, उससे बदला नहीं लिया जायेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सुब्हानल्लाह, ऐ रबीअ़ की माँ! क़िसास (बदला) किताबुल्लाह (का हुक्म) है, उन्होंने कहा, नहीं अल्लाह की क़सम, इससे

कभी बदला नहीं लिया जायेगा। वह लगातार यही कहती रहीं यहाँ तक कि वे लोग दियत पर राज़ी हो गये, तब रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह के कुछ बन्दे ऐसे हैं कि अगर वे अल्लाह पर क़सम खा बैठें तो अल्लाह तआ़ला उनकी क़सम को पूरा कर देते हैं।

हदीस 454. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स इस बात की शहादत (गवाही) दे कि अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक़ नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ उसका ख़ून सिर्फ़ तीन कारणों से हलाल होता है-

1. निकाह के बाद ज़िना करना।

2. जान के बदले जान।

3. और जो शख़्स अपने दीने इस्लाम को छोड़ दे (यानी मुर्तद हो जाये)।

वज़ाहतः- मुसलमान को क़त्ल करना हराम है। सिर्फ़ 3 जुर्म ऐसे हैं कि उनके करने पर मुसलमान को भी क़त्ल करना जायज़ है-

1. शादीशुदा मर्द या औरत ज़िना करे।

2. वह मसुलमान जिसने किसी दूसरे मसुलमान को नाहक़ क़त्ल किया हो।

3. दीने इस्लाम से मुर्तद होने वाला।

हदीस 455. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस शख़्स को भी ज़ुल्म के तौर पर क़त्ल किया जाता है आदम अ़लैहिस्सलाम के बेटे (क़ाबील) के हिस्से में भी उसके ख़ून का गुनाह होता है, क्योंकि उसने सबसे पहले अपने भाई हाबील को क़त्ल किया था।

वज़ाहतः- उसे क़त्ल के गुनाह में इसलिये शरीक समझा जायेगा कि बुरा फ़ेल सबसे पहले उसने शुरू किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का फ़रमान है कि जिसने बुरा काम शुरू किया उसे अपने उस अ़मल का गुनाह भी मिलेगा और बाद में जो लोग उस बुरे अ़मल को

इख़्तियार करेंगे उनके गुनाह में भी यह शरीक होगा।

हदीस 456. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सबसे पहले लोगों के दरमियान क़त्ल का फ़ैसला किया जायेगा।

वज़ाहतः- अल्लाह तआ़ला के नज़दीक क़त्ल का मसला बहुत अहम है, यही वजह है कि सबसे पहले बन्दों के हुक़ूक़ में इसका हिसाब लिया जायेगा, किसी को नाहक़ क़त्ल करने की सज़ा जहन्नम है। तफ़सील के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः निसा 4, आयत 93।

हदीस 457. हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- (हज के मौक़े पर) ज़माना घूमकर उस दिन की हालत पर आ गया है जिस दिन अल्लाह तआ़ला ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया था। साल के बारह महीने हैं उनमें से चार महीने हुर्मत (इज़्ज़त व सम्मान) वाले हैं, तीन महीने तो लगातार हैं- ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और एक रजब है। फिर आपने सवाल किया- यह कौनसा महीना है? हमने कहा, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप ख़ामोश रहे यहाँ तक कि हमने गुमान किया कि आप इसका कोई और नाम रखेंगे। फिर फ़रमाया- क्या ज़िलहिज्जा का महीना नहीं है? हमने कहा जी हाँ। फिर आपने सवाल किया- यह कौनसा शहर है? हमने कहा अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। फिर आपने फ़रमाया- क्या मक्का नहीं है? हमने कहा जी हाँ। आपने सवाल किया- आज कौनसा दिन है? हमने कहा अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप ख़ामोश रहे यहाँ तक कि हमने गुमान किया कि आप इसका कोई और नाम रखेंगे। आपने फ़रमाया- यह यौमुन्नहर (क़ुरबानी का दिन) नहीं है? हमने कहा कि जी हाँ ऐ अल्लाह के रसूल। आपने फ़रमाया- तुम्हारा ख़ून, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज़्ज़त तुम (में से एक दूसरे) पर इस तरह हराम है जिस तरह आज का दिन और यह शहर और यह महीना मोहतरम (इज़्ज़त व सम्मान वाले) हैं। बहुत जल्दी तुम अपने रब से मुलाक़ात करोगे और वह तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में सवाल करेंगे, कहीं तुम मेरे बाद काफ़िर या

गुमराह न हो जाना, और एक दूसरे की गर्दन मारने न लग जाना। सुनो! (यह पैग़ाम) मौजूद (शख़्स) ग़ायब को पहुँचा दे, शायद जिनको हदीस पहुँचाई जाये उनमें से कुछ सुनने वालों से ज़्यादा याद रखने वाले हों। फिर फ़रमाया- सुनो क्या मैंने (हक़ का) पैग़ाम पहुँचा दिया है? सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने कहा "जी हाँ (हक़ का) पैग़ाम पहुँचा दिया है।"

हदीस 458. हज़रत वाईल बिन हजर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास बैठा हुआ था कि इतने में एक शख़्स दूसरे शख़्स को तस्मा से खींचता हुआ लाया और कहने लगा कि ऐ अल्लाह के रसूल! इसने मेरे भाई को क़त्ल कर किया है। रसूले करीम ने उस शख़्स से पूछा- क्या तुमने क़त्ल किया है? उस (पहले) शख़्स ने कहा- अगर यह इक़रार नहीं करेगा तो मैं इसके ख़िलाफ़ गवाह पेश कर दूँगा। तब उसने कहा "जी हाँ मैंने क़त्ल किया है" आपने पूछा- तुमने उसको क्यों क़त्ल किया? उसने कहा- मैं और वह दोनों दरख़्त के पत्ते झाड़ रहे थे, उसने गाली देकर मुझे ग़ुस्सा दिलाया, मैंने उसके सर पर कुल्हाड़ी दे मारी और उसे क़त्ल कर दिया। रसूले करीम ने फ़रमाया- तुम्हारे पास कुछ माल है जो उसको अपनी जान (क़िसास) के बदले में दे सको। उसने कहा मेरे पास इस चादर और कुल्हाड़ी के सिवा और कोई माल नहीं है। आपने फ़रमाया- क्या तुम्हारी क़ौम तुम्हें छुड़ा लेगी? उसने कहा मेरी क़ौम में मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि वे मुझे छुड़ा लें। आपने वह तस्मा उस शख़्स (मक़्तूल के वली) की तरफ़ फेंक दिया और फ़रमाया- इसे ले जाओ। वह शख़्स उसे लेजाने लगा। जब वह शख़्स पलटा तो आपने फ़रमाया- अगर इसने इसको क़त्ल कर दिया तो यह भी उसके जैसा हो जायेगा। वह शख़्स लौटकर आया और कहा- ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे यह मालूम हुआ है कि आपने यह फ़रमाया है कि अगर मैंने इसको क़त्ल कर दिया तो मैं इसके जैसा हो जाऊँगा (यानी मैं भी क़ातिल तसव्वुर हूँगा) हालाँकि मैंने तो इसको आपके हुक्म पर पकड़ा है।

रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क्या तुम यह नहीं चाहते कि वह तुम्हारे और तुम्हारे साथी का गुनाह भी समेट ले। उसने

कहा ऐ अल्लाह के रसूल! क्या ऐसा हो सकता है? आपने फ़रमाया- क्यों नहीं? उसने कहा अगर ऐसा है तो फिर ठीक है और उसका तस्मा छोड़कर उसको आज़ाद कर दिया।

वज़ाहतः- उसने अपने भाई का क़त्ल माफ़ कर दिया। क़िसास लेने से ज़्यादा अफ़ज़ल और बेहतर है कि माफ़ कर दें इसलिये कि अल्लाह तआ़ला इसका बहुत बड़ा बदला देते हैं।

हुदूद का बयान

हद के लुग़वी मायने मना करने के हैं। इसी वजह से दरबान को हद्दाद कहते हैं क्योंकि वह लोगों को दाख़िल होने से मना करता है। जो चीज़ दो चीज़ों के दरमियान रोक और आड़ हो उसको भी हद कहते हैं। मुजरिम की सज़ा को भी इसलिये हद कहते हैं कि वह उसको दोबारा जुर्म करने से रोकती है। फ़ुक़हा (क़ुरआन व हदीस के माहिर उलेमा) की इस्तिलाह में जो सज़ा इस्लाम की तरफ़ से मुक़र्रर हो उसको हद कहते हैं। उस सज़ा में न ही ज़्यादती हो सकती है न कमी। ये सात जुर्मों की सज़ायें हैं- क़त्ल, चोरी, डाका, ज़िना, तोहमत लगाना, शराब पीना और मुर्तद होना। इन जराईम की सज़ायें नबी करीम अ़लैहिस्सलाम ने मुक़र्रर कर दी हैं और इनके अ़लावा बाक़ी जराईम (अपराधों) की सज़ायें क़ाज़ी और हाकिम की मर्ज़ी और उसकी राय पर छोड़ दी हैं। क़ाज़ी अपनी मर्ज़ी और राय से जो बेहतर समझे वह सज़ा तजवीज़ करता है, उसको ताज़ीर कहते हैं।

हदीस 459. हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुझसे (दीनी अहकाम में से अल्लाह की मुक़र्रर की हुई सज़ायें) सीख लो। अल्लाह तआ़ला ने औ़रतों (की बदकारी) का हुक्म बयान कर दिया है, जब कुंवारी औ़रत और कुंवारा मर्द ज़िना करें तो उनको सौ-सौ कोड़े मारे जायें और एक साल के लिये शहर-बदर कर दिया जाये, और जब शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औ़रत ज़िना करें तो उनको सौ-सौ कोड़े मारे जायें और (दोनों को) संगसार किया जाये।

हदीस 460. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास मस्जिद में एक शख़्स ने आकर बुलन्द आवाज़ से कहा- ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने ज़िना किया है, आपने मुँह फेर लिया। उसने दूसरी तरफ़ से रसूले करीम के सामने आकर कहा- ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने ज़िना किया है। आपने मुँह फेर लिया यहाँ तक कि वह चार मर्तबा आपके सामने आया। जब उसने अपने ख़िलाफ़ चार मर्तबा गवाही दे दी तो आपने उससे फ़रमाया- कहीं तुम्हारा दिमाग़ तो ख़राब नहीं है? उसने कहा नहीं। आपने फ़रमाया- तुम शादीशुदा हो? उसने कहा जी हाँ। तब रसूले करीम ने फ़रमाया- इसको लेजाकर रजम (संगसार) कर दो। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं कि मैं उन लोगों में से था जिन्होंने उसको रजम किया। हमने उस शख़्स को ईदगाह में रजम किया था, जब उसको पत्थर लगे तो भाग पड़ा, हमने उसको हर्रा (पत्थरीले मैदान) में पा लिया और फिर उसको हमने रजम (संगसार) कर दिया।

हदीस 461. हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जुहैना क़बीले की एक औरत रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुई इस हाल में कि वह ज़िना से हामिला (गर्भवती) थी। उसने अ़र्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने ज़िना कर लिया है, आप मुझ पर हद क़ायम कीजिये। आपने उसके सरपरस्त को बुलाकर फ़रमाया- इसकी अच्छी तरह देखाभाल करो और जब इसका बच्चा पैदा हो जाये तो इसे मेरे पास लेकर आना। उसने ऐसा ही किया, फिर रसूले करीम ने उसके कपड़े कसकर बाँधने का हुक्म दिया (ताकि बेपर्दगी न हो), फिर आपके हुक्म से उसको संगसार कर दिया गया। फिर आपने उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! आप इसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ा रहे हैं हालाँकि यह ज़ानिया है? आपने फ़रमाया- इसने ऐसी तौबा की है कि अगर उसको मदीना के सत्तर आदमियों में तक़सीम किया जाये तो उन्हें काफ़ी होगी। और क्या तुमने इससे अफ़ज़ल कोई तौबा देखी है कि इस (तौबा करने वाले) ने अल्लाह के लिये अपनी जान दे दी हो।

वज़ाहतः- तौबा करने से हर क़िस्म के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आप भी ख़ूब ज़्यादा इस्तिग़फ़ार कीजिये।

हदीस 462. हज़रत अबू अ़ब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने ख़ुतबे में फ़रमाया- ऐ लोगो! अपने गुलामों पर हद क़ायम करो चाहे वे शादीशुदा हों या ग़ैर-शादीशुदा, क्योंकि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की एक बाँदी ने ज़िना किया था तो आपने मुझे हुक्म दिया कि मैं उसे कोड़े लगाऊँ, लेकिन उसने हाल ही में बच्चा जना था, मुझे डर हुआ कि अगर मैंने उसे कोड़े मारे तो वह कहीं मर न जाये, लिहाज़ा मैंने उस पर हद जारी नहीं की। यह बात मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से ज़िक्र की तो आपने फ़रमाया- तुमने अच्छा किया।

वज़ाहतः- किसी मजबूरी की वजह से हद जारी करने में देर करना भी जायज़ है जैसा कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जुहैना क़बीले की औ़रत पर हद जारी करने में ताख़ीर (देरी) की और हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु के अ़मल को भी पसन्द फ़रमाया।

हदीस 463. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास एक शख़्स को लाया गया जिसने अंगूर की शराब पी थी। आपने उसको दो छड़ियों से चालीस मर्तबा मारा। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने भी इसी तरह किया, जब उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु का दौरे ख़िलाफ़त आया तो उन्होंने लोगों से मश्विरा किया तो हज़रत अ़ब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि कम से कम हद अस्सी कोड़े हैं, फिर हज़रत उमर ने उसे अस्सी कोड़े मारने का हुक्म दिया।

हदीस 464. हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ एक मजलिस में थे, आपने फ़रमाया- तुम लोग मुझसे इस बात पर बैअ़त करो कि तुम अल्लाह तआ़ला के साथ किसी को शरीक नहीं करोगे, ज़िना नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे और जिस शख़्स को अल्लाह तआ़ला ने क़त्ल करना हराम

कर दिया है उसको बेगुनाह क़त्ल नहीं करोगे। तुम में से जिस शख़्स ने इस अ़हद को पूरा किया उसका अज्र अल्लाह पर है। जिसने इन हराम कामों को कर लिया और उसको सज़ा दे दी गयी तो वह उसका कफ़्फ़ारा है। और जिसने इनमें से किसी हराम काम को किया और अल्लाह तआ़ला ने उस पर पर्दा रखा तो उसका मामला अल्लाह तआ़ला के हवाले है, अगर वह चाहे तो उसको माफ़ कर दे और अगर चाहे तो उसको अ़ज़ाब दे।

वज़ाहतः- दुनिया में हद जारी हो जाने से गुनाह का कफ़्फ़ारा हो जाता है।

हदीस 465. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- एक आदमी के जानवर का दूसरे शख़्स के जानवर को ज़ख़्मी करने का कोई तावान नहीं। किसी के कुएँ में गिरने का कोई तावान नहीं है। मादनियात (ज़मीन से निकलने वाली धातुओं और खनिज पदार्थों) में गिरने या ज़ख़्मी होने का माली मुआवज़ा नहीं है, और मादनियात में पाँचवाँ हिस्सा बतौर ज़कात अदा करनी वाजिब है।

फ़ैसलों का बयान

क़ज़ा के मायने हैं फ़ैसला करना, और शरीअ़त की परिभाषा में झगड़ों को ख़त्म करना और मुक़द्दमों का फ़ैसला करना है।

हदीस 466. हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम मेरे पास मुक़द्दमे लेकर आते हो और हो सकता है कि तुम में से कोई शख़्स अपने पक्ष को दूसरे के मुक़ाबले में ज़्यादा दलीलों के साथ पेश करे और मैं उस सुनवाई के एतिबार से उसके हक़ में फ़ैसला कर दूँ। सो जिस शख़्स को मैं उसके भाई का हक़ दे दूँ वह उसको न ले क्योंकि मैं उसे आग का एक टुकड़ा दे रहा हूँ।

वज़ाहतः- बाज़े लोग बातें बनाने और अपने पक्ष को ज़ोरदार अन्दाज़ से पेश करके मुक़द्दमे का फ़ैसला अपने हक़ में करवा लेते हैं जो उनके लिये

आख़िरत में बहुत ही ज़्यादा नुक़सानदेह है, एहतियात कीजिये।

हदीस 467. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला तुम्हारी तीन बातों को पसन्द फ़रमाते हैं और तीन बातों को नापसन्द फ़रमाते हैं। अल्लाह तआ़ला को यह पसन्द है कि तुम सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और सब मिलकर अल्लाह तआ़ला की रस्सी को मज़बूती से पकड़ो और तफ़र्क़ा (फूट और गुट-बन्दी इख़्तियार) न करो, और अल्लाह तआ़ला फ़ुज़ूल बहस करने, बहुत ज़्यादा सवाल करने और माल ज़ाया करने को नापसन्द फ़रमाते हैं।

हदीस 468. हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने तुम पर ये काम हराम कर दिये हैं- माँ की नाफ़रमानी करना, बेटियों को ज़िन्दा दफ़न करना, किसी को उसका हक़ न देना, नाहक़ माँगना। और तीन काम मक्रूह (नापसन्दीदा) किये हैं- फ़ुज़ूल बहस करना, बहुत ज़्यादा सवाल करना और माल ज़ाया (बरबाद) करना।

हदीस 469. हज़रत अ़मर बिन आ़स रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब हाकिम इज्तिहाद (अपनी कोशिश और ग़ौर व फ़िक्र) से फ़ैसला करे और वह फ़ैसला सही हो तो उसको दो अज्र मिलते हैं, और अगर वह इज्तिहाद से फ़ैसला करे और वह फ़ैसला ग़लत हो जाये तब भी उसको एक अज्र मिलता है।

गिरी-पड़ी चीज़ों का बयान

हदीस 470. हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास एक आदमी आया और उसने आप से लुक़्ता (गिरी हुई गुमशुदा चीज़) के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया- उसके बाँधने की डोरी और उस थैली की पहचान रख लो, फिर एक साल तक उसका ऐलान करो, अगर उसका

मालिक आ जाये तो ठीक, वरना उसे तुम रख लो। उसने अ़र्ज़ किया- गुमशुदा बकरी का क्या हुक्म है? आपने फ़माया- वह तुम्हारे लिये या तुम्हारे भाई के लिये या भेड़िये के लिये है। उसने अ़र्ज़ किया- गुमशुदा ऊँट के बारे में क्या हुक्म है? आपने फ़रमाया- तुम्हें उससे क्या? उसके साथ उसकी मशक (पानी का बर्तन) है, उसका जूता भी उसके साथ है। वह पानी के घाट पर जायेगा और दरख़्तों के पत्ते खायेगा, यहाँ तक कि उसका मालिक उसे पकड़ लेगा।

हदीस 471. हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हाजियों की गिरी-पड़ी चीज़ उठाने से मना फ़रमाया है।

वज़ाहतः- हाजियों की गिरी-पड़ी चीज़ सिर्फ़ ऐलान करने की नीयत से उठाने की इजाज़त है, उसके अ़लावा इजाज़त नहीं है।

मेहमान-नवाज़ी का बयान

हदीस 472. हज़रत अबू शुरैह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस शख़्स का अल्लाह तआ़ला और क़ियामत के दिन पर ईमान हो उसे चाहिये कि वह अपने मेहमान की इ़ज़्ज़त करे और उसकी मेहमान-नवाज़ी का एहतिमाम करे। सहाबा किराम ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! उसकी मेहमान-नवाज़ी का एहतिमाम कब तक करें? आपने फ़रमाया- एक दिन और एक रात तक और फिर तीन दिन तक उसकी आ़म मेहमान-नवाज़ी करे। उसके बाद भी अगर रहे तो वह उस पर सदक़ा है। और जो शख़्स अल्लाह और क़ियामत के दिन पर यक़ीन रखता हो वह भलाई की बात करे या ख़ामोश रहे।

वज़ाहतः- मेहमान को मेज़बान के पास ज़्यादा मुद्दत तक नहीं रहना चाहिये कि मेज़बान मेहमान-नवाज़ी का हक़ अदा न करने की वजह से गुनाहगार हो।

हदीस 473. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक दफ़ा हम रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ सफ़र

में जा रहे थे। अचानक एक ऊँट-सवार आकर दायें और बायें घूरने लगा। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस शख़्स के पास ज़ायद सवारी हो वह फ़ालतू सवारी इस शख़्स को दे दे, और जिस शख़्स के पास फ़ालतू खाने-पीने का सामान है वह उस शख़्स को रास्ते का वह सामान दे दे जिसके पास रास्ते का सामान (यानी खाने-पीने वग़ैरह ज़रूरत का सामान) न हो। फिर रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने (ज़ायद) माल की क़िस्में इतनी तफ़सील से बयान कीं कि यूँ लगता था कि हम में से किसी का अपनी अतिरिक्त और फ़ालतू चीज़ में हक़ ही नहीं है।

वज़ाहतः- उस शख़्स के घूरकर देखने की वजह रास्ते का ज़रूरत का सामान (खाना-पीना वग़ैरह) न होना था, आपने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम को रास्ते का सामन देने की तरग़ीब दी।

हदीस 474. हज़रत अयास बिन मस्लमा अपने वालिद से नक़ल करते हैं कि हम रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ एक जंग में गये, वहाँ हमें (खाने की) शिकायत (परेशानी) हुई यहाँ तक कि हमने अपनी कुछ सवारियों को ज़िबह करने का इरादा कर लिया, तब रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह हुक्म दिया कि हम अपने-अपने ज़ादे राह (खाने-पीने के सामान) को एक जगह जमा करें, फिर एक चमड़े का दस्तरख़्वान बिछाया गया जिस पर सब के ज़ादे राह जमा किये गये। मैं उस चमड़े के टुकड़े का अन्दाज़ा करने के लिये बढ़ा तो मेरे अन्दाज़े के मुताबिक़ वह एक बकरी के बैठने की जगह के बराबर था। उस वक़्त लश्कर में हम चौदह सौ अफ़राद थे। हम सब ने उस खाने को खाया यहाँ तक कि हम सैर हो गये (ख़ूब पेट भर गया), फिर हमने अपने अपने खाने की थेलियों को भर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- वुज़ू का पानी है? एक शख़्स लोटे में थोड़ा-सा पानी लेकर आया। आपने उस पानी को एक प्याले में डाल दिया और हम सब चौदह सौ आदमियों ने ख़ूब अच्छी तरह वुज़ू किया। फिर उसके बाद आठ आदमी आये और पूछा क्या वुज़ू का पानी है? तो रसूले करीम ने फ़रमाया- वुज़ू से फ़राग़त हो चुकी है यानी पानी ख़त्म हो चुका है।

वज़ाहतः- यह आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का मोजिज़ा था। जब खाने-पीने की चीज़ें कम हों तो उन सब को जमा कर लेना चाहिये और हर शख़्स अपने खाने को अपने साथियों के लिये वक़्फ़ कर दे और यह ख़्याल न करे कि उसने दूसरों से कम खना खाया है या ज़्यादा, ख़ुसूसन खाने की कमी के मौक़े पर ईसार और क़ुरबानी से काम लेना चाहिये। सब के साथ मिलकर खाने की वजह से अल्लाह तआ़ला बरकत नाज़िल फ़रमा देते हैं।

जिहाद और ग़ज़वात का बयान

'जिहाद' के शरई मायने अल्लाह के दीन की सरबुलन्दी के लिये काफ़िरों से जंग में अपनी पूरी ताक़त और माल को ख़र्च करना है, और 'जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह' के मायने हैं- शरीअ़त के अहकाम पर अ़मल करने के लिये नफ़्स को थकाना और इच्छाओं की पैरवी और लज़्ज़तों की तरफ़ मैलान में नफ़्स की मुख़ालफ़त करना।

तीन हालतों में जिहाद फ़र्ज़-ए-ऐन (लाज़िमी और ज़रूरी) होता है-

1. जब जिहाद का आ़म हुक्म दिया जाये यानी जब मसुलमान मुल्क का हाकिम मुल्क के हर शहरी को जिहाद का हुक्म दे चाहे वह शहरी फ़ौजी हो या ग़ैर-फ़ौजी हो, उस वक़्त उस मुल्क के हर मुसलमान पर जिहाद करना फ़र्ज़े-ऐन हो जाता है। जैसा कि आज जिहाद फ़र्ज़-ऐन हो चुका है, अलबत्ता जो लोग जिहाद करने से शरई तौर पर माज़ूर हों वे इस हुक्म से अलग और बाहर हैं।

2. मुसलमानों के शहर की सरहदों पर काफ़िर हमला करने के इरादे से जमा हो जायें तो उस शहर के मुसलमानों पर उन काफ़िरों से जिहाद करना फ़र्ज़-ऐन (लाज़िमी फ़र्ज़) है और अगर उनको अपनी रक्षा और बचाव में दूसरे शहर के मुसलमानों की ज़रूरत हो तो फिर उन पर भी जिहाद फ़र्ज़-ऐन हो जाता है।

3. जब (अल्लाह अपनी पनाह में रखे) काफ़िर लोग मुसलमानों के किसी शहर को रौंद रहे हों तो उस शहर के मुसलमानों पर जिहाद करना फ़र्ज़-ए-ऐन है, और जब उन्हें दूसरे मुसलमानों की मदद की ज़रूरत हो तो

उन पर भी जिहाद फ़र्ज़-ऐन है, इसके अ़लावा बाक़ी सूरतों में जिहाद फ़र्ज़-ए-किफ़ाया है।

हदीस 475. हज़रत सुलैमान बिन बुरैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब किसी शख़्स को किसी बड़े या छोटे लश्कर का अमीर बनाते तो उसे ख़ास तौर पर अल्लाह तआ़ला से डरने और साथियों के साथ नेकी करने की नसीहत करते। फिर आप फ़रमाते- अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, जो शख़्स अल्लाह तआ़ला के साथ कुफ़्र करे उसके साथ जंग करो, ख़्यानत न करो, अ़हद को न तोड़ो, किसी शख़्स के बदनी हिस्से (हाथ-पाँव वग़ैरह) काटकर उसकी शक्ल न बिगाड़ो, किसी बच्चे को क़त्ल न करो, जब तुम्हारा अपने मुश्रिक दुश्मनों के साथ मुक़ाबला हो तो उनको तीन चीज़ों की दावत देना, वे उनमें से जिसको भी मान लें उसको क़ुबूल कर लेना और जंग से रुक जाना। पहले उनको इस्लाम की दावत दो, अगर वे इस्लाम ले आयें तो उनका इस्लाम क़ुबूल कर लो और उनसे जंग न करो। उनसे यह कहो कि वे अपना शहर छोड़कर मुहाजिरीन के शहर में आ जायें और उनको यह बताओ कि अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो उनको वो सहूलतें मिलेंगी जो (मुसलमान) मुहाजिरीन को मिलती हैं। उन पर वे ज़िम्मेदारियाँ होंगी जो मुहाजिरीन पर हैं। अगर वे मुहाजिरीन के शहर में आने से इनकार करें तो उनको यह ख़बर दे दो कि फिर उन पर देहाती मुसलमानों का हुक्म लागू होगा। उन पर (देहाती) मुसलमानों के अहकाम जारी होंगे। लेकिन उनको माले ग़नीमत (जो काफ़िरों से जंग के बाद हासिल हो) और माले फ़ै (जो माल बग़ैर लड़ाई हासिल हो जाये) से जिहाद किये बग़ैर कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर वे लोग इस दावत को क़ुबूल न करें तो फिर उनसे जिज़या (यह एक मामूली टैक्स है जो ग़ैर-मुस्लिमों से उनकी जान माल और शहरी हुक़ूक़ की हिफ़ाज़त के बदले में लिया जाता है) का सवाल करो, अगर वे इसको तस्लीम कर लें तो तुम उनका जिज़या क़ुबूल कर लो और उनसे जंग न करो, और अगर वे इसका इनकार करें तो फिर अल्लाह की मदद के साथ उनसे जंग शुरू कर दो।

हदीस 476. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझे और हज़रत मुआज़ को यमन भेजा और फ़रमाया- तुम लोगों के लिये आसानी पैदा करना और उन्हें मुश्किल में न डालना, उनको खुश करना और नफ़रत व घिन करने वाला मत करना, और आपस में इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद रखना और इख़्तिलाफ़ (झगड़ा व विवाद पैदा) न करना।

वज़ाहतः- हर हुक्मराँ (शासक व मुल्क के मुखिया) का अपनी पब्लिक के साथ ऐसा ही सुलूक होना चाहिये।

हदीस 477. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ लोगो! दुश्मन से मुक़ाबले की तमन्ना मत करो और अल्लाह तआला से आफ़ियत का सवाल करो। जब तुम्हारा दुश्मन से मुक़ाबला हो तो साबित-क़दम रहो। याद रखो! जन्नत तलवारों के साये तले है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने खड़े होकर यह दुआ फ़रमाई-

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِىَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ.

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! ऐ किताब के नाज़िल फ़रमाने वाले, ऐ बादलों को चलाने वाले, ऐ लश्करों को शिकस्त देने वाले इन (हमारे दुश्मनों) को शिकस्त दे और हमको इन पर ग़ालिब कर दे।

हदीस 478. हज़रत सअब बिन जस्सामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सवाल किया गया कि अगर शबख़ून मारते (रात के अंधेरे में दुश्मन पर हमला करते) वक़्त मुश्रिकों के बच्चे और औरतें मारे जायें तो क्या हुक्म है? आपने फ़रमाया- वे उन्हीं में से हैं।

वज़ाहतः- जान-बूझकर औरतों और बच्चों को क़त्ल न किया जाये, अगर बिना इरादे के मारे जायें तो मुसलमानों पर कोई गुनाह नहीं है।

हदीस 479. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बुवैरा के नख़्लिस्तान में बनू नज़ीर (यहूद का एक क़बीला) के कुछ दरख़्त जलवा दिये और कुछ

कटवा दिये, फिर अल्लाह तआ़ला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई-

तर्जुमाः- जिन दरख़्तों को तुमने काटा या उन्हें उनकी जड़ों पर खड़ा हुआ छोड़ दिया यह अल्लाह की .इजाज़त से था ताकि अल्लाह फ़ासिक़ों (बदकारों) को ज़लील व रुस्वा करे। (सूरः हश्र 59, आयत 5)

हदीस 480. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि बनू नज़ीर का माल व दौलत उन मालों में से था जिनको अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर लौटा दिया था। मुसलमानों ने उनको हासिल करने के लिये न घोड़े दौड़ाये और न ही ऊँट, और यह माल रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये ख़ास था। आप अपने घर वालों के लिये एक साल का ख़र्च उसमें से निकाल लेते थे और जो बाक़ी बच जाता उसे अल्लाह तआ़ला के रास्ते में जिहाद की सवारियों और हथियारों की तैयारी वग़ैरह में ख़र्च कर देते थे।

हदीस 481. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की साहिबज़ादी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु के पास किसी को भेजकर यह सवाल किया कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को अल्लाह तआ़ला ने मदीना और मक़ामे फ़िदक में जो माले फ़ै दिया है और ख़ैबर के पाँचवे हिस्से में से जो माल बचा है उसकी मीरास में से मेरा हिस्सा दें। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ ने कहा कि रसूले पाक ने फ़रमाया है- हम किसी को वारिस नहीं बनाते, हमने जो छोड़ा है वह सदक़ा है, अलबत्ता मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की आल उस माल से खाती रहेगी और मैं अल्लाह की क़सम! रसूले करीम के सदक़े में कोई तब्दीली नहीं करूँगा। रसूले करीम के दौर में जिस तरह वह माल ख़र्च होता था उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। मैं उन मालों में इसी तरह तसर्रुफ़ करता (अ़मल व इख़्तियार चलाता) रहूँगा जिस तरह रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उनमें तसर्रुफ़ करते थे।

हदीस 482. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि जिस

वक़्त रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने वफ़ात पाई तो आपकी (दूसरी) बीवियों ने इरादा किया कि हज़रत उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान को हज़रत अबू बक्र की तरफ़ भेजें और उनसे रसूले करीम की मीरास में से अपना हिस्सा माँगें। मैंने बीवियों से पूछा कि क्या रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह नहीं फ़रमाया था कि हमारा कोई वारिस नहीं होता और जो हम छोड़ें वह सदक़ा है।

हदीस 483. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरे तर्के (इन्तिक़ाल के बाद छोड़े हुए माल) में से मेरे वारिस एक दीनार के भी मालिक नहीं बन सकते, मेरी बीवियों और मेरे आ़मिलीन (कारकुनों) के ख़र्च के बाद जो कुछ बाक़ी बचेगा वह सदक़ा है।

हदीस 484. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने माले ग़नीमत में से घोड़े के दो हिस्से दिये और आदमी का एक हिस्सा दिया।

वज़ाहतः- घोड़े वाले मुजाहिद को तीन हिस्से इसलिये दिये कि एक हिस्सा उसका अपना और दो हिस्से घोड़े के, और पैदल चलने वाले मुजाहिद को एक हिस्सा इनायत फ़रमाया, क्योंकि घोड़े-सवार मुजाहिद का काम पैदल के मुक़ाबले में ज़्यादा होता है।

हदीस 485. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि ग़ज़वा-ए-बदर के दिन रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुश्रिक लोगों की तरफ़ देखा तो वे एक हज़ार थे, और रसूले अकरम के साथ 319 मर्द थे। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने क़िब्ले की तरफ़ मुँह किया और हाथ उठाकर बुलन्द आवाज़ से अपने रब से यह दुआ़ की- ऐ अल्लाह! आपने मुझसे जो वायदा किया है उसको पूरा फ़रमा। ऐ अल्लाह! मुसलमानों की यह जमाअ़त अगर हलाक हो गयी तो फिर रू-ए-ज़मीन पर आपकी इबादत नहीं की जायेगी। आप हाथ फैलाकर बुलन्द आवाज़ से लगातार दुआ़ करते रहे यहाँ तक कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के शानों (कन्धों) से चादर गिर गयी। फिर अबू बक्र

सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आये और चादर पकड़कर आपके कन्धों पर डाली और फिर पीछे से आपके साथ लिपट गये और कहने लगे- ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह से आपकी यह दुआ़ काफ़ी है, आपका रब आप से किये हुए वायदे को बहुत जल्दी ज़रूर पूरा फ़रमायेगा। फिर अल्लाह ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई-

तर्जुमाः- जब तुम अपने रब से मदद तलब कर रहे थे तो उस (अल्लाह करीम) ने तुम्हारी दुआ़ क़ुबूल फ़रमाई कि मैं तुम्हारी लगातार एक हज़ार फ़रिश्तों से मदद फ़रमाऊँगा। (सूरः अनफ़ाल 8, आयत 9)

फिर अल्लाह तआ़ला ने फ़रिश्तों से रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मदद फ़रमाई। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने बयान किया कि उस दिन एक मुसलमान एक मुश्रिक के पीछे दौड़ रहा था जो उससे आगे था, इतने में उसने अपने ऊपर से एक कोड़े की आवाज़ सुनी और एक घोड़े सवार की आवाज़ आई जो कह रहा था- ऐ हेज़ूम आगे बढ़ (हेज़ूम उस फ़रिश्ते के घोड़े का नाम था)। फिर अचानक उसने देखा कि वह मुश्रिक उसके सामने चित गिरा पड़ा है। उस मुसलमान ने उस मुश्रिक की तरफ़ देखा तो उसकी नाक पर चोट थी और उसका चेहरा इस तरह फट गया था जैसे कोड़ा लगा हो और उसका पूरा जिस्म नीला पड़ गया था। उस अन्सारी ने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर यह वाक़िआ़ बयान किया तो आपने फ़रमाया- तुमने सच कहा, यह तीसरे आसमान से मदद आई थी। उस दिन मुसलमानों ने सत्तर मुश्रिक सरदारों को क़त्ल किया और सत्तर को गिरफ़्तार कर लिया तो रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत अबू बक्र व हज़रत उमर से कहा- तुम्हारा इन क़ैदियों के बारे में क्या ख़्याल है? हज़रत अबू बक्र ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! ये हमारे रिश्तेदार और हमारे क़बीले के लोग हैं, मेरी राय यह है कि आप इनसे फ़िदया ले लें। इससे हमें काफ़िरों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत हासिल होगी और शायद अल्लाह तआ़ला इन्हें इस्लाम की हिदायत दे दे।

रसूले करीम ने फ़रमाया- ऐ इब्ने ख़त्ताब! तुम्हारी क्या राय है? मैंने

कहा- नहीं, अल्लाह की क़सम ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी वह राय नहीं है जो अबू बक्र की है। मेरी राय यह है कि आप इन्हें हमारे हवाले करें ताकि हम इनकी गर्दनें उतार दें और अक़ील को अ़ली के हवाले कीजिये कि वह उसकी गर्दन उतार दें और मेरा फ़ुलाँ रिश्तेदार मेरे हवाले करें कि मैं उसकी गर्दन मार दूँ। ये लोग काफ़िरों के बड़े और उनके सरदार थे। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को अबू बक्र की राय पसन्द आ गयी और मेरी राय पसन्द न आई। दूसरे दिन जब मैं रसूले अकरम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो क्या देखता हूँ कि आप और हज़रत अबू बक्र बैठे रो रहे हैं। मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! आप और आपका साथी किस वजह से रो रहे हैं? अगर मुझे भी रोना आया तो मैं भी रोऊँगा और अगर मुझे रोना न आया तो मैं आप दोनों के रोने की वजह से रोने जैसी सूरत बना लूँगा। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उस वाक़िए की वजह से रो रहा हूँ जो तुम्हारे साथियों के फ़िदया लेने की वजह से मुझ पर पेश आया है। बिला-शुब्हा मुझ पर उन लोगों (को फ़िदया लेने की वजह से) अ़ज़ाब पेश किया गया जो इस दरख़्त से भी ज़्यादा क़रीब था जो दरख़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के क़रीब था, फिर अल्लाह तआ़ला ने अपने नबी पर यह आयते मुबारक नाज़िल फ़रमाई-

तर्जुमाः- किसी नबी की शान के यह लायक़ नहीं कि वह काफ़िरों का ज़मीन पर ख़ून बहाने से पहले उनको क़ैदी बना ले। तुम तो दुनियावी माल चाहते हो और अल्लाह तआ़ला तुम्हें आख़िरत देना चाहता है। और अल्लाह क़ुव्वत वाला हिक्मत वाला है। अगर पहले ही से अल्लाह की तरफ़ से यह बात लिखी हुई न होती तो जो तुमने अ़मल किया है तुम्हें बड़ी सज़ा मिलती। तुमको जो माले ग़नीमत हासिल है उसको खाओ इसलिये कि यह हलाल और पाक है, और अल्लाह से डरते रहो यक़ीनन अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है। (सूरः अनफ़ाल 8, आयत 67-69)

फिर अल्लाह तआ़ला ने मुसलमानों के लिये माले ग़नीमत को हलाल कर दिया।

हदीस 486. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि

रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमारे पास तशरीफ़ लाकर फ़रमाया- यहूदियों के पास चलो, हम आपके साथ उठकर यहूदियों के पास गये। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने खड़े होकर उनसे बुलन्द आवाज़ से फ़रमाया- ऐ यहूदियो! मुसलमान हो जाओ तुम सलामत रहोगे। उन्होंने कहा- ऐ अबुल-क़ासिम! आपने तब्लीग़ कर दी। रसूले करीम ने उनसे फ़रमाया- मैं भी यही चाहता हूँ कि (तुम इक़रार कर लो) इस्लाम ले आओ और सलामत रहो। उन्होंने कहा कि ऐ अबुल-क़ासिम! आपने तब्लीग़ कर दी है। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तीसरी बार फ़रमाया- मैं भी यही चाहता हूँ। फिर रसूले करीम ने फ़रमाया- सुनो ज़मीन अल्लाह और उसके रसूल की है, और मैं यह चाहता हूँ कि तुमको इस ज़मीन से निकाल दूँ, लिहाज़ा तुम में से जो शख़्स अपने माल को बेचना चाहे उसको बेच दे वरना जान लो कि ज़मीन अल्लाह और उसके रसूल की है।

वज़ाहतः- यहूदियों की शरारतों की वजह से उन्हें मदीना से जिला-वतन किया गया था।

हदीस 487. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़ररमाया- जो मोमिन दुनिया में कोई भी नेकी करेगा अल्लाह तआ़ला उस पर ज़ुल्म नहीं करेगा, उसको दुनिया में भी और आख़िरत में भी जज़ा दी जायेगी, रहा काफ़िर तो उसने दुनिया में जो नेकियाँ की हैं उनका अज्र उसको दुनिया में दे दिया जायेगा और जब वह आख़िरत में पहुँचेगा तो उसको जज़ा देने के लिये कोई नेकी नहीं होगी।

अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः अल्-ब-क़रह 2, आयत 102 और सूरः आले इमरान 3, आयत 77।

हदीस 488. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि बनू नज़ीर और बनू क़ुरैज़ा ने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से जंग की तो रसूले क़रीम ने बनू नज़ीर को तो जिला-वतन कर दिया और बनू क़ुरैज़ा पर एहसान फ़रमाते हुए रहने दिया, यहाँ तक कि उसके बाद बनू क़ुरैज़ा ने भी जंग की तो रसूले करीम ने उनके मर्दों को

क़त्ल करा दिया और उनकी औरतों, औलाद और दौलत को मुसलमानों के दरमियान तक़सीम कर दिया, सिवाय उनमें से चन्द एक के जो रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से आ मिले तो आपने उन्हें अमन दिया और वे इस्लाम ले आये और रसूले करीम ने मदीना के तमाम यहूदियों को जिला-वतन कर दिया, यानी बनू क़ैनुक़ाअ़ जो अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अ़न्हु की क़ौम थी और बनू हारिसा के यहूद और हर उस यहूदी को जो मदीना में रहता था।

हदीस 489. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैं यहूदियों और ईसाईयों को अ़रब के इलाक़े से ज़रूर निकाल दूँगा यहाँ तक कि मैं यहाँ मुसलमानों के अ़लावा किसी को नहीं रहने दूँगा।

हदीस 490. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि जंगे ख़न्दक़ के दिन सअ़द बिन मुआ़ज़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु को क़ुरैश के एक शख़्स ने तीर मारा, उस शख़्स का नाम इब्ने अ़रिक़ा था। यह तीर हज़रत सअ़द के बाज़ू की एक रग में लगा, रसूले पाक ने हज़रत सअ़द के लिये मस्जिद में एक ख़ेमा लगवा दिया वहीं क़रीब से उनकी इयादत करते थे। जब रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जंगे ख़न्दक़ से वापस लौटे तो आपने हथियार उतारकर ग़ुस्ल किया, उस वक़्त आपके पास जिब्रील अ़लैहिस्सलाम आये आप उस वक़्त अपने सर से ग़ुबार झाड़ रहे थे। जिब्रील अ़लैहिस्सलाम ने कहा- आपने हथियार उतार दिये, अल्लाह की क़सम हमने अभी तक हथियार नहीं उतारे। उनकी तरफ़ रवाना हों। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मालूम फ़रमाया कि कहाँ? तो उन्होंने बनू क़ुरैज़ा की तरफ़ इशारा किया। फिर रसूले करीम ने उनसे जंग की। वे रसूले करीम के फ़ैसले पर क़िले से बाहर निकल आये रसूले करीम ने उनका फ़ैसला हज़रत सअ़द के हवाले कर दिया, उन्होंने कहा कि मेरा फ़ैसला यह है कि उनके जंगजू अफ़राद (लड़ाकुओं) को क़त्ल किया जाये और उनके बच्चों और औरतों को गिरफ़्तार किया जाये और उनके मालों को तक़सीम कर दिया जाये।

वज़ाहतः- बनू क़ुरैज़ा को यह सज़ा अ़हद तोड़ने की वजह से दी गयी। उन्होंने आप से यह समझौता किया हुआ था कि हम किसी के साथ मिलकर आप पर हमला नहीं करेंगे, मगर जंगे अहज़ाब में उन्होंने अपने अ़हद को तोड़ा और काफ़िरों का साथ दिया था।

हदीस 491. हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ ग़ज़्वा-ए-हुनैन में गये। जब हमारा दुश्मन के साथ मुक़ाबला हुआ तो मैं आगे बढ़कर एक घाटी पर चढ़ गया। दुश्मन का एक शख़्स सामने से आया, मैंने तीर मारा वह छुप गया और मुझे पता न चल सका कि उसने क्या किया? मैंने दुश्मनों की क़ौम की तरफ़ देखा तो वह दूसरी घाटी पर चढ़ रही थी। उनका और सहाबा किराम का मुक़ाबला हुआ। सहाबा किराम भागे, मैं भी शिकस्त खाया हुआ लौटा। उस हाल में मेरे ऊपर दो चादरें थीं, एक मैंने तहबन्द के तौर पर बाँधी हुई थी और दूसरी ओढ़ी हुई थी। मेरा तहबन्द खुल गया तो मैंने दोनों चादरों को इकट्ठा कर लिया और मैं रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने शिकस्त खाया हुआ लौटा। उस वक़्त आप अपने ख़च्चर शहबा पर सवार थे। रसूले करीम ने फ़रमाया- इब्ने अकवा! ख़ौफ़ज़दा होकर देख रहे हो। जब दुश्मनों ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को घेर लिया तो आप ख़च्चर से उतरे और ज़मीन से ख़ाक की एक मुट्ठी उठाकर दुश्मनों के चेहरों की तरफ़ फेंकी, उनके चेहरे धूल से भर गये। फिर अल्लाह तआ़ला ने उस मुट्ठी से उन (दुश्मनों) के हर आदमी की आँख में मिट्टी भर दी और वे पीठ फेरकर भाग गये। पस अल्लाह तआ़ला ने उनको शिकस्त दी और रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनका माले ग़नीमत मुसलमानों में तक़सीम कर दिया।

वज़ाहतः- मक्का और ताईफ़ की दरमियानी वादी का नाम हुनैन है, यह ग़ज़्वा (जंग) शव्वाल के महीने सन् 8 हिजरी में हुआ, इसमें मुसलमानों को अपनी ताक़त का गुमान था कि हम कम तायदाद के बावजूद भी दुश्मन पर ग़ालिब आ जाते हैं, आज तो हमारी तायदाद दुश्मन से ज़्यादा है लिहाज़ा कामयाबी यक़ीनी है। इसलिये परेशानी का सामना करना पड़ा। अधिक

तफ़सील के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः तौबा 9, आयत 25-26)

हदीस 492. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ताईफ़ वालों का घेराव किया और वहाँ से कुछ हासिल न हुआ तो फ़रमाया- हम इन्शा-अल्लाह वापस लौट जायेंगे। आप से सहाबा किराम ने सवाल किया- क्या हम बग़ैर फ़तह के लौट जायेंगे? रसूले करीम ने फ़रमाया- कल सुबह उनसे जंग करना। सहाबा किराम ने सुबह हमला किया और ज़ख़्मी हो गये। रसूले करीम ने फिर फ़रमाया- हम कल सुबह वापस चले जायेंगे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम इससे ख़ुश हो गये तो रसूले करीम मुस्कुराये।

वज़ाहतः- नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सन् 8 हिजरी में हुनैन की वादी से लौटे तो ताईफ़ (शहर) में ठहरे, नबी करीम ने ताईफ़ का घेराव कर लिया। इस्लाम में यह पहला मौक़ा था कि क़िला का दरवाज़ा तोड़ने वाले उपकरण यानी मिन्जनीक़ वग़ैरह इस्तेमाल किये गये। बीस दिन तक घेराव रहा लेकिन शहर फ़तह न हो सका। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हुक्म दिया कि घेराबन्दी उठा ली जाये। सहाबा किराम ने अ़र्ज़ किया कि आप उनकी हलाकत के लिये दुआ़ करें, आपने यह दुआ़ की- ऐ अल्लाह! सक़ीफ़ को हिदायत दे और उनको यह तौफ़ीक़ दे कि मेरे पास आ जायें। आपकी यह दुआ़ क़ुबूल हुई और अगले साल बग़ैर जंग के ताईफ़ वालों ने इताअ़त क़ुबूल कर ली और मुसलमान हो गये।

हदीस 493. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को अबू सुफ़ियान के क़ाफ़िले के आने की ख़बर पहुँची तो आपने सहाबा किराम से मश्विरा किया। हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कोई मश्विरा दिया आपने उस पर तवज्जोह न दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कोई मश्विरा दिया तो आपने उस पर भी तवज्जोह न दी। फिर सअ़द बिन उबादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु खड़े होकर कहने लगे- ऐ अल्लाह के रसूल! उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है अगर आप हमें "बर्कुल्-ग़माद" तक घोड़े दौड़ाने का हुक्म दें तो हम ऐसा ही करेंगे। तब रसूले करीम ने लोगों को बुलाया, लोग आये और

फिर आप उनको लेकर गये और बदर की वादी में ठहरे। वहाँ क़ुरैश के पानी पिलाने वाले मिले। उनमें बनी हज्जाज का एक हब्शी गुलाम भी था। साहाबा किराम ने उसको पकड़ लिया और उससे अबू सुफ़ियान और उसके साथियों के बारे में सवाल किया। उसने कहा मुझे अबू सुफ़ियान का कोई पता नहीं, लेकिन यहाँ अबू जहल, उतबा, शैबा और उमैया बिन ख़लफ़ जंग के इरादे से आये हुए हैं। जब उसने यह बताया तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने उसको मारना शुरू कर दिया। फिर उसने कहा कि अच्छा मैं तुम्हें अबू सुफ़ियान के बारे में बताता हूँ। जब उन्होंने उसको छोड़कर अबू सुफ़ियान के बारे में सवाल किया तो उसने पहले वाला ही जवाब दिया। उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे, जब आपने यह मन्ज़र देखा तो नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद फ़रमाया- क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, जब यह सच बोलता है तो तुम इसको मारने लगते हो और जब यह झूठ बोलता है तो तुम इसको छोड़ देते हो। फिर रसूले करीम ने फ़रमाया- यह फ़ुलाँ काफ़िर के गिरने की जगह है। आप ज़मीन पर उस जगह हाथ रखते, रसूले करीम के हाथ रखने की जगह से कोई काफ़िर उस जगह के अ़लावा किसी दूसरी जगह नहीं मरा।

वज़ाहतः- जिस जगह आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जिस शख़्स का नाम लेकर हाथ रखा था वह काफ़िर उसी जगह गिरकर मरा। अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये सूरः आले इमरान 3, आयत 123, सूरः अनफ़ाल 8, आयत 7-13।

हदीस 494. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मक्का फ़तह होने के दिन हम रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ थे। रसूले करीम ने ख़ालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अ़न्हु को लश्कर के मैमना (दायें हिस्से) पर, ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अ़न्हु को लश्कर के मैसरा (बायें हिस्से) पर और अबू उबैदा को प्यादों पर मुक़र्रर करके वादी के अन्दर रवाना किया, फिर आपने फ़रमाया- अबू हुरैरह! अन्सार को बुलाओ। मैंने

अन्सार को बुलाया, वे दौड़े हुए आये और आपने फ़रमाया- ऐ अन्सार की जमाअ़त! क्या तुम क़ुरैश के कमीने लोगों को देख रहे हो? उन्होंने कहा- हाँ। आपने फ़रमाया- उनको देख लो कल जब उनसे मुक़ाबला हो तो उनको (खेती की तरह) काटकर रख देना। और आपने दायाँ हाथ बायें हाथ पर रखकर इशारा किया। अब तुम से सफ़ा पर मुलाक़ात होगी इन्शा-अल्लाह। उस दिन उन अन्सारियों को जो भी आदमी मिला उन्होंने उसको मौत की नींद सुला दिया। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सफ़ा पर चढ़े, अन्सार आये और उन्होंने सफ़ा को घेर लिया। फिर अबू सुफ़ियान आया और उसने कहा- ऐ अल्लाह के रसूल! क़ुरैश की जमाअ़त ख़त्म हो गयी, आज के बाद कोई क़ुरैशी नहीं रहेगा। अबू सुफ़ियान बयान करते हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स अबू सुफ़ियान के घर में दाख़िल हो जाये उसे भी अमान है, जो शख़्स हथियार फेंक दे उसको भी अमान है, जो शख़्स अपने घर का दरवाज़ा बन्द कर ले उसको भी अमान है। अन्सार ने कहा- आप पर अपने रिश्तेदारों की मुहब्बत और अपने वतन की उल्फ़त ग़ालिब आ गयी है। रसूले करीम पर वही नाज़िल हुई। आपने फ़रमाया- तुमने यह कहा था कि इस शख़्स पर अपने रिश्तेदारों की मुहब्बत और अपने वतन की उल्फ़त ग़ालिब आ गयी है। तुम जानते हो मेरा नाम क्या है? आपने तीन बार फ़रमाया मैं मुहम्मद हूँ और अल्लाह का बन्दा और उसका रसूल हूँ। मैंने अल्लाह तआ़ला की तरफ़ और तुम्हारी तरफ़ हिजरत की है, मेरी ज़िन्दगी तुम्हारी ज़िन्दगी के साथ और मेरी मौत तुम्हारी मौत के साथ है। अन्सार ने कहा- अल्लाह की क़सम, हमने यह सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल की मुहब्बत में कहा था। आपने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला और उसका रसूल तुम्हारी तस्दीक़ करते हैं और तुमको यह बात कहने पर माज़ूर क़रार देते हैं।

हदीस 495. हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जंगे हुदैबिया के दिन अ़ली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और मुश्रिकों के बीच सुलह नामा

लिखा। उन्होंने लिखा यह वह मुआहदा है जिसको मुहम्मद रसूलुल्लाह ने लिखा। क़ुरैश ने कहा 'रसूलुल्लाह' मत लिखो। अगर हमको यह इल्म (यानी यक़ीन) होता कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो हम आप से जंग न करते। नबी करीम ने हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु को फ़रमाया- इस लफ़्ज़ को मिटा दो। उन्होंने कहा मैं इस लफ़्ज़ को मिटाना नहीं चाहता हूँ। नबी करीम ने अपने मुबारक हाथ से इस लफ़्ज़ को मिटा दिया। क़ुरैश ने जो शर्तें तय की थीं उनमें से एक शर्त यह थी कि मुसलमान मक्का में दाख़िल होकर सिर्फ़ तीन दिन ठहरें और हथियार लेकर न आयें, अलबत्ता हथियारों को ग़िलाफ़ (म्यान वग़ैरह) में रखकर ला सकते हैं।

वज़ाहतः- दूसरी हदीसों में है कि इसके अ़लावा क़ुरैश ने दूसरी शर्त यह रखी कि जो मुसलमान होकर मदीना आये मुसलमानों को उसे वापस भेजना होगा, और जो मुसलमान मुर्तद होकर मक्का आये तो मक्का वाले उसे वापस नहीं भेजेंगे। ज़ाहिरन ये शर्तें मुसलमानों की मुख़ालफ़त में (यानी हितों और मिज़ाज़ के ख़िलाफ़) थीं मगर अल्लाह तआ़ला ने इन शर्तों को मुसलमानों के हक़ में तब्दील कर दिया।

हदीस 496. हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मुझे जंगे-बदर में शामिल होने से किसी बात ने नहीं रोका सिवाय इसके कि मैं और मेरा बाप हसील मक्का से बाहर निकले तो हमें क़ुरैश के काफ़िरों ने गिरफ़्तार कर लिया और पूछा कि तुम मुहम्मद के पास जाना चाहते हो? हमने कहा- हम उनकी तरफ़ नहीं बल्कि मदीना जाना चाहते हैं। तो हमसे क़ुरैश के काफ़िरों ने वायदा लिया कि हम मदीना चले जायेंगे और उनके साथ मिलकर इनसे जंग नहीं करेंगे। फिर हम रसूले करीम के ख़िदमत में हाज़िर हुए और आपको इस वायदे की ख़बर दी तो आपने फ़रमाया- तुम दोनों जिहाद में शरीक न हो, हम उनके मुआ़हदे को पूरा करेंगे और अल्लाह तआ़ला से उनके ख़िलाफ़ मदद माँगेंगे।

वज़ाहतः- मुआ़हदा पूरा करने की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि काफ़िरों से किया हुआ वायदा भी मुसलमानों को पूरा करना चाहिये।

हदीस 497. हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जंगे-

अहज़ाब की रात हम रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ थे, वह सख़्त सर्दियों की रात थी और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, रसूले करीम ने फ़रमाया- कोई ऐसा शख़्स है जो जाकर काफ़िरों की मालूमात हासिल करके आये, क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला उसको मेरी रफ़ाक़त (साथ) अ़ता फ़रमायेगा। हम ख़ामोश रहे और हम में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आपने फिर फ़रमाया- कोई ऐसा शख़्स है जो काफ़िरों की मालूमात हासिल करके आये, क़ियामत के दिन अल्लाह उसको मेरी रफ़ाक़त अ़ता फ़रमायेगा। हम ख़ामोश रहे और हम में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आपने फिर फ़रमाया- कोई ऐसा शख़्स है जो काफ़िरों की मालूमात हासिल करके आये, क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला उसको मेरी रफ़ाक़त अ़ता फ़रमायेगा। हम ख़ामोश रहे और हम में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आपने फमाया- ऐ हुज़ैफ़ा! तुम जाकर काफ़िरों की मालूमात हासिल करके आओ। जब आपने मेरा नाम लेकर पुकारा तो मेरे लिये उठने के सिवा और कोई चारा कार न था। आपने फ़रमाया- जाओ काफ़िरों की मालूमात हासिल करो और उन्हें मेरे ख़िलाफ़ गुस्सा न दिलाना (उन्हें कोई ऐसा कलिमा न कहना जिससे वे मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़क उठें)। जब मैं आपके पास से उठकर गया तो यूँ लगता था जैसे मैं हम्माम में चल रहा हूँ (फिसलने के डर से आहिस्ता-आहिस्ता चल रहा था), यहाँ तक कि मैं उन काफ़िरों के पास पहुँचा। मैंने देखा कि अबू सुफ़ियान अपनी पीठ आग से सेंक रहा है, मैंने कमान पर तीर चढ़ाकर उसको मारने का इरादा किया, फिर रसूले करीम का इरशाद याद आया कि उन्हें मेरे ख़िलाफ़ गुस्सा न दिलाना। अगर मैं उस वक़्त तीर फेंक देता तो वह यक़ीनन निशाने पर लगता। मैं वापस लौटा और उस वक़्त मुझे यूँ लग रहा था जैसे मैं हम्माम में चल रहा हूँ। फिर जब मैं आपके पास पहुँचा तो मैंने आपको काफ़िरों के हालात से वाक़िफ़ कराया। जब मैं फ़ारिग़ हुआ तो मुझे ठण्ड लगने लगी, तब रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे अपना एक इज़ाफ़ी कम्बल ओढ़ने को दिया जिसको ओढ़कर आप नमाज़ पढ़ते थे, और मैं उसको ओढ़कर सुबह तक सोता रहा, जब सुबह हुई तो आपने फ़रमाया- ऐ बहुत सोने वाले उठ

जाओ।

वज़ाहतः- जंग के दौरान काफ़िरों की जासूसी करना भी कामयाबी का एक रास्ता है। ज़ुलक़ादा सन् 5 हिजरी में अ़रब के लोगों और यहूदियों की एकजुट और मुत्तहिद क़ुव्वत जो मदीना पर हमलावार हुई थी उसको जंगे-अहज़ाब कहा जाता है। हिज़्ब के मायने जमाअ़त और गिरोह के हैं, इस जंग में काफ़िरों की तमाम जमाअ़तें एकजुट होकर मुसलमानों से लड़ी थीं इसलिये इसको ग़ज़्वा-ए-अहज़ाब कहते हैं। इस जंग में मुसलमानों ने शहर से बाहर निकलकर मुल्क शाम की जानिब ख़न्दक़ (गहरी खाई) खोदी थी इसलिये इसको ग़ज़्वा-ए-ख़न्दक़ भी कहते हैं।

हदीस 498. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सज्दे में थे और आपके गिर्द क़ुरैश के कुछ लोग बैठे हुए थे। अचानक उक़बा बिन अबी मुईत ने ऊँटनी की ओझड़ी लाकर रसूले करीम की पुश्त पर फेंक दी। रसूले करीम ने सज्दे से सर न उठाया, फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने उस ओझड़ी को आपकी पुश्त से हटाया और उन लोगों को बददुआ़ दी जिन्होंने यह हरकत की थी। रसूले करीम ने उनके ख़िलाफ़ बददुआ़ की और फ़रमाया- ऐ अल्लाह! क़ुरैश की जमाअ़त पर पकड़ फ़रमा। अबू जहल बिन हिशाम, उतबा बिन रबीआ़, उक़बा बिन अबी मुईत, शैबा बिन रबीआ़ और उमैया बिन ख़लफ़ की गिरफ़्त (पकड़) फ़रमा। मैंने देखा कि ये सब जंगे-बदर के दिन क़त्ल किये गये और इनको वादी-ए-बदर के कुएँ में डाल दिया गया। अलबत्ता उमैया बिन ख़लफ़ को कुएँ में नहीं डाला गया, क्योंकि उसके जोड़-जोड़ कट चुके थे।

हदीस 499. हज़रत जुन्दुब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक दफ़ा जिब्रील अ़लैहिस्सलाम को (वही लाने में) ताख़ीर हो गयी (कुछ अ़रसे के लिये वही रुक गयी) तो मुश्रिक लोगों ने कहा- मुहम्मद के रब ने उन्हें छोड़ दिया है। तो अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई-

तर्जुमाः- चाश्त के वक़्त की क़सम, और रात के वक़्त की क़सम, जब वह फैल जाये, आपको आपके रब ने न ही छोड़ा है और न ही नाराज़ हुआ

है। (सूरः अजुज़ुहा 93, आयत 1-3)

हदीस 500. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जंगे-ख़ैबर के दिन मैं सवारी पर हज़रत अबू तल्हा के पीछे बैठा हुआ था और मेरे क़दम रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के क़दमों से लग रहे थे (यानी उस सवारी पर तीन आदमी थे), हम ख़ैबर में उस वक़्त पहुँचे जब सूरज निकल चुका था। उस वक़्त यहूदियों ने अपने जानवर निकाल लिये थे और वे ख़ुद दराँतियाँ, टोकरियाँ और दरख़्तों पर चढ़ने की रस्सियाँ लेकर निकले, उन्होंने कहा- मुहम्मद लश्कर के साथ आ गये। आपने फ़रमाया- ख़ैबर तबाह हो गया। हम जब किसी क़ौम के मैदानों में उतरते हैं तो जिन लोगों को अ़ज़ाब की वईद (धमकी) सुनाई गयी है वह दिन उनके लिये बहुत बुरा होता है। फिर अल्लाह तआ़ला ने उनको शिकस्त दे दी।

हदीस 501. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि तन्ईम के पहाड़ से मक्का वालों के अस्सी आदमी जो असलेहा से लैस थे और वे रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और सहाबा किराम को ग़फ़लत में देखकर पर हमला करना चाहते थे, आपने उन लोगों को गिरफ़्तार करके फिर छोड़ दिया तो अल्लाह तआ़ला ने यह आयते करीमा नाज़िल फ़रमाई-

तर्जुमाः- और वही है (अल्लाह तआ़ला) जिसने वादी-ए-मक्का में उनके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिये इसके बाद कि उसने तुम्हें उन पर ग़ालिब कर दिया। (सूरः अल्-फ़तह 48, आयत 24)

वज़ाहतः- इस वाक़िए के बाद अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त ने मुसलमानों को मक्का की फ़तह अ़ता फ़रमाई।

हदीस 502. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जंगे-अहज़ाब के दिन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ये कलिमात कह रहे थे- हमने मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से ज़िन्दगी की आख़िरी साँस तक इस्लाम पर बैअ़त की है। और आप यह फ़रमा रहे थे- ऐ अल्लाह करीम! भलाई तो सिर्फ़ आख़िरत की भलाई है, आप मुहाजिरीन और अन्सार की मग़फ़िरत फ़रमा दीजिये।

इमारत (सरदारी और हुकूमत) का बयान

हदीस 503. हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना कि क़ियामत तक यह दीन हमेशा क़ायम रहेगा यहाँ तक कि मुसलमानों के 12 ख़लीफ़ा होंगे और वे सब क़ुरैश में से होंगे, और मुसलमानों की एक छोटी-सी जमाअ़त किसरा व किसरा वालों के सफ़ेद महलों को फ़तह करेगी और क़ियामत के नज़दीक झूठे क़िस्म के लोग ज़ाहिर होंगे उनसे बचना। और जब अल्लाह तआ़ला किसी को कोई अच्छी चीज़ दे तो पहले उसको अपने ऊपर और अपने घर वालों पर ख़र्च करो, और मैं तुम्हारा हौज़-ए-कौसर पर इन्तिज़ार करूँगा।

वज़ाहतः- इन ख़लीफ़ा हज़रात से वे ख़ुलफ़ा मुराद हैं जिनके दौरे ख़िलाफ़त में इस्लाम को इज़्ज़त और शान व शौकत हासिल रही और मुसलमान एकजुट व मुत्तहिद रहे और उनकी बैअ़त की गयी और उनकी हुकूमत तस्लीम की गयी, वे बारा ख़लीफ़ा ये हैं-

हज़रत अबू बक्र, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अ़ली, हज़रत मुआ़विया, यज़ीद बिन मुआ़विया, अ़ब्दुल-मलिक बिन मरवान, वलीद बिन अ़ब्दुल-मलिक, सलमान बिन अ़ब्दुल-मलिक, उमर बिन अ़ब्दुल-अ़ज़ीज़, यज़ीद बिन अ़ब्दुल-मलिक और वलीद बिन यज़ीद बिन अ़ब्दुल-मलिक।

हदीस 504. हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन समुरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझसे फ़रमाया- ऐ अ़ब्दुर्रहमान! इमारत (हुकूमत) का सवाल न करना क्योंकि अगर तुम्हें सवाल करने के बाद इमारत मिली तो तुम उसके सुपुर्द कर दिये जाओगे (यानी तुम्हारे साथ अल्लाह की मदद नहीं होगी) और अगर तुम्हें सवाल किये बग़ैर इमारत मिली तो तुम्हारी (अल्लाह की जानिब से) मदद की जायेगी।

हदीस 505. हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप मुझे आ़मिल (हाकिम व गवर्नर)

न बनायेंगे? आपने अपना हाथ मुबारक मेरे कंधे पर मारकर फ़रमाया- ऐ अबूज़र! तुम कमज़ोर हो और यह इमारत अमानत है और यह क़ियामत के दिन की रुस्वाई और शर्मिन्दगी है, सिवाय उसके जिसने उसके हुक़ूक़ पूरे किये और इस बारे में जो उसकी ज़िम्मेदारी थी उसको अदा किया।

वज़ाहतः- अगर हाकिम अपने हुक़ूक़ और ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे तो आख़िरत में उसका बहुत बड़ा अज्र है, और अगर यह पूरा न करे तो क़ियामत के दिन रुस्वाई और शमिन्दगी होगी।

हदीस 506. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम ने फ़रमाया- अ़दल (इन्साफ़) करने वाले अल्लाह तआ़ला के क़रीब दाईं जानिब नूर के मिम्बरों पर बैठे हुए होंगे और अल्लाह के दोनों दायें हाथ हैं (जिस तरह दायें हाथ से सख़ावत की जाती है, अल्लाह तआ़ला दोनों हाथों से सख़ावत करते हैं), ये वे लोग होंगे जो अपने घर वालों और अपनी प्रजा में इन्साफ़ से फ़ैसले करते होंगे।

हदीस 507. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ अल्लाह! मेरी इस उम्मत में से जिसको हुकूमत दी जाये और वह उन (अपनी रियाया) पर सख़्ती करे तो आप भी उस पर सख़्ती कीजिये, और मेरी उम्मत में से जिसको किसी मामले का निगराँ बनाया जाये और वह उन पर नर्मी करे तो आप भी उस पर नर्मी कीजिये।

वज़ाहतः- हर हाकिम को अपनी रियाया (प्रजा और मातहतों) पर तरस खाते हुए इस दुआ़ को हासिल करना चाहिये।

हदीस 508. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- आगाह रहो तुम में से हर एक ज़िम्मेदार है और हर एक से उसकी रियाया (प्रजा और मातहतों) के बारे में सवाल किया जायेगा, पस वह अमीर जो लोगों का ज़िम्मेदार है उससे उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जायेगा और जो आदमी अपने घर वालों का ज़िम्मेदार है उससे उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जायेगा, और औ़रत अपने शौहर के घर और उसकी औलाद की ज़िम्मेदार है उससे

उनके बारे में पूछा जायेगा और गुलाम अपने आक़ा के माल का ज़िम्मेदार है उससे उसके बारे में पूछा जायेगा। आगाह रहो कि तुम में से हर एक ज़िम्मेदार है और हर एक से उसकी रियाया के बारे में पूछा जायेगा।

हदीस 509. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- आदमी अपने बाप के माल का ज़िम्मेदार है और उससे उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जायेगा।

हदीस 510. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक दिन रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते थे और आपने माले ग़नीमत में ख़्यानत करने की बहुत मज़म्मत (बुराई) बयान फ़रमाई और उस पर सख़्त सज़ा का ज़िक्र भी किया और फ़रमाया- मैं तुम में से किसी शख़्स को इस हाल में न पाऊँ कि वह क़ियामत के दिन आये और उसकी गर्दन पर ऊँट सवार होकर बड़बड़ा रहा हो। और वह शख़्स कहे कि ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी मदद कीजिये और मैं कहूँगा मैं तुम्हारे लिये किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ मैं तुमको तब्लीग़ कर चुका हूँ। मैं तुम में से किसी शख़्स को इस हाल में न पाऊँ कि क़ियामत के दिन आये और उसकी गर्दन पर घोड़ा सवार होकर हिनहिना रहा हो। वह शख़्स कहे कि ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी मदद कीजिये और मैं कहूँगा कि मैं तुम्हारे लिये किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ। मैं तुमको तब्लीग़ कर चुका हूँ। मैं तुम में से किसी शख़्स को इस हाल में न पाऊँ कि वह क़ियामत के दिन आये और उसकी गर्दन पर बकरी सवार होकर मिनमिना रही हो, वह कहे कि ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी मदद कीजिये। मैं कहूँगा मैं तुम्हारे लिये किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ। मैं तुमको तब्लीग़ कर चुका हूँ। मैं तुम में से किसी को इस हाल में न पाऊँ कि उसकी गर्दन पर किसी शख़्स की जान सवार हो और वह चीख़ रहा हो और वह शख़्स कहे कि ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी मदद कीजिये, मैं कहूँगा कि मैं तुम्हारे लिये किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ। मैं तुमको तब्लीग़ कर चुका हूँ। मैं तुम में से किसी को इस हाल में न पाऊँ कि उसकी गर्दन पर कपड़े लदे हुए हिल रहे हों और वह

कहे कि ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी मदद कीजिये मैं कहूँगा कि मैं तुम्हारे लिये किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ। मैं तब्लीग़ कर चुका हूँ। मैं तुम में से किसी को इस हाल में न पाऊँ कि उसकी गर्दन पर सोना-चाँदी लदा हुआ हो, वह कहे कि ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी मदद कीजिये। मैं कहूँगा कि मैं तुम्हारे लिये किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ। मैं तब्लीग़ कर चुका हूँ।

वज़ाहतः- माले ग़नीमत में ख़्यानत करना बहुत बड़ा गुनाह है।

हदीस 511. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस शख़्स ने मेरी इताअ़त की उसने अल्लाह तआ़ला की इताअ़त (फ़रमाँबरदारी) की और जिस शख़्स ने मेरी नाफ़रमानी की उसने अल्लाह तआ़ला की नाफ़रमानी की, और जिस शख़्स ने अमीर की इताअ़त की उसने मेरी इताअ़त की और जिसने अमीर की नाफ़रमानी की उसने मेरी नाफ़रमानी की।

हदीस 512. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक लश्कर भेजा और एक शख़्स को उसका अमीर बनाया, उस शख़्स ने आग जलाई और लोगों से कहा इसमें दाख़िल हो जाओ। कुछ लोगों ने उसमें दाख़िल होने का इरादा किया और कुछ ने कहा हम आग ही से तो भागे हैं। फिर रसूले करीम से इस वाक़िए का ज़िक्र किया गया तो आपने उन लोगों से फ़रमाया जो आग में दाख़िल होना चाहते थे कि अगर तुम आग में दाख़िल हो जाते तो क़ियामत तक उसी में रहते। दूसरों की तारीफ़ फ़रमाई और फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला की नाफ़रमानी में किसी की इताअ़त नहीं है, इताअ़त सिर्फ़ नेकी और भली चीज़ में है।

वज़ाहतः- इमाम की इताअ़त फ़र्ज़ है मगर जब वह किसी ग़ैर-शरई काम का हुक्म दे तो उसकी इताअ़त नहीं करनी चाहिये, इसलिये कि जहाँ अल्लाह तआ़ला की नाफ़रमानी हो रही हो वहाँ किसी भी मख़्लूक़ की इताअ़त ख़त्म हो जाती है यहाँ तक कि माँ-बाप जैसी अज़ीम नेमत भी अगर ग़ैर-शरई काम का हुक्म दें तो मत करें।

हदीस 513. हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है

कि हमने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की हर बात सुनने और इताअ़त करने की बैअ़त की कि अपनी ख़ुशी और नाख़ुशी में, तंगी और आसानी में और अपने ऊपर तरजीह दिये जाने पर भी हम आपकी इताअ़त करेंगे, और हाकिमों से उस वक़्त तक झगड़ा न करेंगे जब तक हम उनमें खुले तौर पर कुफ़्र न देख लें।

वज़ाहतः- वक़्त के हुक्मराँ की इताअ़त (हुक्म मानना और आज्ञा का पालन करना) सिर्फ़ उन अहकाम में वाजिब है जिनमें शरीअ़त की नाफ़रमानी न होती हो, और अगर वह शरीअ़त के अहकाम की मुख़ालफ़त में हुक्म दे तो रियाया को उस सूरत में अपने हाकिम की इताअ़त नहीं करनी चाहिये।

हदीस 514. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इमाम (ख़लीफ़ा) ढाल है उसकी पुश्त-पनाही में जंग की जाती है, और वह अमान का ज़रिया है, अगर इमाम अल्लाह तआ़ला से डरने का हुक्म दे और अ़दल व इन्साफ़ से काम ले तो उसे उसका अज्र मिलेगा, और अगर उसने इसके ख़िलाफ़ कुछ काम किया तो उसका वबाल उसी पर होगा।

वज़ाहतः- ढाल हमले से बचाने के आला (साधन व सामान) को कहते हैं और इमाम (ख़लीफ़ा) दुश्मनों के हमले से मुसलमानों को महफ़ूज़ रखता है और मुल्क को फ़साद से बचाता है और मुस्लिम क़ौम की हिफ़ाज़त करता है इसलिये उसको ढाल से ताबीर फ़रमाया है, और उसकी पुश्त-पनाही में जंग से यह मुराद है कि मुसलमान फ़ौजें उसके नेतृत्व में काफ़िरों, बाग़ियों और दूसरे फ़सादी लोगों से जंग करती हैं, और उसके ज़रिये अमान होने का मतलब यह है कि इमाम की सियासी तदबीरों की वजह से मुसलमान फ़सादी लोगों और ज़ालिमों के शर (बुराई) से महफ़ूज़ रहते हैं।

हदीस 515. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बनी इस्राईल के अम्बिया उनका सियासी इन्तिज़ाम करते थे, जब एक नबी का इन्तिक़ाल हो जाता तो दूसरा नबी उसका ख़लीफ़ा (जानशीन और अत्तराधिकारी) हो

जाता, और बिला-शुब्हा मेरे बाद कोई नबी नहीं है और बहुत जल्दी मेरे बाद बहुत से ख़लीफ़ा होंगे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने अ़र्ज़ किया कि हमारे लिये क्या हुक्म है? आपने फ़रमाया- जिस शख़्स के हाथ पर पहले बैअ़त कर लो उस बैअ़त को पूरा करो और हाकिमों का हक़ अदा करो और जो ज़िम्मेदारी अल्लाह तआ़ला ने हाकिमों के सुपुर्द की है उसके बारे में अल्लाह ख़ुद उनसे सवाल करेंगे।

हदीस 516. हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बहुत जल्दी मेरे बाद हुक़ूक़ बरबाद किये जायेंगे और ऐसे मामलात पेश आयेंगे जिन्हें तुम नापसन्द करते होगे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने अ़र्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल! हम में से ऐसा ज़माना पाने वाले को आप क्या हुक्म देते हैं? रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम पर किसी का जो हक़ हो वह अदा कर दो और अपने हुक़ूक़ तुम अल्लाह तआ़ला से माँगते रहना।

हदीस 517. हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम मेरे बाद बहुत जल्दी अपने ऊपर तरजीह (वरीयता दिये जाने) को पाओ तो सब्र से काम लेना यहाँ तक कि मुझसे हौज़ (यानी कौसर) पर मुलाक़ात करो।

वज़ाहतः- हुक्मरानों के ज़ुल्म पर सब्र करने का बहुत बड़ा अज्र है।

हदीस 518. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स (अमीर की) इताअ़त से निकल गया और जमाअ़त से अलग होकर मर गया तो वह जाहिलीयत की मौत मरा। जो शख़्स अंधी तक़लीद में किसी के झण्डे तले बेजा हिमायत व तरफ़दारी पर जंग करते हुए मारा गया तो वह मेरी उम्मत में से नहीं है, और मेरी उम्मत में से जो शख़्स बग़ावत करते हुए उस (उम्मत) के नेक और बुरे लोगों को क़त्ल करे, न किसी मोमिन का लिहाज़ करे और न ही किसी ज़िम्मी (ग़ैर-मुस्लिम जो इस्लामी हुकूमत में रहे) के साथ किये हुए वायदे को पूरा करे तो वह मेरे दीन पर नहीं।

हदीस 519. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस शख़्स को अपने अमीर की कोई बात नागवार गुज़रे वह उस पर सब्र करे, क्योंकि लोगों में से जो शख़्स भी अमीर (की इताअ़त) से एक बालिश्त भर निकला तो वह जाहिलीयत के ज़माने की मौत मरेगा।

हदीस 520. हज़रत अ़रफ़जा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम एक शख़्स की इमामत पर मुत्तफ़िक़ हो, फिर कोई शख़्स तुम्हारे इत्तिहाद (एकता) की लाठी को तोड़ने की कोशिश करे या तुम्हारी जमाअ़त में फूट की कोशिश करे तो उसको क़त्ल कर दो।

हदीस 521. हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम पर ऐसे अमीर मुक़र्रर किये जायेंगे जिनमें तुम अच्छाई भी देखोगे और बुराई भी। जो बुरे काम को नापसन्द करेगा वह (आख़िरत में) बरी हो जायेगा और जो उसको नकार देगा वह सलामत रहेगा, अलबत्ता जो शख़्स उनको पसन्द करेगा और उनकी इत्तिबा (पैरवी और पालन) करेगा (वह सलामत नहीं रहेगा या बरी नहीं होगा)। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हम उनसे जिहाद न करें? आपने फ़रमाया- नहीं, जब तक वे नमाज़ पढ़ते रहें उनसे जिहाद न करना।

वज़ाहतः- बुरा जानने से दिल से बुरा जानना और नकार देने से दिल से रिजेक्ट करना मुराद है।

हदीस 522. हज़रत औ़फ़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम्हारे हुक्मरानों में से बेहतरीन वे हैं जिनसे तुम मुहब्बत करते हो और वे तुमसे मुहब्बत करते हैं, और वे तुम्हारे लिये दुआ़-ए-मग़फ़िरत करते हैं और तुम उनके लिये दुआ़-ए-मग़फ़िरत करते हो और तुम्हारे हुक्मरानों में से बुरे वे हैं जिनसे तुम दुश्मनी करते हो और वे तुमसे बुग़्ज़ (नफ़रत) रखते हों, और तुम उन्हें लानत करो और वे तुम्हें लानत करें। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने

अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हम उन्हें क़त्ल न कर दें? आपने फ़रमाया- नहीं, जब तक वे तुम में नमाज़ क़ायम करते रहें। जब तुम अपने हुक्मरानों में कोई ऐसी चीज़ देखो जिसे तुम नापसन्द करते हो तो उनके उस अ़मल को नापसन्द करो और इताअ़त व फ़रमाँबरदारी से हाथ मत खींचो।

हदीस 523. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि सुलह हुदैबिया के दिन हम चौदह सौ सहाबा थे, हमने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से जंग से फ़रार न होने पर आपके हाथ पर बैअ़त की, उस दौरान हज़रत उमर एक दरख़्त के नीचे आपका हाथ थामे हुए थे।

हदीस 524. हज़रत मुजाशेअ़ बिन मसऊद सलमी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हिजरत पर बैअ़त करने के लिये हाज़िर हुआ तो आपने फ़रमाया- मक्का से हिजरत करने वालों की हिजरत तो गुज़र चुकी है, लेकिन (तुम अब) इस्लाम, जिहाद और नेकी के कामों पर बैअ़त कर सकते हो।

हदीस 525. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि मुसलमान औ़रतें जब रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आतीं तो इस आयत की बिना पर आप उनका इम्तिहान लेते थे-

तर्जुमाः- ऐ नबी! जब आपके पास मुसलमान औ़रतें आयें और आप से इस बात पर बैअ़त करें कि वे अल्लाह के सिवा किसी को शरीक नहीं बनायेंगी और न चोरी करेंगी और न ज़िना करेंगी। (सूरः सफ़्फ़ 61, आयत 12)

मुसलमान औ़रतों में से जो औ़रत इन बातों का इक़रार कर लेती तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उसे फ़रमाते- जाओ मैं तुमसे बैअ़त कर चुका हूँ। अल्लाह की क़सम! रसूले करीम ने कभी किसी औ़रत के हाथ को छुआ तक नहीं। हाँ नबी करीम उनसे ज़बान से बैअ़त करते थे। अल्लाह की क़सम! रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनसे उन्हीं बातों का अ़हद लिया जिनका अल्लाह तआ़ला ने हुक्म दिया था।

वज़ाहतः- आजकल के पीर हज़रात औ़रतों से बैअ़त लेते वक़्त हाथ मिलाते हैं जो कि शरई एतिबार से जायज़ नहीं है।

हदीस 526. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम दुश्मन की सरज़मीन (मुल्क/हुकूमत) में क़ुरआन मजीद को लेकर सफ़र करने से मना फ़रमाते थे, इस ख़ौफ़ से कि कहीं दुश्मन के हाथ क़ुरआन मजीद न लग जाये।

वज़ाहतः- जहाँ क़ुरआने करीम की तौहीन की शंका हो वहाँ लेकर न जायें, इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ऐसी जगहों पर क़ुरआने करीम लेकर सफ़र करने से मना फ़रमाते थे।

हदीस 527. हज़रत उरवा बारक़ी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- घोड़ों की पेशानियों में भलाई ही भलाई है। आप से पूछा गया कि ऐ अल्लाह के रसूल! इसका क्या मतलब है? आपने फ़रमाया- क़ियामत तक अज्र और ग़नीमत (दुश्मन के माल का हासिल करना) है।

वज़ाहतः- जो घोड़ा जिहाद के लिये हो वह अज्र और ग़नीमत का ज़रिया बनता है और जो घोड़ा दिखावे और नाम व शोहरत के लिये हो वह गुनाह का ज़रिया बनता है।

हदीस 528. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स अल्लाह की राह में निकले, अल्लाह तआ़ला उसका ज़ामिन (ज़िम्मेदार) हो जाता है कि यह शख़्स सिर्फ़ मुझ (अल्लाह) पर ईमान लाया है और मेरे रसूलों की तस्दीक़ कर रहा है। अगर यह शहीद हो गया तो इसको जन्नत में दाख़िल करूँगा या इसको अज्र और ग़नीमत (माल) के साथ वापस घर लौटाऊँगा। उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े व क़ुदरत में मुहम्मद की जान है, अल्लाह तआ़ला की राह में जो ज़ख़्म लगेगा क़ियामत के दिन वह शख़्स ज़ख़्मी हालत में उठेगा। उस ज़ख़्म का रंग ख़ून की तरह होगा और उसकी ख़ुशबू कस्तूरी की तरह होगी। और उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है, अगर मुसलमानों पर दुश्वार न होता तो मैं अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले लश्कर का साथ कभी नहीं छोड़ता, लेकिन मेरे पास इतनी गुंजाईश नहीं है कि मैं सब मुसलमानों को सवारियाँ उपलब्ध करा सकूँ और

न मुसलमानों के पास इतनी गुंजाईश है, मुसलमानों का मेरे पीछे रह जाना उनके लिये दुश्वार होगा। और उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है, मुझे यह पसन्द है कि मैं अल्लाह की राह में जिहाद करूँ और क़त्ल किया जाऊँ फिर जिहाद करूँ और फिर क़त्ल किया जाऊँ।

हदीस 529. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हर वह शख़्स जो जन्नत में दाख़िल हो गया वह दुनिया में वापस लौटना पसन्द नहीं करेगा चाहे उसको पूरी ज़मीन की तमाम चीज़ें मिल जायें, अलबत्ता शहीद जब अपनी इज़्ज़त और मर्तबा देखेगा तो सिर्फ़ वह यह तमन्ना करेगा कि वह दोबारा दुनिया में जाये और दस बार अल्लाह की राह में शहीद किया जाये।

हदीस 530. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से यह सवाल किया गया कि अल्लाह तआ़ला की राह में जिहाद के बराबर भी कोई इबादत है? आपने फ़रमाया- तुम उस इबादत की हिम्मत व गुंजाईश नहीं रखते।

सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने यही सवाल दो बार दोहराया। आपने हर बार फ़रमाया- तुम उसकी ताक़त नहीं रखते। तीसरी बार फ़रमाया- अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला जिहाद से वापसी तक उस शख़्स की तरह है जो रोज़ेदार हो, (रातों को नमाज़ में) खड़ा होने वाला हो, अल्लाह की हर आयत पर अ़मल करने वाला हो, रोज़े और नमाज़ से थकता या उक्ताता न हो।

हदीस 531. हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ अबू सईद! जो शख़्स अल्लाह के रब होने पर राज़ी हो गया और इस्लाम के दीन और मुहम्मद के नबी होने पर राज़ी हो गया उसके लिये जन्नत वाजिब हो गयी। फिर फ़रमाया- एक बात और भी है जिसकी वजह से बन्दे के सौ दर्जे बुलन्द होते हैं और हर दो दर्जों में ज़मीन और आसमान जितना फ़ासला है। मैंने अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! वह दर्जा किस चीज़ से मिलता है? आपने फ़रमाया- अल्लाह के रास्ते में जिहाद से अल्लाह के रास्ते में जिहाद से।

हदीस 532. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़र्ज़ के सिवा शहीद का हर गुनाह माफ़ कर दिया जाता है।

वज़ाहतः- क़र्ज़ चूँकि बन्दों के हुक़ूक़ में से है लिहाज़ा जब तक वह बन्दा माफ़ न करे जिसका क़र्ज़ देना है उस वक़्त तक अल्लाह तआ़ला माफ़ नहीं फ़रमाते।

हदीस 533. हज़रत मसरूक़ रह्मतुल्लाहि अ़लैहि से रिवायत है कि हमने अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से इस आयत की तफ़सीर मालूम की-

तर्जुमाः- जो लोग अल्लाह की राह में क़त्ल किये जाते हैं उनको मुर्दा गुमान मत करो बल्कि वे अपने रब के पास ज़िन्दा हैं, उनको रिज़्क़ दिया जाता है। (सूरः आले इमरान 3, आयत 169)

तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने भी इसको रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मालूम किया था तो आपने यह फ़रमाया- रूहें सब्ज़ परिन्दों के पोटों में रहती हैं उनके लिये अ़र्श में क़िन्दीलें लटकी हुई हैं, वह रूहें जन्नत में जहाँ चाहें चरती फिरती हैं। फिर उन क़िन्दीलों की तरफ़ लौट आती हैं। उनका रब उनकी तरफ़ मुतवज्जह होकर फ़रमाता है- क्या तुमको किसी चीज़ की ख़्वाहिश है? वे कहती हैं हमको किस चीज़ की ख़्वाहिश हो सकती है? हम जहाँ चाहते हैं जन्नत में चरते फिरते हैं। तीन बार अल्लाह तआ़ला यही मालूम फ़रमाते हैं कि क्या तुमको किसी चीज़ की ख़्वाहिश है? जब रूहें देखती हैं कि उनको जवाब के बग़ैर नहीं छोड़ा जा रहा तो वे कहती हैं- ऐ हमारे रब! हम यह चाहते हैं कि हमारी रूहों को हमारे (इनसानी) जिस्मों में लौटा दिया जाये ताकि हम दोबारा आपकी राह में शहीद किये जायें, फिर जब अल्लाह तआ़ला देखेंगे कि उनको कोई हाजत नहीं है तो फिर उनको छोड़ दिया जायेगा।

हदीस 534. हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से एक शख़्स ने पूछा- ऐ अल्लाह के रसूल! लोगों में सबसे ज़्यादा कौन अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया- वह

मोमिन जो अल्लाह की राह में अपनी जान और माल के साथ जिहाद करे। उसने पूछा कि फिर कौन? आपने फ़रमाया- फिर वह शख़्स है जो पहाड़ की घाटियों में से किसी घाटी में तन्हा बैठकर अल्लाह तआ़ला की इबादत करे और लोगों को अपने शर (बुराई) से महफ़ूज़ रखे।

हदीस 535. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- लोगों में बेहतरीन ज़िन्दगी उस शख़्स की है जो अपने घोड़ों की पुश्त पर लगाम थामे हुए अल्लाह तआ़ला की राह में उड़ा जा रहा हो। जब वह दुश्मन की आवाज़ सुने या ख़ौफ़ महसूस करे तो उसी तरह उड़ता जाये, क़त्ल (दुश्मनों को क़त्ल करने की नीयत करते हुए) और मौत (शहादत) को तलाश करते हुए। या फिर उस शख़्स की ज़िन्दगी बेहतर है जो चन्द बकरियाँ लेकर पहाड़ की चोटी पर या किसी वादी में रहता हो, नमाज़ क़ायम करता, ज़कात अदा करता और अपने रब की इबादत करता हो, यहाँ तक कि उसे इसी हाल में मौत आ जाये और सिवाय भलाई के लोगों के किसी मामले में न पड़ता हो।

हदीस 536. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला दो आदमियों की तरफ़ देखकर मुस्कुराते हैं, उनमें से एक आदमी दूसरे को क़त्ल करे और ये दोनों जन्नत में दाख़िल हो जायें। सहाबा किराम ने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! यह कैसे होगा? आपने फ़रमाया- एक शख़्स अल्लाह की राह में शहीद किया जाये फिर अल्लाह तआ़ला उसके क़ातिल को तौबा की तौफ़ीक़ दे कि वह इस्लाम क़ुबूल करके अल्लाह तआ़ला की राह में जिहाद करे और शहीद हो जाये।

हदीस 537. हज़रत अबू मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक सहाबी ऊँटनी की मुहार पकड़कर लाये और कहने लगे यह अल्लाह की राह में है, रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम्हें इसके बदले क़ियामत के दिन सात सौ ऊँटनियाँ मिलेंगी और उन सब के नकेल डली हुई होगी।

वज़ाहतः- अल्लाह तआ़ला की राह में माल ख़र्च करने का सवाब सात

सौ गुना या इससे भी ज़्यादा मिलता है, सवाब की ज़्यादती का मामला नीयत के ख़ुलूस और माली हालात पर है, अगर कोई ग़रीब आदमी एक रुपया भी ख़र्च करे तो वह उसके लिये बहुत है, क्योंकि यह रुपया उसकी आ़म ज़िन्दगी को मुतास्सिर करेगा। इसके उलट एक करोड़पती एक लाख रुपये भी ख़र्च कर दे तब भी उसकी ज़िन्दगी मुतास्सिर नहीं होगी, इसलिये ज़िन्दगी की दोनों हालतों (ग़रीबी हो या अमीरी) में ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्च करना चाहिये। लेकिन सदक़ा रोज़ाना कीजिये चाहे मामूली रक़म ही क्यों न हो, इसलिये कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सदक़ा आने वाली मुसीबतों को रोकता है। (तिर्मिज़ी)

हदीस 538. हज़रत अबू बुरदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जिहाद से पीछे रह जाने वालों को हुक्म दिया कि तुम मुजाहिदीन की औ़रतों की इज़्ज़त अपनी माँओ की इज़्ज़त की तरह करो। और जिहाद से पीछे रह जाने वालों में से जो शख़्स मुहाजिरीन के घर-बार की देखभाल रखे और फिर उसमें ख़्यानत करे तो उसको क़ियामत के दिन खड़ा किया जायेगा और मुजाहिद उसके अ़मल में से जो नेकी चाहेगा ले लेगा।

हदीस 539. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक सहाबी (मुस्अ़ब बिन उमैर) रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने ग़ज़वा-ए-उहुद के मौक़े पर अ़र्ज़ किया कि ऐ अलाह के रसूल! अगर मैं क़त्ल कर दिया जाऊँ तो मेरा कहाँ ठिकाना होगा? फ़रमाया- जन्नत में। उस शख़्स के हाथ में जो खजूरें थीं उसने उनको फेंका और फिर लड़ना शुरू कर दिया यहाँ तक कि वह शहीद हो गया।

हदीस 540. हज़रत बरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि अन्सार के क़बीले बनू नबीत के एक आदमी ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ किया- मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं और बेशक आप उसके बन्दे और रसूल हैं। फिर जंग के मैदान में बढ़ा और लड़ना शुरू कर दिया यहाँ तक कि शहीद कर दिया गया, तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि

व सल्लम ने फ़रमाया- इस आदमी ने अ़मल कम किया और सवाब ज़्यादा दिया गया।

हदीस 541. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से यह सवाल किया गया कि एक शख़्स बहादुरी के लिये लड़ता है, एक शख़्स हिमायत व तरफ़दारी की वजह से लड़ता है, और एक शख़्स दिखावे व नुमाईश के लिये लड़ता है, इनमें से अल्लाह तआ़ला की राह में लड़ने वाला कौन है? रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स अल्लाह तआ़ला के दीन की सरबुलन्दी (तरक़्क़ी) के लिये लड़े हक़ीक़त में वही अल्लाह तआ़ला के लिये लड़ने वाला है।

हदीस 542. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत के दिन सबसे पहले जिस शख़्स के मुताल्लिक़ फ़ैसला किया जायेगा वह शहीद होगा। उसको बुलाया जायेगा और उसको उस पर की हुई नेमतें दिखाई जायेंगी। जब वह उन नेमतों को पहचान लेगा तो (अल्लाह तआ़ला) फ़रमायेगा- तूने इन नेमतों से क्या काम लिया? वह कहेगा मैंने आपकी राह में जिहाद किया यहाँ तक कि शहीद हो गया। अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा- तू झूठ बोल रहा है, बल्कि तूने इसलिये जंग की थी कि तू बहादुर कहलाये, सो तुझे बहादुर कहा गया, फिर उसको मुँह के बल जहन्नम में डालने का हुक्म दिया जायेगा।

एक शख़्स ने इल्म हासिल किया और लोगों को तालीम दी और क़ुरआन मजीद पढ़ा, उसको बुलाया जायेगा और उसको उस पर की हुई नेमतें दिखाई जायेंगी। जब वह उन नेमतों को पहचान लेगा तो (अल्लाह तआ़ला) उससे फ़रमायेगा- तूने इन नेमतों से क्या काम लिया? वह कहेगा मैंने इल्म हासिल किया और उस इल्म को सिखलाया और आपके लिये क़ुरआन मजीद पढ़ा। अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा- तू झूठ बोल रहा है, तूने इसलिये इल्म हासिल किया था ताकि तू आ़लिम कहलाये और तूने क़ुरआन मजीद पढ़ा ताकि तू क़ारी कहलाये सो तुझे (क़ारी और आ़लिम) कहा गया,

फिर उसको मुँह के बल जहन्नम में डालने का हुक्म दिया जायेगा।

एक और शख़्स पर अल्लाह तआ़ला ने वुस्अ़त की और उसको हर क़िस्म का माल अ़ता किया, उसको क़ियामत के दिन बुलाया जायेगा और उस पर की गयी नेमतें उसे दिखाई जायेंगी और जब वह उन नेमतों को पहचान लेगा तो अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा- तूने इन नेमतों से क्या काम लिया। वह कहेगा- मैंने हर उस रास्ते में माल ख़र्च किया जिस रास्ते में माल ख़र्च करना तुझको पसन्द है, अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा- तू झूठ बोल रहा है, तूने यह काम इसलिये किये ताकि तुझे सख़ी (बहुत दान और ख़ैरात करने वाला) कहा जाये, सो तुझे सख़ी कहा गया। फिर उसको मुँह के बल जहन्नम में डालने का हुक्म दिया जायेगा।

वज़ाहतः- क़ियामत के दिन जिस शख़्स के मुताल्लिक़ सबसे पहले फ़ैसला किया जायेगा वह शहीद होगा। एक और हदीस में है कि सबसे पहले मुसलमान बन्दे के आमाल में से नमाज़ का हिसाब किया जायेगा। एक हदीस में है कि सबसे पहले क़त्ल के मुताल्लिक़ फ़ैसला किया जायेगा। यहाँ यह इश्काल है कि जिस चीज़ के मुताल्लिक़ सबसे पहले फ़ैसला किया जायेगा तो वह एक ही चीज़ हो सकती है और हदीसों में तीन चीज़ों का ज़िक्र है। इसका जवाब यह है कि हर चीज़ की प्राथमिकता उसकी क़िस्म के एतिबार से होगी, जिन आमाल को शोहरत और नाम हासिल करने के लिये किया जाता रहा उनमें से सबसे पहले शहीद, आ़लिम और मालदार का फ़ैसला किया जायेगा, और दीन के अरकान में से जिस रुक्न का सबसे पहले हिसाब होगा वह नमाज़ है, और ज़ुल्मों में से जिस ज़ुल्म का सबसे पहले हिसाब किया जायेगा वह क़त्ल है।

हदीस 543. हज़रत सहल बिन हुनैफ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स सच्चे दिल के साथ अल्लाह तआ़ला से शहादत का सवाल करे, यानी यह दुआ़ माँगे-

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِیْ شَهَادَةً فِیْ سَبِیْلِكَ.

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मुझे अपने रास्ते में शहादत नसीब फ़रमा।

तो अल्लाह तआ़ला उसे शहीदों के मर्तबे पर पहुँचा देते हैं, चाहे वह अपने बिस्तर पर ही क्यों न मरा हो।

हदीस 544. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स इस हाल में मरा कि उसने न जिहाद किया और न ही जिहाद की तमन्ना की तो उसकी मौत निफ़ाक़ के एक शोबे (विभाग और हिस्से) पर होगी।

वज़ाहतः- हर मुसलमान को जिहाद की तमन्ना, दुआ़ और कोशिश करते रहना चाहिये, इस तमन्ना के बग़ैर कोई शख़्स मर गया तो वह मुनाफ़िक़ों की सिफ़ात में से एक सिफ़त लेकर इस दुनिया से रुख़्सत होगा।

हदीस 545. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मदीना में कुछ ऐसे लोग हैं कि तुम जिस जगह से गुज़रते हो या जिस वादी को तय करते हो वे तुम्हारे साथ (सवाब के एतिबार से शरीक) होते हैं, क्योंकि वे अपनी बीमारी की वजह से तुम्हारे साथ (नेकी के कामों में) नहीं जा सके।

वज़ाहतः- इस हदीस में नेक काम की नीयत करने की फ़ज़ीलत का बयान है कि जिस शख़्स ने जिहाद करने या किसी और इबादत की नीयत की फिर उसको ऐसा उज़्र लाहिक़ हो गया (मजबूरी पेश आ गयी) जिसके सबब से वह उस इबादत को नहीं कर सका तो उसको अपनी नीयत की वजह से उस उबादत का अज्र मिल जायेगा, इसलिये आप भी ज़्यादा से ज़्यादा नेक कामों की नीयत करें, मसलन हज, मस्जिद व मदरसा बनवाने और दीन के फैलाने, और फिर अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त से इन कामों के पूरा होने के लिये सच्चे दिल से बार-बार तौफ़ीक़ की दुआ़ भी कीजिये और उसके बाद अपनी पूरी कोशिश कीजिये कि वह नेक काम पूरा हो जाये। ये तीन काम करने के बाद अगर आप वह नेक काम न भी कर सके तब भी अल्लाह तआ़ला आपको पूरा-पूरा अज्र इनायत फ़रमायेंगे। इन्शा-अल्लाहुल्-अ़ज़ीज़

हदीस 546. हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- एक दिन या एक रात

(मुसलमानों की) सरहद पर पहरा देना एक महीने के रोज़ों और रातों के इबादत में खड़े होने से बेहतर है, और अगर वह पहरा देने वाला शख़्स मर गया तो उसका वह अ़मल जारी रहेगा, उसका रिज़्क़ जारी किया जायेगा और उसको क़ब्र के फ़ितनों से महफ़ूज़ कर दिया जायेगा।

हदीस 547. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- एक शख़्स कहीं जा रहा था, उसने रास्ते में एक काँटेदार टहनी देखी तो उसको रास्ते से हटा दिया। अल्लाह तआ़ला ने उसके इस अ़मल को क़ुबूल फ़रमा लिया और उसको बख़्श दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- पाँच क़िस्म के लोग शहीद हैं-

1. ताऊन (प्लेग) की बीमारी में मरने वाला।
2. पेट की बीमारी में मरने वाला।
3. पानी में डूबकर मरने वाला।
4. किसी चीज़ के नीचे दबकर मरने वाला।
5. जो शख़्स अल्लाह तआ़ला की राह में शहीद हुआ हो।

हदीस 548. हज़रत उक़्बा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिसने तीर-अन्दाज़ी सीखी फिर उसे छोड़ दिया वह हम में से नहीं है।

वज़ाहतः- फ़ौजी ट्रेनिंग को भूलना बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिये उसकी मश्क़ करते रहना चाहिये ताकि किसी भी वक़्त इस्लाम को ज़रूरत पड़ने पर उससे काम लिया जा सके।

हदीस 549. हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक़ पर क़ायम रहेगा। जो शख़्स उनको रुस्वा करना चाहेगा वह उनको नुक़सान नहीं पहुँचा सकेगा, वे इसी हाल पर रहेंगे यहाँ तक कि क़ियामत आ जायेगी।

हदीस 550. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम हरियाली

(हरी-भरी जगह) में सफ़र करो तो ज़मीन से ऊँटों को उनका हिस्सा दो (यानी उन्हें चारा वग़ैरह ख़ूब खिलाओ), और जब तुम सूखे के मौसम में सफ़र करो तो तेज़ चलो (ताकि ऊँट कमज़ोर न हो जायें), और जब तुम रात के आख़िरी हिस्से में कहीं ठहरना चाहो तो रास्ते में न ठहरो क्योंकि रात के वक़्त ज़मीन पर कीड़े-मकोड़े और ख़तरनाक जानवर होते हैं।

हदीस 551. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सफ़र अ़ज़ाब का एक टुकड़ा है, जो तुम्हें सोने और खाने-पीने से रोके रखता है। जब तुम में से किसी शख़्स का काम पूरा हो जाये तो वह अपने घर आने में जल्दी करे, यानी बिना वजह सफ़र में न रहे।

हदीस 552. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कोई शख़्स (सफ़र से वापसी पर) रात को (बग़ैर बताये) घर न जाये कि घर के हालात का पता लगाये और घर वालों की कमज़ोरियाँ मालूम करे।

वज़ाहतः- सफ़र से वापसी के दौरान घर वालों को पहले इत्तिला कर देनी चाहिये ताकि बीवी अपनी सफ़ाई वग़ैरह कर ले और अपने आपको संवार ले।

ज़बीहे और शिकार का बयान

हदीस 553. हज़रत अ़दी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मैंने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! मैं सधाये हुए कुत्तों को "बिस्मिल्लाह" पढ़कर शिकार करने के लिये छोड़ता हूँ वे मेरे लिये शिकार को रोककर रखते हैं। आपने फ़रमाया- जब तुम अपना सधाया हुआ कुत्ता छोड़ो और उस पर "बिस्मिल्लाह" पढ़ लो तो फिर उसका किया हुआ शिकार खा लिया करो। मैंने कहा चाहे वे शिकार को मार डालें? आपने फ़रमाया- चाहे वे शिकार को मार डालें बशर्ते कि कोई और कुत्ता उनके साथ शरीक न हुआ हो। मैंने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! मैं शिकार पर पीकान (बग़ैर पर का तीर) मारता हूँ

जिससे वह मर जाता है, आपने फ़रमाया- जब तुम पीकान मारो और वह शिकार के जिस्म में दाख़िल हो जाये तो उसको खा लो, और अगर तीर के अ़र्ज़ (यानी चौड़ाई की तरफ़ से साईड) से शिकार मर जाये तो उसको मत खाओ।

वज़ाहतः- बन्दूक़ वग़ैरह से भी शिकार का यही हुक्म है, अगरचे शिकार मर भी जाये तब भी शिकार का खाना जायज़ है बशर्ते कि गोली चलाने से पहले "बिस्मिल्लाह" पढ़ी हो।

हदीस 554. हज़रत अ़दी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से शिकार के मुताल्लिक़ सवाल किया, आपने फ़रमाया- जब तुम अपना तीर फेंको तो बिस्मिल्लाह पढ़कर फेंको। फिर अगर तुमको शिकार मरा हुआ भी मिले तो उसको खा लो, और अगर तुमको शिकार पानी में डूबा हुआ मिले तो मत खाओ क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि वह पानी से मरा है या तुम्हारे तीर से।

हदीस 555. हज़रत अबू सालबा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस शख़्स को अपना शिकार तीन दिन के बाद मिले और उसमें बदबू पैदा न हुई हो तो वह उस शिकार को खा सकता है।

हदीस 556. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तमाम कुचलियों वाले दरिन्दों (शेर, चीता, भेड़िया वग़ैरह) और नाख़ुनों वाले परिन्दों (चील, कौआ, बाज़ वग़ैरह) को खाने से मना फ़रमाया है।

हदीस 557. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमें अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अ़न्हु के नेतृत्व में क़ुरैश के काफ़िरों के एक क़ाफ़िले के ख़िलाफ़ लड़ने के लिये रवाना किया और खजूरों की एक बोरी हमें रास्ते के खाने-पीने के लिये इनायत फ़रमाई। हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु उन खजूरों में से हमें हर रोज़ एक-एक खजूर दिया करते थे और हम उस खजूर को बच्चे की तरह चूसते थे फिर पानी पी लेते थे। वह खजूर हमें रात तक काफ़ी हो

जाती थी और हम लाठियों से दरख़्तों के पत्ते झाड़ते फिर उनको पानी में भिगोकर खा लेते थे। एक दिन हम समन्दर के किनारे पर गये तो वहाँ एक बड़े टीले की तरह कोई चीज़ नज़र आई। हमने उसके क़रीब जाकर देखा तो वह एक मछली (अम्बर) थी। हज़रत अबू उबैदा ने कहा यह मुर्दार है, फिर कहा- हम रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के नुमाईन्दे हैं और अल्लाह तआ़ला के रास्ते में हैं और तुम लोग मजबूरी की हालत में हो इसलिये इसको खा लो। हम उस वक़्त तीन सौ अफ़राद थे और उस जगह एक महीने तक ठहरे रहे और उसको खा-खाकर हम मोटे-ताज़े हो गये। मुझे याद है कि हमने उस जानवर की आँखों के ढेले से कई मशकें चर्बी भी निकाली थी और उसमें से बैल के बराबर गोश्त के टुकड़े काटे थे। हज़रत अबू उबैदा ने हम में से तेरह आदमियों को उसकी आँख के ढेले में बैठा दिया और उसकी एक पसली को खड़ा किया और सबसे बड़े ऊँट की पीठ पर कजावा कसरकर उसके नीचे से गुज़ारा (वह मछली बहुत ही बड़ी थी)। उसके गोश्त को उबाल कर हमने रास्ते के खाने के लिये तैयार किया। मदीना पहुँचने के बाद हमने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर इस वाक़िए का ज़िक्र किया तो आपने फ़रमाया- यह एक रिज़्क़ है जो अल्लाह तआ़ला ने तुम्हें अ़ता फ़रमाया। क्या तुम्हारे पास उसके गोश्त में से कुछ बाक़ी है? अगर है तो मुझे भी खिलाओ। फिर हमने उसमें से कुछ गोश्त रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में पेश किया और आपने उसको खाया।

वज़ाहतः- यह रिज़्क़ अल्लाह तआ़ला ने उन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम को ऐसी जगह से इनायत किया जहाँ से उनका वहम व गुमान भी नहीं था जैसा कि अल्लाह करीम ने फ़रमाया है-

तर्जुमाः- जो शख़्स अल्लाह तआ़ला पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिये हर परेशानी से निकलने का रास्ता बना देते हैं, और ऐसी जगह से रिज़्क़ अ़ता फ़रमाते हैं जहाँ से उसको वहम व गुमान भी नहीं होता।

(सूरः तलाक़ 65, आयत 2-3)

हदीस 558. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जंगे ख़ैबर के दिन औ़रतों के साथ मुता करने और पालतू गधों का गोश्त खाने से मना फ़रमा दिया।

वज़ाहतः- इस्लाम के शुरू दौर में पालतू गधों का गोश्त खाना और निकाहे मुता करना जायज़ था, लेकिन जंगे ख़ैबर के दिन आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दोनों चीज़ों को हराम क़रार दिया।

हदीस 559. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ख़ैबर के दिन पालतू गधों का गोश्त खाने से मना फ़रमाया और घोड़ों का गोश्त खाने की इजाज़त अ़ता फ़रमाई।

हदीस 560. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ सात ग़ज़ावत (इस्लामी जंगों) में शरीक हुए। उस दौरान हम टिड्डियाँ खाते रहे।

वज़ाहतः- टिड्डी हलाल परिन्दा है।

हदीस 561. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक सफ़र के दौरान हमने मरुज़्ज़हरान के मक़ाम पर एक ख़रगोश का पीछा किया, लोग उसके पीछे दौड़े और थक गये। फिर मैं दौड़ा यहाँ तक कि मैंने उस ख़रगोश को पकड़ लिया और उसको हज़रत अबू तल्हा के पास लाया, उन्होंने उसको ज़िबह किया और उसकी दो रानें मैं रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में लेकर हाज़िर हुआ तो आपने उनको क़ुबूल फ़रमा लिया।

वज़ाहतः- ख़रगोश हलाल है।

हदीस 562. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मेरे एक रिश्तेदार ने कंकर फेंका तो मैंने उसे मना किया और कहा कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़ुज़ूल कंकर फेंकने से मना फ़रमाया है, और यह भी फ़रमाया है कि तुम कंकर से न किसी जानवर का शिकार कर सकते हो न ही दुश्मन को हलाक कर सकते हो बल्कि यह तो दाँत तोड़ता है और आँख फोड़ता है। उस शख़्स ने दोबारा

कंकर मारा तो मैंने कहा- मैंने तुम्हें रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की हदीस सुनाई है और तुम फिर भी कंकर फेंक रहे हो? मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा।

वज़ाहतः- फ़ुज़ूल (बेकार) कंकर मारने में कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि उसके नुक़सानात बहुत ज़्यादा हैं, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम आप से बेइन्तिहा मुहब्बत करते थे, जो शख़्स आपकी हदीस पर अ़मल न करता अल्लाह की रज़ा के लिये उससे बातचीत बन्द कर देते थे।

हदीस 563. हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने हर चीज़ के साथ नेकी करने का हुक्म दिया है, जब तुम किसी को क़त्ल करो तो अच्छे तरीक़े से क़त्ल करो, और जब तुम ज़िबह करो तो अच्छे तरीक़े से ज़िबह करो, तुम में से हर शख़्स को चाहिये कि वह छुरी तेज़ करे और अपने ज़बीहे (ज़िबह किये जाने वाले जानवर) को आराम पहुँचाये।

वज़ाहतः- किसी का 'मुसला' करना यानी एक-एक जोड़ काट-काटकर उसे क़त्ल करना मना है। ज़बीहा को तेज़ छुरी से ज़िबह करना चाहिये ताकि जल्द से जल्द उसकी जान निकल जाये, यह भी जानवर के साथ एक नेकी (भलाई) है।

हदीस 564. हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु का क़ुरैश के चन्द जवानों पर गुज़र हुआ जो एक परिन्दे को बाँधकर उस पर तीर-अन्दाज़ी की मश्क़ कर रहे थे और उन्होंने परिन्दे वाले से यह तय कर लिया था कि जिसका तीर निशाने पर नहीं लगेगा वह उसको कुछ देगा, जब उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु को देखा तो इधर-उधर हो गये। अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया- जो शख़्स किसी जानदार को इस तरह निशाना बनाये उस पर अल्लाह की लानत हो, उस पर रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने भी लानत फ़रमाई है।

वज़ाहतः- ज़िन्दा या मुर्दा जानवर को बाँधकर निशाना मारना जायज़ नहीं।

हदीस 565. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जानवरों में से किसी भी जानवर को बाँधकर (निशाना) मारने से मना फ़रमाया है।

क़ुरबानी का बयान

हदीस 566. हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने क़ुरबानी वाले दिन फ़रमाया- आज के दिन हम सबसे पहला काम नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद क़ुरबानी करेंगे। तो जिसने इस तरह किया उसने हमारी सुन्नत पर अ़मल किया और जिसने ईद की नमाज़ से पहले क़ुरबानी का जानवर ज़िबह कर लिया तो यह ऐसा गोश्त है जिसे उसने अपने घर वालों के लिये तैयार किया है, उसका क़ुरबानी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हज़रत अबू बुरदा बिन नय्यार रज़ियल्लाहु अ़न्हु अपनी क़ुरबानी का जानवर पहले ज़िबह कर चुके थे उन्होंने कहा- मेरे पास एक साल का दुंबा है जो दो दाँत वाले जानवर से भी बेहतर है। आपने फ़रमाया- तुम उसको ज़िबह कर दो और तुम्हारे बाद यह किसी और के लिये दुरुस्त नहीं होगा।

हदीस 567. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सिर्फ़ मुसन्ना (दो दाँत वाले जानवर) की क़ुरबानी करो। हाँ अगर मुसन्ना मिलना दुश्वार हो तो एक साल का दुंबा या मेंढा ज़िबह कर दो।

हदीस 568. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सींगों वाला मेंढा लाने का हुक्म दिया, जिसके पैर और आँखें सियाह हों। क़ुरबानी करने के लिये ऐसा मेंढा लाया गया तो आपने फ़रमाया-

ऐ आ़यशा! छुरी लाओ। फिर फ़रमाया- इसको पत्थर से तेज़ करो, मैंने उसको तेज़ किया, फिर आपने छुरी ली, मेंढे को पकड़कर लिटाया और ज़िबह करने लगे तो फ़रमाया-

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ.

तर्जुमा:- अल्लाह के नाम से, ऐ अल्लाह! मुहम्मद, आले मुहम्मद और उम्मते मुहम्मद की तरफ़ से इसको क़ुबूल फ़रमा। फिर उसके बाद उसकी क़ुरबानी की।

वज़ाहत:- अपने हाथ से क़ुरबानी करना मस्नून है लिहाज़ा आप भी क़ुरबानी अपने हाथ से कीजिए।

हदीस 569. हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! हम कल दुश्मन से मुक़ाबला करेंगे और हमारे पास छुरियाँ नहीं हैं। आपने फ़रमाया- जिस चीज़ से भी ख़ून बह जाये उससे ज़िबह करना और ज़िबह करने में जल्दी करना, जिस चीज़ पर भी अल्लाह का नाम लिया जाये उसको खा लेना, बशर्ते कि दाँत और नाखुन से ज़िबह न किया हो। दाँत हड्डी है और नाखुन हब्शियों की छुरी है। हमें माले ग़नीमत में ऊँट और बकरियाँ हासिल हुई उनमें से एक ऊँट भाग गया। एक शख़्स ने उसको तीर मारा तो वह रुक गया। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इन ऊँटों में से कुछ ऊँट वहशी (जंगली) होते हैं अगर इनमें से कोई ऊँट तुम्हारी गिरफ़्त में न आये तो उसके साथ ऐसा ही किया करो।

वज़ाहत:- दाँत और नाखुन के अ़लावा हर वह चीज़ जिससे ख़ून बह जाये ज़िबह करना जायज़ है।

हदीस 570. हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैंने तुमको पहले क़ब्रों की ज़ियारत करने से मना कर दिया था लेकिन अब तुम ज़ियारत किया करो, और मैंने पहले तुमको तीन दिन से ज़्यादा क़ुरबानी का गोश्त ज़ख़ीरा (भण्डार) करने से मना किया था, अब जब तक तुम चाहो क़ुरबानी का गोश्त रख लिया करो। मैंने तुमको मशक के अ़लावा तमाम बर्तनों में नबीज़ के इस्तेमाल से मना किया था, अब तुम तमाम बर्तनों में नबीज़ इस्तेमाल कर लिया करो, अलबत्ता नशा लाने वाली चीज़ को न पीना।

वज़ाहत:- क़ुरबानी का गोश्त उस वक़्त रखना जायज़ है जब ग़रीबों में तक़सीम होने के बाद बच जाये, और अगर ग़रीब लोग गोश्त को तरस रहे

हों और आप ज़ख़ीरा-अन्दोज़ी (यानी जमा) कर लें तो यह जायज़ नहीं।

हदीस 571. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- 'फ़रअ़' कोई चीज़ नहीं है और न ही 'अ़तीरा'।

वज़ाहतः- 'फ़रअ़' (ऊँटनी का पहला बच्चा) जिसको मुश्रिक लोग अपने बुतों के नाम पर ज़िबह किया करते थे, और 'अ़तीरा' उस जानवर को कहते थे जिसको मुश्रिक लोग रजब के पहले अ़शरे (दहाई) में अपने बुतों के नाम पर ज़िबह करते थे। इस्लाम में हर वह अ़मल करना मना है जिसका अल्लाह या उसके रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हुक्म न दिया हो, मसलन 'फ़रअ़' या 'अ़तीरा'।

हदीस 572. हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब ज़िलहिज्जा की पहली दहाई शुरू हो जाये और तुम में से कोई शख़्स क़ुरबानी करने का इरादा करे तो वह अपने बालों को न कटवाये और नाख़ुनों को बिल्कुल न तराशे।

वज़ाहतः- हदीस की किताब अबू दाऊद शरीफ़ में एक रिवायत है कि जिस सहाबी के पास क़ुरबानी की गुंजाईश नहीं थी उसे आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया था कि क़ुरबानी वाले दिन ईद की नमाज़ के बाद अपनी हजामत करवा लेना, तुम्हें मुकम्मल क़ुरबानी का सवाब मिल जायेगा।

हदीस 573. हज़रत आ़मिर बिन वासिला रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं अ़ली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अ़न्हु के पास था। आपके पास एक शख़्स ने आकर कहा कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम आप से सरगोशियों (चुपके-चुपके बातें करने) में क्या कहते थे? हज़रत अ़ली नाराज़ हो गये और फ़रमाया- रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे कोई राज़ की बात नहीं बताई जिसे मैंने दूसरे लोगों से छुपाया हो, अलबत्ता आपने मुझे चार बातें इरशाद फ़रमाई हैं, उसने पूछा- ऐ अमीरुल-मोमिनीन! वे क्या बातें हैं? उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि

व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स अपने वालिद पर लानत करे उस पर अल्लाह तआ़ला की लानत है, और जो शख़्स ग़ैरुल्लाह के लिये ज़िबह करे उस पर अल्लाह की लानत है, और जो शख़्स किसी बिद्अ़ती को पनाह दे उस पर अल्लाह तआ़ला की लानत है और जो शख़्स ज़मीन (हद-बन्दी) के निशानात को मिटाये उस पर अल्लाह तआ़ला की लानत है।

नशा लाने के लिये पी जाने वाली चीज़ों का बयान

हदीस 574. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जिस दिन शराब हराम की गयी उस दिन मैं हज़रत अबू तल्हा के घर लोगों को शराब पिला रहा था। वह शराब सिर्फ़ किशमिश और छुआरों से बनी हुई थी। इतने में किसी ऐलान करने वाले ने ऐलान किया। हज़रत अबू तल्हा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा जाओ देखो, मैंने जाकर देखा तो एक ऐलान करने वाला यह ऐलान कर रहा था कि सुनो! शराब हराम कर दी गयी है और मदीने की गलियों में शराब बह रही थी। हज़रत अबू तल्हा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने मुझसे कहा उठो और तमाम शराब बहा दो। मैंने शराब को बहा दिया, उस वक़्त किसी ने कहा फ़ुलाँ और फ़ुलाँ शहीद हुए थे और उनके पेटों में शराब थी। तब अल्लाह तआ़ला ने यह आयते मुबारका नाज़िल फ़रमाई-

तर्जुमाः- जो लोग ईमान लाये और जिन्होंने नेक आमाल किये उनसे उनकी (अल्लाह का हुक्म आने से पहले) खाई हुई चीज़ों पर कोई पकड़ नहीं होगी जबकि वे अल्लाह से डरते रहते थे और ईमान ला चुके थे और उन्होंने नेक आमाल किये थे। (सूरः अल्-मायदा 5, आयत 93)

हदीस 575. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने किशमिश और छुआरों को मिलाकर नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया, और इसी तरह कच्ची खजूरों और छुआरों को मिलाकर नबीज़ बनाने से भी मना फ़रमाया है।

वज़ाहतः- इस तरह नबीज़ बनाने से नशा पैदा होता है और हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है।

हदीस 576. हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स तुम में से नबीज़ पिये तो वह सिर्फ़ किशमिश का या सिर्फ़ छुआरों का या सिर्फ़ कच्ची खजूरों का नबीज़ पिये।

वज़ाहतः- इसमें नशा नहीं होता, और जब दो चीज़ें मिलाई जायें तो नशा पैदा हो जाता है।

हदीस 577. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अ़ब्दुल-क़ैस के वफ़्द (जमाअ़त) से फ़रमाया- मैं तुमको खोखले कद्दू के बर्तनों, सब्ज़ मटकों, खोखली लकड़ी के बर्तनों, रोग़न किये हुए बर्तनों और जिन मशकों के मुहँ कटे हुए हों उनमें नबीज़ पीने से मना करता हूँ, सिर्फ़ अपने मशकीज़ों से नबीज़ पिया करो और उनका मुँह बाँध दिया करो।

वज़ाहतः- इन बर्तनों में नबीज़ बनाना इस्लाम के शुरू के दौर में मना थे, बाद में इजाज़त दे दी गयी और हर नशा लाने वाली खाने-पीने की चीज़ से रोक दिया गया।

हदीस 578. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने चन्द बर्तनों में नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया तो सहाबा किराम ने कहा कि हर शख़्स के पास तो मशक नहीं है, तब आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उस मिट्टी के मटके में नबीज़ बनाने की इजाज़त दे दी जिस पर रोग़न किया हुआ न हो।

हदीस 579. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हर नशा लाने वाली पीने की चीज़ हराम है।

वज़ाहतः- हर नशे वाली चीज़ मसलन नस्वार, तम्बाकू, गुटखा, भंग, चरस वग़ैरह भी हराम हैं।

हदीस 580. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है, और अल्लाह तआ़ला ने यह अ़हद कर लिया है कि जो शख़्स दुनिया में नशा लाने वाली चीज़ पियेगा उसको आख़िरत में 'तीनतुल्-ख़बाल' पिलायेगा। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने अ़र्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल! 'तीनतुल्-ख़बाल' क्या है? आपने फ़रमाया- जहन्नमियों का पसीना या जहन्नमियों के ज़ख़्मों का निचोड़ (यानी उनका ख़ून और पीप वग़ैरह)।

वज़ाहत:- हर नशा लाने वाली चीज़ से परहेज़ कीजिए वरना आख़िरत में न चाहते हुए भी गन्दगी पीनी पड़ेगी।

हदीस 581. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस शख़्स ने दुनिया में शराब पी वह आख़िरत में शराब से मेहरूम रहेगा।

वज़ाहत:- हालाँकि आख़िरत की शराब बड़ी लज़ीज़ (मज़ेदार) होगी और उससे अ़क्ल में कोई फ़तूर नहीं आयेगा। अगर कोई तौबा कर ले तो उसे आख़िरत में शराब मिल जायेगी। इन्शा-अल्लाहुल्-अ़ज़ीज़

हदीस 582. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये रात के शुरू हिस्से में नबीज़ बनाया जाता और आप उसको सुबह पीते थे, फिर आगे के बाद वाली रात में बनाया हुआ नबीज़ सुबह पीते थे और फिर रात को भी और अगले दिन अ़सर तक पीते थे, फिर अगर कुछ बच जाता तो ख़ादिम को पिला देते या उसको बहा देने का हुक्म देते थे।

वज़ाहत:- उसे बहा देने का हुक्म इसलिये देते क्योंकि (उसके बाद) उसमें नशा पैदा होने की संभावना होती थी।

हदीस 583. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब रात का अंधेरा फैल जाये या शाम हो जाये तो अपने बच्चों को बाहर न निकलने दो, क्योंकि उस वक़्त शयातीन बाहर निकलते हैं। जब रात की एक साअ़त (हिस्सा) गुज़र जाये तो उनको छोड़ सकते हो। रात के वक़्त दरवाज़े बन्द कर लिया करो और अल्लाह को याद करो (यानी दरवाज़ा

बन्द करते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ा करो), क्योंकि शैतान कोई बन्द दरवाज़ा नहीं खोल सकता। अपनी मशकों का मुँह बन्द कर लिया करो और अल्लाह को याद करो (यानी बन्द करते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो), अपने बर्तनों को ढाँक लिया करो और अल्लाह को याद करो (यानी ढाँकते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो), और अगर बर्तनों को ढाँपने के लिये कोई चीज़ न मिले तो बर्तनों की चौड़ाई पर कुछ रख दो, और अपने चिराग़ों को बुझा दिया करो।

हदीस 584. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अपने बर्तनों को ढाँको और मशकों का मुँह बाँध दो क्योंकि साल में एक रात ऐसी आती है जिसमें वबा नाज़िल होती है और वह उस बर्तन और मशक में घुस जाती है जो ढके हुए न हों, या जिनका मुँह खुला हुआ हो।

वज़ाहतः- इस हदीस में हर क़िस्म की मुसीबत और वबा वग़ैरह से हिफ़ाज़त का तरीक़ा बयान हुआ है, लिहाज़ा इसे ज़रूर अपनाईये।

हदीस 585. हज़रत उमर बिन अबी सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि में रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की गोद में था और मेरा हाथ खाने के दौरान प्याले के तमाम हिस्सों (किनारों) में घूम रहा था। आपने मुझसे फ़रमाया- ऐ लड़के! बिस्मिल्लाह पढ़ो, दायें हाथ से खाओ और अपने आगे से खाओ।

वज़ाहतः- खाने के आदाब में से यह भी है कि बिस्मिल्लाह पढ़कर दायें हाथ और अपने सामने से खायें, आप भी अपने बच्चों को इसी तरह तरबियत कीजिये।

हदीस 586. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फ़रमाया है।

हदीस 587. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक डोल में ज़मज़म का पानी लेकर खड़े होकर पिया।

वज़ाहतः- ज़मज़म का पानी खड़े होकर पीना सुन्नत है और आम पानी बैठकर पीना सुन्नत है।

हदीस 588. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पानी या दूसरी पीने की चीज़ें पीते वक़्त तीन मर्तबा साँस लेते थे और फ़रमाते थे- इससे ख़ूब सैरी होती है, प्यास बुझती है और खाना हज़्म होता है। मैं भी (इस हदीस पर अमल करते हुए) पीते वक़्त तीन मर्तबा साँस लेता हूँ।

हदीस 589. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पानी मिला हुआ दूध पेश किया गया, आपकी दाईं जानिब एक देहाती बैठा हुआ था और बाईं जानिब हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ थे। आपने दूध पीकर देहाती को दे दिया और आपने दो मर्तबा फ़रमाया- दाईं तरफ़ से (शुरू किया करो)।

वज़ाहतः- एक महफ़िल में अगर बराबर रिश्ते के मसलन दादा या नाना बैठे हों और आप नाना को पहले दें तो दादा नाराज़ हो सकते हैं इसलिये इस्लाम ने हर मसले का हल दिया है कि दाईं तरफ़ से शुरू किया जाये, सिर्फ़ ग़ौर करने की ज़रूरत है।

हदीस 590. हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास पानी लाया गया तो आपने उस पानी को पिया। आपकी दाईं तरफ़ एक लड़का था और बाईं जानिब बड़े लोग। आपने लड़के से कहा क्या तुम मुझे इजाज़त देते हो कि मैं इन बाईं तरफ़ वाले लोगों को दे दूँ? उस लड़के ने कहा नहीं। अल्लाह की क़सम! आपका तबर्रुक (बरकती चीज़) जो मुझे मिलेगा मैं उस पर किसी को तरजीह नहीं दूँगा। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसके हाथ पर प्याला रख दिया।

वज़ाहतः- हर अच्छे काम की शुरूआत दाईं तरफ़ से करना सुन्नत है।

हदीस 591. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हर काम के वक़्त तुम्हारे पास शैतान आ जाता है यहाँ तक कि खाने के वक़्त भी आ जाता है। जब

तुम में से किसी शख़्स का लुक़्मा गिर जाये तो वह उस पर लगी हुई मिट्टी वग़ैरह को साफ़ करके वह लुक़्मा खा ले और उसको शैतान के लिये न छोड़े। जब खाने से फ़ारिग़ हो तो अपनी उंगलियों को चाट ले क्योंकि वह नहीं जानता कि उस खाने के किस हिस्से में बरकत है।

हदीस 592. हज़रत अबू मसऊद अन्सारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि अन्सार के एक शख़्स अबू शुऐब का एक लड़का था जो गोश्त बेचता था। उसने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को देखकर आपके चेहरे से भूख का अन्दाज़ा किया। उसने अपने लड़के से कहा- जाओ पाँच आदमियों का खाना तैयार करो, मेरा इरादा है कि मैं पाँच आदमियों समेत नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को दावत दूँ। उसने खाना तैयार कर लिया, फिर वह नबी करीम के पास गया और आपको मय पाँच आदमियों के दावत दी। आपके साथ एक और शख़्स भी चल पड़ा, जब वह शख़्स दरवाज़े पर पहुँचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- यह शख़्स हमारे साथ आ गया है, अगर तुम चाहो तो इसको इजाज़त दे दो और अगर तुम चाहो तो यह शख़्स वापस लौट जाये। उसने कहा- नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल! बल्कि मैं इसको इजाज़त देता हूँ।

वज़ाहतः- दावत में अगर अतिरिक्त शख़्स को ले जाना हो तो मेज़बान से इजाज़त लेना ज़रूरी है, अगर मेज़बान इजाज़त दे तो ठीक वरना इज़ाफ़ी शख़्स को वापस चले जाना चाहिये।

हदीस 593. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक दर्ज़ी ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की दावत की और कुछ खाना तैयार किया। मैं रसूले अकरम के साथ उस दावत में गया। उसने नबी पाक के सामने जौ की रोटी और शोरबा पेश किया जिसमें कद्दू और गोश्त था। मैंने देखा कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम प्याले में से कद्दू तलाश कर रहे थे। मैं उसी दिन से कद्दू से मुहब्बत रखता हूँ।

वज़ाहतः- मुहब्बत का तक़ाज़ा है कि जो चीज़ महबूब को पसन्द हो मुहब्बत करने वाला भी उसे पसन्द करे। मुसलमानों का दावा है कि हम रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मुहब्बत करते हैं इसलिये हर

मुसलमान को आपकी हर सुन्नत से मुहब्बत करनी ज़रूरी है।

हदीस 594. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन बुसर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मेरे वालिद के पास तशरीफ़ लाये। हमने रसूले पाक की ख़िदमत में खाना, पनीर और बरनी खजूर का हलवा पेश किया। आपने उसमें से कुछ खाया, आपके पास खजूरें लाई गयीं आप खजूरें खाते और गुठलियाँ दो उंगलियों के दरमियान में रखते जाते, फिर आपके पास एक पीने की चीज़ लाई गयी, आपने उसको पीकर दाईं जानिब वाले को दे दिया। फिर मेरे वालिद ने आपकी सवारी की लगाम पकड़कर कहा- ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे लिये अल्लाह से दुआ़ कीजिए। आपने यूँ दुआ़ फ़रमाई-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِىْ مَارَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ.

अल्लाहुम्-म बारिक् लहुम् फ़ी मा रज़क्तहुम् वग़्फ़िर् लहुम् वर्हम्हुम्।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह करीम! जो कुछ आपने इनको दिया है उसमें बरकत फ़रमा, इनकी बख़्शिश फ़रमा और इन पर रहम फ़रमा।

वज़ाहतः- दावत खाने के बाद मेज़बान के हक़ में ऊपर दर्ज हुई दुआ़ माँगना सुन्नत है।

हदीस 595. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को खजूर के साथ ककड़ी खाते हुए देखा।

वज़ाहतः- चूँकि खजूर गरम होती है और ककड़ी ठण्डी, दोनों मिलकर मोतदिल (नॉर्मल) हो जाती हैं जो सेहत के लिये बहुत मुफ़ीद है।

हदीस 596. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में खजूरें लाई गयीं तो रसूले करीम उन खजूरों को तक़सीम फ़रमाने लगे और आप इस तरह बैठे हुए थे कि जिस तरह कोई जल्दी में बैठता है। आप उन खजूरों में से खा भी रहे थे।

वज़ाहतः- आ़जिज़ी के साथ खाना मुस्तहब है।

हदीस 597. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कोई शख़्स अपने साथियों से इजाज़त लिये बग़ैर दो-दो खजूरों को मिलाकर न खाये।

वज़ाहतः- मिल-जुलकर खाते वक़्त भी बड़े-बड़े निवाले न लें ताकि दूसरों की हक़-तल्फ़ी न हो।

हदीस 598. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस घर में खजूरें हों वे लोग भूखे नहीं होते।

वज़ाहतः- खजूरें बेहतरीन गिज़ा हैं इसी लिये आप खजूरों से ही रोज़ा इफ़्तार किया करते थे, और हर खाने के बाद तीन खजूरें खाना बहुत-सी बीमारियों का इलाज है।

हदीस 599. हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिसने सुबह को मदीना मुनव्वरा की सात अ़जवा खजूरें खा लीं उसको उस दिन कोई ज़हर और जादू कभी नुक़सान नहीं पहुँचा सकेगा।

वज़ाहतः- इस हदीस से अ़जवा खजूरों की फ़ज़ीलत साबित हो रही है। यह खजूर दिल की और दूसरी बीमारियों में तिर्याक़ (अचूक फ़ायदा देने वाली चीज़) की हैसियत रखती है।

हदीस 600. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अ़जवा आ़लिया में शिफ़ा है। सुबह के वक़्त अ़जवा खजूर का इस्तेमाल करना तिर्याक़ है।

वज़ाहतः- 'आ़लिया' मदीना मुनव्वरा के ऊँचाई वाले हिस्से की अ़जवा क़िस्म की खजूर को कहा जाता है जिसके खाने से बहुत सी ख़तरनाक बीमारियों से हिफ़ाज़त हो जाती है।

हदीस 601. हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- "कुहमबी" उस गिज़ा की एक क़िस्म है जो बनी इस्राईल पर नाज़िल हुई थी और उसका पानी आँखों के लिये शिफ़ा है।

वज़ाहतः- अ़ल्लामा यहया बिन शर्फ़ नववी लिखते हैं- "कुहमबी" का पानी आँखों के लिये शिफ़ा है मैंने और बहुत से लोगों ने अपने ज़माने में देखा है कि जिन लोगों की आँखों की रोशनी चली गयी थी उन्होंने कुहमबी निचोड़कर उसका पानी आँख में डाला तो उनको शिफ़ा हो गयी और उनकी बीनाई लौट आई। उन शिफ़ा पाने वालों में शैख़ कमाल बिन अ़ब्दुल्लाह मुहद्दिस दमिश्क़ी भी शामिल हैं।

हदीस 602. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम "मरुज़्ज़हरान" (एक मक़ाम) में रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ थे। हम पीलू चुनकर जमा कर रहे थे। रसूले पाक ने फ़रमाया- काले पीलू तलाश करो। हमने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! यूँ लगता है जैसे आपने बकरियाँ चराई हों। आपने फ़रमाया- हाँ हर नबी ने बकरियाँ चराई हैं।

वज़ाहतः- पीलू के काले फल बड़े मीठे और लज़ीज़ होते हैं। हर क़िस्म की सूजन (वरम) में यह बहुत मुफ़ीद है। हर नबी के बकरियों को चराने में यह हिक्मत है कि यह जानवर चरवाहे को बहुत सताता है लिहाज़ा उनके तंग करने को बरदाश्त करना बुर्दबारी है। इसी तरह लोग भी अम्बिया को तंग करते रहे मगर बुर्दबारी की वजह से अम्बिया बरदाश्त करते रहे।

हदीस 603. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सिरका बेहतरीन सालन है।

वज़ाहतः- आ़म मुआ़शरे में सिरके को सालन के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि लोग ज़बान के ज़ायक़े के लिये सिरके को सालन के साथ मिलाकर खाते हैं, लेकिन रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सिरके से रोटी खाते और साथ-साथ उसकी तारीफ़ फ़रमाते कि सिरका बेहतरीन सालन है।

हदीस 604. हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास कोई खाना लाया जाता तो आप उसमें से खाते और जो बच जाता उसको मेरे पास भेज देते। एक दिन आपने मेरे पास खाना भेजा जिसमें से आपने बिल्कुल नहीं खाया था क्योंकि

उसमें (कच्चा) लहसुन था। मैंने आप से पूछा क्या यह हराम है? आपने फ़रमाया नहीं, लेकिन मैं इसको इसकी बदबू की वजह से नापसन्द करता हूँ। मैंने अ़र्ज़ किया कि जो आपको नापसन्द है वह मुझे भी नापसन्द है।

वज़ाहतः- लहसुन अगरचे हलाल है मगर इसमें चूँकि बू होती है, आपके पास फ़रिश्तों का आना-जाना रहता था और उन्हें यह बू तकलीफ़ देती थी, इसलिये आपने कच्चा लहसुन नहीं खाया लेकिन उम्मत को लहसुन खाने से मना भी नहीं फ़रमाया, सिर्फ़ मस्जिद में कच्चा लहसुन और प्याज़ खाकर आने से मना फ़रमाया है।

हदीस 605. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में आकर कहा- मैं फ़ाक़े से हूँ। आपने अपनी एक बीवी के पास पैग़ाम भेजा, उन्होंने कहा- उस ज़ात की क़सम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, मेरे पास तो पानी के सिवा कुछ नहीं है। फिर आपने दूसरी बीवी के पास पैग़ाम भेजा, उन्होंने भी इसी तरह कहा यहाँ तक कि सब ने यही कहा। आख़िरकार आपने फ़रमाया- जो शख़्स इसको आज रात मेहमान बनायेगा अल्लाह तआ़ला उस पर रहम फ़रमायेगा। अन्सार में से एक शख़्स ने खड़े होकर कहा ऐ अल्लाह के रसूल! मैं इसको अपना मेहमान बनाऊँगा। वह शख़्स उस मेहमान को अपने घर ले गया और बीवी से पूछा- तुम्हारे पास (खाने की) कोई चीज़ है? बीवी ने कहा सिर्फ़ बच्चों का खाना है। उसने कहा बच्चों को किसी और चीज़ से बहलाकर सुला दो। जब हमारा मेहमान खाना खाने लगे तो चिराग़ बुझा देना और उस पर यह ज़ाहिर करना कि हम खाना खा रहे हैं। फिर वे सब बैठ गये और मेहमान ने अच्छी तरह खाना खा लिया। जब सुबह को वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास पहुँचे तो आपने फ़रमाया- तुमने मेहमान के साथ जो (अच्छा) सुलूक किया अल्लाह तआ़ला उस पर बहुत ख़ुश हुआ।

वज़ाहतः- एक दूसरी हदीस में है कि अल्लाह तआ़ला ने उस सहाबी की शान में यह आयते मुबारका नाज़िल फ़रमाई-

तर्जुमाः- जिन्होंने इस घर (मदीना) में ईमान लाने में पहल की और

अपनी तरफ़ हिजरत करके आने वालों से मुहब्बत करते हैं और मुहाजिरीन को अगर कुछ दिया जाये तो उससे वे अपने दिलों में कोई तंगी नहीं रखते बल्कि ख़ुद अपने ऊपर उन्हें तरजीह देते हैं चाहे ख़ुद को कितनी ही सख़्त ज़रूरत क्यों न हो। (असल बात यह है कि) जो भी अपने नफ़्स के बुख़्ल (लालच और कन्जूसी) से बचा लिया गया वही कामयाब (मुराद पाने वाला) है। (सूरः हश्र 59, आयत 9)

हदीस 606. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- एक आदमी का खाना दो आदमियों के लिये काफ़ी होता है, दो का खाना चार के लिये काफ़ी होता है और चार का आठ के लिये काफ़ी होता है।

वज़ाहतः- मिल-बैठकर खाने में बरकत होती है।

हदीस 607. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास एक काफ़िर शख़्स मेहमान आया। आपने उसके लिये एक बकरी का दूध दूहने का हुक्म दिया, उसने वह दूध पी लिया, फिर दूसरी बकरी का दूध दूहने का हुक्म दिया उसने वह भी पी लिया, यहाँ तक कि उसने इसी तरह सात बकरियों का दूध पी लिया, फिर सुबह को वह इस्लाम ले आया। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उसके लिये एक बकरी का दूध दूहने का हुक्म दिया, उसने वह दूध पी लिया। रसूले पाक ने फिर दूसरी बकरी का दूध दूहने का हुक्म दिया। वह उसका सारा दूध न पी सका, आपने फ़रमाया- मुसलमान एक आँत में पीता है और काफ़िर सात आँतों में पीता है।

वज़ाहतः- मोमिन खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है इसलिये उसके खाने में बरकत हो जाती है और शैतान शरीक नहीं होता, और काफ़िर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता इसलिये उसके खाने में बरकत नहीं होती और शैतान शरीक हो जाता है।

हदीस 608. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को किसी खाने में कभी ऐब निकालते नहीं देखा। अगर आपको कभी कोई खाना अच्छा लगता तो

उसको खा लेते और अच्छा न लगता तो उसको छोड़ देते।

वज़ाहतः- खाने के आदाब में यह है कि खाने का ऐब न बयान किया जाये। यह कहना कि खाने में नमक कम या ज़्यादा है या इसमें शोरबा पतला है या गाढ़ा है, यह भी खाने का ऐब बयान करना है।

लिबास व ज़ीनत का बयान

हदीस 609. हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स सोने या चाँदी के बर्तन में पीता है वह अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है।

हदीस 610. हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें सात चीज़ों का हुक्म दिया है और सात चीज़ों से मना किया है-

1. मरीज़ की इयादत करना (बीमारी का हाल पूछना)।
2. जनाज़े के साथ जाना।
3. छींक का जवाब देना।
4. क़सम पूरी करना।
5. मज़लूम की मदद करना।
6. दावत क़ुबूल करन।
7. और ख़ूब ज़्यादा सलाम करन। (इन सात बातों का हुक्म दिया है)

और इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से मना फ़रमाया है-

1. सोने की अंगूठी पहनना (सिर्फ़ मर्दों के लिये मना है)।
2. चाँदी के बर्तनों में खाना-पीना।
3. रेशमी गद्‌दों पर बैठना।
4. क़सी (रेशम की एक क़िस्म) पहनना।
5. इस्तिबूरक़ (रेशम की एक क़िस्म)।
6. दीबाज (रेशम की एक क़िस्म)।
7. सोने के बर्तनों में खाना-पीना।

हदीस 611. हज़रत अबू उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि

जिस वक़्त हम 'आज़र बाईजान' (एक जगह का नाम है) में थे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने हमें लिखा- ऐ उतबा बिन फ़र्क़द! तुम्हारे पास जो माल है उसमें तुम्हारी न अपनी कोशिश और न तुम्हारे माँ-बाप की कोशिश का कोई दख़ल है, लिहाज़ा मुसलमानों को उनके घरों पर उन चीज़ों से पेट भरकर खिलाओ जो तुम अपने घर पर पेट भरकर खाते हो और ऐश व आराम करते हो। मुश्रिक लोगों के लिबास और रेशम पहनने से बचते रहना क्योंकि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने रेशम पहनने से मना फ़रमाया है।

हदीस 612. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को एक रेशमी हुल्ला (जुब्बा) हदिया (गिफ़्ट) किया गया। आपने वह मेरे पास भेज दिया। मैंने उसको पहन लिया फिर मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के चेहरा-ए-अनवर पर गुस्से के आसार देखे, आपने फ़रमाया- मैंने यह तुम्हारे पास इसलिये नहीं भेजा था कि तुम इसको ख़ुद पहन लो, मैंने यह तुम्हारे पास इसलिये भेजा था कि तुम इसमें से औ़रतों के दुपट्टे वग़ैरह बना दो।

हदीस 613. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस मर्द ने दुनिया में रेशमी लिबास पहना उसको आख़िरत में (अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त) रेशम नहीं पहनायेगा।

हदीस 614. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे ज़र्द रंग के दो कपड़े पहने हुए देखा, आपने फ़रमाया- ये काफ़िरों के कपड़े हैं, इनको मत पहनो।

हदीस 615. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने क़सी कपड़ा (रेशम की एक क़िस्म) पहनने से मना फ़रमाया है। और 'अ़स्फ़र' से रंगे हुए कपड़े, सोने की अंगूठी पनने से और रुकूअ़ की हालत में क़ुरआन मजीद पढ़ने से भी मना फ़रमाया है।

हदीस 616. हज़रत अबू बुरदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि

हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक तहबन्द और एक पेवन्द लगी हुई चादर निकाली और फ़रमाया- अल्लाह के रसूल की इन्हीं कपड़ों में वफ़ात हुई थी।

हदीस 617. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का वह बिस्तर (गद्दा) जिस पर आप सोते थे, चमड़े का था और उसमें खजूर की छाल भरी हुई थी।

वज़ाहतः- यह अल्लाह तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सादगी की खुली निशानी है।

हदीस 618. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब मैंने शादी की तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझसे पूछा- क्या तुमने ग़ालीचे (क़ालीन) बनाये हैं? मैंने अर्ज़ किया कि हमारे पास ग़ालीचे कहाँ? आपने फ़रमाया- अब जल्द ही होंगे।

वज़ाहतः- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इस्लामी फ़ुतूहात की जानिब इशारा था। जिनके बाद मुसलमानों के घरों में भी ग़ालीचे (क़ालीन) आ गये थे।

हदीस 619. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- एक बिस्तर मर्द के लिये है और दूसरा उसकी बीवी के लिये और तीसरा मेहमान के लिये और चौथा बिस्तर शैतान के लिये है।

वज़ाहतः- जो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होगी वह बड़ाई के इज़हार और तकब्बुर के लिये होगी, इसलिये ज़रूरत से ज़ायद चीज़ बुरी और नापसन्दीदा है और हर बुरी चीज़ की शैतान की जानिब निस्बत होती है, इसलिये चौथे बिस्तर की शैतान की तरफ़ निस्बत है।

हदीस 620. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स तकब्बुर करते हुए (टख़्नों से नीचे) कपड़ा घसीटकर चलता है तो अल्लाह तआला उसकी तरफ़ (रहमत की नज़र से) नहीं देखता।

वज़ाहतः- यह हुक्म सिर्फ़ मर्दों के लिये है औरतों को टख़्नों से नीचे

कपड़ा रखने का हुक्म है।

हदीस 621. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास से गुज़रा इस हालत में कि मेरी इज़ार (शलवार) टख़्नों से नीचे लटक रही थी, तो आपने फ़रमाया- ऐ अ़ब्दुल्लाह! अपनी इज़ार ऊँची करो। मैंने उसे ऊपर उठा लिया। फिर आपने फ़रमाया- और उठाओ। मैंने और उठाई। मैं अपनी इज़ार उठाता रहा यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कहा- कहाँ तक उठाये? आपने फ़रमाया- आधी पिण्डलियों तक।

वज़ाहतः- घमण्ड के अन्दाज़ में अपनी चादर या शलवार या पतलून वग़ैरह को टख़्नों से नीचे लटकाने की मनाही और उस पर सख़्त वईद (सज़ा की धमकी) बयान की गयी है। अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन ऐसे आदमी पर अपनी नज़रे करम नहीं फ़रमायेंगे। इसलिये तहबन्द, चादर वग़ैरह तकब्बुर की नीयत से टख़्नों से नीचे नहीं लटकाना चाहिये क्योंकि इस तरह करने से इनसान में तकब्बुर पैदा हो जाता है जो कि अल्लाह को नापसन्द है।

हदीस 622. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- एक शख़्स अपने सर के बालों और अपनी पहनी हुई चादरों पर तकब्बुर करता हुआ जा रहा था, अचानक उसको ज़मीन में धंसा दिया गया और क़ियामत तक ज़मीन में धंसता रहेगा।

हदीस 623. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने (मर्दों को) सोने की अंगूठी वग़ैरह पहनने से मना फ़रमाया है।

वज़ाहतः- औ़रतों के लिये सोने की अंगूठी जायज़ है और मर्दों को सोने की अंगूठी पहनना मना है।

हदीस 624. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक शख़्स के हाथ में सोने की अंगूठी देखी। आपने उसको उतारकर फेंक दिया और

फ़रमाया- तुम में से कोई शख़्स आग के अंगारे को अपने हाथ में लेने का इरादा क्यों करता है? रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के तशरीफ़ ले जाने के बाद उस शख़्स से कहा गया- जाओ अपनी अंगूठी उठा लो और उससे नफ़ा हासिल कर लो। उसने कहा- अल्लाह की क़सम, जिस चीज़ को रसूले अकरम ने (नाराज़गी की सूरत में) फेंक दिया हो उसको मैं कभी भी नहीं उठाऊँगा।

हदीस 625. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने किसरा व क़ैसर और नजाशी की तरफ़ ख़त लिखने का इरादा फ़रमाया तो आप से अ़र्ज़ किया गया- वे लोग बग़ैर मोहर लगे ख़त को क़ुबूल नहीं करते, तो आपने एक अंगूठी बनवाई जिसका छल्ला चाँदी का था और उसमें "मुहम्मद रसूलुल्लाह" का नक़्श था।

वज़ाहतः- सन् 6 हिजरी में रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ग़ैर-मुस्लिम बादशाहों को ख़ुतूत (पत्र) लिखने का इरादा फ़रमाया ताकि उनको इस्लाम की दावत दी जा सके। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने आपकी ख़िदमत में अ़र्ज़ किया कि ग़ैर-मुस्लिम मुल्कों के बादशाह बग़ैर मोहर लगाये ख़तों और तहरीरों को मोतबर नहीं समझते तो आपने इस ज़रूरत को सामने रखते हुए चाँदी की एक मोहर बनवाई और उस मोहर की पहली लाईन में "मुहम्मद" दूसरी लाईन में "रसूल" और तीसरी लाईन में "अल्लाह" नक़्श किया (खुदा हुआ) था।

(अल्लाह सबसे ऊपर था। **मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी**)

हदीस 626. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दायें हाथ में एक चाँदी की अंगूठी थी उसमें हब्शी नगीना था, आप नगीने को हथेली के रुख़ रखा करते थे।

वज़ाहतः- मर्दों के लिये चाँदी की अंगूठी पहनना सुन्नत है।

हदीस 627. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक ग़ज़वा (जंगी मुहिम) के दौरान रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जूतियाँ पहना करो इसलिये कि जब तक कोई शख़्स जूतियाँ पहने

रहेगा वह सवार के हुक्म में आता है।

वज़ाहतः- यानी जो शख़्स जूतियाँ पहनेगा वह मशक़्क़त और थकावट के कम होने और पैरों की सलामती में सवार के जैसा होगा, क्योंकि जूतियाँ पहनने से उसके पैर कील-काँटे और तकलीफ़देह चीज़ों के चुभने से महफ़ूज़ रहेंगे। अमीर के लिये लश्कर की ख़ैरख़्वाही करना मुस्तहब है।

हदीस 628. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से कोई शख़्स जूती पहने तो दायें पैर से शुरूआ़त करे और जब जूती उतारे तो बायें पैर से शुरूआ़त करे, और दोनों जूतियाँ पहने या दोनों जूतियाँ उतार दे।

हदीस 629. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से कोई शख़्स एक जूती में न चले, दोनों जूतियाँ पहने या दोनों जूतियाँ उतार दे।

वज़ाहतः- जूती पहनने में दायें पैर से शुरूआ़त कीजिए। इसी तरह हर अच्छा काम दायीं तरफ़ से शुरू कीजिए मसलन मौज़ा, शलवार पहनने, सर मुण्डाने, कंघी करने, मूँछें काटने, मिस्वाक करने, सुर्मा लगाने और नाखुन काटने, वुज़ू करने, गुस्ल करने और तयम्मुम करने, मस्जिद में दाख़िल होने और बैतुल-ख़ला से निकलने, सदक़ा देने और अच्छी चीज़ देने या लेने में। जो काम इसके उलट (विपरीत) हों उनमें बाईं तरफ़ से शुरूआ़त कीजिए मस्लन जूती, मौज़ा और शलवार उतारने में, मस्जिद से निकलने और बैतुल-ख़ला में दाख़िल होने और इसी तरह के दूसरे नापसन्दीदा कामों में, और बिना मजबूरी के एक जूती या एक मौज़ा पहनना मक्रूह है, क्योंकि यह वक़ार के ख़िलाफ़ है।

हदीस 630. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मर्दों को जाफ़रान में रंगा हुआ लिबास पहनने से मना फ़रमाया है।

हदीस 631. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- एक जूती पहनकर न चलो, बायें हाथ से न खाओ, एक ही कपड़ा पूरे जिस्म पर न

लपेटो और चित्त लेटकर एक टाँग दूसरी टाँग पर न रखो (इस तरह शर्मगाह खुलने का अन्देशा होता है)।

हदीस 632. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मक्का फ़तह होने के दिन अबू क़हाफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु (हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु के वालिद) को पेश किया गया, उनके सर और दाढ़ी के बाल सुग़ामा (सफ़ेद फूलों) की तरह सफ़ेद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इनको किसी चीज़ (मेहंदी वग़ैरह) से तब्दील करो और सियाह रंग से बचो।

वज़ाहतः- यानी काले रंग से बालों को रंगना मना है, अलबत्ता मेहंदी वग़ैरह से रंग सकते हैं।

हदीस 633. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- यहूद और ईसाई बालों को नहीं रंगते, तुम उनकी मुख़ालफ़त करो।

हदीस 634. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि जिब्रीले अमीन अ़लैहिस्सलाम ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से एक मुक़र्ररा वक़्त में मुलाक़ात का वायदा किया, लेकिन जिब्रील अ़लैहिस्सलाम तशरीफ़ नहीं लाये। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हाथ में अ़सा (लाठी) था। आपने उसको अपने हाथ से फेंक दिया और फ़रमाया- अल्लाह और उसका रसूल अपने वायदे की मुख़ालफ़त नहीं करते। फिर आपने (इधर-उधर) देखा तो चारपाई के नीचे एक कुत्ते का पिल्ला दिखाई दिया, आपने पूछा- ऐ आ़यशा! यह कुत्ता यहाँ कब आया? मैंने कहा- अल्लाह की क़सम! मुझे मालूम नहीं। आपने उस कुत्ते को निकालने का हुक्म दिया। जब निकाल दिया गया तो जिब्रीले अमीन आये। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ जिब्रीले अमीन! आपने मुझसे मुलाक़ात का वायदा किया था, मैं आपके इन्तिज़ार में बैठा रहा और आप नहीं आये? उन्होंने कहा- आपके घर में जो कुत्ता था उसने मुझको दाख़िल होने से रोक दिया, हम उस घर में दाख़िल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो।

हदीस 635. हज़रत अबू तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- रहमत के फ़रिश्ते उस घर में दाख़िल नहीं होते जिस घर में कुत्ते और तस्वीरें हों।

हदीस 636. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये उस वक़्त मैंने एक पर्दा लटकाया हुआ था जिस पर जानदार की तस्वीर थी। यह तस्वीर देखकर आपके मुबारक चेहरे का रंग तब्दील हो गया फिर आपने उस पर्दे को लेकर फाड़ दिया और फ़रमाया- क़ियामत के दिन सबसे ज़्यादा सख़्त अ़ज़ाब उन लोगों को होगा जो अल्लाह तआ़ला की मख़्लूक़ की तस्वीरें बनाते हैं।

हदीस 637. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मैंने एक तस्वीरों वाला तकिया ख़रीदा, जब रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उस तकिये को देखा तो आप दरवाज़े पर खड़े रहे और अन्दर दाख़िल नहीं हुए। मैंने आपके चेहरे पर नापसन्दीदगी के आसार महसूस किये। मैंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अल्लाह और आप से माफ़ी चाहती हूँ। मैंने क्या गुनाह किया है? रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- यह तकिया कैसा है? मैंने अ़र्ज़ किया कि यह आपके लिये ख़रीदा है ताकि आप इस पर टेक लगायें। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इन तस्वीरों के बनाने वालों को क़ियामत के दिन अ़ज़ाब दिया जायेगा और उनसे कहा जायेगा कि जिन चीज़ों को तुमने बनाया था अब उनको ज़िन्दा करो। फिर फ़रमाया- जिस घर में तस्वीरें हों उनमें फ़रिश्ते दाख़िल नहीं होतते।

वज़ाहतः- जानदारों की तस्वीरें बनाना या उनको घर में सजाना मना है, अलबत्ता बेजान चीज़ों की तस्वीरें बनाना गुनाह नहीं।

हदीस 638. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हर तस्वीर बनाने वाला जहन्नम में जायेगा और उसकी बनाई हुई हर तस्वीर के बदले में एक जानवर बनवाया जायेगा जो उसको जहन्नम में अ़ज़ाब देता रहेगा।

हदीस 639. हज़रत अबू मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत के दिन दोज़ख़ के बहुत सख़्त अज़ाब में तस्वीरें बनाने वाले मुब्तला होंगे।

हदीस 640. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआला फ़रमाते हैं कि उनसे बढ़कर कौन ज़ालिम होगा जो मेरी मख़्लूक़ की तरह चीज़ें बनाते हैं (यानी तस्वीरें बनाते हैं) तो उनको चाहिये कि एक चींटी ही पैदा करके दिखा दें या गेहूँ का एक दाना या जौ ही पैदा कर दें।

हदीस 641. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- घन्टी शैतान की बाँसुरी है।

हदीस 642. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने चेहरे पर मारने और चेहरे को दाग़ने से मना फ़रमाया है।

हदीस 643. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 'क़ज़अ़' से मना फ़रमाया। मैंने नाफ़ेअ़ से पूछा क़ज़अ़ क्या है? उन्होंने कहा- बच्चे के सर के कुछ हिस्से को मुण्डाया जाये और कुछ हिस्से को छोड़ दिया जाये।

वज़ाहतः- सर के कुछ हिस्से को मुण्डवाना इसलिये मना है कि इसमें यहूदियों की मुशाबहत (उन जैसी शक्ल बनाना) है और असल तख़्लीक़ (अल्लाह की बनाई हुई शक्ल) की तब्दीली है अलबत्ता इलाज-मुआ़लजे की ग़र्ज़ से कुछ हिस्से को मुण्डवाना जायज़ है।

हदीस 644. हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- रास्तों में बैठने से बचो। सहाबा किराम ने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! हमें अपनी मजलिसों में बैठे बग़ैर कोई चारा नहीं, हम वहाँ बैठकर बातचीत करते हैं। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर तुम (रास्ते में) ज़रूर बैठना चाहते हो तो रास्ते का हक़ अदा करो। सहाबा किराम ने अ़र्ज़

किया कि रास्ते का हक़ क्या है? आपने फ़रमाया- निगाहें नीची रखना, तकलीफ़ देने वाली चीज़ों को दूर करना, सलाम का जवाब देना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना।

वज़ाहतः- रास्तों पर बैठने से बचना चाहिये और तकलीफ़देह चीज़ों को दूर करने में ग़ीबत और बदगुमानी से बचना और गुज़रने वालों को हक़ीर (घटिया और कमतर) जानना और रास्ते को तंग करना भी दाख़िल है, और इसी तरह अगर बैठने वालों से गुज़रने वाले ख़ौफ़ज़दा होते (डरते) हैं या उनके वहाँ बैठने की वजह से वे वहाँ से गुज़र न सकें तो यह भी तकलीफ़देह बात है।

हदीस 645. हज़रत असमा बिन्ते अबी बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में एक औ़रत ने हाज़िर होकर अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी लड़की दुल्हन बनी है और उसको चेचक निकल आई है जिसकी वजह से उसके बाल झड़ गये हैं, क्या मैं उसके बालों के साथ बाल मिलाकर पेवन्द कर दूँ? आपने फ़रमाया- बाल जोड़ने और बाल जुड़वाने वाली औ़रत पर अल्लाह तआ़ला ने लानत फ़रमाई है।

हदीस 646. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जब मैंने यह कहा कि गूदने वालियों, गुदवाने वालियों, बालों को नोचने वालियों, नुचवाने वालियों और ख़ूबसूरती के लिये दाँतों को कुशादा करने वालियों और अल्लाह तआ़ला की बनावट में तब्दीली करने वालियों पर अल्लाह तआ़ला की लानत है, तो बनू असद की एक औ़रत उम्मे याक़ूब मेरे पास आई और वह क़ुरआन मजीद पढ़ती थी। उसने मेरे पास आकर पूछा कि आपकी यह कैसी रिवायत है कि आपने गूदने वाली और गुदवाने वाली और बाल नोचने वाली और हुस्न के लिये दातों को कुशादा करने वाली और अल्लाह तआ़ला की बनावट को तब्दील करने वाली पर लानत की है? मैंने कहा उस पर मैं क्यों लानत न करूँ जिस पर रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने लानत फ़रमाई है, हालाँकि वह लानत अल्लाह तआ़ला की किताब में है। उस औ़रत ने कहा कि मैंने तो

पूरा क़ुरआन मजीद पढ़ा है मैंने उसमें यह लानत नहीं देखी। मैंने कहा अगर तुम क़ुरआन मजीद को पढ़तीं तो ज़रूर इस लानत को पा लेतीं। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया है-

तर्जुमाः- और रसूल तुमको जो (अहकाम) दें उनको मानो और जिन कामों से तुमको रोकें उनसे बाज़ रहो। (सूरः हश्र 59, आयत 7)

उस औ़रत ने कहा मेरा ख़्याल है कि इन मना किये हुए कामों में से कुछ कामों को तो आपकी बीवियाँ भी करती हैं। मैंने कहा जाओ जाकर देख लो। वह औ़रत मेरी बीवी के पास गयी तो वहाँ इनमें से कोई चीज़ भी न देखी फिर आपके पास आई और कहने लगी मैंने इनमें से कोई चीज़ भी नहीं देखी। मैंने कहा- अगर वे इन मना किये गये कामों को करतीं तो मैं उन्हें घर में ही न रखता।

वज़ाहतः- गूदने के मायने हैं कि इनसान ख़ूबसूरती के लिये अपने जिस्म के किसी हिस्से में सूई के ज़रिये मेहंदी या नील भरे।

हदीस 647. हज़रत हुमैद बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जिस साल मुआ़विया बिन सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने हज किया तो मिम्बर पर बैठकर (नक़ली) बालों का एक चुटला लिया जो उनके गुलाम के हाथ में था और फ़रमाया- ऐ मदीना वालो! तुम्हारे उलेमा कहाँ हैं? मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है आप ऐसे चुटलों से मना फ़रमाते थे और फ़रमाया- जब बनी इस्राईल की औ़रतों ने इस क़िस्म के काम शुरू किये तो वे हलाक हो गये।

वज़ाहतः- चुटला के मायने हैं नक़ली बालों या धागों की चोटी जो औ़रतें अपनी चोटी के बालों में मिलाकर गूँधती हैं ताकि चोटी मोटी और लम्बी मालूम हो।

हदीस 648. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जहन्नमियों की दो ऐसी क़िस्में हैं जिनसे बदबख़्त मैंने किसी को नहीं पाया- एक वे लोग हैं जिनके पास बैलों की दुमों की तरह कोड़े हैं जिनसे वे लोगों को मारते हैं, दूसरी वे औ़रतें हैं जो लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी। वे हक़ रास्ते से

हटाने वाली और ख़ुद भी हटी हुई होंगी। उनके सर बुख़्ती ऊँटों की तरह एक तरफ़ झुके हुए होंगे। वे न तो जन्नत में दाख़िल होंगी और न ही जहन्नम की ख़ुशबू पायेंगी जबकि जन्नत की ख़ुशबू इतनी-इतनी (बहुत ज़्यादा) मुसाफ़त (दूरी) से आती है।

वज़ाहतः- यह हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मोजिज़ों में से है, क्योंकि ये दोनों क़िस्में अब मौजूद हैं यानी कुछ औ़रतें ऐसा लिबास पहनती हैं कि जिनसे उनका जिस्म नुमायाँ तौर पर नज़र आता है, और इस हदीस में इन दोनों क़िस्मों की बुराई और निंदा है।

हदीस 649. हज़रत असमा बिन्ते अबी बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास एक औ़रत आई और उसने कहा- मेरी एक सौतन है अगर मैं उस पर यह ज़ाहिर करूँ कि मुझे मेरे शौहर ने फ़ुलाँ माल दिया है हालाँकि उसने वह माल न दिया हो तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है? रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिसके पास कोई चीज़ न हो और वह यह ज़ाहिर करे कि उसके पास वह चीज़ है वह झूठी और दिखावे के कपड़े पहनने वालों की तरह है।

आदाब का बयान

वज़ाहतः- 'अदब' इनसान को अच्छाईयों की तालीम देता है और बुराईयों से रोकता है, हर पसन्दीदा काविश (मेहनत व कोशिश) को अदब कहा जाता है जिसकी वजह से इनसान को किसी क़िस्म की फ़ज़ीलत हासिल हो जाये।

हदीस 650. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि बक़ीअ़ के मक़ाम में एक शख़्स ने दूसरे को ऐ अबू क़ासिम! कहकर आवाज़ दी तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस आवाज़ की तरफ़ देखा। उस शख़्स ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने आपको नहीं पुकारा था, मैंने तो फ़ुलाँ शख़्स को पुकारा था। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरे नाम पर नाम तो रख लो मगर मेरी कुन्नियत जैसी

कुन्नियत न रखो।

हदीस 651. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम्हारे नामों में से अल्लाह तआ़ला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसन्दीदा नाम 'अ़ब्दुल्लाह' और 'अ़ब्दुर्रहमान' हैं।

हदीस 652. हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जब मैं नजरान (मक़ाम) आया तो लोगों ने मुझसे पूछा- तुमने (सूरः मरियम) में 'या उख़्-त हारू-न' (ऐ हरून की बहन) पढ़ा है हालाँकि मूसा अ़लैहिस्सलाम उनसे इतने समय पहले गुज़रे हैं। जब मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आकर इस बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया- वे (यानी बनी इस्राईल के लोग) अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम और गुज़रे हुए नेक आदमियों के नामों पर अपने नाम रखते थे।

वज़ाहतः- अपने बच्चों के नाम नेक लोगों के नाम पर रखना मुस्तहब (अच्छा और पसन्दीदा) है।

हदीस 653. हज़रत समुरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमें अपने बच्चों के लिये चार नाम रखने से मना फ़रमाया- 'अफ़्लह्' 'रबाह' 'यसार' और 'नाफ़ेअ़'।

वज़ाहतः- इन नामों को न रखने की वजह यह है कि "अफ़्लह्" के मायने हैं कामयाब, "रबाह" के मायने हैं नफ़ा देने वाली तिजारत, "यसार" के मायने हैं आसान, "नाफ़ेअ़" के मायने हैं नफ़ा देने वाला। अगर इनमें से कोई शख़्स पूछे और जवाब में कहा जायेगा 'नाफ़ेअ़ नहीं है' तो मायने के एतिबार से दुरुस्त नहीं होगा।

हदीस 654. हज़रत समुरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसन्दीदा कलिमात चार हैं-

سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ.

सुब्हानल्लाहि, वल्हम्दु लिल्लाहि, व ला इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर।

तर्जुमाः- अल्लाह पाक है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिये हैं, और अल्लाह के अ़लावा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह तआ़ला बहुत बड़ा है।

तुम इनमें से जिस कलिमे को पहले कहो कोई हर्ज नहीं है।

हदीस 655. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने 'आ़सिया' का नाम तब्दील करके फ़रमाया तुम 'जमीला' हो।

हदीस 656. हज़रत ज़ैनब बिन्ते उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि मेरा नाम बिर्रा था, फिर रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मेरा नाम ज़ैनब रख दिया। फिर आपके पास उम्मुल-मोमिनीन ज़ैनब बिन्ते जहश आईं उनका नाम भी पहले बिर्रा था, फिर रसूले करीम ने ज़ैनब रख दिया।

वज़ाहतः- अगर किसी के नाम के मायने अच्छे न हों या आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने वह नाम रखने से मना फ़रमाया हो तो वह नाम बदल देना चाहिये।

हदीस 657. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला के नज़दीक क़ियामत के दिन सबसे ज़्यादा क़ाबिले नफ़रत और ख़बीस वह शख़्स होगा जो शहनशाह कहलाता था। अल्लाह तआ़ला के सिवा और कोई शहनशाह नहीं है।

वज़ाहतः- शहनशाह नाम रखना मना है।

हदीस 658. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि अबू तल्हा रज़ियल्लाहु अ़न्हु का बेटा बीमार था, हज़रत अबू तल्हा बाहर गये हुए थे तो वह बच्चा मर गया। जब अबू तल्हा वापस लौटे तो पूछा मेरे बेटे का क्या हाल है? उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु अ़न्हा (उनकी बीवी) ने कहा कि वह पहले से ज़्यादा सुकून में है। फिर उम्मे सलीम ने उनको शाम का खाना पेश किया। अबू तल्हा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने खाना खाया। फिर उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु अ़न्हा से हमबिस्तरी की, जब ग़ुस्ल से भी फ़ारिग़ हो गये तो उम्मे सलीम ने कहा कि जाओ जाकर बच्चे को दफ़न कर दो। जब

सुबह हुई तो अबू तल्हा रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और आपको इस वाक़िए की ख़बर दी। आपने पूछा क्या रात को तुमने हमबिस्तरी की थी? उन्होंने कहा कि जी हाँ। आपने फ़रमाया- ऐ अल्लाह! इन दोनों को बरकत अ़ता फ़रमा। फिर एक बच्चा पैदा हुआ। हज़रत अबू तल्हा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने मुझसे कहा जाओ इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास ले जाओ, मैं उसको लेकर नबी करीम के पास आ गया और उम्मे सलीम ने कुछ खजूरें भेजी थीं। नबी करीम ने उस बच्चे को लिया और पूछा कि इसके साथ कोई चीज़ है? मौजूद लोगों ने कहा कि हाँ खजूरें हैं। आपने एक खजूर को चबाकर उस बच्चे के मुँह में डाल दिया और यह उसकी घुट्टी थी, और आपने उस बच्चे का नाम अ़ब्दुल्लाह रखा।

वज़ाहत:- जब बच्चा पैदा हो तो उसके मुँह में घुट्टी (मुँह में मीठे ज़ायक़ा वाली चीज़ मसलन शहद) दी जाये और यह सुन्नत है। नेक मर्द या नेक औ़रत से घुट्टी दिलवानी चाहिये। अ़ब्दुल्लाह नाम रखना मुस्तहब (अच्छा और पसन्दीदा) है। बच्चे का नाम रखने का मामला किसी आ़लिम और नेक शख़्स के सुपुर्द कर देना चाहिये।

हदीस 659. हज़रत असमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि मैं मक्का में हामिला (गर्भवती) थी और अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर मेरे पेट में थे। मैं जब मक्का से निकली तो पूरे दिनों में थी। फिर मैं मदीना आई और क़ुबा में ठहरी और यहीं मैंने अ़ब्दुल्लाह को जन्म दिया। फिर रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने खजूरें मंगाईं, एक खजूर को चबाया और उनके मुँह में अपना लुआ़ब डाल दिया, और जो चीज़ उनके पेट में सबसे पहले दाख़िल हुई वह रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का लुआ़ब (मुँह का मिठास) था। फिर आपने उनको खजूर की घुट्टी दी और बरकत की दुआ़ दी। हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अ़न्हु वह पहले बच्चे थे जो (हिजरत के बाद) मुसलमानों के घर में पैदा हुए।

वज़ाहत:- बच्चे की पैदाईश के बाद किसी नेक शख़्स से घुट्टी दिलवाना सुन्नत है।

हदीस 660. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का अख़्लाक़ सबसे अच्छा था, मेरा एक भाई था जिसको अबू उमैर कहा जाता था, वह उस वक़्त अच्छी तरह गिज़ा खांने लगा था। जब रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ लाते तो फ़रमाते- ऐ अबू उमैर! इस नुग़ैर (एक परिन्दा) ने क्या किया? वह बच्चा उस परिन्दे के साथ खेलता था।

वज़ाहतः- यह आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का मज़ाक़ था ताकि बच्चा ख़ुश हो जाये।

हदीस 661. हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से दज्जाल के बारे में जितने सवालात मैंने किये उतने किसी और ने नहीं किये। आपने फ़रमाया- ऐ बेटे! तुमको उससे कुछ नुक़सान नहीं होगा। मैंने कहा लोग कहते हैं कि उसके साथ पानी की नहरें और रोटी के पहाड़ होंगे। आपने फ़रमाया- वह इसी वजह से अल्लाह तआ़ला के नज़दीक ज़लील होगा।

वज़ाहतः- किसी को शफ़क़त से बेटा कहना जायज़ है जैसा कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुग़ीरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु को बेटा कहकर पुकारा।

हदीस 662. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम हज़रत उबई बिन कअ़ब के पास एक मजलिस में बैठे हुए थे इतने में हज़रत अबू मूसा अश्अ़री गुस्से में आये और कहने लगे- मैं तुमको अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूँ कि क्या तुम में से किसी शख़्स ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना है कि तीन बार इजाज़त तलब की जाये, अगर इजाज़त मिल जाये तो ठीक वरना वापस लौट जाओ? उबई बिन कअ़ब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा- तुम इस हदीस के मुताल्लिक़ क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने कहा मैंने उमर बिन ख़त्ताब से कल तीन बार इजाज़त तलब की, मुझे इजाज़त नहीं दी गयी तो मैं वापस लौट गया। फिर आज मैं उनके पास गया और उनको इस वाक़िए की ख़बर दी कि मैं कल आपके पास आया था, मैंने तीन बार सलाम किया और फिर

वापस लौट गया। उमर फ़ारूक़ ने कहा कि हमने तुम्हारे सलाम की आवाज़ सुनी थी लेकिन हम उस वक़्त एक काम में मशग़ूल थे। तुम लगातार इजाज़त तलब करते रहते यहाँ तक कि तुमको इजाज़त दे दी जाती। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा कि मैंने आप से इतनी ही बार इजाज़त तलब की जितनी बार इजाज़त तलब करने के मुताल्लिक़ मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है। हज़रत उमर ने कहा- तुम इस हदीस पर कोई गवाह पेश करो। हज़रत उबई बिन कअ़ब ने कहा हम में से कमसिन (छोटी उम्र का) शख़्स भी इस पर गवाही दे सकता है।

ऐ अबू सईद तुम उठो (अबू सईद रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं) फिर मैं उठकर हज़रत उमर के पास गया और मैंने कहा कि मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को इसी तरह फ़रमाते हुए सुना है।

वज़ाहतः- तीन दफ़ा इजाज़त इस तरह तलब करें कि हर दफ़ा मुनासिब वक़्फ़ा (अन्तराल) हो, इसलिये कि अगर कोई घर वाला नमाज़ पढ़ रहा हो तो नमाज़ पूरी करके आपके लिये दरवाज़ा खोल दे।

हदीस 663. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर आवाज़ दी, नबी करीम ने फ़रमाया- कौन? मैंने कहा मैं हूँ। आप बाहर तशरीफ़ लाये, उस दौरान आप फ़रमा रहे थे "मैं मैं।"

वज़ाहतः- जब कोई शख़्स इजाज़त तलब करे और घर वाले पूछें कि तुम कौन हो तो इसके जवाब में "मैं" कहना बुरा है, क्योंकि उसके "मैं" कहने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, और जिस शक व अस्पष्टता की वजह से सवाल किया गया था वह इसी तरह बाक़ी रहेगा, इसलिये जवाब में फ़ुलाँ पुत्र फ़ुलाँ कहना चाहिये जैसा कि जब उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने इजाज़त तलब की और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने पूछा कौन है? तो उन्होंने जवाब में कहा- उम्मे हानी।

हदीस 664. हज़रत सहल बिन सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दरवाज़े की झिरी (बारीक सुराख़) से झाँक रहा था। उस वक़्त आपके पास कोई चीज़ थी

जिससे आप सर खुजला रहे थे। जब उसको रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने देखा तो फ़रमाया- अगर मुझे इल्म होता कि तुम मुझे देख रहे हो तो मैं इसको तुम्हारी आँखों में चुभो देता। आपने फ़रमाया- इजाज़त लेने का हुक्म देखने ही की वजह से तो मुक़र्रर किया गया है।

हदीस 665. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर कोई शख़्स तुम्हारी इजाज़त के बग़ैर तुम्हारे घर में झाँके और तुम उसकी आँख फोड़ दो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है।

वज़ाहतः- अजनबी के घर में झाँकना मना है और अगर घर वाला उस झाँकने वाले की आँख को फोड़ दे तो कोई हर्ज नहीं है, हालाँकि आँख फोड़ने की इस्लाम में दियत (जुर्माना) मुक़र्रर है मगर इस जुर्म की वजह से दियत ख़त्म हो जाती है।

हदीस 666. हज़रत जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से (अजनबी औ़रत पर) अचानक नज़र पड़ जाने के मुताल्लिक़ सवाल किया तो आपने मुझे नज़र हटाने का हुक्म दिया।

वज़ाहतः- अचानक नज़र पड़ जाने यानी बग़ैर इरादे के अजनबी औ़रत पर नज़र पड़ जाये तो इसमें कोई गुनाह नहीं और उस पर वाजिब है कि उसी वक़्त अपनी नज़र हटा ले। अगर उसने नज़र जमाये रखी तो वह इस हदीस की रू से गुनाहगार होगा क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उसको नज़र हटाने का हुक्म दिया है।

क़ुरआन मजीद में भी अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है-

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ.

तर्जुमाः- आप मुसलमानों से कह दीजिये कि वे अपनी नज़रें झुका कर रखें। (सूरः नूर 24, आयत 30)

सलाम का बयान

अल्लाह तआ़ला के पाक नामों में से एक नाम "सलाम" भी है।

हदीस 667. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सवार पैदल को, चलने वाला बैठने वाले को सलाम करे, और कम लोग ज़्यादा लोगों को सलाम करें।

वज़ाहतः- सलाम करना सुन्नत है और उसका जवाब देना वाजिब है। एक फ़र्द सलाम करे तो सब की तरफ़ से सलाम की सुन्नत अदा हो जायेगी और सुनने वालों में से एक शख़्स भी जवाब दे दे तो सब की तरफ़ से जवाब अदा हो जायेगा। अगर एक शख़्स को सलाम किया जाये तो फिर उसी शख़्स को सलाम का जवाब देना लाज़िम है।

हदीस 668. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुसलमान के मुसलमान पर छह हुक़ूक़ हैं। पूछा गया ऐ अल्लाह के रसूल! वो कौनसे हुक़ूक़ हैं? आपने फ़रमाया- जब तुम किसी मुसलमान से मिलो तो उसको सलाम करो, जब वह तुमको दावत दे तो उसकी दावत क़ुबूल करो, जब वह तुमसे नसीहत तलब करे तो उसको अच्छी नसीहत करो, जब वह छींक के बाद अल्हम्दु लिल्लाह कहे तो उसकी छींक का जवाब 'यर्‌हमुकल्लाह' से दो, जब वह बीमार हो जाये तो उसकी इयादत करो (बीमारी का हाल पूछो) और जब वह मर जाये तो उसकी नमाज़े जनाज़ा में जाओ।

हदीस 669. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि यहूदियों की एक जमाअ़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को सलाम करने के बजाय "अस्सामु अ़लै-क या अबुल्-क़ासिम" कहा। आपने फ़रमाया- "व अ़लैकुम"। हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने कहा- क्या आपने सुना उन्होंने क्या कहा है? आपने फ़रमाया- क्यों नहीं। मैंने सुना है और मैंने उनको (मुनासिब) जवाब भी दे दिया है। हमारी दुआ़ उनके ख़िलाफ़ क़ुबूल होगी और हमारे ख़िलाफ़ उनकी बद्दुआ़ क़ुबूल नहीं होगी।

वज़ाहतः- जब यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कहा "अस्सामु अ़लैकुम" (तुम पर मौत आये) तो आपने जवाब में "व अ़लैकुम" फ़रमाया। इसके मायने यह हैं कि "तुम पर भी आये।" यही

जवाब हमें भी देना चाहिये जब कोई ग़ैर-मुस्लिम हमें बद्दुआ दे।

हदीस 670. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- यहूदियों और ईसाईयों को सलाम करने में पहल न करो।

हदीस 671. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम लोगों के पास से गुज़रे तो आपने उनको सलाम किया।

वज़ाहतः- गुज़रने वाला अगरचे मर्तबे और उम्र में बड़ा हो तब भी बैठने वालों को सलाम करे, यही सुन्नत है।

हदीस 672. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पाक बीवियाँ रात को बाहर खुले मैदानों में इतिन्जे की ज़रूरत पूरी करने के लिये जाती थीं और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से यह अ़र्ज़ करते थे कि आप अपनी बीवियों को हिजाब (पर्दे) में रखिये। फिर अल्लाह तआ़ला ने पर्दे के अहकाम नाज़िल फ़रमा दिये।

वज़ाहतः- हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़्वाहिश (इच्छा) पर अल्लाह तआ़ला ने हिजाब का हुक्म नाज़िल फ़रमाया। अल्लाह तआ़ला का इरशाद है-

1. **तर्जुमाः-** ऐ नबी! अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और तमाम मोमिन औ़रतों से कह दीजिये कि (जब वे बाहर जायें) वे अपने ऊपर अपनी चादर लटका लिया करें। (सूरः अहज़ाब 33, आयत 59)

2. **तर्जुमाः-** (ऐ ईमान वालो!) जब तुम नबी की बीवियों से कोई चीज़ तलब करो (कोई सवाल करो) तो पर्दे के पीछे से तलब करो।

(सूरः अहज़ाब 33, आयत 53)

3. **तर्जुमाः-** मोमिन औ़रतों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करें और अपनी ज़ीनत (बनाव-सिंगार) की जगहों को ज़ाहिर न करें। (सूरः नूर 24, आयत 31)

पर्दे की हिक्मत और वजह यह है कि इससे मर्द और औ़रत दोनों

फ़ितने में मुब्तला होने से महफ़ूज़ रहें। वे देश जिनमें पर्दे का ख़्याल नहीं किया जाता है वहाँ बदकारियाँ खुली आँखों देखने में आती हैं।

हदीस 673. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- शौहर या मेहरम के सिवा कोई शख़्स किसी औ़रत के पास तन्हाई में रात न गुज़ारे।

वज़ाहतः- मेहरम से मुराद वह मर्द है जिससे कभी भी निकाह नहीं हो सकता हो मसलन बाप, बेटा, भाई, चचा वग़ैरह।

हदीस 674. हज़रत सफ़िया बिन्ते हुय्यि रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मस्जिद में एतिकाफ़ में बैठे थे। मैं रात को आपकी ज़ियारत के लिये आई। मैंने आप से कुछ बातें कीं, फिर मैं वापसी के लिये खड़ी हो गयी, आप भी मुझे रुख़्सत करने के लिये साथ चल दिये, उस वक़्त अन्सार के दो आदमियों के क़रीब से गुज़र हुआ। जब उन्होंने नबी करीम को देखा तो तेज़-तेज़ चलने लगे, आपने फ़रमाया- आहिस्ता चलो, यह सफ़िया बिन्ते हुय्यि हैं। उन दोनों ने कहा- सुब्हानल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल! (यानी हम भला आप पर कोई बदगुमानी कर सकते हैं) आपने फ़रमाया- शैतान इनसान की रगों में ख़ून की तरह दौड़ता है, मुझे यह शंका हुई कि वह तुम्हारे दिलों में कोई बदगुमानी न डाल दे।

वज़ाहतः- एतिकाफ़ के दौरान बीवी मुलाक़ात के लिये आ सकती है मगर ज़्यादा देर न बैठे ताकि एतिकाफ़ में ख़लल न पड़े।

हदीस 675. हज़रत अबू वाक़िद लैसी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फ़रमा थे और सहाबा किराम आपके पास बैठे हुए थे। इतने में तीन आदमी आये उनमें से दो रसूले अकरम की तरफ़ चले आये और एक वापस चला गया। वे दोनों रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास खड़े रहे, उनमें से एक शख़्स ने मजलिस में जहाँ गुंजाईश देखी वहाँ जाकर बैठ गया, दूसरा सबसे पीछे बैठ गया और तीसरा वापस चला गया। जब रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़ारिग़ हुए तो आपने फ़रमाया- क्या मैं तुमको इन तीन आदमियों के बारे में न बताऊँ? इनमें से एक ने अल्लाह की पनाह

ली तो अल्लाह तआ़ला ने उसको पनाह दे दी, और दूसरे ने (आगे जगह हासिल करने में) शर्म की तो अल्लाह तआ़ला ने भी उससे हया की, और तीसरे ने (वअ़ज़ व नसीहत सुनने से) मुँह फेर लिया तो अल्लाह तआ़ला ने भी उससे मुँह फेर लिया।

हदीस 676. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कोई शख़्स किसी दूसरे शख़्स को उसकी जगह से उठाकर वहाँ न बैठे बल्कि मजलिस में (दूसरे के लिये) कुशादगी और वुस्अ़त (जगह खोलने) से काम लो।

वज़ाहतः- नमाज़ियों को चाहिये कि अव्वल पहली सफ़ में ख़ाली जगह न छोड़ें और फिर इसी तरह बाद वाली सफ़ों में भी। मस्जिद में लोगों के कन्धों को फलाँग कर आगे जाकर बैठना या कम जगह में ज़बरदस्ती बैठना मना है, लेकिन पहले से बैठे हुए नमाज़ियों को चाहिये कि वे ख़ुद दूसरों को बैठने के लिये जगह दे दें, ख़ास तौर पर जब मस्जिद भर चुकी हो।

हदीस 677. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से कोई शख़्स (किसी मजलिस में बैठा हुआ हो और फिर) किसी काम से चला जाये और उसके बाद फिर उस मजलिस की तरफ़ लौटे तो वह उस जगह का ज़्यादा हक़दार है (जहाँ वह बैठा हुआ था)।

हदीस 678. हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम तीन आदमी हो तो अपने एक साथी को छोड़कर दो आपस में सरगोशी (चुपके-चुपके बातें) न करें, क्योंकि यह अ़मल उस (तीसरे आदमी) को ग़मगीन कर देगा।

वज़ाहतः- किसी मजलिस में दो लोगों का आपस में आहिस्ता-आहिस्ता बातें करना ग़ैर-इस्लामी अ़मल है, इसलिये कि कोई और आदमी यह सोच सकता है कि ये लोग मेरे ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं।

हदीस 679. हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जिब्रील अ़लैहिस्सलाम ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आकर कहा- ऐ मुहम्मद! क्या आप बीमार हैं? आपने फ़रमाया- जी हाँ।

जिब्रील अ़लैहिस्सलाम ने ये कलिमात कहे-

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُّؤْذِيْكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْعَيْنِ حَاسِدٍ اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ.

तर्जुमाः- मैं आपको हर तकलीफ़ देने वाली चीज़ के शर (बुराई) से, हर नफ़्स और हर जलने वाली आँख के नुक़सान से अल्लाह के नाम के साथ दम करता हूँ। अल्लाह तआ़ला आपको शिफ़ा अ़ता फ़रमाये, मैं आपको अल्लाह के नाम के साथ दम करता हूँ।

हदीस 680. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- नज़र का लग जाना बरहक़ है, अगर कोई चीज़ तक़दीर पर आगे बढ़ सकती है तो वह नज़र है। जब भी (नज़र के इलाज के लिये) गुस्ल करने के लिये कहा जाये तो गुस्ल कर लो।

वज़ाहतः- बुरी नज़र का एक इलाज यह भी है कि जिसकी नज़र लग जाये तो उसको गुस्ल करवाकर गुस्ल वाले पानी से नज़र वाले को नहलाया जाये। (मिश्कात)

हदीस 681. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि क़बीला बनू ज़ुरैक़ के यहूदियों में से लबीद बिन आसम ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर जादू कर दिया तो (जादू के असर से) आपको यह ख़्याल आता कि मैं यह काम कर रहा हूँ हालाँकि आप वह काम नहीं कर रहे होते थे। यहाँ तक कि एक दिन आपने दुआ़ की, फिर दोबारा दुआ़ की, फिर तीसरी बार दुआ़ की, फिर फ़रमाया कि ऐ आ़यशा! क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जो कुछ मैंने अल्लाह तआ़ला से पूछा था वह अल्लाह तआ़ला ने मुझे बतला दिया है। मेरे पास दो आदमी आये उनमें से एक मेरे सिरहाने बैठ गया और दूसरा मेरे पैरों की जानिब बैठ गया, जो शख़्स मेरे सिरहाने बैठा था उसने पैरों की जानिब बैठने वाले से पूछा कि इस शख़्स को क्या तकलीफ़ है? दूसरे ने कहा कि इन पर जादू किया गया है। पहले ने कहा किसने जादू किया है? दूसरे ने कहा कि लबीद बिन आसम (यहूदी) ने, पहले ने कहा कि किस चीज़ में जादू किया है? दूसरे ने

कहा कंघी और कंघी से झड़ने वाले बालों में खजूर के ख़ोशे (गुच्छे) के ग़िलाफ़ में, पहले ने कहा कि ये चीज़ें कहाँ हैं? दूसरे ने कहा कि ज़ी अरवान के कुएँ में।

रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपने चन्द सहाबा के साथ उस कुएँ पर गये। आपने फ़रमाया- ऐ आ़यशा! अल्लाह की क़सम, उस कुएँ का पानी मेहंदी की तरह सुर्ख़ था और वहाँ (कुएँ के गिर्द) खजूर के दरख़्त शैतानों के सर की तरह थे। मैंने कहा- ऐ अल्लाह रसूल! आपने उसको जला क्यों न दिया? आपने फ़रमाया- नहीं, अल्लाह तआ़ला ने मुझे अच्छा कर दिया, मैं लोगों में फ़साद भड़काने को बुरा समझता हूँ इसलिये मैंने उसको दफ़न करने का हुक्म दिया।

वज़ाहतः- नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर जादू उस वक़्त हुआ जब क़ुरआने करीम की आख़िरी दो सूरतें (सूरः फ़लक़ और सूरः नास) नाज़िल नहीं हुईं थीं। जब ये नाज़िल हुईं आपने इनकी एक-एक आयत को पढ़ना शुरू किया तो जादू की गाँठें खुलती गयीं और फिर आपने सुबह व शाम ये दो सूरतें वज़ीफ़े में शामिल कर लीं। इसके बाद कभी भी जादू का असर न हुआ। आप भी सुबह व शाम यह वज़ीफ़ा पाबन्दी से पढ़ें ताकि जादू से महफ़ूज़ रहें, अल्लाह के हुक्म से।

हदीस 682. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि जब हम में से कोई शख़्स बीमार होता तो रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उस पर अपना दायाँ हाथ फेरते, फिर फ़रमाते-

اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَا شِفَآءَ اِلَّا شِفَآءُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا.

तर्जुमाः- ऐ लोगों के रब! तकलीफ़ को दूर कर दीजिये, शिफ़ा दीजिये, आप ही शिफ़ा देने वाले हैं, आपकी शिफ़ा के बग़ैर कोई शिफ़ा नहीं है, ऐसी शिफ़ा दीजिये जिस से बीमारी बिल्कुल बाक़ी न रहे।

फिर जब रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बीमार हुए तो मैं आपका हाथ लेकर उसे आपकी तरह आपके जिस्म पर फेरने लगी। (एक

दिन) आपने हाथ छुड़ा लिया और फ़रमाया-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِیْ وَاجْعَلْنِیْ مَعَ الرَّفِیْقِ الْاَعْلٰی.

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह मुझे बख़्श दीजिये और मुझे रफ़ीक़े आला (यानी अल्लाह) से मिला दीजिये। फिर मैंने देखा तो आप इन्तिक़ाल फ़रमा चुके थे।

हदीस 683. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि जब रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के घर वालों में से कोई बीमार होता तो आप सूरः फ़लक़ और सूरः नास-

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ.

(पूरी) पढ़कर उस पर दम करते थे। जब आप अपनी वफ़ात वाली बीमारी (वह बीमारी जिसमें आपका इन्तिक़ाल हुआ) में मुब्तला थे तो मैं आप पर दम करती और आपके हाथ को आप पर फेरती, क्योंकि आपके हाथ में मेरे हाथ से ज़्यादा बरकत थी।

वज़ाहतः- ये दोनों सूरतें हर बीमारी का इलाज है, आप भी पढ़कर अपने ऊपर और अपने मरीज़ों पर दम कीजिए।

हदीस 684. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि जब कोई बीमार होता या उसको कोई फोड़ा-फुंसी या ज़ख़्म होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपनी शहादत की उंगली को अपने मुँह के लुआ़ब (थूक) से गीला करके ज़मीन पर रखकर उठाते और फ़रमाते—

بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِیْقَةِ بَعْضِنَا لِیُشْفٰی بِهٖ سَقِیْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا .

बिस्मिल्लाहि तुर्‌बतु अर्‌ज़िना बिरीक़ति बअ़्ज़िना लियुश्फ़ा बिही सक़ीमुना बि-इज़्नि रब्बिना।

तर्जुमाः- अल्लाह के नाम से, हमारी ज़मीन की मिट्टी, हम में से किसी के मुँह के लुआ़ब (थूक) से हमारा बीमार अल्लाह तआ़ला के हुक्म से शिफ़ा पायेगा।

वज़ाहतः- ऊपर लिखी गयी दुआ़ हर क़िस्म के फोड़े-फुंसी का इलाज

है। अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये हमारी किताब "बीमारियाँ और उनका इलाज मय तिब्बे नबवी" भाग अव्वल ता भाग छह।

हदीस 685. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हमें नज़र लगने की तकलीफ़ में दम कराने का हुक्म देते थे।

हदीस 686. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बुरी नज़र, बुख़ार और पहलू के फोड़े में दम करने की इजाज़त दी थी।

वज़ाहतः- नज़र लगने, फोड़े-फुंसी, बुख़ारी, पीलिया, बिच्छू और साँप वग़ैरह के डस लेने पर दम करना जायज़ है, लेकिन शर्त यह है कि दम के कलिमात के मायने मालूम हों। अपरिचित और ग़लत अलफ़ाज़ या शिर्किया अलफ़ाज़ से दम करना जायज़ नहीं है। यानी उन दुआ़ वाले अलफ़ाज़ से दम करना चाहिये जिनकी आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तालीम दी है।

हदीस 687. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम में से एक शख़्स को बिच्छू ने डंक मारा, उस वक़्त हम रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास बैठे हुए थे। एक शख़्स ने कहा- ऐ अल्लाह के रसूल! मैं दम करूँ? आपने फ़ररमाया- तुम में से जो शख़्स अपने भाई को फ़ायदा पहुँचा सकता हो वह इसको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाये।

वज़ाहतः- अगर किसी शख़्स से दम करने की दरख़्वास्त की जाये तो उसे दम करना चाहिये बशर्ते कि उसे बीमारी के लिये दम करने की मस्नून दुआ़ओं के अलफ़ाज़ मालूम हों।

हदीस 688. हज़रत औ़फ़ बिन मालिक अश्जई रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम जाहिलीयत (इस्लाम से पहले) ज़माने में दम करते थे। हमने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! इस बारे में आपका क्या इरशाद है? रसूले करीम ने फ़रमाया- अपने कलिमात मुझे सुनाओ, अगर शिर्किया कलिमात न हों तो दम करने में कोई हर्ज नहीं है।

वज़ाहतः- शिर्किया दम करने और कराने से बचिये, यह हराम है।

हदीस 689. हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि चन्द सहाबा किराम सफ़र पर गये। अ़रब के किसी क़बीले के पास से उनका गुज़र हुआ, सहाबा ने उनसे मेहमान-नवाज़ी चाही, उन्होंने मेहमान- नवाज़ी करने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने सहाबा से पूछा- क्या तुम में कोई दम करने वाला है? इसलिये कि क़बीले के सरदार को बिच्छू ने डस लिया है। सहाबा में से एक सहाबी ने कहा- हाँ मुझे दम करना आता है। फिर वह सहाबी उस सरदार के पास गये और सूरः फ़ातिहा पढ़कर उस पर दम किया तो वह सरदार ठीक हो गया और उनको बकरियों का एक रेवड़ दिया। फिर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास जाकर इसका ज़िक्र किया और कहा ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने सूरः फ़ातिहा के सिवा और किसी चीज़ का दम नहीं किया। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मुस्कुराये और फ़रमाया- तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि यह दम वाली सूरत है? इन बकरियों को ले लो और इनमें से मेरा हिस्सा भी निकालो।

वज़ाहतः- क़ुरआन मजीद और दूसरे मस्नून ज़िक्र व दुआ़ से दम करने पर अगर दम करने वाला अपनी ख़ुशी से कोई हदिया दे तो उसका लेना जायज़ है।

हदीस 690. हज़रत उस्मान बिन अबिल्-आ़स सक़फ़ी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने जब रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से शिकायत की कि जब से मैं इस्लाम लाया हूँ मेरे जिस्म में दर्द होता है। रसूले अकरम ने फ़रमाया- तुम्हारे जिस्म में जहाँ दर्द है वहाँ हाथ रखो और तीन बार "बिस्मिल्लाह" कहो और सात बार यह दुआ़ माँगो-

اَعُوْذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَآ اَجِدُ وَاُحَاذِرُ.

अऊ़ज़ु बिल्लाहि व क़ुद्रतिही मिन् शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु।

तर्जुमाः- मैं अल्लाह की ज़ात और क़ुदरत से इस चीज़ के शर से पनाह माँगता हूँ जिसको मैं महसूस करता हूँ और मैं जिससे डरता हूँ।

वज़ाहतः- हर दर्द के लिये उपरोक्त अ़मल कीजिये, इन्शा-अल्लाह शिफ़ा हासिल होगी।

हदीस 691. हज़रत उस्मान बिन अबिल्-आस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! शैतान मेरे और मेरी नमाज़ के दरमियान रुकावट हो जाता है और मुझ पर क़िराअत को संदिग्ध कर देता है। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उस शैतान को "ख़िन्ज़ब" कहा जाता है। जब तुम उसको महसूस करो तो शैतान से अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त की पनाह माँगो और बायीं जानिब तीन बार थुतकारो। मैंने इसी तरह किया तो अल्लाह तआ़ला ने उस शैतान को मुझसे दूर कर दिया।

वज़ाहतः- वस्वसे (शैतानी ख़्यालात) जो नमाज़ में आयें (या नमाज़ के अ़लावा) तो वहाँ रुककरः

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़िये और अपनी बायीं तरफ़ तीन बार बहुत हल्की आवाज़ से थुतकारिये और फिर उस जगह से नमाज़ शुरू कर दीजिए जहाँ आप रुक गये थे। इसी तरह जब आपके दिल में बुरे ख़्यालात आयें तो फ़ौरन बार-बारः

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ते रहिये जब तक कि बुरे ख़्यालात आने बन्द न हो जायें। यही इलाज गुस्से का भी है। गुस्सा आने पर बार-बार यह पढ़ते रहिये जब तक गुस्सा ख़त्म न हो जाये। यह बेहतरीन दुआ क़ुरआन की आयत भी है। अधिक मालूमात के लिये पढ़िये सूरः आराफ़ 7, आयत 200 और सूरः नहल 16, आयत 98।

हदीस 692. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हर बीमारी की दवा है जब दवा बीमारी के मुवाफ़िक़ हो जाती है तो अल्लाह तआ़ला के हुक्म से शिफ़ा हो जाती है।

हदीस 693. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने

मुक़न्ना रज़ियल्लाहु अ़न्हु की इयादत (मिज़ाज पुर्सी) की, फिर कहा- मैं यहाँ से उस वक़्त तक नहीं जाऊँगा जब तक कि तुम सींगी न लगवा लो, क्योंकि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है कि उसमें शिफ़ा है।

हदीस 694. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को फ़रमाते हुए सुना कि अगर तुम्हारी दवाओं में से किसी में भलाई हो तो वह पछने लगवाने (नश्तर लगवाकर ख़राब ख़ून और पीप निकलवाने) और शहद में है।

हदीस 695. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने पछने लगवाये और लगाने वाले को उसकी मज़दूरी दी, और नाक में दवाई डाली।

वज़ाहतः- मालूम हुआ कि इलाज करना सुन्नत है।

हदीस 696. हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बुख़ार की तेज़ी जहन्नम के जोश से है, उसको पानी से ठण्डा करो।

वज़ाहतः- यह इलाज सिर्फ़ गर्मी के बुख़ार में मुफ़ीद है।

हदीस 697. हज़रत उम्मे क़ैस बिन्ते मिहसन रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि मैं अपने दूध पीते बच्चे को लेकर रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुई, उसने आपके ऊपर पेशाब कर दिया। आपने पानी मंगाकर उस पर बहा दिया, फिर मैं अपने एक और बच्चे को आपकी ख़िदमत में लेकर गयी जिसका मैंने बीमारी में तालू दबाया था इसलिये कि उसके तालू में वरम था, आपने फ़रमाया- तुम अपने बच्चों का तालू क्यों दबाती हो? तुम ऊद हिन्दी से इलाज करो, उसमें सात बीमारियों से शिफ़ा है। उनमें से नमूनिया भी है। तालू की बीमारी में नाक से दवा डाली जाये और नमूनिये में मुँह से दवा डाली जाये।

वज़ाहतः- 'ऊद हिन्दी' एक दवा है जो हकीम से मिल जाती है, उसमें अल्लाह तआ़ला ने कई बीमारियों की शिफ़ा रखी है। इलाज की तफ़सील के लिये अच्छे हकीम से संपर्क कीजिये।

हदीस 698. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में एक शख़्स ने हाज़िर होकर अ़र्ज़ किया- मेरे भाई को इस्हाल (दस्त) लग गये हैं। आपने फ़रमाया- उसको शहद पिलाओ। उसने शहद पिलाया फिर आकर कहा- मैंने शहद पिलाया था उसके दस्त और बढ़ गये हैं। आपने तीन बार उससे यही फ़रमाया। जब वह चौथी बार आया तो आपने फिर फ़रमाया- उसको शहद पिलाओ। उसने कहा कि मैंने उसको शहद पिलाया था मगर उसके दस्त और बढ़ गये हैं। आपने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला का क़ौल सच्चा है और तुम्हारे भाई का पेट झूठा है। फिर उसने अपने भाई को शहद पिलाया तो उसको शिफ़ा हो गयी।

वज़ाहतः- शहद के इस्तेमाल से पहले पेट साफ़ होता है और उस सफ़ाई के लिये चन्द बार शहद पीना ज़रूरी है, फिर दस्त रुक जाते हैं। यह बहुत सी बीमारियों का इलाज है। अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है- "इसमें (शहद में) लोगों के लिये शिफ़ा है।" सूरः नहल 16, आयत 69।

हदीस 699. हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ताऊन एक अ़ज़ाब है जिसको अल्लाह तआ़ला ने बनी इस्राईल पर भेजा था। लिहाज़ा जिस इलाक़े के मुताल्लिक़ तुम ताऊन (प्लेग फैलने) की ख़बर सुनो वहाँ मत जाओ, और अगर तुम्हारे इलाक़े में ताऊन आ जाये तो तुम वहाँ से भाग कर न निकलो।

हदीस 700. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मर्ज़ के मुतअ़द्दी होने (फैलने वाली बीमारियाँ) और सफ़र की नहूसत और हामा की कोई हक़ीक़त नहीं है। एक देहाती ने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! क्या वजह है कि ऊँट रेत में हिरनों की तरह (साफ़) होते हैं फिर उनमें कोई ख़ारिश (खुजली) वाला ऊँट आता है जो उन बाक़ी ऊँटों को भी ख़ारिश लगा देता है। आपने फ़रमाया- पहले ऊँट को बीमारी लगाने वाला कौन है?

वज़ाहतः- जिस तरह पहले ऊँट को अल्लाह तआ़ला के हुक्म से

बीमारी लगी थी इसी तरह दूसरे ऊँटों को भी अल्लाह के हुक्म ही से बीमारी लगी।

हदीस 701. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कोई बीमारी मुतअ़द्दी (फैलने वाली) नहीं होती, न ही उल्लू (की नहूसत) न ही सितारे (की वजह से बारिश) और न ही सफ़र (के महीने की नहूसत) की कोई हक़ीक़त है।

हदीस 702. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कोई बीमारी मुतअ़द्दी नहीं होती, और न कोई बदशगूनी है लेकिन नेक शगुन लेना मुझे पसन्द है। आप से अ़र्ज़ किया गया- अच्छा शगुन लेना क्या है? आपने फ़रमाया- अच्छी बात।

वज़ाहतः- बुरा शगुन लेना और बदफ़ाली बुरी बातों में इस्तेमाल होते हैं, मसलन यह अ़क़ीदा रखना कि इस चीज़ से नुक़सान होगा। और नेक फ़ाल अच्छी चीज़ों में इस्तेमाल होती है मसलन किसी बीमार के पास कोई कहे—

سَالِمٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ.

तो इससे अच्छा मतलब लेना कि यह बीमारी से तन्दुरुस्त हो जायेगा।

हदीस 703. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर नहूसत किसी चीज़ में होती तो मकान, औ़रत, ख़ादिम और घोड़े में होती।

वज़ाहतः- नहूसत किसी चीज़ में नहीं है, इस रिवायत में नहूसत से मुराद इन चीज़ों की ख़राबी है, मसलन मकान की ख़राबी यह है कि उसका पड़ोस अच्छा न हो, औ़रत की ख़राबी यह है कि वह बाँझ हो या बदज़ुबान हो, ख़ादिम की ख़राबी यह है कि वह बुरे अख़्लाक़ वाला हो और घोड़े की ख़राबी यह है कि उससे जिहाद का काम न लिया जाये।

हदीस 704. हज़रत मुआ़विया बिन हकीम सलमी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! हम जाहिलीयत के ज़माने में काहिनों (नजूमियों) के पास जाते थे। आपने फ़रमाया- तुम

काहिनों के पास न जाया करो। मैंने अ़र्ज़ किया- हम बदशगूनी लेते थे। आपने फ़रमाया- यह (बुरा शगुन लेना) महज़ तुम्हारे दिल का एक ख़्याल है तुम ऐसा न करो (बदशगूनी न लो)।

हदीस 705. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि मैंने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! काहिन (नजूमी) हम से कुछ बातें बयान करते जिन्हें हम वैसा ही पाते थे। आपने फ़रमाया- वह एक सच्ची बात होती है जिसको कोई जिन्न (फ़रिश्तों से) उचक लेता है, फिर उसे अपने काहिन के कान में कह देता है और वह काहिन उस (एक सच) में सौ झूठ मिला देता है।

हदीस 706. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक अन्सारी ने बयान किया कि एक रात वह रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास बैठे हुए थे कि एक सितारा टूटा और उसकी रोशनी फैली। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जाहिलीयत (इस्लाम से पहले) के ज़माने में तुम इस हादसे के मुताल्लिक़ क्या कहते थे? सहाबा किराम ने अ़र्ज़ किया- हम तो यह कहते थे कि आज रात कोई बहुत बड़ा आदमी पैदा होगा या कोई बहुत बड़ा आदमी मर गया है। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सितारा इस वजह से नहीं टूटता कि कोई मरता है या पैदा होता है, बल्कि हमारा रब जब किसी चीज़ का फ़ैसला करता है तो अ़र्शे इलाही को उठाने वाले फ़रिश्ते "सुब्हानल्लाह" कहते हैं फिर उनके क़रीब वाले फ़रिश्ते "सुब्हानल्लाह" कहते हैं यहाँ तक कि उनकी तस्बीह दुनिया वाले आसमान के फ़रिश्तों तक पहुँचती है। फिर अ़र्शे इलाही को उठाने वाले फ़रिश्तों के क़रीब वाले उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या फ़रमाया है? वे ख़बर देते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने यह फ़रमाया है, फिर आसमान के फ़रिश्ते दूसरों को बताते हैं यहाँ तक कि दुनिया वाले आसमान तक यह ख़बर पहुँचती है। फिर जिन्न (शैतान) उस सुनी हुई बात को ले उड़ते हैं (इस पर फ़रिश्ते कोड़ा फेंकते हैं जो हमें सितारा टूटता हुआ नज़र आता है) और (काहिनों के) कानों में डाल देते हैं। वे उसी तरह ख़बर दें तो वह सच होती है लेकिन

वे (काहिन लोग) उसमें अपनी मर्ज़ी से कुछ मिला देते हैं (जिसमें से कुछ बातें सच्ची होती और कुछ झूठी निकलती हैं)।

हदीस 707. हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस शख़्स ने काहिन (नजूमी, भविष्य की बातें बताने वाले) के पास जाकर कोई बात पूछी उसकी चालीस दिन तक नमाज़ें क़ुबूल नहीं होंगी।

वज़ाहतः- काहिनों के पास जाना और उनकी बातों पर यक़ीन करना मना है।

साँप और दूसरे ज़मीनी कीड़ों-मकोड़ों को मारने के शरई हुक्मों का बयान

हदीस 708. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दो धारियों वाले साँप को क़त्ल करने का हुक्म दिया क्योंकि वह आँखों की रोशनी को ख़त्म कर देता है और हमल गिरा देता है।

हदीस 709. हज़रत अबू साईब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं हज़रत अबू सईद के घर गया तो देखा कि वह नमाज़ पढ़ रहे थे, मैं बैठकर उनके नमाज़ से फ़ारिग़ होने का इन्तिज़ार करने लगा। इतने में घर के कोने में रखी हुई लकड़ियों से हरकत की आवाज़ आई, मैंने मुड़कर देखा तो एक साँप था। मैं उसको क़त्ल करने के लिये लपका, हज़रत अबू सईद ख़ुदरी ने मुझे बैठने का इशारा किया तो मैं बैठ गया। जब वह नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो उन्होंने मकान की एक कोठरी की तरफ़ इशारा किया और कहा कि क्या तुम इसको देख रहे हो? मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा कि इस कोठरी में हमारा एक नौजवान रहता था जिसकी नई-नई शादी हुई थी। जब हम रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ ख़न्दक़ की तरफ़ गये तो वह नौजवान दोपहर के वक़्त आप से इजाज़त लेकर अपने घर आ जाता था। एक दिन उसने इजाज़त तलब की तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व

सल्लम ने फ़रमाया- अपने हथियार लेकर जाओ क्योंकि मुझे तुम पर बनू क़ुरैज़ा (के हमले) का डर (शंका) है, वह नौजवान अपने हथियार लेकर चला गया। जब वह घर पहुँचा तो देखा कि उसकी बीवी दरवाज़े की चौखट पर खड़ी है। उसने ग़ैरत में आकर उसको नेज़ा मारने का इरादा किया, उस औरत ने कहा अपने नेज़े को रोको और घर के अन्दर जाकर देखो, तुम्हें मालूम हो जायेगा कि मैं किस वजह से बाहर खड़ी हूँ। जब वह अन्दर गया तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा साँप बिस्तर पर बैठा है। उस नौजवान ने उस साँप को मारने का इरादा किया और नेज़ा उस साँप में घोंप दिया। फिर बाहर निकलकर वह नेज़ा मकान में गाड़ दिया। वह साँप ज़ख़्मी हालत में उस जवान पर लिपट गया और यह पता न चल सका कि साँप पहले मरा या वह नौजवान। फिर हमने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर इस वाक़िए का ज़िक्र किया। हमने अ़र्ज़ किया कि आप अल्लाह तआ़ला से दुआ़ कीजिए कि अल्लाह उसको ज़िन्दा कर दे। आपने फ़रमाया- अपने साथी के लिये अल्लाह तआ़ला से इस्तिग़फ़ार करो। फिर फ़रमाया- मदीने में रहने वाले जिन्नात मुसलमान हो गये हैं। पस जब तुम उन साँपों में से किसी को देखो तो उनको तीन दिन तक ख़बरदार करो, उसके बाद भी अगर वही साँप दिखाई दे तो उसको क़त्ल कर दो क्योंकि वह शैतान है।

वज़ाहतः- जिन्नात साँपों की शक्ल इख़्तियार कर लेते हैं इसलिये पहले उन्हें ख़बरदार करें, अगर वह जिन्न हुआ तो चला जायेगा और साँप हुआ तो नहीं जायेगा, फिर उसे मार डालो।

हदीस 710. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जिस शख़्स ने पहली चोट में गिरगिट और छिपकली को क़त्ल कर दिया उसके लिये सौ नेकियाँ लिखी जायेंगी, और जिसने दूसरी चोट में मारा उसके लिये उससे कम नेकियाँ लिखी जायेंगी और तीसरी चोट में उससे कम।

वज़ाहतः- नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने गिरगिट को मारने का हुक्म दिया है और सवाब की ख़ुशख़बरी देकर उसको मारने पर तवज्जोह व रुचि दिलाई है, क्योंकि यह तकलीफ़ देने वाले जानवरों में से

है। पहली चोट में उसको मारने का ज़्यादा सवाब इसलिये ज़िक्र फ़रमाया है ताकि उसको मारने की अहमियत ज़ाहिर हो और लोग उसको मारने पर एक-दूसरे से आगे बढ़ें, क्योंकि अगर हल्की चोट लगाकर उसको कई चोटों से मारा जायेगा तो बहुत सी बार वह बचकर भाग निकलेगा, और उसे ज़रूर मारने की वजह यह है कि यह इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम पर भड़काई गयी आग में फूँकें मारकर उसे तेज़ करने की कोशिश करता था। (मिश्कात)

हदीस 711. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- (पहले) नबियों में से एक नबी को किसी चींटी ने काट लिया। उन्होंने चींटी की पूरी बस्ती जलाने का हुक्म दे दिया। अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त ने उन पर वही नाज़िल फ़रमाई कि एक चींटी के काटने की वजह से आपने अल्लाह की मख़्लूक़ के एक गिरोह को हलाक कर दिया जो कि अल्लाह की तस्बीह करता था।

वज़ाहतः- चींटियों को नहीं मारना चाहिये।

हदीस 712. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- एक औ़रत को बिल्ली के सबब अ़ज़ाब दिया गया। उसने बिल्ली को बाँधकर रखा यहाँ तक कि वह मर गयी, वह औ़रत इस सबब से जहन्नम में दाख़िल की गयी। जब उस औ़रत ने बिल्ली को बाँधा तो उसको न खिलाया न पिलाया और न उसको कीड़े-मकोड़े खाने के लिये आज़ाद किया।

वज़ाहतः- वह औ़रत मुसलमान थी और बिल्ली को सताने की वजह से उसको जहन्नम में अ़ज़ाब दिया गया, और यह महज़ छोटा गुनाह नहीं है बल्कि इस पर अड़े रहने और बराबर करने की वजह से यह बड़ा गुनाह हो गया।

हदीस 713. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- एक शख़्स जा रहा था उसको रास्ते में तेज़ प्यास लगी, उसने एक कुआँ देखा और उसमें उतरकर पानी पिया। जब वह कुएँ से निकला तो उसने देखा कि एक कुत्ता प्यास की वजह से कीचड़ चाट रहा है और हाँप रहा है। उस शख़्स ने सोचा इस

कुत्ते की भी प्यास से वही हालत हो रही है जो मेरी हालत हो रही थी। पस वह कुएँ में उतरा और अपने चमड़े के मौज़े में पानी भरा, फिर उस मौज़े को मुँह से पकड़कर ऊपर चढ़ा और कुत्ते को पानी पिला दिया। अल्लाह तआ़ला ने उसकी यह नेकी क़ुबूल की और उसको बख़्श दिया। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! क्या इन जानवरों में भी हमारे लिये अज्र है? आपने फ़रमाया- हर तर जिगर वाले में अज्र है।

वज़ाहतः- हर प्राणी और हर जानदार की ख़िदमत करने पर सवाब है। इसलिये जानवरों, परिन्दों और दरख़्तों की ख़िदमत करते रहिये, कम से कम रोज़ाना उनके लिये पानी का इन्तिज़ाम करें।

अदब का बयान

हदीस 714. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने इरशाद फ़रमाया- मुझे आदम का बेटा तकलीफ़ देता है, वह कहता है कि हाय ज़माने की नामुरादी। सो तुम में से कोई न कहे कि "हाय ज़माने की नामुरादी" क्योंकि ज़माना (का पैदा करने वाला) मैं हूँ रात और दिन को मैं बदलता रहा हूँ और जब मैं चाहूँगा उनको क़ब्ज़ कर लूँगा।

वज़ाहतः- एक और हदीसे क़ुद्सी में अल्लाह तआ़ला का यह इरशाद- "मैं ज़माना हूँ और ज़माने में ज़ाहिर होने वाली घटनाओं का ख़ालिक़ हूँ" से भी यही मुराद है। जाहिलीयत के ज़माने में लोगों की यह आ़दत थी कि जब कोई ख़ौफ़नाक हादसा होता तो वे ज़माने को बुरा कहते थे। आपने फ़रमाया- ज़माने को बुरा मत कहो क्योंकि जिन मुसीबतों और हादसों की बिना पर तुम ज़माने को बुरा कह रहे हो वो तमाम हादसे तो अल्लाह तआ़ला के पैदा किये हुए हैं, क्योंकि वही हर चीज़ का ख़ालिक़ (पैदा करने वाला) है।

हदीस 715. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से कोई ज़माने

को गाली न दे क्योंकि अल्लाह तआ़ला ही (ख़ालिक़े) ज़माना है, और न तुम में से कोई अंगूर को करम (इज़्ज़त वाला) कहे क्योंकि करम तो मुसलमान आदमी होता है।

वज़ाहतः- इस्लाम से पहले ज़माने में अ़रब के लोग अंगूर को करम कहते थे और वजह यह बताते थे कि अंगूरी शराब पीने से आदमी में सख़ावत व हिम्मत और करम के गुण और सिफ़तें पैदा होती हैं। जब शराब को हराम क़रार दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अंगूर को करम कहने से भी मना फ़रमा दिया।

हदीस 716. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से कोई शख़्स (किसी को) मेरा बन्दा और मेरी बन्दी न कहे, तुम सब अल्लाह के बन्दे हो और तुम्हारी तमाम औ़रतें अल्लाह की बन्दियाँ हैं, अलबत्ता यूँ कह सकते हो कि मेरा ग़ुलाम, मेरी बाँदी, मेरा नौकर और मेरी नौकरानी।

हदीस 717. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से कोई यह न कहे कि मेरा नफ़्स ख़बीस हो गया है बल्कि चाहिये कि यह कहे "मेरा नफ़्स सुस्त हो गया है।"

वज़ाहतः- अपने आप को या किसी दूसरे मुसलमान को ख़बीस कहना या गाली देना बुरा-भला कहना जायज़ नहीं है।

हदीस 718. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस शख़्स को रैहान (फूल) दिया जाये वह उसको वापस न करे क्योंकि उसमें कोई बोझ नहीं और उसकी ख़ुशबू पाकीज़ा है।

हदीस 719. हज़रत नाफ़ेअ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत इब्ने उमर जब धूनी लेते तो कभी ऊद की धूनी लेते जिसमें और किसी चीज़ को न मिलाते और कभी ऊद में काफ़ूर मिला लेते थे। फिर फ़रमाया कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम भी इसी तरह धूनी लेते थे।

वज़ाहतः- ऊद ख़ुशबू को जलाकर उसका धुआँ लेना चाहिये, क्योंकि

यह धुआँ इनसान के लिये राहत का सबब होता है जिस तरह आजकल अगरबत्ती जलाकर माहौल को सुगंधित (खुशबूदार) किया जाता है।

अश्आ़र का बयान

हदीस 720. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अ़रब के शायरों के कलाम में से लबीद शायर का शे'र सबसे बेहतरीन शे'र है:

اَلَا كُلُّ شَیْءٍ مَّا خَلَا اللّٰهَ بَاطِلٌ

सुनो अल्लाह के सिवा हर चीज़ फ़ानी है।

वज़ाहतः- लबीद के शे'रों में चूँकि अल्लाह के एक होने और मौत के बाद दोबारा ज़िन्दा होने का मफ़्हूम (मतलब बयान हुआ) है इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उसके अश्आ़र को अच्छा क़रार दिया और उन अश्आ़र को सुनने की फ़रमाईश की। जिन शे'रों में बेहयाई की बातें न हों उनका पढ़ना और सुनना जायज़ है, मगर इस क़िस्म के शे'रों में भी बहुत ज़्यादा मशग़ूल रहना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता थोड़ी संख्या में अच्छे अश्आ़र पढ़ना, सुनना और उनको याद रखना जायज़ है। शिर्किया अश्आ़र से ज़रूर परहेज़ करें।

हदीस 721. हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस शख़्स ने चौसर (एक खेल) खेला उसने गोया अपने हाथों को ख़िन्ज़ीर (सुअर) के ख़ून और गोश्त में रंग लिया।

वज़ाहतः- यह इसलिये मना है कि इसमें जुए जैसी शक्ल है और उसमें इनसान इतना ज़्यादा मशग़ूल हो जाता है कि उसको नमाज़ तक की याद नहीं आती है, और दूसरी बुराईयाँ भी इस खेल के बाद पैदा होती हैं।

ख़्वाबों का बयान

जो चीज़ नींद में दिखाई दे वह 'ख़्वाब' (सपना) है। पेट की ख़राबी से भी बहुत ख़्वाब नज़र आते हैं जिनकी कोई हक़ीक़त नहीं होती है, और इसी

तरह ज़ेहनी परेशानियों की वजह से नज़र आने वाले ख़्वाबों की भी कोई हक़ीक़त नहीं होती है। इसी तरह शैतानी वस्वसों (ख़्यालात) की सूरत में भी नज़र आने वाले ख़्वाबों की कोई हक़ीक़त नहीं। अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से ख़ुशख़बरी वाले ख़्वाब सही होते हैं और यह उमूमन सेहरी (सुबह-सादिक़) के वक़्त दिखाई देते हैं।

हदीस 722. हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अच्छा ख़्वाब अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से है और बुरा ख़्वाब शैतान की तरफ़ से है। पस जिस शख़्स ने कोई ख़्वाब देखा और उसमें से कोई चीज़ उसको बुरी लगी उसको चाहिये कि तीन बार अपनी बायीं जानिब थुतकार दे और शैतान के शर (बुराई) से अल्लाह तआ़ला की पनाह माँगे, तो फिर वह ख़्वाब उसको नुक़सान नहीं देगा, और वह ख़्वाब किसी से बयान भी न करे। और अगर अच्छा ख़्वाब देखे तो उसको सिर्फ़ अपने उस हमदर्द और भला चाहने वाले से बयान करे जो उससे मुहब्बत करता हो।

हदीस 723. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से कोई शख़्स नापसन्दीदा ख़्वाब देखे तो तीन बार अपनी बायीं जानिब थुतकार दे और तीन बार शैतान से अल्लाह तआ़ला की पनाह माँगे, और करवट बदल ले।

वज़ाहतः- नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बायीं जानिब तीन बार थुतकारने का हुक्म इसलिये दिया है ताकि शैतान भाग जाये, क्योंकि बुरे ख़्वाब शैतान की तरफ़ से होते हैं। थुतकारने में उस ख़्वाब की कराहियत (बुरा और नापसन्दीदा होने) का इज़हार है जैसा कि कई बार घिनौनी और बुरी चीज़ पर थूक दिया जाता है, और बायीं जानिब इसलिये है कि वह शैतान के आने की दिशा है। अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त की पनाह में आने के लियेः

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

'अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम' पढ़कर बायीं तरफ़ थुतकारिये।

हदीस 724. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि

रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब ज़माना (क़ियामत के) क़रीब हो जायेगा तो किसी मुसलमान का ख़्वाब झूठा नहीं होगा, जो शख़्स ज़्यादा सच्चा होगा उसका ख़्वाब भी ज़्यादा सच्चा होगा। मुसलमान का ख़्वाब नुबुव्वत के हिस्सों में से पैंतालीसवाँ हिस्सा है। ख़्वाब की तीन क़िस्में हैं- एक नेक ख़्वाब है जो अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से ख़ुशख़बरी है, दूसरा ग़मगीन करने वाला ख़्वाब है जो शैतान की तरफ़ से होता है, तीसरा वह ख़्वाब है जो इनसान के ख़्यालात और इच्छाओं का अ़क्स होता है। अगर तुम में से कोई शख़्स नापसन्दीदा ख़्वाब देखे तो वह खड़ा होकर नमाज़ पढ़े और लोगों से वह ख़्वाब बयान न करे। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैं ख़्वाब में बेड़ियाँ देखना पसन्द करता हूँ और तौक़ देखना नापसन्द करता हूँ। बेड़ियों से मुराद दीन में साबित-क़दमी (जमाव) है।

वज़ाहतः- अल्लाह तआ़ला एक मुसलमान को ख़्वाब के ज़रिये कुछ बातें बता देते हैं जिस तरह अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम को वही के ज़रिये बताता था। लेकिन अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के ख़्वाब हमेशा सच्चे ही हुआ करते थे, लेकिन आ़म मुसलमानों के बाज़े ख़्वाब सच्चे और बाज़े झूठे होते हैं।

हदीस 725. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने ख़्वाब में देखा गोया कि मेरा सर काट दिया गया है। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हंस पड़े और फ़रमाया- जब तुम में से किसी के साथ उसके ख़्वाब में शैतान खेले तो अपने उस ख़्वाब का लोगों से तज़किरा न करे।

हदीस 726. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में एक शख़्स ने हाज़िर होकर अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! आज मैंने ख़्वाब देखा कि एक बादल के टुकड़े से शहद और घी टपक रहा है। मैंने देखा कि लोग अपने-अपने चुल्लू में उसको ले रहे हैं। बाज़े लोग ज़्यादा चुल्लू भर रहे हैं और बाज़े कम, और मैंने देखा कि आसमान से ज़मीन की तरफ़ एक रस्सी

लटकी हुई है। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उस रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ गये। फिर आपके बाद एक शख़्स ने उसी रस्सी को पकड़ा और वह भी ऊपर चढ़ गया। फिर एक और शख़्स भी उसी रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ गया। फिर एक तीसरे शख़्स ने रस्सी को पकड़ा तो वह रस्सी टूट गयी, फिर जुड़ गयी और वह भी ऊपर चढ़ गया। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! आप पर मेरे माँ-बाप क़ुरबान हों, अल्लाह की क़सम आप मुझे इस ख़्वाब की ताबीर बयान करने दीजिये। आपने फ़रमाया- चलो तुम इसकी ताबीर बयान करो।

हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ ने कहा- उस बादल के टुकड़े से मुराद इस्लाम है और उससे जो घी और शहद टपक रहा है वह क़ुरआन मजीद और उसकी नर्मी और मिठास है, और जो लोग उससे ज़्यादा या कम चुल्लू भर रहे थे तो वे क़ुरआन मजीद को याद करने वाले हैं (कोई कम और कोई ज़्यादा याद करता है)। और वह रस्सी जो आसमान से ज़मीन की तरफ़ लटक रही थी तो वह दीने हक़ है जिस पर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम क़ायम हैं, आप उस पर अ़मल करते रहेंगे यहाँ तक कि आपको अल्लाह तआ़ला अपने पास बुला लेगा। फिर एक शख़्स इस दीन पर अ़मल करेगा फिर अल्लाह तआ़ला उसको भी अपने पास बुला लेगा। फिर एक और शख़्स इस दीन पर अ़मल करके बुलन्दी की तरफ़ चढ़ेगा। फिर एक तीसरा शख़्स इस दीन पर अ़मल करेगा तो इसमें कुछ ख़लल होगा, फिर वह ख़लल दूर हो जायेगा और वह भी बुलन्दी पर चला जायेगा। ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माँ-बाप आप पर क़ुरबान हों, आप मुझे यह बतलाईये कि मैंने यह ताबीर सही बयान की है या इसमें कुछ ग़लती की है। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुमने कुछ ताबीर ठीक बयान की है और कुछ में ग़लती की है। हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह की क़सम आप मुझे बतलाईये कि मैंने क्या ग़लती है? आपने फ़रमाया "क़सम मत दो।"

वज़ाहतः- आपने अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु की ग़लती इसलिये बयान नहीं फ़रमाई कि इस ख़्वाब में ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन की ख़िदमत की तरफ़

इशारा था मगर मुद्दते ख़िलाफ़त मुतैयन न थी, अगर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बयान फ़रमा देते तो मुद्दत मुतैयन हो जाती और यह मुद्दत के मुतैयन होने का ज़ाहिर हो जाना अल्लाह तआ़ला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ था।

हदीस 727. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैंने रात को एक ख़्वाब देखा, गोया कि हम उक़बा बिन राफ़ेअ़ के घर में हैं और हमारे पास अच्छी क़िस्म की ताज़ा खजूरें लायी गईं, तो मैंने इसकी ताबीर यह समझी कि दुनिया में हमारे लिये इज़्ज़त व सम्मान होगा और आख़िरत में (अ़ज़ाब से) बचाव होगा, और हमारा दीन बहुत उम्दा है।

हदीस 728. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैंने ख़्वाब में देखा कि मैं मक्का से ऐसी ज़मीन की तरफ़ जा रहा हूँ जहाँ खजूरें हैं, मेरे दिल में यह ख़्याल आया कि वह जगह **यमामा** या **हिज्र** है, मगर वह शहर यसरिब (मदीना) था, और मैंने अपने इस ख़्वाब में देखा कि मैंने तलवार को हरकत दी तो वह ऊपर से टूट गयी, इसकी ताबीर वह हुई जो मुसलमानों को जंगे उहुद के दिन तकलीफ़ पहुँची। फिर मैंने तलवार को दोबारा हरकत दी तो वह पहले से भी ज़्यादा मज़बूत और सालिम थी, इसकी ताबीर अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से मक्का के फ़तह होने की सूरत में और मुसलमानों के एकत्र होने से हुई, और इसी ख़्वाब में मैंने गाय को भी देखा और अल्लाह तआ़ला बेहतर (सवाब अ़ता फ़रमाने वाले) हैं। इसकी ताबीर मुसलमानों का जंगे उहुद में शहीद होना था और ख़ैर से मुराद वह भलाई है जो अल्लाह तआ़ला ने उसके बाद अ़ता की, और सच्चाई का सवाब वह है जो हमारे पास अल्लाह तआ़ला ने जंगे बदर के बाद अ़ता किया।

हदीस 729. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैंने ख़्वाब में देखा कि मेरे दोनों हाथों में सोने के कंगन हैं जिनसे मुझे फ़िक्र पैदा हो गयी तो ख़्वाब में ही मेरी तरफ़ 'वही' की गयी कि इन दोनों (कंगन) पर फूँक मारो। मैंने उन्हें फूँका तो वो उड़ गये। मैंने उनकी ताबीर यह बयान की कि दो झूठे

नबी मेरे बाद निकलेंगे, फिर उनमें से एक अस्वद अ़नसी होगा जो सन्आ़ का रहना वाला होगा और दूसरा मुसैलमा कज़्ज़ाब होगा जो यमामा का रहने वाला होगा।

हदीस 730. हज़रत समुरा बिन जुन्दुब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सुबह की नमाज़ अदा फ़रमाकर लोगों की तरफ़ मुतवज्जह होते ओर फ़रमाते- क्या तुम में से किसी ने इस रात में कोई ख़्वाब देखा है?

वज़ाहतः- अगर कोई अच्छा ख़्वाब देखे तो दूसरों के फ़ायदे और सीख के लिये बयान कर देना बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की आ़दत मुबारक यह थी कि सुबह के वक़्त सहाबा किराम से ख़्वाब पूछते और ताबीर इरशाद फ़रमाते। ताबीर देने के आदाब में से है कि सूरज निकलने के वक़्त ताबीर दे, सूरज छुपने, ज़वाल और रात के वक़्त ताबीर बयान न करे।

फ़ज़ीलतों का बयान

हदीस 731. हज़रत वासिला बिन असक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने इस्माईल अ़लैहिस्सलाम की औलाद में से किनाना को फ़ज़ीलत दी और किनाना में से क़ुरैश को फ़ज़ीलत दी और क़ुरैश में से बनू हाशिम को फ़ज़ीलत दी और बनू हाशिम में से मुझको फ़ज़ीलत (इज़्ज़त व बड़ाई) दी।

वज़ाहतः- आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। आपके क़बीले की भी बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है।

हदीस 732. हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैं उस पत्थर को अब भी पहचानता हूँ जो मक्का मुकर्रमा में मेरे मबऊस होने से पहले (नुबुव्वत से पहले) मुझ पर सलाम करता था।

वज़ाहतः- यह आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का मोजिज़ा था।

हदीस 733. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि

रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कि़यामत के दिन मैं आदम अ़लैहिस्सलाम की औलाद का सरदार हूँगा और सबसे पहले मेरी क़ब्र खुलेगी और सबसे पहले मैं सिफ़ारिश करूँगा और सबसे पहले मेरी ही सिफ़ारिश क़ुबूल की जायेगी।

हदीस 734. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आपके सहाबा ज़ोरा के मक़ाम में थे (मदीना के बाज़ार में मस्जिद के क़रीब एक जगह का नाम है), आपने एक प्याला मंगवाया जिसमें पानी था, आपने उसमें अपनी हथेली रख दी। फिर आपकी उंगलियों में से पानी फूटने लगा। आपके तमाम सहाबा ने वुज़ू कर लिया, मैंने पूछा ऐ अबू हमज़ा! (हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु की कुन्नियत) उस वक़्त लोगों की कितनी तायदाद थी? उन्होंने कहा अन्दाज़न तीन सौ आदमी।

वज़ाहतः- यह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का मोजिज़ा था कि एक प्याला पानी के ज़रिये तीन सौ की तायदाद में मौजूद सहाबा किराम ने वुज़ू किया था।

हदीस 735. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत मालिक की वालिदा रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में एक बर्तन में घी हदिये के तौर पर भेजा करती थीं तो वह उस बर्तन में घी मौजूद पातीं। इसी तरह उनके घर का सालन चलता रहा यहाँ तक कि उम्मे मालिक ने (एक दिन) उस बर्तन को (पूरी तरह) ख़ाली कर लिया, फिर उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में आकर यह ज़िक्र किया तो आपने फ़रमाया- तुमने उस बर्तन को निचोड़ लिया होगा। उसने अ़र्ज़ किया "जी हाँ"। आपने फ़रमाया- काश तुम उसे उसी तरह छोड़ देतीं तो वह हमेशा क़ायम रहता।

हदीस 736. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में आकर आप से खाने के लिये कुछ माँगा तो आपने उसे आधा वसक़ जौ (एक अनाज) दे दिये, फिर वह आदमी और उसकी बीवी और उनके मेहमान

हमेशा उसमें से खाते रहे यहाँ तक कि उसने उसका वज़न कर लिया, फिर वह रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में आया तो आपने फ़रमाया- काश कि तुम उसका वज़न न करते तो हमेशा तुम उसी में से खाते रहते और वह तुम्हारे लिये क़ायम रहता।

हदीस 737. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरे इस दीन की मिसाल जो अल्लाह तआ़ला ने मुझे अ़ता फ़रमाकर भेजा है उस आदमी की तरह है जो अपनी क़ौम से आकर कहे- ऐ क़ौम! मैंने अपनी आँखों से दुश्मन का एक लश्कर देखा है और मैं तुमको खुले तौर पर डराता हूँ कि तुम अपने आपको दुश्मन से बचाओ, और उसकी क़ौम में से एक जमाअ़त ने उसकी इताअ़त कर ली और शाम होते ही भाग गयी, और एक गिरोह ने उसको झुठलाया और वह सुबह तक उसी जगह पर रहा, तो सुबह होते ही दुश्मन के लश्कर ने उन पर हमला करके हलाक कर दिया और उनको जड़ से उखाड़ दिया।

वज़ाहतः- रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की फ़रमाँबरदारी में निजात है और नाफ़रमानी में हलाकत (तबाही व बरबादी) है। आप भी हर काम में आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की फ़रमाँबरदारी कीजिए।

हदीस 738. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरी मिसाल उस शख़्स की तरह है जिसने आग जलाई और जब उस आग ने माहौल (अपनी आस-पास की जगह) को रोशन कर दिया तो उसमें परवाने और ज़मीनी कीड़े-मकोड़े गिरने लगे, वह शख़्स उनको आग में गिरने से रोकता है और वे उस पर ग़ालिब आकर आग में धड़ाधड़ गिर रहे हैं। पस यह मेरी और तुम्हारी मसाल है, मैं तुम्हारी कमर से पकड़कर तुमको जहन्नम में जाने से रोक रहा हूँ और कह रहा हूँ कि जहन्नम के पास से चले जाओ, और तुम लोग मेरी बात न मानकर जहन्नम में गिरे चले जा रहे हो।

वज़ाहतः- रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बुरे कामों से रोककर और नेकियों का हुक्म देकर उम्मत को जहन्नम से दूर करने की

भरपूर कोशिश की है, मगर जिस तरह परवाने यह जानने के बावजूद कि आग जला देती है फिर भी आग में गिरते जाते हैं इसी तरह यह उम्मत भी बुरे कामों में पड़कर जहन्नम की आग की हक़दार बन रही है। अपने आपको जहन्नम से बचाने की भरपूर कोशिश कीजिये।

हदीस 739. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआला जब अपने बन्दों में से किसी उम्मत पर रहम करने का इरादा फ़रमाते हैं तो उस उम्मत के नबी को उम्मत की हलाकत (तबाही) से पहले बुला लेते हैं और वह अपनी उम्मत के लिये अज्र का ज़रिया और शुरूआत होती है, और जब अल्लाह तआला किसी उम्मत को हलाक करने का इरादा फ़रमाते हैं तो उसे उस नबी की ज़िन्दगी में ही उसके सामने उसकी उम्मत पर अज़ाब नाज़िल फ़रमाते हैं और नबी उस उम्मत की तबाही देखकर अपनी आँखें ठण्डी करता है क्योंकि उन्होंने अपने नबी को झुठलाया और उसके हुक्म की नाफ़रमानी की थी।

वज़ाहतः- उम्मते मुहम्मदिया पर भी अल्लाह तआला ने रहम का इरादा करते हुए अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पहले बुला लिया है। क़ौमे आद, क़ौमे समूद, क़ौमे सालेह, क़ौमे शुऐब, क़ौमे लूत अपने नबी की मौजूदगी में अल्लाह के अज़ाब का शिकार हुईं।

हदीस 740. हज़रत सहल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैं हौज़ पर तुम्हारा मेज़बान हूँगा, जो उस हौज़ पर आयेगा वह पियेगा और जो एक बार पी ले वह कभी प्यासा नहीं रहेगा। और मेरे पास (हौज़ पर) कुछ ऐसे लोग आयेंगे जिनको मैं पहचानता हूँगा और वे मुझे पहचानते होंगे, फिर मेरे और उनके दरमियान रुकावट बना दी जायेगी। आप फ़रमायेंगे ये मेरे पैरोकार (पैरवी करने वाले) हैं तो कहा जायेगा कि आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद क्या किया है। मैं कहूँगा जिन लोगों ने मेरे बाद दीन में तब्दीली की उनसे दूरी हो दूरी हो।

वज़ाहतः- दीन में हर वह काम जो सवाब समझकर किया जाये मगर

उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने न किया हो और न ही उसका हुक्म दिया हो तो वह 'बिद्अ़त' है। और बिद्अ़तें (दीन में नई बातें निकालना) आख़िरत में नाकामी का सबब होंगी। एहतियात कीजिए।

हदीस 741. हज़रत उक़बा बिन आ़मिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उहुद के शहीदों पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी, फिर आपने मिम्बर पर आकर फ़रमाया- मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा मुन्तज़िर हूँगा और हौज़े कौसर की चौड़ाई इतनी है जितना कि ईला के मक़ाम से जोहफ़ा के मक़ाम तक फ़ासला है। मुझे तुमसे इस बात का डर नहीं है कि तुम मेरे बाद मुश्रिक बन जाओगे लेकिन मुझे तुमसे इस बात का डर है कि तुम लोग दुनिया के ललच में आपस में हसद करने (जलने) लग जाओगे और आपस में ख़ून बहाने लग जाओगे, जिसके नतीजे में तुम हलाक हो जाओगे जिस तरह कि तुमसे पहले लोग हलाक (तबाह) हुए।

हदीस 742. हज़रत सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने ग़ज़वा-ए-उहुद के दिन रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की दाईं और बाईं तरफ़ दो आदमियों को देखा जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। वे आदमी आपकी तरफ़ से बहुत ज़ोरदार तरीक़े से जंग कर रहे थे। मैंने उनको न इससे पहले कभी देखा और न उसके बाद कभी देखा।

वज़ाहतः- आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ अल्लाह तआ़ला के फ़रिश्ते भी जिहाद में शरीक हुए हैं। अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः आले इमरान 3, आयत 124-125 और सूरः अनफ़ाल 8, आयत 9-10।

हदीस 743. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा हसीन, सबसे ज़्यादा सख़ी और सबसे ज़्यादा बहादुर थे। एक रात मदीना वाले ख़ौफ़ज़दा हो गये (डर गये), सहाबा किराम ख़ौफ़नाक आवाज़ की तरफ़ गये। रास्ते में उनको रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उस जगह से वापस आते हुए मिले। आप अबू तल्हा के घोड़े की नंगी पीठ पर सवार थे। आपकी गर्दन मुबारक में तलवार थी और आप फ़रमा रहे थे- तुम लोग डरो नहीं,

तुम लोग डरो नहीं। आपने फ़रमाया- मैंने इस (घोड़े) को समन्दर की तरह रवाँ-दवाँ (तेज़ दौड़ने वाला) पाया।

वज़ाहतः- यह आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बहादुरी और निडरता की एक खुली दलील है।

हदीस 744. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम भलाई के कामों में सबसे ज़्यादा सख़ी थे और आपकी सख़ावत का सबसे ज़्यादा ज़हूर रमज़ान के महीने में होता और जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम हर साल रमज़ान के पूरे महीने में आप से मुलाक़ात करते और आप उनको क़ुरआन सुनाते थे, और जब जिब्रील अ़लैहिस्सलाम आप से मुलाक़ात करते तो आप बारिश बरसाने वाली हवाओं से भी ज़्यादा सख़ी होते थे।

वज़ाहतः- आप बहुत बड़े सख़ी थे, हमें भी आपके नक़्शे-क़दम पर चलते हुए सख़ी बनना चाहिये और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा सख़ावत करनी चाहिये, क्योंकि इस महीने में हर नेकी का सवाब सत्तर गुना ज़्यादा मिलता है।

हदीस 745. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं सफ़र और हज़र दोनों में मैं रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में रहा, अल्लाह की क़सम अगर मैंने कोई काम किया तो आपने यह नहीं फ़रमाया कि तुमने यह काम इस तरह क्यों किया, और अगर मैंने कोई काम नहीं किया तो आपने यह नहीं फ़रमाया कि तुमने यह काम क्यों नहीं किया।

वज़ाहतः- यह आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के अच्छे अख़्लाक़ के आला नमूने हैं, इस जैसे बेशुमार वाक़िआ़त तारीख़ व हदीस की किताबों में मिलते हैं। आप भी अपने नौकरों, यार-दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, घर में, बाहर और हर जगह यह आ़दत अपनाईये, इसमें दुनिया व आख़िरत दोनों की भलाई है।

हदीस 746. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के अख़्लाक़ सबसे अच्छे थे।

हदीस 747. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से किसी चीज़ का सवाल किया गया हो और आपने इनकार फ़रमाया हो।

वज़ाहतः- अल्लाह तआ़ला के नाम पर माँगने वाले को ख़ाली हाथ वापस नहीं लौटाना चाहिये, अगर देने के लिये कुछ न हो तो कम से कम अच्छी बात ही कह दीजिये। अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है-

तर्जुमाः- और आप माँगने वाले को न झिड़किये।

(सूरः जुहा 93, आयत 10)

हदीस 748. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से दो पहाड़ों के दरमियान की बकरियाँ माँगीं तो आपने उसे उतनी ही बकरियाँ अ़ता फ़रमा दीं। वह शख़्स अपनी क़ौम के पास आया और कहने लगा- ऐ क़ौम! इस्लाम क़ुबूल कर लो, अल्लाह की क़सम! मुहम्मद इस क़द्र अ़ता फ़रमाते हैं कि फिर मोहताजी का ख़ौफ़ ही नहीं रहता। एक शख़्स सिवाय दुनिया हासिल करने के इस्लाम क़ुबूल नहीं करता (यानी सिर्फ़ दुनिया के माल व मता के लालच में इस्लाम क़ुबूल करता है) लेकिन मुसलमान होने के बाद आपकी सोहबत इख़्तियार करने की वजह से उसे इस्लाम सारी दुनिया से ज़्यादा महबूब हो जाता है।

हदीस 749. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- आज रात मेरे घर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम मैंने अपने बाप इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के नाम पर रखा। फिर आपने उस बेटे को लुहार की बीवी उम्मे सैफ़ को (दूध पिलाने के लिये) दे दिया था। एक दिन आप उसके पास गये, आपने बच्चा मंगवाया और उसको अपने साथ चिमटा लिया और जो अल्लाह तआ़ला ने चाहा वह फ़रमाया। जब यही बच्चा रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने जान दे रहा था (यानी उसके इन्तिक़ाल के वक़्त) तो रसूले अकरम की आँखों से आँसू बहने लगे। आपने फ़रमाया- आँखे रो रही हैं और दिल ग़मगीन है और हम वही बात कहते हैं जिस से हमारा रब राज़ी

है। अल्लाह की क़सम ऐ इब्राहीम! हम तुम्हारी वजह से ग़मज़दा हैं।

वज़ाहतः- मुसीबत पर ग़ैर-इख़्तियार तौर पर आँसू गिरने और ग़मज़दा होने पर पकड़ नहीं होती अलबता नौहा करना (बयान करके रोना) मना है।

हदीस 750. हज़रत जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स लोगों पर रहम नहीं करता, उस पर अल्लाह तअ़ला भी रहम नहीं फ़रमायेगा।

वज़ाहतः- मुसलमानों को आपस में एक दूसरे पर रहम का जज़्बा अपनाना चाहिये ताकि अल्लाह रहीम की रहमत हासिल हो।

हदीस 751. हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर्दे में रहने वाली कुंवारी लड़की से भी ज़्यादा हया (शर्म) करने वाले थे। जब आपको कोई चीज़ नापसन्द होती तो हम आपके चेहरे से जान लेते।

वज़ाहतः- शर्म व हया मोमिन का ज़ेवर है, इसे इख़्तियार कीजिए।

हदीस 752. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत मुआ़विया कूफ़ा आये और कहा कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम न ही तबई तौर पर बदगोई करते थे और न ही तकल्लुफ़ के तौर पर। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से अच्छे वे लोग हैं जिनके अख़्लाक़ अच्छे हैं।

हदीस 753. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जिस जगह सुबह की नमाज़ पढ़ते थे तो सूरज निकलने से पहले वहाँ से नहीं उठते थे। जब सूरज निकल जाता तो आप वहाँ से उठते।

वज़ाहतः- इस अ़मल से एक हज और एक उमरे का सवाब ज़रूर मिलता है मगर इस इबादत से हज की फ़र्ज़ियत ख़त्म नहीं होती है।

हदीस 754. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का 'हदी ख़्वान' (ऊँटों की देखभाल करने वाला) अच्छी आवाज़ वाला था। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ अन्जशा (गुलाम का नाम) आहिस्ता-आहिस्ता चल, कहीं शीशों

को न तोड़ देना, यानी कमज़ोर औ़रतों को कोई तकलीफ़ न हो।

वज़ाहतः- अन्जशा जो एक हब्शी गुलाम था उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी और बड़े मधुर स्वर में अश्आ़र पढ़ता था जिसकी वजह से ऊँट मस्त होकर तेज़-तेज़ क़दम चलते थे, जिससे औ़रतों को तकलीफ़ होती थी, इसलिये आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अन्जशा को ख़बरदार कर दिया। यह आपकी औ़रतों पर रहम करने की स्पष्ट मिसाल है।

हदीस 755. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को जब दो कामों में से एक काम करने का इख़्तियार दिया जाता तो आप उनमें से आसान काम को इख़्तियार फ़रमाते थे, शर्त यह है कि वह गुनाह का काम न हो। और अगर गुनाह का काम हो तो आप सब लोगों से बढ़कर उस काम से दूर रहते। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कभी किसी से अपनी ज़ात की वजह से इन्तिक़ाम (बदला) नहीं लिया लेकिन अगर कोई आदमी अल्लाह तआ़ला के हुक्म के ख़िलाफ़ काम करता तो आप उसे सज़ा देते थे।

हदीस 756. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कभी किसी को अपने हाथ से नहीं मारा, न ही किसी औ़रता को, न ही किसी ख़ादिम को, अलबत्ता अल्लाह के रास्ते में जिहाद में क़िताल फ़रमाया, और जब भी आपको नुक़सान पहुँचाया गया तो आपने उससे इन्तिक़ाम नहीं लिया मगर यह कि अल्लाह तअ़ला की हदों (सीमाओं) की ख़िलाफ़वर्ज़ी की हो, फिर अल्लाह तआ़ला के लिये इन्तिक़ाम लेते थे।

वज़ाहतः- यह भी आपके अच्छे अख़्लाक़ वाला होने की स्पष्ट दलील है कि आपने अपनी ज़ात के लिये कभी इन्तिक़ाम (बदला) नहीं लिया।

हदीस 757. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का सफ़ेद चमकता हुआ रंग था और आपके पसीने के क़तरे मोतियों की तरह चमकते थे। जब आप चलते तो आगे को झुककर चलते थे और मैंने किसी दीबाज और हरीर (नर्म रेशम की क़िस्मों) को रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हाथ से ज़्यादा

मुलायम नहीं पाया, और न मैंने किसी मुश्क या अम्बर को रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम (के जिस्म की ख़ुशबू) से ज़्यादा ख़ुशबूदार पाया।

वज़ाहत:- नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के जिस्म मुबारक से जो ख़ुशबू आती थी वह आपकी तबई सिफ़त थी चाहे आप कोई ख़ुशबू लगायें या न लगायें, इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ज़्यादातर ख़ुशबू लगाते थे क्योंकि आपकी फ़रिश्तों से मुलाक़ात होती थी, आप पर वही नाज़िल होती थी और आपके साथ मुसलमान बैठते थे।

हदीस 758. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हमारे पास दिन में तशरीफ़ लाये और सो गये। आपको पसीना आया, मेरी वालिदा एक शीशी लेकर आईं और आपका पसीना पोंछ-पोंछकर उसमें डालने लगीं। नबी-ए-पाक जागे तो आपने फ़रमाया- ऐ उम्मे सलीम! यह क्या कर रही हो? उन्होंने कहा यह आपका पसीना है जिसको हम ख़ुशबू में डालेंगे और यह सबसे बेहतरीन ख़ुशबू है।

हदीस 759. हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर जब वही नाज़िल होती तो उसकी वजह से आप सख़्ती महसूस करते और आपके पवित्र चेहरे का रंग बदल जाता था।

हदीस 760. हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर जब वही नाज़िल होती थी तो आप अपना सर मुबारक झुका लेते थे और आपके सहाबा हज़रात भी अपने सरों को झुका लेते, और जब वही ख़त्म हो जाती तो आप अपना सर मुबारक उठा लेते थे।

हदीस 761. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि अहले किताब (यानी यहूदी व ईसाई) अपने बालों को पेशानी पर लटके हुए छोड़ देते थे, रसूले करीम जब किसी काम के बारे में अल्लाह तआ़ला का हुक्म न होता तो उस काम के बारे में अहले किताब की मुवाफ़क़त बेहतर

समझते थे तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम भी अपनी पेशानी मुबारक पर बाल लटकाने लगे, फिर उसके बाद आपने माँग निकालनी शुरू फ़रमा दी।

वज़ाहतः- बीच में माँग निकालना मस्नून अ़मल है।

हदीस 762. हज़रत बरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का क़द दरमियाना था। आपका सीना चौड़ा था। आपके सर के बाल लम्बे थे जो कानों की लौ तक आते थे। आपने सुर्ख़ चादरों का जोड़ा पहना हुआ था। मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से ज़्यादा किसी को हसीन नहीं देखा।

हदीस 763. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का क़द दरमियाना था। आपका रंग न बिल्कुल गोरा था और न बिल्कुल गन्दुमी, और न बिल्कुल घुंघरियाले बाल थे न बिल्कुल सीधे, अल्लाह तआ़ला ने आपको चालीस साल की उम्र में नुबुव्वत अ़ता फ़रमाई, आप दस साल मक्का मुकर्रमा में रहे, 63 साल की उम्र में आपने विसाल फ़रमाया और उस वक़्त आपके सर और दाढ़ी में बीस बाल भी सफ़ेद नहीं थे।

हदीस 764. हज़रत जुबैर बिन मुतअ़िम रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेरे कई नाम हैं उनमें से मुहम्मद, अहमद, माही हैं यानी मेरे ज़रिये से अल्लाह तआ़ला कुफ़्र को मिटा देंगे। हाशिर भी मेरा नाम है यानी लोगों का हश्र मेरे सामने होगा। आ़क़िब भी मेरा नाम है यानी मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। अल्लाह तआ़ला ने मेरा नाम रऊफ़ रहीम भी रखा है।

हदीस 765. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमसे अपने कई नाम बयान फ़रमाये हैं। आपने फ़रमाया- मैं मुहम्मद, अहमद, मुक़फ़्फ़ा, हाशिर, नबीयुत्तौबा और नबी-ए-रहमत हूँ।

हदीस 766. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने किसी काम के करने के बारे में

इजाज़त दी तो सहाबा में से कुछ लोग उससे बचने लगे। जब यह बात नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तक पहुँची तो आप गुस्से में आ गये यहाँ तक कि आपके चेहरा-ए-मुबारक पर गुस्से के असरात ज़ाहिर हो गये, फिर आपने फ़रमाया- उन लोगों का क्या हाल है कि जिस काम के करने की मैंने इजाज़त दी है वे लोग उससे इनकार करते हैं। अल्लाह की क़सम, मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह को जानने वाला हूँ और मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह तआ़ला से डरने वाला हूँ।

हदीस 767. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक अन्सारी और हज़रत ज़ुबैर का रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने हर्रा-ए-मदीना की पथरीली ज़मीन के पानी पर झगड़ा हुआ जहाँ से खजूर के दरख़्तों को पानी देते थे। अन्सारी ने कहा- पानी को छोड़ दो ताकि वह बहता रहे। हज़रत ज़ुबैर ने इनकार किया, फिर उन्होंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने यह मामला पेश किया। रसूले करीम ने फ़रमाया- ऐ ज़ुबैर! तुम अपनी ज़मीन को सैराब कर लो फिर अपने पड़ोसी की तरफ़ पानी छोड़ दो। अन्सारी गुस्से में आ गये और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! यह आपके फूफीज़ाद भाई हैं (इसलिये आप इनकी तरफ़दारी कर रहे हैं)। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के चेहरे का रंग बदल गया, आपने फ़रमाया- ऐ ज़ुबैर! तुम अपनी ज़मीन को ख़ूब सैराब करो फिर पानी को रोक लो यहाँ तक कि वह मुण्डेर से फिर वापस हो जाये।

हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं कि अल्लाह की क़सम, मेरा गुमान है कि यह आयत इसी वाक़िए के मुताल्लिक़ नाज़िल हुई है-

तर्जुमाः- आपके रब की क़सम, ये लोग उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने झगड़ों में आपका फ़ैसला न मान लें, फिर आपके फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपने दिलों में कोई तंगी महसूस न करें, और उस फ़ैसले को पूरी तरह तस्लीम कर लें। (सूरः निसा 4, आयत 65)

वज़ाहतः- आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने पहले फ़ैसला सही किया था इसलिये कि जिसकी ज़मीन पहले आये उसको पहले पानी मिलना

चाहिये और फिर उसके बाद वाली ज़मीन को। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की ज़मीन अन्सारी सहाबी की ज़मीन से पहले थी। (शरह नववी रह.) मगर दूसरा शख़्स नादानी में इस फ़ैसले को ग़लत समझते हुए क़राबत दारी (रिश्तेदारी) का रंग दे रहा थ तो आपके चेहरा-ए-अनवर पर गुस्से के आसार ज़ाहिर हुए। सच्चा मोमिन बनने के लिये आपके फ़ैसलों को ख़ुशी से क़ुबूल करना ज़रूरी है।

हदीस 768. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस काम से मैं तुम्हें रोकूँ उससे बचो और जिस काम का तुम्हें हुक्म दूँ उसको अपनी हिम्मत व गुंजाईश के मुताबिक़ करो, क्योंकि तुमसे पहले लोग बहुत ज़्यादा सवाल करने और अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम से झगड़ने की वजह से हलाक (तबाह) हो गये।

वज़ाहतः- दीनी मामलात में सवाल करना मना नहीं है मगर ज़्यादा बारीकी में जाना और छोटी-छोटी बातों को अहमियत देकर फ़ुज़ूल सवालात करते रहना बुरी आ़दत है, बनी इस्राईल की भी यही आ़दत थी जिसकी वजह से वे हलाक हुए।

हदीस 769. हज़रत सअ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुसलमानों में सबसे बड़ा गुनाह उस मुसलमान का है कि जिसने किसी ऐसे काम के बारे में सवाल किया कि जो हराम नहीं था, फिर वह काम उस मुसलमान के सवाल करने की वजह से लोगों पर हराम कर दिया गया।

हदीस 770. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैं लोगों में से सबसे ज़्यादा ईसा अ़लैहिस्सलाम के क़रीब हूँ। अम्बिया-ए-किराम सब अ़ल्लाती (यानी इस्लामी रिश्ते से) भाईयों की तरह हैं। मेरे और ईसा अ़लैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं है।

हदीस 771. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पूछा गया- ऐ अल्लाह के रसूल!

लोगों में सबसे ज़्यादा करीम (इज़्ज़त व सम्मान वाला) कौन है? आपने फ़रमाया- जो उनमें सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो। सहाबा किराम ने अ़र्ज़ किया कि हम आप से इसके मुताल्लिक़ नहीं पूछ रहे, आपने फ़रमाया तो फिर सबसे करीम अल्लाह के नज़दीक यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम हैं जो अल्लाह के नबी के बेटे और अल्लाह तआ़ला के ख़लील के पोते हैं। सहाबा किराम ने अ़र्ज़ किया कि हम इसके बारे में भी आप से नहीं पूछ रहे। आपने फ़रमाया- फिर अ़रब के क़बीलों के बारे में मुझसे पूछ रहे हो? जो लोग जाहिलीयत में अफ़ज़ल थे वे लोग दीन में समझदारी हासिल करने के बाद इस्लाम में भी अफ़ज़ल हैं।

सहाबा-ए-किराम की फ़ज़ीलत का बयान

जो शख़्स रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ज़िन्दगी में आप पर ईमान लाया और उसने आपकी मुबारक ज़िन्दगी में आपकी सोहबत इख़्तियार की, आप से मुलाक़ात की, चाहे यह मुलाक़ात एक लम्हे के लिये हो या उम्र भर के लिये और ईमान ही की हालत में उसका ख़ात्मा हुआ हुआ हो उसे **सहाबी** कहा जाता है।

हदीस 772. हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मिम्बर पर आकर फ़रमाया- एक बन्दा है जिसे अल्लाह तआ़ला ने इस बात का इख़्तियार दिया है कि चाहे तो वह दुनिया की नेमतें हासिल कर ले या चाहे तो अल्लाह तआ़ला के पास रहने को पसन्द कर ले। तो उस अल्लाह के बन्दे ने अल्लाह तआ़ला के पास रहने को पसन्द कर लिया है। (यह सुना) तो अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु रो पड़े और ख़ूब रोये। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं कि वह तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम थे कि जिनको इख़्तियार दिया गया और अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु इन चीज़ों के बारे में हम से ज़्यादा जानने वाले थे, और फिर रसूले करीम ने फ़रमाया- लोगों में से सबसे ज़्यादा मुझ पर एहसान, माल और मुहब्बत में अबू बक्र सिद्दीक़ का है, और अगर मैं (अल्लाह तआ़ला के अ़लावा) किसी को ख़लील (दोस्त) बनाता तो

अबू बक्र को बनाता, और आगे फ़रमाया कि मस्जिद में किसी की खिड़की खुली बाक़ी न रखी जाये (सब खिड़कियाँ, दरवाज़े बन्द कर दिये जायें) सिवाय अबू बक्र की खिड़की के।

हदीस 773. हज़रत अ़मर बिन आ़स रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे ज़ातुस्सलासिल के लश्कर में अमीर बनाकर भेजा। मैंने आपके पास आकर अ़र्ज़ किया कि आपको लोगों में सबसे ज़्यादा महबूब कौन हैं? आपने फ़रमाया कि आ़यशा। मैंने अ़र्ज़ किया मर्दों में? आपने फ़रमाया कि उनके वालिद। मैंने अ़र्ज़ किया- फिर कौन है? आपने फ़रमाया- उमर।

वज़ाहतः- आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के महबूब लोगों से मुहब्बत करना आप से मुहब्बत करने का इज़हार है। आप भी इनसे मुहब्बत कीजिए।

हदीस 774. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अपने बाप अबू बक्र और अपने भाई को बुलाओ ताकि मैं एक तहरीर लिखवा दूँ, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं कोई ख़िलाफ़त की तमन्ना न करने लग जाये, और कोई यह भी न कहे कि मैं ख़िलाफ़त का ज़्यादा हक़दार हूँ। अल्लाह तआ़ला और मोमिन लोग (यानी हज़राते सहाबा) सिवाय अबू बक्र सिद्दीक़ की ख़िलाफ़त के और किसी की ख़िलाफ़त से इनकार करते हैं।

वज़ाहतः- यानी आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बाद मुसलमानों की ख़िलाफ़त के सबसे ज़्यादा हक़दार अबू बक्र ही थे और इसी पर तमाम सहाबा किराम का इत्तिफ़ाक़ था और अल्लाह तआ़ला को भी यही मन्ज़ूर था।

हदीस 775. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से आज कौन रोज़ेदार है? हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ ने कहा कि मैं। आपने फ़रमाया- तुम में से आज किस शख़्स ने मिस्कीन को खाना खिलाया? हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ ने कहा कि मैंने। आपने फ़रमाया- तुम में से आज किस शख़्स ने

मरीज़ की इयादत (मिज़ाज पुर्सी) की? हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा- मैंने। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस शख़्स में ये सब गुण और ख़ूबियाँ पाई जायें वह ज़रूर जन्नत में जायेगा।

वज़ाहत:- इस हदीस से हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु की फ़ज़ीलत साबित हो रही है।

हदीस 776. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का जनाज़ा तख़्त पर रखा गया तो लोग उनके गिर्द जमा हो गये, वे उनके हक़ में दुआ़ करते, तारीफ़ी कलिमात कहते और मय्यित उठाये जाने से पहले उनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ रहे थे। मैं भी उन लोगों में शामिल था। अचानक एक शख़्स ने पीछे से मेरे कन्धे पर हाथ रख। मैंने घबराकर मुड़कर देखा तो वह हज़रत अ़ली थे। उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक़ के लिये रहमत की दुआ़ की और कहा- (ऐ उमर!) आपने अपने बाद कोई ऐसा शख़्स नहीं छोड़ा जिसके किये हुए आमाल के साथ मुझे अल्लाह तआ़ला से मुलाक़ात करना पसन्द हो। अल्लाह की क़सम, मुझे यक़ीन है कि अल्लाह तआ़ला आपका मक़ाम आपके दोनों साथियों के साथ कर देंगे, क्योंकि मैं रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से बहुत ज़्यादा यह सुनता था- "मैं, अबू बक्र, और उमर आये"। "मैं, अबू बक्र और उमर निकले।" और मुझे यक़ीन है कि अल्लाह तआ़ला आपको आपके दोनों साथियों के साथ रखेगा।

वज़ाहत:- इस हदीस से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की फ़ज़ीलत (ऊँचा मर्तबा और बड़ाई) साबित हुई है।

हदीस 777. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मेरे घर में लेटे हुए थे उस वक़्त आपकी दोनों पिण्डलियाँ खुली हुई थीं। हज़रत अबू बक्र ने (घर में दाख़िल होने की) इजाज़त तलब की। आपने उनको इजाज़त दे दी। उस वक़्त भी आप उसी हाल में लेटे रहे। फिर आप बातें करते रहे, फिर हज़रत उमर ने इजाज़त तलब की, उनको भी आपने इजाज़त दे दी, फिर भी आप उसी हालत में रहे

और बातें करते रहे। फिर हज़रत उस्मान ग़नी ने इजाज़त तलब की तो रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उठकर बैठ गये और अपने कपड़े दुरुस्त कर लिये।

हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अ़न्हु आये और बातें करने लगे। जब ये सब चले तो मैंने पूछा कि जब अबू बक्र आये तो आपने उनका कुछ ख़्याल नहीं किया और न उनकी कोई परवाह की, उमर आये तो भी आपने उनकी कोई परवाह नहीं की और जब उस्मान आये तो आप उठकर बैठ गये और आपने अपने कपड़े दुरुस्त कर लिये। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मैं उस शख़्स से कैसे हया (शर्म) न करूँ जिससे फ़रिश्ते भी हया करते हैं।

वज़ाहतः- इस हदीस से हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अ़न्हु की फ़ज़ीलत साबित हो रही है।

हदीस 778. हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ग़ज़वा-ए-तबूक (जंगे तबूक) के मौक़े पर हज़रत अ़ली को मदीना में अपना नायब मुक़र्रर किया। उन्होंने कहा- ऐ अल्लाह के रसूल! आप मुझे औ़रतों और बच्चों में छोड़कर जा रहे हैं? तो आपने फ़रमाया- क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि तुम मेरे लिये ऐसे हो जैसे मूसा अ़लैहिस्सलाम के लिये हारून अ़लैहिस्सलाम थे। अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा।

वज़ाहतः- जिस तरह हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम पहाड़ पर तौरात लेने गये तो अपने भाई हारून अ़लैहिस्सलाम को नायब बनाकर मिस्र में छोड़ गये थे, बिल्कुल इसी तरह आप हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु को ग़ज़वा-ए-तबूक के मौक़े पर अपना नायब बनाकर मदीना में छोड़ गये थे, जो एक बहुत बड़ा मर्तबा था।

हदीस 779. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ग़ज़वा-ए-ख़ैबर के दिन फ़रमाया- कल मैं उस शख़्स को झण्डा दूँगा जो अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल से मुहब्बत करता होगा और अल्लाह उसके हाथ पर फ़तह अ़ता

फ़रमायेगा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं कि उस दिन के अ़लावा मैंने कभी इमारत (अमीर बनने) की तमन्ना नहीं की। मैं उस दिन आपके सामने इस उम्मीद से आया कि आप मुझे झण्डा देने के लिये बुलायेंगे। फिर रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अ़ली बिन अबी तालिब को बुलाया और उनको झण्डा अ़ता करते हुए फ़रमाया कि जाओ, इधर-उधर मुतवज्जह न होना यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला तुमको फ़तह अ़ता फ़रमा दे। हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु कुछ दूर गये, फिर ठहर गये, इधर उधर देखे बग़ैर कहा- ऐ अल्लाह के रसूल! मैं लोगों से किस बुनियाद पर जंग करूँ? आपने फ़रमाया- तुम उनसे उस वक़्त तक जंग करो जब तक वे कलिमा "ला इला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह" की गवाही न दें। अगर उन्होंने गवाही दे दी तो उन्होंने तुमसे अपनी जानों और मालों को महफ़ूज़ कर लिया, मगर यह कि उन पर किसी का हक़ हो और उनका हिसाब अल्लाह तआ़ला के ज़िम्मे है।

वज़ाहतः- इस्लाम लाने के बाद भी अगर किसी को किसी के बन्दों वाले हुक़ूक़ (क़र्ज़, क़त्ल, ज़ुल्म) अदा करने हों तो वह फिर भी उस वक़्त तक बाक़ी रहेंगे जब तक अदा न हो जायें, सिर्फ़ अल्लाह के हुक़ूक़ इस्लाम क़ुबूल करने के बाद माफ़ हो जाते हैं।

हदीस 780. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि मदीना मुनव्वरा में आने बाद एक रात रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नींद से जागे। आपने फ़रमाया- काश मेरे सहाबा में से कोई नेक शख़्स आज रात मेरी हिफ़ाज़त करता। अभी हम उसी हाल में थे कि हमने हथियारों की आहट सुनी। आपने फ़रमाया- यह कौन है? उन्होंने कहा- सअ़द बिन अबी वक़्क़ास। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम क्यों आये हो? उन्होंने कहा कि मेरे दिल में रसूले अकरम के बारे में अन्देशा हुआ तो मैं आपकी हिफ़ाज़त के लिये आया हूँ। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनको दुआ़ दी फिर सो गये।

हदीस 781. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सअ़द बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु

के अ़लावा किसी और के लिये अपने माँ-बाप को जमा नहीं फ़रमाया (यानी ये अलफ़ाज़ किसी और सहाबी के लिये नहीं कहे)। आप जंगे-उहुद के दिन उनसे फ़रमा रहे थे- तुम पर मेरे माँ-बाप क़ुरबान हों (दुश्मनों पर) तीर चलाओ।

वज़ाहत:- ये अलफ़ाज़ उसको कहे जाते हैं जिससे बेइन्तिहा मुहब्बत हो।

हदीस 782. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जंगे ख़न्दक़ के दिन लोगों को जिहाद की तरफ़ तवज्जोह और रुचि दिलाई तो हज़रत ज़ुबैर ने कहा- मैं हाज़िर हूँ। आपने फिर तवज्जोह और रुचि दिलाई तो हज़रत ज़ुबैर ने कहा- मैं हाज़िर हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फिर तवज्जोह व रुचि दिलाई तो हज़रत ज़ुबैर ने कहा- मैं हाज़िर हूँ। नबी करीम ने फ़रमाया- हर नबी के हवारी (ख़ुसूसी मददगार) होते हैं और मेरे हवारी ज़ुबैर हैं।

हदीस 783. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हर उम्मत का एक अमीन होता है और मेरी उम्मत के अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह (रज़ियल्लाहु अ़न्हु) हैं।

हदीस 784. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत हसन के बारे में फ़रमाया- ऐ अल्लाह! मैं इससे मुहब्बत करता हूँ, आप भी इससे मुहब्बत रखिये, और जो इससे मुहब्बत रखे उससे भी मुहब्बत रखिये।

हदीस 785. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि (एक दिन) रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सुबह के वक़्त गये, उस वक़्त आपके जिस्म पर एक चादर थी। हसन बिन अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु आये आपने उनको उस चादर में ले लिया। फिर हुसैन बिन अ़ली आये और आपकी चादर में दाख़िल हो गये। फिर सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा आईं और आपने उनको उस चादर में दाख़िल कर लिया। फ़िर हज़रत अ़ली आये, आपने उनको भी चादर में ले लिया। फिर यह आयत पढ़ी-

तर्जुमाः- ऐ अहले बैत! अल्लाह तआला तुमसे नजासत (गंदगी) को दूर करने का और तुमको पूरा-पूरा पाक करने का इरादा फ़रमाता है।

(सूरः अहज़ाब 33, आयत 33)

हदीस 786. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक लश्कर भेजा और हज़रत उसामा बिन ज़ैद को अमीर मुक़र्रर किया। कुछ लोगों ने उनकी इमारत पर एतिराज़ किया, रसूले पाक ने खड़े होकर फ़रमाया- अगर तुम इनकी इमारत (अमीर बनने) पर एतिराज़ करते हो (तो कोई नई बात नहीं) तुमने इससे पहले इनके बाप (हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु) की इमारत पर भी एतिराज़ किया था। अल्लाह की क़सम, इनका बाप इमारत के लायक़ था और वह मेरे नज़दीक महबूब था और उनके बाद यह (उसामा बिन ज़ैद) मुझे लोगों में सबसे ज़्यादा महबूब है।

वज़ाहतः- उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आज़ाद किये हुए गुलाम ज़ैद बिन हारिसा के बेटे थे।

हदीस 787. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को ज़ैद बिन मुहम्मद कहा करते थे यहाँ तक कि क़ुरआन मजीद की यह आयत नाज़िल हुई-

तर्जुमाः- (मुँह बोले) बेटों को उनके (असली) बापों की तरफ़ मन्सूब करके पुकारो, यह अल्लाह के नज़दीक पूरा-पूरा इन्साफ़ है।

(सूरः अहज़ाब 33, आयत 5)

वज़ाहतः- मुँह बोले (गोद लिये हुए) बेटे की निस्बत उसके असल बाप ही की तरफ़ करनी चाहिये, न कि जिस आदमी ने उसको मुँह-बोला बेटा बनाया हो उसकी तरफ़।

हदीस 788. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मर्दों में बहुत से कामिल गुज़रे हैं और औरतों में मरियम बिन्ते इमरान और फ़िरऔन की बीवी हज़रत आसिया के सिवा कोई कामिल नहीं हुई, और औरतों पर आयशा की फ़ज़ीलत ऐसी है जैसे सरीद (अरब के मशहूर खाने) की फ़ज़ीलत तमाम

ख़ानों पर है।

वज़ाहतः- कामिल से मुराद मुकम्मल यानी मुकम्मल इनसानी समझ-बूझ रखने वाला जिसमें कोई ख़ामी और कोताही न हो। 'सरीद' उस खाने को कहा जाता है जिसमें रोटी को छोटे टुकड़े बनाकर सालन में डाली गयी हो यानी रोटी सालन में भिगोई गयी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह खाना महबूब था।

हदीस 789. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत ख़दीजा बिन्ते ख़ुवैलद रज़ियल्लाहु अ़न्हा को जन्नत में एक घर की ख़ुशख़बरी दी।

हदीस 790. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम तीन रातों तक मुझे ख़्वाब में दिखाई गईं। फ़रिश्ता तुम्हारी तस्वीर को रेशम के एक टुकड़े में लेकर आया और कह रहा था कि यह तुम्हारी बीवी हैं। इनका चेहरा खोलिये, पस मैंने देखा तो वह तुम थीं। मैंने कहा अगर यह ख़्वाब अल्लाह की तरफ़ से है तो वह इसको ज़रूर पूरा कर देगा।

हदीस 791. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ आ़यशा! जिब्रील अ़लैहिस्सलाम आये हैं, तुम्हें सलाम कहते हैं। मैंने कहा 'व अ़लैहिस्सलाम व रह्मतुल्लाहि' (यानी उन पर भी सलामती और अल्लाह तआ़ला की रहमत हो)। आप वह देखते थे कि जो मैं नहीं देखती।

हदीस 792. हज़रत मिस्वर बिन मख़्रमा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- फ़ातिमा मेरे ही गोश्त का टुकड़ा है जो उसको तकलीफ़ दे वह मुझे तकलीफ़ देता है।

हदीस 793. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- (मेराज के मौक़े पर) मैंने जन्नत में अबू तल्हा की बीवी को देखा और फिर मैंने अपने आगे किसी के चलने की आहट सुनी तो वह बिलाल थे।

हदीस 794. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत

है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- चार आदमियों से क़ुरआन मजीद सीखो–

1. अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद। 2. सालिम जो अबू हुज़ैफ़ा के आज़ाद किये हुए गुलाम हैं। 3. उबई बिन कअ़ब। 4. मुआ़ज़ बिन जबल।

वज़ाहतः- ये सहाबा किराम क़ुरआने करीम में महारत रखते थे, इसलिये आपने इनसे क़ुरआने करीम सीखने की तरग़ीब दी।

हदीस 795. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उबई बिन कअ़ब से फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हारे सामने क़ुरआन मजीद पढ़ूँ। हज़रत उबई रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने सवाल किया- क्या अल्लाह तआ़ला ने मेरा नाम लिया है? आपने फ़रमाया- जी हाँ अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारा नाम लिया है। फिर हज़रत उबई रज़ियल्लाहु अ़न्हु (ख़ुशी से) रोने लगे।

वज़ाहतः- हज़रत उबई बिन कअ़ब रज़ियल्लाहु अ़न्हु की तिलावत बहुत अच्छी थी इसी लिये हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अपने दौरे ख़िलाफ़त में जमाअ़त के साथ तरावीह के लिये उन्हें इमाम मुक़र्रर किया था।

हदीस 796. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने जब सअ़द बिन मुआ़ज़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु का जनाज़ा लाया गया तो आपने फ़रमाया- इनकी (मौत की) वजह से अ़र्शे इलाही (ख़ुशी से) झूमने लगा।

वज़ाहतः- इन सहाबी का अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नज़रों में बहुत बड़ा मक़ाम था। यही वजह है कि बनू क़ुरैज़ा के यहूदियों के मुक़द्दमे के फ़ैसले के लिये रसूले पाक ने इन्हें फ़ैसला करने वाला (क़ाज़ी) बनाया और इनके फ़ैसले पर ख़ुश होकर फ़रमाया कि सअ़द बिन मुआ़ज़ ने अल्लाह तआ़ला की मर्ज़ी के मुताबिक़ फ़ैसला किया है।

हदीस 797. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जंगे उहुद के दिन एक तलवार ली

और फ़रमाया- मुझसे यह तलवार कौन लेता है? तो हर शख़्स ने अपने हाथ फैला दिये और कहा- मैं लेता हूँ, मैं लेता हूँ। आपने फ़रमाया- इसका हक़ अदा करने के साथ कौन लेता है? फिर सब पीछे हट गये। सिमाक बिन ख़रशा अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा मैं इसका हक़ अदा करने के साथ लूँगा। फिर अबू दुजाना ने उस तलवार को लिया और उसके साथ मुश्रिकों के सर उड़ा दिये।

हदीस 798. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि ग़ज़्वा-ए-उहुद के दिन मेरे वालिद शहीद हो गये। मैं उनके चेहरे से कपड़ा उठाकर रोने लगा। लोग मुझे मना कर रहे थे। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे मना नहीं किया, फिर फ़ातिमा बिन्ते अ़मर ने भी रोना शुरू कर दिया। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम रोओ या न रोओ, जब तक तुम इनका जनाज़ा नहीं उठाओगे फ़रिश्ते इन पर साया करते रहेंगे।

हदीस 799. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इतिन्जे की ज़रूरत पूरी करने के लिये तशरीफ़ ले गये, मैंने आपके लिये वुज़ू का पानी रखा, आपने आकर पूछा यह पानी किसने रखा है? सहाबा किराम ने मेरा नाम लिया। आपने मुझे दुआ़ देते हुए फ़रमाया- ऐ अल्लाह! इसे दीन की समझ अ़ता फ़रमाईये।

हदीस 800. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने ख़्वाब में देखा कि मेरे हाथ में रेशम का एक टुकड़ा है और मैं जन्नत में जिस जगह भी जाना चाहता हूँ वह टुकड़ा उड़कर उस जगह आ जाता है, और मैंने यह ख़्वाब अपनी बहन हज़रत हफ़्सा से बयान किया, उन्होंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से बयान किया तो आपने फ़रमाया- मैं समझता हूँ कि अ़ब्दुल्लाह नेक आदमी है।

हदीस 801. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मेरी वालिदा मुझे रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास ले आयीं और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! यह अनस मेरा बेटा है, मैं आपकी ख़िदमत

के लिये इसको आपके पास लाई हूँ। आप इसके हक़ में अल्लाह तआ़ला से दुआ़ कीजिये। आपने फ़रमाया- ऐ अल्लाह! इसके माल और औलाद में बरकत फ़रमा। अल्लाह की क़सम, मेरा माल बहुत ज़्यादा है और आज मेरी औलाद और औलाद की औलाद सौ के लगभग हैं।

हदीस 802. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मेरी वालिदा उम्मे सलीम ने कहा- ऐ अल्लाह के रसूल! आप पर मेरे माँ-बाप क़ुरबान हों, यह अनस है इसके लिये दुआ़ फ़रमाईये। फिर रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मेरे लिये तीन दुआ़यें कीं जिनमें से दो के क़ुबूल होने को मैंने दुनिया में ही देख लिया और तीसरी की क़ुबूलियत के मुताल्लिक़ मैं आख़िरत में उम्मीद रखता हूँ।

हदीस 803. हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को हज़रत हस्सान बिन साबित को यह फ़रमाते हुए सुना कि अपने अश्आ़र में इन काफ़िरों की बुराई बयान करो, जिब्रील अ़लैहिस्सलाम भी तुम्हारे साथ हैं।

हदीस 804. हज़रत उम्मे मुबश्शिर रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इन्शा-अल्लाह दरख़्त के नीचे बैअ़त करने वालों में से कोई शख़्स दोज़ख़ में दाख़िल नहीं होगा।

वज़ाहतः- यह बैअ़त सुलह हुदैबिया के मौक़े पर हुई थी।

हदीस 805. हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अश्अ़री (क़बीले के लोग) जब जिहाद में हाज़िर होते या मदीना में उनके अहल व अ़याल (बाल-बच्चों व घर वालों) का खाना कम हो जाता तो उनके पास जो कुछ होता वह उसको एक बड़े बर्तन में इकट्ठा कर लेते थे, फिर आपस में बराबर-बराबर तक़सीम कर लेते थे। मैं उनमें से हूँ और वे मुझसे हैं।

वज़ाहतः- खाना कम हो जाये तो खाने का सामान जो कुछ भी उनके पास हो वह सब एक जगह इकट्ठा कर लें और साथ बैठकर खायें या बराबर-बराबर तक़सीम कर लें तो अल्लाह तआ़ल बरकत अ़ता फ़रमा देते हैं और कम खाना ज़्यादा लोगों के लिये काफ़ी हो जाता है। अल्लाह के

हुक्म से।

हदीस 806. हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ अल्लाह! अन्सार की मग़फ़िरत फ़रमा और अन्सार के बेटों की मग़फ़िरत फ़रमा, अन्सार के पोतों की मग़फ़िरत फ़रमा।

हदीस 807. हज़रत अबूज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- (क़बीला) ग़िफ़ार की अल्लाह तआ़ला मग़फ़िरत करे और (क़बीला) असलम को अल्लाह तआ़ला सलामत रखे।

वज़ाहतः- अश्अ़र, असलम और बनू ग़िफ़ार चन्द क़बीलों के नाम हैं जिनकी आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़ज़ीलत बयान फ़रमाई और उनको दुआ़ दी।

हदीस 808. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो औ़रतें ऊँटों पर सफ़र करती हैं उनमें बेहतरीन क़ुरैश की नेक औ़रतें हैं जो अपनी औलाद पर कमसिनी (कम उम्री) में ज़्यादा मेहरबान होती हैं और शौहर के माल की ज़्यादा हिफ़ाज़त करती हैं।

वज़ाहतः- क़ुरैश की औ़रतों की फ़ज़ीलत यह है कि वे औलाद पर शफ़क़त, उनकी अच्छी तरबियत, शौहर के माल और उसकी अमानत की हिफ़ाज़त करती हैं। शौहर के माल को अच्छे तरीक़े और इन्तिज़ाम से ख़र्च करती हैं। ऊँटों पर सवार होने वालियों से मुराद अ़रब की औ़रतें हैं।

हदीस 809. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सितारे आसमानों के लिये हिफ़ाज़त की निशानी हैं। जब सितारे ख़त्म हो जायेंगे तो आसमान पर वह चीज़ आ जायेगी जिस से तुमको डराया गया है (यानी क़ियामत)। मैं अपने सहाबा के लिये हिफ़ाज़त की निशानी हूँ और जब मैं चला जाऊँगा तो मेरे सहाबा पर वो फ़ितने आ जायेंगे जिनसे उनको डराया गया है। मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिये हिफ़ाज़त की निशानी हैं और जब वे चले जायेंगे

तो मेरी उम्मत पर वो (फ़ितने) आ जायेंगे जिनसे उनको डराया गया है।

वज़ाहतः- सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम को जिन फ़ितनों से डराया गया था वो आपस की जंगें, कुछ लोगों का मुर्तद होना (इस्लाम से फिर जाना) और दिलों में फूट पड़ जाना, और उम्मत को जिन फ़ितनों की ख़बर दी गयी है वो दीन में बिद्अ़तें (नई-नई बातों) का पैदा होना, रूम वालों का ग़ालिब होना, मदीना और मक्का मुकर्रमा की हुर्मतों (इज़्ज़त व सम्मान) का पामाल (ख़राब व बरबाद) होना, वग़ैरह हैं।

हदीस 810. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सवाल किया गया कि लोगों में सबसे बेहतर कौन हैं? आपने फ़रमाया- मेरा ज़माना है (यानी मेरे ज़माने के मुसलमान लोग), फिर वे लोग हैं जो उनके क़रीब हों, फिर वे लोग हैं जो उनके क़रीब हों। फिर एक ऐसी क़ौम आयेगी जिनकी गवाही उनकी क़सम से आगे बढ़ जायेगी।

वज़ाहतः- सबसे बेहतर ज़माना रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का है, फिर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम फिर ताबिईन का ज़माना है। गवाही का क़सम से आगे बढ़ने का मतलब यह है कि उनसे किसी मामले में गवाही तलब न की जाये तो भी वे क़सम और गवाही के लिये हर वक़्त तैयार रहेंगे, और लोग बिना वजह क़समें खाना शुरू कर देंगे।

अच्छे सुलूक और सिला-रहमी का बयान

हदीस 811. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तीन मर्तबा यह फ़रमाया- उस शख़्स की नाक "मिट्टी से मिल जाये" पूछा गया- ऐ अल्लाह के रसूल! वह कौन शख़्स है? फ़रमाया- जिसने अपने माँ-बाप दोनों या उनमें से किसी एक को बुढ़ापे में पाया और (उनकी ख़िदमत करके) जन्नत में दाख़िल नहीं हुआ।

हदीस 812. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सबसे बड़ी

नेकी यह है कि कोई शख़्स अपने माँ-बाप के दोस्तों से अच्छा सुलूक करे।

वज़ाहतः- हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु बयान करते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास बैठे हुए थे, इतने में बनू सलमा के एक शख़्स ने आकर पूछा- ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने माँ-बाप के मरने के बाद भी उनके साथ किसी क़िस्म की कोई नेकी कर सकता हूँ? आपने फ़रमाया- हाँ उनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ो, उनके लिये इस्तिग़फ़ार करो, जिस शख़्स से उन्होंने कोई वायदा किया था उस वायदे को पूरा करो, जिनके साथ वे अच्छा सुलूक करते थे उनके साथ अच्छा सुलूक करो और उनके दोस्तों के साथ अदब व एहतिराम से पेश आओ। (अबू दाऊद)

हदीस 813. हज़रत नव्वास बिन सिमआ़न रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से नेकी और गुनाह के मुताल्लिक़ सवाल किया। आपने फ़रमाया- अच्छे अख़्लाक़ का मुज़ाहरा करना नेकी है और गुनाह वह चीज़ है जो तुम्हारे दिल में खटकती रहे और तुम यह नापसन्द करो कि लोगों को यह बात मालूम हो।

हदीस 814. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने मख़्लूक़ को पैदा फ़रमाया और जब वह उनसे फ़ारिग़ हो गया तो रहम (रिश्तेदारी) ने खड़े होकर कहा- यह क़ता-रहमी (रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने) से पनाह माँगने वाले का मक़ाम है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया- (ऐ रहम) क्या तुम इससे राज़ी नहीं हो कि मैं उससे मिलूँगा जो तुमसे मिलेंगे और उससे ताल्लुक़ न रखूँगा जो तुमसे ताल्लुक़ न रखेंगे। रहम ने कहा कि जी हाँ ज़रूर राज़ी हूँ। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया है- यह तुम्हारा हक़ है। फिर रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर तुम चाहो तो ये आयतें पढ़ो-

तर्जुमाः- क़रीब है कि अगर तुम्हें हुकूमत दी जाये तो तुम ज़मीन में फ़साद फैलाओ और अपनी रिश्तेदारियों को तोड़ डालो, यही वे लोग हैं जिन पर अल्लाह तआ़ला ने लानत की है फिर उनको बहरा और अंधा कर दिया, तो क्या वे क़ुरआन मजीद में ग़ौर व फ़िक्र (विचार) नहीं करते या उनके

दिलों पर ताले पड़े हुए हैं। (सूरः मुहम्मद 47, आयतें 22-24)

हदीस 815. हज़रत जुबैर बिन मुतअ़िम रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ता-रहमी करने वाला (रिश्तेदारी तोड़ने वाला) जन्नत में दाख़िल नहीं होगा।

वज़ाहतः- किसी बात पर नाराज़ होकर रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ लेना आख़िरत में जन्नत से मेहरूमी का सबब है। एहतियात कीजिये।

हदीस 816. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स यह चाहता हो कि उसके रिज़्क़ में फ़राख़ी (फैलाव और अधिकता) की जाये या उसकी उम्र लम्बी की जाये तो वह सिला-रहमी (रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक) करे।

वज़ाहतः- उम्र में इज़ाफ़ा इस तरह किया जा सकता है कि रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक करें जबकि वे आप से अच्छा सुलूक न करें और उनके बुरे सुलूक या नुक़सान पहुँचाने पर सब्र करें, और अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त से इसके अज्र के लिये दुआ़ करें।

हदीस 817. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ने कहा- ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे (कुछ) रिश्तेदार ऐसे हैं कि मैं उनसे ताल्लुक़ जोड़ता हूँ वे मुझसे ताल्लुक़ तोड़ते हैं, मैं उनके साथ नेकी करता हूँ और वे मेरे साथ बुराई करते हैं, मैं उनके साथ बुर्दबारी के साथ पेश आता हूँ और वे मेरे साथ जहालत भरा सुलूक करते हैं। आपने फ़रमाया- अगर तुम हक़ीक़त में ऐसा ही करते हो जैसा कि तुमने कहा है तो तुम उनको जलती हुई राख खिला रहे हो और जब तक तुम इस तरह करते रहोगे अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से उनके मुक़ाबले में तुम्हारा एक मददगार रहेगा।

हदीस 818. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- एक दूसरे से हसद न करो (यानी जलो मत), बिना वजह चीज़ों की क़ीमतें न बढ़ाओ, एक दूसरे से बुग़ज़ (नफ़रत) न रखो, एक दूसरे से नाराज़गी न रखो, किसी की बै

(सौदे) पर बै न करो, अल्लाह तआ़ला के बन्दे और भाई भाई बन जाओ, मुसलमान मुसलमान का भाई है, लिहाज़ा कोई भी अपने भाई पर ज़ुल्म न करे, उसको रुस्वा न करे, हक़ीर न समझे। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने सीने की तरफ़ इशारा करके तीन बार फ़रमाया- तक़्वा यहाँ है, किसी शख़्स की बुराई के लिये यही काफ़ी है कि वह अपने मुसलमान भाई को हक़ीर (कमतर और गिरा हुआ) जाने। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर उसका ख़ून बहाना, उसकी इज़्ज़त बरबाद करना और उसका माल लूटना हराम है।

हदीस 819. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों की तरफ़ नहीं देखते, अलबत्ता वह तुम्हारे दिलों और आमाल की तरफ़ देखते हैं।

वज़ाहतः- अल्लाह तआ़ला ख़ूबसूरती या मालदारी पर सवाब नहीं देते बल्कि दिलों की नीयत और सुन्नत के मुताबिक़ अ़मल देखकर सवाब अ़ता फ़रमाते हैं। इसलिये नीयत को ख़ालिस करके और सुन्नत के मुताबिक़ अ़मल कीजिये ताकि पूरा पूरा सवाब मिल जाये।

हदीस 820. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- लोगों के आमाल हर हफ़्ते में दो बार पीर और जुमेरात को अल्लाह तआ़ला की बारगाह में पेश किये जाते हैं, और हर मुसलमान बन्दे की मग़फ़िरत कर दी जाती है सिवाय उन बन्दों के जो अपने मुसलमान भाई के साथ कीना रखते हों, और कहा जाता है कि इनको मोहलत दो यहाँ तक कि ये रुजू कर लें।

वज़ाहतः- हर पीर और जुमेरात को अच्छे आमाल की बदौलत मुसलमानों के तमाम सग़ीरा (छोटे) गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है, अलबत्ता मुसलमान भाई से कीना रखने का गुनाह इतना बड़ा है कि उस वक़्त तक माफ़ नहीं किया जाता जब तक कि वे आपस में सुलह न कर लें।

हदीस 821. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला

क़ियामत के दिन फ़रमायेंगे कि मेरी ज़ात से मुहब्बत करने वाले आज कहाँ हैं? आज मैं उन्हें अपने अ़र्श के साये में रखूँगा। आज मेरे साये के अ़लावा किसी चीज़ का साया नहीं है।

वज़ाहतः- अल्लाह तआ़ला से मुहब्बत के इज़हार के लिये आख़िरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की फ़रमाँबरदारी इन्तिहाई ज़रूरी है। तफ़सील के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः आले इमरान 3, आयत 31।

हदीस 822. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- एक शख़्स अपने भाई से मिलने के लिये एक दूसरी बस्ती में जा रहा था अल्लाह तआ़ला ने उसके रास्ते में एक फ़रिश्ते को उसके इन्तिज़ार के लिये भेज दिया। जब उस शख़्स का उसके पास से गुज़र हुआ तो फ़रिश्ते ने पूछा- कहाँ जाने का इरादा है? उस शख़्स ने कहा- उस बस्ती में मेरा एक भाई है उससे मिलने का इरादा है। फ़रिश्ते ने पूछा- क्या तुमने उस पर कोई एहसान किया है जिसको पूरा करना मक़सद है? उसने कहा- इसके सिवा और कोई बात नहीं कि मुझे उससे सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला की रज़ा के लिये मुहब्बत है। तब उस फ़रिश्ते ने कहा कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह तआ़ला का पैग़ाम लाया हूँ कि जिस तरह तुम उस शख़्स से महज़ अल्लाह तआ़ला की वजह से मुहब्बत करते हो अल्लाह तआ़ला भी तुमसे मुहब्बत करते हैं।

हदीस 823. हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मरीज़ की इयादत (मिज़ाज पुर्सी) करने वाला वापस आने तक जन्नत के बाग़ में रहता है।

हदीस 824. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला फ़रमायेंगे- ऐ आदम के बेटे! मैं बीमार हुआ तुमने मेरी इयादत नहीं की। वह शख़्स कहेगा कि ऐ मेरे रब! मैं आपकी इयादत कैसे करता हालाँकि आप तो रब्बुल-आ़लमीन हैं। अल्लाह तआ़ला फ़रमायेंगे क्या तुझे मालूम नहीं कि मेरा फ़ुलाँ बन्दा बीमार था अगर तुम उसकी इयादत करते तो मुझे उसके पास पाते।

ऐ आदम के बेटे! मैंने तुमसे खाना माँगा तो तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। वह शख़्स कहेगा- ऐ मेरे रब! मैं आपको खाना कैसे खिलाता हालाँकि आप तो रब्बुल-आ़लमीन हैं। अल्लाह फ़रमायेंगे क्या तुमको मालूम नहीं कि मेरे फ़ुलाँ बन्दे ने तुमसे खाना माँगा था अगर तुम उसको खाना खिला देते तो तुम मुझे उसके पास पाते।

ऐ आदम के बेटे! मैंने तुमसे पानी माँगा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। वह शख़्स कहेगा- ऐ मेरे रब! मैं आपको कैसे पानी पिलाता हालाँकि आप तो रब्बुल-आ़लमीन (जमाम जहानों के पालने वाले) हैं। अल्लाह तआ़ला फ़रमायेंगे मेरे फ़ुलाँ बन्दे ने तुमसे पानी माँगा था अगर तुम उसको पानी पिला देते तो तुम मुझे उसके पास पाते।

हदीस 825. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुसलमान को जब कोई काँटा चुभता है या इससे भी कम कोई तकलीफ़ होती है तो अल्लाह तआ़ला उसके बदले उसका दर्जा बुलन्द करते हैं या उसका गुनाह मिटा देते हैं।

हदीस 826. हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का यह इरशाद है कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया- ऐ मेरे बन्दो! मैंने अपने ऊपर ज़ुल्म को हराम किया है और मैंने तुम्हारे दरमियान भी ज़ुल्म को हराम कर दिया है, लिहाज़ा तुम एक दूसरे पर ज़ुल्म न करो। ऐ मेरे बन्दो! तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसको मैं हिदायत दे दूँ, इसलिये तुम सब मुझ ही से हिदायत माँगो, मैं तुमको हिदायत दूँगा। तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसको मैं खाना खिला दूँ, इसलिये तुम सिर्फ़ मुझ ही से खाना माँगो, मैं तुमको खिलाऊँगा। तुम सब बेलिबास हो सिवाय उसके जिसको मैं लिबास पहना दूँ। लिहाज़ा तुम मुझसे ही लिबास माँगो मैं तुमको लिबास पहनाऊँगा। तुम सब दिन-रात गुनाह करते हो और मैं तुम्हारे गुनाहों को बख़्शता हूँ, तुम मुझसे बख़्शिश माँगो, मैं तुमको बख़्शिश दूँगा। तुम किसी नुक़सान के मालिक नहीं हो कि मुझे नुक़सान पहुँचा सको और तुम किसी नफ़े के मालिक नहीं कि मुझे नफ़ा पहुँचा सको। अगर तुम्हारे अव्वल व आख़िर, इनसान और जिन्न तुम में से

सबसे ज़्यादा परहेज़गार शख़्स की तरह हो जायें तो मेरी सल्तनत (बादशाहत) में कुछ भी इज़ाफ़ा नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे अव्वल व आख़िर (यानी तमाम) इनसान और जिन्न तुम में से सबसे ज़्यादा बदकार शख़्स की तरह हो जायें तो मेरी बादशाहत से कोई चीज़ कम नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे अव्ल व आख़िर, इनसान और जिन्न किसी एक जगह खड़े होकर मुझसे सवाल करें और मैं हर इनसान का सवाल पूरा करता जाऊँ तो जो कुछ मेरे पास है उससे सिर्फ़ इतना कम होगा जिस तरह सूई को समुद्र में डालकर (निकालने से) उसमें कमी होती है। ये तुम्हारे आमाल हैं जिनको मैं तुम्हारे लिये जमा कर रहा हूँ, फिर मैं तुमको इनकी पूरी-पूरी जज़ा दूँगा, पस जो शख़्स ख़ैर को पाये वह अल्लाह की तारीफ़ करे और जिसको ख़ैर के सिवा कोई चीज़ (मसलन आफ़त या मुसीबत) पहुँचे वह अपने नफ़्स के सिवा और किसी को मलामत न करे।

हदीस 827. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ज़ुल्म से बचो क्योंकि ज़ुल्म क़ियामत के दिन की तारीकियाँ (जहन्नम के अंधेरों में ले जाने वाले) हैं और कंजूसी से बचो क्योंकि तुमसे पहले लोगों को कंजूसी (की आ़दत) ने हलाक कर दिया, इस कंजूसी ने उनको ख़ून बहाने और हराम को हलाल करने पर भड़काया (उकसाया)।

वज़ाहतः- किसी पर ज़ुल्म करना या कंजूसी करना ऐसी बुरी आ़दतें हैं कि जिनका दुनिया में भी नुक़सान है और आख़िरत में भी।

हदीस 828. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुसलमान, मुसलमान का भाई है, न उस पर ज़ुल्म करे न उसको ज़लील करे। जो शख़्स अपने भाई की मदद में रहता है अल्लाह तआ़ला उसकी मदद में रहता है। जो शख़्स किसी मुसलमान की मुसीबत दूर करेगा अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन उसकी मुसीबत दूर कर देगा। जो शख़्स किसी मुसलमान (के ऐबों) का पर्दा रखेगा अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन उसका पर्दा रखेगा।

हदीस 829. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क्या तुम जानते हो कि मुफ़लिस (कंगाल व ग़रीब) कौन होता है? सहाबा किराम ने कहा- हमारे नज़दीक मुफ़लिस वह शख़्स है जिसके पास माल व दौलत न हो। आपने फ़रमाया- मेरी उम्मत का मुफ़लिस वह शख़्स है जो क़ियामत के दिन बहुत ज़्यादा नमाज़, रोज़ा और ज़कात लेकर आयेगा और उस शख़्स ने (दुनिया में) किसी को गाली दी, किसी पर तोहमत लगाई, किसी का माल खाया, किसी का ख़ून बहाया और किसी को मारा था, फिर उसे (मज़लूम को) उसकी नेकियाँ मिल जायेंगी और अगर उनके हुक़ूक़ पूरे होने से पहले उसकी नेकियाँ ख़त्म हो गयीं तो उनके गुनाह उस पर डाल दिये जायेंगे और उसको जहन्नम में फेंक दिया जायेगा।

वज़ाहतः- बन्दों के हुक़ूक़ की अदायेगी ज़रूरी है वरना आख़िरत में नेकियों के बावजूद जहन्नम में जाना पड़ेगा।

हदीस 830. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ज़ालिम को कुछ वक़्त के लिये मोहलत देते हैं और जब उसको पकड़ लेते हैं तो फिर नहीं छोड़ते, फिर आपने यह आयत तिलावत फ़रमाई-

तर्जुमाः- और जब भी आपका रब किसी ज़ालिम बस्ती को पकड़ता है तो उसकी गिरफ़्त ऐसी ही सख़्त होती है, बेशक अल्लाह तआ़ला की पकड़ सख़्त और दर्दनाक है। (सूरः आराफ़ 11, आयत 102)

हदीस 831. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम एक जंग में रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ थे, वहाँ एक मुहाजिर सहाबी ने एक अन्सारी सहाबी की सुरीन (चूतड़) पर मारा। अन्सारी ने कहा- ऐ अन्सारियो! मदद करो। मुहाजिर ने कहा- ऐ मुहाजिरो! मदद करो। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- यह क्या ज़माना जाहिलीयत की तरह मदद के लिये पुकार रहे हो? सहाबा किराम ने कहा- ऐ अल्लाह के रसूल! एक मुहाजिर शख़्स ने एक अन्सारी की सुरीन पर मारा है। आपने फ़रमाया- इस मामले को छोड़ो यह एक ग़लत

और बुरी हरकत है। अ़ब्दुल्लाह बिन उबई (मुनाफ़िक़ों के सरदार) ने यह सुना तो कहने लगा- अच्छा मुहाजिरों ने ऐसा किया है, अल्लाह की क़सम! जब हम मदीना पहुँचेंगे तो हम में से इज़्ज़त वाले ज़िल्लत वालों को निकाल देंगे। (सूरः मुनाफ़िक़ून 63, आयत 8)

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा- ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे इस मुनाफ़िक़ की गर्दन उड़ाने की इजाज़त दीजिये। आपने फ़रमाया- रहने दो कहीं लोग यह न कहें कि मुहम्मद अपने साथियों को क़त्ल कर रहे हैं।

वज़ाहतः- ज़माना जाहिलीयत में लोग बेजा हिमायत व तरफ़दारी की बिना पर लड़ाईयों में अपने-अपने क़बीले वालों को पुकारते थे। इस्लाम ने इस तरीक़े को ग़लत क़रार दिया और यह बताया कि झगड़ों और मुक़द्दमों का फ़ैसला शरीअ़त के हुक्म की बुनियाद पर किया जाये। जब एक इनसान दूसरे शख़्स पर कोई ज़्यादती करे तो क़ाज़ी उनके दरमियान फ़ैसला कर दे। चूँकि उस मुहाजिर और अन्सारी का अपने-अपने हिमायतियों को पुकारना ज़माना जाहिलीयत की चीख़ व पुकार के जैसा था इसलिये आपने इसको नापसन्द फ़रमाया।

हदीस 832. हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुसलमानों की आपस में दोस्ती, रहमत और शफ़क़त की मिसाल जिस्म की तरह है, जब जिस्म का कोई अंग बीमार होता है तो बुख़ार होने और नींद न आने में सारा जिस्म उसका शरीक होता है।

वज़ाहतः- मुसलमानों को आपस में इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ (मेल-मिलाप और एकजुटता) रखना इन्तिहाई ज़रूरी है।

हदीस 833. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब दो शख़्स एक दूसरे को गालियाँ दें तो उसका गुनाह पहल और शुरूआ़त करने वाले को होगा, बशर्ते कि मज़लूम हद से आगे न निकले।

वज़ाहतः- जब दो शख़्स एक दूसरे को गालियाँ दें तो उसका तमाम गुनाह गाली देने की पहल और शुरूआ़त करने वाले को होगा बशर्ते कि

दूसरा शख़्स बदला लेने में हद से आगे न बढ़े, लिहाज़ा अगर इनसान बदला लेने के बजाय सब्र करे और माफ़ कर दे तो यह ज़्यादा अफ़ज़ल है। अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः शूरा 42, आयत 39-43।

हदीस 834. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सदक़ा देने से माल में कमी नहीं होती, किसी को माफ़ करने से अल्लाह तआ़ला माफ़ करने वाले की इ़ज़्ज़त में इज़ाफ़ा फ़रमाते हैं, और जो शख़्स भी अल्लाह तआ़ला की रज़ा के लिये आ़जिज़ी इख़्तियार करता है अल्लाह तआ़ला उसका दर्जा बुलन्द करते हैं।

वज़ाहतः- सदक़ा करने से अल्लाह तआ़ला माल में इज़ाफ़ा करते हैं या सदक़ा करने से दुनिया में जो माल में कमी होती है अल्लाह तआ़ला उसके बदले में आख़िरत में अज्र अ़ता फ़रमाकर उस कमी को पूरा कर देते हैं। अल्लाह तआ़ला माफ़ करने वाले की आख़िरत में इ़ज़्ज़त बढ़ायेंगे। अल्लाह तआ़ला दुनिया में उसका दर्जा बुलन्द कर देते हैं और लोगों के दिलों में उसकी मुहब्बत पैदा कर देते हैं। अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः सबा 34, आयत 39।

हदीस 835. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क्या तुम जानते हो कि ग़ीबत क्या है? सहाबा किराम ने अ़र्ज़ किया- अल्लाह और उसके रसूल ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फ़रमाया- तुम अपने भाई के उस ऐब का ज़िक्र करो जिस ज़िक्र को वह नापसन्द करता हो। आप से अ़र्ज़ किया गया- आपका क्या ख़्याल है कि अगर वाक़ई वह ऐब मेरे भाई में हो जो मैं कहूँ? आपने फ़ररमाया- अगर वह ऐब उसमें है जो तुम कहते हो तभी तो वह ग़ीबत है, और अगर उसमें वह ऐब न हो फिर तो तुमने उस पर बोहतान लगाया है।

वज़ाहतः- बोहतान (किसी पर ग़लत इल्ज़ाम लगाना) तो ग़ीबत से भी बड़ा गुनाह है।

हदीस 836. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि

रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो बन्दा दुनिया में किसी बन्दे के ऐब को छुपायेगा तो क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला उसके ऐब को छुपायेगा।

हदीस 837. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि एक शख़्स ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मुलाक़ात की इजाज़त तलब की। आपने फ़रमाया- उसे इजाज़त दे दो, यह शख़्स अपने क़बीले का बुरा आदमी है। जब वह शख़ आया तो आपने उसके साथ नर्मी से बातचीत की। मैंने कहा- ऐ अल्लाह के रसूल! आपने उसके बारे में वह फ़रमाया था फिर आपने उससे नर्मी से बात की? आपने फ़रमाया- ऐ आ़यशा! क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला के नज़दीक सबसे बुरा शख़्स वह होगा जिसकी बदज़ुबानी की वजह से लोग उससे मिलना छोड़ दें।

हदीस 838. हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो आदमी नर्मी इख़्तियार करने से मेहरूम रहा वह आदमी भलाई से मेहरूम रहा।

हदीस 839. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ आ़यशा! अल्लाह तआ़ला रफ़ीक़ (आसानी करने वाले) हैं और रिफ़्क़ और नर्मी को पसन्द करते हैं। वह नर्मी की वजह से इतनी चीज़ें अ़ता फ़रमाते हैं जो सख़्ती या किसी और वजह से अ़ता नहीं फ़रमाते।

हदीस 840. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- नर्मी जिस चीज़ में भी होती है वह उसको ख़ूबसूरत बना देती है और जिस चीज़ से नर्मी निकाल दी जाती है उसको बदसूरत कर देती है।

हदीस 841. हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम एक सफ़र में जा रहे थे, अन्सार की एक औ़रत ऊँटनी पर सवार थी अचानक वह ऊँटनी बेचैन हुई। उस औ़रत ने उस पर लानत की, रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सुन लिया। आपने फ़रमाया- ऊँटनी पर जो सामान है वह उतार लो और

इस ऊँटनी को छोड़ दो क्योंकि इस पर लानत की गयी है। मेरी आँखों के सामने अब भी यह मन्ज़र है कि वह ऊँटनी लोगों के दरमियान फिर रही है और उस पर कोई शख़्स सवारी नहीं कर रहा है।

हदीस 842. हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- लानत करने वाले क़ियामत के दिन न शहादत (गवाही) देंगे, न शफ़ाअ़त (गुनाहों की माफ़ी की सिफ़ारिश) करेंगे।

हदीस 843. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया गया- मुश्रिक लोगों के ख़िलाफ़ बददुआ़ कीजिए। आपने फ़रमाया- मुझे लानत करने वाला बनाकर नहीं भेजा गया, मुझे सिर्फ़ रहमत बनाकर भेजा गया है।

वज़ाहतः- किसी भी जानवर या इनसान पर लानत न करें इसलिये कि यह अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नाराज़गी का सबब बनती है।

हदीस 844. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बहुत ज़्यादा बुरा शख़्स वह है जो दो रुख़ा हो, कुछ लोगों के साथ एक चेहरे से मुलाक़ात करे और कुछ लोगों से दूसरे चेहरे के साथ मुलाक़ात करे।

वज़ाहतः- दो रुख़ा शख़्स से मुराद दोग़ला है जो एक शख़्स के सामने उसके कामों की तारीफ़ और दूसरे की बुराई करे और दूसरे के सामने उसकी तारीफ़ और पहले की बुराई करे।

हदीस 845. हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- वह शख़्स झूठा नहीं है जो लोगों में सुलह कराये, अच्छी बात कहे और दूसरे की तरफ़ से अच्छी बात करे।

वज़ाहतः- सिर्फ़ तीन मौक़ों पर झूठ की इजाज़त है- जिहाद में, दो आदमियों में सुलह कराने में और मियाँ-बीवी के दरमियान झगड़ा ख़त्म करवाने में।

हदीस 846. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क्या मैं तुमको यह न बताऊँ कि क्या चीज़ सख़्त हराम है? फिर फ़रमाया- यह चुग़ली है जो लोगों के दरमियान फैल जाती है। इनसान सच बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला के यहाँ वह सिद्दीक़ (सच्चा) लिख दिया जाता है, और झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि उसको कज़्ज़ाब (झूठा) लिख दिया जाता है।

वज़ाहतः- चुग़लख़ोर को जन्नत से मेहरूम कर दिया जायेगा। अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः क़लम 68, आयत 11, सूरः हु-मज़ह् 104, आयत 1।

हदीस 847. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब अल्लाह तआ़ला ने आदम अ़लैहिस्सलाम की सूरत बना ली तो जब तक चाहा उन (के जिस्म) को वहाँ रखा। शैतान उनके इर्द-गिर्द घूमकर देखने लगा। जब उसने देखा कि यह जिस्म अन्दर से खोखला है तो उसने जान लिया कि यह ऐसी आ़दत पर पैदा किया गया है, यह (वस्वसों के बारे में) ख़ुद पर क़ाबू नहीं रख सकेगा।

हदीस 848. हज़रत सुलैमान बिन सुरद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास दो आदमियों ने आपस में एक दूसरे को गाली दी, उनमें से एक का चेहरा गुस्से की वजह से सुर्ख़ हो गया। आपने उस आदमी की तरफ़ देखकर फ़रमाया- मैं एक ऐसा कलिमा जानता हूँ अगर वह उसे कह ले तो उससे (ग़ुस्से की यह हालत) जाती रहेगी (वह कलिमा यह है) "अ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम"।

वज़ाहतः- बार-बार "अ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम" पढ़ते रहिये यहाँ तक कि गुस्सा ख़त्म हो जाये।

हदीस 849. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से कोई शख़्स अपने भाई से लड़े तो उसके चेहरे पर मारने से परहेज़ करे क्योंकि

अल्लाह तआ़ला ने आदम अ़लैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर बनाया है।

वज़ाहतः- चेहरे पर मारना इसलिये मना है कि यह इनसानी जिस्म में सबसे मुकर्रम (इज़्ज़त व सम्मान वाला) अंग है। अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः ब-क़रह 2, आयत 115।

हदीस 850. हज़रत हिशाम बिन हकीम रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने देखा कि हिमस (जगह का नाम) के हाकिम ने कुछ लोगों को जिज़या (टैक्स) न देने की वजह से धूप में खड़ा कर रखा है। पूछा- यह क्या है? मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना कि अल्लाह तआ़ला (क़ियामत के दिन) उन लोगों को अ़ज़ाब देगा जो दुनिया में लोगों को (बिना वजह) सज़ा देते हैं।

वज़ाहतः- यह हदीस नाहक़ सज़ा देने वालों के लिये है, और जिस शख़्स को उसके जुर्म पर सज़ा दी जाये वह अमीर इस हुक्म में दाख़िल नहीं है। मसलन क़त्ल के बदले क़त्ल, शरई सज़ाओं और हुकूमती सज़ाओं के मुताबिक़ इस्लामी सज़ा दी जाये तो वह इस हुक्म में दाख़िल नहीं।

हदीस 851. हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से कोई शख़्स हमारी मस्जिदों या हमारे बाज़ार में जाये और उसके पास तीर हो तो वह उसके नोकदार हिस्से को अपने हाथ से पकड़ ले ताकि किसी मुसलमान को चुभ न जाये।

वज़ाहतः- हर नुक़सान देने वाली चीज़ का यही हुक्म है। हर चीज़ को इस तरह महफ़ूज़ रखा जाये कि उससे किसी को नुक़सान न पहुँचे।

हदीस 852. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से कोई शख़्स अपने भाई की तरफ़ हथियार से इशारा न करे। तुम में से कोई शख़्स नहीं जानता कि शायद शैतान उसके हाथ से हथियार छीनकर किसी को नुक़सान न पहुँचा दे और वह जहन्नम के गढ़े में जा गिरे।

वज़ाहतः- मौजूदा हथियार जैसे बन्दूक़, रायफ़ल वग़ैरह मज़ाक़ के तौर पर भी किसी मुसलमान की तरफ़ न करें, हो सकता है कि शैतान उसको

चलवाकर आख़िरत में जहन्नम का ईंधन बनवा दे।

हदीस 853. हज़रत अबू बरज़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे ऐसी चीज़ बताईये जिस से मैं नफ़ा हासिल करूँ। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुसलमानों के रास्ते से कोई तकलीफ़देह चीज़ दूर कर दो।

वज़ाहतः- रास्ते से तकलीफ़देह चीज़ के हटाने की बहुत फ़ज़ीलत और अज्र व सवाब है, चाहे वह कोई पेड़, पेड़ की टहनी, पत्थर, किसी फल का फिसलाने वाला छिलका या शीशे का टुकड़ा या कोई भी चीज़ हो।

हदीस 854. हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि इज़्ज़त मेरी इज़ार है और किब्रियाई मेरी रिदा (चादर) है। जो मुझसे इन सिफ़ात को छीनने की कोशिश करेगा मैं उसको अ़ज़ाब दूँगा।

वज़ाहतः- इज़ार वह चादर है जिसको कमर पर बाँधते हैं और रिदा वह चादर है जिसको कन्धों पर डालते हैं। चादरें इज़्ज़त व वक़ार की निशानी होती हैं, जो शख़्स अल्लाह तआ़ला की इज़्ज़त व वक़ार को घटाने की नापाक कोशिश करेगा और अपनी बड़ाई का दावेदार बनेगा वह अ़ज़ाब से दोचार होगा।

हदीस 855. हज़रत जुन्दुब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया- एक आदमी ने कहा कि अल्लाह तआ़ला फ़ुलाँ शख़्स को नहीं बख़्शेगा तो अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया- वह कौन शख़्स है जो मेरे मुताल्लिक़ यह क़सम उठाता है कि मैं फ़ुलाँ को नहीं बख़्शूँगा? मैंने उस फ़ुलाँ शख़्स को बख़्श दिया और तुम्हारे अ़मल को बरबाद कर दिया।

वज़ाहतः- अल्लाह तआ़ला के मुताल्लिक़ अदब से बात करना लाज़िम है, और अल्लाह के मुताल्लिक़ कोई दावा नहीं करना चाहिये वरना तमाम नेक आमाल बरबाद होने का ख़तरा और डर है।

हदीस 856. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बहुत से गर्द व गुबार

में भरे हुए, बिखरे हुए बालों वाले, दरवाज़ों से धुतकारे जाने वाले ऐसे हैं कि अगर वे अल्लाह तआ़ला पर भरोसा करके क़सम खा लें तो अल्लाह तआ़ला उनकी क़सम को सच्चा कर देते हैं।

वज़ाहतः- अगर कोई नेक मुसलमान किसी काम के होने की क़सम खा ले तो अल्लाह तआ़ला वह काम कर देते हैं।

हदीस 857. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब कोई शख़्स यह कहे कि लोग हलाक हो गये हैं तो वह उनसे ज़्यादा हलाक होने वाला होता है।

वज़ाहतः- कोई शख़्स लोगों को हक़ीर (कमतर) समझते हुए और अपनी बरतरी ज़ाहिर करते हुए कहे कि लोग हलाक हो गये तो वह शख़्स खुद तकब्बुर के अ़ज़ाब में हलाक होने वाला है।

हदीस 858. हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मेरे ख़लील (दोस्त) रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे यह वसीयत की कि जब तुम सालन पकाओ तो उसमें शोरबा ज़्यादा रखो, फिर अपने पड़ोसी को भी वह अच्छी चीज़ भेज दो।

वज़ाहतः- इस हदीस में अच्छे सुलूक की हिदायत दी है। इस अ़मल से पड़ोसियों का प्यार और मुहब्बत हासिल होगी और पड़ोसियों की ज़रूरतें पूरी होंगी। कभी पड़ोसी अपनी गुर्बत या ज़्यादा औलाद या तंगदस्ती की वजह से सालन न पका सकते हों या पड़ोस में यतीम बच्चे और बेवायें हों तो इस तरह उनकी ख़िदमत हो जायेगी जो सवाब का ज़रिया है।

हदीस 859. हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- किसी नेकी को कमतर (मामूली) न जानो, चाहे अपने भाई के साथ अच्छे अख़्लाक़ और बेहतर अन्दाज़ से मिलना हो।

वज़ाहतः- किसी भाई से अच्छे अख़्लाक़ के साथ मिलना भी नेकी है।

हदीस 860. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास जब कोई ज़रूरत मन्द आता तो

आप अपने सहाबा की तरफ़ मुतवज्जह होकर फ़रमाते- तुम (इसकी) सिफ़ारिश करो तुम्हें अज्र मिलेगा। अल्लाह तआ़ला अपने नबी की ज़बान से वही हुक्म जारी करेगा जो अल्लाह को पसन्द होगा।

वज़ाहतः- नेक कामों में सिफ़ारिश करना मुस्तहब (अच्छा और पसन्दीदा) है और उस पर अज्र भी मिलता है, लेकिन बुरे कामों और इस्लामी हदों और गुनाहों के कामों में सिफ़ारिश करना जायज़ नहीं है। अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः निसा 4, आयत 85।

हदीस 861. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि मेरे पास एक औ़रत दो बेटियों के साथ आई। उसने मुझसे (खाने का) सवाल किया, मेरे पास एक खजूर के अ़लावा और कुछ नहीं था। मैंने वह खजूर उसको दे दी। उसने वह खजूर लेकर उसके दो टुकड़े किये और उनको अपनी दो बेटियों में तक़सीम कर दिया और ख़ुद उसमें से कुछ नहीं खाया। फिर वह चली गयी, रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाये, मैंने आप से उस औ़रत का वाकि़आ़ बयान किया तो नबी करीम ने फ़माया- जिस पर बेटियों की परवरिश का बोझ पड़ जाये और वह उनके साथ अच्छा सुलूक करे तो वे उसके लिये जहन्नम से बचाव हो जाती हैं।

वज़ाहतः- उसके लिये जन्नत में दाख़िले की ख़ुशख़बरी है जो लड़कियों की परवरिश करे, इसलिये कि लड़के या लड़कियाँ देना अल्लाह तआ़ला का काम है। अधिक मालूमात के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः शूरा 42, आयत 49-50। आ़म तौर पर लोग लड़कियों की पैदाईश से नाख़ुश होते हैं और उनकी परवरिश को बोझ समझते हैं हालाँकि यह अन्दाज़ काफ़िरों का था। अधिक मालूमात के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः नहल 16, आयत 58-59।

हदीस 862. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से एक औ़रत ने पूछा- ऐ अल्लाह के रसूल! आपके फ़रमान तो मर्दों ने समेट लिये। आप हमारे लिये एक दिन मुक़र्रर फ़रमा दें जिसमें हम आपके पास हाज़िर हों और आप हमको उन अहकाम की तालीम दें जो अल्लाह तआ़ला ने आपको तालीम

दी है। आपने फ़रमाया- फ़ुलाँ-फ़ुलाँ दिन जमा होना। हम जमा हुईं, फिर हमारे पास रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये और जो अल्लाह तआ़ला ने आपको इल्म दिया था उसमें से हमें तालीम दी। आपने फ़रमाया- तुम में से जो औ़रत अपने से पहले अपने तीन बच्चे रवाना करेगी (और उनकी मौत पर सब्र करेगी) तो वे उसके लिये दोज़ख़ की आग से बचाने की आड़ हो जायेंगे। एक औ़रत ने कहा- और दो बच्चे भी? रसूले करीम ने फ़रमाया- दो बच्चों पर भी यही सवाब है।

वज़ाहतः- इसका मक़सद बच्चों की मौत पर सब्र की तालीम व हिदायत फ़रमाना है। असल सब्र मुसीबत की पहली ख़बर पर होता है। बेसब्री के बाद आख़िर सब्र आ ही जाता है, मगर उससे जन्नत का दाख़िला मुश्किल हो जाता है। इसलिये जैसे ही आप बुरी ख़बर सुनें तो फ़ौरन सब्र का मुज़ाहरा करें और पढ़िये "इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन" सूरः ब-क़रह 2, आयत 156। अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः जुमर 39, आयत 10।

हदीस 863. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला जब किसी बन्दे से मुहब्बत फ़रमाते हैं तो जिब्रील अ़लैहिस्सलाम को बुलाकर फ़रमाते हैं- मैं फ़ुलाँ से मुहब्बत करता हूँ तुम उसे महबूब रखो। फिर जिब्रील अ़लैहिस्सलाम भी उससे मुहब्बत करते हैं, फिर आसमान में ऐलान किया जाता है कि अल्लाह तआ़ला फ़ुलाँ बन्दे से मुहब्बत करते हैं तुम भी उससे मुहब्बत करो तो आसमान वाले भी उससे मुहब्बत करते हैं, फिर ज़मीन में उसके लिये मक़बूलियत रख दी जाती है। और जब (अल्लाह तआ़ला) किसी बन्दे को नापसन्द करते है तो जिब्रील अ़लैहिस्सलाम को बुलाकर फ़रमाते हैं- मैं फ़ुलाँ को नापसन्द करता हूँ तुम भी उसे नापसन्द करो। फिर जिब्रील अ़लैहिस्सलाम भी उसे नापसन्द करते हैं और ज़मीन में भी उसे नापसन्दीदा शख़्सियत क़रार दे दिया जाता है।

हदीस 864. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं और रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मस्जिद से जा रहे थे

तो मस्जिद की चौखट के पास हमारी एक शख़्स से मुलाक़ात हुई, उसने कहा- ऐ अल्लाह के रसूल! क़ियामत कब आयेगी? आपने फ़रमाया- तुमने उसकी क्या तैयारी की है? वह ख़ामोश हो गया। फिर उसने कहा- ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने क़ियामत के लिये ज़्यादा (नफ़्ली) नमाज़ें, ज़्यादा (नफ़्ली) रोज़े और ज़्यादा (नफ़्ली) सदक़े तो तैयार नहीं किये लेकिन मैं अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल से मुहब्बत रखता हूँ। आपने फ़रमाया- तुमको जिसके साथ मुहब्बत होगी (आख़िरत में) उसी के साथ रहोगे।

वज़ाहतः- अल्लाह तआ़ला और उसके रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और नेक लोगों और अहले ख़ैर के साथ मुहब्बत रखने की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। अल्लाह तआ़ला और उसके पाक रसूल की सबसे अफ़ज़ल मुहब्बत यह है कि उनके अहकाम की इताअ़त की जाये और जिन कामों से अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल ने मना किया है उनसे परहेज़ किया जाये।

हदीस 865. हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक सहाबी ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! आप उस आदमी के बारे में क्या फ़रमाते हैं जो किसी क़ौम से मुहब्बत रखता हो लेकिन उन तक पहुँच न सकता हो। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- आदमी उसी के साथ होगा जिससे वह मुहब्बत रखेगा।

वज़ाहतः- आख़िरत में हर इनसान उस क़ौम के साथ होगा जिससे वह दिली मुहब्बत रखता हो, इसलिये ग़ैर-मुस्लिमों से दिली मुहब्बत न रखिये।

हदीस 866. हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया गया- एक शख़्स अच्छे काम करता है और लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। आपने फ़रमाया- यह मोमिन की फ़ौरी ख़ुशख़बरी है।

वज़ाहतः- लोगों का किसी नेक शख़्स से मुहब्बत करना और उसकी तारीफ़ करना उसके हक़ में दुनियावी ख़ुशख़बरी और जज़ा (बदला) है। अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है-

तर्जुमाः- बेशक जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक काम किये बहुत जल्दी रहमान उनके लिये (अपने बन्दों के दिलों में) मुहब्बत पैदा कर देगा।

तक़दीर का बयान

वज़ाहतः- तक़दीर के मायने हैं मिक्दार मुक़र्रर करना। शरीअ़त की इस्तिलाह (परिभाषा) में मख़्लूक़ के अच्छे या बुरे कामों के बारे में ज़मीन व आसमान के मालिक ने जो कुछ लिखा है वह तक़दीर कहलाता है। दूसरे अलफ़ाज़ में तक़दीर अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त का भविष्य का इल्म है जो कभी ग़लत नहीं हो सकता। तक़दीर के बारे में पाई जाने वाली उलझनों का सबब उसके सही मतलब से वाक़फ़ियत न होना (अज्ञानता) है। मायने व मफ़्हूम समझ लेने के बाद उसके बारे में कोई इश्काल बाक़ी नहीं रहता है।

यह बात हम रोज़ाना देखते हैं कि इनसान अपने इल्म और तजुर्बे की बुनियाद पर किसी चीज़ के बारे में कोई राय क़ायम कर लेता है और उसके बहुत ही सीमित इल्म के बावजूद कई बार उसकी राय और अन्दाज़ा सौ फ़ीसद दुरुस्त साबित हो जाता है, इनसान के बरख़िलाफ़ अल्लाह तआ़ला का इल्म इस क़द्र फैला हुआ और न ख़त्म होने वाला है कि उसके लिये गुज़रा ज़माना, मौजूदा वक़्त और भविष्यकाल, ग़ायब और हाज़िर, दिन और रात, रोशनी और अंधेरे की जैसी इस्तिलाहें बिल्कुल बेमायने होकर रह जाती हैं, उसके सामने हर चीज़ खुली किताब की तरह है, उस बेपनाह और असीमित इल्म की बदौलत मख़्लूक़ के बारे में उसकी लिखी हुई तक़दीर कभी ग़लत नहीं हो सकती। अपने उसी असीमित और बेहिसाब इल्म की रोशनी में अल्लाह तआ़ला ने इनसान के अ़मल करने से पहले ही उसके हिसाब (खाते) में लिख दिया है कि यह इनसान अच्छे या बुरे और क्या-क्या काम करेगा और इसकी जज़ा या सज़ा क्या होगी।

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का फ़रमान है- एक शख़्स लगातार नेक काम करता है यहाँ तक कि बिल्कुल जन्नत के क़रीब पहुँच जाता है फिर अचानक वही शख़्स तक़दीर के मुताबिक़ बुरे काम करने लगता है, यहाँ तक कि वह दोज़ख़ में चला जाता है। इसी तरह एक शख़्स

बुरे काम करता है और दोज़ख़ के बिल्कुल क़रीब पहुँच जाता है फिर वह अचानक तक़दीर के मुताबिक़ अच्छे अ़मल करने लगता है यहाँ तक कि वह जन्नत में चला जाता है। (सही बुख़ारी किताबुल्-क़द्र)

इस हदीस का मफ़्हूम यह है कि अल्लाह तआ़ला पहले से जानते हैं कि कौन कब और क्या अ़मल करेगा, वह अपने बेपनाह इल्म की बदौलत यह भी जानते हैं कि यह गुनाहगार इनसान आख़िरकार तौबा कर लेगा और नेक अ़मल करने लगेगा, और उसी (अच्छे अ़मल) पर उसका ख़ात्मा होगा, या यह नेकी करने वाला आख़िरकार नेकी का दामन छोड़कर गुनाहों की तरफ़ राग़िब हो जायेगा और उसी बुराई की हालत में उसका ख़ात्मा होगा।

तक़दीर के बारे में यह सोच और धारणा पूरी तरह गुमराह करने वाली है कि इनसान तक़दीर के हाथों मजबूर है और वह अपनी मर्ज़ी और इख़्तियार से कुछ नहीं कर सकता, हालाँकि नेकी और बुराई की राह इख़्तियार करना इनसान का अपना फ़ेल (काम) है (तफ़सील के लिये पढ़िये तफ़सीर सूरत 18, आयत 29 और सूरत 76, आयत 3) अल्लाह तआ़ला का कोई जबर नहीं है।

इसकी मिसाल यूँ समझिये कि एक उस्ताद इम्तिहान से पहले अपने शागिर्दों के बारे में अन्दाज़ा लगाता है कि फ़ुलाँ पास होगा फ़ुलाँ फ़ेल होगा, और अगर उसका बन्दाज़ा दुरुस्त साबित हो जाये तो यह हरगिज़ नहीं कहा जा सकेगा कि यह उस्ताद के अन्दाज़े की वजह से पास या फ़ेल हुए हैं, पास या फ़ेल होना उनके अपने अ़मल की वजह से है। जिस तरह उस्ताद का अन्दाज़ा लगाना शागिर्दों को पास या फ़ेल होने पर मजबूर नहीं करता इसी तरह अल्लाह तआ़ला का मख़्लूक़ के बारे में अपने भविष्य के इल्म की वजह से तक़दीर लिखना इनसानों को किसी काम पर हरगिज़ मजबूर नहीं करता है।

कई बार कुछ लोग तक़दीर की आड़ में अपनी ज़िम्मेदारियों से दामन छुड़ाने की कोशिश करते हैं, अगर उनसे कहा जाये कि आप कारोबार और रोज़गार के लिये कोशिश और दौड़-धूप छोड़ दें, जो मुक़द्दर में लिखा हुआ है वह मिलकर ही रहेगा, तो उनका जवाब यह होता है कि इसके लिये तक़दीर

के साथ-साथ कोशिश व मेहनत और दौड़-धूप भी ज़रूरी है। जिस तरह यहाँ तक़दीर इनसान पर जबर (ज़बरदस्ती) करके उसे भाग-दौड़ और मेहनत व कोशिश से नहीं रोकती बल्कि वह अ़मल के लिये आज़ाद है इसी तरह किसी भी मामले में उस पर तक़दीर का जबर नहीं होता, बल्कि वह हर अ़मल के लिये आज़ाद व ख़ुदमुख़्तार है। अल्लाह तआ़ला का इरशाद है-

तर्जुमाः- और इनसान के लिये वही कुछ होगा जिसकी उसने कोशिश की होगी। (सूरः 40, आयत 53)

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तक़दीर को दुआ़ के अ़लावा कोई चीज़ नहीं बदल सकती और उम्र में इज़ाफ़ा सिला-रहमी (रिश्तेदारी निभाने) के अ़लावा कोई चीज़ नहीं कर सकती। (तिर्मिज़ी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से)

इसलिये हर नमाज़ के बाद यह दुआ़ माँगिये- या अल्लाह! मरते वक़्त मेरी ज़बान पर "ला इला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह" हो और मुझे सिर्फ़ अपनी रहमत व फ़ज़्ल से जन्नतुल-फ़िरदौस अ़ता फ़रमाईये। आमीन।

तक़दीर की यह क़िस्म जो ऊपर बयान की गयी है इसको "तक़दीर-ए-मुअ़ल्लक़" कहते हैं। तक़दीर की दूसरी क़िस्म भी है जिसको "तक़दीर-ए-मुब्रम" कहते हैं। तक़दीर-ए-मुब्रम वह है जिसके होने या न होने पर इनसान को न तो जज़ा मिलेगी और न ही सज़ा। सिर्फ़ इसलिये कि उस पर न तो उसका इख़्तियार है और न ही वह अ़मल करने के लिये आज़ाद है। मसलन मौत, मरने की जगह, पैदाईश की जगह, रिज़्क़ वग़ैरह।

तक़दीर पर ईमान लाना और पुख़्ता यक़ीन करना मुसलमान की ज़िन्दगी पर बहुत अच्छा असर डालता है। जब यह यक़ीन हो जाये कि मौत न मुक़र्ररा वक़्त से टल सकती है और न ही उससे पहले आ सकती है तो दिल से मौत का ख़ौफ़ निकल जाता है। जब यह यक़ीन हो जाये कि अल्लाह तआ़ला की मर्ज़ी के बग़ैर न कोई मुसीबत आ सकती है और न ही जा सकती है तो फिर दिल से अल्लाह तआ़ला की मख़्लूक़ का ख़ौफ़ भी निकल जाता है, और सिर्फ़ अल्लाह करीम की रज़ा रह जाती है, और यह ईमान बन जाता है कि हमारी हर कामयाबी सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला के फ़ज़्ल

व करम का ही नतीजा होती है, और जो नाकामी होती है उसमें भी अल्लाह रहीम की कोई न कोई मस्लेहत शामिल होती है, या ख़ुद हमारे गुनाहों का नतीजा होती है जिसमें सब्र की सूरत में हमारे गुनाह माफ़ होते हैं जो कि ख़ुद एक बहुत बड़ी मस्लेहत है।

बहुत सी बार इस बात को खुली आँखों देखा जाता और अनुभव किया जाता है कि जिस बात या नतीजे को हम अपने लिये बुरा समझ रहे थे बाद में मालूम होता है कि वह बुरा न था बल्कि बहुत अच्छा था। (तफ़सील के लिये पढ़िये तफ़सीर सूरः ब-क़रह 2 आयत 216)

हदीस 867. हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से हर शख़्स अपनी माँ के पेट में चालीस दिन नुत्फ़े की सूरत में, फिर चालीस दिन जमे हुए ख़ून की सूरत में, फिर इतने ही दिन गोश्त के लोथड़े की सूरत में रहता है। फिर फ़रिश्ते को भेजा जाता है वह उसमें रूह फूँक देता है, फिर उसको चार कलिमात लिखने का हुक्म दिया जता है- उसका रिज़्क़, उसकी ज़िन्दगी, उसका अ़मल और उसका बदबख़्त या ख़ुशनसीब होना लिख दिया जाता है। पस उस ज़ात की क़सम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, एक शख़्स जन्नतियों के अ़मल करता रहता है यहाँ तक कि उसके और जन्नत के दरमियान एक हाथ का फ़ासला रह जाता है, फिर उस पर तक़दीर ग़ालिब आ जाती है और वह जहन्नमियों जैसे अ़मल करता है और जहन्नम में दाख़िल हो जाता है। और एक शख़्स जहन्नमियों जैसे अ़मल करता रहता है यहाँ तक कि उस शख़्स और जहन्नम के दरमियान एक हाथ का फ़ासला रह जाता है फिर उस पर तक़दीर ग़ालिब आ जाती है वह जन्नतियों जैसे अ़मल करता है और जन्नत में दाख़िल हो जाता है।

हदीस 868. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने माँ के रहम (गर्भ और पेट) पर एक फ़रिश्ता मुक़र्रर कर रखा है जो अ़र्ज़ करता है कि यह नुत्फ़ा है, ऐ रब! अब यह जमा हुआ ख़ून है, ऐ रब! अब यह ख़ून का लोथड़ा है। फिर जब अल्लाह तआ़ला उसके पैदा करने का इरादा करते

हैं तो फ़रिश्ता अ़र्ज़ करता है ऐ रब! यह नर है या मादा? बदबख़्त है या नेकबख़्त? इसका रिज़्क़ कितना है और इसकी उम्र क्या है? पस इस तरह उसकी माँ के पेट में ही सब कुछ लिख दिया जाता है।

वज़ाहत:- इनसान के अपनी माँ के पेट में ही उसका रिज़्क़, उम्र, नेकबख़्त व बदबख़्त होना, जन्नती या दोज़ख़ी होना लिख दिया जाता है, यही तक़दीर कहलाती है जिस पर ईमान लाना फ़र्ज़ है।

हदीस 869. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम जन्नतुल-बक़ीअ़ (मदीना के क़ब्रिस्तान) में एक जनाज़े के साथ थे। हमारे पास रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ लाकर बैठ गये। आपके पास एक छड़ी थी। आपने सर झुकाया और अपनी छड़ी से ज़मीन कुरेदने लगे। फिर फ़रमाया- तुम में से हर शख़्स का ठिकाना अल्लाह तआ़ला ने जन्नत या जहन्नम में लिख दिया है और उसका अच्छा होना या बुरा होना भी अल्लाह तआ़ला ने लिख दिया है। एक शख़्स ने कहा- ऐ अल्लाह के रसूल! हम अपने मुताल्लिक़ लिखे हुए पर भरोसा क्यों न कर लें और अ़मल करना छोड़ दें? आपने फ़रमाया- जो शख़्स ख़ुशनसीबों में से होगा वह बहुत जल्दी ख़ुशनसीबों की तरह अ़मल करेगा, और जो शख़्स बुरे लोगों में से होगा वह बहुत जल्दी बुरे अ़मल करने वालों में शामिल होगा। फिर आपने फ़रमाया- अ़मल करो, नेक लोगों के लिये नेक आमाल आसान कर दिये जायेंगे और बुरे लोगों के लिये बुरे आमाल आसान कर दिये जायेंगे। फिर आपने क़ुरआन पाक की यह आयत तिलावत फ़रमाई-

तर्जुमा:- जिसने सदक़ा किया और अल्लाह तआ़ला से डरा और नेकी की तस्दीक़ की हम उसके लिये नेकियों को आसान कर देंगे, और जिसने कंजूसी की और लापरवाही की और नेकी को झुठलाया हम उसके लिये बुराईयों को आसान कर देंगे। (सूर: लैल 92, आयत 5-10)

हदीस 870. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हज़रत आदम और हज़रत मूसा अ़लैहिमस्सलाम ने अल्लाह के सामने बहस की तो आदम अ़लैहिस्सलाम मूसा अ़लैहिस्सलाम पर ग़ालिब आ गये। मूसा अ़लैहिस्सलाम

ने कहा आप वही आदम हैं जिनको अल्लाह तआ़ला ने अपने हाथ से पैदा किया और आप में अपनी पसन्दीदा रूह फूँकी और फ़रिश्तों से आपको सज्दा कराया और आपको अपनी जन्नत में रखा, फिर आपकी ग़लती की वजह से जन्नत से ज़मीन पर मुन्तक़िल किया। आदम अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि आप वही मूसा हैं जिनको अल्लाह तआ़ला ने अपनी रिसालत और अपने कलाम से फ़ज़ीलत दी और आपको (तौरात की) वो तख़्तियाँ दीं जिनमें हर चीज़ का बयान है और आपको सरगोशी (अपने से हम-कलाम होने) के लिये चुना। बताओ आपकी मालूमात के मुताबिक़ अल्लाह तआ़ला ने मेरे पैदा किये जाने से कितनी मुद्दत पहले तौरात को लिख दिया था? मूसा अ़लैहिस्सलाम ने कहा 40 साल पहले। आदम अ़लैहिस्सलाम ने कहा आपने तौरात में यह पढ़ा है कि आदम ने अपने रब की नाफ़रमानी की और वह गुमराह हुए। उन्होंने कहा हाँ। आदम अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि आप मेरे उस अ़मल में मलामत कर रहे हैं जिसको अल्लाह तआ़ला ने मुझे पैदा करने से चालीस साल पहले लिख दिया था कि मैं यह अ़मल करूँगा। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- फिर आदम अ़लैहिस्सलाम मूसा अ़लैहिस्सलाम पर ग़ालिब आ गये।

वज़ाहतः- हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम के कलाम के मायने यह हैं कि ऐ मूसा! तुमको इल्म है कि अल्लाह तआ़ला ने मुझे पैदा करने से पहले यह वजह लिख दी थी और मेरे हक़ में मुक़द्दर कर दी थी इसलिये उसका होना यक़ीनी था, और अगर मैं तमाम मख़्लूक़ के साथ मिलकर भी उस वजह (सबब और कारण) से एक ज़र्रे के बराबर भी इनकार करना चाहता तो न कर सकता, तो तुम मुझे उस पर क्यों मलामत करते (इल्ज़ाम देते) हो।

हदीस 871. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा करने से पचास हज़ार साल पहले मख़्लूक़ात की तक़दीर को लिखा और उस वक़्त अल्लाह तआ़ला का अ़र्श पानी पर था।

हदीस 872. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि

क़ुरैश के मुश्रिक लोग तक़दीर के मुताल्लिक़ रसूले पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से बहस करने के लिये आये, उस वक़्त यह आयत नाज़िल हुई-

तर्जुमाः- जिस दिन वे जहन्नम में औंधे मुँह घसीटे जायेंगे और उनसे कहा जायेगा कि दोज़ख़ का अ़ज़ाब चखो, बेशक हमने हर चीज़ तक़दीर के साथ बनाई है। (सूरः क़मर 54, आयत 48-49)

हदीस 873. हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तमाम इनसानों के दिल, रहमान (अल्लाह) की उंगलियों में से दो उंगलियों के दरमियान हैं, जिसके लिये चाहता है उसे फेर देता है। इसलिये रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम यह दुआ़ बार-बार पढ़ते थे-

اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ.

अल्लाहुम्-म मुसर्रिफल्-क़ुलूबि सर्रिफ़् क़ुलूबना अ़ला ताअ़ति-क।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! दिलों के फेरने वाले, हमारे दिलों को अपनी इताअ़त पर फेर दीजिए।

हदीस 874. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इनसान पर जो उसके ज़िना का हिस्सा लिखा हुआ है वह उसको मिलेगा, पस आँखों का ज़िना (ग़ैर-मेहरम औ़रतों को) देखना है और कानों का ज़िना (गन्दी और बेहयाई की) बात सुनना है और ज़बान का ज़िना ग़ैर-मुनासिब बात करना है और हाथों का ज़िना ग़ैर-मेहरम को पकड़ना है और पैरों का ज़िना ग़ैर-मेहरम के लिये चलना है। दिल ज़िना की ख़्वाहिश करता है और शर्मगाह उसकी तस्दीक़ करती है।

वज़ाहतः- बाज़े लोग हकीक़त में ज़िना करते हैं और बाज़े लोग ज़िना की तरफ़ ले जाने वाली चीज़ों में मुलव्वस होते हैं, दिल में बुरे ख़्यालात और गुनाह की तरफ़ दिलचस्पी व रुचि दिलाना शैतान की तरफ़ से होता है। अगर इसका इलाज करते रहें और उन बुरे ख़्यालात पर अ़मल न करें तो गुनाह नहीं लिखा जायेगा, बल्कि गुनाह न करने पर एक नेकी लिखी जायेगी, इसलिये बुरे ख़्यालात आने के फ़ौरन बाद बार-बार यह पढ़िये-

اَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ.

अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम।

हदीस 875. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हर बच्चा फ़ितरत (यानी इस्लाम) पर पैदा होता है, फिर उसके माँ-बाप उसको यहूदी या ईसाई या मजूसी (आग का पुजारी) बना देते हैं। जैसे जानवर का मुकम्मल बच्चा पैदा होता है, क्या तुम्हें कोई अंग कटा हुआ नज़र आता है? (यानी कोई नज़र नहीं आता है) फिर आपने यह आयत तिलावत फ़रमाई-

तर्जुमाः- (ऐ लोगो! अपने ऊपर) अल्लाह की बनाई हुई फ़ितरत (दीने इस्लाम) को इख़्तियार कर लो जिस पर उसने लोगों को पैदा किया, अल्लाह की तख़्लीक़ (बनावट) में कुछ रद्दोबदल नहीं हो सकता है।

(सूरः रूम 30, आयत 30)

वज़ाहतः- हर पैदा होने वाला बच्चा फ़ितरते इस्लाम पर पैदा होता है। अपने बाप-दादा (पूर्वजों) की पुश्तों में बच्चों से तौहीद (एक अल्लाह को मानने) पर क़ायम रहने का जो वायदा लिया गया वह फ़ितरत है, बच्चे उसी वायदे पर पैदा होते हैं, फिर माँ-बाप की वजह से वह फ़ितरत बदल जाती है। अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः आराफ़ 7, आयत 172।

हदीस 876. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने दुआ़ की- ऐ अल्लाह! मेरे शौहर रसूले करीम, मेरे वालिद अबू सुफ़ियान और मेरे भाई की उम्र के लम्बा होने से मुझे फ़ायदा पहुँचे। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनसे फ़रमाया- तुमने अल्लाह तआ़ला से उन मुद्दतों का सवाल किया जो मुक़र्रर हैं और उन क़दमों का जो निर्धारित हैं, और उस रिज़्क़ का जो तक़सीम हो चुका है। इनमें से कोई चीज़ वक़्त पूरा होने से पहले नहीं आयेगी और न वक़्त पूरा होने के बाद वाक़े होगी। अगर तुम अल्लाह तआ़ला से यह सवाल करतीं कि अल्लाह तआ़ला तुम्हें जहन्नम के अ़ज़ाब से महफ़ूज़ रखे और क़ब्र के अ़ज़ाब से अपनी पनाह में रखे तो यह तुम्हारे

लिये बेहतर होता। एक शख़्स ने पूछा- ऐ अल्लाह के रसूल! क्या (मौजूदा) बन्दर और ख़िन्ज़ीर (सुअर) उन्हीं लोगों की नस्ल से हैं जिनकी शक्लें बिगाड़ दी गयी थीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने किसी क़ौम को अ़ज़ाब देकर या हलाक करके उसकी आगे नस्ल नहीं चलाई, बेशक बन्दर और ख़िन्ज़ीर उससे पहले भी थे।

वज़ाहतः- वे लोग जो अल्लाह के हुक्म से बन्दर और ख़िन्ज़ीर बने थे वे तीन दिन के बाद मर गये थे, इसलिये मौजूदा बन्दर और ख़िन्ज़ीर उनकी नस्ल में से नहीं हैं। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

हदीस 877. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला के नज़दीक ताक़तवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा महबूब है, और हर एक में ख़ैर है। जो चीज़ तुमको नफ़ा दे उसमें हिर्स करो (यानी उसको हासिल करो), अल्लाह की मदद चाहो और थक कर न बैठ जाओ। अगर तुम पर कोई मुसीबत आये तो यह न कहो- काश मैं ऐसा कर लेता, हाँ यह कहो कि यह अल्लाह तआ़ला की तक़दीर है, उसने जो चाहा कर दिया। यह लफ़्ज़ "काश" शैतान कहलवाता है।

इल्म का बयान

हदीस 878. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैं एक दिन रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आपने दो आदमियों की आवाज़ें सुनीं जो एक आयत में इख़्तिलाफ़ कर (झगड़) रहे थे तो रसूले पाक हमारे पास तशरीफ़ लाये, उस वक़्त आपके चेहरे से गुस्सा ज़ाहिर हो रहा था। आपने फ़रमाया- तुमसे पहले लोग किताब में इख़्तिलाफ़ (झगड़ा और मतभेद) करने की वजह से हलाक हुए हैं।

वज़ाहतः- क़ुरआनी आयतों में इख़्तिलाफ़ (झगड़ा) करना तबाही का सबब है, लिहाज़ा इससे बचिये। जो आयत समझ में न आयें वह किसी अच्छे आ़लिमे दीन से समझने की कोशिश कीजिये। अधिक तफ़सील के

लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः नहल 16, आयत 43।

हदीस 879. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआला के नज़दीक सख़्त क़ाबिले नफ़रत वह शख़्स है जो बहुत ज़्यादा सख़्त और बहुत ज़्यादा झगड़ा करने वाला हो।

वज़ाहतः- झगड़ालू शख़्स का ठिकाना जहन्नम है। अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः ब-क़रह 2, आयत 204-206)

हदीस 880. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम ज़रूर अपने से पहले लोगों के तरीक़ों पर चलोगे, बालिश्त के बराबर बालिश्त और हाथ के बराबर हाथ, यहाँ तक कि अगर वे गोह (जानवर के सुराख़) में दाख़िल हुए थे तो तुम भी उनकी तरह करोगे। हमने अर्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! (क्या वे) यहूदी और अन्सारी हैं? आपने फ़रमाया- और कौन है?

हदीस 881. हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तीन बार फ़रमाया- गुलू करने (हद से बढ़ने और बारीकियों में जाने) वाले हलाक हो गये।

हदीस 882. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इल्म का कम हो जाना, जहालत का ज़्यादा होना, ज़िना का आम होना, शराब पीना, मर्दों का कम होना और औरतों का ज़्यादा होना यहाँ तक कि पचास औरतों के लिये एक मर्द का निगराँ होना क़ियामत की निशानियों में से है।

हदीस 883. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत से पहले (दीन का) इल्म उठ जायेगा, जहालत फैल जायेगी और ख़ून का बहाना (यानी क़त्ल व ख़ून) बढ़ जायेगा।

हदीस 884. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत के क़रीब वक़्त बहुत तेज़ी से गुज़रेगा, इल्म कम हो जायेगा, फ़ितने ज़ाहिर होंगे,

(दिलों में) कंजूसी डाल दी जायेगी और क़त्ल व ग़ारतगरी बहुत ज़्यादा हो जायेगी।

हदीस 885. हज़रत जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में ऊन के कपड़े पहने हुए कुछ देहाती हाज़िर हुए। आपने उनकी बदहाली और उनकी ज़रूरत को देखा, फिर आपने लोगों को सदक़ा देने की तवज्जोह और रुचि दिलाई। लोगों ने कुछ देर की जिससे आपके मुबारक चेहरे पर नाराज़गी के आसार ज़ाहिर हुए। फिर एक अन्सारी सहाबी रक़म लेकर आये, फिर दूसरे आये और फिर सदक़ा लाने वालों का ताँता बंध गया, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के चेहरे पर ख़ुशी के आसार ज़ाहिर हुए। तब आपने फ़रमाया- जिस शख़्स ने किसी नेक काम की शुरूआ़त की और उसके बाद दूसरे लोगों ने भी वही नेक काम किया तो उस काम पर अ़मल करने वालों का अज्र उस (इस शुरूआ़त करने वाले) के नामा-ए-आमाल में भी लिखा जायेगा और अ़मल करने वालों के अज्र में भी कोई कमी नहीं होगी। जिस शख़्स ने मुसलमानों में किसी बुरे काम की शुरूआ़त की (रिवाज डाला) और उसके बाद उस बुरे काम पर अ़मल किया गया तो उस बुरे अ़मल करने वालों का गुनाह भी उस शख़्स के नामा-ए-आमाल में लिखा जायेगा और बुरे अ़मल करने वालों के गुनाह में कोई कमी नहीं होगी।

वज़ाहतः- अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये सूरः मायदा 5, आयत नम्बर 27 से 32 तक।

दुआ़, ज़िक्र, तौबा और इस्तिग़फ़ार का बयान

हदीस 886. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मक्का के एक रास्ते में जा रहे थे, आपका एक पहाड़ से गुज़र हुआ जिसको "जमदान" कहते थे। आपने फ़रमाया- चलते रहो, यह "जमदान" पहाड़ है। फिर फ़रमाया- मुफ़रिद बहुत

आगे निकल गये। लोगों ने अ़र्ज़ किया मुफ़रिद कौन हैं? आपने फ़रमाया- अल्लाह का बहुत ज़्यादा ज़िक्र करने वाले मर्द और औ़रतें (फ़ज़ीलत के एतिबार से बेहतर) हैं।

वज़ाहतः- अ़क़्लमन्द मुसलमान एक वक़्त में दो काम करते हैं- हाथ पैर से दुनिया कमाते हैं और ज़बान से अल्लाह का ज़िक्र करते रहते हैं। आप भी चलते फिरते और काम और काम के दौरान अल्लाह का ज़िक्र कीजिए।

हदीस 887. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से कोई दुआ़ करे तो यह न कहे- ऐ अल्लाह! अगर आप चाहें तो मेरी मग़फ़िरत फ़रमा दीजिये, बल्कि माँगने में कामिल यक़ीन और पूरी दिलचस्पी इख़्तियार करे, क्योंकि अल्लाह तआ़ला के लिये किसी चीज़ का अ़ता करना मुश्किल नहीं।

वज़ाहतः- दुआ़ कामिल यक़ीन के साथ माँगिये और शर्तें न लगाईये।

हदीस 888. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से कोई शख़्स न मौत की तमन्ना करे और न ही मौत आने से पहले उसकी दुआ़ करे, क्योंकि तुम में से जब कोई शख़्स मर जाता है तो उसका अ़मल रुक जाता है और मोमिन की उम्र ज़्यादा होने से नेकियाँ ही ज़्यादा होती हैं।

वज़ाहतः- बीमारी, ग़रीबी, दुश्मन का ख़ौफ़ और दुनिया की किसी और मुसीबत की वजह से मौत की तमन्ना करना मना है। हाँ अगर किसी शख़्स को अपने दीन में किसी नुक़्स (कमी) या फ़ितने का ख़ौफ़ हो तो फिर मौत की तमन्ना में कोई हर्ज नहीं। उस सूरत में इनसान यह दुआ़ कर सकता है- ऐ अल्लाह! जब तक मेरे हक़ में ज़िन्दगी बेहतर हो मुझे ज़िन्दा रखिये और जब मौत मेरे लिये बेहतर हो तो मौत अ़ता फ़रमा दीजिये।

हदीस 889. हज़रत क़ैस बिन अबी हाज़िम रहमतुल्लाहि अ़लैहि से रिवायत है कि हम हज़रत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु अ़न्हु के पास गये इस हाल में कि उनके पेट में सात दाग़ (पहले ज़माने का एक इलाज का तरीक़ा) लगाये

गये थे। उन्होंने कहा- अगर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमें मौत माँगने से मना न किया होता तो मैं मौत की दुआ़ माँगता।

हदीस 890. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बेशक अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं "मैं अपने बन्दे के गुमान के मुताबिक़ होता हूँ और जब भी वह मुझसे दुआ़ करता है तो मैं उसकी दुआ़ को क़ुबूल करता हूँ।"

वज़ाहतः- अल्लाह तआ़ला का बन्दे के गुमान के मुताबिक़ होने का मतलब यह है कि बन्दा अल्लाह तआ़ला के बारे में जिस तरह का यक़ीन रखता हो अल्लाह तआ़ला उसी तरह उसके मसाईल हल कर देते हैं। अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये सूरः ब-क़रह 2, आयत नम्बर 186।

हदीस 891. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त फ़रमाते हैं कि जो एक नेकी लायेगा उसका दस गुना सवाब होगा और मैं और भी ज़्यादा अज्र अ़ता करूँगा, और जो बुराई लायेगा तो उसका बदला उसी के बराबर होगा या मैं उसे माफ़ कर दूँगा, और जो मुझसे एक बालिश्त क़रीब आयेगा मैं एक हाथ उसके क़रीब आऊँगा और जो मुझसे एक हाथ क़रीब आयेगा मैं चार हाथ उसके क़रीब आऊँगा। जो मेरे पास चलकर आयेगा मैं उसके पास दौड़कर आऊँगा, और जिसने पूरी ज़मीन के बराबर गुनाह करके मुझसे मुलाक़ात की बशर्ते कि मेरे साथ किसी को शरीक न किया हो तो मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँगा।

वज़ाहतः- अधिक मालूमात के लिये पढ़िये सूरः फ़ुरक़ान 25, आयत 70। क़ुरआन में सिर्फ़ एक आयत है जिसमें ज़ुनूब (गुनाहों) के साथ जमीअ़न (तमाम के तमाम) का लफ़्ज़ आया है (सूर ज़ुमर 39, आयत 53), इस आयत से प्रबल उम्मीद है कि अल्लाह तआ़ला तमाम छोटे-बड़े गुनाह माफ़ फ़रमा देंगे बशर्ते कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न किया हो।

हदीस 892. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक ऐसे शख़्स की इयादत की (बीमारी का हाल पूछा) जो चूज़े की तरह कमज़ोर हो गया था। रसूले करीम

ने उससे फ़रमाया- तुम अल्लाह तआ़ला से किस चीज़ की दुआ़ करते थे? उसने कहा- मैं यह सवाल करता था कि ऐ अल्लाह! आप मुझको आख़िरत में जो सज़ा देने वाले हैं उसके बदले में मुझे दुनिया में ही सज़ा दे दीजिए। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सुब्हानल्लाह (अल्लाह तआ़ला तमाम ऐबों से पाक है)! तुम इसकी ताक़त नहीं रखते, तुमने यह दुआ़ क्यों न की-

رَبَّنَآ آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या ह-स-नतंव्-व फ़िल्-आख़िरति ह-स-नतंव्-व क़िना अ़ज़ाबन्नार।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! हमें दुनिया में भी अच्छी चीज़ें अ़ता कीजिये और आख़िरत में भी उम्दा नेमतें अ़ता फ़रमाईये, और हमें दोज़ख़ के अ़ज़ाब से बचाईये। (सूरः ब-क़रह 2, आयत 201)

फिर आपने उसके लिये सेहत की दुआ़ की तो अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त ने उसको शिफ़ा दे दी।

वज़ाहतः- दुनिया में सज़ा मिलने की दुआ़ करना मना है। दुनिया और आख़िरत की नेमतों के मिलने की दुआ़ रोज़ाना बार-बार कीजिए।

हदीस 893. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स सुबह व शाम के वक़्त "सुब्हानल्लाहि व बि-हम्दिही" (ऐ अल्लाह! आप अपनी तारीफ़ों के साथ पाक हैं) सौ मर्तबा पढ़ता है क़ियामत के दिन कोई शख़्स उससे ज़्यादा अच्छे आमाल नहीं ला सकता, सिवाय उस शख़्स के जिसने उससे ज़्यादा इन कलिमात को पढ़ा हो।

वज़ाहतः- आप भी ये कलिमात रोज़ाना बहुत ज़्यादा और बार-बार पढ़िये।

हदीस 894. हज़रत अबू मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में एक शख़्स ने हाज़िर होकर कहा- ऐ अल्लाह के रसूल! जब मैं अपने रब से दुआ़ करूँ तो क्या कहूँ? आपने फ़रमाया यह कहो-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ وَارْحَمْنِیْ وَاهْدِنِیْ وَعَافِنِیْ وَارْزُقْنِیْ.

अल्लाहुम्मग़्फ़िर् ली वर्हम्नी वह्दिनी व आफ़िनी वर्ज़ुक़्नी।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मेरे गुनाहों को माफ़ फ़रमा दीजिये, मुझ पर रहम फ़रमाईये, मुझे हिदायत दीजिये, मुझे आफ़ियत दीजिये और मुझे (हलाल) रिज़्क़ इनायत फ़रमाईये।

आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अंगूठे के सिवा तमाम उंगलियाँ जमा कीं और फ़रमाया- ये कलिमात तुम्हारी दुनिया और आख़िरत के लिये काफ़ी हैं।

वज़ाहतः- दुनिया के सुकून के लिये रहमत, आ़फ़ियत, रिज़्क़ की दुआ़ और आख़िरत के सुकून के लिये रहमत, मग़फ़िरत और आ़फ़ियत की दुआ़यें माँगने के लिये उपरोक्त दुआ़ ज़रूर कीजिए।

हदीस 895. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब सूरज पश्चिम से निकलेगा (फिर किसी की तौबा क़ुबूल नहीं होगी) जिसने उससे पहले तौबा कर ली तो अल्लाह तआ़ला उसकी तौबा क़ुबूल फ़रमायेंगे।

हदीस 896. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाने से आगाह न करूँ? मैंने कहा- "क्यों नहीं"। आपने फ़रमाया-

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

ला हौ-ल व ला क़ुव्व-त इल्ला बिल्लाहि।

तर्जुमाः- गुनाह से बचने की ताक़त और नेकी करने की क़ुव्वत सिर्फ़ अल्लाह की तरफ़ से है।

हदीस 897. हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया- मुझे ऐसी दुआ़ सिखाईये जिसे मैं नमाज़ में माँगा करूँ। आपने फ़रमाया- तुम यह कहा करो-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا کَثِیْرًا وَّلَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِیْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِیْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ

अल्लाहुम्-म इन्नी ज़लम्तु नफ़्सी ज़ुल्मन् कसीरंव्-व ला यग़्फ़िरुज़्ज़ुनू-ब इल्ला अन्-त फ़ग़्फ़िर् ली मग़्फ़ि-रतम् मिन् अिन्दि-क वर्हम्नी इन्न-क अन्तल्-ग़फ़ूरुर्रहीम।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैंने अपनी जान पर बहुत ज़ुल्म किया है और आपके सिवा कोई गुनाहों को नहीं बख़्श सकता, आप मेरी मग़फ़िरत फ़रमाईये और मुझ पर रहम फ़रमाईये। बेशक आप बहुत ही ज़्यादा बख़्शने वाले मेहरबान हैं।

हदीस 898. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम (अक्सर व बेश्तर) यह दुआ़ माँगा करते थे-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰی وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِیْحِ الدَّجَّالِ. اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَایَایَ بِمَآءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِیْ مِنَ الْخَطَایَا کَمَا نَقَّیْتَ الثَّوْبَ الْاَبْیَضَ مِنَ الدَّنَسِ. وَبَاعِدْ بَیْنِیْ وَبَیْنَ خَطَایَایَ کَمَا بَاعَدْتَّ بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْکَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अऊ़ज़ु बि-क मिन् फ़ित्नतिन्नारि व अ़ज़ाबिन्नारि व फ़ित्नतिल्-क़ब्रि व अ़ज़बिल्-क़ब्रि व मिन् शर्रि फ़ित्नतिल्-ग़िना व मिन् शर्रि फ़ित्नतिल्-फ़क्रि व अऊ़ज़ु बि-क मिन् फ़ित्नतिल्-मसीहिद्दज्जालि। अल्लाहुम्मग़्सिल् ख़ताया-य बिमाइस्सल्जि वल्-बर्दि व नक़्क़ि क़ल्बी मिनल्-ख़ताया कमा नक़्क़ैतस्सौबल्-अब्य-ज़ मिनद्द-नसि व बाअ़िद् बैनी व बै-न ख़ताया-य कमा बाअ़द्-त बैनल्-मश्रिक़ि वल्-मग़्रिबि। अल्लाहुम्-म इन्नी अऊ़ज़ु बि-क मिनल्-क-सलि वल्-ह-रमि वल्-मअ्समि वल्-मग़्रमि।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह करीम! मैं आप से दोज़ख़ के फ़ितने, दोज़ख़ के

अ़ज़ाब, क़ब्र के फ़ितने, क़ब्र के अ़ज़ाब, मालदारी और ग़ुर्बत के फ़ितने के शर से पनाह माँगता हूँ। ऐ अल्लाह मेरी ख़ताओं को बर्फ़ और ओलों के पानी से धो दीजिये और मेरे दिल को गुनाहों से इस तरह पाक कर दीजिये जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मैल से साफ़ हो जाता है, और मेरे दरमियान और मेरी ग़लतियों के दरमियान इस तरह दूरी कर दीजिये जिस तरह आपने पूरब व पश्चिम में दूरी कर रखी है। ऐ अल्लाह! मैं सुस्ती, बुढ़ापे, गुनाह और क़र्ज़ से आपकी पनाह चाहता हूँ।

हदीस 899. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम यह दुआ भी माँगते थे-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیۤ اَعُوْذُبِكَ مِنْ سُوْٓءِ الْقَضَآءِ وَمِنْ دَرْكِ الشِّقَآءِ وَمِنْ شَمَاتَةِ الْاَعْدَآءِ وَمِنْ جَهْدِ الْبَلَآءِ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अऊज़ु बि-क मिन् सूइल्-क़ज़ा-इ व मिन् दरकिश्शिक़ा-इ व मिन् शमाततिल्-अअ़्दा-इ व मिन् जह्दिल्-बला-इ।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैं बुरी तक़दीर, बदबख़्ती, दुश्मनों की ख़ुशी और सख़्त आज़माईश से आपकी पनाह चाहता हूँ।

हदीस 900. हज़रत ख़ौला बिन्ते हकीम रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स किसी जगह ठहरे और यह दुआ माँग ले तो जब तक वह उस जगह से रवाना नहीं होगा उसको कोई चीज़ भी (अल्लाह के हुक्म से) नुक़सान नहीं पहुँचायेगी।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ.

अऊज़ु बि-कलिमातिल्लाहित्ताम्माति मिन् शर्रि मा ख़-ल-क़।

तर्जुमाः- मैं हर मख़्लूक़ के शर (बुराई) से अल्लाह तआ़ला के मुकम्मल कलिमात की पनाह में आता हूँ।

हदीस 901. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से कोई शख़्स जब सोने का इरादा करे तो बिस्तर पर दाईं करवट पर लेटकर यह दुआ माँगे-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَرَبَّ الْاَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى وَمُنْزِلَ التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ اَنْتَ اٰخِذٌ ۢ بِنَا صِيَتِهٖ. اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَّاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَّاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَّاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

अल्लाहुम्-म रब्बस्समावाति व रब्बल्-अर्ज़ि व रब्बल्-अर्शिल्-अज़ीमिअ रब्बना व रब्-ब कुल्लि शैइन् फ़ालिक़ल्-हब्बि वन्नवा व मुन्ज़िलत्तौराति वल्-इन्जीलि वल्-फ़ुरक़ानि अऊज़ु बि-क मिन् शर्रि कुल्लि शैइन् अन्-त आख़िज़ुम्-बिनासियतिही। अल्लाहुम्-म अन्तल्- अव्वलु फ़लै-स क़ब्ल-क शैउन् व अन्तल्-आख़िरु व फ़लै-स बअ़्द-क शैउन् व अन्तज़्ज़ाहिरु फ़लै-स फ़ौक़्-क शैउन् व अन्तल्-बातिनु फ़लै-स दून-क शैउन्, इक़्ज़ि अ़न्नदूदै-न व अग़्निना मिनल्-फ़क़्रि।

तर्जुमाः- ऐ आसमानों के रब! ऐ ज़मीन के रब! अ़र्शे अ़ज़ीम के रब! ऐ हमारे रब! हर चीज़ के रब! दाने और गुठली को चीरने वाले, तौरात, इन्जील और फ़ुरक़ान (यानी क़ुरआन) को नाज़िल करने वाले, मैं हर उस चीज़ के शर (बुराई) से आपकी पनाह में आता हूँ जो आपके क़ब्ज़े में है। ऐ अल्लाह! आप अव्वल हैं, आप से पहले कोई चीज़ नहीं थी, ऐ अल्लाह! आप ही आख़िर हैं आपके बाद कोई चीज़ नहीं, आप ज़ाहिर हैं आपके ऊपर कोई चीज़ नहीं, आप बातिन (पोशीदा) हैं आप से ग़ायब (पोशीदा) कोई चीज़ नहीं, हमसे क़र्ज़ दूर कर दीजिये और गुर्बत को हमसे दूर कर दीजिये।

दहीस 902. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तुम में से कोई शख़्स अपने बिस्तर पर जाये तो सबसे पहले कपड़े से बिस्तर को झाड़े और "बिस्मिल्लाह" पढ़े, क्योंकि वह नहीं जानता कि उसके बाद बिस्तर पर कौन आया था। जब लेटे तो दाईं करवट पर लेटकर यह दुआ माँगे-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبِّىْ بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ

فَاغْفِرْلَهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ

सुब्हानकल्लाहुम्-म रब्बी बि-क वज़अ़्तु जम्बी व बि-क अर्फ़अ़ुहू इन् अम्सक्-त नफ़्सी फ़ग़्फ़िर् लहा व इन् अर्सल्तहा फ़हफ़ज़्हा बिमा तह्फ़ज़ु बिही अ़िबादकस्सालिहीन।

तर्जुमाः- ऐ मेरे रब! आप पाक हैं, मैं आपके नाम के साथ करवट लेता हूँ और आपके नाम के साथ ही उठूँगा, अगर आप मेरी जान (रूह) को रोक लें (मौत दे दें) तो उसको बख़्श दीजियेगा और अगर आप मेरी जान (रूह) को क़ायम रखें तो उसकी इस तरह हिफ़ाज़त कीजियेगा जिस तरह आप अपने नेक बन्दों की हिफ़ाज़त फ़रमाते हैं।

हदीस 903. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब बिस्तर पर जाते तो यह दुआ़ माँगते थे-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاٰوَانَا فَكَمْ مِّمَّنْ لَّا كَافِىَ لَهٗ وَلَا مُؤْوِىَ.

अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अत्अ़-मन व सक़ाना व कफ़ाना व आवाना फ़कम् मिम्-मल्ला काफ़ि-य लहू व ला मुअ्वि-य।

तर्जुमाः- तमाम तारीफ़ें अल्लाह तआ़ला के लिये हैं, जिसने हमको खिलाया और पिलाया, हमको रहने की जगह दी। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके लिये न कोई किफ़ायत करने वाला और न ही कोई रहने की जगह देने वाला है।

वज़ाहतः- जिन लोगों के लिये कोई किफ़ायत करने वाला न हो और न ही ठिकाना देने वे असल में वे लोग होते हैं जो अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त को काफ़ी नहीं समझते। अपनी ज़रूरतों के लिये मख़्लूक़ के पास जाते हैं। अधिक मालूमात के लिये पढ़िये- सूरः ज़ुमर 39, आयत नम्बर 36।

हदीस 904. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपनी दुआ़ में फ़रमाते थे-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ اَعْمَلْ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अऊज़ु बि-क मिन् शर्रि मा अ़मिल्तु व मा लम् अअ़्मल्।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैंने जो काम किये हैं उनके शर (बुराई और बुरे असर) से और जो काम मैंने नहीं किये उनके शर से आपकी पनाह में आता हूँ।

हदीस 905. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम यह दुआ़ माँगते थे-

اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَنْ تُضِلَّنِیْ اَنْتَ الْحَیُّ الَّذِیْ لَا يَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ يَمُوْتُوْنَ.

अल्लाहुम्-म ल-क अस्लमतु व बि-क आमन्तु व अ़लै-क तवक्कल्तु व इलै-क अनब्तु व बि-क ख़ासम्तु, अल्लाहुम्-म इन्नी अऊज़ु बि-इज़्ज़ति-क ला इला-ह इल्ला अन्-त अन् तुज़िल्लनी अन्तल्-हय्युल्लज़ी ला यमूतु वल्-जिन्नु वल्-इन्सु यमूतू-न।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैंने आपकी फ़रमाँबरदारी की, आप पर ईमान लाया, आप पर भरोसा किया, आपकी तरफ़ मुतवज्जह हुआ और आपकी मदद से जंग की। ऐ अल्लाह! मैं गुमराह होने से आपकी पनाह में आता हूँ, आपके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक़ नहीं, आप ही ज़िन्दा हैं आपको मौत नहीं आयेगी और तमाम इनसान व जिन्नात को मौत आयेगी।

हदीस 906. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब सफ़र में सुबह उठते तो यह दुआ़ माँगते थे-

سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَحُسْنِ بَلَآئِهٖ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَاَفْضِلْ عَلَيْنَا عَآئِذًا بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ.

सम्म-अ़ सामिअ़ुन् बि-हम्दिल्लाहि व हुस्नि बलाअिही अ़लैना रब्बना साहिब्ना व अफ़्ज़िल अ़लैना आ़-इज़न् बिल्लाहि मिनन्नारि।

तर्जुमाः- सुन लिया सुनने वाले (अल्लाह) ने, अल्लाह तआ़ला की

तारीफ़ और उसकी हम पर आज़माईश की भलाई को। ऐ अल्लाह! हमारा साथ दीजिये और हम पर फ़ज़्ल फ़रमाईये। हम जहन्नम से अल्लाह तआला की पनाह माँगने वाले हैं।

वज़ाहतः- अल्लाह तआला की आज़माईश के वक़्त हमको अच्छे अलफ़ाज़ अदा करने चाहियें, इसी में हमारी भलाई है।

हदीस 907. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह दुआ भी (सफ़र में सुबह के वक़्त) माँगते थे-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ خَطِیْئَتِیْ وَجَهْلِیْ وَاِسْرَافِیْ فِیْٓ اَمْرِیْ وَمَآ اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّیْ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ جِدِّیْ وَهَزْلِیْ وَخَطَآئِیْ وَعَمَدِیْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِیْ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ مَا قَدَّمْتُ وَمَآ اَخَّرْتُ وَمَآ اَسْرَرْتُ وَمَآ اَعْلَنْتُ وَمَآ اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّیْ. اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَاَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ

अल्लाहुम्मग़्फ़िर् ली ख़ती-अती व जह्ली व इस्राफ़ी फ़ी अमरी व मा अन्-त अअ़्लमु बिही मिन्नी। अल्लाहुम्मग़्फ़िर् ली जिद्दी व हज़्ली व ख़ताई व अ़-मदी व कुल्-ल ज़ालि-क अ़िन्दी। अल्लाहुम्मग़्फ़िर् ली मा क़द्दमतु व मा अख़्ख़रतु व मा अस्ररतु व मा अअ़्लन्तु व मा अन्-त अअ़्लमु बिही मिन्नी, अन्तल्-मुक़द्दिमु व अन्तल्-मुअख़्ख़िरु व अन्-त अ़ला कुल्लि शैइन क़दीर।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मेरी ग़लती, मेरी नादानी, मेरी ज़्यादती को और जिन ग़लतियों का आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है, उन (तमाम) को माफ़ फ़रमा दीजिये। ऐ अल्लाह जो काम मैंने संजीदगी से किये और जो मज़ाक़ में किये, जो ग़लती से किये और जो जान-बूझकर किये और हर वह काम जो मेरे नज़दीक गुनाह हैं, माफ़ फ़रमा दीजिये। ऐ अल्लाह! उन कामों को माफ़ फ़रमा दीजिए जो मैंने पहले किये और जो मैंने बाद में किये और जो मैंने छुपकर किये और जो मैंने ज़ाहिरन् किये और जिनका आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है। आप ही मौत देने वाले हैं और आप ही ज़िन्दा रखने वाले, अ़ता फ़रमाने वाले और आप ही हर चीज़ पर क़ादिर हैं।

हदीस 908. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम यह दुआ़ भी (सफ़र में सुबह के वक़्त) माँगते थे-

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِىْ دِيْنِىَ الَّذِىْ هُوَعِصْمَةُ اَمْرِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ دُنْيَاىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَاشِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ اٰخِرَتِىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَادِىْ وَاجْعَلِ الْحَيٰوةَ زِيَادَةً لِّىْ فِىْ كُلِّ خَيْرٍ وَّاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّىْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

अल्लाहुम्-म अस्लिह् ली दीनियल्लज़ी हु-व अ़िस्मतु अमूरी व अस्लिह ली दुनियायल्लती फ़ीहा मआ़शी व अस्लिह् ली आख़िरतियल्लती फ़ीहा मआ़दी वज्अ़लिल्-हया-त ज़ियादतल्ली फ़ी कुल्लि ख़ैरिंव्-वज्अ़लिल्-मौ-त राहतल्-ली मिन् कुल्लि शर्रिन्।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मेरे दीन को दुरुस्त कर दीजिए जो मेरे मामले का मुहाफ़िज़ है और मेरी दुनिया को दुरुस्त कर दीजिए जिसमें मेरी रोज़ी है, और मेरी आख़िरत को दुरुस्त कर दीजिए जिसमें मेरा आपकी तरफ़ लौटना है, और मेरी ज़िन्दगी में हर अच्छाई को ज़्यादा कर दीजिए और मेरी मौत को हर शर (बुराई) से राहत बना दीजिए।

हदीस 909. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम यह दुआ़ भी (सफ़र में सुबह के वक़्त) माँगते थे-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعِفَافَ وَالْغِنٰى.

अल्लाहुम्-म इन्नी अस्अलुकल्-हुदा वत्तुक़ा वल्-अ़िफ़ा-फ़ वल्-ग़िना।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैं आप से हिदायत, परहेज़गारी, पाकदामनी और ग़िना (बेनियाज़ी) का सवाल करता हूँ।

दहीस 910. हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम यह दुआ़ भी (सफ़र में सुबह के वक़्त) माँगते थे-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ

الْقَبْرِ. اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِيْ تَقْوٰهَا وَزَكِّهَآ اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَا هَا. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَّا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَّا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَّا يُسْتَجَابُ لَهَا.

अल्लाहुम्-म इन्नी अऊज़ु बि-क मिनल्-अज्ज़ि वल्-क-सलि वल्-जुब्नि वल्-बुख़्लि वल्-ह-रमि व अज़ाबिल्-क़ब्रि, अल्लाहुम्-म आति नफ़्सी तक़्वाहा व ज़क्किहा अन्-त ख़ैरुम् मन् ज़क्काहा अन-त वलिय्युहा व मौलाहा, अल्लाहुम्-म इन्नी अऊज़ु बि-क मिन् इल्मिल्-ला यन्फ़अु व मिन क़ल्बिल्-ला यख़्शअु व मिन् नफ़्सिल्-ला तशबअु व मिन् दावतिल्-ला युस्तजाबु लहा।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैं कमज़ोरी, सुस्ती, बुज़दिली, कन्जूसी, बुढ़ापे और क़ब्र के अज़ाब से आपकी पनाह माँगता हूँ। ऐ अल्लाह! मेरे नफ़्स को परहेज़गारी अ़ता फ़रमाईये, इसको पाक कर दीजिये, आप सबसे बेहतर पाक करने वाले हैं, आप तो सब के वाली व मौला हैं। ऐ अल्लाह! जो इल्म फ़ायदा न दे, जो दिल न डरे, जो नफ़्स सैराब न हो और जो दुआ क़ुबूल न हो, मैं इन तमाम से आपकी पनाह माँगता हूँ।

हदीस 911. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम शाम के वक़्त यह दुआ माँगते थे-

اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ و اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَ هَا. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابٍ فِى النَّارِ وَعَذَابٍ فِى الْقَبْرِ.

अम्सैना व अम्सल्-मुल्कु लिल्लाहि वल्हम्दु लिल्लाहि ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरीक लहू, लहुल्-मुल्कु व लहुल्-हम्दु व हु-व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर। अल्लाहुम्-म इन्नी अस्लु-क ख़ै-र हाज़िहिल्लैलति व ख़ै-र मा बअ़्दहा व अऊज़ु बि-क मिन शर्रि हाज़िहिल्लैलति व शर्रि मा

बअ़्दहा, अल्लाहुम्-म इन्नी अऊ़ज़ु बि-क मिनल् क-सलि व सूइल्-कि-बरि, अल्लाहुम्-म इन्नी अऊ़ज़ु बि-क मिन् अ़ज़ाबिन् फ़िन्नारि व अ़ज़ाबिन् फ़िल-क़ब्रि।

तर्जुमाः- हमने शाम की और अल्लाह तआ़ला के मुल्क ने शाम की, अल्लाह तआ़ला के लिये ही तारीफ़ है, अल्लाह अकेले के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक़ नहीं, अल्लाह तआ़ला का कोई शरीक नहीं। अल्लाह तआ़ला ही के लिये मुल्क है, उसी के लिये तारीफ़ है, और वह हर चीज़ पर क़ादिर है। ऐ अल्लाह! मैं आप से इस रात की भलाईयों का सवाल करता हूँ और इस रात के शर (बुराई) से और इस रात के बाद आने वाले शर से आपकी पनाह चाहता हूँ। ऐ अल्लाह! मैं सुस्ती और बुढ़ापे की बुराई से आपकी पनाह चाहता हूँ। ऐ अल्लाह! मैं जहन्नम के अ़ज़ाब से और क़ब्र के अ़ज़ाब से आपकी पनाह चाहता हूँ।

हदीस 912. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम (शाम के वक़्त) यह दुआ़ माँगतते थे-

لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ اَعَزَّ جُنْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَغَلَبَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ فَلَا شَیْءَ بَعْدَهٗ.

ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्दहू अ-अ़ज़्-ज़ जुन्दहू व न-स-र अ़ब्दहू व ग़-लबल्-अहज़ा-ब वह्दहू फ़ला शै-अ बअ़्दहू।

तर्जुमाः- अल्लाह अकेले के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक़ नहीं, जिस (अल्लाह) ने अपने लश्कर को ग़लबा अ़ता फ़रमाया, अपने बन्दे की मदद की और तन्हा लश्कर को हरा दिया है और उसके बाद कुछ नहीं है।

हदीस 913. हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- ऐ अ़ली! यह दुआ़ माँगा करो-

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِیْ وَسَدِّدْنِیْ.

अल्लाहुम्महदिनी व सद्दिद्नी।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मुझे हिदायत दीजिए और सीधा रखिये।

वज़ाहतः- सीधा रखने से मुराद है कि हिदायत पर क़ायम रखिये।

हदीस 914. हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद सुबह ही को मेरे क़रीब से चले गये, उस वक़्त मैं अपनी नमाज़ की जगह पर ही बैठी थी, फिर आप दिन चढ़े तशरीफ़ लाये तो मैं वहीं बैठी थी। आपने फ़रमाया- जिस वक़्त से मैं तुमको छोड़कर गया था तुम इसी तरह बैठी हुई हो? मैंने अ़र्ज़ किया- जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैंने तुम्हारे बाद चार ऐसे कलिमात तीन बार कहे हैं कि जो कुछ तुमने सुबह से अब तक पढ़ा है अगर उसका उन कलिमात के साथ वज़न करो तो उन (निम्नलिखित) कलिमात का वज़न ज़्यादा होगा-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضٰى نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ.

सुब्हानल्लाहि व बि-हम्दिही अ़-द-द ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ़्सिही व ज़ि-न-त अ़रशिही व मिदा-द कलिमातिही।

तर्जुमाः- अल्लाह तआ़ला की तारीफ़ और तस्बीह है, उसकी मख़्लूक़ की तायदाद, उसकी चाहत, उसके अ़र्श के वज़न और उसके कलिमात की सियाही के बराबर।

हदीस 915. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब मुर्ग़ की अज़ान सुनो तो अल्लाह तआ़ला से फ़ज़्ल का सवाल करो क्योंकि मुर्ग़ फ़रिश्ते को देखकर अज़ान देता है, और जब गधे की आवाज़ सुनो तो शैतान से अल्लाह तआ़ला की पनाह माँगो क्योंकि गधा शैतान को देखकर आवाज़ निकालता है।

वज़ाहतः- मुर्ग़ की अज़ान सुनकरः

اَللّٰهُمَّ اِنِّىٓ اَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

''अल्लाहुम्-म इन्नी अस्अलु-क मिन् फ़ज़्लि-क'' और गधे की आवाज़ सुनकरः

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ व

"अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम" पढ़िये।

हदीस 916. हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तकलीफ़ के वक़्त यह दुआ़ भी माँगते थे-

لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ. لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

ला इला-ह इल्लल्लाहुल्-अ़ज़ीमुल्-हलीमु ला इला-ह इल्लल्लाहु रब्बुल्-अ़रशिल्-अ़ज़ीमि ला इला-ह इल्लल्लाहु रब्बुस्समावाति व रब्बुल्-अर्ज़ि व रब्बुल्-अ़रशिल्-करीम।

तर्जुमाः- अल्लाह अ़ज़ीम, हलीम के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक़ नहीं है, अ़र्शे अ़ज़ीम के रब के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं है। अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई इबादत का हक़दार नहीं, जो आसमानों, ज़मीन और अ़र्शे करीम का रब है।

हदीस 917. हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क्या मैं तुम्हें अल्लाह तआ़ला के सबसे ज़्यादा पसन्दीदा कलिमात न बताऊँ? मैंने कहा- ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे बतलायें कि अल्लाह तआ़ला को क्या ज़्यादा पसन्द है? आपने फ़रमाया-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ.

सुब्हानल्लाहि व बि-हम्दिही

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! आप अपनी तारीफ़ों के साथ पाक हैं।

हदी 918. हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो मुसलमान भी अपने भाई के लिये उसकी ग़ैर-मौजूदगी में दुआ़ करता है तो फ़रिश्ता कहता है- तुम्हारे लिये भी उसकी तरह हो।

वज़ाहतः- तमाम मुसलमानों के लिये कसरत से दुआ़यें माँगिये ताकि

आपकी ज़रूरतें भी पूरी हों।

हदीस 919. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला इस बात से राज़ी होते हैं कि बन्दा खाना खाकर और पानी पीकर उसका शुक्र अदा करे।

वज़ाहतः- हर खाने या पीने के बाद "अल्हम्दु लिल्लाह" ज़रूर कहिये और खाने पीने की मस्नून दुआ़यें भी पढ़िये।

हदीस 920. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तक कोई बन्दा गुनाह या क़ता-रहमी (रिश्ता तोड़ने) की दुआ़ न करे और क़ुबूलियत की जल्दी न करे उसकी दुआ़ क़ुबूल होती रहती है। अ़र्ज़ किया गया- ऐ अल्लाह के रसूल! जल्दी के क्या मायने हैं? आपने फ़रमाया- वह कहे कि मैंने दुआ़ की और मैंने दुआ़ की लेकिन मालूम होता है कि मेरी दुआ़ क़ुबूल नहीं हुई, फिर वह नाउम्मीद होकर दुआ़ करना ही छोड़ दे।

वज़ाहतः- दुआ़ हर रोज़ माँगते रहिये चाहे इसमें पूरी ज़िन्दगी गुज़र जाये। इसलिये कि हर दुआ़ (जो हलाल आमदनी खाकर की गयी हो और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक़ हो) क़ुबूल होती है, मगर कुछ दुआ़ओं का नतीजा दुनिया में ज़ाहिर हो जाता है और कुछ का नहीं। वो दुआ़यें जिनका नतीजा दुनिया में ज़ाहिर नहीं होता, वो आख़िरत में ज़ख़ीरा बन जाती हैं और जब आख़िरत में बन्दे को उसकी दुनिया की ऐसी दुआ़ओं का अज्र मिलेगा, जिनका नतीजा दुनिया में ज़ाहिर नहीं हुआ था, तो वह इच्छा करेगा कि काश मेरी किसी दुआ़ का नतीजा दुनिया में ज़ाहिरी न होता।

हदीस 921. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम यह दुआ़ भी माँगते थे-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَآءَةِ نِقْمَتِكَ وَ جَمِيْعِ سَخَطِكَ.

अल्लाहुम्-म इन्नी अऊज़ु बि-क मिन ज़वालि निअ़्मति-क व

तहव्वुलि आफ़ि-यति-क व फ़ुजा-अति निक्‌मति-क व जमीअि स-ख़ति-क।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मैं आपकी नेमतों के छिन जाने, आफ़ियतों के फिर जाने, नागहानी अज़ाब और हर नाराज़गी से आपकी पनाह चाहता हूँ।

वज़ाहतः- यह एक जामे दुआ है जो हर किस्म की ज़मीनी और आसमानी आफ़तों से हिफ़ाज़त के लिये है। यह दुआ रोज़ाना सुबह व शाम माँगिये।

हदीस 922. हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैंने लोगों में अपने बाद मर्दों पर औरतों से बढ़कर ज़्यादा नुक़सानदेह कोई आज़माईश नहीं छोड़ी।

वज़ाहतः- वैसे तो पूरी ज़िन्दगी में बहुत-सी आज़माईशें आती हैं लेकिन औरत सबसे बड़ी आज़माईश और सबसे ज़्यादा नुक़सानदेह है, इसलिये कि मर्द इस फ़ितने में मुब्तला होकर जहन्नम का मुस्तहिक़ बन सकता है। एक हदीस में आता है कि "बाप का फ़र्ज़ है कि वह अपनी औलाद की शादी बालिग़ होने के बाद जल्द से जल्द कर दे वरना बाप गुनाहगार होगा।"

(मिश्कात)

हदीस 923. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- दुनिया मीठी और हरी-भरी है, अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त देखेंगे कि तुम इसमें किस तरह के आमाल करते हो। तुम दुनिया और औरतों के शर (बुराई) से बचो क्योंकि बनी इस्राईल का पहला फ़ितना भी औरतों की वजह से था।

वज़ाहतः- दुनियावी ज़िन्दगी आज़माईश है और सबसे बड़ी आज़माईश औरत है। इस आज़माईश में कामयाबी के लिये जल्दी शादी करना या सरपरस्त का जल्दी शादी कराना बेहतरीन हल है। अधिक मालूमात के लिये पढ़िये- सूरः आले इमरान 3, आयत नम्बर 14।

तौबा का बयान

हदीस 924. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब कोई बन्दा अल्लाह तआ़ला से तौबा करता है तो अल्लाह को उस तौबा करने वाले पर, उस आदमी से भी ज़्यादा ख़ुशी होती है जो जंगल में अपनी सवारी पर जाये (फिर आराम के लिये सो जाये), उस दौरान सवारी कहीं और चली जाये जिस पर उसका खाना और पानी हो। वह जब नींद से जागे तो अपनी सवारी को न पाये और मायूस होकर एक दरख़्त के साये में लेट जाये। जिस वक़्त वह सवारी से मायूस होकर लेटा हुआ हो फिर अचानक सवारी उसके पास वापस आ जाये और वह उसकी लगाम पकड़े और बहुत ज़्यादा ख़ुशी की में यह कहे- ऐ अल्लाह! आप मेरे बन्दे हैं और मैं आपका रब हूँ। यानी उसको इतनी ज़्यादा ख़ुशी हो कि अलफ़ाज़ भी उलट जायें।

वज़ाहतः- हमें भी अपने गुनाहों की माफ़ी माँगकर अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त को ख़ुश करना चाहिये।

हदीस 925. हज़रत हन्ज़ला रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने मुझसे मुलाक़ात की और कहा- ऐ हन्ज़ला! तुम कैसे हो? मैंने कहा- हन्ज़ला मुनाफ़िक़ हो गया। हज़रत अबू बक्र ने कहा- सुब्हानल्लाह तुम कैसी बात कर रहे हो। मैंने कहा- रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होते हैं और आप हमें जन्नत और दोज़ख़ की नसीहत करते हैं तो गोया कि जन्नत और दोज़ख़ को अपनी आँखों से देख रहे होते हैं, फिर जब हम रसूले करीम के पास से उठकर अपने कामों में मशग़ूल होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। हज़रत अबू बक्र ने कहा- अल्लाह की क़सम! यही चीज़ तो मेरे साथ भी होती है। फिर हम दोनों रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए। मैंने कहा- ऐ अल्लाह के रसूल! हन्ज़ला मुनाफ़िक़ हो गया। रसूले करीम ने फ़रमाया- इसकी क्या वजह है? मैंने कहा कि हम आपके पास हाज़िर होते हैं, आप हमें जन्नत और दोज़ख़ की नसीहत करते

हैं तो गोया हम अपनी आँखों से जन्नत और दोज़ख़ को देखते हैं। जब हम आपके पास से उठकर अपने कामों में मशग़ूल हो जाते हैं तो हम बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। रसूले करीम नें फ़रमाया- उस ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम मेरे पास ज़िक्र और फ़िक्र की जिस कैफ़ियत में होते हो अगर तुम्हारी वह कैफ़ियत हमेशा रहे तो तुम्हारे बिस्तरों और रास्तों पर फ़रिश्ते तुमसे मुसाफ़ा करें। लेकिन ऐ हन्ज़ला! यह कैफ़ियत (वअ़ज़ व नसीहत सुनते वक़्त दिल का नर्म होना) कुछ देर के लिये रहती है। यह कलिमा आपने तीन बार फ़रमाया।

हदीस 926. हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बेशक अल्लाह तआ़ला ने जिस दिन आसमानों और ज़मीनों को पैदा फ़रमाया उसी दिन सौ रहमतें भी पैदा कीं, हर रहमत आसमान और ज़मीन के बराबर है, अल्लाह तआ़ला ने उसमें से एक रहमत ज़मीन पर नाज़िल की, उसी रहमत की वजह से माँ अपनी औलाद पर रहम करती है और दरिन्दे और परिन्दे एक दूसरे पर रहम करते हैं, जब क़ियामत का दिन होगा तो अल्लाह तआ़ला उस रहमत के साथ अपनी तमाम रहमतों को मुकम्मल फ़रमायेंगे।

वज़ाहतः- क़ियामत के दिन अल्लाह रहीम की रहमतें मौजूदा दुनिया की रहमतों से सौ गुना ज़्यादा होंगी। मौजूदा रहमतें ही बहुत हैं फिर क़ियामत के दिन अल्लाह करीम की रहमतें बारिश की तरह बरसेंगी। अल्हम्दु लिल्लाह

हदीस 927. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर मोमिन को यह मालूम हो जाता कि अल्लाह तआ़ला का गुस्सा कितना है तो अल्लाह तआ़ला की जन्नत की कोई तमन्ना न करता, और अगर काफ़िर को यह इल्म हो जाता कि अल्लाह तआ़ला के पास रहमत कितनी है तो अल्लाह तआ़ला की जन्नत से वह मायूस न होता।

वज़ाहतः- अल्लाह तआ़ला की रहमत की कोई इन्तिहा नहीं और गुस्सा भी बहुत सख़्त है, इसलिये हमें अल्लाह तआ़ला की रहमत को हासिल करने की कोशिश और गुस्से से बचने वाले आमाल करने चाहियें।

हदीस 928. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने रब तआ़ला से नक़ल करते हुए फ़रमाया-

एक बन्दे ने गुनाह किया और कहा "अल्लाहुम्मग़्फ़िर् ली ज़म्बी" (**तर्जुमाः-** ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह को माफ़ कर दीजिए।) अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया- मेरे बन्दे ने गुनाह किया है और उसको यक़ीन है कि उसका रब गुनाह माफ़ भी करता है और गुनाह पर पकड़ता भी है। फिर दोबारा वही बन्दा गुनाह करता है और कहता है- ऐ मेरे रब! मेरा गुनाह माफ़ कर दीजिए। अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं- मेरे बन्दे ने गुनाह किया है और उसको यक़ीन है कि उसका रब गुनाह माफ़ भी करता है और गुनाह पर पकड़ता भी है। वह बन्दा फिर गुनाह करता है और कहता है- ऐ मेरे रब! मेरे गुनाह को माफ़ कर दीजिए। अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं- मेरे बन्दे ने गुनाह किया है और उसको यक़ीन है कि उसका रब गुनाह माफ़ भी करता है और गुनाह पर पकड़ता भी है।

वज़ाहतः- अल्लाह तआ़ला गुनाहों को बार-बार माफ़ करने वाले हैं। इसलिये हर दफ़ा अपनी ग़लती का इक़रार करके माफ़ी माँगते रहिये, हमें चाहिये कि गुनाह न करें और अगर ग़लती से हो जाये तो फ़ौरन माफ़ी माँगनी चाहिये। अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये- तर्जुमा व तफ़सीर सूरः निसा 4, आयत 17-18।

हदीस 929. हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला रात भर हाथ फैलाये रखते हैं कि दिन में गुनाह करने वाला (रात को) तौबा कर ले और दिन भर हाथ फैलाये रखते हैं कि रात को गुनाह करने वाला (दिन में) तौबा कर ले, यहाँ तक कि सूरज मग़रिब (पश्चिम की ओर) से निकले, यानी क़ियामत आ जायेगी।

वज़ाहतः- तौबा में देर न कीजिए इसलिये कि मौत का कोई पता नहीं कब आ जाये और मौत के आसार देखकर तौबा करने का कोई फ़ायदा नहीं। अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये- तर्जुमा व तफ़सीर सूरः निसा 4,

आयत 17-18।

हदीस 930. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला से ज़्यादा किसी को अपनी तारीफ़ पसन्द नहीं है, इसी वजह से अल्लाह तआ़ला ने ख़ुद अपनी तारीफ़ (सूरः फ़ातिहा में) फ़रमाई है। और अल्लाह तआ़ला से ज़्यादा कोई शख़्स ग़ैरत करने वाला नहीं है, इसी वजह से अल्लाह तआ़ला ने फ़वाहिश (बेहयाई के कामों को) हराम क़रार दे दिया है।

हदीस 931. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला भी ग़ैरत करते हैं और मोमिन भी ग़ैरत करते हैं, अल्लाह तआ़ला को इस पर ग़ैरत आती है जब मोमिन वह काम करे जिनको अल्लाह तआ़ला ने हराम कर दिया है।

हदीस 932. हज़रत असमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला सबसे ज़्यादा ग़य्यूर (बहुत ज़्यादा ग़ैरत करने वाले) हैं।

वज़ाहतः- इनसान जब अल्लाह तआ़ला के हुक्मों की नाफ़रमानी करता है तो उस पर अल्लाह तआ़ला बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और ग़ैरत (नाफ़रमानी पर गुस्से) का इज़हार करते हैं जिसकी सज़ा (बीमारी, हादसा, चोरी, डकैती) या तो इनसान को दुनिया में दे देते हैं या आख़िरत के लिये बाक़ी रखते हैं। इसलिये हर वक़्त अल्लाह तआ़ला की फ़रमाँबरदारी कीजिये।

हदीस 933. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ने एक औ़रत का बोसा लिया फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर इस वाक़िए का ज़िक्र किया (ताकि रसूले करीम उस पर सज़ा जारी करके उसे पाक फ़रमा दें) तो यह आयत नाज़िल हुई-

तर्जुमाः- दिन के दोनों किनारों (सुबह व शाम) और रात के कुछ हिस्सों में नमाज़ पढ़ो, बेशक नेकियाँ बुराईयों को दूर कर देती हैं, यह (अल्लाह का)

ज़िक्र करने वालों के लिये नसीहत है। (सूरः हूद 11, आयत 114) फिर एक शख़्स ने कहा- ऐ अल्लाह के रसूल! क्या यह ख़ुशख़बरी सिर्फ़ उसी शख़्स के लिये है? आपने फ़रमाया- मेरी उम्मत में से जो भी इस पर अ़मल करे सब के लिये यही ख़ुशख़बरी है।

वज़ाहतः- नेकियाँ जैसे नमाज़ पढ़ना, सदक़ा व ख़ैरात करना, छोटे गुनाहों को धो देता है।

हदीस 934. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत के दिन एक मोमिन अपने रब तआ़ला के क़रीब होगा यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला उसको अपनी रहमत में छुपा लेंगे और फ़रमायेंगे- क्या तुम (इस गुनाह को) पहचानते हो? वह कहेगा- जी हाँ मेरे रब! मैं पहचानता हूँ। अल्लाह तआ़ला फ़रमायेंगे- मैंने दुनिया में तुम्हारे गुनाहों को छुपाया था और मैं आज तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ (फिर उसे नेकियों वाला आमाल नामा दे दिया जायेगा)।

मुनाफ़िक़ों की निशानियाँ और उनके लिये अहकाम

हदीस 935. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जब अ़ब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल (मुनाफ़िक़) मर गया तो उसके बेटे हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आये और सवाल किया कि आप अपनी क़मीज़ मुझे अ़ता फ़रमायें, जिसमें मैं अपने बाप को कफ़न दूँगा। आपने उनको क़मीज़ अ़ता की। अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने कहा- आप उसकी नमाज़े जनाज़ा भी पढ़ा दें। रसूले करीम उस पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ने के लिये खड़े हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का दामन पकड़ा और अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ा रहे हैं हालाँकि अल्लाह तआ़ला ने आपको उसकी नमाज़े जनाज़ा

पढ़ाने से मना फ़रमाया है। रसूले करीम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने मुझे इख़्तियार दिया है, अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया है-

तर्जुमाः- तुम उनके लिये इस्तिग़फ़ार करो या न करो, अगर तुमने उनके लिये सत्तर मर्तबा भी इस्तिग़फ़ार किया तब भी अल्लाह उन्हें माफ़ नहीं करेगा। (सूरः तौबा 9, आयत 80)

मैं सत्तर मर्तबा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करूँगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़र्ज़ किया- वह मुनाफ़िक़ है। रसूले करीम ने उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ा दी, तब अल्लाह तआ़ला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई-

तर्जुमाः- इन (मुनाफ़िक़ों) में से जो शख़्स भी मर जाये आप कभी भी उसकी नमाज़े जनाज़ा न पढ़ायें और न उसकी क़ब्र पर खड़े हों।

(सूरः तौबा 9, आयत 84)

वज़ाहतः- अ़ब्दुल्लाह बिन उबई का आप पर एक एहसान था जिसकी बुनियाद पर आपने उस मुनाफ़िक़ के कफ़न के लिये अपनी क़मीज़ (कुर्ता) मुबारक दी और नमाज़े जनाज़ा भी पढ़ाई, फिर जब अल्लाह तआ़ला ने मुनाफ़िक़ों की नमाज़े जनाज़ा पढ़ाने की मनाही कर दी तो उसके बाद आपने कभी भी किसी मुनाफ़िक़ की नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ाई।

हदीस 936. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में कुछ मुनाफ़िक़ ऐसे थे कि जब नबी करीम किसी जगह जिहाद के लिये जाते तो वे पीछे रह जाते और जिहाद में शरीक न होने पर ख़ुश होते, और जब नबी करीम वापस आते तो आपके पास आकर बहाने बनाते और झूठी क़समें खाते और फिर ख़्वाहिश करते कि लोग उनके ऐसे कामों की तारीफ़ करें जो उन्होंने नहीं किये थे, तब यह आयत नाज़िल हुई-

तर्जुमाः- जो लोग यह ख़्वाहिश करते हैं कि उनके उन कामों की तारीफ़ की जाये जो उन्होंने नहीं किये। पस आप यह न समझें कि वे अ़ज़ाब से छूट जायेंगे, उनको दर्दनाक अ़ज़ाब मिलेगा।

(सूरः आले इमरान 3, आयत 188)

हदीस 937. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत

है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मुनाफ़िक़ की मिसाल उस बकरी की है जो बकरियों के दो रेवड़ों के दरमियान परेशान रहती है, कभी इस रेवड़ में जाती है और कभी उस रेवड़ में।

वज़ाहतः- मुनाफ़िक़ भी ईमान और कुफ़्र के दरमियान परेशान रहता है जिस तरफ़ अपना फ़ायदा और स्वार्थ नज़र आता है उस तरफ़ का रुख़ कर लेता है।

क़ियामत, जन्नत और दोज़ख़ का बयान

हदीस 938. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक यहूदी आ़लिम रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आया और कहा- ऐ अबुल-क़ासिम! बेशक अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन आसमानों को एक उंगली पर, ज़मीनों को एक उंगली पर, पहाड़ों और दरख़्तों को एक उंगली पर, पानी व गीली ज़मीन को एक उंगली पर और तमाम मख़्लूक़ को एक उंगली पर उठा लेगा। फिर उनको हिलाकर फ़रमायेगा- मैं बादशाह हूँ, मैं बादशाह हूँ। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उस यहूदी आ़लिम की बात पर ताज्जुब किया और उसकी तस्दीक़ करते हुए मुस्कुराये। फिर आपने यह आयत पढ़ी-

तर्जुमाः- उन्होंने अल्लाह तआ़ला की इस तरह क़द्र नहीं की जिस तरह क़द्र करनी चाहिये। सारी ज़मीन क़ियामत के दिन उसकी मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान उसके दायें हाथ में लिपटे हुए होंगे, और लोग जिस चीज़ को अल्लाह तआ़ला के साथ शरीक करते हैं वह उससे पाक है।

(सूरः ज़ुमर 39, आयत 67)

हदीस 939. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन आसमानों को लपेट लेगा फिर उनको दायें हाथ से पकड़कर फ़रमायेगा- मैं बादशाह हूँ। ज़ुल्म करने वाले और तकब्बुर करने वाले कहाँ हैं? फिर बायें हाथ से ज़मीन को लपेट लेगा और फिर फ़रमायेगा- मैं बादशाह हूँ ज़ुल्म करने वाले और तकब्बुर करने वाले कहाँ हैं? फिर

फ़रमायेगा- मैं अकेला ही बादशाह हों।

हदीस 940. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मेरा हाथ पकड़कर फ़रमाया- अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त ने मिट्टी को हफ़्ते के दिन, उसमें पहाड़ इतवार के दिन, दरख़्तों को पीर के दिन, मक्रूहात (मुसीबतों व तकलीफ़ों को) मंगल के दिन, नूर को बुध के दिन पैदा किया। जुमेरात के दिन ज़मीन में चौपाये (जानवर) फैलाये और आदम अ़लैहिस्सलाम को जुमे के दिन मख़्लूक़ में से सबसे आख़िर में जुमे की आख़िरी घड़ी अ़सर और रात के दरमियान पैदा फ़रमाया।

हदीस 941. हज़रत सुहैल बिन सअ़द रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत के दिन लोगों को सफ़ेद ज़मीन पर जमा किया जायेगा जो सुर्ख़ी माईल होगी जैसे मेदे की रोटी होती है, और उस ज़मीन में किसी शख़्स के लिये कोई अ़लामत (निशानी) नहीं होगी।

हदीस 942. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अल्लाह रब्बुल-इ़ज़्ज़त के इस क़ौल-

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ.

तर्जुमाः- उस दिन यह ज़मीन दूसरी ज़मीन में बदल जायेगी और आसमान (भी बदल दिये जायेंगे)। (सूरः इब्राहीम 14, आयत 48)

के मुताल्लिक़ पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! उस दिन लोग कहाँ होंगे? आपने फ़रमाया- "पुलसिरात" पर।

हदीस 943. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा मैं रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ एक खेत की तरफ़ जा रहा था, रसूले करीम ने एक दरख़्त के तने से टेक लगाई हुई थी, इतने में कुछ यहूदी गुज़रे, उन लोगों ने एक दूसरे से कहा- इनसे रूह के बारे में सवाल करो। उनमें से एक ने कहा- तुमको इसमें क्या शुब्हा है? कहीं वह ऐसा जवाब न दे दें जो तुम्हें नापसन्द हो। उन्होंने

कहा- इनसे सवाल करो। फिर उनमें से एक ने खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से रूह के मुताल्लिक़ सवाल किया। रसूले करीम ख़ामोश हो गये और उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। पस मुझे मालूम हो गया कि आप पर वही नाज़िल हो रही है फिर आप पर यह वही नाज़िल हुई-

तर्जुमाः- ये लोग आप से रूह के मुताल्लिक़ सवाल करते हैं। आप फ़रमा दीजिए कि रूह मेरे रब का हुक्म है और तुम्हें बहुत कम इल्म दिया गया है। (सूरः बनी इस्राईल 17, आयत 85)

हदीस 944. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि अबू जहल ने कहा- ऐ अल्लाह! अगर यह क़ुरआन आपकी तरफ़ से हक़ है तो आप आसमान से हम पर पत्थर बरसाईये या कोई दर्दनाक अ़ज़ाब भेजिये, तब यह आयत नाज़िल हुई-

तर्जुमाः- जब तक आप इनमें मौजूद हैं और जब तक ये लोग इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे अल्लाह इन पर अ़ज़ाब भेजने वाले नहीं, और क्या वजह है कि अल्लाह इनको अ़ज़ाब न दे जबकि ये (मुसलमानों को) मस्जिदे हराम से रोकते हैं। (सूरः अनफ़ाल 8, आयत 33-34।

वज़ाहतः- रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मौजूदगी में क़ौम पर अ़ज़ाब नहीं आया। इसलिये कि आपका पाक वजूद उनकी हिफ़ाज़त का सबब था। उनके इस्तिग़फ़ार से मुराद यह है कि वह आईन्दा मुसलमान होकर इस्तिग़फ़ार करेंगे। मुश्रिक लोग अपने आपको मस्जिदे हराम (ख़ाना काबा) का मुतवल्ली समझते थे और जिसको चाहते तवाफ़ की इजाज़त देते और जिसको चाहते न देते, चुनाँचे मुसलमानों को भी वे मस्जिदे हराम में आने से रोकते थे। इस आयत में जिस अ़ज़ाब का ज़िक्र है उससे मुराद मक्का का फ़तह होना है जो मुश्रिकों के लिये दर्दनाक अ़ज़ाब की हैसियत रखता है। इससे पहले की आयत में जिस अ़ज़ाब की नफ़ी है, जो पैग़म्बर की मौजूदगी या इस्तिग़फ़ार करते रहने की वजह से नहीं आता, उससे मुराद वह अ़ज़ाब है जो जड़ से उखेड़कर पूर तरह तबाह कर दे। सबक़ लेने व तंबीह के तौर पर छोटे अ़ज़ाब का आना इसके ख़िलाफ़ नहीं है।

हदीस 945. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि अबू

जहल ने कहा- क्या मुहम्मद तुम्हारे सामने अपना चेहरा ज़मीन पर रखते हैं? उसे बताया गया- हाँ, तो उसने कहा- लात और उज़्ज़ा की क़सम अगर मैंने उन्हें ऐसा करते देखा तो उनकी गर्दन (अल्लाह की पनाह) रौंद डालूँगा या उनका चेहरा मिट्टी में मिलाऊँगा। पस वह रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आपकी गर्दन को रौंदने की नीयत से आया और आप नमाज़ अदा कर रहे थे। जब वह आपके क़रीब होने लगा तो अचानक वापस लौट आया और अपने दोनों हाथों को किसी चीज़ से बचा रहा था। फिर उसे कहा गया तुझे क्या हुआ? तो उसने कहा- मेरे और उनके दरमियान आग की ख़न्दक़ (खाई) थी, हौल और बाज़ू (फ़रिश्तों के बाज़ू) थे। तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अगर वह मुझसे क़रीब होता तो फ़रिश्ते उसका एक-एक अंग नोच डालते। फिर अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त ने ये आयतें नाज़िल फ़रमाईं-

तर्जुमाः- हरगिज़ नहीं, यक़ीनन इनसान सरकशी करता है (क्योंकि) उसने अपने आपको आज़ाद समझ लिया है। बेशक तुम्हारे परवर्दिगार की तरफ़ ही लौटना है। क्या आपने उस (अबू जहल) को देखा है जो (हमारे) बन्दे को रोकता है जब वह नमाज़ पढ़ता है, भला देख तो अगर वह हिदायत पर हो या तक़्वा इख़्तियार करने का हुक्म देता है, भला देख तो, अगर वह (अबू जहल हक़ को) झुठलाये और पीठ फेरे (दीने इस्लाम से)।

(सूरः अ़लक़ 96, आयत 6 से 13)

हदीस 946. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन क़ैस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तकलीफ़देह बातों को सुनकर अल्लाह तआ़ला से ज़्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं है, लोग अल्लाह तआ़ला के लिये शरीक बनाते हैं और उसका बेटा बनाते हैं और वह इसके बावजूद उनको रिज़्क़ देता है, आ़फ़ियत के साथ रखता है और उनको और ज़्यादा नेमतें अ़ता फ़रमाता है।

हदीस 947. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत के दिन काफ़िर से कहा जायेगा- यह बताओ अगर तुम्हारे पास पूरी ज़मीन के बराबर सोना हो

तो क्या तुम उसको अज़ाब से निजात के लिये दे दोगे? वह कहेगा जी हाँ। उससे कहा जायेगा- तुमसे इसके मुक़ाबले में दुनिया में बहुत आसान चीज़ (इस्लाम क़ुबूल करने) का मुतालबा किया गया था (जो तुमने पूरा नहीं किया)।

अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः मायदा 5, आयत 36-37, और सूरः मआ़रिज 70, आयत 10-15।

हदीस 948. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिस जहन्नमी को दुनिया में सबसे ज़्यादा नेमतें मिली होंगी उसको क़ियामत के दिन बुलाया जायेगा और उसको जहन्नम में एक ग़ोता देकर पूछा जायेगा- ऐ आदम के बेटे! क्या तुमने दुनिया में कभी कोई ख़ैर देखी थी? वह कहेगा- नहीं ऐ मेरे रब। फिर जन्नत वालों में से उस शख़्स को लाया जायेगा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में रहा होगा। उसको जन्नत की झलक दिखाकर पूछा जायेगा- ऐ आदम के बेटे! क्या तुमने दुनिया में कभी कोई तकलीफ़ देखी थी? वह कहेगा- नहीं ऐ मेरे रब! न मुझे कभी कोई तकलीफ़ पहुँची और न कभी कोई सख़्ती पहुँची थी।

वज़ाहतः- आख़िरत की तकलीफ़ें दुनिया की तकलीफ़ों से बहुत ज़्यादा हैं इसी तरह आख़िरत का आराम भी दुनिया के आराम व सुकून से बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि दुनिया में सुकून की ज़िन्दगी गुज़ारने वाला शख़्स एक लम्हा जहन्नम में जाने के बाद दुनिया का हर आराम भूल जायेगा, और दुनिया में तकलीफ़ें बरदाश्त करने वाला शख़्स एक लम्हा जन्नत में जाने के बाद दुनिया की हर तकलीफ़ को भूल जायेगा। आप आख़िरत की तकलीफ़ों से बचने के लिये कसरत से (ख़ूब ज़्यादा) नेक आमाल करें।

हदीस 949. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो मोमिन दुनिया में कोई भी नेकी करेगा अल्लाह तआ़ला उस पर ज़ुल्म नहीं करेगा, उसको दुनिया में भी और आख़िरत में भी जज़ा दी जायेगी। रहा काफ़िर तो उसने दुनिया में

जो नेकियाँ की हैं उनका अज्र उसको दुनिया में दे दिया जायेगा और जब वह आख़िरत में पहुँचेगा तो उसको जज़ा देने के लिये कोई नेकी नहीं होगी।

अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः बक़रह 2, आयत 102 और सूरः आले इमरान 3, आयत 77।

हदीस 950. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब काफ़िर कोई नेक अ़मल करता है तो उसकी वजह से दुनिया से ही उसे लुक़्मा खिला दिया जाता है और मोमिन के लिये अल्लाह तआ़ला उसकी नेकियों को आख़िरत के लिये ज़ख़ीरा करते रहते हैं और दुनिया में अपनी इताअ़त पर उसे रिज़्क़ अ़ता करते हैं।

वज़ाहतः- जो काफ़िर कुफ़्र की हालत पर मर जाये, इस दुनिया में जो भी कोई नेकी की हो उसका बदला आख़िरत में नहीं, दुनिया में ही मिल चुका होता है, क्योंकि आख़िरत में असल वज़न ईमान का होगा और आमाल उसके ताबे होंगे। और मोमिन को ईमान की बदौलत दुनिया में भी उसका बदला मिलता है और आख़िरत तो है ही ख़ास मोमिन के लिये। इसलिये यह दुआ़ रोज़ाना माँगिये-

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या ह-स-नतंव्-व फ़िल्-आख़ि-रति ह-स-नतंव्-व क़िना अ़ज़ाबन्नार।

तर्जुमाः- ऐ हमारे रब! हमें दुनिया में भलाई दीजिए और आख़िरत में भी भलाई अ़ता फ़रमाईये, और हमें जहन्नम के अ़ज़ाब से निजात दीजिए।

(सूरः ब-क़रह 2, आयत 201)

हदीस 951. हज़रत कअ़ब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मोमिन की मिसाल सरकंडे (एक क़िस्म का जौ नुमा पौधा) के खेत की तरह है जिसको हवा झोंका देती रहती है, कभी उसको गिरा देती है और कभी खड़ा कर देती है यहाँ तक कि वह सूख जाता है। और काफ़िर की मिसाल सनोबर के पेड़ की तरह है जो अपनी जड़ पर खड़ा रहता है, कोई चीज़ उसको इधर-

उधर नहीं झुकाती, यहाँ तक कि वह जड़ से उखड़ जाता है।

वज़ाहतः- मोमिन दुनिया में मुख़्तलिफ़ परेशानियों और मुसीबतों में मुब्तला रहता है जिस पर या तो उसके गुनाह माफ़ किये जाते हैं या दर्जे बुलन्द किये जाते हैं, जबकि काफ़िर दुनिया में पुरसुकून ज़िन्दगी गुज़ारता है, अचानक मौत उसकी ज़िन्दगी का ख़ात्मा कर देती है जिसके बाद वह जहन्नम के अ़ज़ाब में मुब्तला हो जाता है। एक हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- दुनिया मोमिन के लिये क़ैदख़ाना और काफ़िर के लिये जन्नत है।

हदीस 952. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बेशक शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि नमाज़ी हज़रात इस अ़रब की खाड़ी में उसकी इबादत करें, लेकिन वह उनमें लड़ाई और फ़सादात कराता रहेगा।

हदीस 953. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इब्लीस का तख़्त पानी पर है, वहाँ से वह अपने लश्कर रवाना करता है। उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा पसन्दीदा शैतान वह होता है जो सबसे ज़्यादा लोगों में फ़ितना डालता है। उसके लश्कर में से एक आकर कहता है- मैंने ऐसा-ऐसा किया है, वह कहता है तुमने कुछ भी नहीं किया। फिर उनमें से एक आकर कहता है कि मैंने एक मियाँ-बीवी के दरमियान झगड़ा करा दिया है, वह उसको अपने क़रीब करके कहता है हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है और उसको गले लगा लेता है।

वज़ाहतः- मियाँ-बीवी में इख़्तिलाफ़ (झगड़ा) पैदा करना शैतान के नज़दीक सबसे बेहतर काम इसलिये है कि उनके झगड़ों से सिर्फ़ दो इनसानों ही के दरमियान नहीं बल्कि दो ख़ानदानों के दरमियान झगड़े हो जाते हैं जिसके नतीजे बहुत ही बुरे निकलते हैं, मसलन तलाक़ वग़ैरह। लिहाज़ा मियाँ-बीवी को ऐसे मौक़े पर 'अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम' बार-बार पढ़ना चाहिये।

हदीस 954. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- शैतान अपने लश्करों को लोगों में फ़ितना डालने के लिये भेजता है, वे लोगों में फ़ितना डालते हैं। पस उनमें से मर्तबे के एतिबार से वही शैतान ज़्यादा बड़ा होता है जो उनमें से फ़ितना डालने के एतिबार से बड़ा हो।

हदीस 955. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम में से हर शख़्स के साथ एक शैतान मुक़र्रर कर दिया जाता है। सहाबा किराम ने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! आपके साथ भी? आपने फ़रमाया- मेरे साथ भी, लेकिन अल्लाह तआ़ला ने उसके मुक़ाबले में मेरी मदद फ़रमाई है, वह मुसलमान हो गया है और वह मुझे अच्छी बात के सिवा कोई बात नहीं कहता।

हदीस 956. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सीधी राह पर चलो, दरमियानी रास्ता इख़्तियार करो और एक-दूसरे को ख़ुशख़बरी दो, बेशक किसी शख़्स को उसका अ़मल जन्नत में दाख़िल नहीं करेगा। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! आपको भी नहीं? आपने फ़रमाया- मुझे भी नहीं, मगर यह कि अल्लाह तआ़ला अपनी रहमत में मुझे छुपा ले, और याद रखो कि अल्लाह तआ़ला के नज़दीक सबसे पसन्दीदा अ़मल वह है जिसमें हमेशगी (यानी पाबन्दी से) हो, चाहे वह अ़मल कम हो।

वज़ाहतः- हमेशगी वाला अ़मल अल्लाह तआ़ला को बहुत पसन्द है चाहे कम मिक़्दार में हो, यानी नमाज़ रोज़ाना पढ़िये, इसी तरह दूसरी इबादतें भी कीजिए।

हदीस 957. हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस क़द्र (नफ़िल) नमाज़ें पढ़ीं कि आपके क़दम मुबारक सूज गये। आप से कहा गया- आप इस क़द्र मशक़्क़त क्यों उठा रहे हैं, हालाँकि अल्लाह तआ़ला ने आपके अगले और पिछले गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमा दी है। आपने फ़रमाया- क्या मैं अल्लाह

तआ़ला का शुक्रगुज़ार बन्दा न बनूँ?

वज़ाहतः- अल्लाह तआ़ला की ख़ूब ज़्यादा इबादत करने से अल्लाह तआ़ला का शुक्र अदा होता है।

जन्नत की नेमतों, उसकी सिफ़तों और जन्नतियों का बयान

हदीस 958. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जन्नत को तकलीफ़ों ने घेरा हुआ है और दोज़ख़ को नफ़्सानी इच्छाओं ने घेरा हुआ है।

वज़ाहतः- जन्नत में जाने के लिये दुनिया में तकलीफ़ें बरदाश्त करनी पड़ती हैं जैसा कि सहाबा किराम ने बरदाश्त कीं, और जहन्नम वाले दुनिया में अपनी इच्छाओं के मुताबिक़ चलते हैं। आख़िर उनका ठिकाना जहन्नम होगा।

हदीस 959. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जन्नती लोग अपने ऊपर की मन्ज़िलों को इस तरह देखेंगे जिस तरह तुम आसमान में चमकते हुए सितारों को देखते हो, क्योंकि कुछ (मुसलमानों) के दर्जात कुछ (दूसरों) से ज़्यादा होंगे। सहाबा ने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! वो नबियों के दर्जे होंगे जिन तक कोई और नहीं पहुँच सकता। आपने फ़रमाया- नहीं, उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है ये वे लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान लाये और उसके रसूलों की तस्दीक़ की।

हदीस 960. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जन्नत में एक बाज़ार है जिसमें जन्नती हर जुमे के दिन आया करेंगे उस दिन उत्तर से हवा चलेगी जो उनके चेहरों और कपड़ों पर से गुज़रेगी उससे उनका हुस्न व जमाल (सुन्दरता) और बढ़ जायेगा फिर वे अपने घर वालों की तरफ़ लौटकर जायेंगे तो वे कहेंगे- अल्लाह की क़सम! हमारे पास से जाने के बाद

तुम्हारा हुस्न व जमाल बहुत ज़्यादा हो गया।

वज़ाहतः- जन्नत में रहने वालों को दूसरी नेमतों के साथ-साथ ख़ूबसूरती जैसी नेमत भी अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त अ़ता फ़रमायेंगे। आख़िरत में ख़ूबसूरती को हासिल करने के लिये ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल कीजिए।

हदीस 961. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जन्नती जन्नत में खायेंगे-पियेंगे, वे उसमें न पाख़ाना करेंगे, न नाक साफ़ करेंगे, न पेशाब करेंगे। उनका खाना डकार की शक्ल में ख़त्म हो जायेगा, वह मशक की तरह ख़ुशबूदार होगा। उनको तस्बीह और हम्द का इल्हाम इस तरह किया जायेगा जिस तरह साँस आता जाता है।

हदीस 962. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स जन्नत में दाख़िल होगा उसे ऐसी नेमतें दी जायेंगी कि फिर उसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, न उसके कपड़े पुराने होंगे, न उसकी जवानी ख़त्म होगी।

हदीस 963. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा- (ऐ जन्नत वालो!) तुम्हारे लिये यह मुक़र्रर हो गया है कि तुम हमेशा तन्दुरुस्त रहोगे और कभी भी बीमार नहीं होगे, तुम ज़िन्दा रहोगे और कभी नहीं मरोगे, और तुम हमेशा जवान रहोगे और कभी बूढ़े नहीं होगे, और तुम हमेशा नेमतों में रहोगे और तुम पर कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं आयेगी। और इसकी ताईद अल्लाह तआ़ला ने अपने इस क़ौल में फ़रमाई है-

तर्जुमाः- और उनको यह बात बता दी जायेगी कि यह वह जन्नत है जिसके तुम अपने आमाल की वजह से वारिस बनाये गये हो।

(सूरः आराफ़ 7, आयत 43)

हदीस 964. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन क़ैस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मोतियों का एक ख़ेमा है जिसकी लम्बाई 60 मील है, उसके हर कोने में मोमिन की

बीवियाँ होंगी, जिनको दूसरे कोने वाली नहीं देख सकेंगी।

हदीस 965. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- "सैहान" और "जैहान" और "फ़ुरात" और "नील" ये जन्नत की नहरों में से हैं।

हदीस 966. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जन्नत में कुछ ऐसी क़ौमें दाख़िल होंगी जिनके दिल (नरम-मिज़ाजी और अल्लाह पर भरोसा करने में) परिन्दों की तरह होंगे।

जहन्नम का बयान

(अल्लाह तआ़ला हमें उससे महफ़ूज़ रखे)

हदीस 967. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत के दिन जहन्नम की सत्तर हज़ार लगामें होंगी, हर लगाम को सत्तर हज़ार फ़रिश्ते पकड़कर खींच रहे होंगे।

हदीस 968. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- तुम्हारी यह आग जिसको इनसान रोशन करते हैं जहन्नम की गर्मी से सत्तर दर्जे कम है। सहाबा ने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! यह आग ही जलाने के लिये काफ़ी थी। आपने फ़रमाया- वह इससे सत्तर दर्जे ज़्यादा है, हर दर्जे में यहाँ की आग के बराबर गर्मी है।

हदीस 969. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ थे, आपने एक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी। आपने फ़रमाया- तुम्हें मालूम है यह कैसी आवाज़ है? हमने कहा- अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल को ख़ूब इल्म है। आपने फ़रमाया- यह एक पत्थर है जिसको सत्तर साल पहले जहन्नम में फेंका गया था, यह अब तक उसमें गिर रहा था और अब उसकी गहराई में पहुँचा है।

वज़ाहतः- जहन्नम की गहराई बहुत ज़्यादा है। बड़े ही बदनसीब हैं वे लोग जो जहन्नम का ईंधन बनने वाले हैं।

हदीस 970. हज़रत समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बाज़े जहन्नमियों को आग उनके टख़्नों तक, बाज़ों को कमर तक और बाज़ों को गर्दन तक पकड़ेगी।

वज़ाहतः- बुरे आमाल के मुताबिक़ जहन्नम की आग लोगों को पकड़ेगी इसलिये हर बुरे काम से बचिये।

हदीस 971. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जन्नत और दोज़ख़ में बहस हुई, दोज़ख़ ने कहा- मुझे ज़ालिमों और तकब्बुर करने वालों की वजह से तरजीह हासिल है। जन्नत ने कहा- मुझे इसलिये तरजीह हासिल है कि मुझमें सिर्फ़ कमज़ोर, लाचार और आजिज़ लोग दाख़िल होंगे। अल्लाह तआला जन्नत से फ़रमायेंगे- तुम तो सिर्फ़ मेरी रहमत हो, मैं अपने बन्दों में से जिस पर चाहूँगा तुम्हारे ज़रिये रहमत करूँगा। और दोज़ख़ से फ़रमायेंगे- मैं अपने बन्दों में से जिसको चाहूँगा तुम्हारे ज़रिये अज़ाब दूँगा और तुम में से हर एक को भरना है, लेकिन दोज़ख़ नहीं भरेगी यहाँ तक कि अल्लाह तआला उस पर अपना पाँव रख देंगे, फिर वह कहेगी- बस, बस, बस। उस वक़्त वह सिकुड़ जायेगी और भर जायेगी। अल्लाह तआला अपनी मख़्लूक़ में से किसी पर ज़ुल्म नहीं करेंगे, और रही जन्नत तो अल्लाह तआला उसके लिये एक और मख़्लूक़ पैदा फ़रमाकर उसे भी भर देंगे।

हदीस 972. हज़रत हारिसा बिन वहब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क्या मैं तुम्हें जन्नत वालों की ख़बर न दूँ? (कि जन्नती कौन है?) सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया- जी हाँ फ़रमाईये। आपने फ़रमाया- हर कमज़ोर आदमी जिसे कमज़ोर समझा जाता है, अगर वह अल्लाह तआला पर क़सम खा ले तो अल्लाह तआला उसकी क़सम पूरी फ़रमा देंगे। फिर आपने फ़रमाया- क्या मैं तुम्हें दोज़ख़ वालों की ख़बर न दूँ? (दोज़ख़ी कौन हैं?) सहाबा किराम ने अर्ज़ किया- जी हाँ, ज़रूर फ़रमाईये। आपने फ़रमाया-

हर जाहिल, सख़्त-मिज़ाज (गुस्से वाला), तकब्बुर करने वाला दोज़ख़ी है।

हदीस 973. हज़रत मस्तूर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला की क़सम, दुनिया आख़िरत के मुक़ाबले में इस तरह है कि जिस तरह तुम में से कोई आदमी अपनी उंगली दरिया में डाल दे और फिर उस उंगली को निकालकर देखे कि उसमें क्या लगता है।

वज़ाहतः- अल्लाह तआ़ला की नज़र में दुनिया की कोई अहमियत नहीं, आख़िरत की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसलिये दुनिया का माल व दौलत अल्लाह तआ़ला काफ़िरों को भी फ़रावानी से (यानी बहुत अधिक) देते हैं मगर आख़िरत में उनके लिये कोई हिस्सा नहीं।

हदीस 974. हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत के दिन सूरज मख़्लूक़ के इस क़द्र क़रीब होगा कि सिर्फ़ एक मील का फ़ासला रह जायेगा। लोग अपने आमाल के हिसाब से पसीने में डूबे हुए होंगे। कुछ लोगों का पसीना टख़्नों तक होगा, कुछ का घुटनों तक, कुछ का कमर तक और कुछ का मुँह तक पसीना होगा।

हदीस 975. हज़रत अ़याज़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि तीन क़िस्म के लोग जन्नती हैं-

1. इन्साफ़ करने वाला हुक्मराँ जिसे नेकी की हिदायत दी गयी हो और सदक़ा करने वाला हो।

2. वह शख़्स जो अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों और आ़म मुसलमानों के लिये रहम-दिल हो।

3. वह शख़्स जो मिस्कीन और पाकदामन हो और घर के अफ़राद ज़्यादा होने के बावजूद माँगने से गुरेज़ करता हो।

और 5 क़िस्म के लोग दोज़ख़ी हैं-

1. वह गुलाम जो अपने घर वालों से कोई मुहब्बत न करे।

2. वह ख़्यानत करने वाला जिसका लालच छुपा हुआ न हो, जो

मामूली-सी चीज़ में भी ख़्यानत (चोरी और बद्दियानती) करे।

3. वह धोखेबाज़ जो हर सुबह व शाम तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर वालों और तुम्हारी दौलत के साथ धोखा करे।

4. कन्जूसी करने वाला (जो मालदार होने के बावजूद अल्लाह की राह में ख़र्च न करे)।

5. झूठ बोलने वाला, बुरी ख़स्लत और बुरी बात करने वाला।

हदीस 976. हज़रत अयाज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआला ने मुझ पर यह **वही** की है कि आजिज़ी इख़्तियार करो, कोई शख़्स फ़ख़्र न करे और कोई शख़्स दूसरे पर ज़्यादती न करे।

हदीस 977. हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- यह आयते करीमा क़ब्र के अज़ाब के बारे में नाज़िल हुई है-

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ.

तर्जुमाः- अल्लाह ईमान वालों को क़ौले साबित (कलिमा-ए-तौहीद) से दुनिया की ज़िन्दगी और आख़िरत में साबित-क़दम रखता है।

(सूरः इब्राहीम 14, आयत 27)

क़ब्र में, मुर्दे से सवाल किया जाता है कि तेरा रब कौन है? वह कहता है मेरा रब अल्लाह तआला है।

हदीस 978. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब किसी मोमिन की रूह निकलती है तो दो फ़रिश्ते उसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं तो आसमान वाले कहते हैं कि पाकीज़ा रूह ज़मीन की तरफ़ से आई है। अल्लाह तआला तुम पर और उस जिस्म पर जिसे रूह आबाद रखती थी, रहमत नाज़िल फ़रमाये। फिर उस रूह को अल्लाह तआला की तरफ़ लेजाया जाता है। फिर अल्लाह तआला फ़रमाते हैं कि तुम इसे आख़िरी वक़्त के लिये (सिद्‌रतुल-मुन्तहा) ले जाओ। आपने आगे फ़रमाया- काफ़िर की रूह जब निकलती है तो आसमान वाले कहते हैं कि ख़बीस रूह ज़मीन की तरफ़ से आई है, फिर

उसे कहा जाता है कि तुम उसे आख़िरी वक़्त के लिये सिजून (जेलख़ाने) की तरफ़ ले जाओ। फिर यह बयान करते हुए रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपनी चादर अपनी नाक मुबारक पर रख ली थी (काफ़िर की रूह की बदबू ज़ाहिर करने के लिये आपने इस तरह किया)।

हदीस 979. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जिससे क़ियामत के दिन हिसाब लिया गया वह अ़ज़ाब में मुब्तला हो गया। मैंने अ़र्ज़ कया- क्या अल्लाह तआ़ला ने यह नहीं फ़रमाया- जिस शख़्स को उसका नामा-ए-आमाल उसके दायें हाथ में दिया गया तो जल्द ही उससे आसान हिसाब लिया जायेगा। (सूरः इन्शिक़ाक़ 84, आयत 7-8) आपने फ़रमाया- इस आयत में जिस हिसाब का ज़िक्र है वह तो मामूली पूछगछ है और जिससे क़ियामत के दिन वास्तव में हिसाब लिया जायेगा उसे अ़ज़ाब दिया जायेगा।

वज़ाहतः- नेक लोगों से अल्लाह तआ़ला आसान हिसाब लेंगे और गुनाहगार लोगों से सख़्त हिसाब लिया जायेगा। इसलिये ख़ूब ज़्यादा यह दुआ़ पढ़िये-

اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا

अल्लाहुम्-म हासिब्नी हिसाबंय्-यसीरा।

तर्जुमाः- ऐ अल्लाह! मुझसे आसान हिसाब लीजियेगा।

हदीस 980. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने वफ़ात से तीन दिन पहले फ़रमाया- तुम में से हर शख़्स इस हाल में मरे कि वह अल्लाह तआ़ला के साथ अच्छा गुमान (यानी मग़फ़िरत की उम्मीद) रखता हो।

हदीस 981. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब अल्लाह तआ़ला किसी क़ौम पर अ़ज़ाब भेजने का इरादा करते हैं तो वह अ़ज़ाब पूरी क़ौम पर आता है, फिर लोगों को अपने-अपने आमाल के मुताबिक़ उठाया जायेगा।

वज़ाहतः- अल्लाह तआ़ला का अ़ज़ाब जब किसी इलाक़े में आता है

तो उसमें रहने वाले नेक और बद दोनों अ़ज़ाब का शिकार हो जाते हैं, लेकिन नेक लोग क़ियामत के दिन जन्नत के वारिस होंगे और काफ़िर व मुश्रिक लोग आख़िरत में जहन्नम का ईंधन बनेंगे।

क़ियामत के फ़ितनों और निशानियों का बयान

हदीस 982. हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि एक दिन रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम घबराये हुए इस हाल में निकले कि आपका चेहरा सुर्ख़ था और फ़रमा रहे थे- "ला इला-ह इल्लल्लाहु" अ़रब के लिये उस शर से हलाकत हो जो क़रीब आ चुका है। आज याजूज-माजूज की दीवार इतनी खुल चुकी है और आपने अपने अंगूठे और उसके साथ मिली उंगली का हल्क़ा (घेरा) बनाकर बताया। मैंने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हम अपने अन्दर मौजूद नेक लोगों के बावजूद भी हलाक हो जायेंगे? आपने फ़रमाया- हाँ, जब फ़िस्क़ व फ़ुजूर (गुनाह और बदकारियों) की अधिकता हो जायेगी।

हदीस 983. हज़रत हफ़्सा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इस घर वालों (बैतुल्लाह) से लड़ने के इरादे से एक लश्कर चढ़ाई करेगा यहाँ तक कि जब वे ज़मीन के हमवार मैदान में होंगे तो उनके दरमियानी लश्कर को ज़मीन में धंसा दिया जायेगा और उनके आगे वाले पीछे वालों को मदद के लिये पुकारेंगे, फिर उन्हें भी ज़मीन में धंसा दिया जायेगा और सिवाय एक आदमी के जो भागकर उनके बारे में इत्तिला देगा, कोई भी बाक़ी न रहेगा।

वज़ाहतः- क़ियामत की निशानियों में से एक निशानी यह भी है कि एक लश्कर को जो बैतुल्लाह को शहीद करने के इरादे से आयेगा तो उसे रास्ते में मदीना मुनव्वरा के क़रीब एक हमवार मैदान में ज़मीन में धंसा दिया जायेगा।

हदीस 984. हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला ने ज़मीन को मेरे लिये समेट दिया तो मैंने उसके पूरब व पश्चिम को देखा और जहाँ तक की ज़मींन मेरे लिये समेट दी गयी थी वहाँ तक बहुत जल्दी मेरी उम्मत की हुकूमत पहुँच जायेगी, और मुझे सुर्ख़ और सफ़ेद ख़ज़ाने अ़ता किये गये और मैंने अपने रब से अपनी उम्मत के लिये दुआ़ माँगी कि वह उन्हें क़हत-साली (सूखे के अ़ज़ाब) में हलाक न करे और उन पर कोई ऐसा दुश्मन भी मुसल्लत न करे जो उन सब की जानों की हलाकत (तबाही) को हलाल व जायज़ समझे। और मेरे रब ने फ़रमाया- ऐ मुहम्मद! जब मैं किसी बात का फ़ैसला कर लेता हूँ तो उसे तब्दील नहीं करता और बेशक मैंने आपकी उम्मत के लिये फ़ैसला कर लिया है कि उन्हें क़हत-साली (सूखे और बारिश की कमी) के ज़रिये हलाक न करूँगा और न ही उन पर ऐसा कोई दुश्मन मुसल्लत करूँगा जो उन सब की जानों को हलाल व जायज़ समझे, अगरचे उनके ख़िलाफ़ ज़मीन के चारों कोनों (यानी हर तरफ़) से लोग जमा हो जायें, यहाँ तक कि मुसलमान एक दूसरे को ख़ुद ही हलाक करेंगे और एक दूसरे को क़ैदी बनायेंगे।

हदीस 985. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बहुत जल्दी फ़ितने बरपा होंगे, उनमें बैठने वाला खड़े होने वाले से, खड़ा होने वाला चलने वाले से और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा, जो उन फ़ितनों को देखेगा वे फ़ितने उसे हलाक कर देंगे, और जिस शख़्स को उनसे पनाह की जगह मिल जाये वह ज़रूर पनाह हासिल कर ले।

वज़ाहतः- ये फ़ितने क़ियामत के नज़दीक ज़ाहिर होंगे। उन फ़ितनों से अपने आपको बचाना ही अहम कामयाबी है।

हदीस 986. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत उस वक़्त तक क़ायम नहीं होगी जब तक बहुत ज़्यादा "हरज" न हो। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने अ़र्ज़ किया- ऐ अल्लाह के रसूल! हरज क्या है? आपने फ़रमाया- "क़त्ल, क़त्ल"।

वज़ाहतः- क़ियामत के नज़दीक क़त्ल व ग़ारत आ़म हो जायेगी, क़ातिल को मालूम नहीं होगा कि वह क्यों क़त्ल कर रहा है और मक़्तूल को मालूम नहीं होगा कि उसे किस जुर्म में क़त्ल किया गया।

हदीस 987. हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मैंने अपने रब से तीन चीज़ों का सवाल किया था, अल्लाह तआ़ला ने मुझे दो चीज़ें अ़ता फ़रमा दीं और एक चीज़ के बारे में सवाल करने से मुझे रोक दिया। मैंने अपने रब से यह सवाल किया कि वह मेरी उम्मत को क़हत-साली (सूखा पड़ने) से हलाक न करे। अल्लाह तआ़ला ने मुझे यह चीज़ अ़ता कर दी। फिर मैंने अल्लाह तआ़ला से यह सवाल किया कि वह मेरी उम्मत को ग़र्क़ करके हलाक न करे तो अल्लाह तआ़ला ने यह चीज़ मुझे अ़ता कर दी। उसके बाद मैंने अल्लाह तआ़ला से सवाल किया कि उन (उम्मते मुहम्मदिया) की एक दूसरे से लड़ाई न हो तो अल्लाह तआ़ला ने मुझे इस सवाल से रोक दिया।

वज़ाहतः- यही वजह है कि लोग एक दूसरे को नाहक़ क़त्ल कर रहे हैं और क़त्ल वह कबीरा (बड़ा) गुनाह है जिसकी वजह से जहन्नम वाजिब हो जाती है। अधिक तफ़सील के लिये पढ़िये तर्जुमा व तफ़सीर सूरः निसा 4, आयत 93।

हदीस 988. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उस वक़्त तक क़ियामत नहीं आयेगी जब तक कि दरिया-ए-फ़ुरात से सोने का एक पहाड़ न निकल आये जिस पर जंग होगी और हर सौ आदमियों में से निन्नानवे (99) आदमी मारे जायेंगे और उनमें से हर शख़्स यह सोचेगा कि शायद मैं ही वह शख़्स हूँ जिसको निजात मिल जायेगी।

हदीस 989. हज़रत हुज़ैफ़ा बिन उसैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब तक दस निशानियाँ ज़ाहिर न हों क़ियामत नहीं आयेगी-

1. पूरब में ज़मीन का धंसना। 2. पश्चिम में ज़मीन का धंसना। 3. अ़रब

खाड़ी में ज़मीन का धंसना। 4. धुएँ का ज़ाहिर होना। 5. दज्जाल का ज़ाहिर होना। 6. "दाब्बतुल-अर्ज़" (एक चौपाया जानवर जो क़ियामत के नज़दीक ज़मीन से निकलेगा और लोगों से गुफ़्तगू करेगा)। 7. याजूज-माजूज का निकलना। 8. पश्चिम से सूरज का निकलना। 9. एक आग जो अ़दन (एक जगह का नाम है) के किनारे से निकलेगी और लोगों को हाँककर हश्र के मैदान की तरफ़ ले जायेगी। 10. हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम का नाज़िल होना (आसमान से उतरना)।

हदीस 990. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उस वक़्त तक क़ियामत क़ायम नहीं होगी जब तक हिजाज़ (मक्का व मदीना) की ज़मीन से ऐसी आग ज़ाहिर न हो जाये जिससे बसरा के ऊँटों की गर्दनें रोशन हो जायेंगी।

वज़ाहतः- क़ियामत के क़रीब निकलने वाली यह आग इतनी बुलन्द होगी कि दूसरे मुल्कों तक उसकी रोशनी जायेगी।

हदीस 991. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया "क़हत यह नहीं है कि बारिश न हो, बल्कि क़हत यह है कि ख़ूब बारिश हो लेकिन ज़मीन कोई चीज़ न उगाये।"

हदीस 992. हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया "दिन और रात (का सिलसिला) उस वक़्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि लात और उ़ज़्ज़ा की इबादत न की जाये।" मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! जब अल्लाह तआ़ला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई-

तर्जुमाः- वह ज़ात जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीने हक़ के साथ भेजा ताकि तमाम दीनों पर ग़ालिब कर दे। चाहे मुश्रिक लोगों को यह नागवार गुज़ारे। (सूरः सफ़्फ़ 61, आयत 9)

तो मैं यह समझती थी कि यह दीन मुकम्मल हो गया (और अब शिर्क न होगा)। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो कुछ अल्लाह

तआ़ला की मर्ज़ी है वह बहुत जल्दी ज़ाहिर होगा, फिर अल्लाह तआ़ला एक पाकीज़ा हवा भेजेगा जिसकी वजह से हर वह शख़्स जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा वह मर जायेगा और जिसके दिल में बिल्कुल भी ईमान नहीं होगा वह बाक़ी रह जायेगा, और वे लोग अपने आबाई दीन (यानी शिर्क) की तरफ़ लौट जायेंगे।

हदीस 993. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आयेगा कि क़ातिल को यह मालूम नहीं होगा कि वह क्यों क़त्ल कर रहा है और मक़्तूल को यह मालूम न होगा कि उसको क्यों क़त्ल किया गया है।

हदीस 994. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उस वक़्त तक क़ियामत क़ायम नहीं होगी जब तक मुसलमान तुर्कों (तुर्की के रहने वालों) से जंग न करें, यह वे लोग हैं जिनके चेहरे टूटी हुई ढाल की तरह होंगे। ये लोग बालों का लिबास और बालों की जूतियाँ पहनेंगे।

हदीस 995. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- किसरा मर गया उसके बाद कोई किसरा नहीं होगा, और जब क़ैसर मर जायेगा तो उसके बाद कोई क़ैसर नहीं होगा, और उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है तुम उनके ख़ज़ानों को अल्लाह तअ़ला की राह में ख़र्च करोगे।

वज़ाहतः- आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में ईरान के बादशाह को **किसरा** और रूम के बादशाह को **क़ैसर** कहा जाता था। ये दोनों सबसे ज़्यादा ताक़तवर हुकूमतें थीं। आपकी भविष्यवाणी के मुताबिक़ हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु के दौर में किसरा का नाम ही मिट गया और क़ैसर शिकस्त खाने के बाद फ़रार हो गया। उनके ख़ज़ानों को मुसलमानों ने अल्लाह तआ़ला की राह में तक़सीम कर दिया।

हदीस 996. हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- उस वक़्त तक

क़ियामत क़ायम नहीं होगी जब तक दज्जाल और कज़्ज़ाब (इन्तिहाई झूठों) का ज़हूर न हो जाये जो तीस के क़रीब होंगे, उनमें से हर एक का यह ख़्याल होगा कि वह अल्लाह तआ़ला का रसूल है।

हदीस 997. हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने लोगों के सामने दज्जाल का ज़िक्र किया और फ़रमाया- अल्लाह तआ़ला काना नहीं है। सुनो दज्जाल की दायीं आँख कानी होगी यानी उसकी आँख फूले हुए अंगूर की तरह होगी।

हदीस 998. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हर नबी ने अपनी उम्मत को काने दज्जाल से ख़बरदार किया है, सुनो! वह बिला शुब्हा काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं है, दज्जाल की दो आँखों के दरमियान 'काफ़' 'अलिफ़' 'फ़ा' 'रा' (यानीह 'काफ़िर') लिखा हुआ होगा।

हदीस 999. हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- दज्जाल की बाईं आँख कानी होगी और बाल घने होंगे, उसके साथ जन्नत और दोज़ख़ होगी, उसकी दोज़ख़ (हक़ीक़त में अल्लाह तआ़ला की) जन्नत होगी और उसकी जन्नत (हक़ीक़त में अल्लाह तआ़ला की) दोज़ख़ होगी।

हदीस 1000. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मक्का और मदीना के अ़लावा हर शहर में दज्जाल जायेगा और उसके हर रास्ते पर फ़रिश्ते पहरा दे रहे होंगे, फिर वह दलदली ज़मीन में उतरेगा और मदीना तीन मर्तबा लरज़ेगा और उससे हर काफ़िर और मुनाफ़िक़ निकल कर दज्जाल के पास चला जायेगा।

हर काम के समापन पर यह दुआ़ पढ़नी चाहिये

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ (سورۃالصٰفّت آیات۱۸۰تا۱۸۲)

सुब्हान-क रब्बि-क रब्बिल्-अ़िज़्ज़ति अ़म्मा यसिफ़ून। व सलामुन्

अ़लल्-मुर्सलीन। वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्-आ़लमीन।

तर्जुमाः- पाक है आपका रब जो अ़ज़मत वाला है हर उस चीज़ से जो (मुश्रिक) बयान करते हैं, और (तमाम) रसूलों पर सलामती हो और तमाम तारीफ़ व सना उसी अल्लाह करीम के लिये हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है।

इस सदक़ा-ए-जारिया में हिस्सा लेने के तरीक़े

1. तारीख़ गवाह है कि कोई क़ौम हलाकत (तबाही व बरबादी) से महफ़ूज़ नहीं जब तक वह ख़ुद भी नेक अ़मल न करे और अपने भाईयों के सुधार की भी कोशिश न करे। तफ़सील के लिये पढ़िये तफ़सीर

(सूरः मायदा 5, आयत 78-80)

2. इन किताबों को ख़रीदकर अपने दोस्तों और घर की क़रीबी मस्जिदों में फ़ी सबीलिल्लाह तक़सीम करें, ये किताबें बेहतरीन तोहफ़ा भी हैं।

3. आपको किसी बीमारी के इलाज का इल्म हो जो मुसलमानों के लिये फ़ायदेमन्द हो तो हमें लिखें। इन्शा-अल्लाह तआ़ला अगले प्रकाशन में उसे शामिल करने की कोशिश करेंगे।

4. जब आपको इस किताब से फ़ायदा उठाने की बदौलत लाभ हो तो चन्द किताबें फ़ी सबीलिल्लाह ज़रूर तक़सीम करें ताकि दूसरों को भी आपकी ज़ात व माल से फ़ायदा हो और यह आपके लिये सदक़ा-ए-जारिया भी हो जाये।

5. किताबों की ज़रूरत हो तो रजिस्टर्ड पार्सल मंगायें जिसके लिये मनी आर्डर के ज़रिये पेशगी रक़म भेजें। डाक ख़र्च ख़रीदार के ज़िम्मे है।